श्रृंखला, खंड 37, अंक 8

FOR REFERENCE ONLY

गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2003
20 अग्रहायण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 56
Date 25/5/04

(खण्ड 37 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

परमजीत कौर
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 37, चौदहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 8, गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2003/20 अग्रहायण, 1925 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	141 से 144	6-39
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	145 से 160	39-66
अतारांकित प्रश्न संख्या	1420 से 1615	66-438
सभा पटल पर रखे गए पत्र		438-442
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
सत्ताईसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश		442
नियम 193 के अधीन चर्चा		
श्री दिलीप सिंह जूदेव के मंत्रिपरिषद् से त्यागपत्र देने के बारे में प्रधानमंत्री का वक्तव्य		
श्री अजय चक्रवर्ती		446
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव		447
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव		450
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		452-462
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
मध्य रात्रि क्षेत्र दमण और दीव में मोतीदमण और नानी दमण को जोड़ने वाले पुल के टूटने जिसके कारण मानव जीवन की हानि हुई, से उत्पन्न स्थिति		
श्री मोहन एम डेलकर		463
श्री लाल कृष्ण आडवाणी		463
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव		468
मोहम्मद अनवारूल हक		270
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) विघटनकारी गतिविधियों का समर्थन करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता		
श्री अनादि साहू		474

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(दो)	राज्यों में विद्यमान मुख्य सड़कों के सुधार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत न्यूनतम 15 प्रतिशत धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अनन्त नायक	474
(तीन)	झारखंड में क्षेत्रीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामटहल चौधरी	475
(चार)	हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर अथवा हमीरपुर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुरेश चन्देल	476
(पांच)	मलेशिया के न्यायालय में विचारण का सामना कर रहे तमिलनाडु के नौ युवकों के संप्रत्यावर्तन को सुगम बनाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	476
(छह)	असम के कारबी आंगलौंग जिले के खंड-एक क्षेत्र में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों को रोके जाने की आवश्यकता	
	श्री पी.आर. किन्डिया	476
(सात)	देश में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर व्यय के लिए धनराशि दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री खगेन दास	477
(आठ)	किसानों के लाभ के लिए देश के ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा किये जाने और एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री शिवाजी माने	478
(नौ)	उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 के उचित रख-रखाव और उन्नयन के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम सजीवन	478
(दस)	बिहार के मुख्य प्रभावित गन्ना किसानों को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामजीवन सिंह	479

विषय	कॉलम
(ग्यारह) पश्चिमी बंगाल में सुईसा रेलवे स्टेशन के दक्षिण की ओर एक प्लेटफार्म और एक पैदल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री बीर सिंह महतो .	479
(बारह) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील के गन्ना किसानों की बकाया राशि का राजा-का महसपुर स्थित चीनी मिल द्वारा भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र विजय सिंह	480
(तेरह) आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री के. येरननायडू	480
(चौदह) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी. वसावा	481
रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक—पारित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जसवंत सिंह .	481
श्री ए.सी. जोस .	483
श्री रतन लाल कटारिया	491
श्री वरकला राधाकृष्णन.	493
डा. वी.वी. रमैया	498
श्री सी. कुप्पुसामी	501
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह .	503
श्री रमेश चेन्नितला .	507
डा. वी. मरोजा	511
श्री विक्रम केशरी देव	513
श्री प्रद्योत पण्डा .	514
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	515
खंड 2 में 6 और 1 .	523
पारित करने के लिए प्रस्ताव	525

विषय	कॉलम
राष्ट्रीय कर अधिकरण अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक—*पारित*	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पवन कुमार बंसल	526
श्री पी.सी. थामस	529
श्री रमेश चेन्नितला	534
प्रो. रासा सिंह रावत	536
श्री शिवराज वि. पाटील	540
श्री वरकला राधाकृष्णन	543
श्रीमती सुषमा स्वराज	543
श्री खारबेल स्वाइं	556
कार्यमंत्रणा समिति	
सत्तावनवां प्रतिवेदन	569 570

लोक सभा

गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2003/20 अग्रहायण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : मान्यवर, आज देश के गन्ना किसानों को गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)* चीनी मिल मालिकों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है।...*(व्यवधान)* गन्ना किसानों का मसला बहुत महत्वपूर्ण है...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष जी, एक करोड़ लोग हर साल देश में बेरोजगार होते जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* माननीय प्रधान मंत्री जी ने हर साल एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी ने 20 रुपये के नोट को अपना स्टीकर लगाकर बांटा है। यह देखिये, यह 20 रुपये के नोट पर स्टीकर लगा हुआ है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मेरे पास जो नोटिसेज हैं उनमें बेरोजगारी के विषय पर भी नोटिसेज हैं।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : महोदय, आन्ध्र प्रदेश में हर जगह... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता है--कुंवर अखिलेश सिंह इस मुद्दे को काफी लम्बे समय में उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जैसाकि पहले ही बताया गया है कि मैं प्रश्न-काल स्थगित करने की अनुमति देने की स्थिति में नहीं हूं। जहां तक स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध है तो ये स्थगन प्रस्ताव संबंधी विषय नहीं है केवल एक बात है कि आप इन विषयों पर मंत्री महोदय से जवाब चाहते हैं।

[हिन्दी]

मैं यह बात समझ सकता हूं कि बेरोजगारी का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय पर सदन में बहस होनी चाहिए। पिछले सेशन में भी हमने इस पर बहस की थी और अगर आप इस सदन में भी इस पर बहस करना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है कि हम इसे बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में रखेंगे और मैं समझता हूं कि कोई इस विषय के खिलाफ नहीं होगा।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष जी, बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है और जब तक आप प्रश्नकाल स्थागित नहीं करेंगे, ...*(व्यवधान)* इस समस्या की महत्ता कम हो जाएगी। इसलिए प्रश्नकाल समाप्त कर इस विषय पर चर्चा कराइये।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष जी, गन्ना किसान का मसला सबसे बड़ा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर चर्चा देने के मूड में हूं। आप चर्चा उपस्थित कीजिए और चर्चा करने के बाद मंत्री जी का उत्तर भी आपको मिल सकता है। आप जीरो-आवर में चर्चा उठाइये। मैं मंत्री जी को उपस्थित रहने के लिए कहूंगा।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष जी, गन्ना किसान का विषय गंभीर है, गन्ना किसानों को उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : आप वैल में क्यों आते हैं, आप अपनी जगह पर जाइये। वैल में आना मुझे पसंद नहीं है। आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है लेकिन वैल में आने की पद्धति गलत है। यह आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता है। आप अपनी सीट पर जाइये। किसी भी तरीके से मेरे ऊपर प्रैशर लाने की कोशिश मत करो, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा है कि मैं मंत्री जी को उत्तर देने के लिए कहूंगा, लेकिन पहले आप अपनी सीट पर जाइये।

कुंवर अखिलेश सिंह : इस प्रश्न पर हमें किसी भी सीमा तक जाना होगा तो हम जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : किसी भी सीमा तक जाने की जरूरत क्या है? मैं आपको चर्चा दे रहा हूं और मंत्री जी उत्तर देंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह : आज गन्ना पिराई के लिए जा रहा है ...*(व्यवधान)* पिराई का सीजन प्रारम्भ हो गया है। लेकिन भारत सरकार ने गन्ना लेना शुरू नहीं किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रश्नकाल शुरू करता हूं। प्रश्न सं. 141, श्रीमती कान्ति सिंह।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने क्वैश्चन आवर शुरू किया—श्रीमती कान्ति सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी को उत्तर देने के लिए कह सकता हूं। पहले आप अपनी जगह पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरीके से दबाव डालने की कोशिश मत करिए। चेयर और आपका कोई झगड़ा नहीं है। यह ध्यान में रखिए। आप सरकार से झगड़ा है। आप पूरे सदन को क्यों परेशान करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरीके से मेरे ऊपर दबाव नहीं आएगा। आप कोशिश मत करिए। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरीके से आपका बिहेवियर गलत है। मैं उसको एप्रीशिएट नहीं कर सकता हूं। आप अपनी जगह पर जाइए और वहां से बोलिए। यहां वैल में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको दो मिनट बात कहने के लिए देता हूं। लेकिन इस तरीके से किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा, न आपको और न किसी अन्य को। यह सदन की बात है, मैं आपकी बात को सुनता हूं और फिर मैं निर्णय दूंगा।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर वापस चले गए।)

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के दौरान जब मुंडेरवा में तीन किसानों की हत्या हुई थी, उसके बाद सरकार के कान पर जूं रेंगी। उन्होंने 64 रुपए से 69 रुपए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य तय किया था। इस साल भारत सरकार ने गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य तय नहीं किया है, जबकि भारत सरकार के कृषि मूल्य आयोग ने 73 रुपए सांविधिक न्यूनतम मूल्य का सुझाव दिया है। उस मूल्य की घोषणा अभी तक भारत सरकार ने नहीं की है, जिसके कारण...*(व्यवधान)* ये किसान विरोधी हैं, इसलिए इस तरीके की बात कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि आप कृषि मंत्री जी को यह निर्देशित करें कि भारत सरकार तत्काल गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य इस वर्ष के लिए घोषित करे और चीनी मिल-मालिकों के द्वारा जो किसानों का शोषण हो रहा है, उससे उनको बचाया जा सके।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, बेरोजगारी एक राष्ट्रीय समस्या है। हम लोग तो सदन के वैल में भी नहीं आए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सुना है, मुझे उनके बारे में निर्णय देने दीजिए। आप वैल में नहीं आए, इसके लिए मैं आपको शाबाशी देता हूं और आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं। वैल में आने की जरूरत भी नहीं है।

इस सदन में आप लोगों ने नियम बनाए हैं और मुझे उन नियमों के अनुसार काम करना है। मैं आप सभी सदस्यों को बता चुका हूं कि जिस तरीके से मेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश हो रही है, वह मुझे बिलकुल सामान्य है। मैं ऐसी कोशिश या दबाव में आने वाला नहीं हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि आपका प्रश्न इम्पोर्टेंट है। कुंवर अखिलेश जी मुझे चैम्बर में मिले थे। मैंने उनसे कहा था कि आपका

प्रश्न इम्पोर्टेंट है और मैं मंत्री जी से रिक्वैस्ट कर सकता हूं। आप प्रश्न उठाइए और मंत्री जी उत्तर देंगे। इसके लिए यदि आज समय मिलेगा, तो मुझे खुशी होगी। वैसे भी जीरो आवर में मैं कभी-कभी ऐसा भी कहता हूं कि मंत्री जी दो मिनट में उत्तर दीजिए। यही एक रास्ता है। वैल में आना मैंने आज टॉलरेट किया है, इसके आगे कभी भी वैल में आने की कोशिश मत कीजिए। किसी भी सदस्य को यह शोभा नहीं देता है और न इससे पूरे सदन की गरिमा बढ़ती है। मेरी यह कोशिश रहेगी कि आपके इस प्रश्न पर मैं मंत्री जी को बोलता हूं और मंत्री जी को उत्तर देने के लिए मैं जरूर कहूंगा। आप चेयर से को-आपरेट कीजिए और कभी भी वैल में आने की कोशिश मत करिए।

[अनुवाद]

श्री के. येरेननायडू : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, बेरोजगारी एक राष्ट्रीय समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा करेंगे। यह विषय मुझे मालूम है। इस पर जरूर चर्चा करेंगे।

[अनुवाद]

कृपा बैठ जाइए। मैंने प्रश्नकाल शुरू कर दिया है।

श्री के. येरेननायडू : महोदय, दो भारतीय को तालिबान ने पकड़ रखा है। वे पिछले चार दिनों से तालिबानियों के नियन्त्रण में हैं।...*(व्यवधान)* भारत सरकार को इन भारतीयों के जीवन की रक्षा के लिए अविलम्ब हस्ताक्षेप करना होगा। वे आन्ध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से हैं। सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, यह एक गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

श्री के. येरेननायडू : महोदय, यह मामला पिछले दो दिनों से समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जा रहा है, मैं सरकार से इस सम्बन्ध में अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय सही समय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : महोदय, बेरोजगारी की समस्या पर आपका रूल क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मेरा रूल यह है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। तीन-चार घन्टे की चर्चा होनी चाहिए। मैं इस विषय को बीएसी में रखूंगा और चर्चा करेंगे।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गांधीजी पर विज्ञापन

+

*141. **श्रीमती कान्ति सिंह** :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने इस वर्ष गांधी जी के जन्मदिन पर विज्ञापन जारी किया है जिसमें गांधी जी की अहिंसा की विरासत को कम करने के लिए उन्हें स्थापित गांधीवाई दर्शन के विरुद्ध यह कहते हुए उद्धृत करने का जानबूझकर प्रयास किया गया है;

"मैं भारत के अपने अपमान का असहाय साक्षी बने रहने की अपेक्षा, मैं उसके सम्मान की रक्षा करने के उद्देश्य से हथियार का सहारा लेने को कहूंगा।"

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विभिन्न वर्गों की ओर से कड़ा विरोध हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) गांधी जी के जन्म-दिवस पर इस वर्ष के विज्ञापन में दिए गए उद्धरण में गांधीवादी दर्शन का अनादर नहीं किया गया है। दरअसल, इसमें भारत के सम्मान एवं प्रतिष्ठा के प्रति गांधीजी के सरोकार पर बल दिया गया है। प्रयुक्त उद्धरण गांधी जी पर श्री डी.जी. तेंदुलकर द्वारा लिखित और प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ''महात्मा-लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी'' (खंड-II) नामक पुस्तक से लिया गया था। उक्त उद्धरण 11 अगस्त, 1920 को ''यंग इंडिया'' में महात्मा गांधी द्वारा ''दि डाक्ट्रिन ऑफ दि सोर्ड'' नामक एक लेख के रूप में लिखा गया था।

(ख) और (ग) जहां तक विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय/ सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संबंध है, इस विज्ञापन के संबंध में किसी भी क्षेत्र से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने ''ख'' और ''ग'' जवाब में कहा है कि इस विज्ञापन पर कहीं प्रतिक्रिया नहीं हुई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया था वह यह था:

> ''मैं भारत के अपने अपमान का असहाय साक्षी बने रहने की अपेक्षा, मैं उसके सम्मान की रक्षा करने के उद्देश्य से हथियार का सहारा लेने को रहूंगा।''

अध्यक्ष जी, गांधी जी के दर्शन में ''अहिंसा परमोधर्म:'' है। उन्होंने हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आपके मंत्रालय ने जो कोट किया, वह ''यंग इंडिया'' के मातहत किया। इसके जवाब में इन्होंने कहा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं इसका उत्तर चाहती हूं। इस पर जो प्रतिक्रिया हुई मैं उसे कोट करना चाहती हूं।

[अनुवाद]

''बाडोदरा से प्रकाशित होने वाले भूमिपुत्र के सम्पादक श्री जगदीश शाह ने कहा उन्होंने गांधी की हत्या की है। वह अंहिसा के दृढ़ उपायक थे, उन्होंने उनका सन्दर्भ दिए बिना उन्हें उद्धृत किया।

वेदेही निवासी नारायण देसाई, जो अहमदाबाद में थे जहां उनकी गुजराती में महात्मा गांधी पर चार खण्डों में जीवनी का विमोचन किया था, ने कहा ''वही विज्ञापन कुछ अन्य संगठनों ने भी जारी किया था। वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं। वे उनके आदर्शों के बजाय अपने स्वार्थों के चलते उन्हें अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं।''

वयोवृद्ध गांधीवादी चुन्नीभाई वैद्य ने कहा था कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि यदि कोई स्त्री अपने सम्मान की रक्षा करते हुए किसी की हत्या कर देती है तो वह इसे अहिंसा मानेंगे क्या ऐसे वक्तव्य का प्रयोग यह कहने के लिए किया जा सकता है कि वह हिंसा के पक्षधर थे।

रोहित प्रजापति, नन्दनी मंजेरकर और आनन्द मजगांवकर सहित मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं ने कहा था ''वे उस विज्ञापन को देखकर डर गए थे। उस विज्ञापन का अनिष्टकर भाव स्पष्ट है।''

[हिन्दी]

मैं जानना चाहती हूं कि आखिर मंत्री जी को ऐसी जानकारी क्यों प्राप्त नहीं हुई जबकि इस पर काफी प्रतिक्रिया हुई है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे विभाग के अंतर्गत डीएवीपी तीन अवसरों पर 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्तूबर को भारत के अखबारों में एक विज्ञापन देता है। श्री डी.जी. तेंदुलकर ने महात्मा गांधी के बारे में आठ अंकों में उनकी बायोग्राफी लिखी है जो हमारे पब्लिकेशन डिविजन ने छापी है।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस : उनके पास इसकी उद्धृत करने के अलावा कोई अन्य उद्धरण नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री रवि शंकर प्रसाद : कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

[हिन्दी]

यह पुस्तक पहली बार 1951 में प्रकाशित हुई और 1961 में इस पर रिव्यू हुआ, वह बाद में दोबारा रीप्रिन्ट हुई। इसकी प्रस्तावना जवाहर लाल जी ने लिखी है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है:

[अनुवाद]

> ''इससे किसी भी अन्य पुस्तक से गांधी जी के बारे में अधिक तथ्यों और आंकड़ों के बारे में पता चलता है। मैं इस पुस्तक

को एक व्यक्ति के जीवन के रूप में ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में एक काल सम्बंधी भी रिकार्ड के रूप में बहुत महत्व दूंगा।''

[हिन्दी]

इसके पृष्ठ चार में गांधी जी के 1920 के ''यंग इंडिया'' के लेख का उद्धरण है जहां पर गांधी जी ने 11 अगस्त 1920 को लिखा है कि ''अगर कायरता और हिंसा में चुनना हो तो किसे चुनना होगा'' उसका संदर्भ यह था। वहां पर उन्होंने कहा कि:

[अनुवाद]

''यदि मुझे कायरता और हिंसा के बीच चुनना होगा...'' निसन्देह उन्होंने कुछ उदाहरण दिए थे। वहां उन्होंने कहा था कि ''देश का गौरव सर्वोच्च है और यदि उसके लिए हिंसा की जरूरत होती है तो निसन्देह यह...'' उन्होंने वहां यह टिप्पणियां की थी।

[हिन्दी]

उन्होंने यह भी कहा कि इसलिए हमने देअर वार में भाग लिया था, उन्होंने इसका उल्लेख भी किया। हमारा कहना है कि गांधी जी के पूरे व्यक्तित्व और चिंतन को पूर्णत: देखने की आवश्यकता है। मैं कांति जी को प्रश्न के उत्तर में विनम्रतापूर्वक यह बताना चाहता हूं कि हमने उत्तर में लिखा है कि डीएवीपी को इसके बारे में कोई आपत्ति रीसिव नहीं हुई है। उन्होंने जहां कुछ अखबारों का संदर्भ दिया, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि देश में लोकतंत्र है, यहां मीडिया आजाद है और हरेक को अपनी टिप्पणी करने का अधिकार है। भारत सरकार ने इस पुस्तक के माध्यम से और गांधी जी के लिखित उद्धृत विचारों के आधार पर अगर गांधी जी ने भारत के सम्मान, राष्ट्रीय स्वाभिमान के संदर्भ में कायरता और हिंसा में चुनाव करना है, एक बात कही है, मेरे ख्याल से गांधी जी के व्यक्तित्व का सही निरूपण है। ऐसी बात नहीं कि हम यह नहीं देते हैं। हम हर साल देते हैं और कभी न कभी कोई कोटेड उद्धरण देते रहे हैं। उनके व्यक्तित्व को पूर्णतया देखने की आवश्यकता है। अगर पूर्णतया को देखेंगे तो गांधी जी ने राष्ट्र के सम्मान में जो बात कही, वह सही बात कही है।

श्रीमती कान्ति सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी ने आखिर इस उद्धरण को क्यों पेश किया। गांधी दर्शन में बहुत सारी बातें हैं। इस सदन के सभी लोग जानते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, हमें यह पहले ही मालूम है।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह : हमारा देश भारतवर्ष इस बात को भली-भांति जानता है और सूचना और प्रसारण मंत्री इस बात से अवगत हैं कि हमारे देश की साम्प्रदायिक ताकतें, विशेषकर संघ परिवार गांधी दर्शन और गांधी जी के विचारों का तीव्र विरोधी रहा है। गांधी जी के सही विचारों को गलत उद्धृत करना, संदर्भ काटकर आधे-अधूरे उनके विचारों को उद्धृत करना इन लोगों की परम्परा रही है।

अध्यक्ष महोदय, संघ परिवार वालों की पाञ्चजन्य पत्रिका निकलती है। उसके पन्नों को देखने से यह साफ झलकता है। मैं जानना चाहती हूं कि आम जनता, लेमैन गांधी जी के आदर्शों को जानता है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। उस स्थिति में मंत्री महोदय इस उद्धरण को देकर इस देश की जनता को क्या बताना चाहते हैं? यह विज्ञापन मात्र 10 प्रतिशत लोगों के लिये निकलता है, आम जनता की इस पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूं और माननीय मंत्री जी किस प्रकार की भावना पेश करना चाहते थे?

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पिछले 35 वर्षों से डीएवीपी 2 अक्तूबर को अखबारों में विज्ञापन देती है। हम पिछले 5-6 वर्षों से इस देश में सत्ता में हैं। हर साल किसी न किसी उक्ति के साथ निकालते हैं। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि पुस्तक की प्रामाणिकता के विषय में पं. जवाहर लाल नेहरू ने एक बहुत ही अच्छी और उपयोगी टिप्पणी की है। यह पुस्तक 1951 में प्रकाशित हुई...*(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह : यह पुस्तक अच्छी है लेकिन आम जनता पर इस उद्धरण से क्या असर हुआ है और माननीय मंत्री जी क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने यह बात कायरता और हिंसा के संदर्भ में कही थी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस : कृपया गांधी जी के बारे में नहीं बोलिए।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में उद्धृत नहीं किया था, यह पुस्तक किस संदर्भ में निकाली गई?

अध्यक्ष महोदय : कान्ति सिंह जी, आपका प्रश्न हो गया, आप बैठिये।

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रामाणिकता को मानता हूं कि गांधी जी ने इस देश की सुरक्षा और स्वाभिमान के बारे में इस बात को लिखा। जो आज भी कायम है। जहां तक संघ परिवार को आइडियोलौजी की बात है, मैं माननीया कान्ति सिंह जी से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि चुनाव में इतनी बड़ी हार के बाद थोड़ा सा इस राजनैतिक टिप्पणी से बचने की चेष्टा करें ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अपनी ही बात का खण्डन कर रहे हैं...*(व्यवधान)* महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री ने बताया है कि इस संबंध में किसी भी क्षेत्र से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी बताते हैं कि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। 'प्रतिक्रिया' और 'आपत्ति' शब्दों के बीच क्या अंतर है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने उसका भी जबाव पहले ही दे दिया है उन्होंने बताया है कि उन्हें वह प्राप्त नहीं हुआ है। आपने उनकी बात ठीक तरह से नहीं सुनी है। उन्होंने कहा है कि सरकार को वह प्राप्त नहीं हुआ है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सत्य और अहिंसा हमें विरासत में मिली हैं। आज से 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने सत्य और अहिंसा का संदेश विश्व को दिया जिसका प्रयोग गांधी जी ने किया। यह हमारे देश का दुर्भाग्य और विडम्बना है कि गांधी जी की हत्या इसी देश में की गई। हत्यारे कौन थे, यह सब लोग जानते हैं...*(व्यवधान)* आकर लोग बोल रहे हैं...* और हत्यारे कौन हैं, यह पूछा जा रहा है...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभी आपत्तिजनक शब्दों को कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, गांधी जी की हत्या हुई और अब गांधी जी के विचारों की हत्या की कोशिश की जा रही है और सरकार बेखबर है। तमाम गांधीवादी उस एडवरटाइजमैन्ट से बेचैन हैं, जो इनके मंत्रालय ने निकाला है। उन तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सरकार उससे बेखबर है और मंत्री जी अपने उस एडवरटाइजमैन्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। उसमें गांधी जी के विभिन्न प्रसंगों की बातें कही गई हैं—जैसे कायरता और हिंसा में से चुनना हो तो कायरता को नहीं हिंसा को चुनने के लिए गांधी जी ने कहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हिंसा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश बाबू, आप एक मिनट रुकिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने सुना नहीं अभी मैं बोल रहा हूं।

श्री रतन लाल कटारिया : इन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह : किस बात के लिए माफी मांगें।

श्री विष्णु पद राय : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि यदि उनकी कही कोई बात आपत्तिजनक है तो उसे कार्यवाही-वृतान्त से हटा दिया जाएगा।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : इसमें क्या आपत्तिजनक है?

अध्यक्ष महोदय : इसमें आपत्तिजनक यह है कि आप हस्ताक्षेप कर रही हैं। यदि आपने जो कुछ कहा है वह आपत्तिजनक है तो इसे कार्यवाही-वृतान्त से हटा दिया जाएगा और इसके बारे में चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : गांधी जी के विचारों को मिसकोट किया है। उन्होंने सही कहा कि जहां कहीं महिला की अस्मिता पर खतरा हो तो यदि वहां हत्या भी हो जाए तो वह हिंसा नहीं है।

दूसरी बात उन्होंने कही कि हिंसा और कायरता में से चुनना हो तो हम हिंसा को चुनेंगे, कायरता को नहीं चुनेंगे। इसका मतलब यह है कि यह कोट करना कि गांधी जी ने अहिंसावादी होते हुए हिंसा का पक्ष लिया, अपने इस्तेमाल के लिए इन्होंने गांधी जी को मिसकोट किया। इससे तमाम गांधीवादी बेचैन हैं और इसके बाद इनके द्वारा यह कहना कि हमें प्रतिक्रिया की कोई जानकारी नहीं है। हिन्दुस्तान के मशहूर अखबार इंडियन एक्सप्रेस में बातें छपी हैं और आई. एंड बी. मिनिस्टर इससे बेखबर हैं। यह जानबूझकर इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह संदर्भ इन्हें बताना पड़ेगा नहीं तो कहीं की बात कहीं लेकर जायेंगे। जो मानववाद है, वह गांधीवादा है। गांधी जी, जिन्हें हिन्दू दुनिया के लोगों ने माना कि प्रच्छन्न मानववाद ही गांधीवाद है। हिन्दुस्तान और दुनिया के लोगों ने क्या कहा...*(व्यवधान)* क्या आपको समझ में इतनी बात नहीं आती। यह तुम्हारी समझ में नहीं आयेगा। यह गांधी जी के ऊर्जा दर्शन की बात है, मानववाद और गांधीवाद की बात है। डा. लोहिया जब आइंस्टीन से मिलने गये... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये। आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते, यह प्रश्नकाल है, आपको प्रश्न पूछना चाहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : गांधी जी के दर्शन को तोड़ने और मरोड़ने का क्या औचित्य है, मंत्री जी यह बतायें।

श्री रवि शंकर प्रसाद : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य रघुवंश बाबू मेरे प्रांत बिहार से आते हैं, उनकी विद्वता और अभिव्यक्तिकला अलौकिक है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सत्य और अहिंसा में जो उनकी प्रामाणिकता, प्रतिबद्धता है, उसका कुछ चयन हमारे प्रांत में भी हो पाता, जहां उनकी पार्टी का शासन है। लेकिन वह एक अलग विषय है। उन्होंने एक बात कही कि हमने इसे कैसे कोट किया। हमने क्या कहा है, यह मैं ''यंग इंडिया'' से कोट कर रहा हूं कि 11 अगस्त, 1920 को गांधी जी ने क्या कहा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय मंत्री जी बिहार की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार की वह महत्ता है कि मोहनदास करमचंद को महात्मा गांधी बिहार की मिट्टी ने बनाया। यह भगवान महावीर और बुद्ध की कर्मभूमि है। गांधी के हत्यारों की विनाशभूमि भी बिहार है। आडवाणी को जेल में बंद करने वाली भूमि भी बिहार है और अन्यायियों तथा दंगाइयों का सत्यानाश करने वाली भूमि भी बिहार है।...*(व्यवधान)*

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय सदस्य रघुवंश बाबू ने कहा कि हमने क्या कोट किया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज सुनिये, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने 11 अगस्त 1920 को यंग इंडिया में लिखा, जो मैं कोट कर रहा हूं:

[अनुवाद]

> ''मैं चाहता हूं कि भारत को कायरतापूर्ण रवैये से असहाय होकर अपने अपमान पर भूकदर्शक बने रहने के बजाय, हथियार उठाकर अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए।''

[हिन्दी]

उन्होंने भारत के सम्मान की बात की थी। भारत की सुरक्षा की बात की थी और जो उन्होंने जो गांधी जी की हत्या की बात की वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बात बार-बार उठी है, कमीशन से साफ हुई है। यह बात गलत बात है जो रिकार्ड से हटाई जानी चाहिए। इस तरह का बेबुनियाद आरोप रघुवंश बाबू को नहीं लगाना चाहिए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृष्णा बोस जी आप प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस : महोदय, यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी हमारे महान नेता हैं। हमें इन बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि सरकार ने उनको गलत उद्धृत किया है उन्होंने तो उनको उद्धृत किया है। यहां वह समस्या नहीं है। मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि विपक्ष इस बात पर क्यों बल दे रहा है उन्होंने किसी प्रयोजन से उद्धृत किया है। मुझे तो कोई दिखाई नहीं देती।

बिहार के दो सदस्यों ने दो प्रश्न उठाए थे। बिहार 'भारत छोड़ो आंदोलन' का केन्द्र था। उन्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए। मंत्री जी ने जो कहा वह सच है कि यदि कायरता और हिंसा के बीच में से एक को चुनना था तो गांधी जी हिंसा को वरीयता देते। गांधी जी ने बार-बार कहा था इसमें कोई सन्देह नहीं...*(व्यवधान)*

अप्रैल 1942 में उन्होंने कहा था कि वह दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हिंसा का सहारा लेने का भी जोखिम उठाने के लिए तैयार थे।...*(व्यवधान)* गांधी जी ने पुन: कहा था और मैं उद्धृत करता हूं "किसी के आदेश से होने वाली अराजकता वास्तविक अराजकता से बदतर है।"

उन्होंने कहा कि यदि भारत के पास तलवार होती तो उन्होंने उन्हें तलवार उठाने को कहा होता उस समय हमारे पास तलवार नहीं थी।

मेरे कांग्रेस साथियों, मुझे गांधी जी का एक उत्कथन पढ़ने दीजिए। उन्होंने कहा था, "मेरी अहिंसा एक पन्थ है।" हां यह उनका पन्थ ही था। "लेकिन यह उस पन्थ के रूप में नहीं है जिसे मैंने भारत के सम्मुख प्रस्तुत किया। मैंने कांग्रेस के समक्ष इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में रखा, जो वास्तविक समस्याओं का हल करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।" आपको याद होना चाहिए कि कांग्रेस कार्यकर्त्ता के रूप में...*(व्यवधान)*

हम गांधी जी की अहिंसा का अनादर नहीं कर रहे हैं जो एक महान पन्थ है। लेकिन हमें सन्तुलित विचार रखने चाहिए...*(व्यवधान)* मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि उनका उत्तर कुछ खेदसूचक क्यों है? वह गांधी जी के सिद्धान्त का अनादर नहीं कर रहे है हमें गांधी जी के विचारों को हमेशा उद्देश्यपरक और सन्तुलित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। वह अत्यन्त जटिल व्यक्तित्व वाले और महान व्यक्ति थे। हम उन्हें सन्तुलित व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करके उनका सम्मान कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, यह तो मात्र टिप्पणी है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसकी मैं सराहना करता हूं।

डी.ए.वी.पी. ने विगत 35 वर्षों में हमेशा महात्मा गांधी के बारे में तथ्य बताए हैं जो एक तरह से महात्मा गांधी के आदर्शों और व्यक्तित्व की संपूर्णता का संकलन हैं। गांधी जी एक विराट व्यक्तित्व, शांति दूत और दार्शनिक व्यक्ति थे। हमें गांधी जी को वस्तुपरक दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। भारत की भावी पीढ़ी के लिए भी गांधी जी के बारे में संपूर्णता में जानना अत्यंत आवश्यक है। आज हमें इसकी आवश्यकता है। हम लोग क्षण प्रार्थी में नहीं हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम गांधी जी के दर्शन को समझते हैं और हम उसे वस्तुरख तरीके से बताने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने ठीक ही 11 अगस्त को गांधी जी द्वारा यंग इंडिया में लिखित "द डॉक्टरिन ऑफ द सोर्ड" लेख से दो वाक्य उद्धृत किए हैं।" किन्तु यदि वह दो वाक्य पढ़ सकते हैं तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि उनका मंत्रालय उसी लेख में बाकी वाक्यों को क्यों नहीं पढ़ सकता है। श्रीमती कृष्णा बोस से भिन्न जो 1920 से सीधे 1942 तक पहुंच गईं मैं इस लेख से सहमत हूं।

दूसरे उद्धरण जिसे माननीय मंत्री जी ने पढ़ा के ठीक बाद गांधी जी ने कहा :

"किंतु मेरा विश्वास है कि अहिंसा हिंसा से अनंत रूप से श्रेष्ठ है और क्षमा में दण्ड से अधिक पुरूषार्थ है।"

इसी लेख में उन्होंने आगे कहा है :

"मैं कोई दृष्टा नहीं हूं। मैं व्यावहारिक तौर पर ही आदर्शवादी होने का दावा करता हूं। अहिंसा धर्म सिर्फ ऋषियों और संतों के लिए नहीं बना है। यह धर्म आम लोगों के लिए भी है। अहिंसा हमारी प्रजातियों का कानून है जबकि हिंसा निर्ममता का कानून है।"

उन्होंने आगे कहा है :

"अतएव, मैंने भारत के सम्मुख आत्म-त्याग के प्राचीन कानून को रखने का साहस किया है।...अहिंसा अपनी गतिशील दशा में सचेतन पीड़ा को सहना है। इसका अर्थ बुराई करने वाले के सामने दुर्बलतापूर्वक झुकना नहीं है, अपितु इसका अभिप्राय अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध व्यक्ति का आत्मोत्सर्ग है।"

फिर, वह कहते हैं :

"और इसलिए, मैं भारत के लिए अहिंसा पर अमल करने की दलील नहीं दे रहा हूं कि वह दुर्बल है। मैं चाहता हूं कि वह अपनी ताकत और शक्ति के बारे में जानते हुए भी अहिंसा पर अमल करे। उसकी शक्ति के अनुभव के लिए शस्त्र प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है।"

और, अंत में, गांधी जी कहते हैं :

"यदि भारत तलवार के सिद्धान्त को अपनाता है तो उसे क्षणिक विजय मिल सकती है। लेकिन तब भारत के लिए मेरा हृदय में गर्व की भावना नहीं रह जाएगी।"

भाजपा ने क्षणिक विजय प्राप्त की है और यही कारण है कि भाजपा के अंतर्गत भारत के लिए मेरे हृदय में गर्व की भावना नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को चुनौति देता हूं कि वह इन बातों से इंकार करें जिसे मैंने उसी लेख में पढ़ा है। उन्होंने देश को गुमराह करने के लिए इस संदर्भ से केवल एक वाक्य ही लिया है।

महोदय, मेरी मांग है कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि हमें इस पर आधे घंटे की चर्चा करनी चाहिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, पिछले 35 वर्षों से 2 अक्टूबर को गांधी जी के लेखों से उद्धरण देते रहे हैं। इस वर्ष हमने यह दिया है। जब हम एक या दो पंक्ति के उद्धरण देते हैं, तो 20 पंक्तियों या 30 पंक्तियों अथवा एक पैराग्राफ नहीं दे सकते।

मैं श्री मणि शंकर अय्यर को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह देश गांधी जी को भलीभांति जानता है। गांधी जी के प्रति उनके दिल में अत्यधिक सम्मान है और हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि गांधी जी के महान कार्यों और दर्शन का सदैव सम्मान किया जाए। हमें जनता का समर्थन भी प्राप्त है। वे चाहे जितना चाहें हमें इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं लाना चाहिए। मैं वही कहना चाहता हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, क्या हम इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर पहले ही आधे घंटे से अधिक चर्चा हो चुकी है। किंतु यदि सदस्य इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो वे इस प्रश्न को आधे घंटे की चर्चा के अंतर्गत उठा सकते हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, संपूर्ण मंत्रालय का दुरुपयोग किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा और देश के सम्मान की रक्षा के लिए गांधी जी ने जो बात कही कि पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया, तो उस समय गांधी जी से पूछकर सेनाएं वहां गईं, तो क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हमला करे और हम उसके इस डिस-ऑनर को देखते रहें? मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे महात्मा गांधी जी के इस कोट को बार-बार इसे रिपीट करें ताकि गांधी जी का पूरा सम्मान हो सके। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, यहां महात्मा गांधी जी की हत्या की बात हुई है।...*(व्यवधान)* मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

पूर्वाह्न 11.34 बजे

(इस समय श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह विषय अब समाप्त होता है, और मैं अगले प्रश्न पर जा रहा हूं।

एफ.एम. रेडियो संबंधी कृतिक बल

+

*142. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में निजी एफ.एम. स्टेशनों को अपनी-अपनी फ्रीक्वेंसी पर समाचार प्रसारित करने की अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पहलू और ऐसी कार्यक्रम संहिता, जैसी कि इस समय आकाशवाणी द्वारा अनुपालित की जा रही है, के अनुपालन के संबंध में इस नीति की समीक्षा करने हेतु किसी कृतिक बल का गठन किया गया था अथवा गठन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कृतिक बल के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(घ) नई नीति के कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ङ) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक एफ.एम. लाइसेंस शुल्क से कितनी धनराशि अर्जित की गई है; और

(च) कितने एफ.एम. स्टेशनों को चूककर्ता घोषित किया गया और उक्तावधि के दौरान प्रत्येक एफ.एम. स्टेशन पर कितना जुर्माना लगाया गया?

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार ने चरण-II के रेडियो प्रसारण के लिए सिफारिश करने हेतु 24 जुलाई को एक समिति का गठन किया था। उक्त समिति के विचारार्थ विषयों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है। समिति ने 17 नवम्बर, 2003 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(घ) समिति की सिफारिशों पर निर्णय के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

(ङ) आज तक 23346.85 लाख रुपये की कुल राशि, जिसमें लाइसेंस शुल्क, आरक्षित लाइसेंस शुल्क, अग्रिम जमा राशि निविदा दस्तावेज की बिक्री और बैंक प्रत्याभूतियों के नकदीकरण से प्राप्त राशि शामिल है, सरकार को प्राप्त हुई है।

(च) कतिपय निबंधन एवं शर्तों पर एफ.एम. रेडियो प्रसारण केन्द्रों को स्थापित करने, उनका रखरखाव करने और उनको परिचालित करने के लिए 19 शहरों में 37 केन्द्रों के लिए 16 कम्पनियों के साथ लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए गए। लाइसेंस की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों और उनके खिलाफ की गयी कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध-I

फेस II रेडियो प्रसारण के लिए सिफारिशें करने हेतु सरकार द्वारा 24 जुलाई, 2003 को गठित समिति के विचारणीय विषय

(i) आवृत्तियों के आवंटन हेतु पारदर्शी और प्रभावशाली बोली/निलामी प्रक्रिया के अपनाने को निश्चित करना।

(ii) विभिन्न शहरों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित पैरामीटरों के आधार पर व्यवहार्य लाइसेंस शुल्क ढ़ांचे (एकमुश्त प्रवेश शुल्क, नियत लाइसेंस शुल्क, राजस्व भागीदारी आदि) का मूल्यांकन।

(iii) अन्य क्षेत्रों में पद्धतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निजी एफ.एम. को आर्थिक रूप से और अधिक व्यवहार्य/धारणीय बनाने हेतु विदेशी इक्विटी भागीदारी की सीमा के संबंध सुझाव।

(iv) फेस II के लिए अलग लाइसेंस पद्धति प्रस्तावित होने की स्थिति में फेस-I लाइसेंसधारियों की लाइसेंस पद्धति में बदलाव करने के लिए कानूनी अड़चनों और इसकी वांछनीयता का अध्ययन।

(v) प्रसारित की जा रही विषय-वस्तु में सुधार के लिए सुझाव और समाचार सम्मिलित करने पर विचार।

(vi) उन्ही वाणिज्यिक प्रसारकों द्वारा परिचालित किए जाने वाले लाइसेंस दिए जाने वाले गैर वाणिज्यिक, गैर विज्ञापन चालित चैनलों की संभावना की जांच उनके नियमन एवं शर्तें, इस बात पर विचार कि क्या इन चैनलों की विषय-वस्तु में भारत की विरासत और संस्कृति से संबंधित विषय शामिल हो सकते हैं।

(vii) कार्यक्रम संबंधी मामलों में एक आचार संहिता और इसके उल्लंघन के लिए सख्त प्रवर्तन की विधि हेतु सिफारिशें।

(viii) इस बात का निर्धारण कि क्या सह स्थलन आवश्यक और वांछनीय है और अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो महानगरों में अपनाए जाने वाला दृष्टिकोण जहां सह-अवस्थित ढांचों में भारी निवेश किया गया है और वे परिचालन में है।

(ix) इस पद्धति की कानूनी विवक्षा, जो मौजूदा पद्धति की तुलना में प्रस्तावित की जा सकती है, को निश्चित करना।

(x) बोली दस्तावेज और निविदा/लाइसेंस अनुबंध मसौदा तैयार करना।

(xi) समय-समय पर समिति के पास भेजे जा सकने वाले अन्य मामले।

अनुबंध-II

क्रमांक	कम्पनी का नाम	स्टेशन	कार्रवाई/अन्य टिप्पणियां
1.	मै. वर्टेक्स ब्रॉडकास्टिंग कम्पनी प्रा. लि.	कोलकाता, इंदौर, भोपाल और विशाखापटनम	बैंक प्रत्याभूति का नकदीकरण।
2.	मै. मिलेनियम दिल्ली ब्रॉडकास्ट प्रा. लि.	दिल्ली	कम्पनी ने बैंक प्रत्याभूति के नकदीकरण के खिलाफ उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया।
3.	मै. मिलेनियम चेन्नई ब्रॉडकास्ट प्रा. लि.	चेन्नई	कम्पनी ने बैंक प्रत्याभूति के नकदीकरण के खिलाफ उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया।
4.	मै. मिड-डे रेडियो नार्थ (इंडिया) लि.	दिल्ली	कम्पनी ने बैंक प्रत्याभूति के नकदीकरण के खिलाफ उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया।
5.	मै. मिड-डे ब्रॉडकास्टिंग साउथ (इंडिया) लि.	चेन्नई	कम्पनी ने बैंक प्रत्याभूति के नकदीकरण के खिलाफ उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया।
6.	मै. इन्टरटेमेन्ट नेटवर्क इंडिया लि.	हैदराबाद, लखनऊ और कटक	कम्पनी ने बैंक प्रत्याभूति के नकदीकरण के खिलाफ उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया।
7.	मै. म्यूजिक ब्रॉडकास्ट प्रा. लि.	नागपुर और पटना	कम्पनी ने बैंक प्रत्याभूति के नकदीकरण के खिलाफ उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया।
8.	मै. मिलेनियम मुम्बई ब्रॉडकास्ट प्रा. लि.	मुम्बई	लाइसेंस रद्द और बैंक प्रत्याभूति का नकदीकरण। तथापि, स्टेशन को न्यायालय के आदेशाधीन चलाया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री राम मोहन गाड्डे : महोदय, क्या सरकार समाचारों का प्रसारण करने वाले एफ.एम. स्टेशनों को राज्यों द्वारा चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण विकासात्मक गतिविधियों को अपने प्रसारणों में ईमानदारी-पूर्वक और वस्तुनिष्ठ तरीके से शामिल करने के लिए निदेश देगी? क्या वे राज्य सरकारों की नीतिगत पहलों को भी समाचारों में शामिल करेंगे?

श्री रवि शंकर प्रसाद : सख्त नीति के अनुसार, हम एफ. एम. चैनलों पर समाचारों के प्रसारण की अनुमति नहीं देते हैं। हमने एक बल का गठन किया था और इसने कुछ सिफारिशें भी की थीं। एक सिफारिश यह भी थी कि समाचारों की अनुमति देनी चाहिए।

हमने वेबसाइट पर सभी सिफारिशों के तथ्य और सार उपलब्ध करा दिए थे। कैबिनेट और भारत सरकार को इस पर अपना निर्णय तय करना है और उसके पश्चात् इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा कि क्या राज्य विशिष्ट के समाचारों को अनुमति दी जाए अथवा नहीं कैबिनेट और भारत सरकार को अप्रत्यक्ष अनुमति के बारे में निर्णय तय करना होगा।

श्री राम मोहन गाड्डे : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य सरकारों को ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रेडियो स्टेशनों की स्थापना का अवसर देगी जो राष्ट्रीय हित में आवश्यक हों?

श्री रवि शंकर प्रसाद : इस समय, हमारी तीन योजनाएं चल रही हैं। पहली, आकाशवाणी पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। दूसरी, एफ.एम. चैनल है। हमने कम्युनिटी रेडियोज् की अभिकल्पना भी की है जिसके अंतर्गत कोई मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना कर सकता है।

जहां तक राज्य सरकारों के विशिष्ट रेडियो स्टेशनों का संबंध है, इस समय हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। अब राज्य सरकारें, मौजूदा रेडियो स्टेशनों पर प्रायोजित कार्यक्रमों सहित-पर्याप्त कवरेज दे रही हैं। कई मुख्य मंत्री भी जनता के साथ बातचीत कर रहे हों इसलिए जहां तक पब्लिक ब्रॉडकास्टर का संबंध है राज्य सरकारों की सभी जरूरी आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति : एफ.एम. रेडियो प्रसारण की अनुमति शहरों में 37 स्टेशनों पर 16 कंपनियों को दी गई है। उनमें से 8 कंपनियों ने चूक की है। एक कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है किंतु अभी भी यह प्रसारण कर रहा है। लाइसेंसिंग प्रणाली में निश्चितरूप से कतिपय अंतर्निहित त्रुटियां होंगी। लगता है कि कानूनी पहलुओं पर ध्यान दिए बगैर ही लाइसेंस दिए गए हैं अन्यथा इसे निरस्त किए जाने के बाद भी कोई प्रसारण कैसे कर सकता है? आप हमेशा यह दलील दे सकते हैं कि मामला अदालत में लंबित है।

हमने पूर्व चैनलों के मामले में भी देखा है कि लाइसेंस समाप्त होने के पश्चात् भी पैसा नहीं दिया गया अथवा हमने बकाया नहीं वसूला।

उक्त 16 कंपनियों में से जिस भी कंपनी ने चूक की-क्या आपने उन कंपनियों के बीच अंतसंबंधों की जांच की है। उक्त सभी कंपनियों में एक बात सामान्य है। सभी कंपनियों अथवा अधिकांश कंपनियों अथवा हो सकता है कि सभी आठ कंपनियों को केवल एक संगठन द्वारा ही संवर्धन प्रदान किया गया हो। यदि भविष्य में यही प्रवृत्ति जारी रही तब एफ.एम. रेडियो की साख देश में समाप्त हो जाएगी। वे विश्वासनीय नहीं हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना प्रश्न पूछें। हमारे पास समय कम है। पहले प्रश्न में ही आधा घंटा लग गया है।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति : पहले प्रश्न में लगभग आधा घंटा लगा है। कृपया इस प्रश्न के लिए कम से कम 10 मिनट दें।

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्य से इसमें आधा घंटा लग गया है। अत: हम इसे जल्दी समाप्त करना चाहते हैं।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय कृपया प्रश्न पूछें। मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को पृष्ठभूमि की जानकारी है। उन्हें सभी प्रश्नों के पृष्ठभूमि की जानकारी है।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति : लेकिन यह जानकारी सभा के समक्ष आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से पृष्ठभूमि बताने और उत्तर भी देने का अनुरोध करूंगा।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति : हम सभा में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अत: सभा को इसकी जानकारी होना महत्वपूर्ण है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने उक्त आठ कंपनियों के बीच आपसी संबंधों का अध्ययन किया है? यह एक बात है।

दूसरे, लाइसेंस निरस्त किए जाने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति प्रसारण जारी रखता है तो राजस्व की वसूली कैसे की जा सकती है। कल कोई भी यह कह सकता है कि लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है और उसे कोई लाइसेंस शुल्क का भुगतान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से इस संबंध में स्पष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आप प्रश्न के भाग (क) और (ख) दोनों का उत्तर दें।

श्री रवि शंकर प्रसाद : इस समय 22 एफ.एम. केंद्र चल रहे हैं–इनमें से 14 मेट्रो और आठ अन्य शहरों में हैं।

पूर्व में बोली आमंत्रित करने की प्रक्रिया थी जिसमें कई पार्टियां आयी, कई इससे अलग हो गई और कुछेक ने धनराशि जमा की लेकिन लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पायी इनमें से कुछ को लाइसेंस दिया गया।

अब कृतक बल की नई सिफारिशों के अनुसार एक नया सुझाव आया है कि हम निविदा प्रक्रिया जारी करें जिसमें कतिपय अर्हता-पूर्व शर्तें पूरी करनी होंगी। भारत सरकार को इस पर निर्णय लेना है। हमने निश्चितरूप से आठ कंपनियों की पहचान की है और एक मामले में हमने बैंक गारंटी को भुना भी लिया है क्योंकि इस कंपनी ने चूक की थी। अन्य कंपनियों के मामले में भी हमने यही किया लेकिन इनमें से कई कंपनियों द्वारा अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। वहां मामला लंबित है। मामले पर सुनवाई हो चुकी है और अधिकांश मामलों में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है। अत: हमें अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। माननीय सदस्य को ज्ञात है कि अदालत में मामला लंबित होने की स्थिति में हमें उस विशेष मामले के संबंध में कुछ कहने से पहले संयम बरतना होता है।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति : मैंने शुरू में ही कहा था कि आप अदालत का बहाना बना सकते हैं। लेकिन उनके लाइसेंस को निरस्त किए जाने के बाद भी वे प्रसारण कैसे जारी रख सकते हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद : श्री मूर्ति अपने काम के अनुभव के आधार पर भी जानते होंगे कि हमें अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मुझे लगता है कि उत्तर पूरा नहीं है। प्रश्न के भाग (च) का संबंध चूक करने वाले एफ.एम. प्रसारणकर्त्ताओं और उनपर लगाये गये दंड के संबंध में है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि लाइसेंस के नियम और शर्तों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों और उनपर की गई कार्यवाही का विवरण अनुबन्ध-दो में दिया गया है। कृपया अनुबन्ध-दो देखें। इसमें केवल तीन शीर्ष है: कंपनी का नाम, स्टेशन और कार्यवाही तथा अन्य अभ्युक्तियां। वास्तव में मंत्री महोदय से यह जानने का प्रयास किया गया था कि प्रत्येक मामले में इसका कारण क्या है और क्या प्रचालन संबंधी नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन हुआ है और क्या वे शुल्क का भुगतान करने में चूक करने के दोषी हैं। इन दोनों में अंतर है और भिन्न मामलों में कार्यवाही भी भिन्न-भिन्न हो सकती है। हम दोनों का विवरण चाहते हैं।

16 कंपनियों को आबंटित इन 17 केंद्रों में से ऐसे चूक के कितने मामले हैं जहां वे लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में निरंतर असफल रहे हैं। दूसरे, क्या उन्होंने अन्य किसी शर्तों का उल्लंघन किया है। अब तक चरण-एक में स्थिति यह है कि वे इसका उपयोग नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, कृपया प्रश्न पूछें। हमारे पास सीमित समय है तथा और भी प्रश्न पूछे जाने हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह बात ठीक है। एक शर्त यह है कि वे समाचारों का प्रसारण नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भिन्न मामले में आपने समाचार प्रसारित करने की अनुमति भिन्न परिप्रेक्ष्य में दे दी होती। जिसपर हर तरफ व्यापक आपत्तियां हो सकती थी। क्या आपके ध्यान में कोई ऐसा मामला आया है जहां लोगों ने नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है और ऐसे मामलों में आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गई? इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय ने हमें बताया है कि सिफारिशें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं अत: यह उचित होता यदि संसद में इस प्रश्न के पूछे जाने पर सिफारिशों के

सारांश को इस उत्तर के साथ संलग्न कर दिया गया होता। लेकिन यह नहीं किया गया है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय सदस्य यदि देखें तो प्रश्न के भाग (च) के संबंध में आठ पार्टियों के नाम और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, इसका विवरण दिया गया है। जहां तक आपके प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न है कि क्या कतिपय पार्टियों द्वारा समाचार का प्रसारण किया गया है, यह ठीक है। हमारे ध्यान में ऐसे तीन मामले आये हैं जिसमें कतिपय एफ.एम. चैनलों ने समाचार का प्रसारण किया है। हमने उन्हें बता दिया है कि यह लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप नहीं है और वे इससे सहमत हो गये हैं। दो मामलों में हमने पाया कि यह गैर इरादतन हो गया और इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। एक मामले में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने केवल एक वित्तीय समाचार दिया लेकिन भविष्य में इस पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है। अतः आपका कहना ठीक है कि हमारे ध्यान में तीन मामले आये हैं। हमने कार्यवाही की है और उन्होंने कहा है कि यह त्रुटि गैर इरादतन हुई है और इसे भविष्य में पुनः नहीं दुहराया जायेगा?

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रस्ताव

+

*143. **श्री पी.एस. गढ़वी :**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्ष पूर्व शुरू हुई विद्युत परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ये कंपनियां कौन-कौन सी हैं और प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों की क्षमता कितनी है और इन्हें पूरा करने की निर्धारित समय सीमा क्या थी;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी परियोजनाओं को पूरा न करने की जवाबदेही निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार वर्ष 2003-2004 के दौरान प्रत्येक राज्य में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु नये क्षेत्रों का पता लगा रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार द्वारा भविष्य में देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है; और

(झ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (झ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) वर्ष 2000 के दौरान 7 परियोजनाओं के संबंध में कार्य आरंभ किये गये थे जिसमें से 5 पहले ही पूरे किये जा चुके हैं। उन दो विद्युत परियोजनाओं की सूची संलग्न अनुबंध में दी गई है, जिन पर कार्य इस अवधि के दौरान आरंभ किया गया और जो वर्तमान में क्रियान्वयनाधीन हैं।

विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सामान्य निर्माण अवधि तीन से सात वर्ष की बीच होती है जो कि उनके गैस आधारित संयुक्त साईकल परियोजना, कोयला आधारित ताप विद्युत या जल विद्युत परियोजना होने पर निर्भर करती है।

(घ) और (ङ) दो परियोजनाएं जिन पर कार्य वर्ष 2000 के दौरान आरंभ किया गया था और जो अभी भी कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है और कठिनाइयों के समाधान को सुगम बनाने के लिए प्रत्येक परियोजना हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में एक नोडल अधिकारी नामित करने से और मधन मानीटरिंग प्रणाली की सहायता से इन परियोजनाओं के कार्यक्रमानुसार पूरा हो जाने की प्रत्याशा है।

(च) और (छ) वर्ष 2003-04 की अवधि के दौरान अब तक कुल मिलाकर 50000 मे.वा. क्षमता के लिए 162 जल विद्युत स्कीमों

और कुल मिलाकर 104000 मे.वा. क्षमता के लिए 106 ताप विद्युत स्कीमों को अभिज्ञात किया गया है। तकनीकी आर्थिकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार विकास हेतु इन पर कार्य आरंभ किया जायेगा।

(ज) और (झ) जी, हां। विद्युत उत्पादन में किफायत और गैस की उपलब्धता के मद्देनजर गैस आधारित परियोजनाओं के विकास हेतु उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से कहा गया है।

अनुबंध

उन विद्युत परियोजनाओं की सूची, जिन पर निर्माण कार्य 1.1.2000 से 30.11.2003 के बीच आरंभ हुआ है और जिनको पूरा किया जाना अभी भी प्रतीक्षित है

क्रम सं.	राज्य/परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	मुख्य संयंत्र आदेश/स्वीकृति का माह	क्षमता (मे.वा.)	चालू करने का कार्य	
					लक्ष्य	प्रत्याशित/वास्तविक
केन्द्रीय क्षेत्र						
1.	सिक्किम तीस्ता V	एनएचपीसी	02/2000	510	2006-07	2006-07
राज्य क्षेत्र						
2.	हिमाचल प्रदेश स्लारजी	एचपीएसईबी	1/2000	126	2004-05	2004-05

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी : महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (क) से (ग) के उत्तर में अनुलग्नक में यह कहा गया है कि केवल दो विद्युत परियोजनाएं हैं जिसपर कार्य शुरू हो चुका है और वे कार्यान्वित की जा रही हैं। अपने अनुपूरक प्रश्न के भाग (क) के रूप में मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को विद्युत परियोजना पर चल रहे कार्य की कोई जानकारी... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, हमने आपकी सहमति से आधे घंटे की चर्चा बिहार में बिजली वाले मामले पर मांगी थी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास किसी का नोटिस नहीं आया।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : इस पर नोटिस दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आधे घंटे की चर्चा के लिए नोटिस मेरे पास नहीं आया।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : आधे घंटे की चर्चा का नोटिस दिया गया है। हमने इसी मसले पर आधे घंटे की चर्चा मांगी है।

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी : वे इसे प्रश्नकाल में कैसे उठा सकते हैं।

अपने अनुपूरक प्रश्न के भाग (क) के रूप में मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को गुजरात के कच्छ जिले में अकरिमोता ताप विद्युत केंद्र नामक विद्युत परियोजना पर चल रहे कार्य के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हुई है। इस कंपनी का नाम गुजरात खनिज विकास निगम है। कार्य नवम्बर, 2000 में शुरू किया गया था और यह समय-सारिणी से काफी पीछे चल रहा है।

मेरे अनुपूरक प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि मुख्य प्रश्न के भाग (ङ) और (घ) में मैंने जानना चाहा था कि क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि निर्धारित समय के भीतर परियोजनाओं को पूरा नहीं किए जाने पर क्या सरकार परियोजना के शीर्षस्थ अधिकारी की कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही निर्धारित करना चाहती है अथवा नहीं। यदि हां, तो कार्यवाही की जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, गुजरात की एक विशेष परियोजना के संदर्भ में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। उस संबंध में उनको जो जानकारी चाहिए, वह मैं उनको लिखित रूप में भेज दूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिम्मेदारी तय की जाएगी अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है।

श्री पी.एस. गढ़वी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निर्धारित समय में परियोजना पूरी नहीं करने के लिए उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, मैं उसकी जानकारी लेकर सदस्य को भेज दूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी : मैं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा गैस आधारित परियोजनाओं के विकास के लिए चयनित समुचित स्थलों की पहचान का ब्यौरा जानना चाहता हूं। आगे, जैसा कि समाचार-पत्रों में छपा है, भारत सरकार गुजरात में दाहेज पत्तन के माध्यम से ओमान और अन्य देशों से 50 लाख टन से अधिक गैस का आयात करने जा रही है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इस तरह के आयात को सुगम बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं अथवा नहीं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण गुजरात विद्युत बोर्ड अथवा किसी अन्य कंपनी के साथ सहयोग करके गुजरात में गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करेगा, क्योंकि गुजरात के दाहेज पत्तन से गैस का आयात किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, गैस आधारित पावर प्रौजेक्ट लगाने के संदर्भ में सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को उस प्रकार के सर्वे करने के लिए सूचना दी गयी है। उसका सर्वे हो रहा है। सदस्य ने यहां पर जो जानकारी दी है, वह सत्य है। एनटीपीसी ने इस प्रकार के टैंडर इन्वाइट किये हैं। अब यह सारी प्रक्रिया टैंडर के स्तर पर चल रही है।

श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन् बिजली का प्रश्न सबसे अहम प्रश्न बनने जा रहा है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट रखे गये थे, वे पूरे नहीं हो सके। ऐसा लग रहा है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट रखे गये हैं, वे भी पूरे नहीं होंगे। उसका मुख्य कारण यह है कि सरकार की नीति यह है कि प्राइवेट सैक्टर से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाये। प्राइवेट सैक्टर इसमें इन्वेस्टमैंट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसके पैसे वापिस आने के लिए 20 साल का पीरियड लगता है। अगर ऐसी परिस्थिति बनने जा रही है तो क्या सरकार उसको अच्छी तरह से देखकर पब्लिक सैक्टर से पैसा खर्च करके दसवीं पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट रखे गये हैं, उसे पूरा करेगी क्योंकि नौवीं पंचवर्षीय योजना में 30 हजार मेगावाट इलैक्ट्रिसिटी बनाने के टारगेट को आप एसेसमैंट नहीं कर सके। यह सिर्फ टैंडर या आफिसर की वजह से नहीं हो रहा, यह पालिसी की वजह से हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर पर जोर देना चाहिए लेकिन यदि उसमें पैसा नहीं आ रहा है तो आपको उसमें करैक्टिव स्टेप लेने में मुश्किल हो जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार की क्या नीति रहेगी?

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, बिजली का प्रश्न एक अहम प्रश्न बन गया है, ऐसा सदस्य की जो भावना है, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। उन्होंने जो चिंता जताई है कि नाइंथ फाइव ईयर प्लान में जो टारगेट तय किये गये थे, उसको हम पूरा नहीं कर पाये और टैन्थ फाइव ईयर प्लान में हमने जो टारगेट तय किये हैं, क्या उसे हम पूरा कर पायेंगे? टैन्थ फाइव ईयर प्लान में हमने 41 हजार मेगावाट का अपना टारगेट बनाया है और इस टारगेट को पूरा करने

के हम प्रयास कर रहे हैं। लगभग 32 हजार मेगावाट की परियोजना है जो अलग-अलग स्तर पर चल रही है। पावर जनरेशन के क्षेत्र में आने की प्राइवेट सैक्टर से जितनी अपेक्षा थी, उतनी नहीं आई। इसलिए टैन्थ फाइव ईयर प्लान में हमने सबसे ज्यादा टारगेट सैंट्रल सैक्टर को दिया है, उसके बाद स्टेट सैक्टर का है और प्राइवेट सैक्टर को बहुत कम टारगेट दिया है। बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए सैंट्रल सैक्टर पर जो जिम्मेदारी है, सरकार की ओर से उसे निश्चित रूप से निभाया जाएगा।

श्री अनंत गुढे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में 162 जल विद्युत स्कीमों को अभिज्ञात किया है। दिनों-दिन पानी की भी बहुत दिक्कत आ रही है और उसका परसैंटेज भी कम होता जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भविष्य में हम जो जल विद्युत स्कीम बनाने जा रहे हैं, उसकी कितनी परसैंटेज है और उसके पूरा होने के कितने चासेज हैं? अगर वह पूरे नहीं हुए तो बाकी विद्युत की मांग किस प्रकार पूरी कर सकेंगे?

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 50 हजार मेगावाट जल विद्युत परियोजना की पहल हमने की है। लगभग 162 परियोजनाओं का चयन किया गया है। उन परियोजनाओं के तहत 50 हजार मेगावाट हाईड्रो पावर जनरेट करने के संदर्भ में हमारे प्रयास हो रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है, जल विद्युत को बढ़ावा देने के हमारे प्रयास निश्चित रूप से चल रहे हैं। इसलिए इस वर्ष के बजट में भी 14 हजार करोड़ रुपये केवल जल विद्युत के लिए दिए गए हैं। जो मांग है, केन्द्र सरकार के सीपीएसयूज के माध्यम से चाहे जल विद्युत हो या ताप विद्युत हो, उसे पूरा करने के प्रयास हम कर रहे हैं।

चालकरहित विमान का परीक्षण

*144. **श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालकरहित विमान 'लक्ष्य' का हाल ही में सफल उड़ान परीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में भारतीय वायुसेना में उपर्युक्त विमान को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में सेना द्वारा लक्ष्य प्रणाली और प्रचालन के मूल्यांकन के लिए परीक्षण किए गए थे।

(ग) और (घ) लक्ष्य विमान को पहले ही नवंबर, 2000 में वायुसेना में शामिल किया जा चुका है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल : हम इनको नहीं सुनना चाहते।...*(व्यवधान)* हम सदन से बाहर जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.53 बजे

(तत्पश्चात् श्री रूपचंद पाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।)

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.53½ बजे

(तत्पश्चात् श्री शिवराज वि. पाटील और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।)

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, यह सदन का अपमान है कि इतनी देर तक सदन की कार्यवाही में भाग लिया और अब उठकर बाहर जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* इनका यह नाटक कब तक चलेगा? ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत डिसग्रेसफुल एक्ट है। यह लोकतंत्र की हत्या है।...*(व्यवधान)* जनतंत्र में सुरक्षा से संबंधित प्रश्न को न पूछना और वाक आउट कर जाना, यह भी कोई तरीका है। किसी को मंत्री बनाने का अधिकार प्रधान मंत्री का है।...*(व्यवधान)* ये देश के सुरक्षा मंत्री हैं। संसद में आना, प्रश्न पूछना और इनका प्रश्न आने पर बाहर चले जाना, यह कब तक चलेगा। ...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि यह बहुत निन्दनीय घटना है। अध्यक्ष जी, आपको भी इस बारे में कुछ करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, हमें इस बारे में यहां निन्दा का प्रस्ताव रखना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : महोदय, मैंने पिछले सत्र में भी इसी मुद्दे को उठाया था। मैंने आपसे इस पर व्यवस्था देने का अनुरोध किया था...*(व्यवधान)* यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। उन्हें संसदीय प्रक्रिया में कोई विश्वास नहीं है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस सभा के सम्मुख यह विषय नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए।

श्री मदन लाल खुराना : हमें एक निन्दा प्रस्ताव यहां रखना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे प्रार्थना की थी कि एक लम्बे अर्से से यही सिलसिला चल रहा है और मैं समझता हूं कि यह किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि आप अपने चैम्बर में बुलाकर इसका पटाक्षेप करिए। मैं समझता हूं कि यह लम्बे समय तक नहीं चलना चाहिए।... *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मेरा प्रस्ताव है कि इसकी निन्दा की जाएगी। यह डैमोक्रेसी का मर्डर है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों की भावना समझता हूं और मैं भी चाहता हूं कि हर पार्टी मंत्री जी को सुने लेकिन आप यह जानते हैं कि इस विषय में पूरी चर्चा हुई थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के बाद कांग्रेस के लोगों ने यह कहा था कि जिस विषय के कारण वे वॉक-आउट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रूलिंग पार्टी से उम्मीद करता हूं कि वे इस विषय पर प्रस्ताव दे दें।

(व्यवधान)

श्री शिवाजी माने : अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी तो... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। उन्हें प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है। मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। मैं सभा के प्रमुख कार्य से बाहर नहीं जा सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। चौटाला जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के आचरण की निन्दा करता हूं। इसके बारे में मैं अध्यक्ष महोदय से गुजारिश करता हूं कि वह इस मामले में कोई निर्णय करे।... *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मूर्ति चोरी का मामला आपके यहां लंबित है।...*(व्यवधान)*

श्री अजय सिंह चौटाला : अन्यथा जिस तरीके से प्रजातंत्र की धज्जियां आप लोगों के सामने ये लोग उड़ा रहे हैं, वह निन्दनीय है। ...*(व्यवधान)* मेरा पूरक प्रश्न यह है कि चालकरहित विमान किस हद तक तथा देशी लगाये गये इंजन तथा कलपुर्जों में कितने स्वदेशी हैं तथा इन विमानों की निर्माण लागत क्या है?...*(व्यवधान)* ये विमान भारतीय वायुसेना की जरूरतों को किस हद तक पूरा करने में सक्षम है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : महोदय, यदि प्रश्न पूछा जाता है और यदि वे बहिर्गमन करते हैं, तो यह नियम विरुद्ध है।...*(व्यवधान)* वे हमेशा

इसी तरह से करते हैं।...*(व्यवधान)* आप कृपया विपक्ष की मान्यता समाप्त कर दीजिए।...*(व्यवधान)* वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया मुझे नियम बता सकते हैं जिसके अंतर्गत मैं ऐसा कर सकता हूं?

श्री के. येरननायडू : महोदय, इस पर आपको निर्णय लेने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मैं वह नियम जानना चाहता हूं जिसके अंतर्गत मैं राजनीतिक पार्टी की मान्यता समाप्त कर सकता हूं।

श्री के. येरननायडू : महोदय, यह संविधन का उल्लंघन है... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवाजी माने : अध्यक्ष जी, यह कब तक ऐसे होता रहेगा? ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, उनको यह बता दें कि अगर वे ऐसा करते हैं तो...*...हम उनको यहां बोलने नहीं देंगे।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चौटाली जी, आप प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग प्रस्ताव दे देंगे तो फिर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : निन्दा प्रस्ताव लाया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, आप उनके कार्य की निंदा कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को पुनः स्मरण करा दूं कि क्या हुआ था? मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं। इस मुद्दे पर मैंने एक बैठक की थी। यहां उपस्थित कई सदस्य भी उस बैठक में उपस्थित थे। मैं चाहता था कि इस मुद्दे का हमेशा के लिए समाधान हो जाए। मैं यह भी चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दलों के सभी माननीय सदस्यों को प्रश्नकाल और वाद-विवाद में भाग लेना चाहिए। मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। एक प्रश्न पूछा गया है। एक माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं और अन्य माननीय सदस्य उस मूल प्रश्न पर आगे अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। किंतु ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि कुछ मुद्दों पर उन्हें अपनी बात कहनी है कि इस सभा में इस संबंध में कोई संकल्प लाया जाना है। संकल्प का प्रारूप सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा दिया जाना होता है। यदि सत्तारूढ़ पार्टी मुझे प्रारूप देती है, फिर मैं इसे उन्हें भेज सकता हूं और अब वे इसमें परिवर्तन कर सकते हैं और उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है यदि हम इस मुद्दे का हल करना चाहते हैं। जब तक यह होता है, मुझे खेद है कि चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, वे सदन में मनमानी नहीं कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ स्थिति को दोहरा रहा हूं और इससे अधिक कुछ नहीं।

(व्यवधान)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : वे धौंस नहीं जमा सकते। वे यह नहीं कर सकते कि जब तक यह नहीं हो जाता और वह नहीं हो जाता तब तक यह जारी रहेगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक है कि सदस्य सभा में उपस्थित रहें तथा माननीय मंत्री से अपना प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

डा. नीतिश सेनगुप्ता : महोदय, आप उन्हें दिनभर के लिए निलंबित कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप एक मीटिंग बुलाकर हमारी भावनाएं उनको बता दें कि आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो हम भी आपकी लीडर के साथ यह काम कर सकते हैं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अजय सिंह जी, आप अपना पूरक प्रश्न पूछें।

श्री अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चालकरहित विमान किस हद तक देशी है तथा इसमें लगाए गए इंजन तथा अन्य कलपुर्जे कितने स्वदेशी हैं और कितने आयातित हैं? इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये विमान भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने में किस तरह से सक्षम हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप जल्दी पूरक प्रश्न पूछें, क्योंकि समय बहुत हो गया है।

श्री अजय सिंह चौटाला : जिन्होंने समय बर्बाद किया है, उनको आप रोकिए। मैं तो एक पल भी बर्बाद नहीं करता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, यह जो विमान है, यह एक खास चीज को एम करके आसमान में ले जाता है, जिसके बारे में हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों और अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। यह कोई विमान नहीं है। यह किसी चीज को ले जाने वाला नहीं, बल्कि जो टार्गेट हवा में लिया जाता है, उसका प्रशिक्षण देकर, उस टार्गेट को ऊपर ले जाने वाला विमान है। इसका दाम 2.9 करोड़ रुपए है। यह संपूर्णत: हमारे देश में ही बनाया गया है। यह इतना अच्छा है कि इस्राइल जैसा देश भी इसके साथ अपना रिश्ता जोड़ने के काम में लगा हुआ है।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पाकिस्तान द्वारा पनडुब्बियों और सेना की तैनाती

*145. **श्री मानसिंह पटेल :**
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के पश्चिम तट के निकट पाकिस्तान द्वारा पनडुब्बियों और सेना की तैनाती किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो महीनों के दौरान गुजरात तट के समीप पाकिस्तानी नौसेना पनडुब्बियों की गतिविधियां देखने में आई हैं। गुजरात के पश्चिम समुद्री तट के निकट कच्छ के रण और सर क्रीक क्षेत्र के सामने पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती की भी जानकारी है।

(ग) पाकिस्तानी सैनिकों/पनडुब्बियों/नौसेना यान की तैनाती की मानिटरिंग भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा सतत निगरानी के जरिए की जाती है।

[हिन्दी]

दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना

*146. **श्री अमीर आलम :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) राज्य-वार इसके लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन की योजना को दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना का नाम दिया गया है।

(ख) दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना की मुख्य विशेषताएं तथा उद्देश्य :-

– दो दशक से अधिक से भी प्रचालन में रही है तथा इसका विस्तार समस्त देश में है।

– सरकारी तथा अर्ध-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से प्रदत्त पुनर्वास सेवाओं की कमी को पूरा करने के लिए गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

– इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियों/सार्वजनिक न्यास परियोजनाएं चलाने के लिए सहायता अनुदान के रूप में सहायता के पात्र होते हैं।

– इसमें व्यवसायिक प्रशिक्षण, स्थापन सेवाएं, थेराप्युटिक तथा पुनर्वास सेवाएं सहित शिक्षा, प्रशिक्षण से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

– इसमें पुनर्वास सेवाओं हेतु प्रावधान के लिए मानसिक मंदता, श्रवण विकलांगता, दृष्टिबाधितार्थ, चलन विकलांगता, कुष्ठरोग मुक्त व्यक्ति, मानसिक बिमारी से मुक्त या नियंत्रित आदि शामिल हैं।

– मानव संसाधन कार्मिक को निर्धारित मानदेय, परिवहन, वृत्तिका, कच्ची सामग्री लागत, आकस्मिक व्यय, होस्टल, अनुरक्षण शुल्क, आदि व्यय को वहन करने तथा फर्नीचर, पुस्तकें, उपस्कर वाहनों तथा भवनों आदि के निर्माण पर गैर आवर्ती व्यय को वहन करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

– निर्धारित लागत मानदंडों के आधार पर परियोजना के लिए बजटीय धनराशि का 90% तक वित्तपोषण किया जाता है।

– अनुदान के लिए निर्धारित प्रपत्रों तथा मूल दस्तावेजों जैसे लेखा परीक्षित लेखों, उपयोगिता प्रमाणपत्र, लाभार्थियों की सूची, प्रबंधन समिति सदस्य, संलग्न संगम ज्ञापन अनुच्छेद आदि के साथ आवेदन करना होता है।

– अनुदान दो किस्तों में निर्मुक्त किया जाता है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत 2003-04 के लिए 75 करोड़ रुपए आवंटित है।

(घ) वर्ष 2002-03 के लिए लाभार्थियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

2002-2003 की दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या

राज्य	लाभार्थियों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	34994
अरुणाचल प्रदेश	202
असम	515
बिहार	1060
चंडीगढ़	933
छत्तीसगढ़	180
दिल्ली	16344
गोवा	214
गुजरात	30720
हरियाणा	4881
हिमाचल प्रदेश	622
जम्मू-कश्मीर	65
झारखंड	131
कर्नाटक	9200
केरल	10632
मध्य प्रदेश	1514
महाराष्ट्र	17049
मणिपुर	556
मेघालय	483

1	2
मिजोरम	178
उड़ीसा	3393
पांडिचेरी	75
पंजाब	2248
राजस्थान	2648
तमिलनाडु	9545
त्रिपुरा	104
उत्तर प्रदेश	17168
उत्तरांचल	479
पश्चिम बंगाल	8645
कुल योग	174778

[अनुवाद]

विद्युत अधिनियम, 2003

*147. **डा. मन्दा जगन्नाथ** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विद्युत अधिनियम, 2003 के कतिपय उपबंधों के कार्यान्वयन से साधारण उपभोक्ताओं के लिए विद्युत प्रशुल्क में वृद्धि हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पहलू को राज्यों द्वारा विशेषकर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, अगस्त, 2003 में केन्द्र सरकार के ध्यान में लाया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा आपत्तियों का निराकरण करने के लिए क्या कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) विद्युत अधिनियम, 2003 एक प्रगतिशील कानून है जिसमें विद्युत उद्योग के विकास हेतु प्रेरक उपाय करने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने व सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करने, विद्युत टैरिफ का यौक्तिकरण करने, आर्थिक सहायताओं के संबंध में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करने और दक्ष एवं पर्यावरणीय दुष्टि के अनूकूल नीतियों को प्रोत्साहन देने आदि के प्रावधान किये गये हैं।

(ख) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और पंजाब की सरकारों ने विद्युत अधिनियम 2003 से संबंधित कुछ मुद्दों को उजागर करते हुये भारत सरकार को लिखा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 जो निजी क्षेत्र की भागेदारी को प्रोत्साहित करके और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उपायों को प्रेरित करके विद्युत क्षेत्र के विकास एवं सुदृढ़ प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है, के समग्र लक्ष्यों का समर्थन करते हुये अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर चिन्तायें व्यक्त की है। जहां खुली पहुंच का समर्थन किया गया है वहीं केप्टिव विद्युत उत्पादन की उदार परिभाषा, क्रास सब्सिडी के मद्देनजर इस प्रकार के केप्टिव विद्युत उत्पादन हेतु सरचार्ज से छूट, विद्यमान वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में समान्तर वितरण नेटवर्क संबंधी प्रावधान तथा चोरी और कनेक्शन काटने की अवधि से संबंधित प्रचालनात्मक प्रावधान के संबंध में चिन्ता व्यक्त की गई है।

(ग) और (घ) विद्युत विधेयक 2001 को अगस्त, 2001 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। राज्यों और सभी अन्य स्टेकहोल्डरो के साथ विस्तृत एवं गहन विचार-विमर्श करने के पश्चात् एक व्यापक सहमति के आधार पर इसे तैयार किया गया था। विधेयक में अन्य प्रगतिशील विशेषताओं समेत स्वतंत्र अनुमति के साथ कैप्टिव विद्युत उत्पादन और सरचार्ज के भुगतान के बिना ग्रिड के जरिये अत्यधिक खुली पहुंच का अधिकार और समान आपूर्ति क्षेत्र में एक से अधिक वितरण लाइसेंसधारी के प्रावधान शामिल किये गये थे।

विधेयक को लोक सभा में ऊर्जा संबंधी स्थाई समिति को भेजा गया था जिसने राज्य सरकारों समेत सभी स्टेकहोल्डरो के साथ पुन: विस्तृत परामर्श किया है। सरकार ने स्थाई समिति की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। स्थाई समिति की सिफारिशों के आधार पर केप्टिव विद्युत उत्पादन की उदार परिभाषा का अधिनियम में समावेशन किया गया है।

[हिन्दी]

डीलरों के चयन हेतु नए दिशानिर्देश

*148. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
श्री रामशकल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुदरा विक्रय केन्द्रों/रसोई गैस एजेन्सियों/डीलरों के चयन हेतु नए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए दिशानिर्देशों के अनुसार अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, स्वतंत्रता सेनानियों और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति (ए पी एम) की समाप्ति के बाद तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) उनके द्वारा अपनाए गए दिशानिर्देशों के आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल पम्पों), एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एस के ओ-डी ओ डीलरशिपों के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन करने के लिए प्राधिकृत हैं। सरकार ने ओ एम सीज को दिशानिर्देशों में कतिपय व्यापक प्राचलों का पालन करने के लिए सलाह भर दी है।

समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है :-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	–	25%
स्वतंत्रता सेनानी	–	2%
उत्कृष्ट खिलाड़ी	–	2%
रक्षा कार्मिक	–	8%
अर्ध सैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक	–	8%
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	–	5%
सामान्य श्रेणी	–	50%

प्रत्येक श्रेणी में 33% डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप उस श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

[अनुवाद]

रेल किराया भाड़ा विनियामक प्राधिकरण

*149. **डा. एन. वेंकटस्वामी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रेल किराया भाड़े को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक रेल किराया भाड़ा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) रेल टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए सरकार ने रेल मंत्रालय द्वारा रेल टैरिफ रेगुलेटरी अथोरिटी की स्थापना करने का अनुमोदन दे दिया है। ऐसी अथोरिटी के इम्प्लीकेशन्स को देखते हुए, विषयगत मामले की रेल मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के दिशा-निर्देश

*150. **श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने हाल ही में विद्युत क्षेत्र में पारेषण में खुली पहुंच के बारे में दिशा-निर्देशों और सामर्थ्यकारी प्रक्रियाओं की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के दिशा-निर्देशों से वितरण कंपनियों और ट्रेडिंग कंपनियों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इन कंपनियों के कहां तक लाभान्वित होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने अंतरराज्यीय पारेषण में खुली पहुंच संबंधी एक आदेश दिनांक 14.11.2003 को जारी किया है।

सीईआरसी के आदेश में यह प्रावधान किया गया है कि पावरग्रिड समेत देश के सभी पारेषण सेवा प्रदानकर्त्ता तुरंत प्रभाव से वितरण कंपनी, व्यापारी, विद्युत उत्पादक कंपनी, कैप्टिव संयंत्र या अन्य किसी अनुमत्य उपभोक्ता को अंतरराज्यीय पारेषण हेतु बिना भेदभाव के खुली पहुंच प्रदान करेंगे। विद्युत अधिनियम, 2003 में की गयी परिकल्पना के अनुसार विद्युत खरीदने के लिए बड़े उपभोक्ताओं और वितरण कंपनियों हेतु नये विकल्प सृजित करने के अतिरिक्त इससे विद्युत उत्पादन उद्योग में प्रतिस्पर्धा सुविधाजनक बन जाएगी। आदेश की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

अंतरराज्यीय पारेषण में खुली पहुंच संबंधी आदेश की मुख्य विशेषताएं :–

- विद्यमान क्षेत्रीय डाक टिकट मूल्य निर्धारण पद्धति का उपयोग किया जाना है।
- डिस्कॉम, व्यापारी, आईपीपी, कैप्टिव संयंत्र अंतरराज्यीय खुली पहुंच शीघ्र प्राप्त कर सकेंगे।
- खुली पहुंच ग्राहकों की दो श्रेणियां–अल्पकालीन और दीर्घकालीन।
- अल्पकालीन ग्राहकों के लिए नोडल एजेंसी आरएलडीसी होगी जिसके अंतर्गत निकासी स्थल तय होंगे।
- दीर्घकालीन ग्राहकों के लिए नोडल एजेंसी सीटीयू होगी।
- दीर्घकालीन ग्राहक बनने के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की वचनबद्धता होगी।
- दीर्घकालीन ग्राहकों को सीटीयू नेटवर्क के मूल लाभभोगियों के समतुल्य माना जाएगा।
- पारेषण की कमियों की दशा में सर्वप्रथम अल्पकालीन ग्राहकों को कम किया जाएगा।
- खुली पहुंच के ग्राहकों द्वारा की गई ऊर्जा की बेमेल निकासी के लिए बिल उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के अंतर्गत वर्तमान फ्रीक्वेंसी से जुड़े गैर-अधिसूचित एकांतरण प्रभार के अनुसार तैयार किए जायेंगे।
- सीईआरसी राज्य स्तर पर एबीटी अपनाए जाने की सिफारिश करता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा छात्र ऋण योजना

*151. **डा. जसवंत सिंह यादव** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम का विचार तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा हेतु एक छात्र ऋण योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत ऋण मंजूर करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) वर्ष 2003-2004 के दौरान उक्त योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है/प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना से कितने छात्र लाभान्वित हुए/लाभान्वित होने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन एम डी एफ सी) ने वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात् 2003-04 के दौरान अपनी शिक्षा ऋण योजना आरंभ की है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों में रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह योजना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित एन एम डी एफ सी की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। योजना में अधिक से अधिक 2 वर्षों की अवधि के व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु अधिकतम 75,000 रुपए का ऋण परिलक्षित है। इस प्रयोजना हेतु निधियां 3 प्रतिशत ब्याज-दर पर लाभार्थियों को

देने के लिए 1% ब्याज-दर पर राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाती है। ऋण की अदायगी पाठ्यक्रम के पूरा होने के अधिकतम 5 वर्षों में की जाएगी। योजना के तहत निम्नलिखित पात्रता मानदंड है :-

(1) आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुसलमान, सिख, ईसाइ, बौद्ध अथवा पारसी का होना चाहिए।

(2) परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुना से नीचे होनी चाहिए।

(3) आवेदक 16-32 वर्ष के आयु समूह में होना चाहिए।

(4) अपेक्षित पाठ्यक्रम में पक्का दाखिला अनिवार्य है।

(5) चयन पूर्णत: योग्यता आधार पर है तथा महिला एवं शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) और (घ) चूंकि योजना वर्तमान वर्ष अर्थात् 2003-04 में आरंभ की गई है, एन एम डी एफ सी ने इस प्रयोजन के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए अलग से आबंटन नहीं किया है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे शैक्षिक ऋण के प्रयोजना हेतु एन एम डी एफ सी द्वारा उन्हें प्रदान किए गए वार्षिक आबंटनों में से 10% का उपयोग करें। तदनुसार, 2003-04 के लिए 1090.00 लाख रुपए की सीमा तक आबंटन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के पास उपलब्ध है। 30.11.03 को स्थिति के अनुसार, योजना के तहत 161 छात्रों को 22.50 लाख रुपए का ऋण संवितरित किया गया है।

मनोरंजन कर की अधिकतम सीमा

*152. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों से मनोरंजन कर को कम करके 45 प्रतिशत करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मंत्रालय ने अक्तूबर, 2003 में दस राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी;

(ग) यदि हां, तो बैठक में क्या मुख्य निर्णय लिए गए और इन निर्णयों के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने मनोरंजन कर को पहले ही कम कर दिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा मनोरंजन कर की चोरी पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) 'फिल्मों के प्रमाणन' को छोड़कर 'सिनेमा' राज्य का विषय है। मनोरंजन क्षेत्र के लिए समरूप विकासात्मक पैटर्न सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, अन्य के साथ-साथ, इस क्षेत्र के संवर्द्धन हेतु केन्द्र और राज्यों में एक अनुकूल नीतिगत ढांचे के बारे में सुझाव देने के लिए भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री की अध्यक्षता में तथा नौ राज्यों के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रियों की सदस्यता के साथ जनवरी 2001 में मनोरंजन क्षेत्र के विकास हेतु एक समिति का गठन किया गया था।

समिति ने दिनांक 8.11.2003 को हुई अपनी दूसरी बैठक में अन्य के साथ-साथ सिफारिश की कि सभी राज्य सरकारें 60% की उच्चतम सीमा के भीतर अपने मनोरंजन कर नियत करें। इस सिफारिश के प्रत्युत्तर में कई राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में मनोरंजन कर की दरों में कटौती की है।

समिति ने दिनांक 13.10.2003 को हुई अपनी तीसरी बैठक में फिल्मों के लिए मनोरंजन कर की दरों पर उच्चतम सीमा को 60% से घटाकर 45% करने की पुन: सिफारिश की। समिति की इस सिफारिश को सभी राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है।

समिति द्वारा दिनांक 8.11.2003 और 13.10.2003 को आयोजित बैठकों में चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित निर्णय भी लिए गए थे जो सभी राज्य सरकारों को परिचालित कर दिए गए हैं :-

(i) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म क्षेत्र में चोरी के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कनिष्ठ पुलिस कार्मिकों दोनों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण माड्यूलों का विकास करना और राज्यों द्वारा पुलिस के लिए अपनी प्रशिक्षण पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने के लिए इनको सभी राज्यों के बीच परिचालित करना। मंत्रालय ने वरिष्ठ

पुलिस अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है और आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री एकत्रित की गयी है।

(ii) राज्य सरकारों द्वारा पुलिस कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना और वरिष्ठ नोडल पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करना जो राज्यों में चोरी-रोधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे।

(iii) राज्यों में कम्प्यूटरीकृत टिकट-व्यवस्था शुरू करने के मुद्दे की जांच करने के लिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्यों के प्रतिनिधियों, भारतीय बहुउद्देशीय परिसर संघ के अध्यक्ष तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक प्रतिनिधि के साथ एक उप-समिति का गठन किया गया था।

(iv) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदर्शनी क्षेत्र के लिए नियमों/विनियमों एवं प्रोत्साहनों की मॉडल संरचना को सुव्यवस्थित करना जिसकों सभी राज्यों के लिए संदर्भ बिन्दु के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ प्रकोष्ठ (फिक्की) को मॉडल सिनेमा और सिनेमा से संबंधित विनियमों को तैयार करने का कार्य सौंपा गया है जिनकी जांच मनोरंजन क्षेत्र के विकास हेतु गठित समिति की उपर्युक्त उप समिति द्वारा की जाएगी।

(v) राज्य सरकारों द्वारा भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग के लिए एकल स्थल निकासी की व्यवस्था करना और ऐसी निकासियों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशिष्ट अधिकारी नियुक्त किया जाना।

(vi) राज्य सरकारों द्वारा प्रतिलिप्याधिकार के उल्लंघन के प्रति अपने पुलिस कार्मिकों को जागरूक बनाना और चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

नेपाल से बिजली की खरीद

*153. **श्री वीरेन्द्र कुमार :**
श्री कमल नाथ :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के उत्तरी भागों में विद्युत आपूर्ति को पूरा करने के लिए नेपाल के साथ बिजली खरीद समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो नेपाल से कुल कितने मेगावाट बिजली की खरीद किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस विद्युत व्यापार समझौते से पूर्वोत्तर राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) भारत सरकार ने नेपाल के साथ कोई विद्युत क्रय करार नहीं किया है। किन्तु भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच विद्युत का आदान-प्रदान 1971 से हो रहा है। वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच 90-100 मेगावाट विद्युत का आदान-प्रदान हो रहा है।

(ग) और (घ) नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के पास उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ विद्युत का परस्पर लाभकारी आदान-प्रदान चल रहा है।

[हिन्दी]

भारत और पाकिस्तान के तटरक्षक मुख्यालयों के बीच हॉटलाइन

*154. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
श्री ए. ब्रह्मनैया :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने दोनों देशों के तटरक्षक मुख्यालयों के बीच एक हॉटलाइन की स्थापना करने हेतु भारतीय प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके लिए क्या समुचित प्रस्ताव तैयार किया गया है;

(ग) क्या तटरक्षक से भारतीय मछुआरों को सुरक्षा नहीं मिली है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय मछुआरों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने प्रस्ताव किया है कि भारतीय तटरक्षक मुख्यालय अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहक डायलिंग (आई एस डी) के माध्यम से पाकिस्तान के समुद्री सुरक्षा एजेंसी मुख्यालय के साथ 01 जनवरी, 2004 से सम्पर्क स्थापित कर सकता है। इन संचार सम्पर्कों में दोनों देशों के मछुआरों से संबंधित मानवीय पहलुओं से सम्बद्ध मामलों को शामिल किया जाएगा।

(ग) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई ई जेड) में मछली पकड़ने वाले भारतीय मछुआरों को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता

*155. **श्री नवल किशोर राय :**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक राज्यों के विद्युत बोर्डों के विद्युत उत्पादक संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता और उनके वास्तविक विद्युत उत्पादन के बीच के अंतर का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003 के दौरान प्रत्येक राज्य के विद्युत बोर्ड द्वारा संचालित विद्युत उत्पादक संयंत्रों की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) वर्ष 2003 में पहले नौ माह के दौरान वास्तव में कितना विद्युत उत्पादन हुआ;

(घ) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के अकुशल कार्यकरण के परिणामस्वरूप प्रत्येक विद्युत बोर्ड द्वारा कितना वित्तीय घाटा उठाया जा रहा है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री अन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा प्रचालित विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) 2003 के प्रथम नौ महीने (जनवरी-सितंबर, 2003) के दौरान देश में कुल विद्युत उत्पादन 402748 मिलियन यूनिट है जिसमें से 202158 मिलियन यूनिट विद्युत राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा तैयार किया गया।

(घ) विद्युत उत्पादन केन्द्रों के अकुशल प्रचालन से विद्युत उत्पादन कम होता है और कम क्षमता के कारण ईंधन की खपत एवं सहायक विद्युत खपत में भी वृद्धि होती है। देश में नई एवं पुरानी तथा अलग-अलग क्षमताओं वाली यूनिटों की संख्या अधिक होने के मद्देनजर उनके इष्टतम प्रचालन स्तर तथा वित्तीय हानियों का आकलन करना संभव नहीं है।

(ङ) शुरू किए गए/प्रस्तावित सुधारकारी उपाय निम्नानुसार हैं :-

(i) मौजूदा ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/ पावर फाइनेंस कारपोरेशन नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(ii) 10वीं योजना के दौरान 106 थर्मल यूनिट, जिनकी कुल क्षमता 10413 मेगावाट है, का जीवन विस्तार तथा 57 थर्मल यूनिट, जिनकी कुल क्षमता 17270 मेगावाट है, का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करने की योजना है।

(iii) 10वीं योजनावधि में सार्वजनिक क्षेत्र (केन्द्रीय एवं राज्य) में 74 मौजूदा जल विद्युत केन्द्रों जिनकी कुल क्षमता 8082.45 मेगावाट है, की नवीकरण, आधुनिकीकरण, दर-वृद्धि एवं जीवन विस्तार करने हेतु पहचान की गई है।

(iv) हाल में चालू की गई यूनिटों का शीघ्र वाणिज्यिक रूप से प्रचालन।

(v) संयंत्र-स्थल की पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखने के लिए ताप विद्युत केन्द्रों की पर्यावरणीय स्थिति की मानीटरिंग।

(vi) सार्वजनिक क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्रों के बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं।

(vii) ताप दर में सुधार करने तथा सहायक विद्युत खपत एवं सहायक ईंधन तेल खपत में कमी करने के लिए देश में चुनिंदा ताप विद्युत केन्द्रों की ऊर्जा ऑडिट।

विवरण

राज्य का नाम	एसईबी/पीएसयू का नाम	31.3.2003 के अनुसार अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन मेगावाट में						
		थर्मल				हाइड्रो	पवन	कुल
		स्टीम	डीजल	गैस	उप जोड़			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली	आईपीजीपीसीएल	320		612.4	932.4			932.4
हरियाणा	एचपीजीसी	1040	3.92		1043.92	48		1091.92
हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी		0.13		0.13	326.2		326.33
जम्मू व कश्मीर	जेकेईबी		8.94	175	183.94	311.69		495.63
पंजाब	पीएसईबी	2130			21.30	2398.94		4528.94
राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	1850		113.8	1963.8	163.86	6.4	2134.06
उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	4102			4102			4102
	यूपीएचपीसी				0	556.6		556.6
	कुल	4102			4102	556.6		4658.6
उत्तरांचल	यूएसईबी				0	954.15		954.15
गुजरात	जीईबी	3339	17.26	171	3527.26	563	17.3	4107.56
	जीएमडीसीएल	0			0			0
	जीएसईसीएल	420			420			420
	जीएसईजीएल			156.1	156.1			156.1
	कुल	3759	17.26	327.1	4103.36	563	17.3	4683.66
मध्य प्रदेश	एमपीजीपीसीएल	2157.5			2157.5	919.91	0.59	3078
छत्तीसगढ़	सीएसईबी	1280			1280	120		1400
महाराष्ट्र	एमएसईबी	6425		912	7337	2427.17	6.44	9770.61
आंध्र प्रदेश	एपीजेन	2952.5			2952.5	3281.01	5.4	6238.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	एपीजीपीसी			99	99			99
	कुल	2952.5		99	3051.5	3281.01	5.4	6337.91
केरल	केएसईबी		234.6		234.6	1795	2.03	2031.63
कर्नाटक	केपीसीएल	1470			1470	2686.95	2.6	4159.55
	वीवीएनएल		127.92		127.92			127.92
	केईबी				0	206.2		206.2
	कुल	1470	127.92	0	1597.92	2893.15	2.6	4493.67
तमिलनाडु	टीएनईबी	2970		331	3301	1995.15	19.35	5315.5
पांडिचेरी	पीपीसीएल			32.5	32.5			32.5
बिहार	बीएसईबी	553.5			553.5	20		573.5
झारखंड	टीवीएनएल	420			420			420
	जेएसईबी	840			840	130		970
	कुल	1260			1260	130		1390
	ओपीजीसी	420			420		1.49	421.49
उड़ीसा	ओएचपीसी				0	1848.58		1848.58
	कुल	420			420	1848.58	1.49	2270.07
पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीडीसी	2910		100	3010			3010
	डीपीएल	395			395			395
	डब्ल्यूबीएसईबी		12.06		12.06	164.71		176.77
	कुल	3305	12.06	100	3417.06	164.71		3581.77
सिक्किम	सिक्किम		5		5	32.9		37.9
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	अंडमान व निकोबार		34.05		34.05	5.25		39.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	एएसईबी	330	20.69	244.5	595.19	2		597.19
मेघालय	एमईजीईबी		2.05		2.05	186.71		188.76
मणिपुर	एमपीडीसी		45.41		45.41	3.2		48.61
त्रिपुरा	त्रिपुरा		4.85	106.5	111.35	16.01		127.36
नागालैंड	नागालैंड		2		2	28.2	0.16	30.36
अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश		15.88		15.88	29.55		45.43
मिजोरम	मिजोरम		28.94		28.94	8.26		37.2
कुल राज्य क्षेत्र		36324.5	563.7	3053.8	39942	21229.2	61.76	61232.96

[अनुवाद]

जलपोतों का डूबना

*156. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री ए. वेंकटेशन नायक :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह माह के दौरान भारतीय पत्तनों के आस-पास कितने जलपोत डूबे;

(ख) क्या भारतीय तटरक्षक ने तेल का छलकना रोकने के लिए एहतियाती उपायों के रूप में भारतीय समुद्र में पुराने टैंकरों का प्रवेश रोकने हेतु एक विधान की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) विगत छह महीनों के दौरान भारतीय पत्तनों के आस-पास तीन पोत डूबे।

तटरक्षक बल ने भारतीय समुद्र में समुद्री यात्रा के लिए अयोग्य पोतों के संचालन को रोकने के लिए नये निरीक्षण विनियमों का प्रस्ताव किया था ताकि हताहतों, मार्गनिर्देशन संबंधी जोखिमों एवं समुद्री परिवेश संबंधी क्षति को रोका जा सके।

पोत संरक्षा एवं परिवेश संरक्षण विषय संबंधी कई समझौते एवं नयाचार लागू किए गए हैं तथा भारत द्वारा उनकी अभिपुष्टि की गई है। इन समझौतों/नयाचारों में से कुछ इस प्रकार हैं—समुद्र में जीवन संरक्षा संबंधी समझौता, 1974 तथा इसके 1974 एवं 1988 के नयाचार, टक्कर विनियम 1972, टन भार समझौता 1969, मारपोल समझौता 1973/1978, प्रशिक्षण के मानक, प्रमाणन और निगरानी 1978 एवं इसका 1995 कोड आदि। संरक्षा प्रबंधन संहिता (आई एस एम कोड) सभी प्रकार के पोतों पर लागू होती है। सामान्य सर्वेक्षणों के अलावा, पोतों की अब सुरक्षा प्रणाली संबंधी जांच भी की जाती है। इसलिए यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि भारतीय समुद्री प्रशासन के पास पोतों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।

पुराने टी.वी. सैटों पर 'कैप्स' का प्रभाव

*157. **श्रीमती रेणुका चौधरी :**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशर्त उपागम प्रणाली (कैस) के शुरू होने से लगभग 39 चैनल दिखाने वाले पुराने टी.वी. सैटों के दर्शकों को भारी नुकसान होगा और सशर्त उपागम प्रणाली के शुरू होने से उन्हें अपनी टी.वी. सैटों को अद्यतन बनाने के लिए अधिक धनराशि खर्च करने की जरूरत पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो पुराने टी.वी. सैटों के दर्शकों के सामने आने वाली कठिनाइयों अथवा नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) सशर्त उपागम प्रणाली द्वारा अब तक कवर किए गए और सैट टॉप बाक्स का विकल्प चुनने वाले दर्शकों का प्रतिशत कितना-कितना है;

(घ) क्या अन्य राज्यों में सशर्त उपागम प्रणाली की शुरूआत को अगले आम चुनावों तक स्थगित रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी औचित्य क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बहु-प्रणाली संचालकों/केबल आपरेटरों द्वारा उपभोक्ताओं को सेट टॉप बॉक्सों की आपूर्ति की जाती है। चेन्नई, जहां पर सशर्त पहुंच प्रणाली लागू कर दी गई है, से प्राप्त सूचना के अनुसार, कुल लगभग दस लाख केबल टी.वी उपभोक्ताओं में से लगभग 12,000 सेट टॉप बॉक्स ग्राहकों को बेचने/किराए पर देने की सूचना मिली है। तथापि, ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पावर लिंक्स पारेषण लिमिटेड कंपनी को लाइसेंस देना

*158. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा पावर लिंक्स पारेषण लिमिटेड, जो पावर ग्रिड कारपोरेशन और टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है, को पारेषण हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र में पहला लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें टाटा और पावर ग्रिड की अलग-अलग कितनी हिस्सेदारी है;

(घ) उपर्युक्त परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और इससे कितने राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने पारेषण क्षेत्र में गैर-सरकारी कंपनियों को और अधिक लाइसेंस देने के बारे में अंतिम रूप से निर्णय कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) जी, हां। मैं. पावर लिंक्स पारेषण लि. जो कि पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पावरग्रिड) और टाटा पावर लि. की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, को भूटान में ताला जल विद्युत परियोजना से उत्पादित की जानी वाली विद्युत की निकासी के लिए निम्नलिखित पारेषण लाईनों के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 13.11.2003 को लाईसेंस प्रदान किया गया है :

(i) सिलिगुड़ी-पूर्णियां 400 केवी डी/सी (क्वाड. कंडक्टर) पारेषण लाइन-162 किमी

(ii) पूर्णिया-मुजफ्फरपुर (नवीन) 400 केवी डी/सी (क्वाड. कंडक्टर) पारेषण लाइन-242 किमी

(iii) मुजफ्फरपुर (नवीन)-गोरखपुर 400 केवी डी/सी (क्वाड. कंडक्टर) पारेषण लाइन-233 किमी

(iv) गोरखपुर-लखनऊ 400 केवी डी/सी (जुड़वे कंडक्टर) पारेषण लाइन-277 किमी

(v) बरेली-मंडोला 400 केवी डी/सी (जुड़वे कंडक्टर) पारेषण लाइन-237 किमी

(vi) मुजफ्फरपुर (नवीन)-मुजफ्फरपुर (बीएसईबी) 220 केवी (जुड़वा कडक्टर) पारेषण लाइन-20 कि.मी.।

पारेषण प्रणाली का उपयोग पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी अधिशेष का अन्तरण करने के लिए भी किया जाएगा।

(ग) टाटा पावर लि. और पावरग्रिड कंपनी क्रमश: 51% और 49% इक्विटी शेयर पूंजी का धारण करेंगे।

(घ) परियोजना को जून, 2006 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। इस पारेषण प्रणाली के जरिए ताला एचईपी, भूटान से निकासी की जाने वाली 1020 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वी क्षेत्र में दामोदर वेली कारपोरेशन को उन्हें आबंटित हिस्सेदारी के अनुसार की जा सकेगी। इस पारेषण प्रणाली का उपयोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब और हरियाणा राज्यों तथा उत्तरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को पूर्वी क्षेत्र से अधिशेष विद्युत का अंतरण करने के लिए भी किया जाएगा।

(ङ) और (च) पारेषण लाईसेंस प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकरण केन्द्रीय विनियामक आयोग या राज्य विद्युत विनियामक आयोग, जैसा भी मामला हो, हैं।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों में सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने संबंधी मानदंडों में संशोधन

*159. **डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों में सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) का निर्धारण करने संबंधी मानदंडों की समीक्षा करने हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को प्रभावी बनाने संबंधी तौर-तरीकों पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने देश के चुनिन्दा जिलों में सामाजिक न्याय केन्द्रों की स्थापना करने का भी निर्णय किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र लम्बित समूहों के पुनर्वास को कहां तक सुकर बनाएंगे?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों में ''क्रीमी लेयर'' की पहचान के लिए आय मानदंड की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। यह कार्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपा गया है। आयोग अन्य पिछड़े वर्गों में ''क्रीमी लेयर'' के अवधारण के लिए आय/धन की मौजूदा अधिक सीमा की समीक्षा करेगा और ऐसे फार्मूले बनाएगा और उनका सुझाव देगा जिनके माध्यम से रुपए के संदर्भ में आय की अधिक सीमा/मानदंड के आवधिक संशोधन नियत किए जाएं ताकि अन्य पिछड़े वर्गों में ''क्रीमी लेयर'' के अवधारण के लिए अधिक आय सीमा, फार्मूले के अनुसार, समय-समय पर, संशोधित की जा सके। आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह तीन माह के अन्दर सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है।

(च) और (छ) सरकार ने मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी के प्रसार द्वारा लक्षित समूहों का पुनर्वास करने; शीर्ष वित्त और विकास निगमों से प्राप्त पत्रों के आधार पर राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले रियायती क्रेडिट के लिए आवेदन एकत्रित करने; और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु विकलांग छात्रों से आवेदनों को एकत्रित करने हेतु सामाजिक न्याय केंद्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

रेलगाड़ी सुरक्षा तथा चेतावनी प्रणाली (ट्रेन प्रोटेक्शन एण्ड वार्निंग सिस्टम) की स्थापना

*160. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने यात्रियों और रेल संस्थापनाओं की संरक्षा और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए खन्ना समिति की सिफारिशों के

अनुसार एक नई रेलगाड़ी सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस) शुरू की है, जोकि सहायक चेतावनी प्रणाली से भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली द्वारा अब तक कुल कितने किलोमीटर रेलमार्ग कवर किया गया है;

(ग) क्या वर्तमान प्रणाली और नई प्रणाली सफल और संतोषजनक सिद्ध हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे ने पूरे नेटवर्क को चेतावनी प्रणाली से सुसज्जित करने का प्रस्ताव किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(च) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिए एक स्वचालित संसूचना सिगनल प्रणाली (आटोमैटिक डिटेक्शन सिगनल सिस्टम) का भी विकास किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे में ऐसी प्रणाली के शुरू करने के मामले में क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परीक्षण के तौर पर, दक्षिण और उत्तर मध्य रेलवे पर 'ए' मार्ग के 280 रेलपथ किलोमीटर में ''खतरे का सिगनल पार करने'' संबंधी मामलों से बचने के लिए गाड़ी परिचालनों में संरक्षा स्तर में और वृद्धि करने के लिए गाड़ी बचाव और चेतावनी प्रणाली, जो सहायक चेतावनी प्रणाली का ही एक अंग हैं, को अपनाने की योजना बनाई गई है।

इस समय सहायक चेतावनी प्रणाली मध्य और पश्चिम रेलवे के मुंबई उपनगरीय खंडों में संतोषजनक ढंग से काम कर रही है। यद्यपि, इसका पुराना मॉडल भारतीय रेल के हावड़ा-मुगलसराय खंड पर ट्रैक मैगनेट्स जो मूलत: तांबे के बने होते हैं, की निरंतर चोरियों के कारण, कार्य नहीं कर सका। नई प्रस्तावित गाड़ी बचाव तथा चेतावनी प्रणाली, जिसमें ट्रैक मेगनेट्स के स्थान पर यूरो बालसे का उपयोग होता है और जिसमें बहुत कम तांबा होता है, अभी भारतीय रेलों पर मुहैया कराई जानी है। गाड़ी बचाव तथा चेतावनी प्रणाली (टी पी डब्ल्यू एस) और सहायक चेतावनी प्रणाली (ए डब्ल्यू एस) की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है :–

(i) पारंपरिक सहायक चेतावनी प्रणाली में रेलपथ उपकरण के रूप में ट्रैक मेगनेट्स का प्रयोग किया जाता है, जो मुख्य रूप से तांबे के बने होते हैं और जिनके चोरी होने का खतरा बना रहता है। इस प्रणाली के अंतर्गत सिगनल पहलू के संबंध में सूचना इलैक्ट्रो मेगनेटिक इंडक्शन के माध्यम से कैब उपकरण को दी जाती है।

(ii) गाड़ी बचाव और चेतावनी प्रणाली में यूरो बालसे रेलपथ उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है, जिसमें तांबा काफी कम मात्रा में होता है और कैब उपकरण को सूचना देने के लिए इसमें रेडियो ट्रांसमिशन का प्रयोग होता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

कारों का निर्माण

1420. **श्री रामनायडू दग्गुबाटि** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कार उद्योग का काफी विकास हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कार विनिर्माण व्यवसाय और उनमें उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) भारत में पैसेंजर कार उद्योग में वर्ष 2000-2001 के दौरान जिस समय विश्वस्तरीय आर्थिक गिरावट के कारण वृद्धि नकारात्मक थी, को छोड़कर पिछले कुछ वर्षों के दौरान सतत् रूप से वृद्धि की गई है। भारत में पैसेंजर कार उद्योग में 12,37,000 इकाइयों की स्थापित क्षमता वाले 15 निर्माता हैं। 2001-2002 और 2002-2003 के वर्षों के दौरान कारों के उत्पादन की संख्या क्रमश: 564052 तथा 606088 रही है।

रक्षा सेवाओं में भर्ती

1421. **श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002 और 2003 के दौरान रक्षा सेवाओं में विभिन्न स्कंधों में अब तक राज्य-वार भर्ती किए गए रक्षा कार्मिकों की संख्या क्या है;

(ख) क्या रक्षा सेवाओं में प्रत्येक राज्य के लिए कोई भर्ती कोटा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन कॉडरों और स्कंधों का ब्यौरा क्या है जहां कोटा प्रणाली मौजूद है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) नौसेना तथा वायुसेना में राज्यों के लिए अलग से भर्ती कोटा नहीं है। तथापि, सेना के संदर्भ में राज्यों की रिक्तियों का आबंटन नये उत्थापन एवं वार्षिक सेवानिवृत्तियों के आधार पर निम्नवत् किया जाता है :–

(i) **नियत वर्ग रिक्तियां:–** ये रिक्तियां रेजिमेंटो/कार्प की वर्ग संरचना पर आधारित होती हैं। इन रिक्तियों का आबंटन राज्य के नियत वर्ग शेयर के अनुसार जनसंख्या की विरचना के आधार पर किया जाता है।

(ii) **अखिल भारतीय सर्ववर्गीय रिक्तियां:–** इन रिक्तियों का आबंटन 2001 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर राज्यों की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के अनुसार किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2002 तथा 2003 के दौरान राज्यवार भर्ती किए गए रक्षा कार्मिकों की संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	सेना		नौसेना	
		2001-2002	2002-2003	2002	2003
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6616	7193	323	303
2.	असम	1555	1650	27	65
3.	अरुणाचल प्रदेश	191	61	2	1
4.	बिहार	5105	6895	814	605
5.	गोवा	140	20	9	5
6.	गुजरात	1899	3656	12	14
7.	हरियाणा	3922	3099	418	674
8.	हिमाचल प्रदेश	2747	2884	59	133
9.	जम्मू और कश्मीर	3638	4266	66	125
10.	केरल	3037	3529	318	229
11.	कर्नाटक	3994	3077	6	39
12.	महाराष्ट्र	7998	10290	103	86
13.	मध्य प्रदेश	4084	4726	41	55
14.	मणिपुर	644	302	16	57
15.	मेघालय	120	139	4	5
16.	मिजोरम	296	178	2	1
17.	नागालैण्ड	578	253	2	31
18.	उड़ीसा	1929	2460	261	247
19.	पंजाब	6995	7271	59	158
20.	राजस्थान	6595	7271	229	345
21.	सिक्किम	62	64	15	13
22.	तमिलनाडु	5462	5615	61	39
23.	त्रिपुरा	157	151	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	12562	16442	598	629

1	2	3	4	5	6
25.	पश्चिम बंगाल	4760	5417	133	129
26.	छत्तीसगढ़	1030	1183	14	34
27.	उत्तरांचल	5966	3698	95	88
28.	झारखण्ड	1574	1987	56	40
29.	अंडमान और निकोबार	49	22	3	3
30.	चण्डीगढ़	11	7	1	—
31.	दिल्ली	1210	1460	82	46
32.	दादरा एवं नगर हवेली	—	—	—	—
33.	लक्षद्वीप	—	18	—	—
34.	पांडिचरी	6	23	3	1
35.	दमन और दीव	—	—	—	—
36.	नेपाल	1880	1542	1	1
	कुल	96810	105421	3833	4201

भारतीय वायुसेना में भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। राज्यवार भर्ती के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। वायुसेना में वर्ष 2002 और 2003 के दौरान भर्ती किए गए कार्मिकों की कुल संख्या (आज की तारीख तक) क्रमशः 5468 तथा 3435 थी।

राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यनिष्पादन में सुधार

1422. **श्री अनंत नायक :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कोई राज्य विद्युत बोर्ड अपने कार्य-निष्पादन में सुधार लाने में सक्षम रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वर्षों के दौरान हानि को कम करने में राज्य विद्युत बोर्ड-वार कार्य-निष्पादन क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 2001-02 के दौरान, चार राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान के राज्य विद्युत बोर्डों ने वर्ष 2000-01 की तुलना में 2138.44 करोड़ रुपये की राशि की नकद हानि में कमी दिखाई है जोकि निम्नानुसार है :-

(रुपये करोड़ में)

क्रमांक	राज्य	नकद हानि में कमी
1.	गुजरात	1072.30
2.	महाराष्ट्र	579.74
3.	हरियाणा	210.42
4.	राजस्थान	275.42
	कुल	2138.44

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2002-03 के दौरान कुल हानियों में कमी की सूचना दी है।

भारत में चीनी फिल्मोत्सव

1423. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 2004 में भारत में चीनी फिल्मोत्सव आयोजित करने के लिए चीन सरकार को आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) भारत सरकार और चीन की लोक गणराज्य सरकार ने एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक महोत्सवों और फिल्म शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान के लिए एक खंड शामिल है। वर्ष 2004 में भारत

में चीनी फिल्म महोत्सव के आयोजन हेतु, इस समय, कोई सुनिश्चित प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

जम्मू-उधमपुर रेल लाइन पर रेल उपरिपुल

1424. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू-उधमपुर रेल लाइन पर पुलों की कुल संख्या क्या है;

(ख) इनमें से मरम्मत के लिए कितने पुलों की पहचान की गई; और

(ग) इन पुलों की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) जम्मू-उधमपुर नई रेल लाइन परियोजना के संबंध में निर्मित/ निर्माणाधीन कुल पुलों की संख्या 158 है। इनमें 13 ऊपरी/निचले सड़क पुल शामिल हैं।

(ख) इस नई रेल लाइन परियोजना में किसी पुल को मरम्मत कार्य के लिए चिह्नित नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भर्ती के दौरान भगदड़ की घटना

1425. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नवम्बर, 2003 में जलगांव, महाराष्ट्र में सैन्य-बलों की भर्ती के दौरान भगदड़ की घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुप्रबंधन के क्या कारण हैं तथा भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) जलगांव में 05 से 14 नवंबर, 2003 तक एक भर्ती रैली आयोजित की गई थी। 5 नवंबर, 2003 को बाहर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों ने बैरीकेड पार करने की कोशिश की जिसके कारण वहां लड़ाई-झगड़ा हो गया। तथापि, उस पर तुरंत ही काबू पा लिया गया। इस लड़ाई-झगड़े में कुछ व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं।

जिला प्रशासन द्वारा पर्याप्त प्रबंधन-व्यवस्था की गई थी और वहां किसी प्रकार का कुप्रबंध नहीं था। सिविल प्रशासन ने भी रैली के लिए 150 पुलिस के सिपाहियों को तैनात कर रखा था। उक्त मामूली घटना को छोड़कर रैली अपने अंतिम दिन 14 नवंबर, 2003 तक सुचारू रूप से चलती रही।

[अनुवाद]

वल्लारपदम कंटेनर टर्मिनल को सी एन जी

1426. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में वल्लारपदम कंटेनर टर्मिनल परियोजना प्राधिकारियों से सी एन जी की आपूर्ति के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ईंधन की ढुलाई संबंधी मूल्य-निर्धारण नीति

1427. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकटतम पोर्ट से बिक्री केन्द्र तक ईंधन की ढुलाई की लागत पर आधारित भिन्न मूल्य-निर्धारण नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों, तटीय तथा गैर-तटीय क्षेत्रों के लिए मूल्यनिर्धारण नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संशोधित मूल्य-निर्धारण नीति शुरू की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ङ) पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) की समाप्ति के साथ पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य नियंत्रणमुक्त कर दिए गए हैं। जबकि प्रशासित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था युग से स्वतंत्र बाजार को सहज अंतरण सुसाध्य बनाने के विचार से स्वतंत्र बाजार परिदृश्य में माल-भाड़ा लागतें इन उत्पादों के उपभोक्ता मूल्यों के अंतर्गत परिवर्तित की जाएंगी; वहीं सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां वर्तमान में इन अंतरदेशीय मालभाड़ा लागतों को कुछ सीमा तक देश में अलग-अलग स्थानों के बीच बराबर कर रही हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों से पी.सी.जी. द्वारा प्रभार

1428. **श्री एम.के. सुब्बा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने पावर ग्रिड अन्य क्षेत्रों से 12 पैसे प्रति यूनिट की तुलना में पूर्वोत्तर राज्यों से 35 पैसे प्रति यूनिट के भेदभावपूर्ण दर वसूलने के मामले की जांच करने के लिए संघ सरकार से अपील की है; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त करने के लिए सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड की 17.10.03 को आयोजित 53वीं बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पारेषण टैरिफ निर्धारित करने, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक न हो, का मुद्दा उठाया। पूर्वोत्तर विद्युत बोर्ड ने 13.11.1997 को पारेषण टैरिफ 35 पैसे निर्धारित की थी तथा 1998-99 के दौरान अनुमानित केन्द्रीय सेक्टर ऊर्जा ट्रांसफर आधार पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी राज्य विद्युत यूटिलिटियों की इस पर सहमति थी। पावरग्रिड द्वारा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी लागत से नई पारेषण परियोजनाओं को पूर्ण करने के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने पावरग्रिड को 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से पारेषण प्रभारों की वसूली जारी रखने का निदेश दिया।

अन्य क्षेत्रों में पारेषण टैरिफ परियोजनाओं की लागत के आधार पर तय की जाती है। अगर वही मानदंड पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनाए जाएं तो पारेषण टैरिफ 35 पैसे प्रति यूनिट से अधिक होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पारेषण टैरिफ 35 पैसे प्रति यूनिट तक सीमित रहने के कारण पावरग्रिड को पर्याप्त राजस्व हानि उठानी पड़ी है।

पश्चिम एक्सप्रेस में सीट/बर्थ का आरक्षण

1429. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कालका और अम्बाला कैंट के बीच चलने वाली, रेल गाड़ी सं. 2925/2926 पश्चिम एक्सप्रेस जो आगे मुंबई तक जाती है के साथ जोड़े गए ए.सी.-2 टायर, शयनयान तथा द्वितीय श्रेणी के अनारक्षित कोच में चंडीगढ़ में आरक्षण हेतु कितनी सीटें/बर्थ निर्धारित की गई है;

(ख) चंडीगढ़/कालका के लिए सभी पांच कोचों में सभी बर्थ/सीटों को आरक्षित न किए जाने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने चंडीगढ़ से यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त 3 टीयर स्लीपर कोच जोड़ने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) से (घ) 2926ए कालका-मुंबई सेंट्रल पश्चिम एक्सप्रेस के छह (एक वातानुकूल-3 टियर, तीन शयनयान दर्जे, दो आंशिक रूप से अनारक्षित सवारी डिब्बे) को छोड़कर वातानुकूल-3 टियर कोच (64 बर्थ) और आंशिक रूप से अनारक्षित सवारी डिब्बे (80 सीटें) के समग्र स्थान इस रेलगाड़ी में कालका/चंडीगढ़ से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध है। उपयोग के आधार पर शयनयान दर्जे में 72 बर्थ के स्थान (पूरा एक सवारीडिब्बा) जो कि विगत में कालका/चंडीगढ़ के यात्रियों के लिए उपलब्ध था, को 10.01.2004 से बढ़ाकर अब 108 बर्थ कर दिया गया है। इस रेलगाड़ी में कोई वातानुकूल-2 टियर सवारीडिब्बा नहीं चल रहा है। चंडीगढ़/कालका के लिए कोई अतिरिक्त सवारीडिब्बा जोड़ने की गुंजाइश नहीं

है क्योंकि प्रतीक्षा सूची के यात्रियों अथवा पार्टी सवारीडिब्बों आदि की अतिरिक्त भीड़-भाड़ को निकासी के लिए एक सवारी डिब्बा उपलब्ध है।

तुर्बे-थाणे खंड में कार्य

1430. **श्री किरीट सोमैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के तुर्बे-थाणे खंड पर 109 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि खर्च किए जाने के बाद भी कार्य अभी अधूरा है तथा यह धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो कार्य संचालन में विलंब तथा क्रियान्वयन की धीमी गति के क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना की मूल लागत क्या है और अब तक कितनी लागत मूल्य वृद्धि हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) और (ख) तुर्भे-थाणे परियोजना पर अब तक किया गया खर्च 287.40 करोड़ रुपए (रेलवे का हिस्सा 121.85 करोड़ रुपए, सिटी और औद्योगिक विकास निगम का हिस्सा 165.55 करोड़ रुपए) है। रेलवे की ओर से कोई विलंब नहीं हुआ है। सिडको द्वारा उपलब्ध करायी गई निधियों के अनुरूप कार्य प्रगति पर है।

महाराष्ट्र सरकार/सिडको द्वारा निम्नलिखित कठिनाइयों को दूर करने की भी आवश्यकता है :-

(i) व्यायामशाला के कब्जे की 200 वर्गमीटर भूमि अभी रेलवे को सौंपी जानी है।

(ii) संरक्षा जोन में आ रहे 400 अतिक्रमणों को शिफ्ट करना।

(ग) परियोजना की स्वीकृत लागत 403.39 करोड़ रुपए है और वृद्धि का आकलन कार्य पूरा हो जाने और समापन रिपोर्ट तैयार हो जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

अथीरापल्ली पनबिजली परियोजना

1431. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौजूदा पोरिंगालकुथू जलाशय से नीचे की ओर बहने वाली चालाकुडी नदी पर स्थित अथीरापल्ली पनबिजली परियोजना को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) अथिरापल्ली जल-विद्युत परियोजना (2x80 मेगावाट) को क्रमश: 1998 और 1999 में पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्रदान की गई थी। हालांकि, पर्यावरणीय स्वीकृति बाद में 19.11.2001 को निलंबित कर दी गई थी क्योंकि माननीय केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि एक सार्वजनिक सुनवाई होनी चाहिए।

अथिरापल्ली जल-विद्युत परियोजना की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जून, 2002 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा केरल राज्य विद्युत बोर्ड को वापस लौटा दी गई थी क्योंकि आवश्यक निवेश/विवरण रोके नहीं गए थे। केरल सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को प्राप्त करने के पश्चात् प्रस्ताव को पुन: पेश करना है।

बी एस सी एल को पुन: चालू करने संबंधी योजना

1432. **श्री महबूब जाहेदी** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री 24 जुलाई, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 632 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांच वर्षों की अवधि तक क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत बी एस सी एल को पुन: चालू करने संबंधी योजना को अपनी स्वीकृति की तिथि से दो वर्षों के भीतर ही असफल करार दे दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे यह बात साफ हो जाती है कि बीएससीएल को पुन: चालू करने संबंधी योजना का क्रियान्वयन करने में प्रबंधन असफल हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बी एस सी एल की पूर्ण श्रम शक्ति का अध्ययन करने के लिए "राइटस" को प्राधिकृत किया गया है और उसकी सिफारिशों से पहले ही भारी उद्यम विभाग ने श्रम शक्ति को

संख्या को 1800 से घटाकर 900 करने संबंधी निदेश जारी कर दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या वर्ष 2002-03 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बीएससीएल की कर्मचारी संबंधी देनदारियों को भी बीएससीएल के वार्षिक लेखे में नहीं दर्शाया गया है;

(च) यदि हां, तो क्या माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा 21 जनवरी, 2002 को दिए गए आदेश के अनुसार कर्मचारी संबंधी देनदारियों का भुगतान कर दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) बीआईएफआर ने बीएससीएल के लिए एक पुनरूद्धार योजना को दिनांक 16.4.1999 को अनुमोदित कर दिया था। बीआईएफआर ने दिनांक 14.9.2001 को इस योजना को असफल घोषित कर दिया था।

(ख) और (ग) वैगन तथा रिफ्रेक्टरी एवं संबंधित उत्पादों के क्षेत्र में मौजूदा औद्योगिक परिस्थितियों तथा रेलवे से अपर्याप्त तथा विलम्बित आदेशों के प्राप्त होने एवं वैगनों के पर्याप्त मूल्यों के प्राप्त न होने के कारण कंपनी, योजना के लक्ष्यानुसार निष्पादन नहीं कर सकी।

(घ) जैसाकि बीआईएफआर ने अपनी स्वीकृत योजना में सिफारिश की थी, के अनुार वर्ष 2001 में आर.आई.टी.ई.एस. ने श्रमशक्ति का अध्ययन किया था। चूंकि, इस योजना को असफल घोषित कर दिया गया था, इसलिए, आर.आई.टी.ई.एस. की मसौदा रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का कोई औचित्य ही नहीं रहा। उत्पादन को प्रभावित किये बिना कंपनी की निर्धारित लागत को कम करने के लिए वीआरएस के जरिये श्रम शक्ति को घटाया जा रहा है।

(ङ) कर्मचारियों की सांविधिक देयताओं सहित ग्राह्य देयताओं को कंपनी के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं में उपयुक्त रूप से दर्शाया गया है।

(च) और (छ) माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 21.1.2003 के निर्णयानुसार याचिकाकर्ता के वेतनमानों से संबंधित संशोधन के मामले पर किसी नई योजना को स्वीकृत करते समय बीआईएफआर द्वारा विचार किया जाना था। बीएससीएल के मामले में अब तक कोई नई योजना प्रस्तुत नहीं हुई है।

न्यू जलपाईगुड़ी और हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं

1433. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन पर पैदल उपरिपुल और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर दो और प्लेटफार्मों के निर्माण के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर उचित/बेहतर पेयजल सुविधा भी उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सम्हाले गए यात्री यातायात और यात्रियों से हुई वार्षिक आमदनी के आधार पर यात्री सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए स्टेशनों को ''क'' से ''च'' कोटि में वर्गीकृत किया गया है। हल्दीबाड़ी स्टेशन ''ङ'' कोटि टर्मिनल स्टेशन है और निर्धारित मानकों के अनुसार इस कोटि के स्टेशन पर ऊपरी पैदल पुल (उ.पै.पु.) आवश्यक सुविधा नहीं है।

नई जलपाईगुड़ी स्टेशन पर नौ यात्री प्लेटफार्म उपलब्ध हैं जो मौजूदा यातायात के लिए प्रर्याप्त समझे जाते हैं। इस स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। 61 नल, 2 वाटर हटों/ट्रॉली और 2 वाटर कूलर उपलब्ध हैं। पीने के पानी की व्यवस्था में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है और इसे यात्री यातायात में बढ़ोतरी के अनुसार किया जाता है।

एनसीएफ/केन्द्रीय भंडार के माध्यम से डीआरडीओ द्वारा खरीद

1434. **श्री रामजी मांझी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीआरडीओ और अन्य रक्षा इकाइयों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे अपनी खरीद एनसीएफ/केन्द्रीय भंडार के

माध्यम से करें क्योंकि उनके द्वारा खराब गुणवत्ता के उत्पादों की आपूर्ति की जाती है और खुले बाजार की तुलना में उनकी लागत ज्यादा होती है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-सी वस्तुएं हैं जिनकी गुणवत्ता खराब होती है और उनकी दर खुले बाजार की तुलना में ज्यादा होती है;

(ग) क्या एम.ई.एस., एन.सी.सी.एफ. से लेखन सामग्री और अन्य वस्तुओं की खरीद नहीं कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दिल्ली में सभी रक्षा संस्थानों को केवल एन.सी.सी.एफ. से अपनी वस्तुओं की खरीद करने हेतु निर्देश देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सरकार द्वारा वित्त पोषित और/अथवा नियंत्रित केन्द्र सरकार के विभागों और संगठनों में लेखन सामग्री और उनकी जरूरत की अन्य वस्तुओं की सारी स्थानीय खरीद एन.सी.सी.एफ., केन्द्रीय भंडार और सुपर बाजार से की जानी होती है। यदि ये एजेंसियां किसी विशिष्ट मद की आपूर्ति नहीं कर पाती हैं तो अन्य स्रोतों से स्थानीय खरीद की जा सकती है। ये अनुदेश रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के लिए अनिवार्य नहीं है। तथापि, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन सामान्यत: मदों की खरीद एन.सी.सी.एफ./केन्द्रीय भंडार के माध्यम से करता है।

(ख) रक्षा स्थापनाओं द्वारा इस तरह का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) एम.ई.एस. लेखन सामग्री और अन्य मदों के उपलब्ध होने और किसी स्टेशन पर एन.सी.सी.एफ./केन्द्रीय भंडार के अवस्थित होने पर निविदाएं जारी करने के बाद और दरों की तुलना के उपरांत एन.सी.सी.एफ./केन्द्रीय भंडार से खरीददारी कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दिल्ली में रक्षा स्थापनाओं द्वारा मदों की अधिप्राप्ति पहले से ही एन.सी.सी.एफ./केन्द्रीय भंडार से की जा रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण

1435. **श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में जारी सर्वेक्षणों की वर्तमान स्थिति क्या है और उनको पूरा करने के लिए क्या लक्षित तिथि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में खंडवा-दहोद के बीच नई रेल लाइन बिछाने और उज्जैन-इन्दौर रेल लाइन के विद्युतीकरण हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) उक्त परियोजनाओं पर कब तक कार्य शुरू किए जाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित सर्वेक्षण चल रहे हैं :–

(i) मालेगांव और धुले के रास्ते मनमाड से इंदौर तक नई लाइन।

(ii) शिरपुर से मऊ तक नई लाइन।

(iii) आमला तक विस्तार सहित फुलगांव-आरवी का आमान परिवर्तन।

(iv) बिश्रामपुर से जबलपुर तक नई लाइन।

(v) छिंदवाड़ा-नैनपुर का आमान परिवर्तन।

(vi) छिंदवाड़ा-नागपुर का आमान परिवर्तन।

(vii) भोपाल-बीना तीसरी लाइन।

उपर्युक्त सर्वेक्षण प्रगति के विभिन्न चरणों में है। क्रम सं. (iv) को छोड़कर सभी सर्वेक्षण 2003-04 के दौरान पूरे कर लिए जाने की संभावना है। बिश्रामपुर से जबलपुर तक नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण 2004-05 के दौरान पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेशन मास्टर

1436. **श्री बालकृष्ण चौहान** : क्या रेल मंत्री स्टेशन मास्टर के बारे में 21 अगस्त, 2003 के अतारांकित प्रश्न सं. 3690 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त प्रश्न के संबंध में सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सूचना कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों से अब इकट्ठी कर ली गई है। बहरहाल, आंकड़ों में कुछ खामियां/असंगति पाई गई हैं जिनका क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों के परामर्श से मिलान किया जा रहा है। मिलान की गई सूचना शीघ्र उपलब्ध हो जाने की संभावना है। इसे यथासंभव एकत्रित करने और प्रस्तुत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

तेलीचेरी में नए स्टेशन भवन का उपयोग

1437. **प्रो. ए.के. प्रेमाजम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दो वर्ष पूर्व तेलीचेरी (पालघाट डिवीजन) में नए स्टेशन भवन का उद्घाटन किया गया था पर अभी तक उसका यातायात के लिए उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे प्राधिकारीगण यातायात के लिए स्टेशन भवन का उपयोग करने हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) से (घ) नई स्टेशन इमारत के प्लेटफार्म पर गाड़ियां सम्हाली जा रही हैं। इस प्लेटफार्म पर भी एंट्री है। अन्य इनपुट उत्तरोत्तर प्रदान किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

बिहार में आई ओ सी एल द्वारा आशय पत्र जारी किया जाना

1438. **श्री राजो सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के उन खुदरा बिक्री केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है जिनके लिए कंपनी ने चयनित आवेदकों के लिए आशय पत्र (एल ओ आई) जारी किया था; और

(ख) ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या कितनी है जिनके लिए कंपनी ने भिन्न-भिन्न नाम से आवेदन फार्म बेचे और प्राप्त किए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 और 2003-04 (अक्तूबर, 2003 तक) के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने बिहार राज्य में अपने 86 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल पंपों) के लिए आशय पत्र जारी किए हैं जिन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित तेल उद्योग की विपणन योजना में शामिल किया गया था। इसी अवधि के दौरान कंपनी द्वारा इस राज्य में अपनी खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की नियुक्ति के लिए जारी किए गए विज्ञापनों की संख्या 128 थी।

[अनुवाद]

राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी से क्रय संबंधी वरीयता को वापस लेना

1439. **श्री अशोक ना. मोहोल** :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र में राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के पास उपलब्ध 10 प्रतिशत क्रय संबंधी वरीयता को वापस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को निम्न बोलीदाता की अपेक्षा 10 प्रतिशत और अधिक के हिसाब से अब तक कितने ठेके दिए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी वरीयता को वापस लेने के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी सुविधाओं को वापस लेने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (च) मौजूदा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादों और सेवाओं के लिए क्रय-वरीयता स्कीम संबंधी नीति 31.3.2004 तक चालू रहेगी। इसी बीच विद्युत परियोजनाओं की बोली के दौरान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाने के जरिए विद्युत की लागत को कम करने की दृष्टि से मामला दर मामला आधार पर जब कभी भी जरूरत हो, खतैद रियायत से विद्युत मंत्रालय के ऐसे प्रस्तावों से छूट प्रदान करने के लिए, स्कीम की सामान्य समीक्षा को लंबित करते हुए सरकार ने समग्र स्थिति की मंजूरी दी है और वित्त मंत्रालय को प्राधिकृत किया। सरकार ने पूरी स्थिति पर विचार किया तथा स्कीम की सामान्य समीक्षा न होने तक वित्त मंत्रालय को आवश्यकतानुसार मामला दर मामला आधार पर विद्युत मंत्रालय के ऐसे प्रस्तावों को क्रय वरीयता से छूट देने हेतु प्राधिकृत किया है।

विद्युत क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अपनी परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न पैकेजों का निष्पादन बोली प्रक्रिया के अनुसार करते हैं और जरूरत पड़ने पर पैकेजों के अन्य संबंधित घटकों का भी निष्पादन किया जाता है। सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बोली प्रक्रिया/ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निर्धारित किसी विशिष्ट अनुबंध के साथ नहीं जुड़ी है। मौजूदा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बोर्ड को गुण-दोष आधार पर बोली आदि की प्रक्रिया में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (दिसम्बर 2000 से नवंबर 2003) और पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (1.4.2000 से 30.11.2003), द्वारा 11-12 अनुबंध किए गए क्रय वरीयता पर विचार करने के पश्चात् एक आर्डर दमोदर वैली कारपोरेशन (अप्रैल 2001) द्वारा किया गया।

[हिन्दी]

शोलापुर-तुल्जापुर-उस्मानाबाद रेल लाइन का सर्वेक्षण

1440. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुल्जापुर होते हुए शोलापुर-उस्मानाबाद रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) इस पर अब तक कितनी धनराशि आवंटित और व्यय की गई है; और

(च) उक्त सर्वेक्षण कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कई सर्वेक्षण किए गए थे। इन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना है। इस सर्वेक्षण को अब शुरू करने की योजना है।

(ङ) अभी तक 3.64 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है और 31.03.2003 तक 3.44 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(च) सर्वेक्षण के 2004-05 में पूरा होने की संभावना है।

[अनुवाद]

वैगनों का आवंटन

1441. श्री खगेन दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा तक सीमेंट, नमक, गेहूं आदि ढोने

के लिए वैगनों के आवंटन हेतु संसद सदस्यों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यक संख्या की तुलना में बहुत कम वैगनों का आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो आवश्यक वस्तुओं को ढोने के लिए मांग के अनुरूप और अधिक वैगन के आवंटन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। यद्यपि समूचे देश से त्रिपुरा को विभिन्न वस्तुएं भेजने के लिए रेलवे मालडिब्बों की बेहद मांग है तथापि त्रिपुरा को आवश्यक वस्तुएं भेजने के लिए रेलवे मालडिब्बों की मांग पूरी कर रही है।

(ग) (1) रेलवे त्रिपुरा से धर्मानगर टर्मिनल को माल भेज रही है जो लमडिंग-बदरपुर मीटर गेज रेलवे सेक्शन पर है।

(2) लमडिंग-बदरपुर सेक्शन के लिए लदे हुए यातायात का लमडिंग स्टेशन पर बड़ी लाइन मालडिब्बों से मीटर लाइन मालडिब्बों में यानांतरण किया जाता है। लमडिंग-बदरपुर सेक्शन एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां कठिन भू-भाग तथा तीव्र ढलान हैं। लमडिंग यानांतरण टर्मिनल की यानांतरण क्षमता और लमडिंग-बदरपुर सेक्शन की यानांतरण क्षमता सीमित है।

पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में अक्टूबर, 2003 तक लमडिंग स्टेशन पर मालडिब्बों के यानांतरण में लगभग 10% की बढ़ोत्तरी हुई है।

लमडिंग यानांतरण प्वाइंट की यानांतरण क्षमता का 90% आवश्यक वस्तुओ जैसे खाद्यान्न, चीनी, सीमेंट, उर्वरक और नमक का यानांतरण करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

(3) त्रिपुरा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजना को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम के कार्यक्रम के अनुसार रेलवे खाद्यान्न के लदान के लिए मालडिब्बों की मांग पूर्णतः पूरी कर रही है।

(4) त्रिपुरा सरकार के अनुरोध पर, त्रिपुरा में नमक की कमी को दूर करने के लिए त्रिपुरा को जुलाई, 2003 से प्रतिमाह खाद्य आयोडाइज्ड नमक के एक रेक का लदान किया जा रहा है।

दत्तक केंद्रों की दयनीय दशा

1442. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे दत्तक केंद्रों की दयनीय दशा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार सभी राज्यों में मौजूद दत्तक केंद्रों के उन्नयन हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है या किसी राज्य सरकार ने इन दत्तक केंद्रों के लिए ऐसी सहायता का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) और (ख) भारत सरकार को ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) देश के अंदर बाल दत्तक संवर्द्धन के लिए शिशु गृहों को सहायता की स्कीम के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित शिशु गृहों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। तथापि, वर्ष 2001-02 से राज्य सरकार की एजेंसियों को भी सहायता उपलब्ध करायी जाती है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने सहायता के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। इन राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। स्कीम के तहत निर्धारित पात्रता मानदंड दिशा-निर्देशों के आधार पर, प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	प्रस्ताव का ब्यौरा	सम्मिलित धनराशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	शिशु गृह की 25 ईकाइयों के लिए मांगा गया सहायता अनुदान	1.5 करोड़ रुपए

1	2	3	4
2.	गुजरात	शिशु गृह की 11 ईकाइयों के लिए मांगा गया सहायता अनुदान	66 लाख रुपए
3.	मणिपुर	शिशु गृह की 5 ईकाइयों के लिए मांगा गया सहायता अनुदान	33.15 लाख रुपए
4.	राजस्थान	शिशु गृह की 5 ईकाइयों के लिए मांगा गया सहायता अनुदान	30 लाख रुपए
5.	मिजोरम	शिशु गृह की 1 इकाई के लिए मांगा गया सहायता अनुदान	6.63 लाख रुपए
6.	उत्तर प्रदेश	शिशु गृह की 2 ईकाइयों के लिए मांगा गया सहायता अनुदान	13.26 लाख रुपए

"होलीडे स्पेशल" रेलगाड़ियां

1443. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े दिन और नए वर्ष की अवधि के दौरान "होलीडे/स्पेशल" रेलगाड़िया चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलगाड़ी-वार ये रेलगाड़ियां कहां से चल कर कहां समाप्त होंगी;

(ग) क्या सरकार ने बड़े दिन की अवधि के दौरान मुंबई और गोवा के लिए कोई विशेष पैकेज शुरू किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) और (ख) अतिरिक्त भीड़-भाड़ की निकासी के लिए विशेष गाड़ियों की व्यवस्था करना गाड़ियों की संख्या बढ़ाना एक सतत् प्रकिया है। क्रिसमस और नव वर्ष सहित शीतकाल में प्रति वर्ष रेलें यातायात की मांग, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विशेष गाड़ियां चलाती हैं। 21.12.2003 से 3.1.2004 तक मुंबई और मडगांव के बीच एक दैनिक विशेष गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बेनामी पेट्रोलियम पम्प और रसोई गैस एजेंसियां

1444. श्री रतन लाल कटारिया :
श्री परसुराम माझी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ दबंग लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को आबंटित की जाने वाली बेनामी पेट्रोल पम्प, रसोई गैस एजेंसियां और मिट्टी तेल एजेंसियां प्राप्त कर लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई है कि इन एजेंसियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के प्रावधान का कोई व्यक्ति दुरुपयोग न करे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ङ) चुनिंदा उम्मीदवारों को डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रदान करने में एक ऐसी प्रक्रिया संबद्ध होती है, जिसमें अनाधिकृत व्यक्तियों को डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन न होने देने के लिए व्यवस्था होती है। इसके अलावा संबंधित तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों द्वारा डीलरशिपों/डिस्ट्रब्यूटरशिपों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी सहित सभी श्रेणियों के लोगों को इस प्रकार आबंटित डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का नियंत्रण न ले सके।

इसके बावजूद तेल विपणन कंपनियों के सामने समय-समय पर बेनामी रूप से चलाई जा रही डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के मामले आते हैं। ऐसे मामलों की जांच की जाती है और तेल विपणन कंपनियां डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करारों के अनुसार ऐसी डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विरुद्ध कार्रवाई करती हैं।

[हिन्दी]

बिहार में पनविद्युत परियोजनाएं

1445. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास बिहार में इंदपुरी जलाशय योजना के अंतर्गत 450 मेगावाट की क्षमता वाली पनविद्युत योजना का क्रियान्वयन लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने उक्त विद्युत योजना का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार की धनराशि से क्रियान्वित करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन के लिए संबंधित राज्यों से सहमति लेने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु क्या कार्रवाई की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) बिहार इन्द्रपुरी जलाशय योजना (5x90 मेगावाट) जो कि पहले कडवाल जल विद्युत परियोजना के नाम से जानी जाती थी, बिहार, उत्तर प्रदेश झारखण्ड और मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) के बीच अन्त: राज्य पहलुओं को शामिल करती है जिन्हें परियोजना प्राधिकरणों द्वारा निश्चित किए जाने की आवश्यकता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में बैठकें की गई हैं और मामले को राज्य सरकारों के साथ उनकी सहमति लेने के लिए उठाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने परियोजना के निष्पादन के लिए अपनी सहमति दी थी। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजना के निष्पादन के लिए अनुमोदन ''सिद्धान्त में'' प्रदान न करने का निर्णय व्यक्त किया है। झारखण्ड सरकार ने मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। बिहार सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को कुछ विशिष्ट सूचनाएं/आंकड़े उपलब्ध कराने हैं।

मारूति उद्योग लि. द्वारा निर्यात

1446. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002 के दौरान मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा किए गए इसके कुल उत्पादन में से निर्यात की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या इस वर्ष इस निर्यात लक्ष्य को कम किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रतिशतता कितनी है और इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार; : (क) मारूति उद्योग लिमिटेड के अनुसार वर्ष 2002-2003 के दौरान कंपनी द्वारा निर्माण किये गये कुल वाहनों की संख्या के 8.7% प्रतिशत निर्यात की गणना की गयी है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

घनी शहरी आबादी में सेना छावनी बोर्डों का कार्यकरण

1447. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घनी शहरी आबादी और प्रमुख नगर निगम/बोर्ड क्षेत्रों में अभी भी कार्य कर रहे सेना छावनी बोर्डों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार यह महसूस करती है कि पृथक छावनी की वर्तमान प्रणाली की उपयोगिता समाप्त हो गई है और उसका शासन गैर-लोकतांत्रिक हो गया है;

(ग) क्या सरकार उन छावनी बोर्डों को खत्म/परिवर्तित करने और उनका स्थानीय नगर-निगमों/निकायों के साथ विलय करने पर विचार करेगी जिका चुनाव लोकतांत्रिक होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) देश में 62 छावनियां हैं। छावनी परिषदों में चुने गए और नामित किए गए सदस्य होते हैं। छावनी परिषदें छावनियों में सैनिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और सफाई सुनिश्चित किए जाने के मद्देनजर नगरपालिका की विशिष्ट ड्यूटियों के लिए छावनी अधिनियम 1924 के प्रावधान के तहत् बनाई गई थीं। छावनियां आस-पास के नगर निकायों की तुलना में कम घनी होती हैं।

छावनियों को समाप्त/परिवर्तित करने अथवा उनका स्थानीय नगर निगमों/निकायों के साथ विलय करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय फिल्मों/ कलाकारों पर प्रतिबंध

1448. श्री राजैया मल्याला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में आयोजित दक्षेस सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंधों का मुद्दा पाकिस्तान के समक्ष उठाया है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले भारतीय कलाकारों पर प्रतिबंध का मुद्दा भी उठाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त मुद्दों पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) द्विपक्षीय मुद्दों को दक्षेस मंचों में नहीं उठाया जाता है। तथापि, भारतीय फिल्म विभूतियों को, दक्षेस मंत्रियों को अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए अनौपचारिक स्तर पर उनके साथ वार्ता का अवसर अवश्य मिला था।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए जेट की खरीद

1449. श्री प्रबोध पण्डा :

श्री रूपचंद मुर्मू :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अतिविशिष्ट व्यक्तियों को ब्राजील की एम्ब्रोर से पांच एक्जीक्यूटिव जेट विमान प्राप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) ऐसे जेटों को प्राप्त करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। खरीद के लिए संविदा पर 19 सितम्बर, 2003 को हस्ताक्षर किए गए हैं। चार जेट विमान भारतीय वायुसेना के लिए हैं और एक सीमा सुरक्षा बल के लिए है।

(ग) आवश्यक बजटीय आबंटन किया गया है।

(घ) एक्जीक्यूटिव जेट विमानों के अर्जन से भारतीय वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल, आधुनिक मार्गनिर्देशन सहायता से सुसज्जित विमानों में दौरा करने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों और विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षित और दक्षतापूर्वक लाने ले-जाने में समर्थ होंगे।

कम्युनिटी रेडियो के लिए लाइसेंस

1450. श्री अम्बरीश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों और आवासीय विद्यालयों को कम्युनिटी रेडियो हेतु लाइसेंस प्रदान किए जाने है;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस हेतु आवेदन करने वाले विश्वविद्यालयों तथा आवासीय विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन विश्वविद्यालयों और आवासीय विद्यालयों को लाइसेंस दिए गए हैं;

(घ) क्या कुछ विश्वविद्यालयों और आवासीय विद्यालयों को लाइसेंस नहीं दिया गया है अथवा ऐसे लाइसेंस हेतु उनके अनुरोधों को अस्वीकृत कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) सरकार ने इस मंत्रालय की वेबसाइट: www.mib.nic.in पर उपलब्ध दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों और प्रौद्योगिकी/प्रबन्धन संस्थानों सहित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों को अल्प शक्ति एफ एम सामुदायिक रेडियो केन्द्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने का निर्णय लिया है।

(ख) से (ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है। तथापि, दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित संस्थानों के आवेदनों को लाइसेंस देने के योग्य नहीं पाया गया :-

(i) जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू (ii) कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर (iii) न्यू लाइट, क्योंझर (iv) बुल्डाना शहरी परमार्थ सोसाइटी, बुल्डाना।

विवरण

सामुदायिक रेडियो केन्द्रों के लिए आवेदनों की सूची

1. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर
2. सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात
3. डी मी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, कौट्टायम, केरल
4. ए जे के मास कम्युनिकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली
5. वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली राजस्थान
6. यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू
7. ए वी आर सी, अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई
8. शुभलक्ष्मी कालेज ऑफ साइंस, मदुरै
9. पी जी कालेज, गाजीपुर
10. डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एंड ट्रेनिंग, पांडिचेरी
11. श्री मानकुला विनयनगर इंजीनियरिंग कालेज, पांडिचेरी
12. नूरूल इस्लाम कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, कुमारकोयल, कन्याकुमारी
13. न्यू लाइट क्योंझर, उड़ीसा
14. इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली
15. स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, पटना
16. एस डी पब्लिक स्कूल, मुजफ्फर नगर
17. जान्सस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कोयम्बटूर
18. जी डी सावंत, आर्टस, कामर्स एंड बी सी एस कालेज, नासिक
19. सेंट, सोल्जर एजूकेशन सोसायटी, नई दिल्ली
20. आई आई टी टी कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, नवांशहर, पंजाब
21. बी वी भुमारेडी कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल, हुबली कर्नाटक
22. फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे
23. जगतगुरू टोंटादर्या कालेज गदग-वेटजेरी, कर्नाटक
24. ग्रेट कमीशन किट्स एकेडमी, दीमापुर नागालैंड
25. कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर
26. अनम वल्लभ गर्ल्स कालेज, श्रीगंगानगर, राजस्थान
27. अथवेल कालेज ऑफ सोसल वर्क, भंडारा महाराष्ट्र
28. कुमाऊं इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट उत्तरांचल
29. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट (मैनेज) हैदराबाद
30. लक्ष्मी मैट्रीकुलेशन स्कूल, श्रीरूनाथुर, तमिलनाडु
31. सिटी मोंटेसरी स्कूल, गोमतीनगर, लखनऊ

32. सिटी मोंटेसरी स्कूल, स्टेशनरोड, लखनऊ

33. सी एम एस डिग्री कालेज, एल डी ए कालोनी, लखनऊ

34. जोधपुर इंजीनियरिंग कालेज एंड रिसर्च सेंटर, जोधपुर, राजस्थान

35. भक्तिकला, मुम्बई

36. हिन्दुस्तान कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, चेन्नई

37. बुल्दाना अर्बन चेरिटेबल सोसायटी बुल्दाना, महाराष्ट्र

38. इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जयपुर

39. गोदावरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, राजमुंदरी, आन्ध्र प्रदेश

[हिन्दी]

झारखंड में लघु जलविद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन

1451. **श्री प्रदीप यादव :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत की कमी को देखते हुए झारखंड में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से लघु जलविद्युत उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (ग) जी हां। सरकार लघु पनबिजली (एसएचपी) परियोजनाओं की स्थापना के माध्यम से विद्युत संभाव्यता के दोहन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करा रही है। इनमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयारी के लिए प्रोत्साहन और एसएचपी परियोजनाओं की स्थापना के लिए सब्सिडी शामिल हैं। झारखंड में लगभग 170 मेवा. की समग्र क्षमता के साथ 89 संभाव्य स्थलों की पहचान की गई है। अब तक राज्य में 4.05 मेवा. की समग्र क्षमता की 6 एसएचपी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं और 34.85 मेवा. की समग्र क्षमता की 8 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

बम निष्क्रिय करने के लिए उपस्कर का विकास

1452. **डा. अधीर चौधरी :**
श्री भास्करराव पाटील :
डा. चरण दास महंत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे उपस्कर का विकास कर लिया गया है जो बम को विस्फोट से पहले निष्क्रिय कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त उपस्कर के परीक्षण कितने सफल रहे हैं; और

(घ) इस उपस्कर की संभावित लागत कितनी है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा इलेक्ट्रोनिक काउंटर मेजर (ई सी एम) पर आधारित एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण का विकास किया गया है जो कि वाहनों के काफिले की सुरक्षा करने के लिए दूर नियंत्रित तात्कालिक विस्फोट उपकरण (आर सी आई ई डी) को अस्थाई रूप से निष्क्रिय कर सकता है।

(ग) सेना द्वारा इस उपकरण का सफलतापूर्वक मूल्यांकन किए जाने के बाद इसे सेवा में शामिल कर लिया गया है।

(घ) प्रत्येक उपकरण की लागत 30 लाख रुपए है।

शिया/सुन्नी वक्फ बोर्डों को अनुदान

1453. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों को सरकार से वार्षिक अनुदान मिलता है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक को पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी अनुदान राशि दी गई;

(ग) क्या वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी इस संबंध में प्रतिबंध होने के बावजूद कुछ कब्रिस्तानों की भूमि

विशेषकर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भूमि को पट्टे पर दे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है और वक्फ बोर्डों से सम्बद्ध दोषी कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकार शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों को कोई अनुदान नहीं देती है। तथापि, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, संलग्न विवरण के अनुसार, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों को वार्षिक अनुदान दिया जाता है।

(ग) और (घ) वक्फ बोर्डों के किसी अध्यक्ष और किसी भी पदाधिकारी ने कब्रिस्तानों की भूमि को पट्टे पर नहीं दिया है। तथापि, पूर्व पंजाब वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान के संचालन के लिए 5186.20 वर्ग गज क्षेत्र आरक्षित रखते हुए, अखाड़ा बाजार के अंदर, कुल्लू स्थित खसरा संख्या 1726 का कुछ हिस्सा 12 विभिन्न व्यक्तियों को पट्टे पर दिया था। यह हिस्सा कब्रिस्तान से सटा हुआ है।

विवरण

राज्य	वर्षवार (लाख रुपये)	
	2001-02	2002-03
1	2	3
आंध्र प्रदेश	512	476
अंडमान और निकोबार	6.00	7.565
अरुणाचल प्रदश	शून्य	शून्य
असम	4.60	4.60
बिहार	5.00	(शिया वक्फ बोर्ड हेतु)
	15.00	(सुन्नी वक्फ बोर्ड हेतु)
दिल्ली	44.00	20.00
गोवा	शून्य	शून्य
गुजरात	शून्य	शून्य
हरियाणा	शून्य	शून्य
हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
कर्नाटक	415	610
केरल	20	20
लक्षद्वीप	15	15
मध्य प्रदेश	57.45	60.00
महाराष्ट्र	शून्य	शून्य
मणिपुर	3.00	5.00
मेघालय	0.123	0.123
उड़ीसा	11.10	14.00
पांडिचेरी	25.00	30.00
पंजाब	शून्य	शून्य
राजस्थान	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	45.00	45.00
त्रिपुरा	39.00	शून्य
उत्तर प्रदेश	40.50	25.80 (सुन्नी वक्फ बोर्ड)*
	3.07	5.34 (शिया वक्फ बोर्ड)
पश्चिम बंगाल	48.88	53.93
दमन	शून्य	शून्य

1	2	3
दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य
मिजोरम	शून्य	शून्य
चंडीगढ़	शून्य	शून्य
नागालैंड	शून्य	शून्य
सिक्किम	शून्य	शून्य

*शिया और सुन्नी अलग-अलग वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश और बिहार में ही गठित किए गए हैं।

[अनुवाद]

मानसा में उपरिगामी/अधोगामी सेतु

1454. श्री भान सिंह भौरा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानसा, पंजाब में उपरिगामी/अधोगामी सेतु परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके लिए अब तक कितनी राशि आबंटित की गई है और इस पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) कथित परियोजना को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) और (ख) मानसा के नजदीक 245-92 कि.मी. पर एल सी स. बी-208 के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की स्वीकृति पहले ही 2003-04 के निर्माण कार्यक्रम में दी जा चुकी है और वर्ष के दौरान 10 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। रेलवे पुल का निर्माण (रेलपथ पर पुल) करेगी और पहुंच मार्ग का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मानसा में समपार सं. 206 के बदले निचले सड़क पुल का निर्माण करने का भी प्रस्ताव था। बहरहाल, इसकी गैर-व्यवहार्यता को देखते हुए, जैसा कि अप्रैल, 2003 में उन्होंने बताया, इस प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है।

(ग) ऊपरी सड़क पुल का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले पहुंच मार्ग के कार्य को पूरा होने पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्ग को पूरा करने के साथ-साथ रेलवे अपने हिस्से का कार्य (रेलपथ पर पुल) पूरा करेगी।

सिनेमाघरों में पर्यावरण पर स्लाइड

1455. डा. डी.वी.जी. शंकर राव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर कम से कम दो स्लाइडों का निःशुल्क प्रदर्शन करना सिनेमाघरों के लिए अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी सिनेमाघर आदेशों का अनुपालन कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) रिट याचिका (सिविल) संख्या 860/1991-एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 22.11.1991 के आदेश में निहित निदेशों के अनुसार सभी सिनेमा हॉलों, भ्रमणकारी सिनेमा और वीडियो पार्लर के लिए उनके द्वारा दिखाई जाने वाले प्रत्येक शो में पर्यावरण पर कम से कम दो स्लाइड/संदेश निशुल्क दिखाना अनिवार्य है।

(ख) और (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय, जिसके कार्यक्षेत्र में यह विषय आता है, द्वारा यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2000 के उसके उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन की सूचना दी है। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 26 फरवरी, 2003 के अपने आदेश में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया है कि वे अपने-अपने मुख्य सचिवों/प्रशासकों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन की स्थिति रिपोर्ट दर्ज करें।

कोकराझार के लिए एच.पी.टी.

1456. श्री सानजुम्मा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** कोकराझार के लिए एच.पी.टी. सुविधाओं के बारे में 14.08.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3231 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सक्षम प्राधिकारी ने उत्पादन और अन्य सुविधाओं से

युक्त उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान कोकराझार दूरदर्शन/आकाशवाणी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी और जारी की गयी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) कोकराझार स्थित मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर का उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में उन्नयन करने की स्कीम को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज में शामिल किया जाता है जिसको सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी भी अनुमोदित किया जाना है। कोकराझार में निर्माण संबंधी सुविधाओं को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को अनुमोदित को किए जाने के पश्चात् उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कोकराझार के लिए निधियां आबंटित की जाएगी। गत पांच वर्षों के दौरान आकाशवाणी कोकराझार के लिए 221.09 लाख रुपये की राशि आबंटित की गयी थी जिसमें से 200.20 लाख रुपये निर्मुक्त किए गए थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुविधाओं के प्रसार एवं उन्नयन हेतु गत पांच वर्षों के दौरान निर्मुक्त/व्ययित राशि क्रमश: 74.03 करोड़ और 118.34 करोड़ रुपये थी।

रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजाओं की स्थापना

1457. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने यात्रियों को उपलब्ध कराए जा रहे हाइजैनिक और पोषक तत्वों से भरपूर फास्ट फूड की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजाओं की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये स्टेशन कौन-कौन से हैं;

(ग) ऐसे फूड प्लाजाओं को कौन-कौन से स्टेशनों पर स्थापित करने की संभावना है; और

(घ) यात्रियों को हाइजैनिक और पोषक खाद्य उपलब्ध कराने के लिए और कौन-से उपायों पर विचार किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) और (ख) जी हां। अभी तक 13 फूड प्लाजा (1) पुणे (2) चेन्नई (3) मुंबई सेंट्रल (4) दिल्ली (5) निजामुद्दीन (6) इलाहाबाद (7) हावड़ा (8) विशाखापत्तनम (9) रांची (10) कुरसिआंग (11) पटना-2 अदद (12) टाटा नगर स्टेशनों पर शुरू किये जा चुके हैं।

(ग) अन्य स्टेशनों, जहां फूड प्लाजा खोले जाने की संभावना है, के नाम हैं, नागपुर, आगरा, बोरीवली, चर्चगेट, जयपुर, अमृतसर, जम्मू, लुधियाना, कानपुर, बिलासपुर, घुम, राजेन्द्र नगर, बैंगलोर, मदुरै, त्रिचूर, त्रिची, कोयम्बटूर, एर्णाकुलम, एर्णाकुलम टाउन, त्रिवेन्द्रम, चेन्नई, चेन्नई पार्क, चेन्नई एग्मूर, शौरुवण्णूर, विजयवाड़ा, तिरुपति, राजामुंद्री और जेम्स स्ट्रीट (हैदराबाद)।

(घ) भारतीय रेलों पर खानपान सेवा का उन्नयन करने और उन्हें व्यावसायिक बनाने की दृष्टि से रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लि. (आई आर सी टी सी) की स्थापना की है। इसके अलावा, स्टेशनों पर कोल्ड ड्रिंक्स/चाय और कॉफी की व्यवस्था करने हेतु स्वचालित वेंडिंग मशीनें स्थापित करने, चाय और कॉफी देने के लिए पेपर कप इस्तेमाल करने, यात्रियों को थ्री-पीस केसरोल में भोजन देने, पैंट्री कार के साथ-साथ स्टेशनों पर कचरों के निपटान हेतु कूड़ेदान की व्यवस्था करने और रेल नीर आदि शुरू करने के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा उपाय किए गए हैं। जहां कहीं रेल नीर अभी उपलब्ध नहीं है, वहां भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन वाले अनुमोदित ब्रांड के पैक किये हुए पेयजल की बिक्री की जाती है।

पश्चिम बंगाल में लंबित रेल परियोजनाएं

1458. **श्री रूपचंद मुर्मू** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है जिन्हें बाद में बजट में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दसवीं योजना में अतिरिक्त धनराशि जुटाने का है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(घ) सरकार ने लंबित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित धनराशि जुटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) नौवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में ग्यारह परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण पूरे किए गए थे लेकिन निष्पादन शुरू नहीं किया जा सका।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए संसाधन बढ़ाने के लिए बहुत-से उपाय किए गए हैं। इनमें राज्य सरकारों की भागीदारी सार्वजनिक/निजी भागीदारी, रक्षा मंत्रालय से वित्त पोषण और राष्ट्रीय रेल विकास योजना के लिए निधियां शामिल हैं। इन प्रयासों से चल रही परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाना संभव हो सकता है।

[हिन्दी]

विज्ञापन/कार्यक्रम संहिता संबंधी समिति

1459. **श्री निखिल कुमार चौधरी :**
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव निजी टी.वी. चैनलों पर उपभोक्ता सामानों के विज्ञापनों में अश्लीलता का सहारा लेने वाली कम्पनियों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सैटेलाइट टी.वी. चैनलों द्वारा कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन का निरीक्षण करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) बार-बार उल्लंघन करने वालों पर लगाये गये जुर्माने का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन के वाणिज्यिक विज्ञापन के लिए संहिताओं और केबल सेवा के जरिये प्रसारित टी. वी. चैनलों के लिए लागू विज्ञापन संहिता में अश्लीलता के विरुद्ध पूर्वोपाय अंतर्निहित हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा-20 के अन्तर्गत केबल सेवा के जरिये प्रसारित विज्ञापनों और कार्यक्रम के संबंध में 'विज्ञापन संहिता' और 'कार्यक्रम संहिता' के उल्लंघन की जांच करने के लिए अन्तर-मंत्रालयीय समितियां गठित की गई हैं।

(घ) और (ङ) टेम्पटेशन आइलैंड, कविता, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, राम खिलावन सी एम 'एन' फैमिली तथा डरावने धारावाहिकों से संबंधित मामला कार्यक्रम समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समिति की सिफारिशों पर चैनलों को धारावाहिक ''टेम्पटेशन आइलैंड'' को और ''कविता'' को एक विशेष कड़ी को प्रसारित/पुन:प्रसारित न करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। सभी चैनलों से सुस्पष्ट चेतावनियों के साथ ''श्श्श....कोई है'' जैसे डरावने धारावाहिकों का प्रसारण सप्ताह के दिनों में रात्रि 10.00 बजे के बाद करने के लिए और साप्ताहांतों को ऐसे कार्यक्रम प्रसारित न करने के लिए कहा गया था। इंडियन ब्राडकास्टिंग फाउंडेशन को इसके सदस्य चैनलों द्वारा कार्यक्रम संहिता के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश देने हेतु सलाह भी दी गई थी। यह एक सतत प्रक्रिया है। उल्लंघनों की पुनरावृत्तियों की कोई सूचना नहीं मिली है।

दूरदर्शन द्वारा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन

1460. **श्री शिवाजी माने :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर धारावाहिकों को अनुमति देने में किन दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है;

(ख) क्या इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है/करने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि ''प्रायोजित श्रेणी'' और ''कमीशन श्रेणी'' के अंतर्गत टी.वी. कार्यक्रमों/धारावाहिकों के प्रसारण हेतु बाह्य निर्माताओं से प्रस्तावों पर विचार करने, उन पर कार्रवाई करने और उनका अनुमोदन करने के लिए दिशा-निर्देश हैं। ये दिशा-निर्देश दूरदर्शन की वेबसाइट: www.ddindia.com पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आपवादिक मामलों में जहां पर उच्च स्तरीय प्रायोजित कार्यक्रमों को चैनल ड्राइवर के रूप में आवश्यकता होती है, धारावाहिक की संकल्पना व विषय-वस्तु, निर्माता/निर्माण-गृह के स्तर कार्यक्रम का निर्माण और तकनीकी गुणवत्ता तथा बाजार की संभावनाओं आदि को ध्यान में रखकर दिशा-निर्देशों को शिथिल करते हुए प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति/प्रसार भारती बोर्ड से संपर्क साधा जाता है।

[अनुवाद]

गुजरात में रेल परियोजनाएं

1461. **श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :**
श्री सवशीभाई मकवाना :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :
श्री जी.जे. जावीया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में नई/चालू और लंबित रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन्हें पूरा करने के लिए परियोजनावार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) परियोजनावार अब तक कितना धन आबंटित किया गया है और इन पर कितना धन व्यय हुआ है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुछ परियोजनाओं के कार्य में निर्धारित समय से ज्यादा विलंब हो रहा है;

(च) यदि हां, तो सरकार ने इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(छ) क्या सरकार को गुजरात में नई रेल परियोजनाओं के लिए भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) और (ख) स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) बीच की अवधि में आम मूल्य वृद्धि, स्थल की आवश्यकताओं के अनुसार मानकों और कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन के कारण परियोजना की प्रत्याशित लागत में मूल्य लागत की तुलना में वृद्धि हुई है। खर्च स्वीकृत लागत के भीतर और मुहैया कराए गए बजट परिव्यय और सह-भागीदारों से प्राप्त निधियों के अनुसार है।

(ङ) और (च) परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर हैं। चल रही परियोजनाओं के शीघ्र समापन के लिए संसाधन बढ़ाने के बहुत से उपाय किए गए हैं। इनमें राज्य सरकारों, सार्वजनिक/निजी भागीदारी, रक्षा मंत्रालय से वित्त पोषण, उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला राष्ट्रीय परियोजना के लिए अतिरिक्त संसाधन और राष्ट्रीय रेल विकास योजना के लिए निधियां शामिल हैं। इन प्रयासों से परियोजनाओं की प्रगति तेज करना व्यावहारिक हो सकता है।

(छ) और (ज) स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

(क) और (ख) नई/चल रही और लंबित परियोजनाएं और आबंटित धन, किया गया खर्च और पूरा करने की निर्धारित लक्ष्य तिथि इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	परियोजना	बजट में शामिल करने का वर्ष	लागत	मार्च, 2003 तक प्रत्याशित खर्च	बजट परिव्यय 2003-04	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
	नई लाइनें					
1.	गांधीनगर-अदरेज मोती-कलोल	2000-01	49.96	10	15	45 हेक्टेयर में से 30 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत कर ली गई है। मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। अदरेज मोती-कलोल के आमान परिवर्तन सहित सम्पूर्ण परियोजना को 2004-05 के दौरान पूरा करने की योजना है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
2.	गोधरा-इंदौर और देवास-मकसी	1989-90	900	59.73	20	यह कार्य चरणों में किया जा रहा है। देवास-मकसी (36 कि.मी.) पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है। शेष खंडों पर कार्य पूरा करने के लिए आरंभिक व्यवस्था की जा रही है।
	आमान परिवर्तन					
3.	गांधीधाम-पालनपुर	1998-99	344.63	25.57	100	मिट्टी, पुल और गिट्टी संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है और प्रगति के विभिन्न चरणों में है। परियोजना राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत शामिल है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस परियोजना को आगामी 2-3 वर्षों में पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
4.	पिपावाव और सिहोर-पालीताना तक विस्तार सहित सुरेन्द्रनगर-भावनगर-राजुला-महुवा	1996-97	372	157.04	15	पिपावाव से संपर्क सहित सुरेन्द्रनगर से राजुला तक मुख्य लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है। धोला-भावनगर, सिहोर-पालिताना और राजुला-महुवा के आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है। धोला-भावनगर और राजुला-महुवा को 2003-04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6	7
5.	राजकोट-वेरावल-वंसजलिया से जेतलसर तक विस्तार में महत्वपूर्ण आशोधन सहित	1994-95	359.8	116.75	35	राजकोट-जूनागढ़ खंड का कार्य (103 कि.मी.) पूरा हो गया है। मुख्य लाइन के शेष भाग पर भी कार्य प्रगति पर है और 2003-04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। वंसजलिया-जेतलसर का आमान परिवर्तन शुरू किया गया तथा इस कार्य को महत्वपूर्ण आशोधन प्रगति पर है।
6.	भिलड़ी-वीरमगाम	1990-91	134.8	17.15	1	परियोजना में वीरमगाम से पाटन का आमान परिवर्तन और पाटन और भिलड़ी के बीच 52.64 कि.मी. नई लाइन का निर्माण कार्य शामिल है। वीरमगाम से मेहसाना (65 कि.मी.) पर मिट्टी, पुल और गिट्टी का कार्य प्रगति पर है। गिट्टियों की शेष मात्रा की आपूर्ति, रेलपथ संपर्क, सिगनल और दूरसंचार कार्य बोट (निर्माण, स्वामित्व और हस्तांतरण) के अंतर्गत वीरमगाम-मेहसाणा परियोजना लि. (वी एम पी एल) द्वारा किया जा रहा है। बोट के अंतर्गत कार्य 27.7.2003 को शुरू हो गया है और 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है जो बोट ठेकेदार की प्रगति पर निर्भर करेगा।
7.	फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद	1993-94	637.35	632.35	1	कार्य पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है। अहमदाबाद यार्ड के ढांचे में परिवर्तन के अवशिष्ट कार्य प्रगति पर हैं। रेवाड़ी-दिल्ली (82.5 कि.मी.) का आमान परिवर्तन भी इस कार्य का भाग है जहां तल्प कार्य पूरे हो गए हैं। परिवर्तन साथ के मीटर गेज खंडों के परिवर्तन से जुड़ा है।
8.	भिलड़ी-ममदड़ी	1990-91	244.74	1.87	30	यह कार्य 1990-91 में कांडला-बठिंडा रेल संपर्क के भाग के रूप में स्वीकृत किया गया था। कार्य को पूर्व में दिल्ली-अहमदाबाद के आमान परिवर्तन के दृष्टिगत निचली प्राथमिकता दी गई थी। गिट्टी आपूर्ति और सिविल कार्य के लिए निविदाओं पर कार्रवाई चल रही है। राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
	दोहरीकरण					
12.	सूरत-कोसाम्बा (चरण-I)	2000-01	49	0.1	5	यह परियोजना निम्न परिचालनिक प्राथमिकता के अनुसार विनियमित की जा रही है।

विवरण-II

(छ) और (ज) नई परियोजना के निर्माण की प्रत्येक मांग का रिकार्ड नहीं रखा जाता है। बहरहाल, गुजरात राज्य में पिछले कुछ वर्षों में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा प्राप्त कुछ प्रस्ताव इस प्रकार हैं :-

क्रमांक	प्रस्ताव	की गई कार्रवाई
	नई लाइन	
1.	गांधीनगर-अदरेज मोती	कार्य बजट 2000-2001 में शामिल।
2.	वेरावल-सोमनाथ-कोडिनार	वेरावल से सोमनाथ नई लाइन कार्य शुरू कर दिया गया है।
3.	सुरेन्द्रनगर-लिम्बडी-लोलिया-वडगांव-खम्बात-कावि-जम्बूसर-भरूच और सुरेन्द्रनगर-लिम्बडी-बगोदरा-खम्बात-भरूच	सुरेन्द्रनगर-लिम्बडी पर कार्य पूरा हो गया है। चल रही परियोजनाओं के भारी ग्रो फारवर्ड और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के दृष्टिगत इस प्रस्ताव के शेष भाग पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।
4.	मोडासा से तितोई तक रेल लाइन का विस्तार	सर्वेक्षण पूरा हो गया और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
5.	खराघोडा-संतालपुर	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
6.	धोलेरा पोर्ट-भावनगर पोर्ट	धोलेरा के रास्ते भावनगर से तारापुर तक सर्वेक्षण प्रगति पर है।
7.	हजीरा पोर्ट न्यू लाइन तक विस्तार	गुजरात मेरिटाइम बोर्ड की ओर से राइट्स द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।
8.	भावनगर-तारापुर	सर्वेक्षण प्रगति पर है।

उपरोक्त के अलावा, नई लाइनों के निर्माण के निम्नलिखित प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। बहरहाल, चल रहे निर्माण कार्यों के भारी ग्रो फारवर्ड और संसाधनों की तंगी के दृष्टिगत प्रस्तावित परियोजनाएं शुरू करना व्यावहारिक नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव इस प्रकार हैं :-

1. पोरबंदर-पोरबंदर पोर्ट
2. न्यू झापा-दहिंसरा
3. तरंगा हिल/खेदब्रह्मा से अम्बाजी और आबू रोड तक रेल लाइन का विस्तार
4. सुरेन्द्रनगर-पिपावाव रेल लाइन का जाफराबाद तक विस्तार
5. अमरेली-लिलिया मोटा
6. मरेठ-विना-नडियाड-वासो-ढोलका-सुरेन्द्रनगर
7. राधांपुर-हरीज चनास्मा-मेहसाना
8. राधांपुर-सामी शंखेश्वर-वीरमगांव
9. राधांपुर-थराड-सांचोर-जोधपुर
10. धोलावीरा-रापड-टिकार-हडावाड-मालवां-अहमदाबाद
11. धोलेरा पोर्ट-सुरेन्द्रनगर

रंगिया जंक्शन और मुखौंगसेलेक के बीच छोटी लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन

1462. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसिमुथियारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रंगिया जंक्शन और मुखौंगसेलेक के बीच छोटी लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त परियोजना के कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) से (घ) मांगों के आधार पर रंगिया से मुखौंगसेलेक और इससे संबद्ध रेल लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन किया गया है। आवश्यक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होने और कार्य को बजट में शामिल करने के बाद इस कार्य को शुरू किया जाएगा।

गुजरात में जल विद्युत परियोजना की स्थापना

1463. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का गुजरात में जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अंतिम निर्णय के कब तक लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) वर्तमान में, गुजरात में स्थापित करने के लिए कोई जल विद्युत परियोजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दुर्घटना से संबंधित समाचारों के त्वरित प्रसारण के लिए संचार नेटवर्क

1464. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास दुर्घटना और रेलवे से संबंधित अन्य अनहोनी घटनाओं की तत्काल सूचना देने के लिए अपना कोई संचार नेटवर्क नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे, दुर्घटनाओं आदि के बारे में जानने के लिए पूर्णत: इलैक्ट्रानिक मीडिया पर निर्भर है; और

(घ) यदि हां, तो रेल दुर्घटनाओं आदि से संबंधित समाचार और जानकारी को त्वरित रूप से प्रसारित करने के लिए रेलवे ने अपना संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए कौन-सा कदम उठाया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) और (ख) रेलवे के पास व्यापक संचार नेटवर्क है जिसका उपयोग रेलगाड़ी परिचालन, नियंत्रण, संरक्षा और प्रशासनिक क्रिया-कलापों के लिए किया जाता है। इस नेटवर्क का उपयोग रेलों पर होने वाली रेल दुर्घटनाओं और अन्य अप्रिय दुर्घटनाओं की सूचना देने के लिए किया जाता है। बहरहाल, मौजूदा संचार नेटवर्क स्टेशन से कंट्रोल रूम के बीच चल रही रेलगाड़ियों से रियल-टाइम आन-लाइन संचार की व्यवस्था नहीं करता है। बहरहाल, व्यस्त खंडों पर आपातिक स्थितियों के दौरान संचार हेतु रेलगाड़ी के कर्मीदल और स्टेशन मास्टरों द्वारा प्रयोग के लिए उच्च क्षमता वाले (वी एच एफ) सेट्स मुहैया कराए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) रेलवे, अपनी परिचालनिक और रेलगाड़ी नियंत्रण क्रिया-कलापों में सुधार लाने के लिए संचार नेटवर्कों को निरंतर उन्नयन कर रही है। दुर्घटना स्थल से शीघ्र सूचना भेजने के लिए सेटलाइट फोन, लोकल लूप में बेतार (डब्ल्यू एल एल) एक्सचेंज, मोबाइल फोन और अन्य संबद्ध उपस्करों की व्यवस्था की जा रही है।

बिजली गुल होने की समस्या

1465. **श्री के. येरननायडू :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका और यूरोपीय संघ के कुछ देशों ने भारत में यह जानने के लिए सम्पर्क किया है कि वह बिजली गुल (पावर ब्लैक आऊट) होने की समस्या से कैसे निपटता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन देशों ने भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है; और

(ग) इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ-साथ विश्व के अन्य भागों के विद्युत विशेषज्ञों ने भी पावरग्रिड के अधिकारियों के साथ विभिन्न मंचों पर बातचीत के दौरान अपने व्यापक नेटवर्क के कारण भारतीय ग्रिड प्रबंधन प्रयोगों में गहरी रुचि दिखाई है। हालांकि, इस संबंध में सरकार को या पावरग्रिड को कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

डिफेंस एअरबेस से सिविलियन फ्लाइटें

1466. **श्री बी. वेंकटेस्वरलु** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अधिक से अधिक एअर-कनेक्टिविटी देने के लिए सिविलियन फ्लाइटों का प्रचालन डिफेंस एअरबेस में शुरू करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश की सुरक्षा के लिए कोई समस्या खड़ी होगी;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कितने डिफेंस एअरबेसों पर सिविलियन फ्लाइट के प्रचालन की अनुमति प्रदान की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) रक्षा हवाई क्षेत्रों से पहले ही नियत और गैर-नियत सिविल हवाई आपरेशन किए जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सिविल आपरेटरों के अनुरोध पर मामलेवार विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान सैनिकों द्वारा जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन

1467. **श्री राम विलास पासवान**
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर मारे गए भारतीय सैनिकों के शव पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अंग-भंग कर विकृत अवस्था में लौटाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अब तक ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) क्या ऐसे मामलों में पाकिस्तानी सैनिकों की इस तरह की कार्रवाई, सैनिकों के शवों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में जेनेवा कन्वेंशन का पूर्ण उल्लंघन है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है जिसमें पाकिस्तानी सेना ने जम्मू तथा कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर मारे गए भारतीय सैनिकों के शव विकृत अवस्था में लौटाए हों।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

दसवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाएं

1468. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में कितनी नई विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई;

(ख) प्रत्येक परियोजना की लागत क्या है, इसके वित्त पोषण के स्रोत क्या हैं और इन परियोजनाओं को शुरू करने में यदि कोई संगठन इच्छुक है, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में कृषि, सिंचाई और घरेलू उपभोग के लिए अद्यतन विद्युत टैरिफ का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में नई विद्युत परियोजनाओं पर कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के उपभोक्ताओं को घरेलू तथा कृषि श्रेणियों के ऊपर लागू टैरिफ संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विद्यमान				संशोधित			
उपभोक्ता श्रेणी/स्लैब	मांग शुल्क (रुपये/एचपी/माह) या (रुपये/प्रति माह सेवा कनैक्शन)	ऊर्जा शुल्क (पैसे/यूनिट)	पारेषण एवं वितरण हानि	उपभोक्ता श्रेणी/ स्लैब	मांग शुल्क (रुपये/एचपी/माह) या (रुपये/प्रति माह सेवा कनैक्शन)	ऊर्जा शुल्क (पैसे/यूनिट)	पारेषण एवं वितरण हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
घरेलू				**घरेलू**			
0-30 यूनिटें	20 रुपये प्रति सर्विस कनैक्शन	100	10	0-30 यूनिटें	20	125	0
31-100 यूनिटें	एकल चरण के लिए 30 रुपये सेवा कनैक्शन; तीसरे चरण हेतु 75 रुपये प्रति सेवा कनैक्शन, 75 रुपये प्रति 10 कि.वा.घं. या 10 कि.वा.घं. से अधिक उसका भाग का अतिरिक्त निर्धारित शुल्क देय होगा।	255	20	31-100 यूनिटें	40	290	0
101-300 यूनिटें		295			40	290	0
300 से ऊपर (केवल शेष यूनिटें)		455		100-300 यूनिटें 300 यूनिटों से ऊपर	40	400	0
अतिरिक्त स्थिर प्रभार-3 चरण	75			अतिरिक्त स्थिर प्रभार 3 फेज	100		
अतिरिक्त स्थिर प्रभार>10 कि.वा.	75 प्रति 10 कि.वा.			अतिरिक्त स्थिर प्रभार सीएल>10 कि.वा.	100 प्रति 10 कि.वा.		

1	2	3	4	5	6	7	8
कृषि				कृषि			
फ्लैट रेट टैरिफ (एचपी प्रतिमाह)	110 प्रति रुपये	0	Rs. 10 per HP per month	फ्लैट रेट टैरिफ(रुपये/एचपी/माह)			
				सर्किल के साथ निर्माण Norm<1300 hrs प्रति एचपी/वर्ष	150	0	0
				सर्किल के साथ निर्माण >1300 hrs. (प्रति एचपी/वर्ष)	180	0	0
मीटरीकृत टैरिफ (एचपी प्रति माह)	रु. 10	90	10	पोल्ट्री सहित मीटरीकृत टैरिफ	15	110	0

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों से एनटीपीसी द्वारा वसूल की गई बकाया राशि

1469. **श्रीमती प्रभा राव :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने राज्य सरकारों से बकाया राशि की बड़ी मात्रा की वसूली की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों से कुल कितनी बकाया राशि की वसूली की गई और आज की तारीख में प्रत्येक राज्य पर कितना बकाया है; और

(ग) राज्यवार कितने अधिभार और अर्थदंड माफ कर दिए गए हैं और राज्यों द्वारा अपनी शेष बकाया राशि को निपटाने के लिए क्या प्रतिबद्धताएं की गई हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) भारत सरकार ने 30.9.2001 को विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा देय कुल बकायों के प्रतिभूतिकरण के लिए 17.4.2002 को रा. वि. बो. के देय राशियों के एकमुश्त भुगतान हेतु एक स्कीम लागू की। स्कीम में प्रावधान है कि 30.9.2001 को देय बकायों समेत 40% अधिभार का 15 वर्षों के लिए 8.5% के कर-मुक्त बान्डों को जारी कर प्रतिभूतिकरण किया जाएगा तथा शेष 60% अधिभार को छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा रा. वि. बो. द्वारा 1.3.1998 के बाद जारी बाण्ड तथा 30.9.2001 को बकाया राशि भी इस स्कीम के अंतर्गत कन्वर्सन के लिए पात्र थे।

स्कीम के क्रियान्वयन के अनुसरण में सभी 28 राज्यों द्वारा क्रियान्वयन हेतु त्रिपाक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तदनुसार एनटीपीसी को सितंबर, 2003 में उन राज्यों से 15,788.396 करोड़ रुपये के विद्युत बाण्ड प्राप्त हुए, जिन्हें एनटीपीसी विद्युत आपूर्ति कर रहा था। ब्यौरे विवरण-I के रूप में सलग्न हैं। संबंधित रा. वि. बोर्डों द्वारा देय बकाया राशियों के भुगतान पर एनटीपीसी द्वारा चर्चा कर इनका निपटान किया गया।

एकमुश्त भुगतान स्कीम के अनुसार उस अधिभार राशि के ब्यौरे, जिन्हें माफ कर दिया गया है, विवरण-II के रूप में संलग्न हैं। 31.10.2003 की स्थिति के अनुसार विभिन्न रा. वि. बो. द्वारा एनटीपीसी को देय कुल बकायों के विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

एकमुश्त भुगतान स्कीम के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी किए गए बॉण्डों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्रमांक	राज्य	जारी बॉण्ड
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	3989.9000
2.	उत्तरांचल	399.6500
3.	राजस्थान	290.0000
4.	पंजाब	346.2300
5.	हरियाणा	1075.0000
6.	हिमाचल प्रदेश	33.3880
7.	महाराष्ट्र	381.4000
8.	गुजरात	837.2400
9.	आंध्र प्रदेश	1260.6500
10.	कर्नाटक	196.6100
11.	तमिलनाडु	465.0660
12.	केरल	1002.4000
13.	पश्चिम बंगाल	1174.2480
14.	असम	51.4640
15.	जम्मू-कश्मीर	367.3600
16.	सिक्किम	34.1960
17.	उड़ीसा	1102.8740
18.	बिहार	1466.6600
19.	मध्य प्रदेश	830.8400
20.	छत्तासगढ़	483.2200
21.	झारखंड	—
22.	दिल्ली	—
	कुल	15788.3960

विवरण-II

रा.वि.बो./राज्य यूटिलिटियों से एनओपीसी के लिए देय छूट प्रभार की राशि (60%)

क्रमांक	राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी)/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित राज्य यूटिलिटियां	60% प्रभार की छूट
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	55540
2.	उत्तरांचल	6172
3.	राजस्थान	4908
4.	पंजाब	373
5.	हरियाणा	8216
6.	हिमाचल प्रदेश	626
7.	जम्मू व कश्मीर	423
8.	मध्य प्रदेश	9023
9.	छत्तीसगढ़	12635
10.	महाराष्ट्र	5402
11.	गुजरात	14174

1	2	3
12.	आंध्र प्रदेश	3078
13.	कर्नाटक	4988
14.	तमिलनाडु	9172
15.	केरल	8307
16.	पश्चिम बंगाल	44748
17.	बिहार	53601
18.	उड़ीसा	10888
19.	सिक्किम	983
20.	झारखंड	0
21.	असम	1505
	कुल	254762

विवरण-III

एनटीपीसी को बकाया देयताएं 31.10.2003 की स्थितिनुसार

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड/ राज्य यूटिलिटी	बकाया देयताएं		
		मूल	प्रभार	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	-9014	46	-8968
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	132	211	343
4.	बिहार	81119	5483	86602
5.	चंडीगढ़	13	0	13
6.	छत्तीसगढ़	13809	21058	34867
7.	को-ओपरेटिव	0	0	0
8.	दिल्ली	186705	193589	380294
9.	दादरा और नगर हवेली	-34	0	-34
10.	दमन और दीव	-866	0	-866
11.	गुजरात	-208	1103	895
12.	गोवा	-124	0	-124
13.	हरियाणा	-21107	315	-20792
14.	हिमाचल प्रदेश	-1290	0	-1290
15.	जम्मू और कश्मीर	-32	0	-32
16.	झारखंड	89190	77683	166873
17.	कर्नाटक	-41	107	66
18.	केरल	15227	6933	22160
19.	मध्य प्रदेश	14415	336	14751
20.	महाराष्ट्र	4771	686	5457
21.	मणिपुर	0	0	0
22.	मेघालय	0	0	0
23.	मिजोरम	0	0	0
24.	नागालैंड	0	0	0
25.	नीपका	0	0	0
26.	उड़ीसा	24946	1677	26623
27.	अन्य	0	0	0

1	2	3	4	5
28.	पंजाब	-890	0	-890
29.	पांडिचेरी	-668	24	-644
30.	राजस्थान	837	125	962
31.	राज्य सरकार	0	0	0
32.	सिक्किम	244	44	288
33.	तमिलनाडु	-3707	117	-3590
34.	त्रिपुरा	0	0	0
35.	अरुणाचल प्रदेश	1100	0	1100
36.	उत्तरांचल	371	0	371
37.	पश्चिम बंगाल	0	129	129
	कुल	394898	309666	704564
1.	दामोदर वेली कारपोरेशन	10811	28438	39249
2.	पावरग्रिड	44	194	238
3.	रेलवे	1	0	1
4.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम	24	0	24
5.	गैर निर्धारित इटरचेंज	-140	0	-140
	कुल	10740	28632	39372
	सकल योग	405638	338298	743936

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन की मांग

1470. **श्री थावरचन्द गेहलोत :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री हरि भाई चौधरी :
श्री मान सिंह पटेल :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में इसकी राज्यवार मांग और कमी कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश में दसवीं योजना के दौरान बिजली की आवश्यकता के संबंध में कोई राज्यवार आकलन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार बिजली के वर्तमान संकट को दूर करने के लिए उन राज्यों को किस तरह सहायता प्रदान करने का है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) देश के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मात्रा में विद्युत अभाव व्याप्त है।

(ख) नवम्बर, 03 और अप्रैल-नवम्बर, 03 में ऊर्जा एवं व्यस्ततमकालीन ऊर्जा मांग एवं वास्तविक विद्युत आपूर्ति के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न हैं।

(ग) 16वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 10वीं योजना के अंत में ऊर्जा एवं व्यस्ततमकालीन ऊर्जा की प्रत्याशित आवश्यकता के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

(घ) विद्युत एक समवर्ती विषय है। राज्य में विद्युत आपूर्ति एवं वितरण की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी की होती है। केन्द्र सरकार केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के जरिये विद्युत संयंत्रों की स्थापना तथा क्षेत्र में केन्द्रीय जेनरेटिंग स्टेशनों से विद्युत आवंटन करके राज्य सरकारों को उनके प्रयासों में सहायता देती है। किंतु देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता दी जा रही है :-

(1) सभी क्षेत्रों में (राज्य + निजी + केन्द्रीय) 41,110 मेगावाट क्षमता की 10वीं योजना में अभिवृद्धि का लक्ष्य है, जिसमें से 22,832 मेगावाट केन्द्रीय क्षेत्र में है।

(2) क्षेत्र में/क्षेत्र के बाहर केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों के अनावंटित कोटे से अतिरिक्त विद्युत आवंटन।

(3) अंत: क्षेत्रीय पारेषण लिंक के संवर्धन/सुदृढ़ीकरण के द्वारा अतिरिक्त विद्युत वाले क्षेत्र को अंत: क्षेत्रीय/अंत:राज्यीय विद्युत अंतरण ताकि एक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना हो सके।

(4) मौजूदा पुराने एवं अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, दरवृद्धि तथा जीवन-विस्तार। पावर फाइनेंस कारपोरेशन कम ब्याज दर पर नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन-विस्तार के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(5) कुल पारेषण एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी करने के लिये त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत राज्यों की उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण/संवर्धन हेतु निधि आपूर्ति कराई जा रही है।

विवरण-I

वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति

(आंकड़े मि.यू. में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र उत्तरी	नवंबर, 2003				अप्रैल-नवंबर, 2003			
	आवश्यकता (%)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (मि.यू.)	(%)	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चण्डीगढ़	72	72	0	0.0	765	764	-1	-0.1
दिल्ली	1436	1427	-9	-0.6	14056	13857	-199	-1.4
हरियाणा	1482	1391	-91	-6.1	14135	13532	-603	-4.3
हिमाचल प्रदेश	278	278	0	0.0	2277	2270	-7	-0.3
जम्मू और कश्मीर	564	545	-19	-3.4	4578	4309	-269	-5.9
पंजाब	2036	1980	-56	-2.8	22713	22021	-692	-3.0
राजस्थान	2458	2454	-4	-0.2	16293	16191	-102	-0.6
उत्तर प्रदेश	3739	3329	-410	-11.0	30653	26555	-4098	-13.4
उत्तरांचल	343	336	-7	-2.0	2733	2684	-49	-1.8
उत्तरी क्षेत्र	12408	11812	-596	-4.8	108203	102183	-6020	-5.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
छत्तीसगढ़	763	756	-7	-0.9	6586	6379	-207	-3.1
गुजरात	5252	4500	-752	-14.3	36484	32326	-4158	-11.4
मध्य प्रदेश	3196	2923	-273	-8.5	19326	17035	-2291	-11.9
महाराष्ट्र	7713	6864	-849	-11.0	56558	51423	-51354	-9.1
तमिलनाडु	91	91	0	0.0	274	274	0	0.0
दमन और दीव	160	160	0	0.0	451	451	0	0.0
गोवा	172	172	0	0.0	1297	1297	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	17347	15468	-1881	-10.8	120976	109185	-11791	-9.7
आंध्र प्रदेश	4036	3994	-42	-1.0	30405	29439	-966	-3.2
कर्नाटक	2952	2628	-324	-11.0	22668	19312	-3356	-14.8
केरल	1058	1025	-33	-3.1	8480	8187	-293	-3.5
तमिलनाडु	3427	3391	-36	-1.1	29218	28941	-277	-0.9
पांडिचेरी	113	113	0	0.0	982	982	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	11586	11151	-435	-3.8	91753	86861	-4892	-5.3
बिहार	630	451	-179	-28.4	5052	3820	-1232	-24.4
डीवीसी	694	683	-11	-1.6	5450	5379	-71	-1.3
झारखंड	275	267	-8	-2.9	2145	2042	-103	-4.8
उड़ीसा	1116	1096	-20	-1.8	9155	9008	-147	-1.6
पश्चिम बंगाल	1612	1583	-29	-1.8	15151	14837	-314	-2.1
पूर्वी क्षेत्र	4327	4080	-247	-5.7	36953	35086	-1867	-5.1
अरुणाचल प्रदेश	13	13	0	0.0	126	124	-2	-1.6
असम	291	273	-18	-6.2	2369	2236	-133	-5.6
मणिपुर	49	48	-1	-2.0	324	318	-6	-1.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मेघालय	100	91	-9	-9.0	721	691	-30	-4.2
मिजोरम	26	26	0	0.0	183	179	-4	-2.2
नागालैंड	30	29	-1	-3.3	202	199	-3	-1.5
त्रिपुरा	58	53	-5	-8.6	483	455	-28	-5.8
पूर्वोत्तर क्षेत्र	567	533	-34	-6.0	4408	4202	-206	-4.7
अखिल भारत	46235	43042	-3193	-6.9	362293	337517	-24776	-6.8

*अप्रैल-अगस्त 2003 की अवधि के लिए दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली के आंकड़े गुजरात में शामिल हैं।

व्यस्ततमकालीन मांग/पूर्ति

(आंकड़े मि.यू.)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र उत्तरी	नवंबर, 2003				अप्रैल-नवंबर, 2003			
	आवश्यकता (%)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (मि.यू.)	(%)	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चण्डीगढ़	147	147	0	0.0	188	188	0	0.0
दिल्ली	2818	2801	-17	-0.6	3389	3284	-105	-3.1
हरियाणा	2965	2717	-248	-8.4	3465	3278	-187	-5.4
हिमाचल प्रदेश	543	543	0	0.0	665	665	0	0.0
जम्मू और कश्मीर	1035	985	-50	-4.8	1268	1218	-50	-3.9
पंजाब	3753	3580	-173	-4.6	5922	5622	-300	-5.1
राजस्थान	3937	3937	0	0.0	3937	3937	0	0.0
उत्तर प्रदेश	7057	5742	-1315	-18.6	7218	5973	-1245	-17.2
उत्तरांचल	711	695	-16	-2.3	766	726	-40	-5.2
उत्तरी क्षेत्र	22414	20563	-1851	-8.3	23817	21961	-1856	-7.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
छत्तीसगढ़	1548	1435	-113	-7.3	1669	1485	-184	-11.0
गुजरात	9820	7196	-2624	-26.7	9820	7196	-2624	-26.7
मध्य प्रदेश	5392	4647	-745	-13.8	5392	4647	-745	-13.8
महाराष्ट्र	14211	11282	-2929	-20.6	14211	11282	-2929	-20.6
तमिलनाडु	181	181	0	0.0	181	181	0	0.0
दमन और दीव	250	250	0	0.0	315	315	0	0.0
गोवा	332	332	0	0.0	332	332	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	29076	23376	-5700	-19.6	29076	23376	-5700	-19.6
आंध्र प्रदेश	6907	6777	-130	-1.9	8679	7143	-1536	-17.7
कर्नाटक	5348	4804	-544	-10.2	6213	4913	-1300	-20.9
केरल	2386	2210	-176	-7.4	2442	2210	-232	-9.5
तमिलनाडु	6657	6619	-38	-0.6	6772	6710	-62	-0.9
पांडिचेरी	182	182	0	0.0	235	235	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	21019	20152	-867	-4.1	21788	20152	-1636	-7.5
बिहार	832	697	-135	-16.2	973	741	-232	-23.8
डीवीसी	1138	1064	-74	-6.5	1275	1154	-121	-9.5
झारखंड	504	456	-48	-9.5	539	456	-83	-15.4
उड़ीसा	2074	1904	-170	-8.2	2099	1958	-141	-6.7
पश्चिम बंगाल	3571	3263	-308	-8.6	3836	3652	-184	-4.8
पूर्वी क्षेत्र	7969	7070	-899	-11.3	8594	7710	-884	-10.3
अरुणाचल प्रदेश	45	45	0	0.0	50	50	0	0.0
असम	715	599	-116	-16.2	738	635	-103	-14.0
मणिपुर	100	100	0	0.0	115	111	-4	-3.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मेघालय	209	159	-50	-23.9	209	195	-14	-6.7
मिजोरम	70	69	-1	-1.4	71	69	-2	-2.8
नागालैंड	62	62	0	0.0	62	62	0	0.0
त्रिपुरा	182	138	-44	-24.2	190	144	-46	-24.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1258	1069	-189	-15.0	1259	1071	-188	-14.9
अखिल भारत	81736	72230	-9506	-11.6	81736	72230	-9506	-11.6

अप्रैल-अगस्त 2003 की अवधि के लिए दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली के आंकड़े गुजरात में शामिल हैं।

विवरण-II

16वें ईपीएस के अनुसार 10वीं योजना के अंत में विद्युत की अनुमानित आवश्यकता के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	ऊर्जा आवश्यकता (एमकेडब्ल्यूएच) 2006-07	व्यस्ततमकालीन मांग (मेगावाट) 2006-07
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र (सार्वजनिक यूटिलिटी)		
हरियाणा	25750	4899
हिमाचल प्रदेश	5113	973
जम्मू व कश्मीर	9099	1923
पंजाब	41922	7719
राजस्थान	40341	6772
उत्तर प्रदेश	70803	11384
चण्डीगढ़	2120	403
दिल्ली	25672	4310
कुल	220820	35540
पश्चिमी क्षेत्र (सार्वजनिक यूटिलिटी)		
गोवा	2207	355
गुजरात	61683	10605
मध्य प्रदेश	51952	8595
महाराष्ट्र	106892	16716
दादरा एवं नगर हवेली	1284	216
दमन एवं दीव	909	146
कुल	224927	35223
दक्षिणी क्षेत्र (सार्वजनिक यूटिलिटी)		
आंध्र प्रदेश	68797	11219
कर्नाटक	44748	7740
केरल	22998	4304
तमिलनाडु	54872	8847

1	2	3
पांडिचेरी	2687	458
कुल	194102	31017
पूर्वी क्षेत्र (सार्वजनिक यूटिलिटी)		
बिहार	12256	2332
डीवीसी	11129	2049
उड़ीसा	17997	2977
सिक्किम	239	62
पश्चिम बंगाल (डीवीसी)	27846	5169
कुल	69467	11990
पूर्वोत्तर क्षेत्र (सार्वजनिक यूटिलिटी)		
अरुणाचल प्रदेश	303	97
असम	5294	991
मणिपुर	1039	252
मेघालय	955	198
मिजोरम	525	136
नागालैंड	388	98
त्रिपुरा	997	253
कुल	9501	1875

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों पर कर/उपकर

1471. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तेल का रणनीतिक भंडार बनाने के लिए सभी पेट्रोलियम उत्पादों पर अतिरिक्त कर या उपकर लगाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रणनीतिक तेल भंडार के वित्तपोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा वित्तपोषण की कोई वैकल्पिक योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या पेट्रोलियम उत्पादों पर अतिरिक्त उपकर लगाए जाने से पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और इससे मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तेल का रणनीतिक भंडार बनाने के कार्य के रूप में तेल और पेट्रोल का संग्रहण करने के लिए तेल कंपनियों को उनके अपने आंतरिक संसाधन का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) कार्यनीतिक तेल भंडार की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव; जिसमें इसके वित्तपोषण के विकल्प सम्मिलित हैं, सरकार के विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) से (ग) तक के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केरल में जल विद्युत परियोजना

1472. **श्री पी. राजेन्द्रन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत पूयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह परियोजना कब प्रस्तुत की गई थी और आज की तारीख में इसकी स्थिति क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पूयमकुट्टी परियोजना पर कोई निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डेन रिसर्च इंस्टीट्यूट (टीबीजीआरआई) ने उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पूयमकुट्टी जल-विद्युत परियोजना (2x120 मे.वा.) को जनवरी, 1984 में 250 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर स्वीकृति दी थी। योजना आयोग ने भी अगस्त, 1986 में वन संबंधी दृष्टि से परियोजना को स्वीकृति मिलने की शर्त पर अपनी मंजूरी प्रदान की। किन्तु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जनवरी, 1991 में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह परियोजना पश्चिमी घाट के प्रमुख वनीय क्षेत्र में स्थित थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1996 में परियोजना की पुन: समीक्षा की और परियोजना के "प्रतिकूल पारस्थितिकीय प्रभाव" के आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया। परियोजना की गहन समीक्षा करने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार से कहा गया कि वे परियोजना के (i) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, (ii) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, (iii) सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत-लाभ विश्लेषण और (iv) अभियांत्रिकी मूल्यांकन का कार्य पूरा कराएं।

(ङ) और (च) पेलोड स्थित ट्रॉपिकल बॉटिनिकल गार्डेन रिसर्च इन्स्टीट्यूट (टीबीजीआरआई) को पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित इष्टतम जलमग्नता स्तर की जांच का कार्य सौंपा गया था। टीबीजीआरआई ने उक्त अध्ययन कर जुलाई, 2003 में अपनी रिपोर्ट केरल राज्य विद्युत बोर्ड को सौंपी। केरल राज्य विद्युत बोर्ड की सूचना के अनुसार सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर अभियांत्रिकी मूल्यांकन, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन तथा सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत-लाभ विश्लेषण को पुन: निर्धारित करना आवश्यक होगा। परियोजना घटकों में परिवर्तन के मद्देनजर केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में भी संशोधन करना अपेक्षित होगा। केरल राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा इन औपचारिकताओं के पूरा करने के बाद परियोजना को वन स्वीकृति देने पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा।

समपारों (लेवल क्रासिंगों) का निर्माण

1473. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को विभिन्न राज्यों से समपारों (लेवल क्रासिंगों) के निर्माण के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2003-2004 के दौरान राज्यवार कितने समपारों के निर्माण का चयन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) जी, नहीं। क्षेत्रीय रेल प्रणाली पर नए समपार के निर्माण के लिए विद्यमान नियमों के अनुसार पूर्वापेक्षाएं पूरी करते हुए राज्य सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अखबारों के नाम

1474. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन** : क्या **सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में पंजीकृत अखबार/पत्रिकाएं प्रकाशित नहीं हो रही हैं जिससे इनके नाम उपयोग में नहीं आ रहे हैं अथवा ब्लाक हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) दिनांक 31.03.2003 तक की स्थिति के अनुसार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में 55,780 समाचारपत्र/पत्रिकाएं पंजीकृत हैं। अपंजीकृत शीर्षकों को उनके शीर्षक-सत्यापन की तारीख से दो वर्षों के पश्चात डि-ब्लाक कर दिया जाता है। वर्ष 2000 तक सत्यापित लगभग 2.03 लाख शीर्षकों को डि-ब्लाक किया जा चुका है।

* *[हिन्दी]*

चुक किए गए सामानों की चोरी

1475. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा** :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों में यात्रियों के सामानों/बुक किए गए सामानों के नुकसान/चोरी होने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी रेलवे पर आती है;

(ख) यदि हां, तो चोरी किए गए सामानों का दावा करने की प्रक्रिया क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इसके निमित कितनी धनराशि और मुआवजों का भुगतान किया गया;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान चोरी के आरोप में जोन-वार कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ङ) इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) बुक कराए गए सामान की हानि/चोरी के लिए रेलवे उत्तरदायी है।

(ख) बुक सामान की हानि/चोरी की दशा में दावा या तो परेषिती/इंडोर्स्ड परेषिती या परेषक/परेषिती की ओर से प्राधिकार प्रस्तुत करने पर किसी अन्य एजेंट द्वारा दायर किया जा सकता है।

निर्धारित प्रोफामां में प्रतिपूर्ति के लिए दावा महाप्रबंधक या मुख्य वाणिज्य प्रबंधक या मुख्य दावा अधिकारी या स्टेशन माल शेड या बुकिंग रेलवे या गंतव्य रेलवे पर पार्सल कार्यालय या रेलवे जिस पर हानि या चोरी हुई है, को किया जाना चाहिए। दावा आवश्यक दस्तावेज जैसे रेल रसीद, बीजक या माल के सेल इनवायस आदि आवश्यक दस्तावेजों के साथ बुकिंग की तारीख से छः महीनों की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सामान और पार्सल की हानि/चोरी के लिए चुकाई गई राशि इस प्रकार हैं :–

वर्ष	राशि (लाख रुपए में)
2000-01	246.16
2001-02	332.75
2002-03	265.92

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान बुक परेषणों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार व्यक्तियों की जोन-वार संख्या के संबंध में विवरण संलग्न है।

(ङ) ऐसी चोरियों को रोकने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए जा रहे हैं:-

1. प्रभावित क्षेत्रों/खंडों में गहन गश्त।
2. परेषण ले जा रहे कम्पार्टमेंटों की दशा और सील की हालत का जायजा लेने के लिए अंतर्बदल बिंदुओं पर संयुक्त जांच।
3. नजर रखने और अपराधियों को पकड़ने के लिए आपराधिक सूचना इकट्ठी करना।
4. आपराधिक आसूचना के आधार पर, अपराधियों/चुराई गई सम्पत्ति के प्रापकों के ठिकानों पर उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से छापे मारे जाते हैं।
5. अपराधियों और चुराई गई सम्पत्तियों के प्रापकों को पकड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर रे.सु.ब., रा.रे.पु. और स्थानीय पुलिस के बीच निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।

विवरण

वित्त वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान भारतीय रेल पर बुक परेषणों की चोरी के मामलों में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा

रेलव	अवधि	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या			
		बाहरी व्यक्ति	रेलवे कर्मचारी	रे.सु.ब.	कुल
1	2	3	4	5	6
म.रे.	2000-2001	176	1	0	177
	2001-2002	155	2	0	157
	2002-2003	146	2	0	148

1	2	3	4	5	6
पू.रे.	2000-2001	232	2	0	234
	2001-2002	298	1	0	299
	2002-2003	157	0	0	157
पू.म.रे.	2000-2001				
	2001-2002				
	2002-2003	113	0	0	113
उ.रे.	2000-2001	354	15	0	369
	2001-2002	341	8	1	350
	2002-2003	311	6	0	317
पू.मॉ.रे.	2000-2001	86	0	0	86
	2001-2002	55	1	1	57
	2002-2003	52	1	0	53
पू.सी.रे.	2000-2001	64	1	1	66
	2001-2002	59	0	0	59
	2002-2003	49	1	2	52
उ.प.रे.	2000-2001				
	2001-2002				
	2002-2003	17	1	0	18
द.रे.	2000-2001	56	3	0	59
	2001-2002	51	4	1	56
	2002-2003	46	6	0	52
द.म.रे.	2000-2001	161	4	0	165
	2001-2002	116	1	0	117
	2002-2003	104	1	0	105
द.पू.रे.	2000-2001	53	5	0	58
	2001-2002	65	1	0	66
	2002-2003	56	2	0	58
प.रे.	2000-2001	126	4	0	130
	2001-2002	108	5	0	113
	2002-2003	147	8	0	155
भा.रे.	2000-2001	1308	35	1	1344
	2001-2002	1248	23	3	1274
	2002-2003	1198	28	2	1228

नोट : पू.म.रे. और उ.प.रे. 1 अक्तूबर, 2002 से ही परिचालन में हैं। अत: रेलों के आंकड़े अक्तूबर, 2002 से मार्च, 2003 तक दिए गए हैं।

नौसेना का आधुनिकीकरण और इसे सुदृढ़ बनाया जाना

1476. **श्री वाई.वी. राव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन और पाकिस्तान की नौसेना अरब सागर में संयुक्त रूप से समुद्री अभ्यास करने जा रही है;

(ख) क्या भारत के सुरक्षा विशेषज्ञ इस अभ्यास को देश के हित में संभावित खतरे के रूप में देख रहे हैं;

(ग) क्या इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण करना और उसे सुदृढ़ बनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) उपलब्ध सूचनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान और चीन की नौसेनाओं

द्वारा अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास किए जाने की संभावना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। रक्षा मंत्रालय खतरे संबंधी अवधारणाओं तथा भारतीय नौसेना को सौंपे गए कार्यों के अनुरूप उन्हें उपस्कर, पोत एवं सामग्री मुहैया कराने का प्रगास कर रहा है।

भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनमें महत्वपूर्ण अभिप्राप्तियां भी शामिल हैं। पंद्रह वर्षीय पोत निर्माण योजना के तहत भारतीय नौसेना का सुव्यवस्थित तथा योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जा रहा है।

पेट्रोलियम उत्पादों का पाकिस्तान को निर्यात

1477. **श्री के.पी. सिंह देव :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पेट्रोलियम उत्पादों को पाकिस्तान निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उन तेल उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस संबंध में संभावनाओं की तलाश की है; और

(ग) वर्ष 2003-2004 के लिए दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वसई-दिवा रेल लाइन पर उपनगरीय रेल सेवा

1478. **श्री चिंतामन वनगा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वसई-दिवा रेल लाइन पर मुंबई उपनगरीय रेल सेवा शुरू करने का अभ्यावदेन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) और (ख) जी, हां। वसई-दीवा खंड पर ई एम यू की सेवाएं शुरू करने के लिए श्री विलास पाटील और श्री दीपक मिश्रा से मांग प्राप्त हुई है।

(ग) रेल लाइन की क्षमता और अवसंरचना की तंगी के कारण मांग स्वीकार नहीं की जा सकी। वसई-दीवा खंड पहले से ही पश्चिम और उत्तर भारत से महत्वपूर्ण माल यातायात टर्मिनलों जैसे जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, उड़ान सिटी डिफेन्स और पेट्रोलियम तेल स्नेहक टर्मिनल, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लि. थाल कलमबोली आदि तक माल यातायात के भारी संचलन को सेवित कर रहा है। इस खंड का उपयोग पश्चिम और उत्तर रेलवे से कोंकण और दक्षिण रेलवे की ओर जाने वाली मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के लिए भी किया जा रहा है। इस खंड पर 3 जोड़ी डी एम यू सेवाएं भी चल रही हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा

1479. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा स्रोतों के संबंध में सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर रही है और क्या इन कार्यक्रमों की सफलता की समीक्षा की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्य सरकारों द्वारा झारखंड और बिहार में कितने व्यक्तियों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) सौर, पवन, बायोमास और लघु पनबिजली जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों सहित देशभर में कार्यान्वित किया जा रहा है। दिनांक 30.9.2003 की स्थिति

के अनुसार, विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत संचयी उपलब्धियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय ब्लॉक/ग्राम स्तर पर बायोगैस के उपयोग के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयोक्ता प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने हेतु बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करा रहा है और इस कार्यक्रम की प्रगति/प्रभावकारिता की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। ऐसे लगभग 5000 प्रयोक्ता प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है।

(घ) झारखंड और बिहार में 2000-01, 2001-02, 2002-03 और 2003-04 (30.9.2003 तक) के दौरान लगभग 10,537 सौर रोशनी, पम्पन और सौर कुकिंग प्रणालियां प्रदान की गई हैं। उपर्युक्त अवधि में झारखंड और बिहार में लगाई गई ऐसी प्रणालियों/युक्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत दिनांक 30.9.2003 के अनुसार संचयी उपलब्धियां

क्रम सं.	स्रोत/प्रणाली	संचयी उपलब्धि (30.9.2003 के अनुसार)
1	2	3
क.	**अक्षय स्रोतों से विद्युत (मेगावाट)**	
1.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	3.32
2.	पवन विद्युत	2002
3.	लघु पन बिजली (25 मेगावाट तक)	1530.39
4.	बायोमास सह-उत्पादन विद्युत	570.90
5.	बायोमास गैसीफायर	57.10
	अक्षय स्रोतों से विद्युत (कुल मेगावाट में)	4163.71
ख.	**विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालियां**	
6.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र (सं. लाख में)	35.43
7.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र (सं.)	3902
8.	उन्नत चूल्हा (सं. करोड़ रु. में)	3.52
9.	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां	
	i. सौर सड़क रोशनी प्रणालियां (सं.)	43474
	ii. घरेलू रोशनी प्रणालियां (सं.)	260187
	iii. सौर लालटेन (सं.)	441481
	iv. सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र (किलोवाट पीक)	1455.70
10.	सौर कुकर (सं.)	546830
11.	सौर प्रकाशवोल्टीय पम्प (सं.)	6452
12.	पवन पम्प (सं.)	940
13.	हाइब्रिड प्रणाली (किलोवाट)	225.09
14.	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (ब्लॉकों की सं.)	860

विवरण-II

वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 और 2003-04 (30.9.2003 तक) के दौरान झारखंड और बिहार में संस्थापित सौर ऊर्जा प्रणालियां/युक्तियां

क्र.सं.	प्रणाली/युक्ति	बिहार	झारखंड
1	2	3	4
1.	सौर सड़क रोशनी प्रणाली (सं.)	232	235
2.	सौर घरेलू रोशनी प्रणाली (सं.)	1225	552
3.	सौर लालटेन (सं.)	8000	–

1	2	3	4
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय पम्प (सं.)	10	03
5.	सौर कुकर (सं.)	—	280

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में समस्या

1480. **श्री वी. वेत्रिसेलवन :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विद्युत क्षेत्र गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है जिनकी पहचान दस वर्ष पूर्व ही कर ली गई थी लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप विद्युत क्षेत्र लगभग सभी राज्यों में सन्निकट संकट का सामना कर रहा है;

(ग) क्या कोई राज्य विद्युत बोर्ड आपूर्ति की गयी विद्युत की पूरी लागत भी वसूल नहीं कर पा रहा है जिसके कारण उन्हें लगातार घाटा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य विद्युत बोर्डों के घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी)/पावर यूटिलिटियां, आपूर्ति लागत और राजस्व संग्रह में अंतराल के कारण प्रचालन में हानि की वजह से गंभीर समस्या का सामना कर रही हैं। ऐसी हानियों के उत्तरदायी प्रमुख कारकों में अन्य बातें के साथ-साथ बिजली चोरी, उच्च तकनीकी हानियां, यूटिलिटियों में कार्मिकों की अधिकता, खराब मीटरिंग, बिलिंग तथा वसूली, अंतर्किक टैरिफ एवं सरकार द्वारा सब्सिडियों की गैर अदायगी आदि हैं।

सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों/पावर यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत सेक्टर सुधार पर राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन/समझौता करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में केन्द्र सरकार सहायता की परिकल्पना की गई है बशर्ते राज्य सुधार एजेंडा पर संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहे हों। विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत सरकार समग्र पारेषण तथा वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए लक्षित विशेष परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। सहायता को राज्यों को अनुदान प्रावधान तथा हानि में वास्तविक कमी से जोड़ा गया है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कारण रा. वि. बोर्डों के विगत देयों का त्रिपक्षीय करारों के तहत प्रतिभूतिकरण किया गया है। पहले कुछ राज्यों ने अपने विद्युत सुधार अधिनियमों को अधिनियमित किया है। विद्युत उद्योग के उदारीकरण और सुधार हेतु एक वैधानिक राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 को अधिनियमित किया गया है। विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत फुटकर टैरिफ राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा तय की जानी है। विनियामक आयोग टैरिफ निर्धारण के समय अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त तरिके से बिजली की लागत वसूली के सिद्धांत से मार्ग-दर्शन प्राप्त करेंगे।

इन उपायों से राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों की कार्य प्रणाली में सुधार के संकेत प्राप्त होने लगे हैं। वर्ष 2001-02 में 4 राज्य नामत: गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तथा राजस्थान, ने कुल नकद हानि में कमी दर्शायी है। इसके अलावा 10 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल तथा पश्चिम बंगाल ने वर्ष 2002-03 के दौरान समग्र हानियों में कमी की सूचना दी है।

कटक-बरंग और तालचेर-पारादीप
रेल लाइन का दोहरीकरण

1481. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में कटक-बरंग और तालचेर-पारादीप रेल लाइन परियोजनाओं के दोहरीकरण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक इसके लिए वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी और वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए क्या तिथि निर्धारित की गयी है;

(घ) क्या यह परियोजना निर्धारित कार्यक्रमानुसार चल रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन परियोजनाओं के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं,

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजनाएं प्रगति पर हैं। रेलों ने सामान्य बजटीय समर्थन के अलावा, अन्य स्रोतों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के कई उपाय किए हैं जिससे परियोजनाओं की प्रगति में तेजी आएगी।

विवरण

(क) से (ग) कटक-बरंग और तालचेर-पारादीप दोहरीकरण परियोजना पर वर्षवार आबंटित निधि और किए गए खर्च (करोड़ रुपयों में) का विस्तृत ब्यौरा, इनकी मौजूदा स्थिति और लक्ष्य, जहां निर्धारित किए गए हैं इस प्रकार हैं:-

वर्ष	कटक-बरंग		तालचेर-कटक-पारादीप							
	परिव्यय	खर्च	नरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर		रघुनाथपुर-रहामा		रहामा-पारादीप नदी पर दूसरा पुल		बिरूपा और महानदी नदी पर दूसरा पुल	
			परिव्यय	खर्च	परिव्यय	खर्च	परिव्यय	खर्च	परिव्यय	खर्च
1995-96					6.00	1.85				
1996-97					8.00	13.43			0.01	0.00
1997-98			0.10	.00	7.96	16.57	0.01	0.07	1.00	0.74
1998-99			9.00	7.08	16.00	18.96	9.00	3.10	17.8	1.64
1999-2000			33.20	18.70	5.00	10.74	14.00	3.94	10.00	1.70
2000-2001			30.00	19.44	9.00	2.64	24.00	4.98	10.00	0.95
2001-02			30.00	16.61	0.60	2.26	24.00	12.24	10.00	1.20
2002-03			10.00	28.87	0.68	1.37	10.00	16.26	20.00	6.14
2003-04	10.00	*	15.00	*	0.01	*	150.00	*	20.00	*

*चालू वित्त वर्ष की समाप्ति और लेखा को अंतिम रूप देने के बाद ही चालू वर्ष के खर्च का पता लगा पाएगा।

कटक-बरंग दोहरीकरण 2003-04 के बजट में शामिल एक नया कार्य है और प्रारंभिक कार्य, जैसे आरेख और अनुमान आदि तैयार करने का कार्य शुरू हो चुका है। रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन एल) द्वारा कार्य कार्यान्वित जा रहा है।

नरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर दोहरीकरण परियोजना पर कपित्तास रोड-नरगुंडी-बिरूपा कैबिन खंड पूरा हो चुका है। नरगुंडी-केंदपाड़ा रोड और नरगुंडी कटक खंडों पर भूमि और छोटे पुलों के कार्य प्रगति पर हैं।

रघुनाथपुर-रहामा दोहरीकरण परियोजना पूरी हो गयी है और चालू कर दी गयी है।

रहामा-पारादीप दोहरीकरण परियोजना की समग्र प्रगति 85% है और इस परियोजना को 2003-04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

बिरूपा और महानदी नदियों पर दूसरे पुलों पर बिरूपा नदी पर दूसरे पुल की समग्र प्रगति 48% है। महानदी नदी पर दूसरे पुल का कार्य संशियन डेवलपमेंट बैंक (ए डी बी) निधि के माध्यम से रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन एल) द्वारा निष्पादित किया जाना है।

तटरक्षकों की भूमिका

1482 प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई.ई.जैड. के विभिन्न कार्यों में तटरक्षकों को क्या भूमिका सौंपी गयी है;

(ख) क्या तटरक्षकों का समय देश की सुरक्षा बढ़ाने और अन्य देशों की नौसेनाओं से देश की रक्षा करने के बजाय कम महत्वपूर्ण गतिविधियों में नष्ट करा दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो ई.ई.जैड. के वाणिज्यिक दोहन जैसे कार्य में लगने वाले समय की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) सरकार का तटरक्षक बल के फील्ड ऑफिसरों की भूमिका सावधानीपूर्वक निगरानी करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है और वे हमारे समुद्री जल के वाणिज्यिक दोहन को रोकने में क्या भूमिका निभा रहे हैं;

(ङ) तटरक्षक बल के कितने कार्मिक समुद्र में मछली पकड़ने जैसे वाणिज्यिक कार्य की तुलना में कार्यालय कार्य में अपना समय लगा रहे हैं;

(च) इस मामले में तटरक्षकों की भूमिका और कार्य की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(छ) क्या ई.ई.जैड. में केवल वाणिज्यिक कार्य की देखरेख के लिए एक संस्था बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) भारतीय तटरक्षक की भूमिका समुद्री तथा अनन्य आर्थिक जोन में भारत के समुद्री तथा अन्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना है। इसकी भूमिका में समुद्र में विपत्ति के समय मछुआरों की सहायता करना, समुद्री प्रदूषण अनुक्रिया, तस्करी रोधी, समुद्री डकैती रोधी, तलाश तथा बचाव आदि में सहायता करना शामिल है।

(ख) अन्य देशों के नौसेना बलों से देश की रक्षा करना भारतीय नौसेना का परमावश्यक कार्य है तथा यह कार्य तटरक्षक बल का नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय तटरक्षक हमारे समुद्र में वाणिज्यिक कारोबार, विशेषकर मछली पकड़ने के कार्य को सुरक्षा प्रदान करने में सकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है। अत: तटरक्षक के फील्ड अफसरों की भूमिका की मॉनिटरिंग हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) हमारे समुद्र में मछली पकड़ने जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों से सम्बद्ध कार्य की तुलना में अनन्य रूप से कार्यालय-कार्य में समय लगाने के लिए तटरक्षक बल कार्मिकों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है और इसलिए कोई संख्या नहीं गिनाई जा सकती।

(च) महानिदेशक तटरक्षक एवं रीजनल कमांडर्स पुनरीक्षा तथा फील्ड दौरों के माध्यम से फील्ड बलों के कार्य की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते हैं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन के लिए जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण कार्यक्रम

1483. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त विद्युत उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण/जीवन काल में विस्तार के लिए कतिपय मौजूदा विद्युत स्टेशनों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 10वीं योजना के दौरान 23700 एम.यू./वर्ष विद्युत उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि के लिए जीवन विस्तार

कार्यों के लिए 106 ताप विद्युत यूनिटों को अभिज्ञात किया गया है। 57 ताप विद्युत यूनिटों को भी उनके कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों के लिए अभिज्ञात किया गया है। इसके अतिरिक्त 2446.87 मे.वा. विद्युत का लाभ प्राप्त करने के लिए नवीकरण, आधुनिकीकरण, उच्चीकरण और जीवन विस्तार के क्रियान्वयन हेतु 74 विद्यमान जल विद्युत स्टेशनों को अभिज्ञात किया गया है। 10वीं योजना के दौरान नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार के क्रियान्वयन हेतु अभिज्ञात किये गये विद्युत स्टेशनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जीवन विस्तार हेतु 10वीं योजना के दौरान अभिज्ञात ताप विद्युत यूनिटें

क्रम सं.	स्टेशन/यूनिट का नाम	वर्तमान निर्धारित क्षमता (मेगावाट)	अधिकतम उत्पादन (मेगावाट)	एलईपी के बाद संभावित क्षमता (मेगावाट)	अतिरिक्त विद्युत उत्पादन (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6
दिल्ली					
1.	बदरपुर यूनिट 1-5	705	705	720	15
हरियाणा					
2.	पानीपत यूनिट 1, 3 व 4	330	300	330	30
3.	फरीदाबाद यूनिट 1-3	165	159	180	21
पंजाब					
4.	भटिंडा यूनिट 1-4	440	400	440	40
उत्तर प्रदेश					
5.	ओबरा यूनिट 1-3	1482	1335	1550	210
6.	पनकी यूनिट 3-4	210	190	220	30
7.	हरदुआगंज यूनिट 1, 3, 4, 5 और 7	325	235	340	105
महाराष्ट्र					
8.	नासिक यूनिट 1-2	280	250	280	30
9.	पारस यूनिट-2	58	58	62.5	4.5
10.	भुसावल यूनिट 1	58	58	62.5	4.5

1	2	3	4	5	6
11.	कोराडी यूनिट 1-4	460	440	480	40
12.	पारली यूनिट 1-2	60	60	60	0
छत्तीसगढ़					
13.	कोरबा पूर्व यूनिट 1, 4, 5 व 6	320	280	340	60
मध्य प्रदेश					
14.	सतपुड़ा यूनिट 1-5	310.25	300	310.25	10.25
15.	अमरकंटक यूनिट	290	240	300	60
गुजरात					
16.	गांधीनगर यूनिट 1-2	240	200	240	40
17.	धुवण यूनिट 1-6	534	422	534	112
18.	उकई यूनिट 1-2	240	210	240	30
तमिलनाडु					
19.	एन्नौर यूनिट 1-2	120	100	120	20
20.	तूतीकोरिन यूनिट 1-3	630	630	630	0
आंध्र प्रदेश					
21.	विजयवाड़ा यूनिट 1-2	420	420	420	0
22.	कोठागुडम यूनिट 6-8	325	300	360	60
पश्चिम बंगाल					
23.	मंथालडीह यूनिट 1-3	360	260	360	100
24.	बांडेल यूनिट 1-4	320	260	330	70
25.	दुर्गापुर डीवीसी यूनिट-3	140	110	140	30
झारखंड					
26.	चन्द्रपुरा डीवीसी यूनिट 1-6	750	570	780	210

1	2	3	4	5	6
27.	बोकारो यूनिट 1-3	135	0	172.5	172.5
28.	पतरातू यूनिट 4-8	430	315	470	155
बिहार					
29.	बरौनी यूनिट 4-8	100	0	100	100
असम					
30.	चन्द्रपुर यूनिट-1	30	0	30	30
31.	नामरूप यूनिट-1	23	23	23	0
32	बोंगईगांव यूनिट 1-2		0	120	120

आर एंड एम हेतु 10वीं योजना में अभिज्ञात ताप विद्युत यूनिटें

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
राजस्थान			
1.	कोटा	1 - 5	850
पंजाब			
2.	रोपड़	1 - 6	1260
महाराष्ट्र			
3.	नासिक	3 - 5	630
4.	कोराडी	5 - 7	630
5.	चन्द्रपुर	1 - 6	1840
6.	पारली	3 - 5	630
7.	खापरखेड़ा	1 - 2	420
8.	भुसावल	2 - 3	420
गुजरात			
9.	कच्छ लिग्नाइट	1 - 2	140
मध्य प्रदेश			
10.	सिंगरौली एसटीपीएस	1 - 7	2000
11.	विन्ध्याचल	1 - 6	1260
छत्तीसगढ़			
12.	कोरबा	1 - 6	2100
आंध्र प्रदेश			
13.	रामागुंडम	1 - 6	2100

10वीं योजना कार्यक्रम में जल विद्युत स्कीमों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और उच्चीकरण

क्र. सं.	स्कीम का ब्यौरा	स्कीम श्रेणी	प्रत्याशित लाभ	
			मेगावाट	मि०यू०
1	2	3	4	5
	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम			
	मेघालय			
1.	खांगडोंग, नीपको 2x25 मे.वा.	आर एंड एम	–	–
	निर्माणाधीन			
	पंजाब			
2.	भाखड़ा एलबी, बीबीएमबी 5x90 मे०वा० (वास्तविक), 1960-61 5x108 मे०वा० (1985 में प्रचालित)	आरएमयू एंड एलई	108 (एल ई) 18 यू आर (एक यूनिट)	520* + 42.54*
3.	पौंग बीबीएमबी 6x60 मेगावाट	आर एम एंड यू	36 (यू आर)	5.77
4.	गंगवाल यूनिट-1 बीएमबी 1x29.25 मे.वा. (संस्थापित) 1x25.89 मे.वा. (री-रेटेड)	आरएमयू एंड एलई	25.89 (एल ई) + 2.09 (यू आर) संशोधित 25.89 (एल ई) + 2.10 (यू आर)	211.27 + 17.05 संशोधित 211.27+17.14
5.	कोटला यूनिट-1 बीबीएमबी 1x29.285 मे.वा. (संस्थापित) 1x26.61 मे.वा. (री-रेटेड)	आरएमयू एंड एलई	26.61 (एल ई) + 2.35 (यू आर) संशोधित 26.61 (एल ई) + 2.33 (यू आर)	217.14 + 19.17 संशोधित 217.14+19.01
	झारखंड			
6.	मैथान डीवीसी, झारखंड, 30x20 मे.वा. (यूनिट-2)	आरएमयू एंड एलई	20 (एल ई) 3.2 (यू आर)	66.22
	मणिपुर			
7.	लोकतक एनएचपीसी 3x35 मेगावाट	आर एंड एम + रेस.	15.00 (रेस.)	40.26

1	2	3	4	5
अवशिष्ट जीवन मूल्यांकन अध्ययन के अंतर्गत सूचित स्कीमें				
झारखंड				
1.	मेथान डीवीसी 3x20 मेगावाट (आईसी (यू 1 एंड 3)	आरएमयू एंड एल ई	40 (एल ई) 6.4 (यू आर) 6.0 संशोधित किया जा रहा है।	132.44
2.	पंचेट डीवीसी 1x40 मेगावाट (यू-वन कनवे.)	आरएमयू एंड एलई	40 (एल ई) 6 (यू आर)	100.4
विस्तृत परियोजना चरण में स्कीमें				
जम्मू व कश्मीर				
1.	सलाल चरण-II, एनएचपीसी 3x115 + 3x115 मेगावाट	आर एंड एम - रेस.	75 (रेस.)	227 में संशोधन किया जा रहा है।
असम				
2.	कोपिली, नीपको 2x50 मेगावाट 2x50 मेगावाट	आर एंड एम (यूनिट 1 और 2)	–	–
राज्य क्षेत्र में पूरी हुई स्कीमें				
पंजाब				
1.	शान चरण-क 4x12 (मेगावाट (उन्नीकृत 4x15 मेगावाट) 1x50 मेगावाट	आर एंड एम	–	–
कर्नाटक				
2.	नागझरी (यू 1 और 3) केपीसीएल 1979-84 1x135 मेगावाट	आर एम एंड यू	30 (यू आर)	–
3.	सुपा पीएच, केपीसीएल 1985 2x50 मे.वा.	आर एंड एम	–	–
4.	महात्मा गांधी वीवीएनएल 1947-52 4x12+4x18 मेगावाट	आरएमयू एंड एलई	120 (एल ई) 19.2* (यू आर)	250

1	2	3	4	5
5.	मुनिराबाद उत्पादन स्टेशन वीवीएनएल, 1962-65 2x9+1x10.3 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	28.3 (एल ई)	100
6	मणिबांध पावर हाऊस 2x4.5 मेगावाट	आर एंड एम	–	–
7.	पल्लीवसल, केएसईबी 3x5 + 3x7.5 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	37.5 (एल ई)	284
8.	सेंगुलम, केएसईबी 4x12 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	48 (एल ई)	184
9.	पन्नियार, केएसईबी 2x12 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	30 (एल ई)	148
	मेघालय			
10.	उमियम चरण-1 4x9 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	36 (एलई)	–
	राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन स्कीमें			
	जम्मू व कश्मीर			
1.	लोअर झेलम जेएंड के पीडीसी 3x35 मेगावाट	आर एम एंड यू - रेस.	9 (यूआर) 25 (पुनर्स्थापन)	81.6
	पंजाब			
2.	शान चरण-बी 4x12 मेगावाट 4x15 मेगावाट उच्चीकृत 1x50 मेगावाट	15 मेगावाट की आरएम एंड एलई और 50 मेगावाट यूनिट का आर एंड एम	60 (एल ई)	–
	राजस्थान			
3.	जवाहर सागर 3x33 मेगावाट	आर एंड एम	–	–
4.	राणा प्रताप सागर 4x43 मेगावाट	आर एंड एम	–	–
	उत्तरांचल			
5.	चिब्रो, यूपेवीएनएल 4x60 मे.वा.	आर एंड एम	–	20
6.	चिल्ला यूजेवीएनएल 4x36 मे.वा.	आर एंड एम	–	60

1	2	3	4	5
7.	खोदरी, यूजेवीएनएल 1984 4x30 मे.वा.	आर एंड एम	–	10
	कर्नाटक			
8.	भद्रा चरण-2, केपीसीएल 1 2x12 + 1x7.2 + 1x2 मे.वा. 1x6 मे.वा.	आर एम एंड एल ई	(एल ई)	6
9.	वराही, केपीसीएल 2x115 मेगावाट	आर एंड एम	–	–
10.	शरावती चरण-क 10x103.5 मेगावाट	आर एंड एम	–	–
11.	शिवसमुद्रम केपीसीएल 6x3 +4x6 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	(एल ई)	250 में संशोधन किया जा रहा है।
	केरल			
12.	मंबरीगिरि 6x50 मेगावाट	आर एम यू एंड एल ई	300 (एल ई) 35 (यू आर) (यू 1 से यू 5 आर)@5 एम डब्ल्यू 6 @10 एम डब्ल्यू	1338 + 26.76
13.	नेरीमंगलम, केएसईबी 1961-63 3x15 मेगावाट	आर एम यू एंड एल ई	45 (एल ई) 9 (यू आर)	330.8
	तमिलनाडु			
14.	मेत्तूर डांभ पीएच टीएनईबी 4x5 मेगावाट	आर एम यू एंड एल ई	40 (एल ई) 10 (यू आर)	111.98
15.	पपनासम टीएनईबी 1944-51 4x7 मेगावाट	आर एम यू एंड एल ई	28.0 (एल ई) 4.0 (यू आर)	105
16.	पाइकारा टीएनईबी 1934-54 3x6.65 + 1x11+ मेगावाट (यू-4 को छोड़कर)	आर एम एंड एल ई	58.95 (एल ई)	268.16
	उड़ीसा			
17.	हीराकुंड 1, ओएचपीसी	आर एंड एम	–	–

1	2	3	4	5
18.	हीराकुंड-1 (यू 3 व 4), 2x24 मे.वा. (बुरला), ओएचपीसी 1956-57 2x24 मेगावाट	आर एम यू एंड एल ई	48 (एल ई) 16 (यू आर)	231.04
19.	हीराकुड-II, ओएचपीसी 3x24 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	72 (एल ई)	376
20.	जलढाका I+II 3x9 + 2x4 मेगावाट	आर एम एंड एल ई 27 स्टेज-I यूनिट का (एल ई)		45 (स्टेज-I) 12.6 (स्टेज-II)
	महाराष्ट्र			
21.	भीरा टेल्लरेस विद्युत गृह एमएसईबी 1987-88 2x40 मेगावाट	आर एंड एम	–	–
22.	कोयना उत्पादन परिसर 4x70 मेगावाट 4x80 मेगावाट 4x80 मेगावाट	आर एंड एम	–	–
23.	तिल्लारी एचपीएस, एमएसईबी 1x60 मेगावाट	आर एम एंड यू	8.2 (यू आर)	–
	त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम/पावर फाइनेंस कारपोरेशन वित्तपोषण के लिए अभिनिर्धारित स्कीमें।			
	हिमाचल प्रदेश			
1.	ग्रम्सी, एचपीएसईबी 4x15 मेगावाट	आर एम यू एंड एल ई	60 (एल ई) 6 (यू आर)	351
	जम्मू व कश्मीर			
2.	चेनानी जम्मू व कश्मीर, पीडीसी 5x4.66 मेगावाट	आर एम यू एंड एल ई	23.3 (एल ई)	123.36
3.	गांडेरबल, जे एंड के, पीडीसी 2x3 मेगावाट+2x4.5 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	15 (एल ई)	93.64

1	2	3	4	5
4.	संभलसिंध जेएंडके पीडीसी 2x11.3 मेगावाट	आर एम एंड यू	3 (यू आर)	13.28
	उत्तरांचल			
5.	धकरानी, यूजेवीएनएल 3x11.25 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	33.75 (एल ई)	160 संशोधित कर शून्य कर दिया गया है।
6.	धालीपुर, यूजेवीएनएल 3x17 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	51 (एल ई)	20 संशोधित कर शून्य कर दिया गया है।
7.	तिलोथ यूजेवीएनएल 3x30 मेगावाट	आर एंड एम	–	30 संशोधित कर शून्य कर दिया गया है।
	आंध्र प्रदेश			
8.	हम्पी, एपीजेनको 4x9 मेगावाट (स्टेज-I) 2x9 मे.वा. (स्टेज-II)	आर एम एंड एल ई	36 (एल ई)	118
9.	मचकुंड एपीजेनको, 1955-56 (स्टेज-I) 3x17 मेगावाट 3x21.25 मेगावाट	आर एम यू एंड एल ई	114.75 (एल ई) + 15.25 (एल ई)	778.45
10.	तुंगभद्रा बांध एपीजेनको 4x9 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	36 (एल ई)	118
	कर्नाटक			
11.	भद्रा केपीसीएल (2 मेगावाट) (2x12+1x7.2 मेगावाट) (6 मेगावाट) 2x12 + 1x7.2 + 1x6 + 1x2 मेगावाट	12 मे.वा. यूनिट का आर एम एंड एल ई	24 (एल ई)	25.3
12.	नागझरी केपीसीएल 3x135 मेगावाट (यू-4, 5 और 6)	आर एम एंड यू	45 (यू आर)	–
13.	शरावती (फेज-बी) केपीसीएल 10x103.5 मेगावाट	आर एंड एम	–	–

1	2	3	4	5
14.	शोलायार 2x35 मेगावाट	आर एम यू एंड एल ई	70 (एल ई) 14 (यू आर)	188 में संशोधन किया गया 268.0
	महाराष्ट्र			
15.	कोयना स्टेज-I 4x70 मेगावाट स्टेज-II 4x80 मेगावाट	आर एंड एम	–	–
16.	कोयना चरण-III, 4x80 मेगावाट	आर एंड एम	–	–
17.	वैतरणा 1x60 मेगावाट	आर एम एंड यू	6 (यू आर)	10
	मेघालय			
18.	उमियम चरण-II 2x9 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	18 (एल ई)	–
	वे स्कीमें जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण में हैं,			
	हिमाचल प्रदेश			
1.	गिरी 2x30 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	60 (एल ई)	–
2.	खटीमा 3x13.8 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	41.4 (एल ई)	198 संशोधित कर शून्य कर दिया गया है।
3.	पथरी 3x6.8 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	20.4 (एल ई)	40 संशोधित कर शून्य कर दिया गया है।
	महाराष्ट्र			
4.	कोयना डैम पीएच 2x18 मेगावाट	आर एम एंड यू	8 (यू आर)	10
	वे स्कीमें जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण में हैं			
	पंजाब			
1.	आनंदपुर साहिब 4x33.5 मेगावाट	आर एम एंड	–	–
2.	मूकेरियां चरण-1 3x15 मेगावाट	आर एम एंड	–	–

1	2	3	4	5
	उत्तरांचल			
3.	कुल्हल 3x10 मेगावाट	आर एंड एम	–	10 संशोधित कर शून्य कर दिया गया है।
4.	रामगंगा 3x66 मेगावाट	आर एंड एम + रेस.	18 (रेस.)	–
	कर्नाटक			
5.	लिंगानमक्की, 2x27.5 मेगावाट	आर एंड एम	–	–
	केरल			
6.	कटियाडी 3x25 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	75 (एल ई)	248
7.	पोरिंगलकुथ 4x8 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	32 (एल ई)	171
	मेघालय			
8.	किरदमकुलई 2x30 मेगावाट	आर एम एंड एल ई	6 (यू आर)	–

[हिन्दी]

छावनी परिषदों के लिए अनुदान

1484. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा छावनी परिषदों को कितना वार्षिक अनुदान दिया जाता है और इन परिषदों द्वारा राजस्व की वसूली बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या राजस्व वसूली में सरकार की ओर से कोई ढील बरती गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस कारण कितने राजस्व का घाटा हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) घाटे में चल रही छावनी परिषदों को उनका बजट संतुलित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान सहायता दी जाती है। चालू वर्ष में इस कार्य के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

छावनी परिषदों द्वारा करों, प्रभारों, शुल्कों में संशोधन करके और जहां व्यवहार्य हो शॉपिंग परिसरों आदि का निर्माण करके अपनी आय बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। राजस्व वसूली में छावनी परिषद की ओर से कोई ढील नहीं बरती गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों की प्राकृतिक गैस नीति

1485. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को अपनी-अपनी अलग प्राकृतिक गैस नीति तैयार करने की अनुमति प्रदान करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सवारी डिब्बों की कमी

1486. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में और विशेषकर पाटन-अहमदाबाद के बीच छोटी रेल लाइन पर रेलवे के सवारी डिब्बों का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) और (ख) सवारी डिब्बे राज्यवार आबंटित नहीं किए जाते हैं। कुल मिलाकर, पश्चिम रेलवे पर मीटर लाइन के सवारी डिब्बों की कोई कमी नहीं है। बहरहाल, मीटर लाइन पर सामान्य दर्जे के सवारी डिब्बों की कमी है। मौजूदा मीटरी लाइन वाले खंडों के बड़ी लाइन में परिवर्तन तथा नए मीटर लाइन सवारी डिब्बों के उत्पादन होने से कमी उत्तरोत्तर समाप्त हो रही है।

बंगलौर में ऊर्जा शिक्षा उद्यान

1487. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव बंगलौर में ऊर्जा शिक्षा उद्यान स्थापित करने का है;

(ख) इस उद्यान की स्थापना में कितनी लागत आयेगी;

(ग) केन्द्र सरकार ने इस उद्यान के लिए अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की है; और

(घ) इस उद्यान के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) जी, हां। कर्नाटक सरकार के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित एक स्वायत्त निकाय, कर्नाटक अक्षय ऊर्जा विकास लिमिटेड (के आर ई डी एल), बेंगलूर को एक राज्य स्तरीय अक्षय ऊर्जा जागरुकता/शिक्षा पार्क की मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी स्थापना इंदिरा गांधी म्यूजिकल फाउंटेन, अली अस्कर रोड, बेंगलूर में की जानी है।

(ख) पार्क की अनुमानित लागत लगभग 125 लाख रु. है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई राशि 98,25,000/- रु. है।

(घ) इस पार्क को अप्रैल, 2005 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

बोडो-जनजातीय क्षेत्रों के लिए आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

1488. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बोडोलैंड क्षेत्र के अंतर्गत विशेषत: भारत-भूटान सीमान्त क्षेत्रों में बोडो जनजातीय बहुल इलाकों में कुछ और नए आकाशवाणी केन्द्र और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) कोकराझार में उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर और बोडोलैंड क्षेत्र में उदलगुरी में अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना से संबंधित स्कीमों को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज में शामिल किया गया है। तथापि, आकाशवाणी के नए केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि बोडो-जनजातीय बहुल क्षेत्र और भारत-भूटान सीमावर्ती क्षेत्रों को असम में कोकराझार, डुबरी और गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, सिक्किम में गंगटोक और अरुणाचल प्रदेश में त्वांग स्थित आकाशवाणी केन्द्रों के रेडियो सिग्नलों द्वारा भली-भांति कवर किया जाता है।

[हिन्दी]

पीजीसीआई में सेवानिवृत उच्च अधिकारियों की समिति

1489. **श्री तूफानी सरोज** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआई) ने विभिन्न मुद्दों पर परामर्श और सुझाव देने के लिए सरकारी क्षेत्र के सेवानिवृत उच्च अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के समक्ष विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या केंन्द्रीय सतर्कता आयोग और भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक उक्त समिति की नियुक्ति के पक्ष में नहीं थे, और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) पावरग्रिड ने दो समितियां गठित की हैं – पहली बाहरी एजेन्सियों द्वारा उठाए गए प्राप्ति, परियोजना, निष्पादन और वित्तीय पहलुओं से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर सलाह के लिए और दूसरी विभिन्न वित्तीय प्रबन्धन मामलों पर सलाह के लिए।

(ख) दोनों समितियों के विचारणीय विषयों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। इन समितियों के सदस्यों की सूची विवरण-II में है।

(ग) दोनों समितियों के गठन पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की ओर से या कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इण्डिया की ओर से कोई विपरीत टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

(i) बाहरी एजेन्सियों द्वारा उठाए गए प्रापण, परियोजना निष्पादन और वित्तीय पहलुओं से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर सलाह देने के लिए पावरग्रिड द्वारा गठित समिति का विचारणीय विषय।

(1) बाहरी एजेन्सियों अर्थात् आडिटरों, अन्य एजेन्सियों आदि द्वारा उठाए गए प्रापण, परियोजना निष्पादन और वित्तीय पहलुओं के सम्बन्ध में उठाए गए समिति को निर्दिष्ट किए गए लेखा पैरों/प्रश्नों/शिकायतों/मामलों का अध्ययन।

(2) क्रम संख्या 1 में उल्लिखित लेखा पैरा/प्रश्नों/शिकायतों/मामलों से सम्बन्धित बोली दस्तावेजों/ठेका करारों/मूल्यांकन रिपोर्टों/कार्यों और प्रापण नीतियों और प्रक्रियाओं या अन्य दस्तावेजों के प्रावधान का अध्ययन।

(3) बोली/ठेका के उपयुक्त प्रावधानों या उत्तरों से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजों के साथ पावरग्रिड द्वारा प्रस्तावित/संकलित उत्तरों/विचारों का अध्ययन/पुनरावलोकन।

(4) उपरोक्त क्रम सं. 1 व 3 के सम्बन्ध में समयबद्ध तरीके से किन्तु लेखा पैरा/प्रश्नों/शिकायतों/मामलों को निर्दिष्ट करने की तारीख से तीस दिन से अधिक न हो, पावरग्रिड को तर्कसंगत निष्कर्षों/टिप्पणियों/अवलोकनों को प्रस्तुत करना।

(5) ऐसे पुनरावलोकनों के निक्षेपों के रूप में वर्तमान प्रणालियों और प्रक्रियाओं के सुधार के लिए उपायों का सुझाव देना।

(ii) विभिन्न वित्तीय प्रबन्धन मामलों पर परामर्श के लिए पावरग्रिड द्वारा गठित समिति के विचारणीय विषय।

(1) पारेषण व्यवसाय की भावी आवश्यकताओं के सन्दर्भ में वित्तीय निष्पादन और प्रचालन कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए वर्तमान वित्तीय प्रबन्धन नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पुनरावलोकन।

(2) पारेषण व्यवसाय के सन्दर्भ में वर्तमान वित्तीय प्रबन्धन कार्यनीतियों - लघु अवधि और दीर्घ अवधि का पुनरावलोकन।

(3) वित्तीय निष्पादन और प्रचालन कार्यकुशलता के सुधार से सम्बन्धित मामलों का पुनरावलोकन।

(4) आई.पी.ओ. सहित निजी भागीदारी के विकास के लिए व्यावसायिक विकल्पों सहित घरेलू के साथ-साथ विदेशी बाजारों से निधियों का संग्रहण।

(5) नए व्यवसाय-विविध व्यवसाय आदि का वित्तपोषण।

(6) लाभांश नीति का पुनरावलोकन।

(7) उपरोक्त पुनरावलोकन के आधार पर नयी प्रणालियों, प्रक्रियाओं और कार्यनीतियों का सुझाव देना।

विवरण-II

(I) बाहरी एजेन्सियों द्वारा उठाए गए प्रापण, परियोजना निष्पादन और वित्तीय पहलुओं से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर परामर्श के लिए पावरग्रिड द्वारा गठित समिति के सदस्यों की सूची।

(i)	श्री एन० विट्ठल, पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त	अध्यक्ष
(ii)	डॉ० त्रिनाथ मिश्र, पूर्व-निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	सदस्य
(iii)	श्री जे०एस० माथुर, उप नियंत्रक और महालेखाकार और अध्यक्ष, ऑडिटर बोर्ड	सदस्य
(iv)	श्री पी०एस० बामी पूर्व, सी०एम०डी० एनटीपीसी	सदस्य
(v)	प्रबन्धन विकास संस्थान से एक वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञ	सदस्य
(vi)	सिविल/विद्युत प्रणाली में क्षेत्र में आई. आई.टी. से एक विशेषज्ञ	सदस्य
(vii)	जी एम/ ए जी एम-पावरग्रिड में आंतरिक लेखा प्रभारी	सदस्य-सचिव

(II) विभिन्न वित्तीय प्रबन्धन मामलों पर सलाह के लिए पावरग्रिड द्वारा गठित समिति के सदस्यों की सूची

(i)	श्री वी०के० शुंगलू, भारत के पूर्व सी०ए०जी०	अध्यक्ष
(ii)	श्री पी०एस०बामी, पूर्व सी०एम०डी; एनटीपीसी	सदस्य
(iii)	श्री अरुण सिंह, चार्टर्ज एकांऊटेंट	सदस्य
(iv)	श्री डी सान्याल, प्रोफेसर, एमडीआई, गुडगांव	सदस्य
(v)	कार्यपालक निदेशक (वित्त), पावरग्रिड	सदस्य सचिव

[अनुवाद]

दाहेज एल.एन.जी. टर्मिनल

1490. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दाहेज एल. एन. जी. टर्मिनल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इसकी व्यवहारिकता संबंधी कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) दाहेज एल.एन.जी. टर्मिनल 98% पूरा हो चुका है और दिसम्बर, 2003 के अंत तक यह यांत्रिक रूप से पूरा हो जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट फ्रांस की मैसर्स सोफरेगेज द्वारा तैयार की गई थी जो एल.एन.जी. के क्षेत्र में एक अग्रणीय परामर्शदाता हैं। यह परियोजना तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाई गई। इस परियोजना के निष्पादन से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और मांग के बीच अंतराल कम हो जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांशों का निवेश

1491. **श्री अरुण कुमार :**
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रण महालेखापरीक्षक ने दिनांक 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार अपनी रिपोर्ट में यह बात प्रकाश में लाई है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 270 उपक्रमों में सरकार द्वारा निवेश की गयी 93,755 करोड़ रुपये की धनराशि पर वर्ष 2001-02 के दौरान 86 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 8201 करोड़ रुपये मूल्य का लाभांश सरकार को प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-02 के दौरान सरकारी क्षेत्र के शेष 184 उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान न करने के क्या कारण हैं और उनसे कितना लाभांश प्राप्त किया जा सकता था; और

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सरकार को कितने अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) दिनांक 24.4.2003 को संसद में प्रस्तुत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की वर्ष 2003 की रिपोर्ट संख्या 1 जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की समीक्षा शामिल है, के अनुसार:-

(i) लेखा परीक्षण में 93755.50 करोड़ रुपए के सरकारी निवेश वाले सरकारी क्षेत्र के 268 उपक्रमों के लेखों की समीक्षा की गई थी।

(ii) वर्ष 2001-02 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 86 उपक्रमों ने 8201.57 करोड़ रुपए का लाभांश घोषित किया था, जिसमें से 5959.20 करोड़ रुपए भारत सरकार को देय थे/भुगतान कर दिए गए थे।

(ख) और (ग) लेखा परिक्षण में शामिल 268 कम्पनियों में से सरकारी क्षेत्र के 120 सरकारी उपक्रमों ने घाटा उठाया था। तथापि, उद्यम-विशेष से सम्बन्धित लाभांशों की घोषणा न करने, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त हो सकने वाले लाभांश की राशि तथा अन्तरिम लाभांश से सम्बन्धित राशि का विवरण केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

हेपेटाइटिस-बी टीके की खरीद

1492. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह स्पष्ट शर्त है कि सरकार केवल डब्ल्यू.एच.ओ. जेनेवा द्वारा पूर्व योग्यता प्राप्त फर्मों से टीका खरीदेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा मंत्रालय एक ऐसी भारतीय फर्म से हेपेटाइटिस-बी घटिया टीका खरीद रही है जो डब्ल्यू.एच.ओ. जेनेवा द्वारा पूर्व योग्यता प्राप्त फर्म नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वास्तविक तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को संसद सदस्यों से इस घटिया टीके की खरीद के विरोध में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है;

(च) क्या सशस्त्र बल चिकित्सा आपूर्ति डी.जी.ए.एफ.एम.एस. महानिदेशक कार्यालय में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निर्मित रीवेक-बी (हेपेटाइटिस-बी) टीके के कारण कुछ बच्चों की मौत के मामले दर्ज हैं;

(छ) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और क्या कार्रवाई की गयी है;

(ज) क्या आपूर्ति की जा रही दवाइयों की गुणवत्ता संबंधी कोई जांच चल रही है; और

(झ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (झ) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सशस्त्र सेनाओं के अस्पतालों में इस्तेमाल के लिए हेपेटाइटिस-बी का टीका पूर्व-योग्यता प्राप्त फर्मों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जेनेवा से ही अधिप्राप्त किया जाना चाहिए।

अधिप्राप्त किया जा रहा टीका निर्धारित विनिर्दिष्टियां पूरी करता है और मानक गुणता का है। टीके उसी बोलीदाता से अधिप्राप्त किए जाते हैं जो निविदा में निर्धारित विनिर्दिष्टियां पूरी करता हो और जिसकी कीमत सबसे कम हो। इसके अतिरिक्त, इस टीके का निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

पूर्व-योग्यता प्राप्त फर्मों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जेनेवा से हेपेटाइटिस-बी का टीका अधिप्राप्त किए जाने के बारे में संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जिस समय अधिप्राप्ति संबंधी कार्रवाई की जा रही थी उस समय इन अभ्यावेदनों पर महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के स्तर पर सम्यक् रूप से विचार किया गया है।

अक्तूबर-नवंबर 2002 में जबलपुर में आयोजित हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण शिविर में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। शव परीक्षा के दौरान इस बात की पुष्टि हुई थी कि मृत्यु एक विरल एलर्जिक जटिलता की वजह से हुई थी। चूंकि शव परीक्षा में इस बात की पुष्टि हो गई थी कि मृत्यु एलर्जिक प्रतिक्रिया की वजह से हुई थी न कि टीके की गुणता में किसी तरह की कमी की वजह से, इसलिए आगे जांच की जरूरत नहीं समझी गई थी।

वक्फ अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

1493. **श्रीमती रानी नरह :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत वक्फ बोर्डों की स्थापना में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से वक्फ अधिनियम, 1995 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए आगे क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जा रहे हैं कि सभी राज्य सरकारें उक्त अधिनियम के सभी प्रावधानों को कार्यान्वित करें?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर लिखती रही है। केन्द्रीय सरकार सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के संबंधित सचिवों के साथ बैठकों में कार्यान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा कर रही है।

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वक्फ अधिनियम, 1995 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए लगातार कहा जा रहा है।

केरल में परियोजनाएं

1494. **श्री वी.एस. शिवकुमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोचुवेली में उपग्रह टर्मिनल से संबंधित कार्य, नेमोम में दोहरी लाइन वाले क्रासिंग स्टेशन और त्रिवेन्द्रम डिवीजन के पारस्सला में क्रासिंग स्टेशन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इन कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) कोचुवेली में दूसरे कोचिंग टर्मिनल के लिए निविदाओं की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। नेमोम क्रासिंग स्टेशन के लिए मिट्टी संबंधी कार्य हेतु भी निविदाओं की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है।

पारस्सला क्रासिंग स्टेशन पर मिट्टी, प्लेटफार्म, बचाव संबंधी इत्यादि कार्य प्रगति पर हैं। स्टेशन की इमारत, कर्मचारियों के आवासों इत्यादि के लिए भी निविदाओं पर कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

(ख) और (ग) नेमोम क्रासिंग स्टेशन संबंधी कार्य के 2004-05 की दौरान पूरा करने की योजना है तथा कोचुवेली टर्मिनल तथा पारस्सला कार्य के अगले 2-3 वर्षों में पूरा हो जाने की आशा है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(घ) चालू कार्यों को पूरा करने में तेजी लाने हेतु संसाधन बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) का आबंटन

1495. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) ने अधिक धनराशि के आबंटन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) और (ख) जी नहीं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने अधिक धनराशि की मांग नहीं की।

[अनुवाद]

मंत्रालय में अ.पि.व. के कर्मचारी

1496. **श्री पी.डी. एलानगोवन :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों, स्वायत सहायक और संबद्ध कार्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश मामलों में विशेषकर समूह क और ख में कुल कर्मचारियों की तुलना में अ.पि. वर्ग के कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु और रोजगार के अवसरों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के साथ सामाजिक न्याय हेतु सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने समूह क, ख, ग और घ में अ.पि.व. के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न, स्वायत सहायक और संबद्ध कार्यालयों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) अन्य पिछड़े समुदायों (ओ सी सीज) के लिए आरक्षण के विषय में समय-समय पर राष्ट्रपति के निर्देश जारी होते हैं। तथापि, जहां तक वर्ग ''क'' तथा ''ख'' पदों के लिए चयन/भर्ती का संबंध है, ये पद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित आरक्षण नीतियों का ध्यान रखता है, द्वारा भरे जाते हैं तथा इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अपने संबंधित संगठनों में तुलनीय पदों की भर्ती के समय अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीतियों से संबंधित राष्ट्रपति के निर्देशों का ध्यान रखते हैं।

(घ) कुछ एक तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों की रिक्तियों/पदों का कुछ बैकलाग है और ये रिक्त पद भरे नहीं जा सके क्योंकि ये कंपनियां परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के उपयुक्त बनने के लिए स्वयं का इष्टतमीकरण कर रही हैं। तथापि, संबंधित तेल सावंजनिक क्षेत्र उपक्रम अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित बकाया रिक्तियों/पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में रेल परियोजनाएं

1497. **डा. महेन्द्रसिंह पाल :**
श्री ए. नरेन्द्र

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरांचल में नई/निर्माणाधीन/लंबित रेल परियोजनाओं और सर्वेक्षणों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को परियोजनावार पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या परियोजनाएं समयानुसार चल रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार चालू परियोजनाएं प्रगति कर रही हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उत्तरांचल में चालू रेल परियोजनाओं और उन परियोजनाओं जिनका सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है, की स्थिति निम्नानुसार है:-

(i) आंशक रूप से उत्तरांचल में आने वाली सिर्फ एक परियोजना अर्थात् कानपुर-कासगंज-मथुरा, कासगंज-बरेली और बरेली-लालकुंआ के आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है। कानपुर-फरूखाबाद (140 किमी.) खण्ड पर मिट्टी संबंधी कार्य लगभग पूरा हो चुका है, 150 छोटे पुल तथा 4 बड़े पुल पूरे हो चुके हैं। फरूखाबाद-कासगंज-मथुरा और कासगंज-बरेली-लालकुंआ (404.5 किमी.) खण्डों पर 7.46 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी संबंधी कार्य, 2 बड़े पुल और 89 छोटे पुल पूरे किए जा चुके हैं। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, आगामी वर्षों में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

(ii) उत्तरांचल में एक बड़ी संख्या में सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है, लेकिन चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो-फारवार्ड के कारण स्वीकृति न मिलने और संसाधनों की अत्यंत तंगी के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका है।

(क) भोजीपुरा-पीलीभीत-टनकपुर आमान परिवर्तन

(ख) मुजफ्फरनगर से हरिद्वार नई लाइन बरास्ता रुड़की

(ग) हरिद्वार-कोटद्वार-रामनगर नई लाइन

(घ) ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई लाइन

(ङ) ऋषिकेश से देहरादून नई लाइन

(च) देहरादून और सहारनपुर नई लाइन

(छ) देहरादून-चंडीगढ़ नई लाइन

सितारगंज और नानकमाता के रास्ते किच्छा से खतीना तक नई बड़ी आमान लाइन के लिए एक प्रस्ताव आवश्यक अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए नई विद्युत नीति

1498. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए खरीद में प्राथमिकता न देने की नीति को लागू करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ग) नई विद्युत नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) मौजूदा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादों और सेवाओं के लिए क्रय-वरीयता स्कीम संबंधी नीति 31.3.2004 तक चालू रहेगी। इसी बीच विद्युत परियोजनाओं की बोली के दौरान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाने के जरिए विद्युत की लागत को कम करने की दृष्टि से मामला दर मामला आधार पर जब कभी भी जरूरत है, खरीद रियायत से विद्युत मंत्रालय के ऐसे प्रस्तावों मे छूट प्रदान करने के लिए, स्कीम की सामान्य समीक्षा को लंबित करते हुए सरकार ने समग्र स्थिति को मंजूरी दी है और वित्त मंत्रालय को प्राधिकृत किया। सरकार ने पूरी स्थिति पर विचार किया तथा स्कीम की सामान्य समीक्षा न होने तक वित्त मंत्रालय को आवश्यकतानुसार मामला दर मामला आधार पर विद्युत मंत्रालय के ऐसे प्रस्तावों को क्रय वरीयता से छूट देने हेतु प्राधिकृत किया है।

एन.एच.पी.सी. द्वारा जल विद्युत उत्पादन

1499. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.एच.पी.सी. ने जल विद्युत उत्पादन हेतु कुछ स्थानों/स्रोतों की राज्यवार पहचान की है;

(ख) दसवीं योजनावधि के दौरान राज्य-वार अभी तक पूरी की गई परियाजनाओं, चालू परियोजनाओं और नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में किसी जल विद्युत परियोजना पर काम शुरू किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या एनएचपीसी द्वारा एनटीपीसी के साथ मिलकर किसी जल विद्युत परियोजना को आरंभ किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या एनटीपीसे ने स्वतंत्र रूप से कि जल विद्युत परियोजना पर काम शुरू किया है; और

(ज) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) द्वारा निष्पादन हेतु अभिनिर्धारित परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

(ख) एनएचपीसी द्वारा अब तक निष्पादित परियोजना के ब्यौरे नीचे दिए गये हैं:-

क्रम सं.	परियोजनाएं	अस्थायी क्षमता (मे०वा)०	उत्पादन का वर्ष
1	2	3	4
1.	बैयरा सैयुल (एच.पी.)	180	1981
2.	लोकतक (मणिपुर)	105	1983
3.	सलाल-I (जम्मू और कश्मीर)	345	1987
4.	टनकपुर (उत्तराचंल)	120	1992
5.	चमेरा-I (हिमाचल प्रदेश)	540	1994
6.	सलाल-II (जम्मू और कश्मीर)	345	1996
7.	ऊरी (जम्मू और कश्मीर)	480	1997
8.	[illegible]जीत (सिक्किम)	60	1999
9.	चमेरा-II (हिमाचल प्रदेश)	200	2003
	कुल	2375	

एक यूनिट आरंभ हो गई है तथा 02.11.03 से व्यवसायिक उत्पादन कर रही है। दूसरी यूनिट 05.12.03 को तथा तीसरी यूनिट शीघ्र आरंभ होगी।

10वीं योजना अवधि के दौरान क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित परियोजना के ब्यौरे विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) एनएचपीसी द्वारा उड़ीसा की किसी परियोजना को हाथ में नहीं लिया गया है।

उड़ीसा सरकार ने एनएचपीसी के माध्यम से केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत शिटिलया-बी (200 मे.वा.) तथा सिंडोल एच ई परियोजना चरण-I, II तथा III (320 मे.वा.) को विकसित करने की इच्छा व्यक्त की है। बशर्ते कि एनएचपीसी यह सुनिश्चित करे कि इन परियोजनाओं के निष्पादन से कोई क्षेत्र जल प्लावित नहीं होगा तथा कोई परिवार प्रभावित नहीं होगा उड़ीसा सरकार ने एनएचपीसी के पत्र का उत्तर नहीं दिया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि हाइड्रो परियोजनाओं के विकास में जलप्लावन और जन विस्थापन से पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता, विशेषतया विशाल जलोट लावन और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र के मामले में।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) जी, हां। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन।लि. (एनटीपीसी) इस समय हिमाचल प्रदेश में कोल डैम हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (800 मे.वा.) को कार्यान्वित कर रही है।

विवरण-I

एनएचपीसी द्वारा निष्पादन हेतु अभिनिर्धारित परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
1.	सुबानसिरी लोअर	अरुणाचल प्रदेश	2000
2.	सुबानसिरी मिडिल	अरुणाचल प्रदेश	1600
3.	सुबानसिरी अपर	अरुणाचल प्रदेश	2000
4.	सियांग मिडिल	अरुणाचल प्रदेश	1000
5.	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	3000
6.	सियांग लोअर	अरुणाचल प्रदेश	1700
7.	सियांग अपर	अरुणाचल प्रदेश	11000
8.	चमेरा-II	हिमाचल प्रदेश	300
9.	पार्बती-II	हिमाचल प्रदेश	800
10.	पार्बती-III	हिमाचल प्रदेश	520
11.	चमेरा-III	हिमाचल प्रदेश	231
12.	कोयलकारो	झारखंड	710
13.	दुलहस्ती	जम्मू व कश्मीर	390
14.	सेवा-II	जम्मू व कश्मीर	120
15.	उड़ी-II	जम्मू व कश्मीर	240
16.	बरसर	जम्मू व कश्मीर	1020
17.	पकालडल	जम्मू व कश्मीर	1000
18.	निम्मो बजगो	जम्मू व कश्मीर	45
19.	चुटक	जम्मू व कश्मीर	30
20.	किशनगंगा	जम्मू व कश्मीर	330
21.	अपर कृष्णा प्रोजेक्ट	कर्नाटक	810
22.	बाव-II	महाराष्ट्र	37
23.	बाव-I	महाराष्ट्र	18
24.	देवाडी	महाराष्ट्र	6
25.	इंदिरा सागर	मध्य प्रदेश	1000
26.	ओंकारेश्वर	मध्य प्रदेश	520
27.	लोकतक डाउनस्ट्रीम	मणिपुर	90
28.	तीस्ता-5	सिक्किम	510
29.	धौलीगंगा	उत्तरांचल	280
30.	लखवर व्यासी	उत्तरांचल	420
31.	कोटली भेल	उत्तरांचल	850
32.	तीस्ता लो डैम चरण-III	प० बंगाल	132
33.	तीस्ता लो डैम चरण-4	प० बंगाल	168**
34.	पुरूलिया पम्पड स्टोरेज	पश्चिम बंगाल	900

* वास्तविक निष्पादन अपेक्षित अनुमति/स्वीकृति, तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहार्यता आदि पर निर्भर करेगा।

** डीपीआर में प्रस्तुत संस्थापित क्षमता 160 मेगावाट है।

विवरण-II

10वीं योजना के दौरान एनएचपीसी द्वारा क्रियान्वयन हेतु अभिनिर्धारित परियोजनाएं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजनाएं का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
1.	दुलहस्ती	जम्मू व कश्मीर	390

1	2	3	4
2.	चमेरा-II	हिमाचल प्रदेश	300
3.	जौलीगंगा	उत्तरांचल	280
4.	तीस्ता 5	सिक्किम	510
5.	मेवा-II	जम्मू व कश्मीर	120
6.	तीस्ता लो डैम चरण-III	पश्चिम बंगाल	132
7.	तीस्ता लो डैम चरण-4	पश्चिम बंगाल	168*
8.	बाव-II	महाराष्ट्र	37
9.	इंदिरा सागर	मध्य प्रदेश	1000
10.	ओंकारेश्वर	मध्य प्रदेश	520
11.	पुरूलिया पम्पड स्टोरेज	प. बंगाल	900

* डीपीआर में प्रस्तुत संस्थापित क्षमता 160 मेगावाट है।

एनएचपीसी द्वारा परामर्शदात्री समनुषंगी कंपनी की स्थापना

1500. **श्री अनन्त नायक :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) का विचार एक परामर्शदात्री समनुषंगी कंपनी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में आवश्यक धनराशि का प्रबंध कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) जी, हां। नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि. (एनएचपीसी) के निदेशक मंडल ने तकनीकी सेवाओं सहित जल विद्युत के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों को परामर्शी सेवाएं देने के लिए परामर्शी कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेशनल हाइड्रो कन्सलटेंसी सर्विसेस लि. के नाम से परामर्शी सेवाएं, प्रथम रूप से पूर्णत: स्वामित्व में सहायक कंपनी होगी, जिसके लिए एनएचपीसी ने सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, हरियाणा और दिल्ली से यह नाम आरक्षित करा लिया है।

(घ) एनएचपीसी एक लाभ प्राप्त करने वाली कंपनी है और उपर्युक्त पूर्णत: स्वामित्व की सहायक कंपनी के लिए 5 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव किया गया है। सहायक कंपनी की शेयर पूंजी को आरंभ में आंतरिक संसाधनों के माध्यम से जमा करने की योजना बनाई गई है।

पवन ऊर्जा संबंधी नीति

1501. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन विंड पावर एसोसिएशन ने केन्द्र सरकार से एक पवन ऊर्जा संबंधी नीति तैयार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चेन्नई स्थित एसोसिएशन की 7वां वार्षिक आम सभा की बैठक बंगलौर में हुई थी और उसमें देश में पवन ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्रालय से पवन ऊर्जा नीति तैयार करने की अपील करने का संकल्प लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो, क्या सरकार ने उनके सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पवन ऊर्जा नीति कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) सरकार को पवन विद्युत क्षेत्र के लिए और अधिक रियायतों/लाभों के संबंध में भारतीय पवन विद्युत एसोसिएशन सहित विभिन्न पवन ऊर्जा एसोसिएशनों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। अनेक राज्यों में रियायतों जैसा शुल्क, त्वरित मूल्यह्रास, उत्पाद शुल्क लाभों और पवन विद्युत के लिए अधिमान्य कीमतों के संबंध में मौजूदा रियायतों और लाभों के आधार पर संस्थापित क्षमता पहले ही 2000 मेगावाट से अधिक हो चुकी है तथा पवन क्षेत्र का विकास संतोषजनक रहा है।

(ख) सरकार को भारतीय पवन विद्युत एसोसिएशन से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैस के भंडार का दोहन

1502. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस कंपनी द्वारा कृष्णा-गोदावरी बेसिन में पाए गए प्राकृतिक गैस भंडार का दोहन करने की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस गैस का प्रयोग विशाखापत्तनम और हैदराबाद के औद्योगिक विकास में किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) प्रचालक, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वाणिज्यिक घोषत किए जाने के बाद आज की स्थिति के अनुसार कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित ब्लाक के जी - डी डब्ल्यू एन-98/3 में गैस खोज धीरूभाई-1 से प्राकृतिक गैस के दोहन के लिए विकास योजना तैयार की जा रही है। उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के प्रावधानों के अनुसार संविदाकार गैस की बिक्री भारत में घरेलू बाजार में करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विशेष अवसरों के लिए निजी पार्टियों द्वारा सवारी डिब्बों का आरक्षण

1503. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा विशेष अवसरों के लिए निजी पार्टियों द्वारा सवारी डिब्बों का आरक्षण कराने हेतु निर्धारित मानदण्ड और प्रभार क्या हैं;

(ख) क्या ऐसे अवसरों के लिए एक विशेष गाड़ी किराए पर देने की भी अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन के विकास हेतु इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने का है;

(ङ) क्या ऐसे प्रयोजनों के लिए विशेष गाड़ियां किराए पर लेने के लिए कोई विशेष किराया अदा करने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) सवारी डिब्बों के आरक्षण के लिए पार्टी को स्टेशन प्रबंधक के माध्यम से संबंधित रेलवे के मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक को यात्रा आरंभ होने से कम से कम 30 दिन पहले किन्तु ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों की अवधि के दौरान आवेदन करना चाहिए जिसमें गंतव्य स्थल के ब्यौरे, जाने वाला मार्ग, मार्ग में अपेक्षित ठहराव और विशिष्ट गाड़ियां जिनमें सवारी डिब्बे लगाया जाना है, आदि का उल्लेख होना चाहिए। संपूर्ण दर-सूची के तहत ही सवारी डिब्बों की बुकिंग की जाती है जिसमें मूल किराया, प्रति सवारी डिब्बा 10,000 रु. की अग्रिम जमानत, सेवा प्रभार के रूप में भाड़े का 15% संरक्षा अधिभार, प्रति सवारी डिब्बा 200 किमी. फ्लैट, खाली डिब्बा ढोने का प्रभार तथा रुकौनी प्रभार आदि शामिल हैं। विशेष सवारी डिब्बों के किराए का हिसाब प्वाइंट-टु-प्वाइंट के आधार पर संबंधित श्रेणी के मेल/एक्सप्रेस के एक बालिग व्यक्ति के किराए के हिसाब से यात्रा कर रहे व्यक्तियों की वास्तविक संख्या के बराबर अथवा सवारी डिब्बों में चिह्नित संभाले जा रहे यात्रियों की संख्या, इनमें से जो भी अधिक हो, के अनुसार लगाया जाता है। भाड़े का प्रभार एकल यात्रा के लिए कम से कम 500 किमी. की दूरी तक तथा राउंड-ट्रिप के लिए 1000 किमी. तक लगाया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। जो पार्टी एक चार्टेड गाड़ी के बुकिंग कराना चाहती है, वह स्टेशन प्रबंधक के माध्यम से संबंधित रेलवे के मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक को यात्रा आरंभ होने से कम-से-कम 30 दिन पहले किन्तु ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों की अवधि के दौरान आवेदन कर सकता है जिसमें गंतव्य स्थल के ब्यौरे, जाने वाला मार्ग, मार्ग में अपेक्षित ठहराव इत्यादि का उल्लेख होना चाहिए। संपूर्ण दर-सूची के तहत ही विशेष गाड़ियों की बुकिंग की जाती है, जिसमें मूल किराया, अग्रिम जमानत, सेवा प्रभार के रूप में भाड़े का 15% संरक्षा अधिभार, प्रति सवारी डिब्बा 200 किमी. फ्लैट खाली सवारी डिब्बा का प्रभार तथा रुकौनी प्रभार आदि शामिल हैं। विशेष गाड़ी के भाड़े का हिसाब प्वाइंट-टु-प्वाइंट के आधार पर यात्रा कर रहे व्यक्तियों की वास्तविक संख्या अथवा सवारी डिब्बों में चिह्नित संभाले जा रहे यात्रियों की संख्या, इनमें से जो भी अधिक हो के हिसाब से किया जाता है। एक विशेष गाड़ी के लिए भाड़ा कम से कम 15 सवारी डिब्बों वाली

गाड़ी के लिए एकल यात्रा के लिए कम-से-कम 500 किमी. की दूरी तक राउंड-ट्रिप के लिए 1000 किमी. तक लगाया जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में ओ.एन.जी.सी. द्वारा खोज

1504. **श्री एम.के. सुब्बा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ. एन. जी. सी. ने इस वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल और गैस की व्यापक पैमाने पर खोज करने का काम शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में इस दिशा में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) पिछले चार दशकों से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बनों का अन्वेषण कर रही है। इस वर्ष 2003-04 के लिए ओ एन जी सी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 925 ग्राउंड लाइन किलोमीटर (जी एल के) द्विआयामी (2 डी) और 260 वर्ग किलोमीटर (व. कि. मी.) त्रिआयामी (3 डी) भूकंपीय प्राप्त करने और 32 अन्वेषणात्मक कूपों के वेधन की योजना बनाई है।

वर्तमान वर्ष के पूर्वार्द्ध अर्थात अप्रैल से सितम्बर, 2003 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में 96 जी एल के द्विआयामी भूकंपीय और 138 वर्ग कि.मी. त्रिआयामी भूकंपीय प्राप्त किया गया है। इस अवधि के दौरान ओ एन जी सी ने 8 अन्वेषणात्मक कूपों का भी वेधन किया है। वर्ष 2003-04 के दौरान ओ एन जी सी द्वारा किए गए अन्वेषणात्मक प्रयासों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य	2डी (जी एल के)	3डी (वर्ग कि.मी.)	वेधित अन्वेषणात्मक कूप
असम	73	138	5
त्रिपुरा	23	–	3

वेधित आठ कूपों में से तीन कूप हाइड्रोकार्बन युक्त पाए गए हैं।

पुनर्वास सेवा केन्द्र

1505. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुनर्वास सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु चंडीगढ़ को चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

श्रीनगर में हवाई प्रदर्शन (एयर शो)

1506. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने जुलाई, 2003 में श्रीनगर में हवाई प्रदर्शन (एयर शो) आयोजित किया था;

(ख) क्या इस अवसर पर एयरमैन की भर्ती अभियान भी शुरू किया गया था;

(ग) यदि हां, तो कश्मीर घाटी के नवयुवकों ने इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया दर्शायी; और

(घ) भर्ती अभियान के दौरान वायुसेना में कितने व्यक्तियों का चयन किया गया?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रतिक्रिया काफी उत्साहवर्धक रही है।

(घ) पास हुए उम्मीदवारों में से 379 उम्मीदवार डाक्टरी आधार पर उपयुक्त पाए गए। इन उम्मीदवारों को भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए राष्ट्रीय योग्यता-क्रम सूची में शामिल कर लिया गया है।

तामलुक-दिघा रेल परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा

1507. **श्री महबूब जाहेदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तामलुक-दिघा रेल लाइन बिछाने संबंधी परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को उनकी जमीन अधिग्रहीत करने के एवज में मुआवजा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार की भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों को वैकल्पिक भूमि देने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) से (घ) तामलुक-दिघा के लिए भूमि अधिगृहीत कर ली गई है और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा रेलवे को सौंप दी गई है। भूमि मालिकों को दिए जाने वाले मुआवजे को अंतिम रूप दे दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा भुगतान भी कर दिया है। इस प्रयोजन के लिए रेलवे द्वारा 28 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान राज्य सरकार को किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पनडुब्बियों का निर्माण

1508. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना ने विध्वंसक पनडुब्बियों के निर्माण की एक परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) पनडुब्बी डिजाइन, विकास में स्वदेशी क्षमता के अर्जन और पनडुब्बियों के निर्माण तथा उनकी कोर प्रणालियों और भारतीय नौसेना की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना वाली एक दीर्घकालिक संदर्शी योजना को सरकार ने अनुमोदित किया है। यह योजना दो चरणों में कार्यान्वित की जाएगी। इसका पहला चरण सन् 2012 और दूसरा चरण सन् 2030 तक पूरा होने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाना

1509. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण-रेखा पर बाड़ लगाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में कुछ गांव दूसरी ओर छोड़ दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन गांवों को बाड़ के भीतर लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नियंत्रण रेखा के निकटवर्ती गांवों के साथ सलाह-मशविरा करने के पश्चात् तकनीकी बातों के आधार पर बाड़ के संरेखण को अंतिम रूप दिया गया है। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में कुछ

गांव इस बाड़ और नियंत्रण रेखा के मध्य में स्थित हैं। गांव के लोगों की आवाजाही को सुकर बनाने के लिए बाड़ में कई गेटों का प्रावधान किया गया है।

(घ) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार सरकार को गांव वालों से कोई विरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत उत्पादन

1510. **श्री राजो सिंह** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) आंतरिक स्रोतों में उत्पादित विद्युत के अलावा पड़ोसी राज्यों और केन्द्रीय पावरग्रिड द्वारा दी जाने वाली विद्युत की कुल मात्रा कितनी है;

(ग) बिहार में विद्युत उत्पादन की तुलना में विद्युत की कुल खपत कितनी है;

(घ) राज्यों में अधिक विद्युत प्रभार वसूल करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बिहार में धनराशि आबंटन में कमी की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) वर्ष 2001-02 से 2003-04 (अक्टूबर 2003 तक) के दौरान बिहार राज्य में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र की गई प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	वर्ष	क्षेत्र	एम.यू. में कुल उत्पादन		
			थर्मल	हाइड्रो	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	2001-02	राज्य	673	58	731
		केन्द्रीय	4513	–	4513
		योग	5186	58	5244
2.	2002-03	राज्य	531	59	590
		केन्द्रीय	4995	–	4995
		योग	5526	59	5585
3.	2003-04 (अप्रैल	राज्य	222	34	256
	03-अक्टू.03	केन्द्रीय	3241	–	3241
		योग	3463	34	3497

(ख) और (ग) वर्ष 2001-02 से 2003-04 (अक्टूबर 03 तक) के दौरान बिहार के सम्बन्ध में आंतरिक संसाधनों के साथ-साथ, केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों से आयातित उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है;

क्र. सं.	वर्ष	निजी निवल उत्पादन एम०यू०	केन्द्रीय क्षेत्र से आयात एम०यू०	कुल खपत	
				एम० यू०	उत्पादन का प्रतिशत
1.	2001-02	594	5514	6108	1028%
2.	2002-03	461	5517	5978	1297%
3.	2003-04 (अक्टूबर 2003)	191	3144	3335	1746%

(घ) केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों के लिए ऊर्जा टैरिफ सभी लाभभोगी राज्यों के लिए एक समान है।

(ङ) और (च) बिहार के लिए वार्षिक योजना, 2003-04 के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु अनुमोदित परिव्यय 493.68 करोड़ रुपये हैं। पिछले तीन वर्षों का बिहार राज्य के विद्युत क्षेत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय और वास्तविक व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:-

	2001	2001-02	2002-2003
अनुमोदित व्यय	102.00	60.58	275.30
वास्तविक व्यय	64.81	673.	174.02*

*** संशोधित परिव्यय**

इसके अलावा, योजना आयोग द्वारा विशेष अनुदान के माध्यम से बिहार में सब-पारेषण और वितरण प्रणाली के सुधार के लिए 365 करोड़ रुपये की एक योजना बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) की ओर से पावरग्रिड द्वारा निष्पादित की जानी प्रस्तावित है।,

इसके अलावा त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत 42.88 करोड़ रुपये और 737.97 करोड़ रुपये की राशि को बिहार राज्य में सब-पारेषण और वितरण प्रणाली से सम्बन्धित योजनाओं को क्रमशः वर्ष 2000-01 और 2002-03 के दौरान मंजूरी दी गई है।

वातानुकूलित वैगनों का निर्माण

1511. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फलों और सब्जियों की ढुलाई के लिए वातानुकूलित वैगनों का निर्माण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त वैगनों के निर्माण पर कितना व्यय होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) जी, नही। ऐसे मालडिब्बों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रक्षा आसूचना अभिकरण (डी आई ए)

1512. **श्री राम मोहन भाड्डे :**

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1999 के कारगिल युद्ध के पश्चात् भारतीय आसूचना आपरेटेस की समीक्षा के बाद रक्षा आसूचना अभिकरण डी आई ए का गठन किय गया था;

(ख) क्या यह सच है कि रक्षा आसूचना अभिकरण के कार्यकरण हेतु कोई वित्तीय आबंटन नहीं किया गया है अथवा संस्वीकृत नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) डी आई ए को सुचारु बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) रक्षा आसूचना एजेंसी पहले ही पूरी तरह से सुचारु रूप से कार्य कर रही है।

वस्त्र उद्योग हेतु कृतक बल

1513. **श्री जी.एस. बसवराज :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू वस्त्र मशीनरी उद्योग इस उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने और इनको सुदृढ़ करने हेतु सिफारिश देने के लिए वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक कृतक बल गठित करने का अनुरोध केन्द्र सरकार से कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक कृतक बल गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो कृतक बल के विचारार्थ विषय क्या है और इसमें कौन-कौन से लोग शामिल हैं; और

(ङ) इसकी सिफारिशों को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) वस्त्र आयुक्त, मुम्बई की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया है।

(घ) कार्य दल के विचारार्थ विषय तथा सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में हैं।

(ङ) कार्य दल द्वारा अपनी रिपोर्ट 28 फरवरी, 2004 तक प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

विवरण

वस्त्र मशीनरी उद्योग की वृद्धि एवं विकास के संबंध में कार्य दल के विचारार्थ विषय

(1) वस्त्र मशीनरी उद्योग क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना तथा क्षेत्र का आधारभूत खाका तैयार करना।

(2) क्षेत्र के लिए भावी दृष्टिकोण (Vision) (2020 हेतु विवरण तैयार करना।

(3) क्षेत्र के विकास से संबंधित सभी संबद्ध विषयों अर्थात् तकनीकी, वित्तीय, विधिक आदि पहलुओं का पता लगाना।

(4) क्षेत्र के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा निर्यात सहित कार्यक्रम (रोड मैप) तैयार करना तथा उपाय सुझाना।

(5) तत्काल कार्रवाई हेतु विषयों का पता लगाना तथा उनके कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाना।

(6) अन्य संबंधित विषयों पर विचार करना।

कार्य दल का सदस्य गठन

क्र.सं.	नाम	पदनाम	स्थिति
1	2	3	4
1.	श्री सुबोध कुमार	वस्त्र आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री विवेक राय	संयुक्त सचिव (पी० एफ०-II), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
3.	डा. डी.एन. सिंह	सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी' टिफाक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
4.	श्री गौतम राय	संयुक्त सचिव, कर अनुसंधान एकक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
5.	श्री नीवन कुमार	संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग	सदस्य
6.	प्रो. अमर नाथ	चेयर प्रोफेसर, वस्त्र मशीनरी, आईआईटी, मुम्बई	सदस्य
7.	श्री संजय जयावर्थ नावेलू	अध्यक्ष, वस्त्र मशीनरी, मैन्यू. एशोसिएशन (टीएमएमए)	सदस्य
8.	श्री संजीव लाथिया	अध्यक्ष, इंडियन टेक्सटाइल एसोसीरीज एवं मशीनरी मैन्यु० एशोसिएशन (आईटीएएमएमए)	सदस्य
9.	श्री अतुल भगवती	पूर्व अध्यक्ष, टीएमएमए	सदस्य
10.	श्री आर.एस. बचकानीवाला	अध्यक्ष, टीएमएमए	सदस्य

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

1514. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में बिहार को सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार में विद्युत उत्पादन हेतु बनाई गई योजनाएं कौन सी हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार ने कांटी ताप विद्युत केन्द्र और बरौनी ताप विद्युत केन्द्र के आधुनिकीकरण और पुनरोद्धार करने तथा कांटी ताप विद्युत केन्द्र का विस्तार करने के लिए भी केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 365 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर उप पारेषण प्रणाली के सुधार सम्बन्धी एक प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा इस स्कीम का क्रियान्वयन किया जाना है और पूरा करने के पश्चात् बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) को इसे हस्तांतरित किया जाना है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु बिहार को जारी निधियां नीचे तालिका में दर्शाई गई हैं :-

(करोड़ रुपये में)

कार्यक्रम का नाम	2002-03	2003-04
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)	12.08	24.1730
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनजी)	68.00	68.00
कुटीर ज्योति	9.91	12.44
कुल	89.99	104.6130

(ग) दसवीं योजना के दौरान बिहार में राज्य क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना नहीं की गई है।

(घ) से (छ) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) ने बरौनी ताप विद्युत स्टेशन के यूनिट 4, 5, 6 व 7 के नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन-विस्तार के लिये एजी एण्ड एसपी स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु नवम्बर, 2003 में अनुरोध किया है। स्कीम की कुल लागत 421.00 करोड़ रुपये थी। प्रस्ताव मूल्यांकन किये जाने की अवस्था में है।

जहां तक मुजफ्फरनगर टी पी एस का सम्बन्ध है, दीर्घकालीन लीज आधार पर ओ एण्ड एम कार्य किये जाने हेतु यूनिटें एन टी पी सी को हस्तांतरित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

एपीडीपी और एपीडीआरपी का कार्यान्वयन

1515. **श्री पी.एस. गढ़वी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विद्युत स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा आरंभ किए गए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) और त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के समक्ष बाधायें उत्पन्न हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान विद्युत मीटरों की खरीद करने हेतु राज्यों को आबंटित कुल धन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों द्वारा एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत धन का पूर्णत: उपयोग किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार द्वारा राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) मद्देनजर प्रश्न उतपन्न नहीं होता।

(ग) ऊर्जा मीटरों की खरीद हेतु विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) और त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के अंतर्गत राज्यों को स्वीकृत की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं। एपीडीआरपी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जारी निधियों और उनके समुपयोजन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) एपीडीआरपी के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सामान्यत: 18 से 24 माह की अवधि अपेक्षित होती है। परियोजनाओं की प्रगति की मॉनीटरिंग (i) विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित संचालन समिति, (ii) राज्यों में गठित राज्य स्तरीय वितरण सुधार समितियों और (iii) सलाहकार एवं परामर्शक द्वारा की जाती है।

विवरण-I

एपीआरपी के अंतर्गत राज्यों के लिए स्वीकृत निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	एपीडीआरपी (स्वीकृत)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	193.32
2.	बिहार	87.035
3.	छत्तीसगढ़	37.31
4.	दिल्ली	54.115
5.	गोवा	12.48
6.	गुजरात	130.215
7.	हरियाणा	70.65
8.	झारखंड	42.62
9.	कर्नाटक	168.655
10.	केरल	29.345
11.	मध्य प्रदेश	34.905
12.	महाराष्ट्र	132.00
13.	उड़ीसा	69.54
14.	पंजाब	125.375
15.	राजस्थान	48.205
16.	तमिलनाडु	90.585
17.	उत्तर प्रदेश	13.025
18.	पश्चिम बंगाल	30.37
19.	असम	70.86
20.	अरुणाचल प्रदेश	18.19
21.	हिमाचल प्रदेश	25.32
22.	जम्मू व कश्मीर	6.99
23.	मणिपुर	5.10
24.	मेघालय	7.96
25.	मिजोरम	2.47
26.	नागालैंड	11.17
27.	सिक्किम	6.38
28.	त्रिपुरा	12.27
29.	उत्तरांचल	61.84
	कुल	1598.30

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजना की लागत	जारी निधियां	उपयोग की गई निधियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1511.40	188.92	193.16

1	2	3	4	5
2.	बिहार	85.99	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	408.54	96.97	0.80
4.	दिल्ली	737.97	66.11	12.48
5.	गोवा	424.58	53.07	70.25
6.	गुजरात	946.46	105.51	346.38
7.	हरियाणा	176.34	22.04	20.12
8.	झारखंड	1035.80	105.42	108.30
9.	कर्नाटक	453.41	56.33	118.27
10.	केरल	327.81	163.91	12.11
11.	मध्य प्रदेश	401.10	200.50	20.00
12.	महाराष्ट्र	444.85	12.00	73.36
13.	उड़ीसा	1161.19	145.15	136.85
14.	पंजाब	350.35	43.80	64.96
15.	राजस्थान	679.08	84.87	31.21
16.	तमिलनाडु	1347.85	168.48	84.73
17.	उत्तर प्रदेश	10.13	2.67	0.00
18.	पश्चिम बंगाल	42.26	21.13	0.00
19.	असम	57.91	28.96	3.78
20.	अरुणाचल प्रदेश	47.22	23.61	2.67
21.	हिमाचल प्रदेश	592.22	54.35	0.00
22.	जम्मू व कश्मीर	706.38	53.98	75.10
23.	मणिपुर	1255.06	125.64	272.30
24.	मेघालय	63.48	31.74	15.76
25.	मिजोरम	968.17	121.02	173.17
26.	नागालैंड	27.54	2.67	0.00
27.	सिक्किम	812.86	80.12	0.00
28.	त्रिपुरा	361.51	180.76	17.20
29.	उत्तरांचल	204.26	25.53	18.52
	कुल	15641.72	2265.26	1871.48

[हिन्दी]

सीटों/शायिकाओं के आरक्षण की प्रतीक्षा सूची

1516. **श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत कुछ वर्षों से रेलगाड़ियों में सीटों/शायिकाओं के आरक्षण की प्रतीक्षा सूची लंबी और लंबी होती जा रही है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में यात्रियों को बिना आरक्षण के यात्रा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और अधिक संख्या में यात्रियों के लिए सीटों/शायिकाओं का आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) ग्रीष्मकालीन, पूजा, क्रिसमस छुट्टियों संबंधी भीड़-भाड़ तथा अन्य भीड़-भाड़ वाले अवसरों पर जब आरक्षित शायिकाओं की भारी मांग होती है, गाड़ियों में लंबी अनारक्षित सूची देखी जाती है।

(ख) नई रेल गाड़ियां चलाने, मौजूदा गाड़ियों के फेरों में बढ़ोतरी और गाड़ियों के भार में संवर्धन के अलावा, बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए रेलवे विशेष गाड़ियां चलाने की योजना बनाती हैं। इसके अलावा, दिन-प्रतिदिन के आधार पर महत्वपूर्ण गाड़ियों की प्रतीक्षा-सूची संबंधी स्थिति पर निगरानी और मांग के अनुसार जहां कहीं संभव होता है, अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए जाते हैं।

बिहार में खुदरा बिक्री केन्द्रों में सुविधाएं

1517. **श्री दिनेश चन्द्र यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों की श्रेणी के लोगों को आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्रों को शौचालय, विद्युत और दूरभाष जैसी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के बाद ही चालू किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार के कुछ जिलों में उपरोक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराए बिना ही उपरोक्त श्रेणी के खुदरा बिक्री केन्द्रों को चालू किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त पेट्रोल पम्पों पर उपरोक्त सभी सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम

1518. **डा. डी.वी.जी. शंकर राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अपना स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना हेतु अन्य देशों से कोई सहायता मांगी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) भारतीय वायुसेना तथा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया है तथा विमान-वाहित पूर्व-चेतावनी तथा नियंत्रण प्रणाली के लिए प्रणाली स्तर की आवश्यकताओं का विकास किया है। इस परियोजना संबंधी प्रस्ताव का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालय में मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) यह परिकल्पना की जाती है कि समुचित रूप से रूपांतरित विमान प्लेटफार्म के लिए अन्य देशों की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रणाली इंजीनियरी और प्रणाली एकीकरण जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए भी सीमित परामर्श की आवश्यकता हो सकती है।

(घ) ऐसे ब्यौरे तैयार किए जाने हैं।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिल्ली से मुन्द्रा तक पाइपलाइन बिछाना

1519. **डा० जसवंत सिंह यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का प्रस्ताव उत्तरी भारत में पेट्रोलियम उत्पादों को लाने-ले-जाने हेतु गुजरात में स्थित मुन्द्रा से दिल्ली तक एक पाइपलाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक चालू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रति वर्ष 5.8 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता की 1,008 कि. मी. लम्बी पाइपलाइन की अनुमानित लागत 1,367 करोड़ रुपए है। यह पाइपलाइन गुजरात, राजस्थान और हरियाणा राज्यों से गुजरेगी।

(ग) इस पाइपलाइन को औपचारिक घोषणा के 36 महीनों या प्रयोक्ता के अधिकार और पर्यावरणीय और वन अनुमोदनों की 100% उपलब्धता के 24 महीनों, इनमें से जो भी बाद में हो, के बाद चालू किया जाएगा।

दूरदर्शन/आकाशवाणी का द्विशाखन

1520. **श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दूरदर्शन और आकाशवाणी को द्विशाखित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो द्विशाखन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन समाचार चैनल को समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयक कार्यक्रम अन्तरित किए जाने के कारण दूरदर्शन-I चैनल पर कतिपय अतिरिक्त स्लॉटों का सृजन किया गया है। प्रातःकालीन, अपराह्न कालीन और सायंकालीन प्रसारण में प्रायोजित श्रेणी में धारावाहिकों के प्रसारण हेतु ये स्लॉट निजी निर्माताओं को आबंटित किए गए हैं।

राजस्थान में पन-विद्युत परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी

1521. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों द्वारा चलाई जा रही पन-विद्युत परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी हेतु राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और प्रस्ताव की वतमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके ह्रासमान हाइड्रो-थर्मल मिक्स के बार में राज्य सरकार की चिंता पर गौर किया है; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादन क्षमता के न होने पर विशेषरूप से विचार करते हुए राज्य के खतरनाक स्तर तक पहुंच रहे हाइड्रो-थर्मल मिक्स में सुधार हेतु राजस्थान को इक्विटी भागीदारी को कब तक अनुमति दी जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) जी, हां। प्रस्ताव को हाइड्रो सेक्टर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीएसयूज) को भेज दिया गया है। सीपीएसयूज राज्यों, जहां परियोजनाएं अवस्थित है, के साथ करार/समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के माध्यम से विभिन्न राज्यों में अवस्थिति जल-विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन करता है। राज्य, जिनमें परियोजनाएं स्थिति हैं और संबंधित सीपीएसयूज, नई जल विद्युत परियोजनाओं के करार से पूर्व राजस्थान सरकार के अनुरोध पर विचार करें। भारत सरकार राज्य सेक्टर में जल विद्युत उत्पादन हेतु किसी राज्य विशेष को निधियां उपलब्ध नहीं कराती हैं। तथापि, भारत सरकार अपने सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से अथवा संयुक्त उद्यम के रूप में राज्यों की इक्विटी भागीदारी से राज्यों के लाभ हेतु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करती हैं, ये परियोजनाएं हैं: टिहरी हाइड्रो पावर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन (टीएचडीसी), सतलुज जल विद्युत निगम (पहले नाप्था झाखड़ी विद्युत निगम) और नर्मदा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक विकास कारपोरेशन (एनएचडीसी) भारत सरकार जल विद्युत विकास में तेजी लाने के लिए हरसंभव उपाय करने को इच्छुक है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट

1522. **श्री माणिकराव होडल्या गावित** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिकरण को पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट के सनसनीखेज मामलों की स्वतंत्र जांच करने का निदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मिलावट को रोकथाम हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 22 नवम्बर, 2001 के अपने आदेश के द्वारा दिल्ली में पेट्रोल पंपों, तेल डिपुओं तथा टैंक लारियों पर औचक निरीक्षण करने तथा वहां उपलब्ध पेट्रोल तथा डीजल की गुणवत्ता के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ई पी सी ए) को निदेश दिए थे।

(ग) मिलावट-रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना के अलावा तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) वाले मिट्टी तेल को नीला रंग देने, खुदरा बिक्री केन्द्रों के नियमिति/औचक निरीक्षण टौकर-ट्रकों के लिए छेड़छाड़-रोधी ताला प्रणाली की शुरूआत, विशेष सतर्कता अभियान, इत्यादि जैसे कदम उठाए जाते हैं राज्य सरकार भी पेट्रोलियम उत्पादों की मिलावट तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी किए गए किसी भी नियंत्रण आदेश के अतिक्रमण में संलिप्त होने वाले किसी भी डीलर के विरुद्ध कारवाई आरम्भ करती है।

निजी तेल कंपनियों द्वारा मिट्टी के तेल संबंधी नियंत्रणादेश का उल्लंघन

1523. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां मिट्टी के तेल संबंधी नियंत्रणदेश का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) यह सूचित किया गया है कि निजी क्षेत्र की कुछ कम्पनियां अर्थात् मिट्टी तेल के समानान्तर विपणनकर्ता आटोमोबाइल में उपयोग के लिए आयातित मिट्टी तेल को बेचने और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की मिलावट के लिए उत्पाद का विपथन करने जैसे अवैध कार्यों में लगकर मिट्टी तेल नियंत्रण आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं।

राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी मिट्टी तेल नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के तहत निजी क्षेत्र की उन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त हैं।

[अनुवाद]

चौकीदार वाले और चौकीदार रहित समपार

1524. **श्रीमती रेणुका चौधरी** :
श्री ए. नरेन्द्र :
श्री रूपचन्द मुर्मू :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में चौकीदार वाले और चौकीदार-रहित समपारों की राज्यवार अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) रेल समपारों पर चौकीदार तैनात करने के क्या मानदण्ड हैं;

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यवार चौकीदार-रहित कितने समपारों पर चौकीदार तैनात किए जाने हैं;

(घ) देश में सभी चौकीदार-रहित समपारों पर चौकीदार तैनात करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;

(ङ) क्या रेलवे गुजरने वाली रेलगाड़ियों के बारे में दृश्य-श्रव्य चेतावनी देने हेतु पूरे देश में सभी समपारों पर आधुनिक यंत्र लगाने पर विचार कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जून, 2003 में बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने की नीति में संशोधन किया गया है। सड़क तथा रेल यातायात दोनों की गणना के संशोधित मानदण्ड के आधार पर मौजूदा बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। 2003-04 के दौरान भारतीय रेलों पर 50 बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात किए जाने की आशा है।

(घ) मौजूदा नियमों के अनुसार, शुरूआत में बिना चौकीदार वाले समपारों के मामले में और रेलवे की लात पर उनके रखरखाव वाले मामलों पर यदि केवल सड़क यातायात में वृद्धि हुई हो तब चौकीदार/उन्नयन/अतिरिक्त चौकीदारों की तैनाती की जानी चाहिए, तब उस स्थिति में शुरूआती तथा अनुवर्ती रख-रखाव संबंधी लागत संबंधित राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरणों द्वारा वहन की जाएगी। बहरहाल, बिना

चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं के गंभीर परिणामों को देखते हुए, रेलवे ने यातायात की मात्रा तथा दृश्यता हालातों के मद्देनजर बिना चौकीदार वाले खतरनाक समपारों पर चौकीदार तैनात करने का विनिश्चय किया है। इसके अलावा, स्थानीय सांसद क्षेत्र विकास क्षेत्र योजना (एमपीएलएडीएस) के तहत भी चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात किए जाते हैं।

(ङ) और (च) यह विनिश्चय किया गया है कि परीक्षण के आधार पर 90 (जिसमें 20 बिना चौकीदार वाले समपार भी शामिल हैं।) समपारों पर डिजिटल धुरा काउंटर आधारित ट्रेन एक्युएटेड वार्निंग उपकरण मुहैया कराए जाए। इस प्रणाली के जरिए सड़क उपयोगकर्त्ताओं को एक आती हुई गाड़ी के बारे में श्रव्य दृश्य चेतावनी दी जाएगी। परीक्षणों के दौरान चौकीदार/बिना चौकीदार वाले समपारों पर उपकरण की सफलता के मद्देनजर भारतीय रेलों पर इस प्रणाली को और अपनाया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो।

विवरण

(क) 31.3.2003 को देश में राज्यवार समपारों की संख्या।

क्र. सं.	राज्य	चौकीदार सहित	बिना चौकीदार वाले	जोड़
1	2	3	4	5
1.	असम	358	551	909
2.	आंध्र प्रदेश	1232	1380	2612
3.	बिहार	977	1196	2173
4.	छतीसगढ़	218	348	566
5.	दिल्ली	54	3	57
6.	गुजरात	1445	2895	4340
7.	हरियाणा	602	294	896
8.	हिमाचल प्रदेश	40	299	339
9.	जम्मू और कश्मीर	20	32	52
10.	झारखंड	395	560	955
11.	कर्नाटक	615	828	1443
12.	केरल	399	133	532
13.	मध्य प्रदेश	1206	1121	2327
14.	महाराष्ट्र	1210	1349	2559
15.	मणिपुर	0	3	3
16.	मिजोरम	0	1	1
17.	नागालैंड	1	0	1
18.	उड़ीसा	340	982	1322
19.	पंजाब	773	991	1764
20.	राजस्थान	1506	2060	3566
21.	तमिलनाडु	1241	1281	2522
22.	त्रिपुरा	2	17	19
23.	उत्तर प्रदेश	2865	2923	5788
24.	उत्तरांचल	62	18	80
25.	पश्चिम बंगाल	1153	1404	2557
26.	चंडीगढ़	6	1	7
27.	पांडिचेरी	9	9	18
28.	गोवा	12	3	15
	जोड़	16741	20682	37423

(ख) बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने के मानदंड निम्नलिखित हैं:-

कोटि-I. स्पष्ट दृश्यता वाले समपार जहां गाड़ी वाहन इकाई 6000 से अधिक हो तथा सड़क वाहन 180 से अधिक हो।

कोटि-II सीमित दृश्यता वाले समपार जहां गाड़ी वाहन इकाई 6000 से अधिक हो तथा सड़क वाहन 120 से अधिक हो।

कोटि-III सीमित दृश्यता वाले समपार जहां गाड़ी वाहन इकाई 3000 से 6000 के बीच हो।

[हिन्दी]

ब्रिटिश रेल कंपनियों द्वारा पूछताछ सेवा का गठन

1525. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ब्रिटिश रेल कंपनियों द्वारा बंगलौर में अपनी रेल संबंधी पूछताछ सेवाओं का गठन करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इससे हमारे देश के हितों को किस प्रकार लाभ मिलेगा; और

(घ) पूछताछ सेवा के कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत का बाधित होना

1526. **श्री किरीट सोमैया** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने ग्रिड के बाधित होने के कारण मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के विरुद्ध शिकायत दर्ज की है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड ने ज्यादा विद्युत प्राप्त की है;

(ग) गत तीन माह के दौरान ऐसा कितनी बार हुआ है;

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु कि नियमित रूप से विद्युत बाधित न हो, क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार महाराष्ट्र सरकार से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम.एस.ई.बी.) ने दिनांक 5.11.03 और 7.11.03 को पश्चिम क्षेत्र में आंशिक ग्रिड खराबी पैदा होने से पूर्व मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एम.पी.एस.ई.बी.) की प्रणाली में कम वोल्टेज प्रोफाईल के बारे में पश्चिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (डब्ल्यू.आर.एल.डी.सी.) और पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड (डब्ल्यू.आर.ई.बी.) को एक पत्र लिखा था।

(ख) एमपीएसईबी उपरोक्त आंशिक ग्रिड खराबी के समय अधिक सक्रिय विद्युत प्राप्त नहीं कर रहा था।

(ग) पश्चिमी क्षेत्र में आंशिक ग्रिड बाधाएं पिछले 3 माहों में चार बार अर्थात् 6 अक्टूबर, 5 व 7 नवम्बर तथा 6 दिसम्बर, 2003 को हुई है।

(घ) और (ङ) 6 अक्टूबर, 2003 की आंशिक ग्रिड खराबी से संबंधित मामले पर पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड (डब्ल्यूआरईबी) फोरम में चर्चा की गई थी जिसमें संबंधित प्राधिकारियों को सब-स्टेशन अनुरक्षण सुधारने और पारेषण लाइनों पर भार का नियंत्रण करने जैसे उपचारी उपाय करने की सलाह प्रदान की गई थी।

पश्चिमी क्षेत्र में 5 व 7 नवम्बर, 2003 को हुई खराबी के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (केविप्रा) द्वारा सदस्य सचिव, डब्ल्यूआरईबी की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई थी। भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए समिति ने कई सिफारिशें लागू किये जाने हेतु की हैं। 5 व 7 नवम्बर, 2003 को ग्रिड खराबी होने के बाद सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पश्चिमी क्षेत्र के सभी घटकों और संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ एक बैठक 12 नवम्बर, 2003 को मुम्बई में ली जिसमें लाइनों में अधिक भार और कम वोल्टता को रोकने के लिए पश्चिमी क्षेत्र के घटकों और क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) द्वारा किये जाने वाले तात्कालिक बचावकारी उपायों को अभिज्ञात किया गया था। यह

सहमति हुई थी कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्य डब्ल्यूआरईबी द्वारा वर्ष 2003-04 के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों के अनुसार अपनी संबंधित प्रणाली में शंट केपेसिटरों की अधिष्ठापना करेंगे और अनुमोदित पारेषण लाइनों के क्रियान्वयन में तेजी लायेंगे। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया था कि पश्चिमी क्षेत्र विद्युत प्रणाली आयोजना संबंधी स्थायी समिति पश्चिमी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली के विस्तार/सशक्तीकरण के लिए अल्प, मध्यम और दीर्घकालीन उपायों का विश्लेषण करेगी और इस संबंध में सुझाव प्रदान करेगी।

[हिन्दी]

रेल कोच फैक्ट्रीज की स्थापना

1527. **श्री रतन लाल कटारिया :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में नई रेल कोच फैक्ट्रीज की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन फैक्टिरियों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटील (यत्नाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा निजी कंपनियों के उत्पादों का विपणन

1528. **श्री प्रबोध पण्डा :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां अपने खुदरा बिक्री केन्द्र नेटवर्क के माध्यम से निजी तेल कंपनियों के उत्पादों का विपणन कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है और इस व्यवस्था द्वारा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों अर्थात् इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) ने एल पी जी, एम एस डी तथा एस के ओ के उठान के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) के साथ द्विपक्षी उत्पाद आफटेक करार किए हैं; जो 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2004 तक वैध हैं। आई बी पी का रिलायंस के साथ उनके उत्पाद को उठाने के विषय में कोई सीधा करार नहीं है। आई बी पी की मात्राएं आई ओ सी एल तथा आर आई एल के बीच द्विपक्षी करार में शामिल हैं। उपर्युक्त करार ने सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों की समस्त घरेलू मांग; जिसमें खुदरा बिक्री केन्द्र मांग सम्मिलित है, केवल स्वदेशी उत्पादन से पूरा करने में समर्थ बनाया है, जिन्हें अन्यथा आयात किया गया होता।

सिंगापुर के साथ रक्षा सहयोग समझौता

1529. **श्री राजैया मल्याला :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और सिंगापुर ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य विशेशताएं क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) भारत गणराज्य सरकार और सिंगापुर गणराज्य सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर 13 अक्तूबर 2003 को एक करार किया है।

(ख) सिंगापुर के साथ अभिनिर्धारित सैन्य सहयोग के क्षेत्रों में विशेषज्ञता और कार्मिकों का आदान-प्रदान, सैन्य प्रशिक्षण, दौरों का आदान-प्रदान, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास तथा रक्षा संबंधी संगोष्ठियों और परिचर्चा में भाग लेना शामिल है।

जेट डिफ्लेक्टर कारों का विनिर्माण

1530. **श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटिगरल कोच फैक्ट्री, चेन्नई ने भारतीय सेना के लिए जेट डिफ्लेक्टर कारों के विनिर्माण का कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या न्यू स्काई बस परियोजना के लिए भी बोगियों के विनिर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके नमूने परीक्षण हेतु कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नई को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (रक्षा मंत्रालय), पुणे से चार जेट डिफ्लेक्टर कारों के विनिर्माण का एक आर्डर मिला है। मूल अभिकल्प अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा तैयार किया जाना है।

(ख) मूल नक्शे को ड्राइंग रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के पास अनुमोदन हेतु लंबित है। ड्राइंगों के अनुमोदन के पश्चात् सवारी डिब्बा कारखाना, कोचों के विनिर्माण में 6 से 8 महीने लगाएगा।

(ग) और (घ) स्काई बस परियोजना के लिए दो प्रोटो-टाइप बोगियों के विनिर्माण के लिए कोंकण रेलवे ने सवारी डिब्बा कारखाने से संपर्क किया है। अभी तक तकनीकी विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) इसका अनुमान सिर्फ पूर्ण तकनीकी विवरण के उपलब्ध होने पर ही लगाया जा सकता है। बहरहाल, अगले 18 महीनों के दौरान सवारी डिब्बा कारखाने में इनका विनिर्माण इकाई में अतिरिक्त क्षमता न होने से संभव नहीं है।

गांवों को विद्युत

1531. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :**
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की प्रत्येक गांव में 2007 तक और प्रत्येक परिवार में 2012 तक विद्युत उपलब्ध कराने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना और इस उद्देश्य को प्राप्त करने की रूप रेखा का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के कितने गांवों और परिवारों के पास राज्यवार विद्युत उपलब्ध नहीं है; और

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान विद्युतीकृत गांवों और परिवारों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) जी हां, सरकार ने 2007 तक सभी गांवों के विद्युतीकरण को पूरा करने और 2012 तक सभी घरों तक बिजली पहुंचाने का संकल्प किया है।

सरकार प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (एआईपी) के अंतर्गत एक सबसिडाइज्ड ब्याज दर पर राज्यों को निधियां उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के विद्युतीकरण हेतु राज्यों को 100% अनुदान के रूप में निधियां जारी की जाती है।

(ग) गैर-विद्युतीकृत गांवों और गैर-विद्युतीकृत परिवारों के राज्य-वार ब्यौरे क्रमश: विवरण I और II में दिए गए हैं।

(घ) विगत 5 वर्षों के दौरात विद्युतीकृत गांवों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

31.3.2003 की स्थितिनुसार गैर-विद्युतीकृत गांवों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/यूटी	गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	1307
3.	असम	5640
4.	बिहार	20449

1	2	3
5.	झारखंड	22920
6.	गोवा	–
7.	गुजरात	–
8.	हरियाणा	–
9.	हिमाचल प्रदेश	107
10.	जम्मू व कश्मीर	182
11.	कर्नाटक	296
12.	केरल	–
13.	मध्य प्रदेश	1462
14.	छत्तीसगढ़ (#)	1399
15.	महाराष्ट्र	–
16.	मणिपुर	178
17.	मेघालय	2754
18.	मिजोरम	–
19.	नागालैंड	–
20.	उड़ीसा	9682
21.	पंजाब	–
22.	राजस्थान	983
23.	सिक्किम	42
24.	तमिलनाडु	–
25.	त्रिपुरा	38
26.	उत्तर प्रदेश	18042*
27.	उत्तरांचल	2785
28.	पश्चिम बंगाल	7694
	कुल (राज्य)	95967

*अविद्युतीकृत गांव शमिल नहीं।

विवरण-II

2001 की जनगणना के अनुसार गैर-विद्युतीकृत गांवों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	गैर-विद्युतीकृत घर (ग्रामीण)	% गैर-विद्युतीकृत घर
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5114485	40.35
2.	अरुणाचल प्रदेश	91251	55.47
3.	असम	3522331	83.46
4.	बिहार	12010504	94.87
5.	झारखंड (#)	3422425	90.01
6.	गोवा	10650	7.57
7.	गुजरात	1641203	27.88
8.	हरियाणा	527649	21.5
9.	हिमाचल प्रदेश	60551	5.52
10.	जम्मू व कश्मीर	293016	25.23
11.	कर्नाटक	1858260	27.84
12.	केरल	1703651	34.47
13.	मध्य प्रदेश	3061371	37.68

1	2	3	4
14.	छत्तीसगढ़ (#)	1810152	53.89
15.	महाराष्ट्र	3829566	34.83
16.	मणिपुर	140675	47.47
17.	मेघालय	229916	69.74
18.	मिजोरम	44334	55.86
19.	नागालैंड	114405	43.12
20.	उड़ीसा	5470135	80.65
21.	पंजाब	292537	10.54
22.	राजस्थान	4006147	55.98
23.	सिक्किम	22915	24.98
24.	तमिलनाडु	2384419	28.82
25.	त्रिपुरा	368323	68.25
26.	उत्तर प्रदेश	16505786	80.60
27.	उत्तरांचल	593902	49.65
28.	पश्चिम बंगाल	8899353	79.73
29.	दिल्ली	24580	14.40
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	15846	31.91
2.	चंडीगढ़	552	2.95
3.	दादरा व नगर हवेली	5695	17.37
4.	दमन व दीव	562	2.54
5.	लक्षद्वीप	14	0.26
6.	पांडिचेरी	13713	18.99

विवरण-III

गत 5 वर्षों में वर्षवार और राज्यवार ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	48	24	35	110	16
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	11
4.	बिहार	8	43	37	29	1542
5.	झारखंड (#)	–	–	–	500	771
6.	गोवा	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
7.	गुजरात	4	–	–	–	–
8.	हरियाणा	–	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	45	25	37	9	–
10.	जम्मू व कश्मीर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	10	–
11.	कर्नाटक	13	15	60	13	3
12.	केरल	–	–	–	–	–
13.	मध्य प्रदेश	300	87	15	20	94
14.	छत्तीसगढ़ (#)	–	–	1	125	120
15.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–
16.	मणिपुर	50	11	शून्य	शून्य	6
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	8	62	177
18.	मिजोरम	3	4	शून्य	शून्य	–
19.	नागालैंड	10	33	16	4	–
20.	उड़ीसा	817	748	42	105	225
21.	पंजाब	–	–	–	–	–
22.	राजस्थान	685	510	465	491	504
23.	सिक्किम	–	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–
25.	त्रिपुरा	3	4	3	शून्य	2
26.	उत्तर प्रदेश	711	476	260	358	1795
27.	उत्तरांचल	–	–	158	82	218
28.	पश्चिम बंगाल	83	113	81	40	866
	कुल (राज्य)	2780	2093	1218	1458	6350

ओएनजीसी द्वारा संयुक्त उद्यम

1532. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री तूफानी सरोज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने अपने खोज संबंधी कार्यों, पाइपलाइन और शोधन परियोजनाओं और तेल बिक्री संबंधी कार्यों के विस्तार हेतु देश और विदेश में कई संयुक्त उद्यमों में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं में ओएनजीसी की इक्विटी का प्रतिशत कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गेल द्वारा गैस व्यापार

1533. **डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अॅथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड का देश और विदेश के बाजारों में गैस व्यापार कार्य आरंभ करने के लिए अलग कंपनी गठित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) यह विचार संकल्पनात्मक चरण पर है और इस संबंध में निर्णय भविष्य में विनियामक अपेक्षा पर निर्भर करेगा। प्रस्ताव के ब्यौरे का आकलन नहीं किया गया है।

विज्ञापन उद्योग का विकास

1534. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष यथा 2002-03 के दौरान विज्ञापन उद्योग ने निराशाजनक कार्यनिष्पादन दिखाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विज्ञापन उद्योग वर्ष 2002-03 की 4 प्रतिशत की तुलना में 12 प्रतिशत विकास का अनुमान लगा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्तमान में पूरे विज्ञापन व्यवसाय में से विज्ञापनों में सरकार का कुल हिस्सा कितना है; और

(च) सरकार द्वारा विज्ञापन उद्योग के विकास में अपने हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (च) विज्ञापन उद्योग मुख्यतया निजी हाथों में है और इसका पर्यवेक्षण भारतीय विज्ञापन मानक परिसर, जो विज्ञापन उद्योग और अभिकरण संघों का एक स्व-विनियामक निकाय है, द्वारा किया जाता है। सरकार विज्ञापन उद्योग के विकास एवं निष्पादन की निगरानी नहीं करती है।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, जो सरकार का एक माध्यम है, का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर सरकार की स्कीमों, कार्यक्रमों, नीतियों और उपलब्धियों का अधिकतम संभव कवरेज सुनिश्चित करना है। वर्ष 2002-03 के दौरान विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ने 100.14 करोड़ रुपये के विज्ञापन जारी किए।

हरियाणा में रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना

1535. **श्री के. येरननायडू** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हरियाणा में रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस विश्वविद्यालय को किस स्थान पर स्थापित किया जाना है; और

(ग) इस संबंध में कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है और विश्वविद्यालय के कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के मुद्दे की रक्षा मंत्रालय में जांच की जा रही है।

(ख) इसके स्थान के संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) इस स्तर पर यह नहीं बताया जा सकता है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कब तक कार्य करने लगेगा।

[हिन्दी]

फ्रन्टियर मेल दुर्घटना संबंधी रिपोर्ट

1536. **डा. सुशील कुमार इंदौरा :**
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री राम मोहन गाड़े :
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायिक जांच ने फ्रन्टियर मेल में 15 मई, 2003 को लगी भयानक आग जिसमें 36 लोग मारे गए थे, के लिए रेलगाड़ी के स्टाफ पर लापरवाही का दोषारोपण किया है;

(ख) यदि हां, तो न्यायिक जांच द्वारा क्या प्रमुख सिफारिशें की गई हैं;

(ग) अब तक कार्यान्वित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कार्यान्वयनाधीन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) न्यायिक जांच द्वारा उत्तरदायी ठहराये गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) 2903 अप गोल्डन टेम्पल मेल (जिसे पहले फ्रन्टियर मेल कहा जाता था) में आग लगने की दुर्घटना की न्यायिक जांच नहीं हुई थी। रेल सरंक्षा आयोग, उत्तर पूर्व क्षेत्र ने दुर्घटना की जांच की थी, जिसने दुर्घटना की मूलत: जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर डाली है, जिसकी तफतीश साबित नहीं हो सकी है, जिसने शायद स्लीपर सवारी डिब्बा सं. 4 में विस्फोटक सामग्री से लैस एक थैला लिए हुआ था अथवा डिब्बे में छोड़ दिया था, जिससे लुधियाना से चलते ही गाड़ी में आग लग गई।

(ख) आयुक्त द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें सवारी डिब्बों में प्रमुख रैक्सीन और फोम, जिससे जहरीली गैस निकलती है; जलने पर घना धुंआ, गाड़ियों में आग का पता लगाने वाले उपकरणों का विकास, गाड़ी यात्रा के दौरान वेस्टीब्यूलस का खुलना, आरक्षित सवारी डिब्बों में अनारक्षित यात्रियों के प्रवेश पर तथा ज्वलनशील सामग्रियों के ले जाने पर रोक तथा चल टिकट परीक्षकों आदि की निगरानी से संबंधित थीं।

(ग) और (घ) आयोग से प्राप्त सिफारिशों की क्षेत्रीय रेलों तथा रेल मंत्रालय द्वारा उनकी वांछनीयता, व्यवहार्यता, वित्तीय तथा परिचालनिक परिणामों इत्यादि के संबंध में जांच की जाती है। विभिन्न रेल संरक्षा आयुक्तों की सिफारिशों की जांच स्वीकृति तथा कार्यान्वयन एक निरंतर प्रक्रिया है।

(ङ) रेल संरक्षा आयोग/उत्तर पूर्व क्षेत्र ने ड्यूटी के दौरान 6 वाणिज्यिक कर्मचारियों की विभिन्न गलतियों के लिए उनपर गौण और दोषी योग्य जिम्मेदारी निर्धारित की है। उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

[अनुवाद]

लघु विद्युत परियोजनाओं हेतु वित्तीय नीति

1537. **श्री बसुदेव आचार्य : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु विद्युत परियोजनाओं के वित्त-पोषण हेतु योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या आई.डी.बी.आई. और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लघु विद्युत परियोजनाओं के वित्त-पोषण हेतु एक साथ योजना तैयार कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अब तक ऐसी परियोजनाओं की पहचान की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने यह नियम बनाया है कि पी.जी.सी.आई. एल. सहित देश में सभी पारेषण सेवा प्रदाता किसी भी वितरण कंपनी (छोटी या बड़ी), व्यापारी, उत्पादक कंपनी, रक्षित संयंत्र या किसी अनुज्ञेय उपभोक्ता को पारेषण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) सरकार समूचे देश में सौर, पवन, बायोमास और लघु पनबिजली जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित लघु बिजली परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है और इनके लिए वित्तीय एवं राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है। 10वीं योजना अवधि के लिए विभिन्न लघु बिजली परियोजनाओं से 3075 मेगावाट के क्षमता संयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने अक्षय ऊर्जा पर आधारित लघु बिजली परियोजनाओं को स्वीकृत किया है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) और (छ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने दिनांक 14.11.2003 को अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन में ओपन अक्सेस पर एक आदेश जारी किया है। सीईआरसी ने इच्छुक पार्टियों से सुझाव और टिप्पणियों के लिए दिनांक 3.12.2003 को अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन में ओपन अक्सेस की शर्तों का प्रारूप विनियम भी जारी किया है। सीईआरसी प्रारूप विनियम में प्रावधान रहता है कि देश में पावर ग्रिड सहित सभी ट्रांसमिशन सेवा प्रदानकर्ता तत्काल प्रभाव से किसी भी वितरण कंपनी, व्यापारी, जनरेटिंग कंपनी, कैप्टिव संयंत्र अथवा किसी अनुमति प्राप्त उपभोक्ता को अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन के लिए बिना भेदभाव के ओपन अक्सेस प्रदान करेंगे। विद्युत खरीदने के लिए वितरण कंपनियों और अनेक ग्राहकों के लिए नए विकल्पों का सृजन करने के अतिरिक्त यह, विद्युत उत्पादन उद्योग में प्रतिस्पर्धा को सुगम बनाएगा जैसी विद्युत अधिनियम, 2003 में परिकल्पना की गई है।

विवरण

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा मंजूर की गई अक्षय ऊर्जा आधारित लघु विद्युत परियोजनाएं

(लाख रु. में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	संस्थापित क्षमता	परियोजना लागत	आरईसी द्वारा मंजूर किया गया ऋण
1	2	3	4	5	6
1.	चेट्टीपेट्टा	आंध्र प्रदेश	2x500 किवा.	366.58	284.38
2.	एम 12-1-000	आंध्र प्रदेश	2x325 किवा.	583.00	362.82
3.	एम 18-1-330	आंध्र प्रदेश	2x750 किवा.	771.62	612.88
4.	एम 6-7-110	आंध्र प्रदेश	2x500 किवा.	603.00	469.04
5.	एम 6-2-000	आंध्र प्रदेश	2x500 किवा.	603.00	467.26
6.	सिल्लेनाला	अरुणाचल प्रदेश	2x500 किवा.	75.10	75.10
7.	रिने	अरुणाचल प्रदेश	4x0.5 मेवा.	1391.32	368.49
8.	सुबंग	अरुणाचल प्रदेश	3x1.0 मेवा.	2331.42	1748.56
9.	हल्लाईपानी	अरुणाचल प्रदेश	4x3.0 मेवा.	6429.93	3134.95

1	2	3	4	5	6
10.	देवपानी	अरुणाचल प्रदेश	2x0.25 मेवा.	617..19	184.37
11.	मट्टी नाला	अरुणाचल प्रदेश	2x0.25 मेवा.	598.56	397.13
12.	किथुरी	नागालैंड	2x100 किवा.	130.47	130.47
13.	मलंकारा	केरल	10.50 मेवा.	4113.00	3000.00
14.	उर्मी-I	केरल	3.75 मेवा.	1538.00	1332.00
15.	उर्मी-II	केरल	2.40 मेवा.	1276.00	834.00
16.	चेम्बूकदाऊ-I	केरल	2.70 मेवा.	1326.00	946.00
17.	चेम्बूकदाऊ-II	केरल	3.75 मेवा.	1482.00	1336.00
18.	मोरंड	मध्य प्रदेश	3x335 किवा.	286.82	286.82
19.	विष्णुप्रयाग	उत्तरांचल	400 मेवा.	190112.00	11400.00
20.	तुईपक	मणिपुर	0.5 मेवा.	318.17	141.68
21.	गेलनेल-II	मणिपुर	0.2 मेवा.	143.23	65.38
22.	मिटदू	मेघालय	84 मेवा.	36300.00	1600.00
23.	सेरलुई-बी	मिजोरम	12 मेवा.	6294.53	4089.53
24.	एमजीएचई-हाइड्रो ईपी	कर्नाटक	20 मेवा.	9700.00	3050.00
25.	मुकेनन-स्टेज-II	पंजाब	18 मेवा.	12500.00	1171.60
26.	गुरू गोविन्द सिंह सुपर तापीय संयंत्र के लिए माइक्रो-हाइडल स्कीम	पंजाब	1.7 मेवा.	1178.00	1060.00
27.	भद्रवाह	जम्मू एवं कश्मीर	3x05 मेवा.	1150.00	453.000
28.	पहलगाम	जम्मू एवं कश्मीर	3x1.5 मेवा.	4308.00	1600.00
29.	हट्टल-जंसलर	जम्मू एवं कश्मीर	3x05 मेवा.	1474.00	343.00

1	2	3	4	5	6
30.	शंकर-चिकतन	जम्मू एवं कश्मीर	3 x 0.42 मेवा.	1345.00	272.00
31.	मारपोचू-द्रास	जम्मू एवं कश्मीर	3 x 0.25 मेवा.	1108.00	298.00
32.	इगो मर्चेलोंग	जम्मू एवं कश्मीर	3 x 1.5 मेवा.	3482.00	1603.00
33.	हनु फेज I एवं II	जम्मू एवं कश्मीर	3 x 0.5 मेवा.	2606.00	2345.60
34.	दह	जम्मू एवं कश्मीर	3 x 1000 किवा.	2504.00	2253.60
35.	तंगलसे	जम्मू एवं कश्मीर	3 x 150 किवा.	693.00	624.00
36.	कुंगडोक	जम्मू एवं कश्मीर	3 x 50 किवा.	285.00	256.70
37.	लोअर कोलाब (12 मेवा.) एवं मिड्ल कोलाव (25 मेवा.)	उड़ीसा	4 x 3+2 x 12.5=37 मेवा.	16100.00	4800.00

मेवा. = मेगावाट, किवा. = किलोवाट

स्काई बस के इंजनों का अभिकल्पन, विकास और कमिशनिंग

1538. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने आस्ट्रियन कंपनी से स्काई बस के लिए इंजनों के अभिकल्पन, विकास और कमिशनिंग हेतु तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस कंपनी के साथ ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) स्काई बस परियोजना में किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया जाना है;

(घ) क्या स्काई बस परियोजना अन्य मेट्रो मास परिवहनों से भिन्न है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) जी, हां। 3 फेस एसी ऐसिन्क्रोनस मोटरों और कोंकण रेलवे के टक्कर-रोधी उपकरण सहित इंटरफेस चलाने के लिए प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप से विकास किया जाएगा।

(ख) स्काई बस गाइडवे के परिचालन के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रानिक नियंत्रण सहित संपूर्ण तीन फेस ए.सी. कर्षण प्रणाली के विकास में आस्ट्रीयन कंपनी शामिल रहेगी और कोंकण रेलवे की टक्कर-रोधी उपकरण के अनुसार इंटरफेस आवश्यकताओं का भी पता लगाएगी। उक्त फर्म, जिसके साथ कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि. ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, का नाम और पता है:-

"ईएलआईएन ईजीबी ट्रेक्शन जीएमबीएच,
कमबरलैंड स्ट्रबे, 32-34,
ए-1141, वीन आस्ट्रिया"

(ग) हालांकि, भारत में 15 शहरों में तथा विदेश में 7 शहरों में स्काई बस मेट्रो के कार्यान्वयन के प्रस्ताव भेजे गए हैं, इस प्रौद्योगिकी की प्रमाणिकता अभी सिद्ध होनी हैं।

(घ) और (ङ) स्काई बस प्रणाली अन्य शहरी व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली से अधिक सस्ती है। स्काई बस सड़क मार्ग का अनुसरण करती है। यह व्यापक यातायात की एक एलीवेटिड प्रणाली है। वर्तमान

में एलीवेटिड मेट्रो के प्रति मार्ग कि.मी. पर 100 करोड़ रुपए से 120 करोड़ रुपए की बीच में लागत आती है। इसकी तुलना में स्काई बस मेट्रो के उसी स्तर के निष्पादन में प्रति मार्ग कि.मी. पर 45 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए के बीच में लागत आती है। अधिकतर स्काई बस के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सड़क का अनुसरण करती है, अत: किसी भी शहर में इसका निर्माण 2 से 3 वर्षों में किया जा सकता है।

पुराने पुलों का प्रतिस्थापन

1539. श्री अम्बरीश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पुराने पुलों के स्थान पर प्रतिस्थापित नए पुलों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पुलों का निर्माण कब किया गया था;

(ग) इन पुलों की प्रतिस्थापना में कितना समय लगा है;

(घ) पांच वर्ष पूरे होने से पहले ही बड़ी दरारों वाले पुलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

रेल मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) से (ग) फील्ड पदाधिकारियों द्वारा विस्तृत वार्षिक निरीक्षण के दौरान आकलित वास्तविक स्थिति के आधार पर रेलवे पुलों का पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन किया जाता है, न कि उनकी आयु के आधार पर। पुलों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन में स्थल से आंकड़े एकत्रित करना, ड्राइंग, अभिकल्प तैयार करना, अनुमान तैयार करना और निर्माण कार्यक्रम में उनकी स्वीकृति करना शामिल है। इसमें सामग्री की व्यवस्था, डायवर्जन तैयार करना और लॉचिंग व्यवस्था, यातायात ब्लॉक की उपलब्धता और निधि की उपलब्धता भी शामिल हैं। उक्त सभी पहलुओं और कार्य क्षेत्र का ध्यान रखते हुए, पुलों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन में एक से पांच वर्ष तक का औसत समय लग सकता है।

पुल संबंधी कार्य की स्वीकृति और पुलों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन की प्रगति की मॉनीटरिंग जोन-वार की जाती है, न कि राज्य-वार। भारतीय रेलवे पर पिछले तीन वर्षों के दौरान, कुल पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापित पल निम्नानसार हैं:-

वर्ष	पुनर्निर्माण/पुनस्थापित
2000-2001	649
2001-2002	725
2002-2003	1151

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान तैयार किए गए ऐसे किसी भी पुल में दरारें नहीं आई हैं, जिनके कारण पुल सेवा योग्य न रहे हों।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

1540. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में प्रत्येक नई/चालू और लम्बित परियोजनाओं और सर्वेक्षणों की वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(ख) इन पर अब तक परियोजनावार कितनी धनराशि आबंटित और व्यय की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजनावार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या परियोजनाएं समायानुसार चल रही हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार को कर्नाटक में नई रेल परियोजनाओं हेतु भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) से (ग) कर्नाटक राज्य में पड़ने वाली अंशत:/पूर्णत: चालू/लंबित परियोजनाओं के ब्यौरे, उनकी मौजूदा स्थिति, आबंटित धनराशि तथा उन्हें पूरा करने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित की गई है, नीचे दी गई है:-

क्र. सं.	परियोजना	लागत	मार्च, 2003 तक संभावित खर्च	बजट परिव्यय 2003-04	स्थिति
1	2	3	4	5	6
	नई लाइनें				
1.	मुनीराबाद-मेहबूबनगर	420.12	16.43	10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। राज्य सरकार से इस नई लाइन परियोजना के लिए आवश्यक भूमि को आरक्षित करवाने का अनुरोध किया गया है। येरामारास तथा कृष्णा के बीच रेलपथ संपर्क पूरा हो चुका है। कृष्णा पुल पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2.	गड्वाल-रायचूर	108.91	4.1	5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया जारी है। मेहबूबनगर जिले में 36.35 किमी. रायचूर जिले में 12 किमी तक के लिए संयुक्त सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण के लिए कर्नाटक सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार के पास क्रमश: 1.76 करोड़ रु० तथा 1.90 करोड़ रु० जमा करवा दिए गए हैं। गडवाल में ऊपरी पैदल पुल तथा प्लेटफार्म का निर्माण प्रगति पर है। गडवाल छोर से 5 किमी तक की लंबाई तक मिट्टी संबंधी तथा छोटे पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3.	हुबली-अंकोला	997.58	37.17	15	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। हुबली-किरवती खंड के लिए राज्य सरकार के पास भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार के पास 14 करोड़ रु० जमा करवा दिए गए हैं। मिट्टी संबंधी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना को रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लि. (के-राइड) की चार परियोजनाओं में से एक चुना गया है।
4.	गुलबर्गा-बिदर	460	5.33	15	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। 14.30 किमी तक के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज प्रसतुत किए जा चुके हैं तथा भूमि की लागत

1	2	3	4	5	6
					के लिए 10 करोड़ रु० राज्य सरकार के पास जमा करवा दिए गए हैं। मिट्टी संबंधी तथा पुलों के आंशिक निर्माण के लिए निविदाओं की प्रक्रिया जारी है।
5.	हरापनाहल्ली के रास्ते कोट्टूर-हरिहर	124.03	2.17	5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 31 गांवों में से, 16 गांवों के भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजातों को राज्य सरकार को सौंप दिया गया है और 6 गांवों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया जारी है। भूमि की लागत के लिए 2.08 करोड़ रु० उनके पास जमा करवा दिए गए हैं। चार पहुंच मार्गों के लिए 25 किमी मिट्टी संबंधी तथा छोटे पुलों का कार्य जारी है। राज्य सरकार परियोजना की 2/3 लागत वहन करने पर सहमत हो गई है।
6.	कड्डूर-चिकमंगलूर-सकलेशपुर	157	16.77	15	240 हेक्टेयर में से 220 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। शेष वन भूमि है। जिसके लिए अधिग्रहण प्रक्रिया जारी है। 45 किमी लंबाई तक मिट्टी संबंधी तथा छोटे पुलों का कार्य जारी है।
7.	हसन-बैंगलूरू	412.91	82.4	26	हसन और श्रवणबेलगोला (43 किमी) तथा बैंगलूरू से नीलमंगला (16 किमी) तक भूमि उपलब्ध है। भूमि की लागत के लिए 35.6 करोड़ रु० राज्य सरकार के पास जमा करवा दिए गए हैं। मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी इत्यादि कार्य प्रगति पर है। 2003-04 के दौरान हसन श्रवणबेलागोला को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
8.	बैंगलूरू-मत्यमंगलम	225	0.45	0.1	बैंगलूरू से चामराजनगर तक (कनकपुर के रास्ते-162 किमी) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है तथा शेष भाग में कार्य प्रगति पर है। वन क्षेत्र में तनाव की स्थिति होने के कारण सर्वेक्षण कार्य में थोड़ी शिथिलता आ गई है।
	आमान परिवर्तन				
9.	सोलापुर (होतगी)-गदग	276	162.78	10	कार्य चरणों में किया जा रहा है। सोलापुर - होतगी (161 किमी) तथा होतगी-बीजापुर (94 किमी) तक

1	2	3	4	5	6
					कार्य पूरा हो चुका है। बीजापुर से गदग तक खंड के शेष भाग पर कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार परियोजना की 50% लागत का वहन कर रही है ताकि यह कार्य शीघ्र पूरा हो सके।
10.	मैसूर-चामराजनगर	175	2.5	20	मिट्टी संबंधी, बड़े तथा छोटे पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
11.	बैंगलूरू-हुबली तथा बिरूर-शिमोगा	432.08	398.41	0.01	बैंगलूरू-हुबली तथा बिरूर-शिमोगा लाइन पर कार्य पूरा हो चुका है तथा चालू कर दिया गया है। शिमोगा-तलगुप्पा पर कार्य प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी तथा पुलों पर कार्य प्रगति पर है।
12.	यशवंतपुर-सेलम	178.26	175.82	0.01	लिंगराजपुरम तथा बनसावाडी पर ऊपरी सड़क के निर्माण कार्य प्रगति पर है। यशवंतपुर बाईपास लाइन पर भी कार्य शुरू किया गया है और रक्षा भूमि के हस्तांतरण के लिए मामले पर रक्षा मंत्रालय से बातचीत चल रही है।
13.	अरसीकेरे-हसन-मंगलौर	312.43	218.5	2	अरसीकेरे-हसन-सकलेशपुर तथा काकानाडी (मंगलौर) से कबकापुत्तुर तक आमान परिवर्तन पहले ही पूरा हो चुका है। 2003-04 के दौरान कबकापुत्तुर से सुब्रामणिया रोड तक आमान परिवर्तन कार्य पूरा होने का लक्ष्य तय किया गया है। शेष कार्य 2004-05 के दौरान पूरा किए जाने की आशा है बशर्ते कि शेयरधारकों द्वारा निधि की व्यवस्था कर दी जाए। यह परियोजना के-राइड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी जिसके लिए हसन-मंगलौर रेल विकास कंपनी (एच एम आर डी सी) बनाई गई है।
	दोहरीकरण				
14.	होसपेट-गुंतकल	154.14	56.42	35	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इस परियोजना को भी के-राइड के तहत रखा गया है ताकि कार्य में तेजी आ सके। बेल्लारी-तोरनागुल्लु में मिट्टी संबंधी तथा पुलों का कार्य प्रगति पर है। इस खंड के पूरा होने का लक्ष्य 2003-04 के दौरान रखा गया है।

1	2	3	4	5	6
15.	विद्युतीकरण सहित बैंगलूरू-केगड़ी	27.89	2.19	5	कर्नाटक सरकार परियोजना की लागत का 2/3 भाग वहन कर रही है। मिट्टी संबंधी, छोटे, बड़े पुल, गिट्टी संग्रहण इत्यादि कार्य प्रगति पर है।
16.	केगड़ी-रामनगरम	64.54	0.02	5	कर्नाटक सरकार परियोजना की लागत का 2/3 भाग वहन कर रही है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। मिट्टी संबंधी, छोटे पुलों तथा गिट्टी संग्रहण इत्यादि कार्य प्रगति पर है। मिट्टी संग्रहण कार्य भी प्रगति पर है।
17.	यशवंतपुर-तुमकुर	91.82	10.15	19.56	मिट्टी संबंधी, छोटे पुलों तथा पैनल अंतर्पाशन कार्य प्रगति पर है। अरकावती नदी पर बड़े पुल पर बुनियाद संबंधी कार्य भी पूरा हो चुका है।
18.	बैंगलूरू-व्हाइटफील्ड-बैंगलूरू सिटी-कृष्णाराजनगर	85	0.02	0.01	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर लेने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
19.	व्हाइटफील्ड-कुप्पम	162.23	107.23	27	व्हाइटफील्ड से बंगारपेट तथा बंगारपेट यार्ड तक पहला चरण पूरा हो चुका है। तथा चालू कर दिया गया है। बंगारपेट-बिसानायम पर कार्य लगभग पूरा होने को है तथा बिसानाथम-कुप्पम को 2003-04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है जहां मिट्टी संबंधी, पुलों पर कार्य तथा गिट्टी संग्रहण कार्य पूरा हो चुका है। रेलपथ सामग्री की आपूर्ति की जा रही है।
20.	कालीकट-मंगलौर	563.08	505.99	25	कन्नौर वालापट्टनम तथा नेत्रावथी पुल को छोड़कर कार्य पूरा हो गया है।

नीलंबूर रोड से नजनगुड तक नई रेल लाइन के निर्माण का सर्वेक्षण प्रगति पर है। यह सर्वेक्षण मार्च, 04 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) परियोजनाओं की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार हो रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) चालू परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए संसाधनों में बढ़ोत्तरी करने के लिए कई उपाए किए गए हैं। इसमें राज्य सरकारों द्वारा लागत में भागीदारी, सरकारी/निजी भागीदारी, रक्षा मंत्रालय से वित्त पोषण, उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला राष्ट्रीय परियोजना के लिए अतिरिक्त संसाधन तथा राष्ट्रीय रेल विकास योजना के लिए निधियां जुटाना शामिल है। इन उपायों से परियोजनाओं की प्रगति में शायद तेजी आ सके।

(छ) और (ज) राज्य सरकार से प्राप्त कुछ प्रस्ताव जिन्हें चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो-फारवर्ड तथा संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण बजट में शामिल नहीं किया जा सका, का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

i. हरपानाहल्ली के रास्ते गदग और हरिहर के बीच नई लाइन

ii. मैसूर और मंगलौर के बीच नई लाइन

iii. मेडिकेरे और छन्नारायपटना के बीच नई लाइन

vi. बागेपल्ली के रास्ते चिकबल्लापुर और पुट्टापर्थी के बीच नई लाइन

तटरक्षक बल द्वारा पोतों का अधिग्रहण

1541. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटरक्षक बल और पोतों का अधिग्रहण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्तमान गतिविधियों और तटरक्षक बल के विस्तार की आवश्यकता के संबंध में कोई उचित आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकार ने तटरक्षक को सौंपी गई ड्यूटियों और कार्यों को करने के लिए इसके द्वारा पोतों/हेलिकाप्टरों का अर्जन किए जाने से संबंधित प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है ताकि यह संगठन अपने बलस्तरों में वृद्धि कर सके। इसके ड्यूटी चार्ट और कार्यों में कृत्रिम महाद्वीपों, अपतटीय टर्मिनलों, समुद्री क्षेत्रों में अवमंरचना और उपकरणों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित किया जाना, समुद्री क्षेत्रों में अधिनियमन के प्रावधानों को लागू करना, बचाव और खोज कारंवाइयां करना आदि शामिल है। अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित विभिन्न प्रकार के जलयान, उन्नत अपतटीय गश्ती जलयान, प्रदूषण नियंत्रण जलयान, अपतटीय गश्ती जलयान आदि हैं।

(घ) और (ङ) इस संगठन की संक्रियात्मक भूमिका और बढ़े हुए खतरे की संभावना तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र की वृद्धि के मद्देनजर तटरक्षक बल की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना एक सतत् प्रक्रिया है। तदनुसार, पंचवर्षीय तटरक्षक विकास योजनाएं तैयार की जाती हैं और जलयान/विमान/हेलिकॉप्टर/अन्य उपस्कर सेवा में शामिल किए जाते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधा

1542. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सैनिकों की शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी शिकायतों के निवारण हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना 01 अप्रैल, 2003 से प्रभावी है। ब्यौरा इस प्रकार है:-

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर शुरू की गई है। इस योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

(i) 104 सैनिक स्टेशनों पर विद्यमान चिकित्सा सुविधाएं 49 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत और 52 करोड़ रुपए के वार्षिक आवर्ती व्यय पर बढ़ाई जाएंगी।

(ii) सशस्त्र सेना पोलीक्लीनिक/स्वास्थ्य जांच कक्षों के रूप में नई चिकित्सा सुविधाएं ऐसे 123 गैर-सैन्य स्टेशनों में स्थापित की जाएंगी जहां भूतपूर्व सैनिकों की आबादी 2500 से अधिक है। इस पर 69 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत और 98 करोड़ रुपए की वार्षिक आवर्ती लागत आएगी।

(iii) जिन अन्य स्टेशनों पर भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों की आबादी 2500 से कम है उन्हें उपर्युक्त (i) में यथा उल्लेखित विद्यमान संवर्द्धित सशस्त्र सेना क्लीनिक/स्वास्थ्य जांच कक्षों अथवा उपर्युक्त (ii) के तहत 123 स्टेशनों पर सृजित किए जाने वाले सशस्त्र सेना पोलीक्लीनिकों/स्वास्थ्य जांच कक्षों के साथ संबद्ध किया जाएगा।

(iv) भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों को सशस्त्र सेना पोलीक्लीनिकों/स्वास्थ्य जांच कक्षों द्वारा उपलब्ध नहीं कारवाई गई दवाइयों की लागत, उन्हें जिन विशेषज्ञों के पास भेजा गया हो उनकी फीस, पैथोलोजिकल एवं अन्य निदान परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाओं के प्रभारों और अस्पताल में भरती किए जाने के खर्च की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस पर 201 करोड़ रुपए की वार्षिक लागत आने का अनुमान है।

(v) भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं को उसी दर पर अंशदान देना होगा जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन डाक्टरी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों द्वारा अपेक्षित है।

(vi) यह योजना चरणबद्ध रूप से पांच वर्ष में कार्यान्वित की जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतें प्राप्त होते ही उन पर कार्रवाई की जाती है। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना से भूतपूर्व सैनिकों को अपेक्षित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

खन्ना समिति रिपोर्ट की सिफारिशें

1543. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खन्ना जांच समिति (1998) ने सिफारिश की थी कि तीन वर्षों की समय-सीमा के भीतर 'ए' मार्ग पर एक्सल काउंटर वाले ब्लाक लगाए जांए;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न रेलवे जोनों में सिग्नलिंग दूरसंचार उपस्करों की विफलता के कितने मामले सामने आए और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) जी, हां।

(ख) सिगनल विफलताओं की रेलवे-वार और कारण-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सिगनल प्रणाली और दूरसंचार उपस्करों की विश्वसनीयता में सुधार के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

- लीवर फ्रेम, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, रिले और प्वाइन्ट मशीनों जैसे उपस्करों की समयबद्ध तथा आवधिक ओवर-हॉलिंग।
- विश्वसनीयता सुधार कार्य योजना का कार्यान्वयन।
- गतायु सिगनल प्रणाली और दूरसंचार परिसंपत्तियों का आधुनिक सिगनल प्रणाली तथा दूरसंचार परिसंपत्तियों से बदलाव।
- सिगनल प्रणाली परिसंपत्तियों के अनुमानित अनुरक्षण के लिए डाटा लागर्स की व्यवस्था।
- सिगनल प्रणाली और दूरसंचार परिसंपत्तियों के निष्पादन की मॉनीटरिंग करना ताकि विफलता [एमटीबीएफ और मरम्मत (एमटीटीआर)] के औसत समय के बीच औसम समय कम हो सके।

विवरण

खन्ना समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के संबंध में लोक सभा में 11.12.2003 को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1543 के भाग (ख) के उत्तर से संबंधित विवरण

सिगनलिंग विफलताओं का कारणवार विवरण (अप्रैल से अक्तूबर, 2003 तक संचित)

कारण	मध्य रेलवे	पूर्व रेलवे	उत्तर रेलवे	पूर्वोत्तर रेलवे	पूसीरे	द.रे.	द.म.रे.	द.पू.रे.	पश्चिम रेलवे	पूर्व मध्य रे.	उ.प.रे.	पूर्व तटीय रे.	उ.मध्य रेलवे	द.पू.मध्य रेलवे	द.प.रे.	पश्चिम म. रेलवे	भारतीय रेल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. सिगनलिंग एवं दूर-संचार	1268	1531	3121	1527	0	1778	2539	914	3559	3401	1105	2667	2879	1180	0	1061	25129
उपस्कर	148	173	621	364		855	1290	120	1285		334	779	300	344		245	6858
लैम्प फ्यूसिंग	35	104	182	234		88	151	175	124		51	182	153	121		34	1634
केबल विफलता	164	97	183	24		96	165	82	153		25	173	119	81		70	1432
फ्यूस उड़ना	112	163	258	163		66	174	130	288		68	341	198	61		122	2144
रिले	18	131	151	206		223	269	51	245		177	167	217	59		83	1997
प्वाइंट एम सी	18	30	24	35		65	92	2	37		9	7	45	2		12	378
पावर उपस्कर	18	30	187	33		50	104	48	61		66	72	158	39		44	910
घटिया अनुरक्षण	77	40	144	42		19	131	8	418		99	40	173	70		33	1294
विविध	678	763	1371	426		316	163	298	948		276	906	1516	403		418	8482
कुल	1268	1531	3121	1527	0	1778	2539	914	3559	3401	1105	2667	2879	1180	0	1061	25129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2. परिचालन	218	1132	2912	1565	0	236	638	430	608	1378	268	1234	2640	419	0	521	12821
टीएफओके	36	291	604	1045		96	185	160	150		0	411	987	77		159	4201
एन आई एन ए	16	612	1450	258		15	136	153	60		0	507	162	164		153	3686
गलत परिचालन	31	226	568	56		14	63	59	74		52	153	805	87		94	2282
प्वाइंट में रुकावट	98	0	109	134		50	156	22	199		49	54	399	69		57	1396
अन्य	37	3	181	72		61	98	36	125		167	109	287	22		58	1256
कुल	218	1132	2912	1565	0	236	638	430	608	1378	268	1234	2640	419	0	521	12821
3. इंजीनियरी	254	715	1478	272	0	421	658	266	304	1198	119	808	1279	370	0	184	7128
कर्मचारियों की विफलता	88	225	520	96		62	150	82	139		12	293	435	124		57	2283
आई बी जे दोष	10	0	198	33		1	81	47	35		14	9	39	11		8	486
जी.जे. दोष	21	32	74	0		3	105	5	23		2	25	61	62		20	433
घटिया जल निकासी	2	159	136	29		57	61	18	3		24	27	196	10		11	733
प्वाइंट दोष	58	124	260	69		50	68	10	25		4	67	158	20		35	948
अन्य	75	175	290	45		248	193	104	79		63	387	390	143		53	2245
कुल	254	715	1478	272	0	421	658	266	304	1198	119	808	1279	370	0	184	7128
4. डीओटी	66	157	669	77	0	423	485	13	488	402	1511	98	139	12	0	67	4205
लाइन विफलता	66	157	669	77		423	485	13	488		1511	98	139	12		67	4205
कुल	66	157	669	77	0	423	485	13	488	402	1511	98	139	12	0	67	4205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5. इलेक्ट्रिकल	112	183	351	55	0	70	110	81	155	406	36	174	179	43	0	16	1565
आपूर्ति विफलता	71	90	311	49		30	52	55	133		22	132	95	31		14	1085
अन्य	41	93	40	6		40	58	26	22		14	42	84	12		2	480
कुल	112	183	351	55	0	70	110	81	155	406	36	174	179	43	0	16	1565
6. यांत्रिक	44	73	198	71	0	12	115	10	43	45	110	126	32	20	0	7	861
लटके हुए भाग से क्षति	2	9	18	10		8	1	7	3		11	42	18	17		6	152
टोकन खोना	0	62	142	58		3	97	3	4		99	59	4	1		1	533
अन्य	42	2	38	3		1	17	0	36		0	25	10	2		0	176
कुल	44	73	198	71	0	12	115	10	43	45	110	126	32	20	0	7	861
7. शरारती तत्व	29	677	1563	513		151	380	91	136	2979	381	341	788	74		79	8182
8. विविध	636	314	576	64		24	1253	99	136	748	495	269	610	52		233	5509
9. खराब मौसम	41	70	97	96		105	0	39	136	842	19	90	25	55		36	1651
कुल जोड़	2668	4852	10965	4240	0	3220	6178	1943	5565	11399	4044	5807	8571	2225	0	2204	73881

मध्य एशियाई देशों के साथ सैन्य संबंध

1544. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मध्य एशियाई देशों के साथ सैन्य संबंध मजबूत करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए सैन्य सहयोग के किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सरकार मध्य एशियाई गणराज्यों सहित मित्र देशों के साथ सैन्य और तकनीकी सहयोग मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है।

(ख) मध्य एशियाई देशों के साथ सैन्य सहयोग के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्रों में सैन्य प्रशिक्षण, यात्राओं का आदान-प्रदान, आतंकवाद का मुकाबला करने के उपाय और रक्षा उद्योगों के बीच परस्पर संपर्क करना शामिल है।

गैर-सरकारी मत्स्यन उद्योग में तटरक्षक बल का हस्तक्षेप

1545. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटरक्षक बल ने मत्स्यन क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में उनसे बातचीत की है और जानकारी मांगी है;

(ख) तटरक्षक बल को गैर-सरकारी मत्स्यन उद्योग में हस्तक्षेप से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का किस हद तक समाधान किया है;

(ग) क्या तटरक्षक बल ने मत्स्यन क्षेत्र को आश्वस्त किया है कि वे अपनी गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित रखेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो मत्स्यन उद्योग के संबंध में तटरक्षक बल की प्रस्तावित गतिविधियों का दायरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) स्थानीय मत्स्यन उद्योग द्वारा समुद्र में जान-माल की सुरक्षा संबंधी यदि कोई समस्याएं उठाई गई हों, तो उन्हें ऐसे परस्पर विचार-विमर्शों के दौरान सुलझाया जाता है।

(ग) और (घ) तटरक्षक बल का अधिदेश राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी गतिविधियों तक सीमित नहीं है। इसके कार्यों में कानून लागू करना, अनधिकार मछली पकड़ने पर रोक लगाना, तस्करी पर रोक लगाना, समुद्री प्रदूषण-रोधी कार्रवाई, तलाशी एवं बचाव आदि कार्य करना भी शामिल है।

जम्मू और कश्मीर में रेल परियोजनाएं

1546. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में नई/चल रही और लम्बित रेल परियोजनाओं और सर्वेक्षणों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं हेतु परियोजना-वार किस प्रकार धन मुहैया कराया जाता है;

(ग) उनके लिए अभी तक कितनी निधियां आबंटित की गई और कितनी निधियां व्यय की गई;

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु परियोजना-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या कुछ परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) से (घ) राज्य में नई/चालू, लंबित रेल परियोजनाओं, उनकी वर्तमान स्थिति, निधि जुटाने का तरीका, 31.3.2003 तक किया गया खर्च, 2003-04 के दौरान प्रस्तावित परिव्यय, लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित की गई है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	निधि की व्यवस्था का तरीका	31.3.03 तक किया गया खर्च	2003-04 के लिए परिव्यय	वर्तमान स्थिति
1.	जम्मू-ऊधमपुर (53.6 किमी.)	सामान्य राजकोष से प्राप्त बजटीय सहायता के माध्यम से	423.05 करोड़ रु.	30.00 करोड़ रु.	1992 में जम्मू-बजालता (11 कि.मी.) का कार्य पहले ही खोल दिया गया है। शेष भाग में कार्य समाप्ति के अंतिम चरणों में है। चार बड़े पुल, जहां कार्य प्रगति पर है, के अलावा, मिट्टी संबंधी कार्य, सुरंग संबंधी कार्य और पुलों का कार्य किया जा चुका है। इस कार्य को 2003-04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
2.	ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला (287 किमी.)	एक अतिरिक्तता के रूप में सामान्य राजकोष से प्राप्त बजटीय सहायता के माध्यम से	789.78 करोड़ रु.	500 करोड़ रु.	इस कार्य को चरणों में किया जा रहा है। ऊधमपुर-कटरा खण्ड पर मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य और सुरंग संबंधी कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। इस खण्ड के कार्य को मार्च, 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। काजीगुंड-बारामूला खण्ड पर, भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस खण्ड के कार्य को दिसम्बर 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कटरा-काजीगुंड खण्ड का कार्य भारतीय रेलवे निर्माण कंपनी और कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड को सौंपा गया है। विस्तृत निर्माण सर्वेक्षण तथा भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। आंशिक लंबाई में मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य को भी शुरू किया गया है। इस खण्ड को 15.8.2007 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
	दोहरीकरण				
1.	जालंधर-जम्मूतवी	सामान्य राजकोष से प्राप्त बजटीय सहायता के माध्यम से	37.0 करोड़ रु.	21.83 करोड़ रु.	मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। इस कार्य को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, 2007-2008 तक चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

उक्त के अलावा, (i) बारामूला से कुपवाड़ा (60 किमी.); (ii) ऊधमपुर से भदरवा बरास्ता डोडा (85 किमी.); और (iii) डोडा से किश्तवार (55 किमी.) को नई बड़ी आमान लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

(ङ) से (छ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, कार्य प्रगति पर हैं। चालू परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए सामान्य बजटीय संसाधनों के अलावा, संसाधन जुटाने के विभिन्न प्रयास किए गए हैं।

ऋण की ब्याज दरों में कटौती

1547. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार ने पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज दर में कटौती करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ब्याज दर में कटौती करने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) राज्य सरकारों/पावर यूटिलिटियों से इनके द्वारा मंजूर ऋण पर ब्याज दर कम करने के लिए विद्युत वित्त निगम लि. (पीएफसी) को राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कर्नाटक विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड ने विद्युत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 0.5% की अतिरिक्त छूट देने के लिए विद्युत वित्त निगम से अनुरोध किया है।

विद्युत वित्त निगम, अपने ऋण दरों को बाजार उतार-चढ़ाव के साथ और धनराशि की अपनी लागत और इसकी उधार दरों को उपयुक्त रूप से संशोधन करने के लिए बराबर समीक्षा करती है। 24 सितम्बर 2003 से लागत वर्तमान उधार दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

24.09.2003 से विद्युत वित्त निगम की उधार दरें।

1.0 प्रोजेक्ट रूपी टर्म लोन हेतु

1.1 राज्य क्षेत्र/केन्द्रीय क्षेत्र उधारकर्त्ता के लिए लागू

(% में सभी दरें)

क्र. सं.	उधारकर्त्ता श्रेणी	परियोजना के प्रकार	लागू ब्याज दर (छूट के बाद)
1.	स्टेट सेक्टर ग्रेड-1 और विशेष श्रेणी पीएसयू के अलावा केन्द्रीय सेक्टर नीचे दर्शाये गये हैं।	थर्मल जेनरेशन	9.75
		हाइड्रो जेनरेशन	9.50
		टी एण्ड डी (एपीडीआरपी ऋण के अतिरिक्त) और अन्य स्कीमें	8.50
		एपीडीआरपी स्कीमें	8.50
		आर एण्ड एम/आर एण्ड यू	9.00
		टी एण्ड डी (एडीबी-2)	8.25
		आर एण्ड एम (एडीबी-2)	8.75
2.	एनटीपीसी, एनएलसी, डीवीसी, एनएचपीसी, एनपीसीआईएल, पीजीसीआईएल और अन्य एएए रेटेड कंपनी (विशेष श्रेणी)	टी एण्ड डी	8.50
		अन्य स्कीमें	900

1.2 निजी क्षेत्र उधारकर्त्ता के लिए लागू

(% में सभी दरें)

क्रमांक	उधारकर्त्ता श्रेणी	परियोजना श्रेणी	ब्याज दरें (छूट लागू नहीं)
1.	निजी क्षेत्र	सभी स्कीमें	11.25

2.0 बायरसलाइन ऑफ क्रेडिट

(% में सभी दरें)

क्रमांक	उधारकर्त्ता श्रेणी	टेनोर ऑफ लोन	चालू ब्याज दरें (छूट के बाद)
1.	स्टेट सेक्टर ग्रेड-1 और विशेष श्रेणी पीएसयू के अलावा केन्द्रीय सेक्टर नीचे दर्शाये गये हैं।	1 वर्ष तक	9.00
		1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष तक	9.75
		5 वर्ष से अधिक	10.00
2.	एनटीपीसी, एनएलसी, डीवीसी, एनएचपीसी, एनपीसीआईएल, पीजीसीआईएल और अन्य एएए रेटेड कंपनी (विशेष श्रेणी)	5 वर्ष तक	9.00
		5 वर्ष से अधिक	9.25
3.	*निजी क्षेत्र उधारकर्त्ता (एएए रेटेड कंपनी के अतिरिक्त)	1 वर्ष तक	10.00
		1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष तक	11.25
		5 वर्ष से अधिक	11.75

*निजी क्षेत्र में डिआईएमसीओएमएस से निर्मित बीएलसी सुविधा उपलब्ध है।

3.0 बिलों का प्रत्यक्ष डिस्काउंटिंग

(% में सभी दरें)

क्रमांक	उधारकर्त्ता श्रेणी	टेनोर ऑफ लोन	चालू ब्याज दरें (छूट के बाद)
1	2	3	4
1.	स्टेट सेक्टर ग्रेड-1 और विशेष श्रेणी पीएसयू के अलावा केन्द्रीय सेक्टर नीचे दर्शाये गये हैं।	5 वर्ष तक	10.50
		5 वर्ष से अधिक	11.50

1	2	3	4
2.	एनटीपीसी, एनएलसी, डीवीसी, एनएचपीसी, एनपीसीआईएल, पीजीसीआईएल और अन्य एएए रेटेड कंपनी (विशेष श्रेणी)	5 वर्ष तक	9.00
		5 वर्ष से अधिक	9.25
3.	*निजी क्षेत्र उधारकर्त्ता (एएए रेटेड कंपनी के अतिरिक्त)	5 वर्ष तक	10.00
		5 वर्ष से अधिक	11.75

4.0 कम अवधि ऋण

(% में सभी दरें)

क्र. सं.	उधारकर्त्ता श्रेणी	चालू ब्याज दरें (छूट के बाद)
1.	स्टेट सेक्टर ग्रेड-1 और विशेष श्रेणी पीएसयू के अलावा केन्द्रीय सेक्टर नीचे दर्शाये गये हैं।	9.00
2.	निजी क्षेत्र उधारकर्त्ता (एएए रेटेड कंपनी के अतिरिक्त)	10.50

5.0 पूर्व आरंभ की अवधि के दौरान लीज फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत बनाई गई संवितरण पर ब्याज दरें

(% में सभी दरें)

क्र. सं.	उधारकर्त्ता श्रेणी	चालू ब्याज दरें (छूट के बाद)
1.	स्टेट सेक्टर ग्रेड-1 और विशेष श्रेणी पीएसयू के अलावा केन्द्रीय सेक्टर नीचे दर्शाये गये हैं।	10.25
2.	एनटीपीसी, एनएलसी, डीवीसी, एनएचपीसी, एनपीसीआईएल, पीजीसीआईएल और अन्य एएए रेटेड कंपनी (विशेष श्रेणी)	9.50
3.	*निजी क्षेत्र उधारकर्त्ता (एएए रेटेड कंपनी के अतिरिक्त)	11.75

6.0 उपकरण निर्माणकर्त्ताओं की ऋणों पर ब्याज दरें।

क्र. सं.	उधारकर्त्ता श्रेणी	टेनोर ऑफ लोन	चालू ब्याज दरें (छूट के बाद)
1.	सभी एए रेटेड कंपनी	1 वर्ष तक	9.00
		1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष तक	9.25
2.	अन्य कंपनी	1 वर्ष तक	10.50
		1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष तक	11.25

टिप्पणी

1. राज्य क्षेत्र, उधारकर्त्ताओं जो निम्नलिखित मानदंड पूरा करते हैं, उनको राज्य क्षेत्र के ग्रेड-I श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

   (i) वर्तमान में कोई चूक न हो अर्थात् घोषित चूककर्त्ता नहीं हो;

   (ii) सैटिसफैक्ट्री एस्क्रो अरेंजमेंटस; और

   (iii) पीएफसी की नीति के अनुसार सुधार की स्थिति।

   राज्य विद्युत यूटिलिटी को प्रथम दो मानदंडों को पूर करते हैं परंतु सुधार की स्थिति में नहीं हैं, उनको ग्रेड-II श्रेणी में रखा जाएगा। ग्रेड-II श्रेणी के उधारकर्त्ताओं के लिए ब्याज दरें प्रति वर्ष 0.5% से अधिक होगी जो राज्य क्षेत्र ग्रेड-I श्रेणी उधारकर्त्ता की तुलना में होंगे।

राज्य विद्युत यूटिलिटियों/उधारकर्त्ता जो उपर्युक्त ग्रेडों के अंतर्गत नहीं आते हैं, को ग्रेड-III श्रेणी में रखा जाएगा जिनको सामान्यत: निगम द्वारा वित्तपोषण नहीं किया जाएगा। तथापि, जहां पर किसी करार के अंतर्गत तीसरी पार्टी को संवितरण के लिए निगम ने अपनी वचनबद्धता दी हो, वहां निगम अपनी सहायता को जारी रखेगा। ऐसे मामलों ग्रेड-III के उधारकर्त्ताओं के लिए ब्याज दरें ग्रेड-II उधारकर्त्ताओं के समकक्ष होंगी।

2. डेब्ट रिफाइनेंसिंग स्कीम के अंतर्गत आरटीएल, 1.0 में दी गई सारिणी में प्रदर्शित दरों के अनुसार दी जाएगी।

3. उपर्युक्त दरें (निजी क्षेत्र के उधारकर्त्ताओं की आरटीएल में दर्शाई गयी ब्याज दरें, आरंभ पूर्व अवधि के दौरान ''लीज फाइनेंस स्कीम'' के अंतर्गत बनाई गई संवितरण पर बिलों की प्रत्यक्ष छूट और ब्याज दरों के अलावा) जिसमें दर्शाया न गया हो, बकाया के समयबद्ध भुगतान के लिए 0.5% की छूट/प्रोत्साहन के बाद लागू ब्याज दरें हैं। बिना छूट की दरों पर विचार करने के बाद उधारकर्त्ताओं से निगम ब्याज की प्रतिपूर्ति करेगी। तथापि, उन मामलों में जहां पर वैध तारीख में भेजी गई राशि पीएफसी के पास पहुंचने पर उधारकर्त्ताओं को तुरंत ही छूट राशि वापस की जाएगी।

4. आरटीएल के मामले में निजी क्षेत्र के उधारकर्त्ताओं को डायरेक्ट डिस्काउंट ऑफ बिल्स के अंतर्गत वित्तपोषित तथा उपर्युक्त दर्शायी गयीं दरें, आरंभिक अवधि की ''लीज फाइनेंस स्कीम'' के अंतर्गत संवितरित ब्याज दरें, होंगी और बाद में बकाया के समयबद्ध भुगतान में आगे कोई छूट/प्रोत्साहन अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. बिलों की प्रत्यक्ष डिस्काउंटिंग के मामले में 0.5% ब्याज वसूलने की निगम की मौजूदा नीति के अतिरिक्त उपर्युक्त सामान्य दरें चालू रहेगी यदि बिलों को अविकल्प एस्क्रो एकाउंट की प्रतिपूर्ति पर ब्याज घटक के अलावा 50 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य तक एसईबी/एसजीसी/सेंट्रल जेनरेटिंग एंड ट्रांसमिशन कंपनी और सरकारी उद्यम द्वारा उपकरण की खरीद के मामले में बैंकों द्वारा सहयोग प्राप्त/गारंटी न दी गई हो बिलों के प्रत्यक्ष डिस्काउंट के अंतर्गत मंजूर ऋणों पर छूट की नीति लागू नहीं होगी। उपर्युक्त सारिणी में दर्शायी गई ब्याज दरें, बिलों के प्रत्यक्ष डिस्कांउटिंग के अंतर्गत बढ़ायी गयी वित्तीय सहायता के लिए लागू रहेगी। चॉक लाइन ऑफ क्रेडिट विक्रेता को उपलब्ध है, अत: उपकरण/सामग्रियों के विक्रेता की श्रेणी के आधार पर लागू ब्याज दरों का निर्धारण किया जाएगा।

6. परियोजना-वार ऋण के प्रथम भुगतान की तारीख से मानी जाएगी अन्य स्कीमों के लिए, ऋण की अवधि संवितरण की तारीख से मानी जाएगी (उपकरण निर्माण की ऋण के मामले में प्रथम वितरण से)।

7. उपर्युक्त दर्शायी गई सभी ब्याज दरें तिमाही आधार पर है। ईएमआई के मामले में, उपर्युक्त दर्शायी गयी ब्याज दरें, ईएमआई किस्तों के अंतर्गत ब्याज के आकलन के प्रयोजन के लिए लागू होंगी।

8. एसटीएल/डब्ल्यूसीएल के बुलेट रिपेमेंट के मामले में, ठेका अवधि की उपर्युक्त दरों के अनुसार ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

9. अंतरित ऋण के मामले में, मामला दर मामला आधार पर स्वीकृत परियोजना रूपी आवधिक ऋण बोनस ब्याज दर राज्य क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लागू होंगी, जो जीएनसीओ (थर्मल/हाइड्रो/इंटिटीज) के लिए ओवदन करना होगा और टी एंड डी को ब्याज दरें (एबीडी ऋण के अलावा) ट्रांस्को (टीआरएएनएससीओ) के लिए आवेदन करेंगे।

10. डब्ल्यूसीएल की मध्यम/दीर्घावधि के मामले में प्लेज बॉण्ड के अंतर्गत, मामला-दर-मामला आधार पर मंजूर किए गए, राज्य क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं में लागू ब्याज दरें जेनको (थर्मल/हाइड्रो) और एसईबी को आवेदन करेंगे और टी एंड डी के लिए (एडीबी ऋण के अलावा) ब्याज दर हेतु ट्रांस्को को आवेदन करेंगे। लागू ब्याज दरों पर नेट रिबेट भी होगी और इन दरों पर समयबद्ध भुगतान के लिए अलग से रीबेट नहीं दी जाएगी।

फिल्म समारोह

1548. श्री परसुराम माझी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितने फिल्म समारोह आयोजित किए गए;

(ख) ये फिल्म समारोह किन स्थानों पर आयोजित किए गए; और

(ग) ऐसे प्रत्येक फिल्म समारोह में हुए खर्च का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आयोजित फिल्म समारोहों की संख्या	स्थान जहां इन समारोहों का आयोजन किया गया था	ऐसे प्रत्येक समारोह में होने वाले व्यय का ब्यौरा
1	2	3	4
1.	फिल्म समारोह निदेशालय (क) भारत का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह-2	(क) (i) नई दिल्ली में भारत का 33वां अन्तर्राष्ट्रीय महोत्सव 1-10 अक्तूबर, 2002	(i) 151.24 लाख रुपये। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार द्वारा 125 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।
		(ii) नई दिल्ली में भारत का 34वां अन्तर्राष्ट्रीय महोत्सव 9-19 अक्तूबर, 2003	(ii) 118.08 लाख रुपये। इसके अतिरिक्त राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार द्वारा 115 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।
	(ख) विदेशों में भारतीय फिल्म समारोह - 18	(ख) **2001-2002 के दौरान**	
		(i) नीदरलैंड	व्यय का वहन भारतीय मिशन द्वारा किया गया।
		(ii) स्पेन	– वही –
		(iii) श्रीलंका	– वही –
		(iv) सीरिया	– वही –
		(v) स्विटजरलैंड	– वही –
		(vi) मारीशस	– वही –
		(vii) लाओस	– वही –
		2002-2003 के दौरान	
		1. स्विटजरलैंड	व्यय का वहन भारतीय मिशन द्वारा किया गया।
		2. यू.एस.ए. (गुरू दत का सिंहवालोकन)	– वही –
		3. हांग-कांग	– वही –

1	2	3	4
		4. जापान	जापान 17,086 रुपये
		5. ट्यूनीशिया	व्यय का वहन भारतीय मिशन द्वारा किया गया।
		6. यू.एस.ए.	यू.एस.ए. 12,599 रुपये
		7. यू.के. (श्याम बेनेगल का सिंहावलोकन)	व्यय का वहन भारतीय मिशन द्वारा किया गया।
		2003-2004 के दौरान	
		आस्ट्रेलिया	व्यय का वहन भारतीय मिशन द्वारा किया गया।
		स्विटजरलैंड	— वही —
		भुटान	भुटान 1,88,632 रुपये
		जर्मनी	व्यय का वहन भारतीय मिशन द्वारा किया गया।
भारत में विदेशी फिल्म समारोह - 18		**2001-2002 के दौरान**	
		इजराइल (दो शहरों में)	इजराइल 24,315 रुपये
		जर्मनी (चार शहरों में)	जर्मनी 1,11,314 रुपये
		फ्रांस (दो शहरों में)	फ्रांस 13,511 रुपये
		आस्ट्रेलिया	व्यय का वहन विदेशी मिशन द्वारा किया गया।
		इरान	व्यय का वहन विदेशी मिशन द्वारा किया गया।
		स्वीडन	स्वीडन 11,000 रुपये
		मुक्ता (महिला सशक्तिकरण पर एक विशेष फिल्म महोत्सव) (तीन शहरो में)	मुक्ता 6,36,938 रुपये
		यूरोपीय संघ (तीन शहरो में)	यूरोपीय संघ 1,95,560 रुपये
		2002-2003 के दौरान	
		इटली	व्यय का वहन विदेशी मिशन द्वारा किया गया।
		नार्वे	— वही —

1	2	3	4
		पोलैंड	व्यय का वहन विदेशी मिशन द्वारा किया गया।
		दक्षिण अफ्रीका	– वही –
		वियतनाम	– वही –
		विजन आफ आस्ट्रेलिया	– वही –
		क्रोशिया	– वही –
		प्रवासी भारतीय दिवस फिल्म महोत्सव	– वही –
		न्यूजीलैंड फिल्म महोत्सव	– वही –
		2003-2004 के दौरान	
		फ्रेंच एनीमेशन फिल्म महोत्सव	11,5.6 रुपये
	राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव	नई दिल्ली में 2001-2002 के दौरान	31.59 लाख रुपये
	2 महोत्सव	नई दिल्ली में 2002-2003 के दौरान	72.68 लाख रुपये
2.	राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निगम लि. 7 महोत्सव	2001 के दौरान - कोई नहीं	
		2002 के दौरान	
		सेशिलीज में समसामयिक भारतीय सिनेमा का महोत्सव	महोत्सव का आयोजन विदेशी मिशन की सहायता से किया गया था। प्रिंटो को राजनयिक माध्यमों से भेजा गया था इसलिए इस महोत्सव को करने में कोई खर्चा नहीं हुआ।
		समसामयिक मलयालम फिल्म महोत्सव, दुबई	1.07 लाख रुपये
		नेशनल गेलरी ऑफ आर्ट एण्ड स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन द्वारा सत्यजीत रे महोत्सव, वाशिंगटन डी.सी.	महोत्सव का आयोजन विदेशी मिशन की सहायता से किया गया था। प्रिंटो को राजनयिक माध्यमों से भेजा गया था इसलिए इस महोत्सव को करने में कोई खर्चा नहीं हुआ।
		2003 के दौरान	
		1. सिशेल्स में समसामयिक भारतीय सिनेमा महोत्सव	यह महोत्सव विदेश में स्थित मिशन के सहयोग से आयोजित किया गया। प्रिंटो को राजनयिक माध्यम से भेजा गया।

1	2	3	4
		2. समसामयिक मलयालम फिल्म महोत्सव, दुबई	0.30 लाख रुपये
		3. मॉरीशस में भारतीय फिल्म महोत्सव	1.24 लाख रुपये
		4. मलोशया में भारतीय फिल्मों का महोत्सव ''इन्क्रेडिबल इंडिया''	यह महोत्सव विदेश में स्थित मिशन के सहयोग से आयोजित किया गया। प्रिंटो को राजनयिक माध्यम से भेजा गया।
3.	फिल्म प्रभाग, मुम्बई-5 समारोह	**2001 के दौरान**	
		दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म समारोह (डी आई एफ एफ-2001)	2,34,344 रुपये
		2002 के दौरान	
		1. सातवां मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु एवं एनीमेशन फिल्मों के लिए फिल्म महोत्सव (एम आई एफ एफ-मुम्बई)	97,51,000 रुपये
		2. अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (कोलकाता)	94,562 रुपये
		2003 के दौरान	
		1. अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव (कटक)	23,868 रुपये
		2. अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव (भिलाई)	9,399 रुपये
4.	बालचित्र समिति, भारत-2 समारोह	**2001 के दौरान**	
		12वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, हैदराबाद (14-20 नवम्बर, 2001)	67,46,152 रुपये
		2003 के दौरान	
		13वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, हैदराबाद (14-20 नवम्बर, 2001)	83 लाख रुपये का बजट अनुमोदित कर दिया गया है।
5.	सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान-3 समारोह	**2001 के दौरान**	
		सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान डिप्लोमा फिल्म महोत्सव (मुम्बई और कोलकाता	2,00,000 रुपये

1	2	3	4
		2002 के दौरान	
		सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान डिप्लोमा फिल्म महोत्सव (कोलकाता)	लगभग 9,000 रुपये
		क्लैपस्टिक 2002-कोलकाता में आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय छात्र फिल्म महोत्सव	3,63,827 रुपये

उच्च शक्ति के इंजन

1549. **श्री वाई.वी. राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने स्वदेश में ही उच्च गति वाले इंजन का विकास किया है जिससे यात्रा समय में कमी आएगी;

(ख) यदि हां, तो इंजन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इंजनों का उत्पादन शुरू हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त इंजनों का उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) जी, हां। प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के जरिए भारतीय रेलवे ने उच्चतर त्वरण वाले नवीनतम प्रौद्योगिकी के डीजल तथा विद्युत रेल इंजनों का देश में ही निर्माण किया है।

(ख) इन रेल इंजनों की खास विशेषताओं में 3 फेस वाले एसी/एसी प्रणाली, स्वनिदान विशेषताओं सहित माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रण, कर्मी दल द्वारा जागरूक रहने संबंधी नियंत्रण उपकरण पुनरुद्धारक ब्रेकिंग (विद्युत रेल इंजन)/विस्तारित डायनमिक ब्रेक (डीजल रेल इंजन) तथा अन्य संरक्षा तथा निष्पादन संवर्धित विशेषताएं शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। देश में इन रेल इंजनों का उत्पादन रेलवे उत्पादन इकाइयों (चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चितरंजन, में बिजली रेल इंजन तथा डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में डीजल रेल इंजन) में आरंभ हो चुका है। अब तक 57 विद्युत रेल इंजन तथा 34 डीजल रेल इंजनों का निर्माण हो चुका है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता तंत्र

1550. **श्री पी. राजेन्द्रन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय में और मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता तंत्र भ्रष्टाचार की समस्या को दूर करने में प्रभावी है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में गत दो वर्षों के दौरान उनके कर्मचारियों के बारे में सतर्कता विभाग द्वारा कितनी शिकायतों का निपटान किया गया और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता तंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सतर्कता प्रशासन जांच करता है और जब कभी प्रथमदृष्टया मामले साबित होते हैं तो विभागीय कार्यवाही आरंभ करने के लिए उन मामलों की सिफारिश करता है। कर्मचारियों को प्रशासन में पारदर्शिता लाने की जरूरत के संबंध में जागरूक बनाने के लिए अनेक अन्य कार्यक्रम और क्रियाकलाप चलाए जाते हैं।

पिछले दो वर्षों अर्थात् 1.1.2002 से 30.11.2003 तक मंत्रालय में और तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सतर्कता विभाग द्वारा कार्यवाहीगत शिकायतों की संख्या 842 है। उपर्युक्त अवधि के दौरान 248 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की और 95 कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की गई।

सतर्कता प्रणाली नियमित बनाने के लिए समय-समय पर पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सीबीआई के साथ समन्वय से कर्मचारियों की सहमत सूची, संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों का आवधिक पुनरीक्षण, भ्रष्टाचार संभाव्य क्षेत्रों की पहचान, सतर्कता पद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए कदमों में से कुछ कदम हैं।

अनायारा और मेलारन्नूर समपारों पर रेल ऊपरि पुल

1551. **श्री वी.एस. शिवकुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव त्रिवेन्द्रम मंडल में अनायारा और मेलारन्नूर समपारों पर रेल ऊपरी पुलों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रेल ऊपरी पुलों का कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) और (ख) अनायारा के नजदीक तिरूवनंतपुरम और किलोन स्टेशनों के बीच 217/4-5 किमी. पर समपार सं. 578 के बदले में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव निर्माण कार्यक्रम 2004-05 में शामिल करने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। बहरहाल, मेलारन्नूर पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) मौजूदा नियमों के तहत, राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की अपेक्षित पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने तथा उनकी व्यवहार्यता हेतु जांच की जाती है। रेलवे के निर्माण कार्यक्रमों में कार्य शामिल होने पर इसके लिए पहले सामान्य आरेखण प्रबंध तथा विस्तृत अनुमानों को तैयार किया जाता है और रेलवे तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इन्हें अनुमोदित किया जाता है। निर्माण को पूरा करने की समपार अवधि राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों को पूरा करने पर भी निर्भर करती है। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर निर्माण-कार्य के साथ-साथ रेलवे रेलपथ के ऊपर पुल के अपने हिस्से के निर्माण कार्य को पूरा करना सुनिश्चित करेगी।

प्रचार पर खर्च

1552. **श्री पी.डी. एलनगोवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण रेलवे द्वारा संबंधित रेल जोनों में हुए रेल समारोहों के संबंध में दैनिक समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु कितना खर्च किया गया;

(ख) क्या कुछ रेल जोन समाचार-पत्रों में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु अपनी आबंटित राशि से अधिक राशि खर्च कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष के दौरान रेलों द्वारा खर्च की गई अतिरिक्त राशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) वर्ष 2002-03 के दौरान 2.43 करोड़ रु. खर्च किए गए थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण

1553. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का हाल ही में परीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में यह परीक्षण कितना सफल पाया गया; और

(ग) मिसाइल को सेना में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। वर्ष 2003 के दौरान 29 अक्तूबर, 09 नवम्बर और 23 नवम्बर को ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कर लिया गया है।

(ख) उड़ान परीक्षणों ने निर्धारित सभी मिशन-लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। इस प्रक्षेपास्त्र ने अपना सुसंगत कार्यनिष्पादन सिद्ध किया है।

(ग) इस प्रक्षेपास्त्र का उत्पादन वर्ष 2004 में शुरू किया जाएगा। नौसेना ने इन प्रणालियों को सेवा में शामिल किए जाने के लिए स्वीकार किया है।

इंटीग्रेटेड रेल बस ट्रांजिट सिस्टम

1554. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटीग्रेटेड रेल बस सिस्टम (आई आर बी टी) दिल्ली के मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम को पड़ोसी राज्यों में विभिन्न शहरों यथा गुड़गांव, गाजियाबाद, साहिबाबाद और पानीपत के साथ जोड़ने के लिए योजना है;

(ख) यदि हां, तो आई आर बी टी योजना, इसकी लागत और अनुमानित लागत और इसकी निर्धारित चरण-वार कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या; और

(ग) इसके क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) दिल्ली शहर को गुड़गांव, गाजियाबाद और साहिबाबाद नगरों और दिल्ली व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली (मैट्रो रेल) के साथ जोड़ने के लिए एकीकृत रेल-सह-बस पारवहन (आईआरबीटी) प्रणाली का प्रस्ताव है।

(ख) आईआरबीटी प्रणाली में ये शामिल हैं:-

(i) निम्नलिखित संरेखणों पर दैनिक यातायात के लिए दो समर्पित रेलपथ हैं।

(क) शाहदरा-साहिबाबाद-गाजियाबाद

(ख) साहिबाबाद-तिलकब्रिज-मिंटो ब्रिज

(ग) दयाबस्ती-बिजवासन-गुड़गांव और

(ii) 4 स्थानों यथा शाहदरा, त्रिनगर/दयाबस्ती, बाराखम्बा रोड/शिवाजी ब्रिज और कीर्तिनगर/न्यू पटेल नगर दिल्ली मैट्रो रेल के साथ संपर्क। 3 गलियारों की अनुमानित लागत नीचे दी गई है:-

	गलियारा		लागत (करोड़ रु. में)
(क)	शाहदरा-साहिबाबाद-गाजियाबाद	–	665
(ख)	साहिबाबाद-तिलकब्रिज-मिंटो ब्रिज	–	621
(ग)	दयाबस्ती-बिजवासन-गुड़गांव	–	953
	कुल	–	2239

(ग) परियोजना का व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन कराया गया है। समझौता ज्ञापन का ममौदा उत्तर प्रदेश सरकार को छोड़कर सभी स्टैकहोल्डरों को परिपत्रित एवं उनके द्वारा स्वीकृत हो गया है। परियोजना पर निगरानी रखने के लिए एक संचालन समिति का भी गठन किया गया है।

ओएनजीसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना

1555. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री नरेश पुगलिया :
डा. चरण दास महंत :
श्री अधीर चौधरी :
श्री भास्करराव पाटील :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओएनजीसी का एक हेलीकॉप्टर अगस्त, 2003 में अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था,

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना में ओएनजीसी के कितने कर्मचारी मारे गए और मृतकों के आश्रितों को अभी तक कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों की जांच पूरी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। इस दुर्घटना में मारे गए ओएनजीसी के 20 कर्मचारियों और उनको भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त दुर्घटना में मरने वाले ओएनजीसी के 20 कर्मचारियों में से उनके 16 आश्रितों को ओएनजीसी द्वारा नियुक्ति की पेशकश की गई। शेष चार मृतकों के परिवारों को रोजगार प्रदान करने के लिए ओएनजीसी द्वारा आशय पत्र दिए गए हैं क्योंकि उनके निकटतम संबंधी निर्धारित आयु से कम आयु के हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

11.8.2003 को दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में मरने वाले ओएनजीसी के मृतकों के आश्रितों के नामितियों को किए गए भुगतान

क्र. सं.	मृत कर्मचारी का नाम	भुगतान किया गया कुल मुआवजा (रुपये में)
1	2	3
1.	अक्षय मथैस एसई(डी)	5029066
2.	टी०के० सरकार एसई(ई)	5360352
3.	ए०के० दास डिप्टी एसई(एम)	4532367
4.	बी० सहाय डिप्टी एसई(ई)	4656995
5.	अजय सिन्हा डिप्टी एसई(एम)	4467536
6.	वी०के० दाभोलकर जेटी(एम)	3195981
7.	के०एच० पायलारकर आर/ए-1	3107033
8.	एस०आर० राय एससी	4837300
9.	सी०एम० नैथानी डीएसई(सी)	5554499
10.	आर०पी० विश्वास एसई(डी)	5091299
11.	डी०वी० सावंत जेटी(एम)	3013907
12.	ए०के० सिंह एसई(डी)	4806868
13.	ए०जे० महात्रे एजीआई-(एमएम)	3222956
14.	एच०बी० पोकले आर/ए-2	3087412
15.	एस०एच० दांगले टोपमैन	3227322
16.	एस०डी० कोडग डीजीएम(एम)	6156913
17.	आर०एम० मुर्थि एईई(डी)	3649742
18.	डी०जे० जैन डिप्टी एसई(एम)	4880766
19.	एस०के० दे	2002810
20.	जे०जे० वोर्का	4520887

कर्नाटक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी

1556. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (कर्नाटक) के तत्वावधान में चार रेल परियोजनाएं और लागत में भागीदारी के आधार पर तीन परियोजनाएं प्रस्तुत की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने पहले ही शेयरधारक समझौता, रियायत समझौता, निर्माण समझौता और ओ एण्ड एम समझौता तैयार कर लिया है और उन्हें मंत्रालय के पास अनुमोदन हेतु भेज दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित चार चालू स्वीकृत परियोजनाओं को के-राईड के अंतर्गत शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया है।

1. हासन-मंगलोर आमान परिवर्तन।
2. सोलापुर-गदग आमान परिवर्तन।
3. हुबली-अंकोला नई लाइन।
4. गुंतकल-होसपेट दोहरीकरण।

इसके अतिरिक्त, कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत में 2/3 हिस्से की भागीदारी पर सहमति जताई है।

1. कोतूर-हरिहर नई लाइन।
2. बेंगलोर-कंगेरी दोहरीकरण।
3. कंगेरी-रामनगरम दोहरीकरण।

(ग) और (घ) के-राईड और हासन-मंगलोर रेल विकास कंपनी (एचएमआरडीसी) के संबंध में शेयर जो कि पहली विशिष्ट विशेष प्रयोजन योजना है, होल्डरों के समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो गए हैं। एच एम आर डी सी के लिए अन्य समझौतों को पहले ही रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(ङ) सभी कार्य पहले से ही प्रगति पर हैं।

एन.डी.टी.वी. में विदेशी इक्विटी धारिता

1557. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.डी.टी.वी. ने सरकार से मारीशस के स्टैण्डर्ड चार्टर्ड प्राइवेट इक्विटी को 14.35 प्रतिशत की भागीदारी देने के प्रस्ताव पर अनुमति देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मीडिया क्षेत्र के लिए नई कम्पनियों की इक्विटी में 26 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रस्ताव सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एन.डी.टी.वी. में वर्तमान विदेशी इक्विटी धारिता कितनी है और 14.35 प्रतिशत की आगे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के उनके प्रस्ताव के संबंध में सरकार का निर्णय क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (घ) मैसर्स न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (एन डी टी वी) ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड प्राइवेट इक्विटी (मारीशस) लिमिटेड द्वारा कंपनी के निर्गमोत्तर प्रदत पूंजी के लगभग 14.35% भाग अर्थात् 10 रुपये अंकित मूल्य के 34,28,387 इक्विटी अंशों के निर्गम के विरुद्ध 52,87,50,000 रुपये के विदेशी इक्विटी निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विदेशी निवेश संवर्धन मंडल (एफ आई पी बी) से संपर्क किया था।

विदेशी निवेश संवर्धन मंडल एकक, वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन विदेशी निवेश के लिए मंजूरी दे दी है:-

(i) कंपनी भारत से समाचार और समसामयिक विषयक टी. वी. चैनलों की अपलिंकिंग के लिए घोषित एवं संशोधित दिशा-निर्देशों के पात्रता मापदण्डों के अनुसार चलती है।

(ii) दिशा-निर्देशों के अंतर्गत 26% तक का विदेशी निवेश अनुमेय है और कंपनी द्वारा इस बात को सिद्ध करने के लिए कि अंशधारिता पैटर्न दिए गए अनुमोदन के अनुसरण में है, अंश, आदि जारी करने के पश्चात् दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक होता है।

(iii) अंशों का निर्गम/मूल्यांकन/स्थानांतरण भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रत्याभूति विनिमय बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कंपनी में निर्गमोत्तर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) 25.96% है।

[हिन्दी]

शहीदों के नाम स्मारकों पर लिखना

1558. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगम युद्धों के दौरान अपने देश के लिए शहीद होने वालों के नाम भारत में निर्मित स्मारकों पर नहीं लिखे गए हैं जबकि ब्रिटिश सरकार ने दो वर्ष पहले ही उन भारतीय सैनिकों के नाम जिन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान शहादत पायी थी को उनके लिए स्थापित स्मारकों पर लिखे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 1948, 1962, 1971 और कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों का नाम स्मारकों पर लिखने का है ताकि भावी पीढ़ी उन्हें उन सैनिकों के तौर पर याद कर सके जिन्होंने देश की आजादी की रक्षा के लिए बलिदान दिया;

(ग) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) इंडिया गेट राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र स्मारक है जिस पर प्रथम विश्व युद्ध तक के शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं। इसके अलावा, फिलहाल राष्ट्रीय स्तर का कोई स्मारक नहीं है। तथापि, रेजीमेंटल केन्द्रों, अनुदेश स्कूलों तथा अन्य स्थानों पर विभिन्न स्मारक निर्मित किए गए हैं जिन पर उनकी संबंधित रेजीमेंटों के शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं।

(ख) और (ग) समुचित भूमि की कमी की वजह से एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने संबंधी प्रस्ताव लंबित है। भूमि आबंटित हो जाने के बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण किया जाएगा तथा उस पर शहीदों के नाम अंकित किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में अलाभकारी वितरकों के पास उपभोक्ताओं को स्थानान्तरित करना

1559. **श्री अनन्त नायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं को अलाभकारी वितरकों के पास स्थानान्तरित करने प्रक्रिया पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या आईओसीएल के अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है जो कर्नाटक में उपभोक्ताओं के स्थानांतरण के घोटाले में लिप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी/किए जाने का प्रस्ताव है और उपभोक्ताओं के स्थानांतरण की प्रक्रिया के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) तेल विपणन कंपनियों ने यह सूचित किया है कि उन्होंने कुछ न्यायाधीन मामलों के सिवाय कर्नाटक राज्य में सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार नए चालू किए गए/अव्यवहार्य डिस्ट्रब्यूटरों को ग्राहकों के हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

(ख) और (ग) कर्नाटक के इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार में रेल परियोजनाएं

1560. **श्री राजो सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग को बिहार सरकार से राज्य में रेल परियोजनाओं के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा परियोजनावार क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) नई परियोजनाओं के संबंध में बिहार राज्य सरकार से इस मंत्रालय में अभी हाल ही में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम को गैस और तेल पर रायल्टी

1561. **श्री एम.के. सुब्बा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयल इंडिया लि. द्वारा परिवहन लागत घटाकर रायल्टी का आकलन करने की संदिग्ध प्रणाली अपनाने के कारण असम सरकार प्राकृतिक गैस पर रायल्टी की बड़ी राशि पाने से वंचित रह गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुस्थापित प्रणाली के अनुसार कूप मुहाने पर उत्पादन आधार पर रायल्टी का आकलन किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान आज तक इस प्रकार के दोषपूर्ण आकलन के कारण असम सरकार को कितना घाटा उठाना पड़ा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी का विनियमन तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत निर्मित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के उपबंधों के अनुसार होता है। प्राकृतिक गैस पर रायल्टी पट्टाधारी से प्राप्य कूपशीर्ष मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से संदेय होती है। उक्त अधिनियम/नियमावली के उपबंधों के अनुसार असम राज्य सरकार को आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा प्राकृतिक गैस पर रायल्टी के भुगतान से संबंधित तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विश्व बैंक की सहायता

1562. **श्री जी.एस. बसवराज** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को विश्व बैंक से अपनी "स्टैंड अलोन सिस्टम" नाम से ज्ञात वितरित उत्पादन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम वर्तमान में वितरित उत्पादन योजनाओं के अंतर्गत विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्त उपलब्ध करने हेतु एक नीति पर काम कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं से वर्ष 2007 तक एक लाख गांवों को एक करोड़ घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक सहायता मिलेगी; और

(ङ) इस संबंध में अब तक किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) विद्युत क्षेत्र के लिये विश्व बैंक के साथ उनके कार्यक्रम पर विचार-विमर्श के दौरान, ग्रामीण विद्युतीकरण में बैंक की संलिप्तता पर भी विचार किया गया है।

(ख) से (ङ) रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.पी.) व्यवहार्य विकेन्द्रीकृत उत्पादन परियोजनाओं के वित्तपोषण पर विचार करता है।

रेल-टेल

1563. **श्री पी.एस. गढ़वी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल-टेल कार्पोरेशन ने अपने 62,000 कि.मी. ट्रैक नेटवर्क पर ऑप्टीकल फाइबर केबल को टेलकम बैंडविड्थ देने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या रेल-टेल ने केबल टीवी आपरेटरों के साथ राजस्व भागीदारी रूपरेखा को अपनाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं से रेल-टेल को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) जी, हां। जहां कहीं रेल पथ के साथ-साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित दूरसंचार नेटवर्क बिछाया गया है, वहां पर भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड (रेलटेल) दूरसंचार सेवा मुहैया कराने वालों को बिक्री/पट्टे पर बैंडविड्थ देने का प्रस्ताव कर रहा है।

(ख) जी, हां। केबल टी.वी. ऑपरेटरों को डार्क फाइबर्स/बैंडविड्थ पट्टे पर देने के अतिरिक्त रेलटेल ने राजस्व भागीदारी मॉडल को भी अपना लिया है। एक या दूसरी योजना अपनाने का निर्णय मामले दर मामले तथा मांग पर आधारित है।

(ग) रेलटेल ने राजस्व भागीदारी के आधार पर मुंबई क्षेत्र में एक केबल ऑपरेटर को डार्क फाइबर पट्टे पर दिया है। इस मामले

में, राजस्व प्रवाह के दो घटक हैं–क-एक स्थायी घटक पट्टे पर दिए गए फाइबर की लंबाई पर आधारित है और अस्थायी घटक ऑपरेटर द्वारा उस क्षेत्र में केबल टी.वी. ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की संख्या पर आधारित है। यद्यपि, कोलकाता क्षेत्र में, राजस्व प्रवाह केवल स्थायी घटक पर आधारित है, यह पट्टे पर दी गई फाइबर की लंबाई पर निर्भर करता है।

यदि भविष्य में ऐसी कोई मांग उत्पन्न होती है तो एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र तक संकेत भेजने हेतु रेलटेल द्वारा केबल ऑपरेटरों को बैंडविड्थ की बिक्री भी कर सकती है।

इस व्यापार में कुछ अनुभव प्राप्त होने पर ही राजस्व भागीदारी मॉडल बनाया जाएगा।

(घ) केबल टी.वी. ऑपरेटरों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं का विस्तार करना रेलटेल के लिए आमदनी का एक नया साधन है तथा यह निश्चित तौर पर रेलटेल को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।

सऊदी अरब और ओमान में एनटीपीसी द्वारा विद्युत परियोजनाएं

1564. **डा. जसवंतसिंह यादव :**
श्री तूफानी सरोज :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विचार सऊदी अरब और ओमान सहित विभिन्न देशों में ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी का ओमान में भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स (भेल) के साथ संयुक्त संयुक्त उपक्रम में ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने की भी योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक चालू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने कन्सांट्यम के साथ गठजोड़ कर लिया है जिन्होंने एक विद्युत परियोजना के विकास हेतु साऊदी अरब और ओमान को रुचि प्रकट की है। कन्सॉट्यूम में, एनटीपीसी एक संयुक्त उपक्रम का सहभागी है जो कि दीर्घ अवधि करार आधार पर विद्युत संयंत्र के एक भाग और संयंत्र के संचालन एवं देख-रेख के लिए उत्तरदायी है।

(ग) से (ङ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) के साथ संयुक्त रूप से, वर्तमान में बी.ओ.ओ. आधार पर ओमान में विद्युत परियोजना के विकास हेतु एक टैण्डर में भाग ले रही है। यह एक प्रतियोगी टेण्डर है और ओमान प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए जाने पर कार्य किया जाएगा। ओमान सरकार द्वारा जारी किए गए टैण्डर के अनुसार, विद्युत के व्यवसायिक संचालन की निर्धारित तारीख अप्रैल 2007 है।

डबल-स्टाक कंटेनर रेलगाड़ियां

1565. **श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का डबल-स्टाक कंटेनर रेलगाड़ियों को शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या ऐसी रेलगाड़ियों की लागत का भार उठाने के लिए विदेशी सहायता मांगी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी रेलगाड़ियों को शुरू करने के लिए किन रेलमार्गों की पहचान की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) से (घ) पश्चिम तट अर्थात् कांदला, पीपावाव तथा मुंद्रा तक तथा से डबल स्टैक कंटेनरों के संचलन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है। रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

[हिन्दी]

नयी सुरक्षा तकनीक का विकास

1566. **श्री माणिकराव होडल्या गावित** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने प्रक्षेपास्त्र हमलों के विरुद्ध एक नयी सुरक्षा तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका परीक्षण कब तक किए जाने की संभावना है तथा इसे कब तक वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्लास्टिक कचरे को पेट्रोलियम ईंधन में बदला जाना

1567. **श्री विनय कुमार सोराके :**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री मोहन रावले :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा प्लास्टिक कचरे को न केवल अपघटनीय कचरे में बदलने बल्कि पेट्रोलियम जैसे ईंधन में भी बदलने के लिए अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं; और

(ग) इस प्रक्रिया का व्यापारिक उपयोग किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस स्रोत से अनुमानत: कितना ईंधन वार्षिक रूप से प्राप्त होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) आईओसी के अनुसंधान और विकास और प्रोफेसर अलका जदगांवकर के संयुक्त दल ने 1.7.2003 और 10.7.2003 के बीच प्रयोग किए। इस प्रक्रिया संबंधी रिपोर्ट के निष्कर्ष यह है कि इस प्रकार प्राप्त किए गए ईंधन को आटो और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से पहले इसकी क्लोरीन मात्रा, डाइन स्तर आदि में सुधार करने की आवश्यकता है।

(ग) प्रयोगों के परिणाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन संबंधी सलाहकार समिति को भेज दिए गए हैं।

अन्तर्देशीय प्रभार

1568. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापार के लिए किफायती महत्वपूर्ण उपाय के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और भारतीय रेल के बीच समझौता के संबंध में बम्बई चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बीसीसीआई के अनुरोध पर विचार करने का है और अन्तर्देशीय प्रभारों को विनियमित करने के लिए सीडब्ल्यूसी के साथ संयुक्त उद्यम करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1569. **श्रीमती रेणूका चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रिंट मीडिया में कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का करार किया गया है या प्राप्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भी प्रिंट मीडिया में एफ.डी.आई. को नियंत्रित करने वाली अपनी नीति में परिवर्तन पर विचार कर रही है ताकि नयी समाचार-पत्र कंपनियों के लिए पहले अपनी वित्तीय पर्याप्तता को सिद्ध करना अनिवार्य बनाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सुधारों से प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) कतिपय प्रतिबंधों के अधीन प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश की अनुमति देने का प्राथमिक उद्देश्य प्राप्त की गयी और प्राप्त की जा सकने वाली विदेशी मुद्रा की मात्रा की बजाए विदेशी सहयोग के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। विदेशी सहयोग के 14 आवेदनों को अनुमति प्रदान की गयी है जिसका अधिमानत: तरीका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के स्थान पर रॉयल्टी भुगतान हो। वित्तीय पर्याप्तता की संवीक्षा

कि मौजूदा दिशा-निर्देशों में भी अंतर्निहित है क्योंकि सबसे बड़े भारतीय अंशधारक को सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को छोड़ने के पश्चात् कम से कम 51 प्रतिशत इक्विटी-धारिता करना आवश्यक होता है।

[हिन्दी]

बूढ़ी गंडक पनबिजली परियोजना

1570. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच बूढ़ी गंडक पनबिजली परियोजना पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के किसी समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) एचएमजी/नेपाल ने अगस्त, 2002 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्ताव दिया कि वे भारत द्वारा अनुदान सहायता के अंतर्गत बूढ़ी गंडकी जल विद्युत परियोजना की क्षेत्र जांच करने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराना चाहते हैं।

एचएमजी/नेपाल (अप्रैल, 1984) द्वारा किए गए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार बूढ़ी गंडकी जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट) मध्य-पश्चिमी नेपाल में बूढ़ी गंडकी नदी पर स्थित है, जो बेनीघाट में त्रिसुली नदी के साथ इसके संगम से लगभग 2 किमी अपस्ट्रीम पर है।

बूढ़ी गंडकी जल विद्युत परियोजना की क्षेत्र जांच करने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू करने के लिए कार्यनीति तैयार करने हेतु जल संसाधन मंत्रालय की एक तकनीकी टीम ने अक्टूबर, 2003 में एचएमजी/नेपाल के साथ विचार-विमर्श किया। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद उपरोक्त कार्य को भारतीय एजेंसी द्वारा शुरू करने की सहमति हुई।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निवेश

1571. **श्री रतन लाल कटारिया :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र के उपक्रमों में कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कार्यनिष्पादन और उत्पादन में समग्र सुधार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कितना सकल और निवल लाभ अर्जित किया गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) विगत 3 वर्षों अर्थात् वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के लोक उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार और जिस अवधि तक की सूचना उपलब्ध है, जिसके दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने क्रमश: 13578 करोड़ रुपए, 21453 करोड़ रुपए तथा 50434 करोड़ रुपए का वार्षिक निवेश किया है।

(ख) और (ग) जी, हां। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है, जिसका आंकलन उनके द्वारा अर्जित लाभ के साथ-साथ कर, ब्याज तथा लाभांश इत्यादि के माध्यम से राजकोष को दिए गए योगदान के रूप में किया गया है, जिसका विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत सम्बन्धित वर्ष के लोक उद्यम सर्वेक्षण में दिया गया है। दिनांक 3.3.2003 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2001-02 के खण्ड-III में उद्यमवार तुलन पत्र शामिल किए गए हैं, जिसमें विगम 3 वर्षों 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान सकल लाभ (ब्याज तथा कर-पूर्व लाभ) तथा निवल लाभ के आंकड़े दिए गए हैं।

विद्युत प्रभार

1572. **श्री प्रबोध पण्डा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विद्युत इकाई का प्रभार राज्य विद्युत इकाई के प्रभार से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेल विभाग रेल दुकान मालिकों को अपनी दुकानों के लिए राज्य की विद्युत लाइन से कनेक्शन लेने की अनुमति देगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, आउट साइडर्स से मौजूदा मानदण्डों के अनुसार सेवा प्रभार राज्य बिजली प्राधिकरणों से बिजली की औसत खरीद दर के अलावा वसूला जा रहा है।

(ग) और (घ) साधारणतया रेलवे, रेलवे भूमि के भीतर राज्य बिजली प्राधिकरणों से सीधे तौर पर बिजली प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती है क्योंकि इससे संरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं तथा बिजली संबंधी नियमों तथा आपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है।

पुन: प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उत्पादित विद्युत

1573. **श्री ए. वैंकटेश नायक** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में अब तक इरेडा द्वारा पुन: प्रयोज्य ऊर्जा क्षेत्र के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कर्नाटक को कितना ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) वर्तमान में पुन: प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों से कितनी विद्युत उत्पादित की जा रही है;

(ग) इस प्रकार से उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट उत्पादन लागत क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने पुन: प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था ने गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (30.11.2003 तक) के दौरान कर्नाटक में विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 274.27 करोड़ रु. की राशि के ऋणों का संवितरण किया है।

(ख) दिनांक 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार, देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से लगभग 3944 मेगावाट की समग्र क्षमता स्थापित की गई है जिनमें से कर्नाटक में 422 मेगावाट की स्थापना की गई है।

(ग) अक्षय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की लागत स्रोत की प्रकृति, अपनाई गई प्रौद्योगिकी और स्थल विशेषताओं आदि पर निर्भर करती है। दिनांक 30.11.2003 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों से विद्युत उत्पादन के लिए राज्यवार प्रभार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) मंत्रालय कर्नाटक में विभिन्न अक्षय परियोजनाओं के लिए पूंजी और ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। इस संबंध में वर्ष 2002-03 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कर्नाटक को 12.84 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

विवरण

दिनांक 30.11.2003 के अनुसार विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों से विद्युत उत्पादन के लिए राज्यवार शुल्क दर

क्रम सं.	राज्य	कार्यक्रम	वीलिंग 2%	बैंकिंग 12 माह	टीपी सेल	खरीद-वापसी 2.25 रु./केडब्ल्यूएच	वार्षिक वृद्धि 5%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	पवन	√	√	×	√	√1994-95

1	2	3	4	5	6	7	8
		सहउत्पादन/ बायोमास विद्युत	पुरानी परियोजनाओं के लिए 2% नई परियोजनाओं के लिए 28.4% + 0.5 रु./यूनिट	2%	×	√	√1994-95
		लघु पनबिजली	√	2% 8-12 माह	√ नॉट < एचटीटी	√	√1997-98
		अपशिष्ट से ऊर्जा	√	2% 8-12 माह	√ नॉट < एचटीटी	√	√1997-98
2.	बिहार	पवन/लघु पनबिजली/ अपशिष्ट से ऊर्जा/ बायोमास विद्युत	राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्णय लिया जाना है।				
3.	छत्तीसगढ़	पवन	√	√	√	√	×
		बायोमास	×	×	√	√	×
		अपशिष्ट से ऊर्जा	√	√	√	√	×
4.	गुजरात	पवन	4%	6 माह	×	2.60 रुपये	2002-03 5 पैसे
		बायोमास	4%	√	√	√	1994-95
		अपशिष्ट से ऊर्जा	4%	√	√	√	1994-95
5.	हरियाणा	पवन	√	√	√	√	1994-95
		सहउत्पादन/बायोमास विद्युत	√	√	√	√	1994-95
		लघुपन बिजली	√	√	√	√	1994-95
		अपशिष्ट से ऊर्जा	√	√	√	√	1994-95
6.	हिमाचल प्रदेश	लघुपन बिजली	√	√ अतिरिक्त प्रभार के साथ	×	2.50 रुपये	×

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	कर्नाटक	पवन	6-12%	√ मासिक आधार पर 2%	√	नई परियोजना के लिए 3.10 रुपये	आधार शुल्क दर पर 2%
		बायोमास विद्युत	6-12%	√ मासिक आधार पर	×	2.80 रुपये	आधार शुल्क दर पर 2%
		लघु पनबिजली	2-5%	√	√	2.60 रुपये	1994-95
8.	केरल	पवन	5%	जून-फरवरी	×	2.80 रुपये	2000-01 पांच वर्ष के लिए
		लघु पनबिजली	√	×	×	2.50 रुपये	अनुमत नहीं
		बायोमास विद्युत	5%	4 माह	×	2.80 रुपये	2000-01 पांच वर्ष के लिए
		अपशिष्ट से ऊर्जा	5%	जून-फरवरी	×	2.80 रुपये	2000-01 पांच वर्ष के लिए
9.	मध्य प्रदेश	पवन	√	×	√	√	×
		सहउत्पादन/बायोमास विद्युत	√	×	√	√	×
		लघु पनबिजली	√	×	√	√	×
		अपशिष्ट से ऊर्जा	√	×	√	√	×
10.	महाराष्ट्र	पवन	√	√	√	√	1994-95
		सहउत्पादन	7%	√	√	3.05 रु. प्रति किया.घं.	कमीशनिंग किए जाने के वर्ष से 2% की दर पर
		लघु पनबिजली	√	√	√	√	1999-2000
		अपशिष्ट से ऊर्जा	2-6%	√	√	√	1994-95
11.	उड़ीसा	लघु पनबिजली	2-3%	√	√	पारस्परिक सहमत दर पर	×

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	पंजाब	सहउत्पादन/बायोमास विद्युत	√	√	√	3.01 रुपये	3% की दर पर 2001-02
		लघु पनबिजली	√	√	√	2.73 रुपये	1998-99
		अपशिष्ट से ऊर्जा	√	√	√	3.01 रुपये	2000-01 से 3%
13.	राजस्थान	लघु पनबिजली	√10%	√(कलैंडर वर्ष आधार)	√	2003-04 में 3.32 रु.	वर्ष 2003-04 से 2% वर्ष 2013-14 से 10 वर्षों के लिए 3.92 रुपये निश्चित
		पवन	√10%	√(कलैंडर वर्ष आधार)	√	2003-04 में 3.32 रु.	
		सहउत्पादन/बायोमास विद्युत	√	√	√	√	1994-95
		अपशिष्ट से ऊर्जा	√	√	√	3.03 रुपये	2000-01
14.	तमिलनाडु	पवन	5%	5%	×	2.70 रुपये	कोई वृद्धि नहीं
		सहउत्पादन/बायोमास विद्युत	2-10%	√2%	×	2.73 रुपये	2000-01
		लघु पनबिजली	5%	×	×	पारस्परिक सहमत दर	1995-96
		अपशिष्ट से ऊर्जा	×	√	×	2.70 रु.	2000-01
15.	उत्तरांचल	लघु पनबिजली	√	√	√	पारस्परिक सहमत दर	
16.	उत्तर प्रदेश	पवन	12%	√	0.5%	√	1995-96
		सहउत्पादन	×	√24 माह	×	√	1999-2000
		लघु पनबिजली	√	√	√	√	1995-96
		अपशिष्ट से ऊर्जा	√	√	√	√	1995-96
17.	पश्चिम बंगाल	पवन	√	√6 माह	×	×	×
		सहउत्पादन	–	–	–	–	–
		लघु पनबिजली	√	√6 माह	×	×	×

बर्नपुर इकाई का अधिग्रहण

1574. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को पश्चिम बंगाल स्थित वैगन निर्माता इकाई, बर्न स्टैंडर्ड की बर्नपुर इकाई के अधिग्रहण हेतु भारी उद्योग मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस इकाई के अधिग्रहण के संबंध में कोई कार्रवाई की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) और (ख) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि. का रेलवे केप्टिव इकाई के रूप में अधिग्रहण करने के लिए लोक सभा याचिका समिति को भेजे गए बर्न स्टैंडर्ड आफिसर्स एसोशिएशन के प्रतिवेदन पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा रेल मंत्रालय की टिप्पणी मांगी गई थी, जिसे विचार-विमर्श करने के पश्चात् व्यावहारिक नहीं पाया गया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटना संबंधी रिपोर्ट

1575. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री भास्करराव पाटील :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सितंबर 2002 में बिहार में हुई हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की दुर्घटना संबंधी रेल सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई किसी और कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) जी, हां।

(ख) रेल संरक्षा आयोग/पूर्व सर्किल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि शरारती तत्वों द्वारा पुल सं. 445 के हावड़ा छोर के पहुंच मार्ग में सैस साइट सिंगल रेल की फिश प्लेटों तथा इलास्टिक रेल क्लिपों को दिए जाने के कारण दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना को आयोग द्वारा 'तोड़फोड़' की कोटि में वर्गीकृत किया गया था। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में 108 व्यक्ति मारे गए, 59 को गंभीर चोटें आईं तथा 105 को मामूली चोटें आई थीं। अज्ञात व्यक्तियों को मुख्यतया दोषी पाया गया था।

(ग) आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 26 सिफारिशें की हैं। उनमें से अधिकांश को कार्यान्वयन के लिए रेलवे द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। ये सिफारिश तोड़फोड़-रोधी फिटिंग्स के डिजाइन का विकास करने, सुरक्षा गश्त तथा तोड़फोड़ की सुभावना वाले क्षेत्रों में मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की गति को कम करना, फालतू (सरप्लस) तथा विनिर्मुक्त रेलपथ सामग्री की पहरेदारी करना, सवारी डिब्बों में आपातकालीन निकास, गाड़ियों में यात्रा कर रहे चिकित्सकों की जानकारी रखना, पुलों पर रेलपथ संरचना को सुदृढ़ बनाना तथा बचाव एवं राहत कार्यों में सुधार करने आदि से संबंधित हैं।

सशर्त उपागम प्रणाली संबंधी समिति

1576. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री कमलनाथ :
श्री जे.एस. बराड़ :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में राजनीतिक नेताओं के हस्तक्षेप की वजह से कैस का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इसको प्रभावी रूप से लागू करने हेतु राज्य स्तर पर कार्यान्वयन समितियां गठित की हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या कुछ नगरों में कैस के लागू होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) सशर्त पहुंच प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार के प्राधिकरणों का पूर्णतम सहयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चारों महानगरों की राज्य सरकारों से, प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समितियों का गठन करने का अनुरोध किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उक्त समिति का हाल ही में गठन किया है। अन्य राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा-4क में प्रावधान है कि जहां केन्द्र सरकार इस बात से सहमत है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, तो वहां पर वह प्रत्येक केबल ऑपरेटर द्वारा अधिसूचना में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख से संबोधन प्रणाली के माध्यम से किसी चैनल के कार्यक्रमों को प्रसारित अथवा पुन: प्रसारित करना अनिवार्य बना सकती है और विभिन्न राज्यों, शहरों, कस्बों अथवा क्षेत्रों, जैसी भी स्थिति हो, के लिए अलग-अलग तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

आईओसीएल द्वारा घोषित छात्रवृत्ति योजना

1577. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने पूरे देश में छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस छात्रवृत्ति योजना का ब्यौरा क्या है और इससे कितने छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) आईओसीएल द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के चयन हेतु निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने अगस्त, 2003 में 2003-04 के शैक्षणिक वर्ष के लिए 10+/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए 250 छात्रवृत्तियां, और इंजीनियरिंग, एमबीबीएस और एमबीए पाठ्यक्रमों के लिए 100 छात्रवृत्तियां देने की घोषणा की।

10+/आईटीआई पाठ्यक्रमों के लिए योजना के तहत इन पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दो वर्ष की अवधि के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी और ये छात्रवृत्तियां देश के चार क्षेत्रों अर्थात् उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बांटी जाएंगी।

स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए योजना के तहत अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर बांटे जाने वाली छात्रवृत्तियां इंजीनियरिंग और चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए सभी चार वर्ष के लिए और व्यवसाय प्रशासन/प्रबंधन पाठ्यक्रमों के लिए दो वर्ष के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह के होंगे।

इन दोनों योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)/अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां आरक्षित की गई हैं। प्रत्येक योजना/श्रेणी/उप श्रेणी में 25 प्रतिशत छात्रवृत्तियां कन्या विद्यार्थियों के लिए और 10 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए नियत की गई हैं।

मेधावी छात्रों के लिए चयन मानदंडों में निम्नलिखित शामिल है:-

(1) सामान्य श्रेणी में उम्मीदवारों के लिए अर्हता परीक्षा में न्यूनतम पात्रता अंक 65 प्रतिशत, एससी/एसटी/ओबीसी/कन्याओं के लिए 60 प्रतिशत और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 50 प्रतिशत हैं।

(2) वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान सभी स्रोतों से परिवार की संयुक्त आय 1.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिमान उन उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 60000 रुपये से अधिक न हो।

(3) चयन के लिए 1.9.2003 को न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष है।

(4) आईओसीएल, इसके संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों तथा एबीसी मूल्यांकन सेवाओं जो उक्त योजना के लिए परामर्शदाता हैं, के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

गीताकृष्णन् समिति की सिफारिशें

1578. **डा. मन्दा जगन्नाथ** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं, जैसाकि गोताकृष्णन् समिति द्वारा बताया गया है और दिनांक 4 अगस्त, 2003 के दी एशियन ऐज में दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने मंत्रालय के कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) व्यय सुधार आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, फिल्म प्रभाग, फोटो प्रभाग, गीत एवं नाटक प्रभाग, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, प्रकाशन विभाग को विघटित करने, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, फिल्म समारोह निदेशालय और बालचित्र समिति, भारत जैसे संस्थाओं का प्रबंधन फिल्म उद्योग द्वारा किए जाने, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड का विनिवेश करने तथा अन्य एककों की भूमिका को कम करने/तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की है।

(घ) सरकार ने सरकार की प्रचार संबंधी कार्यात्मक आवश्यकताओं और माध्यम एवं मनोरंजन क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, माध्यम एककों को बंद करने या विलय करने से संबंधित सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। तथापि, चरणबद्ध तरीके से पदों की समाप्ति के लिए 1334 पद अभिज्ञात किए गए हैं, जिनमें से 334 पदों को पहले ही समाप्त किया जा चुका है। सरकार आकार को कम करने की बजाय न्यायोचित आकार प्रदान करने में विश्वास करती है।

[हिन्दी]

हाजीपुर-वैशाली-सुगौली रेल लाइन

1579. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाजीपुर-वैशाली-सुगौली नई रेल लाइन के निर्माण हेतु परियोजना स्वीकृत की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस परियोजना के वित्त पोषण का तरीका क्या है;

(घ) इसके लिए वर्ष-वार कितनी निधियां आवंटित की गयी हैं और इस पर अब तक कितना व्यय हो चुका है;

(ङ) उक्त परियोजना के पूरा होने हेतु चरणवार क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(च) क्या परियोजना कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुसार चल रहा है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना को 2003-04 की अनुदान की पूरक मांगों में शामिल कर लिया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। आंशिक अनुमान की स्वीकृति हो गयी है। इसके बाद भूमि अधिग्रहण की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) इस कार्य को बजटीय सहायता के माध्यम से धन उपलब्ध कराया जा रहा है। परियोजना के लिए बहुआयामी निधि प्राप्त करने के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(घ) वर्ष 2003-04 के दौरान इस कार्य के लिए 10 लाख रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसके खर्च का विनियोग वर्ष की समाप्ति और लेखों को अंतिम रूप देने के पश्चात् ही पता चलेगा।

(ङ) से (ज) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। धन उपलब्ध होने पर ही कार्य की प्रगति की जाएगी। चालू परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए संसाधनों में वृद्धि करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं। इसमें राज्य सरकारों की भागीदारी, सार्वजनिक/निजी भागीदारी, रक्षा मंत्रालय से वित्तपोषण और राष्ट्रीय रेल विकास योजना के लिए निधियां जैसे विकल्प शामिल हैं। इन प्रयासों से चालू परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाना शायद संभव हो सके।

[अनुवाद]

वृद्ध व्यक्तियों हेतु कल्याण योजनाएं

1580. **श्री भर्तृहरि महताब :**
श्री राजो सिंह :
श्री के. येरननायडू :
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वृद्ध व्यक्तियों हेतु कार्यान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके प्रारंभ होने की तिथि क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसी योजनाओं के तहत विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों और उनको आबंटित/जारी निधियों का योजना-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गयी निधियों का गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठन-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में चल रहे वृद्धाश्रमों और उनसे लाभान्वित हो रहे वरिष्ठ नागरिकों की राज्य-वार वर्तमान संख्या क्या है तथा वर्ष 2003-04 के दौरान खोले जाने वाले नए वृद्धाश्रमों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ङ) सरकार को उक्त अवधि के दौरान निधियों के दुरुपयोग के कितने मामलों की सूचना मिली है तथा उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) सरकार द्वारा वृद्ध व्यक्तियों हेतु योजनाओं के और विस्तार तथा निधि के उपयोग की समुचित निगरानी हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए दो योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। दोनों योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) **वृद्ध व्यक्तियों के लिए चल समेकित कार्यक्रम (योजनागत स्कीम)** : इस योजना के अंतर्गत, वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केंद्रों तथा चलता-फिरता चिकित्सा एककों की स्थापना एवं जारी रखने और वृद्ध व्यक्तियों के लिए गैर-संस्थागत सेवाओं के समर्थन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सिफारिश प्राप्त होने पर, गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(2) **वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायतीराज संस्थाओं/स्वयंसेवी संगठनों/स्व-सहायता समूहों को सहायता (गैर-योजनागत स्कीम)** : इस केन्द्रीय गैर-योजनागत स्कीम का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों या सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए एकमुश्त वित्तीय अनुदान प्रदान करना है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, दोनों स्कीमों के अंतर्गत दी गयी वित्तीय सहायता का राज्यवार/गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया है।

(घ) देश में चल रहे वृद्धावस्था गृहों की राज्यवार वर्तमान संख्या तथा लाभान्वित हो रहे वरिष्ठ नागरिकों की संख्या और 2003 04 के दौरान स्थापित किए जाने वाले नए वृद्धावस्था गृहों की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ङ) सरकारी निधियों के दुरुपयोग के कारण काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा और की गई कार्रवाई संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

(च) यह मंत्रालय उन जिलों के संबंध में वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों तथा चल चिकित्सा एकक स्थापित करने के नए प्रस्तावों को तरजीह देता है, जहां ऐसी परियोजनाएं नहीं हैं। सरकारी निधियों के उपयोग की मानीटरी के लिए, यह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के साथ संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से निरीक्षण रिपोर्ट तथा सिफारिश प्राप्त होने पर ही अनुदान प्रस्तावों पर विचार करता है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000-01 से 2002-03 तक तथा वर्तमान वर्ष 2004 (30.11.2003 तक) के दौरान ''वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम'' योजना के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान का राज्यवार/गैर-सरकारी संगठनवार ब्यौरा

संक्षेपण :

ओ.ए.एच. – वृद्धाश्रम

डी.सी.सी. – दिवा देखभाल केन्द्र

एम.एम.यू. – सचल चिकित्सा एकक

एन.आई.एस. – गैर-सांस्थनिक सेवाएं

क्र.सं.	जिला	संगठन का नाम	परियोजना	निर्मुक्त राशि (रुपए लाख)			
				2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (30.11.03 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. आंध्र प्रदेश					
1.	अनंतपुर	आदर्श महिला मंडली	एम.एम.यू.-1	0.77	0	0	0
2.	अनंतपुर	क्राइस्ट रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	1.34	0	0	0
3.	अनंतपुर	मर्सी माइनारिटी एजुकेशन सोसाइटी	डी.सी.सी-3	2.94	0	0	0
4.	अनंतपुर	मदर इंडिया	ओ.ए.एच.-1	1.37	0	0	0
5.	अनंतपुर	नव भारत सोसियो इकानामिक डेवलपमेंट सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	1.33	3.97	4.03	0
6.	अनंतपुर	पीपल्स रूरल एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	2.47	0	0
7.	अनंतपुर	रूपा एजुकेशन सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	2.65	1.28	4.03	0

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	अनंतपुर	रूरल पुअर पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	0	2.76	4.15
9.	अनंतपुर	सोसाइटी फार वेलफेयर एंड अवेकनिंग इन रूरल इनवायरनमेंट	डी.सी.सी. 2	3.59	1.96	5.87	0
10.	अनंतपुर	श्री वेंकटेश्वर कन्वेन्ट एजुकेशन सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	1.34	4.11	0
11.	अनंतपुर	श्री राकेश एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	4.39	2.29	6.68	0
12.	कुडप्पा	चैतन्य एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1 और एम.एम.यू.-1	4.14	4.14	2.07	2.07
13.	कुडप्पा	कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी फार वीकर सेक्शन	डी.सी.सी.-1		0.48	1.94	0.97
14.	कुडप्पा	डिप्रेस्ड पीपुल्स डेवलपमेंट सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	1.24	3.69	2.76	1.38
15.	कुडप्पा	डा. अम्बेडकर दलित वर्ग अभि. संगम	ओ.ए.एच.-1	2.69	2.76	1.38	0
16.	कुडप्पा	जगजीवन बलहीन वर्ग अभि. संगम	डी.सी.सी.-1	1.93	1.96	0.97	1.96
17.	कुडप्पा	रायलसीमा एस सी, एस टी एंड बी सी डेवलपमेंट	एम.एम.यू.-1		0.38	1.53	0.76
18.	कुडप्पा	श्रीनिवास एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	1.24	1.24	5.52	1.37
19.	कुडप्पा	श्री पद्मावती महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1	2.76	2.76	1.38	0
20.	कुडप्पा	श्री वेंकटेश्वर सो. इको देव सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	3.97	6.1	4.31	2.36
21.	कुडप्पा	श्री कृष्णा देवराय युवजन संगम	ओ.ए.एच.-1		1.29	2.47	1.23
22.	कुडप्पा	विजय सोसयो इकोनौमिक	डी.सी.सी.-1	0.94	2.85	0.97	1.96
23.	कुडप्पा	खादी सिल्क ग्रामोदय समिति	ओ.ए.एच.-1	2.27	2.37	2.65	1.38
24.	चित्तूर	इन्दिरा महीला मंडली	एम.एम.यू.-1	3.33	3.34	1.17	1.17

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	चित्तूर	ज्योति यूथ एसो.	डी.सी.सी.-1	1.96	1.96	0.97	1.96
26.	चित्तूर	मदर इंडिया कम्युनिटी देव एसो.	ओ.ए.एच.-2, डी.सी.सी.-1 और एम.एम.यू.-1	10.51	10.58	11.17	0
27.	चित्तूर	पेडा प्रजा सेवा समिति	ओ.ए.एच.-2	2.764	7.97	5.20	0
28.	चित्तूर	पीपुल्स एक्शन फॉर सोसाइटी	ओ.ए.एच.-2 और एम.एम.यू.-1	7.88	7.88	3.93	7.88
29.	चित्तूर	पीपुल्स आर्गे. फॉर वेलफेयर एंड एड. सर्टीफिकेशन	डी.सी.सी-1	1.96	1.96	0.97	1.96
30.	चित्तूर	राष्ट्रीय सेवा समिति	ओ.ए.एच.-2 और डी.सी.सी.-9	27.59	22.34	21.24	0.76
31.	चित्तूर	सर्वोदय वीमेन वेलफेयर समिति	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	4.39	4.72	2.36	2.36
32.	चित्तूर	सेवा भारती	डी.सी.सी.-2	3.59	3.59	3.64	0
33.	चित्तूर	श्री वेंकटेश्वर महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1, डी.सी.सी.-1 और एम.एम.यू.-1	6.44	7.39	3.47	0
34.	चित्तूर	तेलुग भारती महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1	2.76	2.76	1.38	0
35.	चित्तूर	प्रजा अभ्युदय सेवा समिति	एम.एम.यू.-1	0	0	3.52	2.35
36.	ईस्ट गोदावरी	एसो. फॉर द केयर ऑफ एग्ड	ओ.ए.एच.-1	1.05	2.02	4.16	0
37.	ईस्ट गोदावरी	हेल्प द वीमेन	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	4.72	4.71	3.74	2.36
38.	ईस्ट गोदावरी	पुष्करम"ा कान्वेन्ट एजु. कमेटी	डी.सी.सी.-1	1.96	1.96	1.96	0.97
39.	ईस्ट गोदावरी	रविन्द्र एजु. सोसाईटी	ओ.ए.एच.-1		1.09	0.00	0
40.	ईस्ट गोदावरी	संजय गांधी मेमो. आरफेनेज एंड बोर्डिंग होम	ओ.ए.एच.-1	2.76	2.76	2.76	1.38

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	ईस्ट गोदावरी	शारदा एजु. सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	2.59	1.38	4.15	1.38
42.	ईस्ट गोदावरी	सुनिता महिला मंडली	एम.एम.यू.-1	0.55	1.26	1.47	0.76
43.	गुंटूर	इन्दिरा मेमोरियल वीकर सेक्शन डेव. सो.	ओ.ए.एच.-1	0	2.61	1.38	2.76
44.	गुंटूर	इन्दिरा प्रियदर्शिनी गिरिजन बैकवर्ड क्लास महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1		1.04	2.76	1.38
45.	गुंटूर	इंटरनेशन क्रिश्चियन क्रुसेड सर्विस	डी.सी.सी.-1		0.48		0.97
46.	गुंटूर	कोथापेडा महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1	2.76	2.76	1.38	1.38
47.	गुंटूर	नरसारपेट तालुक एस टी यूथ	ओ.ए.एच.-1	2.64	2.76	1.38	1.38
48.	गुंटूर	नवीत आदर्श महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1	2.76	1.36	2.73	2.76
49.	गुंटूर	ओंकार रूरल डेवलपमेन्ट सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1		0.86	2.76	1.38
50.	गुंटूर	प्रकाशम नगर महिला मंडली	डी.सी.सी.-1	0	3.86	0.97	1.96
51.	गुंटूर	एस इ आर, एस/एस टी एंड क्रिश्चियन वेल. सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	3.65	3.69	1.29	2.62
52.	गुंटूर	सोनिया गांधी हरिजन गिरिजन बलहीन वर्गमूल महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1, डी.सी.सी.-1	2.31	6.92	2.36	2.36
53.	गुंटूर	श्री शारदा महिला विज्ञान समिति	डी.सी.सी.-1	1.81	2.92	0.92	4.49
54.	गुंटूर	उदयश्री महिला समाजम	ओ.ए.एच.-1	0	2.61	1.32	2.71
55.	गुंटूर	वेलम्मा वीकर सेक्शन एसो.	डी.सी.सी.-1	0	3.92	0.00	0
56.	गुंटूर	कंडिका महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1	2.59	2.76	1.38	1.38
57.	गुंटूर	श्री वेंकटेश्वर महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1	0	1.09	2.76	1.38

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	हैदराबाद	तेलगू भारती महिला मंडली	डी.सी.सी.-1	1.86	0.93	2.71	0.87
59.	हैदराबाद	प्रजा अभ्युदय सेवा समिति	एम.एम.यू.-1 और एन.आई.एस.-1	1.82	1.02	3.09	0
60.	हैदराबाद	अनुराग मानव सेवा	ओ.ए.एच.-1	2.62	1.38	4.15	0
61.	हैदराबाद	डा. पी.एन.एच. राव धर्मार्थ न्यास	ओ.ए.एच.-1	2.76	2.76	2.76	1.38
62.	हैदराबाद	टेम्पल सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	1.33	0	0.00	0
63.	हैदराबाद	महिला संगठन समिति	डी.सी.सी.-1 और एम.एम.यू.-1	3.63	1.84	3.69	1.84
64.	हैदराबाद	वृद्धावस्था कल्याण केन्द्र	डी.सी.सी.-1 और एम.एम.यू.-1	5.21	5.35	6.22	0
65.	हैदराबाद	साईं सेवा संघ	ओ.ए.एच.-1	1.11	3.02	2.22	1.11
66.	हैदराबाद	ग्रामीण सुधार हेतु सामाजिक एकीकरण	ओ.ए.एच.-1	3.14	2.49	1.24	1.24
67.	हैदराबाद	ज्योती कल्याण संघ	ओ.ए.एच.-1	4.1	1.38	4.15	1.11
68.	करीमगंज	संतोष शिक्षण सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	4.51		0
69.	खम्माम	जयश्री महिला संघम	डी.सी.सी.-1	1.96	1.96	1.96	0.97
70.	कृष्णा	ए.पी. गिरीजन सेवक संघ	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	4.72	4.72	4.72	2.36
71.	कृष्णा	अम्मा व्योवद्ध सेवा सदन	ओ.ए.एच.-1	2.55	1.27	3.85	0
72.	कृष्णा	काउन्ट्री महिला भारतीय संघ विजयवाड़ा	ओ.ए.एच.-1	2.28	0	2.76	0
73.	कृष्णा	समेकित विकास एजेन्सी	ओ.ए.एच.-1 और एम.एम.यू.-1	4.01	4.22	4.22	2.11
74.	कृष्णा	महिला संघम	ओ.ए.एच.-1	1.72	0	2.76	2.76

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	कृष्णा	मदर टेरेसा महिला मंडली	डी.सी.सी. 1	1.84	1.96	1.96	0.97
76.	कृष्णा	वरिष्ट नागरिक मंच	ओ.ए.एच. 1	2.36	1.18	3.42	0
77.	कृष्णा	वैसण्य महिला मंडली	डी.सी.सी.-1	1.79	0.9	2.69	0.89
78.	कृष्णा	वापूजी समेकित ग्रामीण वि. सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	2.76	2.76	2.75	1.38
79.	कृष्णा	श्री त्रिवेणी शिक्षण स्कूल	डी.सी.सी.-1	2.15	1.96	2.36	2.76
80.	कुरनूल	आशा ज्योति शिक्षा सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1		1.33	0.00	0
81.	कुरनूल	नवभारत शिक्षण सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1 और एम.एम.यू.-1	2.55	3.15	1.38	2.76
82.	कुरनूल	प्रतीभा शिक्षण सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1		1.24	2.76	1.38
83.	कुरनूल	प्रियदर्शिनी महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1		1.09	2.73	1.37
84.	कुरनूल	ग्रामीण आदिवासी विकास सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1		1.03	2.76	1.38
85.	कुरनूल	ग्रामीण उत्थान स्वास्थ्य शिक्षण सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1		1.37		4.14
86.	कुरनूल	ग्रामीण महिला कल्याण सोसाइटी	एम.एम.यू.-1	0	0	0.53	0
87.	महबूबनगर	बेथेदन शिक्षण सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	2.76	2.5	1.38	2.76
88.	महबूबनगर	सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कार्य	ओ.ए.एच.-1, डी.सी.सी-1 और एम.एम.यू.-1	7.31	7.31	3.66	6.03
89.	महबूबनगर	ग्रामीण उदय सेवा संस्थान	ओ.ए.एच.-1	2.72	0	0.00	0
90.	महबूबनगर	नवोदय सेवा संघ	ओ.ए.एच.-1	2.22	1.08	1.08	0
91.	महबूबनगर	स्वराज्य लक्ष्मी महिला संगठन	ओ.ए.एच.-1	2.17	2.6	1.38	0

1	2	3	4	5	6	7	8
92.	महबूबनगर	संध्वर ग्रामीण कल्याण सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	2.31	2.34	1.38	0
93.	महबूबनगर	एस.ए.बी. गुप्ता शि. सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	1.37	2.66	1.38	1.38
94.	महबूबनगर	ग्रामीण समाज कल्याण संघ	ओ.ए.एच.-1	1.36	2.66	1.32	0
95.	नालगोंडा	सोसाइटी ऑफ इमैनूअल इवांगमिज्म फॉर रूरल वि.	ओ.ए.एच.-1	2.71	2.69	1.38	0
96.	नालगोंडा	महालक्ष्मी महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1	2.35	3.93	3.99	0
97.	नेल्लौर	आर्य दयानन्द महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1	2.22	2.76	2.76	1.38
98.	नेल्लौर	आस्था ए.इ. महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	4.08	3.26	4.72	2.36
99.	नेल्लौर	भारती महिला स्वयंसेवी सेवा संगठन	ओ.ए.एच.-1	1.25	4.02	2.76	1.38
100.	नेल्लौर	डिवाइस	ओ.ए.एच.-1	4.04	0	4.15	0
101.	नेल्लौर	हरिश महिला मंडली सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1		1	2.76	1.38
102.	नेल्लौर	हेल्थ द नीड	डी.सी.सी.-1	1.96	0.98	2.94	0.97
103.	नेल्लौर	इन्दिरम्मा महिला मंडली	एम.एम.यू.-1 और डी.सी.सी.-1	1.4	1.05	2.33	0.97
104.	नेल्लौर	नेहरू भारती शिक्षण संस्था	ओ.ए.एच.-1	2.57	2.55	2.76	1.38
105.	नेल्लौर	पोलिसर शिक्षण सोसाइटी	ओ.ए.एच.-2 (1 डी.सी.सी. को ओ.ए.एच. में बदला गया)	4.56	4.72	4.72	2.76
106.	नेल्लौर	श्री विगनेश्वर महिला मंडली	डी.सी.सी-1 और एम.एम.यू.-1	2.89	3.47	1.96	0
107.	नेल्लौर	स्वास्थ्य देखभाल तथा समाज कल्याण सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	2.53	2.76	2.76	1.38

1	2	3	4	5	6	7	8
108.	नेल्लौर	लक्ष्मी महिला मंडली	ओ.ए.एच. (डी.सी.सी. को ओ.ए.एच. में बदला गया)	1.79	1.88	1.96	0.97
109.	नेल्लौर	श्री लक्ष्मी पार्वती महिला मंडली	डी.सी.सी.-1		0.5	1.96	0.97
110.	प्रकाशम	उमेन एकेडमी	ओ.ए.एच.-1	4.15	1.38	4.15	1.38
111.	प्रकाशम	आदर्श महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1	4.06	1.38	0.00	0
112.	प्रकाशम	अरूणोदय महिला मंडली	डी.सी.सी.-1	1.96	0.98	3.91	0.97
113.	प्रकाशम	चंद्रवासम्मा ग्रामीण विकास संगठन	ओ.ए.एच.-1		1.11	2.76	1.38
114.	प्रकाशम	इन्दिरा प्रियदर्शिनी महिला मंडली	डी.सी.सी.-1	0.98	1.96	2.94	0.97
115.	प्रकाशम	कास्टीजूवेला जातीय सेवा संघम	ओ.ए.एच.-1	0	1.38	0.00	0
116.	प्रकाशम	लक्ष्मी महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1	2.75	1.38	4.15	1.37
117.	प्रकाशम	महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1	2.76	1.38	2.76	2.76
118.	प्रकाशम	नेताजी युवक केन्द्र	ओ.ए.एच.-1		1.11	2.76	1.38
119.	प्रकाशम	प्रकाशम जिला बलहीन वर्गला कालोनी वरास्ता सेवा संघ	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	4.72	2.36	7.09	2.36
120.	प्रकाशम	प्रियदर्शिनी महिला मंडली	डी.सी.सी.-1	1.85	0.92	1.85	1.85
121.	प्रकाशम	सबरी गिरीजन महिला मंडली	डी.सी.सी.-1	1.84	0.92	1.85	1.85
122.	प्रकाशम	समथा महिला वेदीका	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	4.44	4.72	4.72	2.35
123.	प्रकाशम	श्री कस्टी जीवारम्या जातीय सेवा संगम	ओ.ए.एच.-1	2.66	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8
124.	प्रकाशम	श्री महिला लक्ष्मी महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1	2.66	1.38	2.76	2.76
125.	प्रकाशम	वाल्मिकी सेवा संगम	ओ.ए.एच.-1	1.38	2.73	2.73	1.38
126.	प्रकाशम	वासवी शिक्षण सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	2.76	1.38	4.15	1.38
127.	प्रकाशम	वूतुकुरी वेंकट सब्बम्मा कल्याण सोसाइटी	डी.सी.सी.-1	1.96	0.98	1.96	1.96
128.	प्रकाशम	श्री भावनी महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1	0	0	1.56	2.3
129.	रंगारेड्डी	गोल्डन पर्यावरणीय शिक्षण तकनीकी स्वास्थ्य तथा कृषि सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1		1.1		0
130.	रंगारेड्डी	सेंट एन्थोनी शिक्षण सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1		0.89	2.76	0
131.	रंगारेड्डी	वेंकटेश्वर समाज सेवा संघ	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	1.96	3.01	4.72	0
132.	सिकन्दराबाद	ग्रामीण समेकित विकास संघ	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1		2.34		0
133.	सिकन्दराबाद	समाज उत्थान मंच, सिकन्दराबाद	ओ.ए.एच.-1		1.2	2.60	0
134.	सिकन्दराबाद	ग्रामीण विकास सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	0	1.30	0
135.	विशाखापत्तनम	कस्तूरबाई गांधी महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1	1.08	0	0.00	0
136.	विशाखापत्तनम	प्रियदर्शिनी सेवा संघ	ओ.ए.एच.-1	1.26	3.89	1.32	1.32
137.	विशाखापत्तनम	श्री वेंकटेश्वर युवजन संघम	ओ.ए.एच.-1	3.51	4.04	2.76	1.38
138.	विजयनगरम	प्रेमा समाजम	ओ.ए.एच.-1	2.15	2.12	1.06	1.06
139.	वारंगल	कस्तूरीबाई महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1	2.55	5.53	1.37	1.37
140.	प. गोदावरी	सेन्ट मेरी रिहैबिलीटेशन सेंटर फॉर आरफंस, विडोज एंड लेवर्स	ओ.ए.एच.-1	2.76	2.76	2.76	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. असम					
141.	हैलाकंडी	साउथ बोरखंद ग्राम उन्नयन समिति	डी.सी.सी.-1		0.5	1.96	1.96
142.	हैलाकंडी	बोडविची	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	2.76	3.42	4.72	2.36
143.	नगांव	बहुमुखी कृषि एवं समाज कल्याण समिति	ओ.ए.एच.-2, डी.सी.सी-1 और एम.एम.यू.-1	4.2	6	8.54	6.06
144.	नगांव	ग्लोबल हैल्थ इम्यूनाइजेशन एंड पोपुलेशन कंट्रोल आर्गेनाइजेशन	ओ.ए.एच.-1		1.11	2.75	1.38
145.	नगांव	ग्राम विकास परिषद	डी.सी.सी.-1	2.09	3.5	3.50	1.75
146.	नगांव	सदाउ असम ग्राम्य पुथीभराल संस्था	ओ.ए.एच.-1	0	2.55	2.19	0
147.	नगांव	आल असम लाइब्रेरी फाउंडेशन	एम.एम.यू.-1	0	0	0.00	0.64
148.	जोरहट	असम चाह मजदूर मल्टी परपस सोसल एजुकेशन एसो.	डी.सी.सी.-2	7.83	0		3.91
149.	लखीमपुर	खोरापत्रद सम्मिलित युवक समाज	डी.सी.सी.-1	1.45	0.95	2.91	0.97
150.	लखीमपुर	लखीमपुर सेवा सदन	डी.सी.सी.-1	0	0.88	1.69	0.97
151.	लखीमपुर	जागृति सम्मिलित उन्नयन केन्द्र	एम.एम.यू.-1	0	0	0.70	0.69
152.	कामरूप	डा. अम्बेडकर मिशन	डी.सी.सी.-1	1.96	1.75	1.92	0.97
153.	कामरूप	रूरल वोमेन अपलिफ्टमेन्ट एसो., गुवाहाटी		0	1.48		0
154.	करीमगंज	रोगुरतूक क्लब एंड लाइब्रेरी	ओ.ए.एच.-1	0	0	0.00	179858

1	2	3	4	5	6	7	8
155.	सोनितपुर	राजील सेवा सदन	डी.सी.सी.-1		0.49	0.00	0
		3. बिहार					
156.	पटना	महिला मुक्ति वाहिनी	ओ.ए.एच.-1	0	5.53	1.38	0
157.	सीतामढ़ी	राजेन्द्र इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन एंड सोसल वेलफेयर	ओ.ए.एच.-1	0	0	0.00	1.61
		4. छत्तीसगढ़					
158.	रायपुर	छत्तीसगढ़ बाल एवं वृद्ध कल्याण परिषद	ओ.ए.एच.-1	3.98	1.28	0.00	0
		5. गुजरात					
159.	अहमदाबाद	गुजरात कलवानी ट्रस्ट	ओ.ए.एच.-1	2.76	1.38	4.15	0
160.	अहमदाबाद	रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट	डी.सी.सी.-1	1.96	0.98	2.94	0.97
161.	अहमदाबाद	एजवेल फाउंडेशन	2 हेल्पलाइन	7.6	0	0.00	0.00
162.	अहमदाबाद	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ	ओ.ए.एच.-2	4.6	0	0.00	0.00
		6. हरियाणा					
163.	हिसार	ग्राम स्वराज्य संस्थान	डी.सी.सी.-1	1.96	1.96	1.96	0.97
164.	झज्जर	अखिल भारतीय संत हरिदास समाज सेवा संघ	डी.सी.सी.-1	0	0	1.50	0
165.	झज्जर	मानव एवं जन कल्याण एजु. एंड सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	0	0.00	1.79
166.	जींद	अमर ज्योति शिक्षा संस्था	ओ.ए.एच. 1 और डी.सी.सी.-1	4.72	2.36	7.08	2.36
167.	कुरुक्षेत्र	कर्म भूमि संस्थान	डी.सी.सी.-1	0	1.71	3.91	0

1	2	3	4	5	6	7	8
168.	कुरुक्षेत्र	जन जागृति संस्थान	डी.सी.सी.-2	0	1.85	7.83	0
169.	महेन्द्रगढ़	राव माधव सिंह मेमोरियल ट्रस्ट	ओ.ए.एच.-1	0	1.69		0
170.	पंचकुला	सीनियर सिटिजन्स काउंसिल	डी.सी.सी.-1	0.44	0		0
171.	पानीपत	लोक कल्याण फाउंडेशन, पानीपत हरियाणा	डी.सी.सी.-1 और एम.एम.यू.-1	0.98	4.68	3.50	0
172.	रेवाड़ी	जनता कल्याण समिति	डी.सी.सी.-1	0	2.94	1.96	0.97
173.	रोहतक	भारतीय ग्राम सुधार सभा	डी.सी.सी.-1		0.47	1.96	0.97
174.	रोहतक	चौबीसी विकास संघ	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	4.72	4.72	4.72	2.36
175.	रोहतक	हरियाणा नवयुवक कला संगम	डी.सी.सी.-2	3.92	3.92	3.91	1.96
176.	रोहतक	हरियाणा ग्रामीण विकास समिति	डी.सी.सी.-1		0.5	1.96	0
177.	सोनीपत	आदर्श सरस्वती शिक्षा समिति	डी.सी.सी.-1	0	1.96	2.94	0.97
178.	सोनीपत	समाज कल्याण शिक्षा समिति	ओ.ए.एच.-1	2.68	2.24	2.68	1.38
179.	यमुनानगर	उत्थान	डी.सी.सी.-1	0	0	4.77	0
		7. हिमाचल प्रदेश					
180.	सिरमौर	इन्दिरा लेडीज क्लब	डी.सी.सी.-1 और एम.एम.यू.-1	4.82	0.77	6.96	0
		8. जम्मू और कश्मीर					
181.	लेह	महाबोधि इन्टरनेशनल मेडीटेशन सेन्टर	ओ.ए.एच.-1	0	1.75	4.37	0
182.	राजौरी	सोसल वेलफेअर आफ इंडिया आर्गे.	एम.एम.यू.-2	8.26	5.51	5.51	2.75

1	2	3	4	5	6	7	8
183.	राजौरी	नेशनल डेवलपमेंट इंस्टीच्यूट	एम.एम.यू.-1	0	1.62	1.94	0.97
184.	बारामुला	मजली सुन निसा, सोपोर बारामुला	ओ.ए.एच.-1	1.34	0	0.00	0
185.	श्रीनगर	सोसाइटी फार रूरल एण्ड अर्बन डेवलपमेंट	ओ.ए.एच.-1	0	1.8	0.00	0
		9. कर्नाटक					
186.	बंगलौर	अशक्त पोषक सभा	ओ.ए.एच.-1	8.36	4.62	7.75	0
187.	बंगलौर	डा. जचानी राष्ट्रीय सेवा पंथ	ओ.ए.एच.-1	8.17	2.38	7.15	2.37
188.	बंगलौर	मट्टापहल्ली जपजीवन राम सर्वोदय संघ	ओ.ए.एच.-1	2.55	1.27	1.27	3.82
189.	बंगलौर	श्री अम्हीगरा चौदसह एजु. सोसाइटी	ओ.ए.एच.-2	0	5.48	4.15	5.51
190.	बंगलौर	श्री सदा श्रृंगा विद्या समिति	ओ.ए.एच.-1	3.49	6.6	4.49	0
191.	बंगलौर	ईश्वर एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	2.55	2.28	0
192.	बंगलौर	मदर्स केअर एजुकेशन सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1		1.32	0.00	0
193.	बंगलौर	नाइटिंगेल मेडिकल ट्रस्ट	डी.सी.सी.-1		0.24	1.96	0
194.	बंगलौर	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालय ट्रस्ट	ओ.ए.एच.-1		1.02	2.70	0
195.	बंगलौर	आर.टी. नगर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट	ओ.ए.एच.-1	0	0	2.57	0
196.	बंगलौर	सर्वोदय सर्विस सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1.	0	0	1.75	0
197.	बंगलौर रूरल डिस्ट्रिक्ट	श्री उमा महेश्वरा मन्दिर ट्रस्ट	ओ.ए.एच.-1	0	0	1.22	0
198.	बंगलौर	विभारण्या एजुकेशन एण्ड डेवलपमेंट सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	0	1.17	0

1	2	3	4	5	6	7	8
199.	बागलकेट	श्री जगतगुरू सिद्धेश्वर विद्यावर्द्धक एण्ड संस्कृतिका संस्था	ओ.ए.एच.-1	0	1.15	1.93	1.15
200.	बेलगाम	रामलिंगेश्वर ग्रामभिरूद्दी संघ	ओ.ए.एच.-1 और एम.एम.यू.-1	2.65	2.78	4.08	2.06
201.	बेलगाम	श्री मल्लिकार्जुन जनसेवा सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1		1.06	3.07	0
202.	बीदर	च्यवन आयुर्वेदिक एजु. सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1		1.3	2.51	1.38
203.	बीदर	डा. बी.आर. अम्बेडकर कल्चरल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1		1.28	2.68	1.38
204.	बीदर	संग्राम एजुकेशन सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	2.44	1.22	3.88	1.32
205.	बीदर	नीज़ुर एजुकेशन सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	2.76	2.76	2.76	1.38
206.	बीदर	श्री सिरडी साईं बाबा शिक्षण संस्थान	ओ.ए.एच.-1	0	0	2.28	1.38
207.	बीदर	शिवलीला वीमेन्स वेलफेयर एसो.	ओ.ए.एच.-1	0	0	2.79	0
208.	बेल्लारी	आदर्श एजु. सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	1.34	2.14	4.00	1.38
209.	बीजापुर	श्री सरना ज्योति विद्या संस्था	ओ.ए.एच.-1	2.76	2.76	4.15	0
210.	चित्रदुर्ग	श्री सदगुरू कबीरनन्द स्वामी विद्यापीठ	ओ.ए.एच.-1	2.09	2.28	2.23	0
211.	चित्रदुर्ग	निरंतर जनसेवा नैशनल एजु. रिहैबिलीटेशन एंड रूरल डैव. आर्गेनाइजेशन	ओ.ए.एच.-1		1.06	2.63	0
212.	दावनगिरि	वर्सिनी ग्रामविरूधी महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1		1.11	2.76	0
213.	दावनगिरि	श्री मैत्री महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1	2.76	2.76	4.23	2.37
214.	दावनगिरि	श्री शक्ति महिला मंडली	ओ.ए.एच.-1	2.76	2.76	4.23	2.38
215.	दावनगिरि	रानी चनम्मा एजु. ट्रस्ट	ओ.ए.एच.-1	0	0	1.34	0

1	2	3	4	5	6	7	8
216.	दावनगिरि	कमला नेहरू ट्रस्ट	ओ.ए.एच.-1	0	0	1.34	0
217.	दावनगिरी	गायत्री ग्रामीण विद्या समस्ते	ओ.ए.एच.-1	0	0	1.17	0
218.	गुलबर्गा	महबूब सुभानी एजुकेशन ट्रस्ट	ओ.ए.एच.-1		1.31		2.76
219.	गुलबर्गा	महादेवी ताई महिला विद्याबर्द्धक संघ	ओ.ए.एच.-1	2.76	1.38	4.15	0
220.	गुलबर्गा	श्री मलिलकार्जुन विद्याबर्द्धक संघ	ओ.ए.एच.-1		1.11		0
221.	गुलबर्गा	श्री संगमेश्वरम एजुकेशन सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	2.76	1.38	4.15	0
222.	गुलबर्गा	हैदराबाद कर्नाटक पालित वुमेन्स एजुकेशनल समिति, गुलबर्गा	ओ.ए.एच.-1	0.88	0	4.15	1.38
223.	गुलबर्गा	सारानारा नाडू एजुकेशन सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	1.8	3.92	0
224.	कोलार	श्री रमण महर्षि टस्ट फॉर डिसेबल्ड परसंस	ओ.ए.एच.-1 और एम.एम.यू.-1	8.15	5.77	7.07	3.53
225.	कोलार	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालया टस्ट	ओ.ए.एच.-1	2.49	2.68	4.09	0
226.	कोलार	श्री विष्णु एजुकेशन सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1		1.29	2.71	1.38
227.	मंडया	पूर्णिमा विद्या संस्था अराकेरा	ओ.ए.एच.-1	0.48	5.45	2.76	1.36
228.	मंडया	जाना सिंध एजुकेशन एंड कल्चरल सोसाइटी, बंगलोर (सेन्टर एट मंडया डिस्ट्रिक्ट)	ओ.ए.एच.-1	0	1.49	2.76	1.38
229.	तुमकुर	रूरल ऑरगेनाइजेशन सोशल एंड एजुकेशन सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1		1.1	2.71	0
230.	तुमकुर	1. श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालया टस्ट	ओ.ए.एच.-1	2.82	1.34	2.68	0
		10. केरल					
231.	कालीकट	एसोशिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ हैन्डीकैप्ड	डी.सी.सी.-1 और एम.एम.यू.-1	2.59	2.41	4.93	0

1	2	3	4	5	6	7	8
232.	कोच्चि	वेलफेयर सर्विसेस अर्नाकुलम	ओ.ए.एच.-1 और एम.एम.यू.-1	4.77	4.23	7.20	0
233.	कोल्लम	इंटरनेशनल सेन्टर फॉर स्टडी एंड डैवलपमेंट	ओ.ए.एच.-1	2.36	2.13	2.89	0
		11. मध्य प्रदेश					
234.	इन्दौर	कल्याण मित्र समिति	ओ.ए.एच.-1	1.14	2.27	3.41	0
235.	इन्दौर	महिला उत्कर्ष संस्थान	ओ.ए.एच.-1	0	0	1.80	0
236.	जबलपुर	गायत्री शक्ति शिक्षा कल्याण समिति	डी.सी.सी-1	0	3.92	1.96	0.97
237.	खरगौन	आशा ग्राम ट्रस्ट	ओ.ए.एच.-1	2.15	0		0
238.	मन्दसौर	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	0	0.00	2.12
239.	सीहोर	ज्ञानी वृद्धजन सेवा केन्द्र	ओ.ए.एच.-1	0	4.15	4.15	0
240.	सीधी	खादी ग्रामोद्योग सेवा आश्रम	ओ.ए.एच.-1	0	0	0.00	1.79
241.	सतना	प्रमोदवन आनंदधाम	ओ.ए.एच.-1	2.25	1.14	2.28	0
242.	उज्जैन	उज्जैन सीनियर सिटीजन्स फोरम	ओ.ए.एच.-1	1.61	2.28	2.28	1.84
		12. पंजाब					
243.	अमृतसर	भाई वीरसिंह वृद्ध घर	ओ.ए.एच.-1	2.24	1.12	3.36	0
244.	भटिंडा	ज्ञानदीप शिक्षा समिति	डी.सी.सी-1	1.71	0.86	2.81	0.97
245.	भटिंडा	आंल इंडिया गुरू नानक मिशन	ओ.ए.एच.-1	1.6	1.6		0
246.	फरीदकोट	इंडिया रेड क्रास सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	3.8	0.88	2.57	0.78
247.	फिरोजपुर	अखिल भारतीय जन सेवा समिति	डी.सी.सी-1		0.48	1.96	0.97

1	2	3	4	5	6	7	8
248.	फिरोजपुर	लोक सेवा संस्थान	डी.सी.सी. 1	1.66	1.69	1.96	0.97
249.	होशियारपुर	भाई घनैया चैरिटैबल टस्ट	ओ.ए.एच. 1	1.11	1.02	1.44	0.58
250.	जालंधर	महिला मंडल	डी.सी.सी.-1	1.83	1.96	1.96	0.97
251.	लुधियाना	गुरूनानक चैरिटैबल टस्ट	डी.सी.सी.-1	1.71	1.71	1.71	0.85
252.	लुधियाना	निस्काम सेवा आश्रम	डी.सी.सी.-1	1.68	1.36	1.69	0.75
253.	मानसा	महिला कलायण समिति	ओ.ए.एच.-1	0	3.38	2.77	0.97
254.	मुक्तसर	वृद्ध आश्रम	डी.सी.सी.-1	4.3	2.28	2.28	1.13
255.	पटियाला	नवजीवनी	डी.सी.सी.-1	0.84	0		0
256.	रोपड़	सोशल वर्क एंव रूरल डेवलपमेट सेंटर	डी.सी.सी.-1	1.65	0.9	2.77	0.97
		13. दिल्ली					
257.	दिल्ली	एजवेल फाउंडेशन	1 हैल्पलाइन	28.55	63.46	0.00	0
258.	दिल्ली	आशीवाद सीनियर सिटीजन्स काउन्सिल	डी.सी.सी.-1	1.96	0.98	2.94	0.97
259.	दिल्ली	एसोशिएसन ऑफ नेशनल ब्रदरहुड फॉर सोशल वेल्फेयर	एम.एम.यू.-1	1.38	1.38	5.50	0
260.	दिल्ली	हेल्पेज इं.	एम.एम.यू.-2	1.67	46.68	43.35	0
261.	दिल्ली	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ	एम.एम.यू.-1	1.71	0	0.00	0
262.	दिल्ली	मानव परोपकारी संस्था	एम.एम.यू.-1		0.49	1.54	0.76
263.	दिल्ली	नारी उत्थान समिति	डी.सी.सी.-1		0.49	0.98	0
264.	दिल्ली	सोसाइटी फॉर इनभरोनमेंट एंड डेवलपमेंट	डी.सी.सी-1	0	1.8	0.98	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		14. पांडिचेरी					
265.	पांडिचेरी	संत जोसेफ ऑफ कलन्सी, हास्पिस, कॉन्वेन्ट	ओ.ए.एच.-1	2.69	1.94	13.98	1.91
266.	पांडिचेरी	संत जोसेफ कॉन्वेन्ट (हास्पिस)	ओ.ए.एच.-1	1.93	2.69	7.67	3.54
267.	पांडिचेरी	इमाकुलेट हर्ट ऑफ मेरी होम फॉर द एजेड	ओ.ए.एच.-1	2.22	1.09	3.23	1.07
		15. महाराष्ट्र					
268.	भंडारा	अरुणोदय बहुद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था	ओ.ए.एच.-1	0	1.09	2.76	1.38
269.	भंडारा	भारतीय औषधि अनुसंधान संस्था	एम.एम.यू.-1	1.95	0.97	1.95	0.98
270.	चन्द्रपुर	सांकृत्यान शिक्षण प्रसारक मंडल	डी.सी.सी.-1	0	0.98	2.27	0.98
271.	धुले	जानकीबाई ट्रस्ट	डी.सी.सी.-1	0	1.89	0	0
272.	धुले	वेस्ट खानदेश भगिनी सेवा मंडल	डी.सी.सी.-2	5.33	0.89	1.95	0
273.	गोंडिया	लोक कल्याण शिक्षण संस्था	एम.एम.यू.-1	0	0.13	1.53	76.9
274.	गोंडिया	मध्य भारत एजुकेशन सोसाइटी	डी.सी.सी.-1	0	0.34	0	0
275.	जालान	प्रसार शिक्षण संस्थान	ओ.ए.एच.-1	0	2.68	2.68	0
276.	लातूर	साईंनाथ शिक्षण प्रसारक मंडल	डी.सी.सी.-1	1.96	1.95	0.98	1.95
277.	लातूर	बाल विकास महिला मंडल	ओ.ए.एच.-1	1.71	0.86	1.84	0.98
278.	नागपुर	राष्ट्रांत तुकडोजी महाराज टेक्नीकल एंड एजुकेशनल सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	2.65	1.64	0
279.	नागपुर	स्नेह बहुद्देशीय संस्था	एम.एम.यू.-1	0.77	0.77	1.54	1.54
280.	नागपुर	वीर अरुण युवक विकास मंडल	डी.सी.सी.-1	0.98	1.95	2.4	1.95

1	2	3	4	5	6	7	8
281.	नागपुर	एकता बहुद्देशीय एजुकेशन सोसाइटी	डी.सी.सी.-1	0	0.61	1.42	0
282.	नांदेड़	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर शिक्षण प्रसारक संस्था	ओ.ए.एच.-1	0	2.66	2.74	0
283.	नांदेड़	जनक्रांति शिक्षा प्रसारक मंडल	डी.सी.सी.-1	1.1	2.69	1.95	0.97
284.	परभनी	पंचशील शिक्षण प्रसारक मंडल	डी.सी.सी.-1	0	0.47	1.95	0.97
285.	यवतमल	लेट संजय राठौर शिक्षण संस्था	ओ.ए.एच.-1	1.87	3.9	2.72	2.73
286.	यवतमल	लेट रमेश यादव शिक्षण एंड क्रीड़ा प्रसारक मंडल	ओ.ए.एच.-1	1.87	3.99	2.68	1.38
287.	नागपुर (1), मुम्बई (2), एंड पुणे (1)	हेल्पेज इंडिया	एम.एम.यू.-4	6.67	0	0	0
		16. मणिपुर					
288.	चंदेल	मैंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट	ओ.ए.एच.-1	0	1.34	2.76	0
289.	चंदेल	द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट ऑरगनाइजेशन	डी.सी.सी.-1	0.88	0	0	0
290.	चंदेल	सोशल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एजेंसी	ओ.ए.एच.-1	2.76	1.33	3.98	1.33
291.	चुराचन्द्रपुर	ट्राइबल अपलीफ्टमेंट एशोसिएशन	ओ.ए.एच.-3	0	6.65	6.81	0
292.	इम्फाल (ईस्ट)	इरीपाक युथ डेवलपमेंट एशोसिएशन	डी.सी.सी.-1	0	3.8	0	0
293.	इम्फाल (ईस्ट)	केराव वुमैन वेलफेयर एशोसिएशन	डी.सी.सी.-1	0.675	1.9	0	0
294.	इम्फाल (ईस्ट)	द मैंटर फार अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल वुमैन एशोसिएशन	ओ.ए.एच.-1	1.382	2.76	2.76	0
295.	इम्फाल (ईस्ट)	इमा लीमारेल वुमैन, वेलफेयर एशोसिएशन	ओ.ए.एच.-1	2.5	0	5.53	0

1	2	3	4	5	6	7	8
296.	इम्फाल (ईस्ट)	रूरल डाउनट्रौडेन पीपुल अपलिफ्टमेंट सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	2.54	2.72	2.72
297.	इम्फाल (ईस्ट)	कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	1.22	0	4.15
298.	इम्फाल (वेस्ट)	बशीकोन्ग चनुरा शिलॉन लैप	ओ.ए.एच.-1	0	2.24	3.98	2.76
299.	इम्फाल (वेस्ट)	ह्युमैन रीशोर्स एंड इन्फरास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑरगानाइजेशन	डी.सी.सी.-1	3.807	1.9	0.98	0
300.	इम्फाल (वेस्ट)	द मणिपुर डेफ एंड मुट एशोसिएशन	ओ.ए.एच.-1	0	2.68	2.71	0
301.	इम्फाल (वेस्ट)	द मणिपुर एस.सी. वेलफेयर एशोसिएशन	ओ.ए.एच.-1	2.69	1.35	4.11	2.66
302.	इम्फाल (वेस्ट)	आल थान्गेमेइबांड चुमैन्स वेलफेयर एशोसिएशन	डी.सी.सी.-1	0	0.66	1.96	0.97
303.	इम्फाल (वेस्ट)	रूरल सर्विस एजेंसी	ओ.ए.एच.-1	3.96	0	2.62	2.76
304.	इम्फाल (वेस्ट)	इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एजेंसी	डी.सी.सी. 1	0	0.49	1.96	0.98
305.	थौबाल	सेंटर फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट सर्विसेस	डी.सी.सी.-1	1.849	1.85	1.85	2.3
306.	थौबाल	जामिया एजुकेशनल सोसाइटी	ओ.ए.एच. 2	2.474	5.23	5.52	2.76
307.	थौबाल	इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल ऑरगानाइजेशन	ओ.ए.एच.-1	2.764	2.76	2.75	1.38
308.	थौबाल	न्यू इंटीग्रेटेड रूरल मैनेजमेंट एजेंसी	ओ.ए.एच.-2	8.290	5.52	5.52	2.76
309.	थौबाल	रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	एम.एम.यू.-1	1.770	0	1.54	2.31
310.	थौबाल	रूरल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एशोसिएशन	ओ.ए.एच.-2	3.915	2.85	4.83	0
311.	थौबाल	रूरल मेडिकल इन्सटीच्यूट	एम.एम.यू.-1	1.895	0.63	2.85	0
312.	थौबाल	सोशल डेवलपमेंट एंड रिहैबीलीटेशन काउंसिल	डी.सी.सी.-1	3.915	1.95	1.95	0

1	2	3	4	5	6	7	8
313.	थौबाल	सोशल इन्भारोन्मेंट एंड रूरल टेक्नीकल काउंसिल	डी.सी.सी.-1	1.957	0.98	2.93	1.96
314.	थौबाल	सोसाइटी फार वुमैन्स एजुकेशन एक्शन एंड रेफ्लेक्शन	डी.सी.सी.-1	2.910	1.95	0.98	2.94
315.	थौबाल	साउथ ईस्टर्न रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन	ओ.ए.एच. 1	2.710	3.99	2.67	1.38
316.	थौबाल	द रूरल पीपुल्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	1.960	9.25	4.72	0
317.	थौबाल	यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज	ओ.ए.एच.-1	1.382	1.38	5.54	0
318.	थौबाल	भौलेनटीर्यस फॉर रूरल हेल्थ एंड एक्शन	डी.सी.सी-1	1.840	0.92	2.76	0
319.	थौबाल	वॉनजौंग वुमैन एंड गर्ल्स सोसाइटी	डी.सी.सी.-7	18.940	19.41	15.65	6.85
320.	थौबाल	यूथ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन	ओ.ए.एच.-1 और एन.आई.एस.-1	3.270	1.63	2.76	1.38
321.	थौबाल	द यूनाइटेड हिल पीपुल्स डेवलपमेंट सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	1.70	1.13	0	0
322.	थौबाल	इंटीग्रेटेड रूरल अपलिफ्टमेंट सर्विस	डी.सी.सी.-1	0.00	0.29	1.9	0.97
323.	विष्णपुर	कुम्बी खुल्लाकपकम लेकाई वुमैन्स एसोसिएशन	ओ.ए.एच.-1	4.132	4.08	2.76	0
324.	थौबाल	सेंटर फॉर डेवलपमेंट एक्टीविटीस (सी-डाक)	डी.सी.सी.-1	0	0.45	1.96	0
		17. नागालैंड					
325.	दीमापुर	ओल्ड एज होम, दीमापुर	ओ.ए.एच.-1	0.87	2.06	2.15	0
326.	दीमापुर	मनराइज वुमैन वेलफेयर सोसाइटी	डी.सी.सी.-1	0.33	1.68	0	0
327.	दीमापुर	नेपाली बोस्ती वुमैन वेलफेयर सोसाइटी	डी.सी.सी.-1	0	1.75	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		18. उड़ीसा					
328.	अंगुल	ग्राम सेवा मंडल	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-6	7.22	14.14	14.47	0
329.	अंगुल	वॉलुन्टेरी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट	डी.सी.सी-1	0	0.5	1.96	0
330.	अंगुल	ऑल उड़ीसा रीसर्च इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमैन मूवमेंट	डी.सी.सी-1	0	0.32	1.95	0.97
331.	बलांगीर	ग्राम मंगल पाथागार	ओ.ए.एच.-1	3.88	1.38	5.52	1.38
332.	भुवनेश्वर	उड़ीसा मल्टीपरपस डेवलपमेंट सेंटर	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-3	0.98	16.1	8.51	4.78
333.	भुवनेश्वर	काउंसिल फॉर आल राउंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी	डी.सी.सी.-2	0	3.91	5.79	7.76
334.	भुवनेश्वर	जलकल्याण समिति	ओ.ए.एच.-2, डी.सी.सी.-5 और एम.एम.यू.-1	0	7.77	0	0
335.	भुवनेश्वर	ऑरगनाइजेशन फॉर सोशल चैन्ज एंड रूरल डेवलपमेंट	ओ.ए.एच.-1, डी.सी.सी.-2 और एम.एम.यू.-1	0	8.43	0	0
336.	कटक	एशोसिएशन फॉर सोशल री-कन्सट्रक्टीव एक्टीवीटीज	ओ.ए.एच.-1	0	4.14	0	0
337.	कटक	बांको अंचालिका आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद्	डी.सी.सी.-3	5.78	2.93	8.8	2.93
338.	कटक	बासुदेव पाठागार	ओ.ए.एच.-1	2.54	3.42	4.7	0.97
339.	कटक	उड़ीसा सोशल रूरल टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट	डी.सी.सी.-2	3.35	1.95	5.76	0
340.	कटक	नंदीघोषा	डी.सी.सी.-1 और एम.एम.यू.-1	0	0.63	3.42	0
341.	कटक	डा. अम्बेडकर रूरल ओलंपिक एशोसिएशन	ओ.ए.एच.-1	0	0.76	2.76	1.38
342.	धेनकनाल	आदर्श सेवा संगठन	ओ.ए.एच.-1	2.47	1.38	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
343.	धेनकनाल	अरूण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स	डी.सी.सी.-5	12.5	11.17	13.93	7.66
344.	धेनकनाल	कम्यूनिटी लीगल एक्शन एंड रिसर्च सेंटर	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-4	5.25	0	0	0
345.	धेनकनाल	महर्षि दयानंद सर्विस मिशन	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-4	10.58	10.57	10.59	5.3
346.	धेनकनाल	सोसाइटी फॉर रूरल एडवांसमेंट एंड डेमोक्रेटिक ह्यूमैनीटेरियन एक्शन	ओ.ए.एच.-1	2.47	1.34	4.1	1.38
347.	धेनकनाल	महिला उन्नयन पाठागार	एम.एम.यू.-1	1.38	0	0	0
348.	गंजम	इंस्टीट्यूट फॉर वुमैन्स वेलफेयर	ओ.ए.एच.-1	0	2.18	4.63	0
349.	जाजपुर	आशा नायकम सेवा संघ	डी.सी.सी.-5	0	4.53	6.54	0
350.	जाजपुर	जयंती पाठागार	डी.सी.सी.-1	0	1.95	1.95	1.96
351.	कालाहांडी	श्री रामाकृष्णा आश्रम	ओ.ए.एच.-1	1.39	2.76	4.14	0
352.	केन्द्रपाड़ा	कटक जिला हरिजन आदिवासी संस्कार योजना	डी.सी.सी.-2	3.35	1.95	5.75	0
353.	केन्द्रपाड़ा	जन सेवा परिषद्	डी.सी.सी.-1	2.14	3.95	0	0
354.	केन्द्रपाड़ा	इंडियन विलेज डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन	ओ.ए.एच.-1	0	1	2.46	1.27
355.	केन्द्रपाड़ा	लुथरान महिला समिति	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	2.13	2.13	6.79	2.26
356.	केन्द्रपाड़ा	जनकल्याण सेवा संघ	ओ.ए.एच.-1	2.53	1.38	4.14	1.38
357.	क्योंझर	बिष्णुप्रिया बालाश्रम	ओ.ए.एच.-1	0	4.11	4.14	1.38

1	2	3	4	5	6	7	8
358.	खुर्दा	धरित्री क्लब	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी. 1	2.33	4.4	6.98	2.33
359.	खुर्दा	जुवा ज्योति क्लब	ओ.ए.एच.-1	0	2.67	2.76	0
360.	खुर्दा	यूनियन फॉर लर्निंग ट्रेनिंग एंड रिफार्मेटिव एक्टीविटीज	ओ.ए.एच.-1, डी.सी.सी.-1 और एम.एम.यू.-1	0	4.09	0	0
361.	खुर्दा	विश्व जीवन सेवा संघ	ओ.ए.एच.-2 और डी.सी.सी.-5	15.32	14.34	16.29	7.66
362.	खुर्दा	पदमश्री सोसाइटी	डी.सी.सी. 1	0	0.46	0	1.75
363.	कोरापुट	गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल एडवांसमेंट	ओ.ए.एच.-1	0	1.25	2.76	1.38
364.	नयागढ़	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर एंड सोशल एक्शन	ओ.ए.एच.-1	0	6.58	8.64	3.34
365.	नयागढ़	अनथा परित्यक्ता बालाश्रम	ओ.ए.एच.-1	2.53	0	5.45	0
366.	नयागढ़	जन विकास	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	7.48	2.36	7.08	2.36
367.	नौरंगपुर	शहीद बोगा पुजारी सेवा सदन	डी.सी.सी.-1	0	1.79	1.8	1.79
368.	फूलबनी	बनबासी सेवा समिति	ओ.ए.एच.-1	2.37	2.36	5.13	0
369.	फूलबनी	सुभद्रा मेहताब सेवा सदन	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	0	3.97	4.93	1.75
370.	पुरी	एसोशिएशन फॉर वालिंटरी एक्शन	ओ.ए.एच.-1, डी.सी.सी.-5 और एम.एम.यू.-1	7.34	18	15.38	6.68

1	2	3	4	5	6	7	8
371.	पुरी	बंकेश्वरी जुवक संघ	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	4.58	4.65	2.36	4.72
372.	पुरी	विद्युत क्लब	डी.सी.सी.-5	9.79	4.89	0	0
373.	पुरी	जय जगन्नाथ क्लब	डी.सी.सी.-1	0	0	1.76	0
374.	पुरी	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान	ओ.ए.एच.-2 और डी.सी.सी.-5	14.24	15.14	13.35	2.76
375.	पुरी	रत्नाचीरा	ओ.ए.एच.-1	2.76	1.38	2.76	0
376.	पुरी	सुरख्या	ओ.ए.एच.-1	0	0	2.76	0
377.	पुरी	जयकिशन युथ क्लब	ओ.ए.एच.-1	0	1.51	3.64	1.38
378.	पुरी	अदल बदल महिला समिति	ओ.ए.एच.-1	0	1.52	2.01	0
379.	मयूरभंज	रूरल डेवलपमेंट एक्शन सेल	ओ.ए.एच.-1	0	4.72	2.44	1.38
380.	संबलपुर	नेशनल रिसार्सेज सेंटर फॉर वुमैन डेवलपमेंट	ओ.ए.एच.-1	0	1.25	2.75	1.38
		19. राजस्थान					
381.	जोधपुर	राधा बाल मंदिर विद्यालय एकेडमी	डी.सी.सी.-1	0	0.49	1.95	0
382.	कोटा	मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याण उत्थान संस्थान	ओ.ए.एच.-1	0	1.08	0	0
383.	श्रीगंगानगर	नेहरू मॉडल स्कूल समिति	डी.सी.सी.-1	0	0.5	1.95	0
384.	श्रीगंगानगर	मनोहर बाल मंदिर समिति	ओ.ए.एच.-1	0	1.11	2.76	0
		20. तमिलनाडु					
385.	चेन्नई	अन्नाई इल्लम	ओ.ए.एच.-1	0	0	4.85	0

1	2	3	4	5	6	7	8
386.	चेन्नई	इंडियन इन्स्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट	ओ.ए.एच.-1	2.59	1.3	0	0
387.	चेन्नई	कल्लईसेल्वी करूणालय मोशल वेलफेयर सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1, डी.सी.सी.-4 और एम.एम.यू.-1	5.99	17.98	12.05	6.02
388.	चेन्नई	मेलवी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट सर्विसिज	डी.सी.सी.-1	0	0	1.29	0
389.	चेन्नई	सेंट पाल एजुकेशनल एंड मेडिगल ट्रस्ट	एम.एम.यू.-1	0.77	0	1.54	0
390.	चेन्नई	ट्राइबल वेलफेयर एजेंसी	डी.सी.सी.-1	1.18	0	0	0
391.	चेन्नई	गाइड ऑफ सर्विस मील्स ऑन व्हील्स, एगमौर	डी.सी.सी.-1	0	1.67	0.94	0
392.	चेन्नई	हेल्प एज इंडिया	एम.एम.यू.-1	1.67	0	0	0
393.	कुडालौर	माधार नाला चोंडु	ओ.ए.एच.-1 और एम.एम.यू.-1	2.15	2.92	7.76	0
394.	कुडालौर	सोसाइटी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वीकर सेक्शन्स	ओ.ए.एच.-2 और डी.सी.सी.-3	2.76	0	0	0
395.	कुडालौर	मोवाझी तमीज सबई	डी.सी.सी.-1	0	1.38	2.46	0
396.	डिंडीगुल	डिंडीगुल मल्टीपरपज सोशल सर्विस सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	1.66	0	0
397.	डिंडीगुल	रूरल एजुकेशन फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट (रीड)	ओ.ए.एच.-1	0	1.09	0	2.65
398.	डिंडीगुल	सी.ई.डी.ए. ट्रस्ट	ओ.ए.एच.-1	0	1.09	2.6	0
399.	इरोड	सेंटर फॉर एक्शन एंड रूरल एजुकेशन	एम.एम.यू.-1	1.47	0.74	0.73	0
400.	इरोड	रूरल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन	ओ.ए.एच.-1	0	1.09	0	0
401.	कांचापुरम	ब्यूरो ऑफ इंटीग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट	ओ.ए.एच.-1	2.57	2.71	2.71	0

1	2	3	4	5	6	7	8
402.	कांचापुरम	दुरईसामी जेनरम सोशल एजुकेशन सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	0	11.24	2.76	0
403.	कांचापुरम	लाइफ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट	ओ.ए.एच.-1	1.3	1.3	4.14	0
404.	कांचापुरम	अन्नई करूणालय सोशल वेलफेयर एसोसिएशन	ओ.ए.एच.-2	0.88	1.11	5.52	0
405.	कांचापुरम	वृंदावनम् एजुकेशन सोशल ट्रस्ट	एम.एम.यू.-1	0	2.3	2.3	0
406.	कन्याकुमारी	होम फॉर द ऐजेड	ओ.ए.एच.-1	0	0	1.92	0
407.	नामाक्कल	वुमेन आर्गे. फॉर रूरल डेवलपमेंट	ओ.ए.एच.-1	0	2.26	5.24	0
408.	नागापट्टीनम	अवई विलेज वेलफेयर सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	3.3	1.84	6.09	2.36
409.	नागापट्टीनम	ग्राम्य सोशल वेलफेयर सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-2	1.69	7.82	6.13	3.34
410.	नागापट्टीनम	नेहरू स्कूल एजुकेशन सेंटर	ओ.ए.एच.-1	2.76	2.76	2.76	0
411.	नागापट्टीनम	सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.	0	2.25	5.87	2.36
412.	नागापट्टीनम	करूणालय सरस्वती इल्लम	ओ.ए.एच.-1	0	1.1	2.76	1.38
413.	पदुकोट्टई	ग्राम सूर्यराज	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-2	3.3	13.16	6.6	3.3
414.	पदुकोट्टई	बेथाश्री महर्षि सोशल वेलफेयर ट्रस्ट	ओ.ए.एच.-1	0	2.21	0	0
415.	पदुकोट्टई	आँजाने	ओ.ए.एच.-1	0	4.03	4.02	0
416.	पदुकोट्टई	डेवलपमेंट एजु. फॉर रूरल मेस	ओ.ए.एच.-1	0	1.54	3.67	0
417.	पदुकोट्टई	रूरल एजुकेशन फॉर कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन	ओ.ए.एच.-1	0	0.96	0	0
418.	सेलम	गांधी पीस सेंटर	ओ.ए.एच.-1	0	0	0	1.8

1	2	3	4	5	6	7	8
419.	शिवगंगई	सिंगमपट्टी ग्राम मुनेत्रा संगम	ओ.ए.एच.-1	0	1.53	3.64	1.38
420.	शिवगंगई	सोसाइटी फॉर रूरल एंड अर्बन वुमैन्स रिनेसैंस एक्टीविटिज	ओ.ए.एच.-1	0	0.94	2.76	1.34
421.	थंजावुर	मागरेट सोशल डेव. सोसाइटी	डी.सी.सी.-1	2.76	0.98	2.94	0.97
422.	थंजावुर	मेर्सी भिरूना ओल्ड एज होम	ओ.ए.एच.-1	1.38	2.76	2.76	2.76
423.	थंजावुर	श्री विक्टोरिया एजुकेशनल सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	2.76	3.87	5.52	2.76
424.	थिरूवरूर	भारत माता फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन	ओ.ए.एच.-1	0	5.92	2.76	1.38
425.	थिरूवरूर	नेशनल मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर आर्गेनाइजेशन	ओ.ए.एच.-1	0	5.52	2.76	0
426.	थिरूवरूर	भारती वुमैन डेवलपमेंट सेंटर	ओ.ए.एच. 1	1.34	4.5	4.64	2.32
427.	तिरूचिरापल्ली	द तमिलनाडु पेंगल नाला संगम	ओ.ए.एच.-1	0.93	2.72	0.89	0
428.	थेनी	युवक विकास केन्द्र	ओ.ए.एच.-1	1.88	4.14	2.76	1.38
429.	थेनी	ग्रामीयम संघ	ओ.ए.एच.-1	0	2.76	2.76	0
430.	थेनी	ग्रामीयन संघ ट्रस्ट	डी.सी.सी.-1	0	0.49	1.95	0.97
431.	तिरूनेलवेली	मक्काल नालभाल्भु मंत्रम	ओ.ए.एच.-1	0	2.6	2.6	0
432.	तिरूनेलवेली	अरासान रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	0.89	2.76	1.38
433.	तिरूवल्लुर	राष्ट्रीय सेवा समिति	ओ.ए.एच.-1	0	0	0.65	1.38
434.	तिरूवन्नामलाई	नीयो एजुकेशन सोशल अवेयरनेश एंड मैनेजमैंट सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	0.46	1.96	0.97
435.	त्रिची	जया बलवाडी एजुकेशनल सोसाइटी	ओ.ए.एच.-2 और डी.सी.सी.-1	4.72	7.36	7.48	3.74

1	2	3	4	5	6	7	8
436.	त्रिची	कृष्णाज लोग	ओ.ए.एच.-1	3.84	1.38	4.14	0
437.	त्रिची	पेरीयार खुडील	ओ.ए.एच.-1	1.8	0.9	1.77	0
438.	त्रिची	सेंट जॉन संगम ट्रस्ट	डी.सी.सी.-1	1.79	0.88	2.83	0
439.	त्रिची	द सोसाइटी आर्गेनाइज्ड फार परमोशन ऑफ रूरल ट्राइबल एण्ड डाउन्ट्रोडन	ओ.ए.एच.-1	2.41	0	4.14	2.76
440.	त्रिची	तीरूचिरापल्ली रूरल एण्ड अरबन वेलफेयर द एजुकेशन सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0.87	2.76	2.76	1.38
441.	त्रिची	वेडीवेल्ली रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	1.75	3.87	1.38
442.	वीलुपुरम	पीपुल्स मल्टीपरपज द सोसाइटी	डी.सी.सी.-3	0	7.99	4.04	0
443.	वीलुपुरम	अन्नाई करूनालय सोशल वेलफेयर एसोसिएशन	ओ.ए.एच.-1	0	1.11	2.76	2.76
444.	वीरूदनगर	रेक्टीयुड एण्ड इन्टीग्रेटेड फार कम्यूनिटी स्टेबलीममेंट	डी.सी.सी.-1	0	0.5	1.94	0
		21. **त्रिपुरा**					
445.	वेस्ट त्रिपुरा	एग्यालबम	ओ.ए.एच.-1	3.97	3.6	4.05	0
446	वेस्ट त्रिपुरा	ऑल त्रिपुरा एसटी, एसटी एण्ड माइनेरिटी अफलिफ्टमेंट कॉन्सिल	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-5	5.78	22.5	5.57	0
447.	वेस्ट त्रिपुरा	माइनेरिटी डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन	ओ.ए.एच.-1	0	0	1.33	0
		22. **उत्तर प्रदेश**					
448.	इलाहाबाद	आदर्श जनता शिक्षा समिति	ओ.ए.एच.-1	2.76	4.15	4.15	1.38
449.	इलाहाबाद	आर्य कन्या विद्यालय समिति	ओ.ए.एच.-1	0	4.14	4.15	0

1	2	3	4	5	6	7	8
450.	इलाहाबाद	दलित मानव उत्थान संस्थान	ओ.ए.एच.-1	0	5.52	2.76	1.38
451.	इलाहाबाद	गायत्री देवी शिक्षा समिति	ओ.ए.एच.-1	2.76	2.76	0	0
452.	इलाहाबाद	ग्राम विकास शिक्षा समिति	डी.सी.सी.-1	1.96	1.95	0	0
453.	इलाहाबाद	ग्रामोथन जन सेवा संस्थान	डी.सी.सी.-2	1.94	5.86	3.91	1.95
454.	इलाहाबाद	ग्रामाया विकास संस्थान	डी.सी.सी.-1	1.96	0	0	0
455.	इलाहाबाद	ग्राम विकास सेवा संस्थान	डी.सी.सी.-1	0	2.93	1.95	0.97
456.	इलाहाबाद	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	2.76	4.14	2.76	1.38
457.	इलाहाबाद	जन सेवा संस्थान	डी.सी.सी.-1	1.96	1.95	0	0
458.	इलाहाबाद	लोक सेवा मंडल	डी.सी.सी.-1	1.96	1.95	0	0
459.	इलाहाबाद	प्रकाश ग्रामीण संस्थान	ओ.ए.एच.-1	0	2.65	4.03	0
460.	इलाहाबाद	तिलक शैक्षिक समिति	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	2.36	0	0	0
461.	इलाहाबाद	गौरव जन कल्याण समिति	ओ.ए.एच.-1	2.76	4.14	2.76	1.38
462.	बस्ती	सोशल वैलफेयर सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	2.7	0	3.85	0
463.	बाराबंकी	महिला विकास एवम बाल विकास शिक्षा समिति	डी.सी.सी.-1	0	3.91	1.95	0.97
464.	बाराबंकी	निरबल समाज कल्याण संस्थान	ओ.ए.एच.-1	0	5.45	2.76	1.38
465.	बाराबंकी	मानव विकास एवं सेवा संस्थान	डी.सी.सी.-1	0	0.49	0	2.93
466.	बहराइच	आदर्श कल्याण सेवा समिति	डी.सी.सी.-1	0.98	2.93	0.98	1.95

1	2	3	4	5	6	7	8
467.	देवरिया	महिला एण्ड बाल विकास समिति	ओ.ए.एच.-1	0	0	2.76	0
468.	एटा	ग्यान भारती महिला विकास एवम शिक्षा प्रसार समिति	ओ.ए.एच.-1	0	0	0	1.79
469.	फैजाबाद	जन कल्याण एवं नारी उत्थान समिति	ओ.ए.एच.-1	1.38	0	0	0
470.	गाजियाबाद	गुरूकुल विद्यापीठ पुष्पावती	ओ.ए.एच.-1	0	4.34	1.38	0
471.	गोंडा	संगम विकास सेवा संस्थान	ओ.ए.एच.-1	0	2.5	1.29	2.62
472.	गोरखपुर	आशय विकास परिषद	ओ.ए.एच.-1	0.86	0	5.36	1.38
473.	हमीरपुर	श्री कंचन लाल सगुना सेवा संस्थान	ओ.ए.एच.-1	2.72	2.76	1.38	2.76
474.	हरदोई	सार्वजनिक शिक्षोनयन संस्थान	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	0	2.53	0	0
475.	जलाव	जय गायत्री मां बाल विद्या मंदिर समिति	डी.सी.सी.-1	0.98	0	2.93	0
476.	जे.पी. नगर	जनता जूनियर हाई स्कूल	ओ.ए.एच.-1	0	0	0	1.79
477.	कुशीनगर	जन कल्याण शिक्षा समिती	डी.सी.सी.-1	0	0	0	1.95
478.	कुशीनगर	महिला एवं बाल विकास समिति	ओ.ए.एच.-1	0	0	2.76	0
479.	लखनऊ	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान	डी.सी.सी.-2	3.91	3.91	3.91	1.95
480.	लखनऊ	निरवन समाज कल्याण संस्था	डी.सी.सी.-2	0	0	2.93	3.92
481.	लखनऊ	समाज सेवा संस्थान	डी.सी.सी.-1	0.98	2.93	1.95	0.97
482.	लखनऊ	शाहीद मेमोरियल सोसाइटी	ओ.ए.एच.-3 और डी.सी.सी.-1	10.24	12.04	6.5	8.86

1	2	3	4	5	6	7	8
483.	लखनऊ	सुधा प्रशिक्षण विकास संस्थान	डी.सी.सी.-1	0.98	2.93	1.96	0.97
484.	लखनऊ	वोमेन वेलफेयर एंड कलचर इंस्टीट्यूट	डी.सी.सी.-1	1.35	3.9	1.96	0.97
485.	लखनऊ	सार्वजनिक शिक्षा समिति	ओ.ए.एच.-1	0	2.54	0.	0
486.	मथुरा	ऑल इंडिया वोमेन्स कान्फोन्स, नई दिल्ली	ओ.ए.एच.-1	2.43	1.18	3.82	0
487.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवम शिक्षा समिति	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	2.36	5.45	2.36	4.72
488.	प्रतापगढ़	गंगा प्रसाद स्मारक महिला कल्याण संस्थान	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	0	9.43	4.72	2.36
489.	प्रतापगढ़	सुजाखार ग्रामो उद्योग विकास संस्थान	डी.सी.सी.-1	0	1.95	0.98	0
490.	सुल्तानपुर	जवाहर ज्योति शिक्षा एवं ग्रामाया विकास समिति	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	3.33	8.46	4.72	2.36
491.	सुल्तानपुर	जन विकास संस्थान	डी.सी.सी.-1	2.94	1.95	0.98	1.95
492.	सुल्तानपुर	माध्यमिक विद्यालय फरब गांव राश्सार संस्थान	डी.सी.सी.-1	0	3.91	2.93	0.97
493.	सुल्तानपुर	अमेठी महिला एवम बाल विकास समिति	डी.सी.सी.-1	0	1.9	1.9	0.91
494.	संत रविदास नगर	ग्रामीण जन कल्याण संस्थान	0	0	1.09	2.65	1.32
495.	उन्नाव	आदर्श सांस्कृतिक संतसंग कला केन्द्र	ओ.ए.एच.-1	0	0	5.52	1.38
496.	उन्नाव	न्यू पब्लिक स्कूल समिति	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-2	8.06	6.67	6.67	3.34
497.	फार डिस्टिक बदायूं एण्ड लखनऊ	हेल्थ हेज इंडिया	एम.एम.यू.-2	3.33	0	0	0
498.	सिद्धार्थनगर	ग्राम विकास संस्थान	ओ.ए.एच.-1	2.76	0	4.96	0
499.	जौनपुर	ग्रामोयन सेवा समिति	डी.सी.सी.-1		0.98	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		23. उत्तरांचल					
500.	देहरादून	उत्तरांचल शोसित महिला उत्थान समिति	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-3	12.82	4.31	2.93	5.77
		24. वेस्ट बंगाल					
501	बंकुरा	विवेकानंद आदीवासी कल्याण समिति	एम.एम.यू.-1	0	0	1.91	0
502.	बीरभूम	एलमहीस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी स्टडीज	डी.सी.सी.-1	2.4	2.58	2.58	1.95
503.	वर्धवान	सेन्ट्रल सिड्यूल कास्ट एण्ड ट्राइबल वेलफेयर एसोशियशन	ओ.ए.एच.-1	0	0	2.93	1.38
504.	कलकत्ता	ऑल इंडिया फेडेरेशन ऑफ सिड्यूल कास्ट एण्ड माइनोरीटिव	एम.एम.यू.-1	0	0	1.54	0
505.	कलकत्ता	आल बंगाल वोमेन्सस युनियन	ओ.ए.एच.-1	1.96	0	1.96	2.02
506.	कलकत्ता	कलकत्ता मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूट टेक्नोलोजी	डी.सी.सी.-2 और एम.एम.यू.-1	0.86	2.51	2.44	0.84
507.	कलकत्ता	चन्द्रनाथ वासु सेवा संघ	ओ.ए.एच.-1	0	0	1.54	0
508.	कलकत्ता	जनशिक्षा प्रचार केन्द्र	ओ.ए.एच.-1	1.96	1.98	1.63	2.36
509.	कलकत्ता	जय प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेन्ज	डी.सी.सी.-2	3.38	3.31	4.34	0
510.	कलकत्ता	नवदियंता	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	2.42	2.24	2.24	0
511.	कलकत्ता	श्री कृष्णा प्रतिष्ठान	डी.सी.सी.-1	1.12	2.49	1.99	0.97
512.	कलकत्ता	वोमेन्स कोडिनेटिंग कांउन्सिल	ओ.ए.एच.-1	2.46	3.48	3.87	0

1	2	3	4	5	6	7	8
513.	कलकत्ता	हेल्प हेज इंडिया	एम.एम.यू.-2	3.63	3.96	0	0
514.	कलकत्ता	सुभाष नगर पश्चीकीरित	डी.सी.सी.-1	1.86	1.88	1.95	1.89
515.	हावड़ा	बागनम चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री	डी.सी.सी.-2	1.98	0	0	1.95
516.	हावड़ा	चिरनाबिन	डी.सी.सी.-1	3.33	0	0	0
517.	हावड़ा	काउन्सिल फार एडवान्समेन्ट एण्ड डाउन्ट्रोडेन पीपुल	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	0	0.5	0	0
518.	हावड़ा	वीलेज वेलफेयर सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	0	0	9.46	3.49
519.	हुगली	कल्याण माली	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	1.27	1.71	3.42	2.11
520.	मालदा	पीपलोर्ड रूरल डे. सोसाइटी	डी.सी.सी.-3	0	0	4.72	0
521.	मिदनापुर	अमर सेवा संघ	ओ.ए.एच.-1, डी.सी.सी.-1 और एम.एम.यू.-1	1.96	4.71	3.51	3.13
522.	मिदनापुर	बाराबरी नेताजी सेवा संघ	ओ.ए.एच.-1 और एम.एम.यू.-1	5.59	5.6	2.11	0.76
523.	मिदनापुर	विकरमनगर उदयन संघ	ओ.ए.एच.-2	1.94	5.8	5.71	2.76
524.	मिदनापुर	चाइल्ड एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	5.99	2.99	6.18	0
525.	मिदनापुर	गंगाधारचक एण्ड दिवानचक विवेकानंद क्लब	डी.सी.सी.-1	2.15	1.53	10.6	0.95
526.	मिदनापुर	हल्दीय समाज कल्याण परिषद	डी.सी.सी.-3	6.6	5.52	5.52	0

1	2	3	4	5	6	7	8
527.	मिदनापुर	हितालजोल किशोरी बला दातावय चिकित्सालय	ओ.ए.एच.-1	1.32	2.76	2.76	0
528.	मिदनापुर	नेताजी पयचाकरा	ओ.ए.एच.-1	1.9	0.95	2.86	1.38
529.	मिदनापुर	निर्वारक मठ सेवा समिती ट्रस्ट	ओ.ए.एच.-1	0	0	11.74	0
530.	मिदनापुर	प्रमुदा भारती शिशुटीरिया	डी.सी.सी.-1	2.15	2.2	0	1.95
531.	मिदनापुर	रायचक मार्निंग स्टार क्लब	ओ.ए.एच.-1	3.73	2.69	2.76	0
532.	मिदनापुर	सेनकुकर गटरी सबीका समिती	ओ.ए.एच.-2	2.22	1.09	3.36	0
533.	मिदनापुर	सीबरमपुर मिलन तीरथ	ओ.ए.एच.-1	2.94	1.95	0	0
534.	मिदनापुर	सोसल वेलफेयर एण्ड रूरल डे. सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	0	0	2.31	2.35
535.	मिदनापुर	तरूण संघ	डी.सी.सी.-4	4.97	2.49	0	0
536.	मिदनापुर	उतर पर सुमन्ता समिती, पथ्थागार	डी.सी.सी.-1	2.76	1.38	2.76	0
537.	मिदनापुर	विवेकानंन्द लोक शिक्षा निकेतन	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	2.36	4.72	6.65	1.38
538.	मिदनापुर	वेस्ट बंगाल एसपीज, एसटीस एण्ड माइनोरिटिगं वेलफेयर एसोसिएशन	ओ.ए.एच.-2 और डी.सी.सी.-7	7.74	0	15.66	0
539.	मिदनापुर	सजबी महिला मंडल	डी.सी.सी.-2	0.9	0	2.93	1.95
540.	मिदनापुर	सीयुलीफर उदयन क्लब	ओ.ए.एच.-1, डी.सी.सी.-2, एम.एम.यू.-1 और एन.आई.एस.	4.66	2.34	2.76	0

1	2	3	4	5	6	7	8
541.	मिदनापुर	नेफर रूरल डेवलपमेन्ट सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	9.24	27.83	13.12	0
542.	मिदनापुर	बसगोरिया प्रतीवा क्लब	डी.सी.सी.-2	3.5	3.27	3.86	1.72
543.	मुरशिदाबाद	बेरहमपुर प्रवीन सभा	डी.सी.सी.-1	6.87	9.44	4.72	0.91
544.	नादिया	करीमपुर सोशल वेलफेयर सोसाइटी	ओ.ए.एच.-1	0	1.59	2.32	0
545.	नार्थ-24 परगना	श्रीराम कृष्णा सत्यनंन्दा आश्रम	ओ.ए.एच.-1	5.02	3.28	3.48	0
546.	नार्थ-24 परगना	जीरकपुरम सिस्टर निवेदिता सेवा मिशन	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-2	1.95	0	2.93	0
547.	पुरूलिया	मनीफर लेपरोसी रिहैबिलिटेशन सेन्टर	ओ.ए.एच.-1	0	2.72	5.49	0
548.	साउथ-24 परगना	गनेशनगर लक्ष्मीनारायण क्लब एण्ड पयागार	ओ.ए.एच.-1 और डी.सी.सी.-1	2.22	0	3.85	7.08
549.	साउथ-24 परगना	विवेकानंन्द चाइल्ड वेलफेयर सेंन्ट	ओ.ए.एच.-1	0	6.02	0	4.11
550.	साउथ-24 परगना	पीपुल्स परवीन इंस्टीट्यूट	ओ.ए.एच.-1	0	0	1.05	2.73

विवरण-II

2000-01 से 2002-03 तक तथा पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष 2003-04 (30.11.2003 तक) के दौरान "वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों/बहु-सेवा केन्द्रों का निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थानों/ स्वयंसेवी संगठनों/स्वसहायता समूहों को सहायता की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त सहायता अनुदान के राज्यवार/गैर-सरकारी संगठनवार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/जिला गैर-सरकारी संगठनों का नाम	जिला	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (30.11.2003 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
	आंध्र प्रदेश					
1.	राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरूपति	चित्तूर	10.00			
2.	सादरा मठ महिला मंडली	हैदराबाद		10.00		
3.	खादी सिल्क ग्रामोद्योग समिति	गुड्डप्पा		10.00	5.00	
4.	फ्रीडम फाइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन	वारंगल		10.00		
	असम					
5.	धुला रिजनल फिजिकली हैंडीकैप्ड	दारंग	1.18			
6.	सादौ असम ग्राम्य पुशिभारोल संस्थान	नागांव	1.06			
7.	"बोडविची"	हैलाकंडी	10.05	5.74		
8.	जागृति सम्मिलित उन्नयन केन्द्र	लखीमपुर	10.00		5.00	
9.	डा. अम्बेडकर मिशन	कामरूप		10.00	10.00	
10.	ग्राम विकास परिषद	नागांव		10.00	5.00	
	चंडीगढ़					
11.	श्री सत्य साई ट्रस्ट		5.00			
	छत्तीसगढ़					
12.	समता मंच	राजनंदगांव		10.00		

1	2	3	4	5	6	7
	दिल्ली					
13.	आर्शिवाद	नई दिल्ली			5.00	
	गुजरात					
14.	महाराजा श्री लुक्कधीरजी इन्डोउमेंट ट्रस्ट	मोरवी, राजकोट		10.00		
	हरियाणा					
15.	चौबिसी विकास संघ, मेहम	रोहतक		10.00	5.00	
	हिमाचल प्रदेश					
16.	ऐज केयर इंडिया	शिमला			5.00	
	कर्नाटक					
17.	अनन्दाश्रम सेवा ट्रस्ट	पुट्टूर	10.00		5.00	
18.	डा. श्री जचानी राष्ट्रीय सेवापीठ	बंगलौर		10.00		
19.	जे.एस.एस. महाविद्यापीठ	मैसूर			10.00	
	केरल					
20.	स्नेह भावना, सेंट स्टेफेन्स चैरिटेबुल सोसाइटी, अलाचेरी	कन्नूर			2.50	
21.	नाथं पारावुर म्युनिसिपलिटी	इर्नाकुलम	2.00			
22.	अभय भवन सोसाइटी	थिरूवल्ली		1.20		
23.	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट	त्रिचूर	10.00		5.00	
24.	होली फेमिली होम फॉर दी इल्डर्स	थ्रिस्सूर	10.00		5.00	
25.	सच्चिदानन्द प्रकृस्थी क्षेत्र ट्रस्ट	कन्नूर		10.00		
26.	केरल स्टेट सर्विस पेन्सियनर यूनियन	थ्रिस्सूर			10.00	
	मध्य प्रदेश					
27.	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी	शाजापुर			10.00	
28.	शिव शिक्षा समिति, चुरहाट	सिद्धि			5.52	
29.	म्युनिसिपिल कार्पोरेशन, मंदसौर	मंदसौर				10.00

1	2	3	4	5	6	7
30.	सेवा भारती, उज्जैन	उज्जैन				10.00
	नागालैंड					
31.	दी डिस्ट्रिक्ट पेंशन एसोसिएशन	मोकोकचुंग		6.60		3.40
	पंजाब					
32.	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी	फरीदकोट			5.00	
33.	साधू बसन्त ट्रस्ट	पटियाला			5.00	
	राजस्थान					
34.	इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर	जयपुर	2.50			
35.	म गम कला परिषद	राजासमुंड				10.00
	तमिलनाडु					
36.	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी	वेल्लूर			5.00	
	उत्तरांचल					
37.	स्वामी ज्ञानस्वरूपनन्द ट्रस्ट समिति	हरिद्वार				10.00

विवरण-III

वृद्धावस्था गृहों की वर्तमान राज्यवार संख्या तथा लाभान्वित हुए वरिष्ठ नागरिकों की संख्या और 2003-04 के दौरान स्थापित किए जाने वाले नए वृद्धावस्था गृहों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चल रहे वृद्धावस्था गृहों की संख्या	लाभान्वित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	2003-04 के दौरान स्थापित किए जाने वाले नए वृद्धावस्था गृहों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	106	2650	0
2.	असम	6	150	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	बिहार	2	50	5
5.	छत्तीसगढ़	1	25	3
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	1	25	2
8.	हरियाणा	4	100	1
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1

1	2	3	4	5
10.	जम्मू-कश्मीर	3	75	0
11.	झारखंड	0	0	3
12.	कर्नाटक	45	1200	1
13.	केरल	2	50	2
14.	मध्य प्रदेश	8	200	8
15.	महाराष्ट्र	7	176	4
16.	मणिपुर	24	600	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	1	25	1
20.	उड़ीसा	40	1000	2
21.	पंजाब	5	125	0
22.	राजस्थान	2	50	1
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	50	1250	1
25.	त्रिपुरा	3	75	0
26.	उत्तर प्रदेश	31	775	5
27.	उत्तरांचल	1	25	3
28.	पश्चिम बंगाल	34	850	1
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0
31.	दमन व दीव	0	0	0
32.	चंडीगढ़	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	1
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	3	100	0
	कुल	379	9575	50

विवरण-IV

''समेकित वृद्धजन कार्यक्रम'' (प्लान स्कीम) के तहत सरकारी निधियों के दुरुपयोग के कारण काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों की सूची

क्रमांक	काली सूची में डाले गए संगठनों के नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	क्राईस्ट रूरल डेवलपमेंट एंड एजूकेशन सोसाइटी, डलवायपल्ली (ग्राम), कोडीकन्डा पोस्ट ऑफिस, चिलमेट्टूर मंडल, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश	संबंधित जिले के डी.एम./डी.सी. से विशिष्ट पूछताछ के पश्चात् संगठन को दिए गए सहायता अनुदान को वसूलने तथा वसूली गई राशि को वेतन और लेखा कार्यालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास भेजने का अनुरोध किया गया है।

1	2	3
2.	संगमेश्वर एजुकेशनल सोसाइटी, डी. सं. 11-292-ए 2-02, चौथा क्रास, अविन्दनगर, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश	संबंधित जिले के डी.एम./डी.सी. से विशिष्ट पृछताछ के पश्चात् संगठन को दिए गए सहायता अनुदान को वसूलने तथा वसूली गई राशि को वेतन और लेखा कार्यालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास भेजने का अनुरोध किया गया है।
3.	कल्चरल एक्शन इन रूरल डेवलपमेंट, पामीडी, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	संबंधित जिले के डी.एम./डी.सी. से विशिष्ट पृछताछ के पश्चात् संगठन को दिए गए सहायता अनुदान को वसूलने तथा वसूली गई राशि को वेतन और लेखा कार्यालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास भेजने का अनुरोध किया गया है।
4.	आदर्श महिला मंडली, एम.आई.जी.-2, 50, ए.पी.एच.बी. कालोनी, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	संबंधित जिले के डी.एम./डी.सी. से विशिष्ट पृछताछ के पश्चात् संगठन को दिए गए सहायता अनुदान को वसूलने तथा वसूली गई राशि को वेतन और लेखा कार्यालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास भेजने का अनुरोध किया गया है।
5.	मर्सी माइनॉरिटी एजुकेशनल सोसाइटी, 13-2-668, प्रथम क्रास रामचन्द्र नगर, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	संबंधित जिले के डी.एम./डी.सी. से विशिष्ट पृछताछ के पश्चात् संगठन को दिए गए सहायता अनुदान को वसूलने तथा वसूली गई राशि को वेतन और लेखा कार्यालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास भेजने का अनुरोध किया गया है।
6.	मदर इंडिया, गोरन्तला-515231, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	संबंधित जिले के डी.एम./डी.सी. से विशिष्ट पृछताछ के पश्चात् संगठन को दिए गए सहायता अनुदान को वसूलने तथा वसूली गई राशि को वेतन और लेखा कार्यालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास भेजने का अनुरोध किया गया है।
7.	नन्दिनी ग्राल विकास एंड ग्रामीण ग्रामोद्योग सेवा समिति, ग्राम पावर्ती, पोस्ट आफिस हरवंशपुर, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश	संबंधित जिले के डी.एम./डी.सी. से विशिष्ट पृछताछ के पश्चात् संगठन को दिए गए सहायता अनुदान को वसूलने तथा वसूली गई राशि को वेतन और लेखा कार्यालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास भेजने का अनुरोध किया गया है।

दूरदर्शन के लिए माइक्रोवेव मल्टी-प्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू करना

1581. श्री पवन कुमार बंसल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन हेतु माइक्रोवेव मल्टी-प्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (एम.एम.डी.एस.) लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली का लाभ लेने हेतु जनता को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा; और

(ग) एम.एम.डी.एस. का लक्ष्य कितनी जनसंख्या को शामिल करने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पेट्रोल पंपों पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा व्यय की गयी आरक्षित निधियां

1582. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने सभी पेट्रोल पंपों पर महंगे गजेट्स व प्रचार उपकरणों को स्थापित करने हेतु अपनी आरक्षित निधियों और लाभों को अनावश्यक रूप से व्यय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पेट्रोल पंपों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों पर इस प्रकार का उन्नयन आवश्यक था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार के अनावश्यक व्यय के पीछे के अप्रत्यक्ष मंसूबों की जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तेल कंपनियों द्वारा ऐसे व्यय रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को पूरा करने के लिए तेल विपणन कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु खुदरा बिक्री केन्द्रों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिकीकरण करने की कार्रवाई आरंभ की है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत खुदरा बिक्री केन्द्रों में कंनोपी, बहु उत्पाद पंपों, हवा भरने वाले अंकीय यंत्रों, स्नेहक मिश्रण ईंधन वितरण के लिए पहले से मिश्रित पंपों आदि जैसी ग्राहकों के लाभ वाली उन्नत सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। यह एक ऐसी सतत् प्रक्रिया है जिसकी प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में बाजार नेतृत्व बनाए रखने के लिए जरूरत होती है। खुदरा बिक्री केन्द्रों का आधुनिकीकरण बढ़ती हुई ग्राहक आवश्यकताओं और स्थान की अपेक्षा को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक परिस्थितियों और बिक्री संभाव्यता के आधार पर निवेश पर प्रतिलाभ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आईओसी के प्रति खुदरा बिक्री केन्द्र के आधुनिकीकरण की अनुमानित लागत 20-25 लाख रुपए है।

(घ) और (ङ) अनिवार्य व्यय वाणिज्यिक परिस्थितियों और बिक्री संभाव्यता के आधार पर निवेश पर प्रतिलाभ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और ऐसी पहलें नियंत्रणमुक्त परिदृश्य का सामना करने के लिए समग्र विपणन कार्यनीतियों की सफलता हेतु महत्वपूर्ण हैं। इससे ऐसे अनावश्यक व्यय में संलिप्त होने के अप्रत्यक्ष उद्देश्यों की जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

अंडमान क्षेत्र में चोरी (पायरेसी)

1583. **श्री वाई.वी. राव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान क्षेत्र में अवैध शिकार और चोरी (पायरेसी) के मामले बढ़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने हेतु क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्य पिछड़े वर्ग के लिए रोजगार के अवसर

1584. **श्री पी.डी. एलानगोवन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने मंत्रालय के विभिन्न विभागों, स्वायत्त कार्यालयों, आनुषंगिक और सम्बद्ध कार्यालयों में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश मामलों में, खासकर समूह 'क' और 'ख' में कुल संख्या की तुलना में अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या अपेक्षित संख्या से बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने अपने मंत्रालय के अनेक विभागों, स्वायत्त कार्यालयों, आनुषंगिक और संबद्ध कार्यालयों से समूह क, ख, ग और घ में अन्य पिछड़े वर्ग की वर्तमान स्थिति के संबंध में कोई ब्यौरा मांगा है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (च) सरकार की घोषित नीति को दृष्टि से, सितम्बर, 1993 से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों/सेवाओं के सभी समूहों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रयोज्य है। मौजूदा निर्देशों के अनुसार, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को मंत्रालय में सभी पदों/सेवाओं में जहां ऐसा आरक्षण है, के संदर्भ में दिनांक 2.7.1999 से लागू पद आधारित रोस्टरों में उद्दिष्ट किया गया है। इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संबद्ध/आनुषंगिक कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पद आधारित रोस्टरों में समूह क, ख, ग और घ के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उद्दिष्ट क्रमशः 171, 645, 3610 और 1338 पदों में से दिनांक 6.3.2003 को क्रमशः 93, 92, 1655 और 656 पद वास्तविक रूप में खाली थे।

केन्या की पाइपलाइन कंपनी

1585. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्या पाइपलाइन कंपनी ने इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की क्षमताओं में गहरी रुचि दिखाई है और अपनी पाइप-लाइन प्रणाली के विस्तार को चुस्तदुरुस्त बनाने के लिए 500 अग्रणी विशेषज्ञ कंपनियों का उपयोग करने की संभावनाओं की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्या पाइपलाइन कार्पोरेशन से किसी शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया है और आईओसीएल के अधिकारियों से बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भावी सौदे हेतु दोनों कंपनियां किन-किन मदों पर सहमत हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) जी, हां। कीनियन पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड (केपीसीएल) ने अपनी पाइपलाइन प्रणाली के जीर्णोद्धार एवं विस्तार के संबंध में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की विशेषज्ञता हासिल करने में रुचि व्यक्त की है। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा वरिष्ठ कीनियाई अधिकारियों, जिन्होंने नवंबर, 2003 के दौरान इंडियन आयल कार्पोरेशन का दौरा किया था, के बीच प्रारंभिक वार्ताएं आयोजित की गई हैं। भविष्यगत सहयोग के लिए अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है।

भेल केन्द्रों में भ्रष्टाचार

1586. **श्री पी.डी. एलानगोवन** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ठेकों और अन्य कार्यों को दिए जाने के संबंध में देश में "भेल" के विभिन्न केन्द्रों में कई तथाकथित भ्रष्ट पद्धतियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में सतर्कता विभाग की जानकारी में भेल के किसी अन्य कार्यालय में ऐसे कदाचार और भ्रष्ट पद्धति आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) वर्तमान में, अन्वेषण तथा विभागीय जांच के विभिन्न स्तरों पर भेल में भ्रष्टाचार के आरोपों के 117 मामले हैं। उपचारात्मक उपाय के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :-

1. भेल ने ठेका देने तथा अन्य जॉब कार्यों से संबंधित निर्णय लेने वाली कार्रवाई में कार्यकारियों के मार्गदर्शन के लिए विस्तृत खरीद नीति तथा कार्य नीति जारी की थी।

2. कर्मचारियों को अद्यतन प्रणालियों तथा कार्यों से अवगत कराने के लिए उन्हें आवधिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए बारम्बार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है।

3. प्रणाली को और अधिक सुधारने तथा इसे व्यवहारिक बनाने के लिए विशिष्ट प्रणाली अध्ययन किया जाता है।

4. जारी की गई प्रणाली/प्रक्रिया में चूक से बचने के लिए आकस्मिक निरीक्षण किये जाते हैं।

5. किसी भी प्रकार का दोष पाये जाने पर कर्मियों पर दण्ड भी लगाए जाते हैं।

कुल मिलाकर, विगत तीन वर्षों के दौरान 63 बड़े दण्ड तथा 96 लघु दण्ड लगाए गए हैं।

आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टरों का निर्यात

1587. **श्री अम्बरीश :**
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने भारत के स्वदेशी आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने में अपनी गहरी रुचि दिखायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन एवं शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर की क्षमताओं के बारे में ब्यौरा अमरीकी सीमा शुल्क विभाग को प्रस्तुत किया गया है। किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

रेल की पटरी से प्रस्फोटकों का पता लगाना

1588. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 25 अगस्त 2003 को मुंबई में हुए दो बम विस्फोटों के कुछ घंटों बाद नासिक से लगभग 60 कि.मी. दूर रेल की पटरी से 100 से अधिक प्रस्फोटक बरामद किए गए थे, जिससे ठीक एक घंटे बाद वहां से कुम्भ तीर्थयात्रियों को ले जाने वाली रेल गुजरने वाली थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त स्थान से प्रस्फोटकों के मिलने के संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच का परिणाम क्या निकला है और जांच रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) और (ख) रेलों पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराध को कम करना राज्य सरकारों की प्रमुख जिम्मेदारी है। "पुलिस व्यवस्था" राज्य सरकार का विषय होने से चलती रेलगाड़ियों सहित रेलों पर अपराध को रोकना तथा उसका पता लगाना राजकीय रेलवे पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

रेलों से प्राप्त सूचना के अनुसार, कोई डेटोनेटर्स नहीं मिले थे। बहरहाल, मुंबई में दो बम विस्फोटों के बाद 25.8.2003 को 18.30 बजे कसारा-इगतपुरी खण्ड में कि.मी. 124/74 तथा 130/60 के बीच रेलपथ मे पटाखे (क्रेकर्स) बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले लो एल्यूमिनियम विस्फोटक पाउडर वाले लगभग 40 अदद विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए थे। उस समय के आसपास वहां से कुंभ मेला स्पेशल गाड़ी ने नहीं गुजरना था।

(ग) और (घ) पुलिस व्यवस्था राज्य सरकार का विषय होने से चलती रेलगाड़ियों सहित रेलों पर अपराध को रोकना तथा उसका पता लगाना राजकीय रेलवे पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी है। रेलों पर अपराध के मामले राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा रिपोर्ट और दर्ज किए जाते हैं, तथा उनकी छानबीन की जाती है।

बहरहाल, रेलों से प्राप्त सूचना के अनुसार, राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन/इगतपुरी ने दिनांक 26.8.2003 को विस्फोटक अधिनियम 4 एवं 5 तथा रेल अधिनियम 150 के अंतर्गत अपराध सं. 0/2003 के तहत एक मामला दर्ज किया है तथा बाद में इस मामले को क्षेत्राधिकार के आधार पर कसारा ग्रामीण, पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिन्होंने अपराध सं. 10/2003 के तहत एक मामला दर्ज किया था।

पीजीसीआई द्वारा संचालित लोड डिस्पैच सेंटर

1589. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावरग्रिड कारपोरेशन (पीजीसी) योजना आधुनिकीकरण, संचार प्रणालियों और लोड डिस्पैच सेंटरों पर कर्मचारियों की तैनाती आदि के मामले में समान दृष्टिकोण हेतु अमरीका, ब्रिटेन और मलेशिया में विद्युत प्राधिकारियों से परामर्श कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका, ब्रिटेन और मलेशिया अपने देशों में ग्रिड प्रबंधन में भारतीय विद्युत अभियंताओं को शामिल करने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और उसका परिणाम क्या निकला है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ-साथ विश्व के अन्य भागों के विद्युत विशेषज्ञों ने भी पावरग्रिड के अधिकारियों के साथ विभिन्न मंचों पर बातचीत के दौरान अपने व्यापक नेटवर्क के कारण भारतीय ग्रिड प्रबंधन प्रयोगों में गहरी रुचि दिखाई है। हालांकि, इस संबंध में सरकार को या पावरग्रिड को कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

लोकटक अनुप्रवाह जल विद्युत परियोजना की स्थिति

1590. **श्री एम.के. सुब्बा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए आरंभ की गई 4 बड़ी विद्युत परियोजनाओं में से तीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है और चौथी परियोजना नामत: लोकटक अनुप्रवाह जल विद्युत परियोजना अभी भी लटकी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा और लागत क्या है और लोकटक अनुप्रवाह जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति सहित प्रत्येक विद्युत परियोजना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के अंतर्गत निम्नलिखित स्कीमों/परियोजनाओं का विकास-कार्य शुरू किया गया है:-

1. केन्द्रीय क्षेत्र में दो जल विद्युत परियोजनाओं को अनुमोदन :
   (i) लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना (90 मे.वा.), मणिपुर
   (ii) तीस्ता जल विद्युत परियोजना (510 मे.वा.), सिक्किम
2. सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (600 मे.वा.), अरुणाचल प्रदेश का 2001 में क्रियान्वयन शुरू करने हेतु अग्रिम कार्रवाई।
3. 500 जनजातीय गांवों के विद्युतीकरण की नई स्कीम का वित्तपोषण रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा किया जाना है।
4. निर्माणाधीन विशिष्ट पारेषण/उप-पारेषण प्रणाली को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी है।

उपर्युक्त परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के अंतर्गत स्कीमों/परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	परियोजना/स्कीम की स्थिति
1	2	3
1.	लोकतक डाउनस्ट्रीम एचईपी (90 मे.वा.) मणिपुर	परियोजना को 578.60 करोड़ रु. की लागत पर एनएचपीसी द्वारा क्रियान्वयन हेतु साढ़े छह वर्षों में पूरा करने के लिए 30.12.1999 को अनुमोदित किया गया। कानून-व्यवस्था की समस्या के कारण सक्रिय रूप से क्रियान्वयन/कार्य शुरू नहीं किया जा सका, जिससे परियोजना की लागत (सुरक्षा लागत भी परियोजना लागत का भाग है) में काफी वृद्धि हुई।
2.	तीस्ता एचईपी चरण-5 (510 मे.वा.) सिक्किम	परियोजना को 10.01.2000 को 2198.04 करोड़ रु. की लागत पर एनएचपीसी द्वारा क्रियान्वित करने तथा 84 महीने में पूरा करने की शर्त पर अनुमोदित किया। सिविल कार्य निर्धारित समयानुसार चल रहे हैं और हेड रेस टनल हेडिंग का 60% कार्य पूरा हो गया है। पावर हाउस एवं ट्रान्सफार्मर केवर्न की खुदाई हो चुकी है।

1	2	3
3.	सुबानसिरी लोअर एचईपी (2000 मे.वा.) अरुणाचल प्रदेश	परियोजना की क्षमता अब 8×250=2000 मे.वा. है। परियोजना को 9.9.2003 को 6285.33 करोड़ रु. की लागत पर तथा अनुमोदन मिलने से 7 वर्ष के भीतर एनएचपीसी द्वारा क्रियान्वयन किए जाने की शर्त पर अनुमोदित किया गया। ढ़ांचागत कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। मुख्य सिविल कार्य सौंपे जा रहे हैं और सिविल कार्य शीघ्र शुरू होने की आशा है।
4.	पूर्वोत्तर राज्यों में 500 जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण	जनजातीय गांवों के विद्युतीकरण के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल से केन्द्रीय सहायता के रूप में 12.96 करोड़ रु. की सहायता अनुदान दिया गया है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए है:-

(करोड़ रुपये में)

राज्य	जनजातीय गांवों की संख्या	निधि की कुल आवश्यकता	राशि (प्रथम किस्त)	वास्तविक प्रगति
अरुणाचल प्रदेश	60	8.97	4.48	2001-02 में 34 गांव विद्युतीकृत। शेष 26 गांवों में कार्य प्रगति पर है।
असम	20	1.35	0.68	10 गांव विद्युतीकृत। 10 गांवों में कार्य प्रगति पर है। शेष 10 गांवों में कार्य प्रगति पर है।
मेघालय	10	1.49	0.75	3 गांव विद्युतीकृत। 27 गांवों में कार्य प्रगति पर है और 30 गांवों में कार्य बाद में शुरू किया जाएगा।
नागालैंड	2	0.70	0.35	सभी 10 गांव विद्युतीकृत।
मिजोरम	3	0.68	0.34	कार्य प्रगति पर है।
मणिपुर	60	11.29	5.64	कार्य प्रगति पर है।
त्रिपुरा	10	1.44	0.72	5 गांव विद्युतकृत। शेष 5 गांवों में कार्य प्रगति पर है।
कुल	165	25.92	12.96	

शेष 335 गांवों का विद्युतीकरण केन्द्र सरकार की अन्य स्कीमों, यथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि के अंतर्गत किया जाएगा।

1	2	3
5.	निर्माणाधीन महत्वपूर्ण पारेषण/उप-पारेषण प्रणाली के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।	अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित चार स्कीमें पूरी की ली गई हैं और शेष स्कीमों का कार्य प्रगति पर है, 1. नहलगांव में 2 × 5 एमवीए सब-स्टेशन 2. निरजूली में 2 × 3.15 एमवीए सब-स्टेशन 3. ओल्ड जीरो में 2 × 5 एमवीए सब-स्टेशन 4. ओल्ड जीरो से टेगो तक 33 केवी एक्सप्रेस सिक्किम में कार्य प्रगति पर है। टेडांग उप-केन्द्र का रेफरल हास्पिटल के लिए संवर्द्धन कार्य पूरा कर लिया गया है। अन्य राज्यों, यथा असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में कार्य प्रगति पर है।

निजी क्षेत्र द्वारा आयुध अस्त्रों का निर्माण

1591. **श्री जी.एस. बसवराज :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा विशेषज्ञों ने आयुध अस्त्र निर्माण को निजी क्षेत्र के लिए खोलने पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में हाल ही के बम विस्फोटों में वाणिज्यिक विस्फोटों का इस्तेमाल करने का समाचार मिला था;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा घातक हथियारों जैसे मिसाइलों, टारपीडों, बंदूकों के निर्माण की अनुमति देने तथा उन हथियारों के उग्रवादियों के हाथों में जाने की विशेषज्ञों ने आशंका जताई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार निजी क्षेत्र के लिए हथियार विनिर्माण खोल दिए जाने को लेकर चिंता जाहिर करने से संबंधित किसी सुरक्षा विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, प्रारंभिक जांचों से यह पता चला है कि देश में हाल ही में हुए बम विस्फोटों में वाणिज्यिक विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार विशेषज्ञों की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें इस प्रकार की आशंका व्यक्त की गई हो। तथापि, रक्षा क्षेत्र हेतु अपेक्षित हथियार तथा गोलाबारूद के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के संबंध में औद्योगिक नीति तथा प्रोत्साहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुज्ञप्ति के अंतर्गत निजी विनिर्माताओं द्वारा हथियार तथा गोलाबारूद के उत्पादन एवं बिक्री की रक्षा मंत्रालय द्वारा मॉनीटरी हो तथा रक्षा मंत्रालय की पूर्वानुमति के बिना कोई बिक्री न हो, सरकार ने पर्याप्त सुरक्षोपाय समाविष्ट किए हुए हैं।

मिट्टी के तेल में मिलावट

1592. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बेचे जाने वाले मिट्टी के तेल में मिलावट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा मिट्टी के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मिट्टी के तेल के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध से बाजारों में शुद्ध मिट्टी के तेल की उपलब्धता कहां तक सुनिश्चित हो सकेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ङ) देश में बेचे जाने वाले मिट्टी तेल की मिलावट के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

समानान्तर विपणनकर्ताओं के रिपोर्ट किए गए गैर-कानूनी कार्यकलापों के मद्देनजर सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई अपनी दिनांक 25.11.2003 की अधिसूचना द्वारा मिट्टी तेल के आयात संबंधी निर्यात-आयात नीति में संशोधन किया है। इसके अनुसार मिट्टी तेल के आयात की अनुमति राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से दी जाएगी।

[हिन्दी]

दक्षेस के सूचना मंत्रियों का सम्मेलन

1593. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
श्री वी. वेत्रिसेलवन :
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री राम मोहन गाह्डे :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दक्षेस के सूचना मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उन पर क्या अन्तिम निर्णय लिए गए;

(ग) क्या उक्त सम्मेलन में पाकिस्तान के एक मंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री और उप-प्रधान मंत्री के विरुद्ध कुछ टिप्पणियां कीं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) बैठक के दौरान भारत ने 2004 में संपादकों और कार्यशील पत्रकारों का दूसरा सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव किया था। भारत ने सार्क देशों को प्रशिक्षण संस्थानों में 12 सीटें देने का भी प्रस्ताव किया था। सदस्य देशों से पार-राष्ट्रीय उपग्रह प्रसारण सम्बन्धी मानक दिशा-निर्देशों पर अपनी टिप्पणियां शीघ्र देने के लिए कहा गया था। बैठक में मीडिया कार्मिकों को क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने-जाने का भी समर्थन किया गया था। नेपाल में सार्क सूचना केन्द्र की मेजबानी करने और भूटान में सार्क सूचना केन्द्र मंत्रियों की चौथी बैठक आयोजित करने पर सहमति हुई थी। भारत ने नियमित आधार पर सार्क फिल्म समारोह की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया था।

(ग) और (घ) यह दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री मि. शेख रशीद अहमद ने तृतीय सार्क सूचना मंत्री सम्मेलन के लिए उनके भारत दौरे के दौरान द्विपक्षीय सम्बन्धों, भारत और कुछ प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां कीं। सूचना और प्रसारण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 14 नवम्बर, 2003 को अपने वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि पाकिस्तानी मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियां ठीक नहीं थी और सार्क की भावना के अनुकूल नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी क्योंकि इसे दोनों देशों (भारत और पाकिस्तान) के लोगों का समर्थन प्राप्त था।

[अनुवाद]

रेल विभाग में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1594. **श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कमलनाथ :
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने चुनिंदा कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ कोई मंत्रणा की है;

(घ) यदि हां, तो इन संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) उक्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(च) उक्त योजनों के कार्यान्वयन के बाद विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) और (ख) योजना के ब्यौरों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी, हां। रेलों पर संगठित फेडरेशनों के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

(घ) फेडरेशनों ने योजना का व्यापक तौर पर समर्थन किया है तथा सहमति दे दी है।

(ङ) योजना को शीघ्र ही लागू कर दिए जाने की संभावना है।

(च) चूंकि योजना स्वैच्छिक प्रकृति की है अत: संख्या बताना संभव नहीं है।

पारादीप पत्तन से हल्दिया तक कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछाना

1595. **श्री प्रबोध पण्डा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने पारादीप पत्तन से हल्दिया तक कच्चा तेल ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है;

(घ) उक्त परियोजना के लिए कितना धन आबंटित किया गया है; और

(ङ) परियोजना के कब तक आरंभ और पूरा किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। आईओसीएल ने पारादीप पत्तन के पास सिंगल प्वाइंट मूरिंग (एसपीएम) प्रणाली के साथ पारादीप से हल्दिया तक 11 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) क्षमता की पाइपलाइन बिछाने का निर्णय लिया है।

(ग) से (ङ) पाइपलाइन की कुल लंबाई लगभग 330 कि.मी. है जिसकी लागत लगभग 1150 करोड़ रुपए है। परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनुमोदन जारी होने की तारीख से 24 महीनों के भीतर इस परियोजना को पूरा किए जाने की संभावना है।

कोचिंग टर्मिनल

1596. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शालीमार में कोचिंग टर्मिनल का कार्य पूरा किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी और शालीमार से चलने वाली रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चितपुर में कोचिंग टर्मिनल का कार्य आरंभ किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेल विभाग ने पदमपुकुर को कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित करने संबंधी व्यवहार्यता की भी जांच की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) और (ख) प्रथम चरण में, दो प्लेटफार्म, प्लेटफार्म शेल्टर तथा उपरि पैदल पुल सहित बना दिए गए हैं। इस समय एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ी तथा 10 जोड़ी लोकल गाड़ियां शालीमार से/की ओर चल रही है।

(ग) और (घ) योजना बनाने तथा आकलन तैयार करने जैसे प्रारंभिक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। आकलित व्यय की स्वीकृति प्रक्रियाधीन

है। आंशिक कार्यों के लिए निविदाओं की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

(ङ) और (च) संबद्ध सुविधाओं सहित कोलकाता क्षेत्र में शालीमार को उपनगरीय तथा पदमपुकुर को गैर-उपनगरीय टर्मिनल के रूप में विकसित करने के लिए एक प्रारंभिक इंजीनियरिंग-सह-यातायात सर्वेक्षण को अभी हाल ही में मंजूरी दे दी गई है।

कर्नाटक में पुलों का निर्माण

1597. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष (2003-04) के दौरान कर्नाटक में सोलह महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) अभी तक कितनी राशि जारी की गई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजना-वार निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) रेलवे पुलों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन की स्वीकृति और पुल कार्यों की प्रगति पर निगरानी जोन-वार रखी जाती है, न कि राज्य-वार। भारतीय रेलवे पुल नियमावली के प्रावधान के अनुसार जिन रेलवे पुलों का कुल 1000 घन मीटर जलमार्ग होता है या 300 मीटर से अधिक लीनियर जलमार्ग होता है, उन पुलों को महत्वपूर्ण पुलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आने वाली दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और मध्य रेलवे पर वर्ष 2003-04 के दौरान किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण पुल के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है।

इसी प्रकार वर्ष 2003-04 के दौरान, कर्नाटक राज्य में किसी उपरि सड़क/निचले सड़क पुल का कार्य स्वीकृत नहीं हुआ था। बहरहाल, निर्माण कार्यक्रम (2004-05) के अंतर्गत उपरि सड़क/निचले सड़क पुल के निर्माण कार्यों को लागत भागीदारी के आधार पर शुरू करने के लिए कर्नाटक सरकार और द.प. रेलवे के अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान उन 8 समपारों की पहचान की गई है जिनकी गाड़ी वाहन इकाई (टीवीयू) 1 लाख से अधिक है। कर्नाटक सरकार द्वारा मौजूदा नियमों के अनुसार पूर्वापेक्षाओं को विधिवत रूप से पूरा करते हुए ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हैं। इन 8 समपारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	समपार संख्या	खंड	मंडल	टीवीयू
1.	4	बंगलोर कैंट-नयांदाहल्ली	बंगलोर	155710
2.	5	बंगलोर कैंट-नयांदाहल्ली	बंगलोर	328601
3.	10	नयांदाहल्ली-कंगेरी	बंगलोर	141220
4.	27	राजनकुंटी-दोदबलापुर	बंगलोर	196384
5.	32	दोदबलापुर-ओडाराहल्ली	बंगलोर	106442
6.	41	क्यातासंद्रा-तुमकुर	बंगलोर	111228
7.	133	व्हाइटफील्ड-कृष्णाराजापुरम	बंगलोर	246840
8.	383	दुण्डारा-बागुप्रा	हुबली	113184

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों का रणनीतिक भंडारण

1598. **श्री अनन्त नायक :**
श्री विनय कुमार सोराके :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रणनीतिक प्रयोजनों हेतु पेट्रोलियम उत्पादों की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए त्रिपक्षीय योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल का 90 दिनों का आवश्यक रणनीतिक भंडारण उपलब्ध है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार पेट्रोलियम उत्पादों विशेषकर रसोई गैस का कितने दिनों का भंडारण करती है;

(घ) क्या भंडारण क्षमता में धीरे-धीरे वृद्धि की जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो त्रिपक्षीय योजना और इसकी लागत का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए अमरीका से तकनीकी जानकारी प्राप्त की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ङ) तेल कंपनियों के पास कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की वर्तमान भंडारण क्षमता लगभग 2 महीने के लिए संयुक्त भारित औसत सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। जहां तक एलपीजी का संबंध है तेल उद्योग ने 5 करोड़ रुपये प्रति टीएमटी (हजार मीट्रिक टन) की अनुमानित लागत पर वर्ष 2006-07 तक 45 दिन का समग्र सुरक्षा कवर बनाने के लिए अतिरिक्त भंडारण की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है।

तेल कंपनियों के पास कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मौजूदा भंडारण क्षमता के अतिरिक्त सरकार 45 दिन के लिए सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए धीरे-धीरे कच्चे तेल का कार्यनीतिक भंडार बनाने पर विचार कर रही है। चरण-1 में 15 दिन के भंडारण का प्रस्ताव है।

(च) और (छ) यू.एस.ए. सहित विभिन्न देशों में कार्यनीतिक तेल भंडारण कायम रखने वाली पद्धतियों का अध्ययन देश में कच्चे तेल के पूर्वोक्त कार्यनीतिक भंडारण की स्थापना की सुविधा के उद्देश्य से किया गया है।

तटरक्षकों की कार्यकुशलता में सुधार

1599. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटरक्षक बल में भारतीय नौसेना से आए कुछ अधिकारी हैं;

(ख) क्या अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि तटरक्षक बल के विस्तृत आधार के लिए इस प्रतिशत में वृद्धि की जानी चाहिए;

(ग) तटरक्षक बल प्रतिभा और अपेक्षित कार्मिकों से कहां तक वंचित है;

(घ) क्या सरकार का तटरक्षक अधिकारियों की कार्यकुशलता में सुधार और वृद्धि करने के लिए उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) तटरक्षक बल और नौसेना में अधिक संपर्क और कार्मिक आदान-प्रदान के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तटरक्षक बल में प्रतिभा की कमी नहीं तथा अधिकारियों एवं भर्ती किए गए कार्मिकों की मौजूदा संख्या के साथ यह अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूरी तरह से सक्षम है। चिकित्सा अधिकारियों के पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाते रहेंगे क्योंकि तटरक्षक बल के पास मेडिकल संवर्ग नहीं है।

(घ) तटरक्षक बल के अधिकारियों की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा प्रशिक्षण व्यवस्था पर्याप्त है।

(ङ) विशेषज्ञता वाली नियुक्तियों में नौसेना के अधिकारियों की तटरक्षक बल में तथा तटरक्षक बल के अधिकारियों की नौसेना में प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है।

वाणिज्यिक मत्स्यन हेतु अनुमति

1600. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटरक्षक बल ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वाणिज्यिक मत्स्यन संबंधी कार्यों में लगाने के लिए अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) तटरक्षक बल द्वारा ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) तटरक्षक बल द्वारा ऐसी अन्यमनस्कता से बचने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में नाफ्था क्रैकर परियोजना

1601. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य :**
श्रीमती प्रभा राव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने गुजरात के कोयली में नाफ्था क्रैकर परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस परियोजना को स्थापित करने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना की क्षमता क्या है और इसके कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) आईओसीएल द्वारा नाफ्था क्रैकर परिसर की स्थापना करने के लिए किसी पक्के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

चलती हुई रेलगाड़ियों में इंटरनेट सेवाएं

1602. **श्री वाई.वी. राव** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने चलती हुई रेलगाड़ियों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ चुनी गई रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उक्त सेवा रेलगाड़ियों के सभी सवारी डिब्बों में प्रदान की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सेवा के प्रावधान से रेलयात्रियों को किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रेल टेल निगम लि., जो रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, 2003-04 के दौरान, पायलट परियोजना के रूप में एक गाड़ी में इंटरनेट सेवा मुहैया कराने की योजना बना रहा है। चलती गाड़ी में ऐसी सेवाओं के प्रावधान के लिए तुगलकाबाद-फरीदाबाद खण्ड पर प्रारंभिक तकनीकी परीक्षण पहले ही किए जा चुके हैं। वह गाड़ी तथा मार्ग जिस पर पायलट परियोजना कार्यान्वित की जाती है, को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) यह सुविधा प्रारंभ में चुनिंदा गाड़ी के एक सवारी डिब्बे में मुहैया कराई जाएगी।

(ङ) ऐसी गाड़ियों में, जहां ऐसी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए वीओआईपी (वॉयस ओवर आई पी) प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से अंतर्राष्ट्रीय काल करने के अलावा इंटरनेट तथा ई-मेल भेजना/प्राप्त करना संभव होगा।

अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा

1603. **श्री पी.डी. एलानगोवन** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के तहत अग्रणी अनुसंधान संस्थानों विशेषकर अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, मुम्बई को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन संस्थानों की सूची क्या है जिन्हें पहले ही मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा चुका है;

(ग) विगत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुसंधान संस्थानों को कितनी राशि आबंटित की गई है, उक्त के दौरान संस्थानों द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख परियोजनाएं अथवा कार्य किए गए;

(घ) उक्त अनुसंधान संस्थानों में समूह ''क'', ''ख'' और ''ग'' में अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इन अनुसंधान संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगता प्रक्षेत्र में राष्ट्रीय/शीर्ष स्तर की संस्थाओं को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के मामले को समय-समय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के साथ उठाया जाता रहा है। यह सहमति हुई कि राष्ट्रीय/शीर्ष स्तर के संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत किसी भी संस्था को, अभी तक मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं है।

(ग) गित तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किया गया व्यय और चालू वर्ष के लिए आबंटित बजट; संलग्न विवरण में दिया गया है। ये संस्थान अपने विशिष्ट क्षेत्रों में अग्रसर और दिशादाता हैं। राष्ट्रीय संस्थानों के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं—जनशक्ति विकास, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सेवा प्रदायी कार्यक्रमों के मॉडलों का विकास, आउटरीच क्रियाकलापों के माध्यम से न पहुंच वालों को सेवाएं उपलब्ध कराना तथा विकलांगता के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास।

(घ) और (ङ) इन संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों को सरकारी दिशा-निदेशों के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किया गया व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	2000-01 में किया गया व्यय	2001-02 में किया गया व्यय	2002-03 में किया गया व्यय	2003-04 का परिव्यय	2003-04 में 30.11.2003 की स्थिति के अनुसार किया व्यय
1.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता	3.32	3.97	4.46	5.66	4.16
2.	राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई	6.15	6.55	10.05	11.75	11.75
3.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद	5.30	5.67	8.14	10.89	5.45
4.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, नई दिल्ली	4.43	4.99	5.72	6.72	4.06
5.	राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कटक	6.68	6.90	8.26	10.57	9.80
6.	राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून	5.90	6.39	7.99	10.49	7.24

गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

1604. श्री के. येरननायडू : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि देने का प्रावधान करने की सलाह देने हेतु किसी सलाहकार समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार और अस्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) और (ख) जी, हां। श्री एस. सत्यम, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें पांच अन्य सदस्य हैं। सरकार को समिति की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रेल विकास कार्यक्रम हेतु निजी परामर्शदाता

1605. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विकास निगम लिमिटेड ने रेल विकास कार्यक्रम हेतु परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ निजी फर्मों का पैनल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परामर्शदात्री फर्मों के साथ हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त प्रत्येक फर्म को कितनी राशि का भुगतान किया जाना है; और

(ङ) इससे एन आर वी वाई परियोजना के सुधार करने में कितनी सहायता मिलेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) से (घ) रेल विकास निगम लि. (आरवीएनएल) द्वारा 17 परियोजनाओं के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की गई हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) रेल विकास निगम लि. को इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए संसाधन जुटाने का कार्य करना है। परामर्श सेवाएं बैंकों द्वारा वित्त पोषित परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए हैं।

विवरण

परियोजना का नाम	परामर्शदाता का नाम	मूल्य (रुपयों में)
1	2	3
पलवल-भूतेश्वर	अवसंरचना विकास निगम (कर्नाटक) लि.	16,00,000 (सेवा शुल्क सहित)
हस्तावरम-कृष्णापटनम	अवसंरचना विकास वित्त निगम	15,00,000+सेवा शुल्क (जैसा लागू हो)
अजमेर-फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी	वाक्सा कैपिटल	4,61,000+27,360 (पारिश्रमिक पर 8% सेवा शुल्क)
तुगलकाबाद-दादरी आईसीडी	राइट्स लि.	3,43,192
गोंडा-गोरखपुर लूप	राइट्स लि.	5,64,804
तंजावूर-विचुपुरम	अवसंरचना विकास वित्त निगम	15,00,000+सेवा शुल्क (जैसा लागू हो)

1	2	3
रेंगिया-मुर्कोंग-मलेख	अरनेस्ट एंड यंग	7,90,000+सेवा शुल्क (जैसा लागू हो)
जंक्शन केबिन-पलवल	राइट्स लि.	2,55,808
कुड्डालोर-सलेम बरास्ता वृद्धाचलम	अवसंरचना विकास वित्त निगम	15,00,000+सेवा शुल्क (जैसा लागू हो)
भरूच-सामनी-दहेज	वाक्श कैपिटल	6,10,000+31,920 (पारिश्रमिक पर 8% सेवा शुल्क)
वल्लारपड्डम-एड्डापल्ली	अवसंरचना विकास वित्त निगम	14,00,000+सेवा शुल्क (जैसा लागू हो)
कल्याण-कसरा	राइट्स लि.	5,79,111
दिल्ली-रेवाड़ी	वाक्श कैपिटल	4,91,000+27,360 (पारिश्रमिक पर 8% सेवा शुल्क)
चेन्नई बीच-अट्टीपट्टु	क्रिसिल	9,00,000 शुल्क सहित
सूरत-हजीरा	वाक्श कैपिटल	5,90,000+31,920 (पारिश्रमिक पर 8% सेवा शुल्क)
साहिबाबाद-आनन्द विहार	राइट्स लि.	2,86,768
ठाणे-दीवा	एसबीआई कैपिटल	9,95,000

स्काई बस परियोजनाओं के लिए धन पोषण

1606. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे देश में स्काई बस परियोजनाओं को आरंभ करने हेतु केन्द्रीय धन पोषण के लिए शहरी विकास मंत्रालय की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोंकण रेलवे निगम (के आर सी) द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी को आर डी एस ओ द्वारा संस्वीकृति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्काई बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न शहरों द्वारा अब तक प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजनाओं को पूरा करने हेतु अपेक्षित आवश्यक धन और पूरा होने में समय कितना लगेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) इस प्रौद्योगिकी के लिए भारत में 15 शहरों और विदेश में 7 शहरों ने रुचि जाहिर की है। प्रौद्योगिकी के प्रमाणित हो जाने पर ही निधि और समय का निर्णय लिया जाएगा। स्काई बस प्रणाली का अन्य नगरीय व्यापक द्रुत परिवहन प्रणालियों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होने का दावा किया जाता है। स्काई बस सड़क सरेखण का अनुसरण करती है। यह व्यापक परिवहन की उत्थापित प्रणाली है। इस प्रौद्योगिकी की स्वीकृति/मूल्यांकन अअमासं द्वारा नहीं किया गया है। इस समय उत्थापित मेट्रो की लागत 100 करोड़ रु. से 120 करोड़ रु. प्रति मार्ग कि.मी. के बीच पाई गई है। इसकी तुलना में, उसी स्तर के कार्य निष्पादन के लिए स्काई बस मैट्रो की लागत 45 से 50 करोड़ रु. प्रति मार्ग कि.मी. के बीच पड़ती है। स्काई बस के लिए अधिकतर भूमि की आवश्यकता नहीं होती है चूंकि यह सड़क के साथ-साथ चलती है और किसी भी शहर में इसका 2 से 3 वर्ष के भीतर निर्माण किया जा सकता है।

सामुदायिक रेडियो परियोजना

1607. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री वाई.वी. राव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व सामुदायिक रेडियो परियोजना की घोषणा की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अभी भी सुझाव प्राप्त कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रसार भारती द्वारा हाल ही में आयोजित एक बैठक में सामुदायिक रेडियो परियोजना हेतु कई सुझाव दिए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) सामुदायिक रेडियो की स्कीम का अनुमोदन सरकार द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 को किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

ईस्ट कोस्ट जोन

1608. **श्री अनन्त नायक :**
श्री के.पी. सिंहदेव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्ट कोस्ट रेलवे की कुछ इकाइयां/शाखाएं अन्य राज्यों/जोनों में स्थानांतरित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन इकाइयों/शाखाओं को स्थानांतरित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन इकाइयों के स्थानांतरण से रेलवे के विकास और ईस्ट कोस्ट जोन के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने और उन इकाइयों को भुवनेश्वर में ही पुन:स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे स्टेशनों के लिए नए अभिकल्प

1609. **श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की योजना नए अभिकल्प वाले रेलवे स्टेशन बनाने की है ताकि रेलगाड़ियों से निकास और उनमें प्रवेश आसान और अपेक्षाकृत कम जटिल हो सके;

(ख) क्या यात्रियों को रेलगाड़ियों तक पहुंचाने में लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है;

(ग) क्या रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या से निपटने तथा

असुविधाओं को दूर करने हेतु रेलवे स्टेशनों की योजना बनाने के लिए किसी अभिकल्प विशेषज्ञ से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नए अभिकल्प हेतु कौन से स्टेशन चयनित किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) रेलवे का यह सतत प्रयास रहता है कि सम्हाले जाने वाले यात्री यातायात की मात्रा के आधार पर स्टेशनों पर प्रवेश और निकास स्थल मुहैया कराया जाए। बहरहाल, रेलवे स्टेशनों के नए अभिकल्प का कोई विचार नहीं है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ओएनजीसी का अपतटीय आपरेशन

1610. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओएनजीसी के अपतटीय आपरेशन के संरक्षा और सुरक्षा की जांच हेतु स्वतंत्र जांच समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति हेलीकाप्टरों को किराये पर लेने की प्रक्रिया की भी जांच करेगी;

(ग) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(घ) इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति को सौंपे गए कार्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) इस समिति से अंतरिम रिपोर्ट 2 दिसंबर, 2003 को प्राप्त हुई है। आगे, समिति के अनुरोध पर इसके कार्यकाल को 17 फरवरी, 2004, जिस तारीख तक अंतिम रिपोर्ट मिलने की आशा है, तक बढ़ा दिया गया है।

विवरण

समिति के सौंपे गए कार्य निम्नवत् है:-

(1) अपतटीय प्रचालनों, विशेषतया वायु संभारतंत्र एवं निरीक्षण व्यवस्था संबंधी प्रचालनों के अंतर्गत जीवन संरक्षा एवं सुरक्षा।

(2) अपतटीय स्थापनाओं, संबंधित आधारभूत सुविधाओं, पाइपलाइनों इत्यादि का रखरखाव/मरम्मत/प्रतिस्थापन।

(3) उन परिस्थितियों, जिनके तहत दुर्भाग्यशाली हेलीकॉप्टर भाड़े पर लिया गया था, के उल्लेख के समेत, हेलीकॉप्टरों, विशेषतया एमआई-172 हेलीकॉप्टर, को भाड़े पर लेना।

(4) अपतटीय प्रचालन में काम पर लगे कार्मिकों की संरक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में ओएनजीसी द्वारा किए गए प्रयासों की उपयुक्तता।

(5) हेलीकॉप्टरों की दशा समेत सुरक्षा मामलों से संबंधित शिकायतों पर कृत कार्रवाई।

(6) उक्त (1) से (5) तक की मदों से संबंधित कोई करण त्रुटि एवं उसमें प्रबंधन की भूमिका, यदि कोई है।

(7) उपर्युक्त मामलों के संबंध में अपेक्षित अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक दोनों उपाय।

ओएनजीसी का एचपीसीएल में विलय

1611. **श्री जी.एस. बसवराज** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव ओएनजीसी का विलय एचपीसीएल के साथ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

डाभोल विद्युत परियोजना का पुनरुद्धार

1612. **श्री प्रबोध पण्डा :**
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का डाभोल विद्युत परियोजना के पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी कंपनी द्वारा इस कंपनी को शुरू करने के लिए तीन तरफा रण-नीतियां प्रस्तुत की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने भी उक्त परियोजना को पुन: चालू करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र सरकार, केन्द्रीय सरकार के संगठनों और उपभोक्ताओं को बिजली किस दर पर दी जाएगी और परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (च) मई, 2001 में डाभोल विद्युत परियोजना के बंद हो जाने के बाद परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के नेतृत्व में भारतीय वित्तीय संस्थानों और महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। परियोजना को पुनर्जीवित करने व उसकी पुनर्संरचना तैयार करने की नीति बनाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा एक औपचारक सलाहकार समिति (आईएसी) का गठन किया जाना एक नवीनतम पहल है। विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया है कि समिति ने संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है और परियोजना पुनर्गठन एवं पुनर्जीवन हेतु समिति वैकल्पिक उपायों पर भी विचार कर रही है। इस बारे में प्रस्ताव विशेष को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

यूरोपीय तेल क्षेत्रों में ओएनजीसी की भागीदारी

1613. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओएनजीसी विदेश लि. यूरोपीय तेल क्षेत्रों में हिस्सेदारी लेने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ओएनजीसी विदेश द्वारा विचार किए जाने वाले यूरोपीय प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ओएनजीसी विदेश के यूरोप में उच्च लागत वाले तेल क्षेत्रों में प्रवेश के पीछे क्या रणनीति है;

(घ) क्या किसी बाहरी एजेंसी ने ऐसे यूरोपीय उद्यमों में शामिल होने हेतु ओएनजीसी विदेश की रणनीति और व्यवसायिक समझ का आंकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) वर्तमान में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) का यूरोपीय तेल क्षेत्रों के अंतर्गत साझेदारी हासिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रुग्ण पी.एस.यू. को वित्तीय सहायता

1614. **डा. जसवंतसिंह यादव :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार, बंटीकरण अथवा पूंजीविनिवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता अथवा पैकेज का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र में उपक्रमवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पैकेज में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार कितनी धनराशि समाहित है; और

(घ) इस पैकेज से रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के पुनरुद्धार में कितनी सहायता मिलेगी?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से

(घ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति इस प्रकार है :-

(i) सभी गैर-रणनीतिक सरकारी उद्यमों में सरकार की इक्विटी 26% तक और यदि आवश्यक हो तो उससे भी कम करना।

(ii) जिन उद्यमों को अर्थक्षम बनाना सम्भव हो उनकी पुनर्संरचना करना तथा उनका नवीकरण करना।

(iii) जिन उद्यमों का नवीकरण सम्भव नहीं हो उन्हें बन्द करना।

(iv) कामगारों के हितों की पूरी रक्षा करना।

इस नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों का विनिवेश प्रत्येक मामले के आधार पर करती है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण/घाटा उठाने वाले उद्यमों के नवीकरण/बन्दीकरण, यदि कोई हो, हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित पैकेजों को अन्तिम रूप देने से सम्बन्धित प्रस्ताव या तो सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी ओर से अथवा बी.आई.एफ.आर. की अनुशंसाओं के आधार पर किए जाते हैं। ऐसे सरकारी उपक्रमों को रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां अधिनियम, (एस.आई.सी.ए.), 1985 के अंतर्गत बी. आई.एफ.आर. को सौंपा जाता है, ताकि उनके नवीकरण/पुनर्स्थापन के लिए प्रत्येक मामले के आधार पर उपयुक्त योजनाएं बनाई जा सकें। यह एक सतत प्रक्रिया है और ऐसी जानकारी किसी एक स्थान पर नहीं रखी जाती है।

पे-चैनलों के लिए विज्ञापनों से आय

1615. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री सुरेश चन्देल :
श्री महेश्वर सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पे-चैनल एक ओर तो विज्ञापन एजेंसियों से पैसा कमा रहे हैं और दूसरी ओर दर्शकों से केबल आपरेटरों के माध्यम से पैसा वसूलते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव सभी पे-चैनलों की विज्ञापनों से आय के संबंध में नियमों को पुन: परिभाषित करने के लिए एक कानून लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कार्यवाही करने पर विचार किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के, उपबंध और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम इस पहलू से संबंधित नहीं है।

(ग) से (ङ) पे-चैनलों के विज्ञापन के विनियमन का मामला जांचाधीन है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(क) (एक) मजगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मजगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन। लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 8202/2003]

(ख) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 8203/2003]

(ग) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 8204/2003]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 102 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 908 (अ) जो 6 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के विभाजन की स्कीम का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(2) उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के विभाजन के बारे में सरकार की राय की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 8205/2003]

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतिश कुमार) : महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) मुम्बई रेलवे विकास कारपोरशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) मुम्बई रेलवे विकास कारपोरशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 8206/2003]

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सेन्टर फार विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सेन्टर फार विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 8207/2003]

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 8 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 715 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 8208/2003]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(क) (एक) स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 8209/2003]

(ख) (एक) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 8210/2003]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 8211/2003]

(घ) (एक) रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 8212/2003]

(ङ) (एक) एन्ड्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एन्ड्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 8213/2003]

(च) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2002-2003 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 8214/2003]

(2) स्कूटर इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8215/2003]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : महोदय, मैं आटो फ्यूल पालिसी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 8216/2003]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : महोदय मैं नेशनल हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 8217/2003]

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

सत्ताईसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संबंध में "केन्द्रीय मेडिकल संस्थानों एवं कालेजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रवेश में आरक्षण सहित उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

के लिए आरक्षण एवं रोजगार के बारे में 65वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही'' के संबंध में समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, जिनका नाम लिस्ट में है, कल वे नहीं बोल पाए।

अध्यक्ष महोदय : कल चर्चा नहीं हो सकी, अब प्राइम मिनिस्टर का रिप्लाई होगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : कल सदन में कोरम नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : हाउस में कोरम बनाए रखना सभी सदस्यों का काम है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : किसी ने कोरम का सवाल उठा दिया था इसलिए हम अपनी बात नहीं रख सके।

अध्यक्ष महोदय : पप्पू यादव जी, आप जानते हैं कोरम बनाए रखना सभी सदस्यों का काम है इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर जी को रुकने को नहीं कह सकता।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : इसकी गम्भीरता को समझा जाए।

अध्यक्ष महोदय : गम्भीरता यह है कि हम नियुक्त सदस्य हैं, जनता हमें चुनकर यहां भेजती है इसलिए हम सब सदस्य अगर कोरम नहीं बनाए रख सकते तो इसकी निंदा होनी चाहिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : वही मैं कह रहा हूं कि इसलिए इसकी निंदा होनी चाहिए।

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : सर, जीरो-आवर का क्या होगा? कटाव है, बाढ़ है, सूखा है, किसानों की समस्याएं हैं, इनका क्या होगा? क्या केवल जुदेव पर ही सब चलता रहेगा। आप जीरो-आवर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं जीरो-आवर नहीं ले रहा हूं। मैं श्री अजय चक्रवर्ती को सुनना चाहता हूं।

श्रीमती रेनु कुमारी : क्या एक ही चीज रेज होती रहेगी?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम) : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे एक मिनट बोलने दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको एक मिनट बोलने के लिए दिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री के. मलयसामी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतनी गंभीर स्थिति को प्रस्तुत करने का मौका दिया। मैं आपका विशेषकर आभारी हूं क्योंकि आपने मुझे अपनी बात कहने की अनुमति तब दी जब माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उपप्रधानमंत्री यहां उपस्थिति हैं।

यह सन्दर्भ उस गंभीर स्थिति के बारे में है जो मलेशिया के जेलों में बंद पड़े हमारे आठ युवा भारतीयों से उत्पन्न हुई है। इतना ही नहीं मालद्वीप में भी लोग बंद पड़े हुए हैं। हाल में सिंगापुर, अफगानिस्तान, मलेशिया और मालद्वीप में भी भारतीयों पर अत्याचार की घटनाओं के बढ़ने का पता चला है। ये आठों व्यक्ति मेरे नियमित क्षेत्र के हैं। प्रतिदिन वे मुझसे इस मामले के बारे में कटते हैं। इस मामले के संबंध में मैंने माननीय उपप्रधानमंत्री और माननीय विदेश मंत्री को भी लिखा था। मैंने मलेशिया के एक मंत्री को भी लिखा था उन्होंने मेरे पत्र की पावती भी भेज दी है लेकिन उनकी प्रतिक्रिया काफी धीमी है।

हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी लिखा था कि उन्हें कानूनी सहायता कैसे दी जा सकती है उन्हें किस प्रकार से छुड़ाया जा सकता है। उन्हें इस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए और उन्हें इस संबंध में अवश्य कुछ करना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मुझे भी इसी प्रकार का मुद्दा उठाने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह 'शून्य काल' नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसके उत्तर के बाद मौका दूंगा।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : महोदय, अफगानिस्तान में दो भारतीयों को तालिबान द्वारा अगुवा किया गया है। उनका जीवन खतरे में है...*(व्यवधान)* इसके बारे में तेलुगु समाचारपत्र में विस्तार से छपा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' के दौरान आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सम्बद्ध माननीय मंत्री इस मुद्दे को नोट कर लें।

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, उनका जीवन खतरे में है। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अफगानिस्तान सरकार के साथ बातचीत करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, आप 'शून्य काल' में इसे उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : वे गरीब कर्मकार हैं वे हैदराबाद कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं। वे अमरीका आधारित विनीय परियोजनाओं के लिए कार्य कर रहे हैं उन्हें काबुल से 280 किलोमीटर की दूरी में अगुवा किया गया है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

श्री दिलीप सिंह जूदेव के मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने के बारे में प्रधानमंत्री का वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि पहले निर्णय लिया गया था, प्रधान मंत्री के उत्तर के पश्चात् ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जाएगा।

कल, कुछ सदस्य मंत्रिपरिषद से पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दिलीप सिंह जूदेव के त्यागपत्र के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा पर नहीं बोल सके थे। कल दुर्भाग्यवश चर्चा आगे नहीं हो सकी क्योंकि सभा में गणपूर्ति नहीं थी। अतएव, माननीय सदस्य इस सभा में इस विषय पर बोलने के अपने विशेषाधिकार से वंचित रह गए थे।

श्री अजय चक्रवर्ती, एकमात्र सदस्य जो बोल रहे थे, को अभी बोलने की अनुमति दी जाएगी।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, कल मैं बोल रहा था। मैं अपना भाषण जल्द ही समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ तीन मिनट बोल सकते हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती : एक छात्र के रूप में हम देखते थे कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के मेधावी छात्र कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राजनीति में आते थे। शिक्षा के बाद वे अलग-अलग राजनीतिक दलों में शामिल होते थे तथा देश के राजनीतिक कार्यकलाप में भाग लेते थे। किंतु इन दिनों नवयुवक और कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के मेधावी छात्र राजनीति में आने के लिए उत्सुक नहीं हैं। सिर्फ यही नहीं वे राजनीतिक नेताओं के कार्यकलापों और उनके भ्रष्टाचार और अपराधी गतिविधियों के कारण हताश भी हैं।

यहां मैं एक घटना का उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले श्री दुबे को प्रशासन द्वारा सुरक्षा नहीं दी गई और घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। भ्रष्ट देशों की सूची में हमारे देश का 78वां स्थान है। यह बहुत की खराब स्थिति है। लोगों का राजनीतिज्ञों पर से विश्वास उठता जा रहा है। वे राजनीतिज्ञों के कार्यकलापों से हताश हैं। वे न सिर्फ उनके भ्रष्ट आचारों से हताश हैं किंतु राजनीति के अपराधकरण से भी हताश हैं। कई अपराधिक कार्यकलापों में संलग्न अनेक राजनीतिक नेताओं को बार-बार जेल में बंद किया जा रहा है। वे किसी राजनीतिक आंदोलन में नहीं अपितु आपराधिक मामलों में जेल में बंद किए जाते हैं। उन्हें आई पी सी 302 और भारतीय दण्ड संहिता के अन्य कानूनों के अंतर्गत हिरासत में रखा जाता है।

यह बहुत ही दुःखद स्थिति है। इसलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री से समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। आप सिर्फ देश के प्रधान मंत्री ही नहीं हैं किंतु आप इस राष्ट्र के नेता भी हैं। आप इस सभा के नेता हैं। आप इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। इसलिए, कृपया अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। पूरा देश आपके पीछे है।

[श्री अजय चक्रवर्ती]

पूरी संसद आपके पीछे है। इसलिए, कृपया इस संबंध में कार्रवाई शुरू कीजिए। कृपया उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने तथा राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए प्रयास कीजिए। यह जोगी या जूदेव का प्रश्न नहीं है। यह पूरे देश का प्रश्न है। यह पूरे देश से संबंधित मामला है। यह सचमुच ही शर्मनाक मामला है कि राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार उसी राजनीति के अपराधीकरण में संलिप्त हैं। इसलिए, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप इस संबंध में कुछ कीजिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, भ्रष्टाचार दूर करने का काम शुरू कीजिए। कृपया राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के प्रयास कीजिए। आप यह करने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं। मुझे ऐसा विश्वास है।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मै श्री रामजीलाल सुमन के विचार से सहमत हूं, जो इस चर्चा को शुरू करने वालों में प्रमुख थे, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि इस देश के सर्वोच्च सत्ता से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। राष्ट्र को एक समुचित संदेश जाना चाहिए कि यह सभा भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण से लड़ने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है। मैं इसका भी समर्थन करता हूं कि इसकी जांच हो। संयुक्त संसदीय समिति होनी चाहिए ताकि राष्ट्र को संदेश जाए कि यह संसद, इस राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कृतसंकल्प है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, जूदेव के मामले में जो हुआ उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बोलने के लिए दो मिनट का समय दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कल सदन में कोरम न होने की वजह से चर्चा पूरी नहीं हो सकी। मैंने यह तय किया है कि उनका भाषण पूरा होने के बाद प्राइम मिनिस्टर का जवाब होगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, दो-दो मिनट दे दिजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सचमुच केवल दो मिनट तक ही बोलें और माननीय प्रधान मंत्री जी से प्रश्न पूछते हैं, तो मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश सर्वोपरि है। सदन में जो बहस चल रही है, उसके स्तर में गिरावट हुई है। कहा जा रहा है, इसका भ्रष्टाचार, उसका भ्रष्टाचार – इसका क्या मतलब है। हम लोग कहा करते थे – धन और धरती बंट कर रहेगा, अपना-अपना छोड़कर और भ्रष्टाचार मिटकर रहेगा अपना अपना भ्रष्टाचार छोड़कर। यही बहस का कन्क्लुयजन है। मैं आपके माध्यम से सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। "40 वर्ष बनाम 4 वर्ष भ्रष्टाचार" – इस पर कल सदन में बहस हुई है। इसलिए मुझे तकलीफ है और हमने आपसे विनम्रता के साथ कल आग्रह किया था कि भ्रष्टाचार को शिष्टाचार न बनने देने के लिए बहस को मर्यादित रखने में आप पहल कीजिए। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने पर सदन में बहस हुई है और बहस हुई है कि वह धर्मान्तरण के लिए था। इसलिए जुदेव द्वारा यह अलग ढंग की रिश्वत है, लेकिन जोगी के द्वारा साजिश की गई है। मैं हतप्रभ हूं कि यह हो क्या रहा है और इस तरह से क्या भ्रष्टाचार पर कभी काबू पाया जाएगा। अच्छाई से बुराई को कम किया जा सकता है, लेकिन कम बुराई से ज्यादा बुराई वाले को टकरा कर, बुराई से बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार विकास से भी जुड़ा हुआ है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने श्री सत्येन्द्र कुमार दुबे की निर्मम हत्या पर रुचि ली है, जो गया, बिहार में एनएचएआई में पदस्थापित थे, कानपुर आईआईटी के टॉपर थे। उनको दोष यही था कि उसने पीएमओ को एक पत्र लिखा कि मनी की लूट हो रही है और टैक्नीकल नार्म्स के खिलाफ काम हो रहा है। प्रधान मंत्री जी की गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल सड़क योजना में काफी रुचि है, क्योंकि यह एक अच्छा प्रोजैक्ट है और राष्ट्र के लिए एक बेहतर योजना है। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि उसके हत्यारे को, वे जहां कहीं पर भी होंगे, खदेड़ कर गिरफ्तार किया जाएगा। मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सीबीआई में जो मामले जाते हैं, वे कोल्ड स्टोरेज में चले जाते हैं। यह तात्कालिक मामला है, पब्लिक मनी की लूट का मामला है। भ्रष्टाचार का कोई सवाल उठता है और उसे समाप्त कर दिया जाता है। यह एक गम्भीर सवाल है।

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूड़ी) : महोदय उन्होंने आरोप लगाया है।

[श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव]

कहां है? वाटरगेट से लेकर इंडिया गेट, लालू यादव से लेकर मायावती और जयललिता जैसे लोग...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी आप बहुत दूर जा रहे हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बात जान लीजिये कि हिन्दुस्तान में सत्ता के कारण एक बार नहीं, कई बार...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिये। आपको दो मिनट दिये गये थे।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार में 10-20 बार दल-बदल हुआ। सीपीआई, सीपीआई(एम), कांग्रेस और भाजपा को तोड़ा गया, झारखंड पार्टी और बीएसपी, को भी तोड़ा गया। किन कारणों से तोड़ा गया?

अध्यक्ष महोदय : आपका दो मिनट का समय पूरा हो गया और उसके बाद एक मिनट और हो गया है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता में बैठे हुये लोगों को चाहिये कि वे हम लोगों से अलग हटकर बैठें। जब बजट पेश किया जाता है, दुनिया के पूंजीपतियों को बुलाकर उनसे पूछा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिये। और अधिक समय नहीं। आनरेबल प्राइम मिनिस्टर उत्तर देने वाले हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, लास्ट में कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी उत्तर देंगे। नो प्लीज। आप बैठिये।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बजट के जो रिकार्ड हैं...

अध्यक्ष महोदय : प्लीज् बैठिये। प्रधान मंत्री जी का भाषण शुरू हो रहा है। मैं इसलिये आपको टाइम देने वाला नहीं था। मैंने आपकी रिक्वैस्ट को माना। इसका मतलब यह नहीं कि आप जितना टाइम चाहें, उतना टाइम आपको दिया जाये। प्लीज बैठिये।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सैकिंड में समाप्त कर रहा हूं। आजादी के 56 साल के घटनाचक्र पर बहस होती रही लेकिन उसका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ है – न आध्यात्मिक, न मानसिक चिन्तन से वेदना निकली। यह देश में अलग परम्परा जा रही है। इसलिए निश्चित रूप से अपनी आत्मा और मन को बदलकर अपने चरित्र को बनाकर आगे बढ़िये जो भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेगा।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, श्री दिलीप सिंह जूदेव के त्याग-पत्र पर मैंने जो वक्तव्य दिया, उस पर कल दिनभर चर्चा होती रही है। मैंने अपने वक्तव्य में श्री दिलीप सिंह जूदेव के अलावा किसी और का नाम नहीं लिया था लेकिन चर्चा में बहुत से नाम लिये गये। अब मुझे उनका निष्कर्ष करना पड़ेगा। यह इसलिये भी जरूरी है कि मेरे ऊपर दोहरे मापदंड का आरोप किया गया है। कौन-सा दोहरा मापदंड? कौन-सी कसौटी? क्या परदे के पीछे से आपको जोगी जी झांकते हुये दिखाई नहीं देते? अगर आरोप का अर्थ यह है कि जोगी जी के मामले में तो कार्यवाही तत्काल हुई लेकिन श्री जूदेव के मामले में देर लग रही है, यह ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि जोगी जी का जो मामला है, उस सदन अच्छी तरह से समझ ले लेकिन मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। श्री जोगी जी पर दो मामले हैं। एक में तो मैं व्यय लिप्त हूं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा था और उसके साथ एक जाली दस्तावेज भेजा जिसमें उन्होंने कहा था कि केन्द्र सरकार के विजिलेंस आफिसर कांग्रेस को बदनाम करने के लिये साजिश कर रहे हैं, षड़यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने प्रमाण में कागज भेजा था जो बाद में दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। उन्होंने उसके बारे में मुझसे बात नहीं की।

पत्र का मैं उत्तर दे सकता, इसका भी उन्होंने इंतजार नहीं किया। उन्होंने प्रैस कांफ्रैन्स करके, प्रैस कांफ्रैन्स भी कांग्रेस के सैन्ट्रल आफिस में हुई, जिसमें उन्होंने वह पत्र दे दिया, वह मुख्य मंत्री थे। अगर इंटेलीजैन्स ब्यूरो से या इंटेलीजैंस एजेन्सियों के किन्हीं अफसरों के खिलाफ उन्हें शिकायत थी तो वह मुझसे कह सकते थे या सोनिया जी से कह सकते थे, सारे तथ्य सामने आ जाते, लेकिन प्रचार करने का फैसला उन्होंने कर लिया था और यहीं से यह कहानी शुरू हुई। अब जो स्थिति है वह इस प्रकार है कि जूदेव पर जो आरोप लगे हैं, उनकी जांच हो रही है, देर का कोई सवाल नहीं है, जांच की एक प्रक्रिया है। अगर शिकायत आती है तो पहले उसकी जांच-पड़ताल होती है, प्रारम्भि जांच-पड़ताल। उदाहरण के लिए अगर एक कैसेट मिला है और कैसेट में किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे हैं तो वे आरोप

[हिन्दी]

यादव जी ने कहा है कि दुबे का यह कसूर था कि उसने प्रधान मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी, इसलिए वे मारे गए। यह बात तथ्य से बिलकुल परे हैं।

यह बात सही नहीं है। इसकी जांच चल रही है। इनका आरोप गलत है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको दो मिनट बोलने का समय दिया था। अब आप बैठिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूड़ी : माननीय अध्यक्ष जी, इसकी जांच चल रही है, इसलिए यहां इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी अपने उत्तर में यह बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश में भ्रष्टाचार और लूट मची है जिस की कोई इन्तहा नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव देकर बताना चाहता हूं कि इसे कैसे दूर किया जाए? भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। इसका निराकरण कैसे हो, मैं इसके बारे में सुझाव देना चाहता हूं। यहां इस समस्या पर बहुत चर्चा हुई। इसे कैसे दूर किया जाए और भ्रष्टाचार पर कैसे काबू पाया जाए, उसके लिए मेरा एक सुझाव है। चूंकि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आता है इसलिए इस तरफ ध्यान देना जरूरी है। वह छोटी-छोटी नदियों को साफ करने या क्लर्क और किरानी को पकड़ने से दूर नहीं होगा। भ्रष्टाचार गंगोत्री से नीचे छोटी नदियों में जाता है। इसे दूर करने के लिए कॉन्स्टीट्यूशनल हाई पावर कमिशन बनाया जाए जिसे पूरी ऑटोनमी दी जाए। 1947 से लेकर अभी तक यानी 2003 तक जो लोग भी विधायिका में रहे या बड़े-बड़े पदों पर रहे, चाहे वे मिनिस्टर रहे हों या एमपी रहे हों या न्याय-पालिका में रहे हों...*(व्यवधान)* कार्यपालिका में बड़े-बड़े पदों पर रहे हों।

अध्यक्ष महोदय : पप्पू जी, अब आप बोलिए। आपका सुझाव आ गया है। प्लीज बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बोलने के लिए दो मिनट मांगे थे जो मैंने दिए। बार-बार अपनी बात रिपीट मत करिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उन सब की चल और अचल सम्पत्ति की जांच उस ऑटोनमस कमीशन के जरिए करायी जाए जिससे भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सके। एक कानून बना कर सम्पत्ति का ब्यौरा देना उनके लिए अनिवार्य बना दिया जाए। इतना ही मुझे कहना है। ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करके शपथ ग्रहण करते समय ही चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य किया जाए चाहे वह बड़े से बड़े पद पर क्यों न आसीन होने जा रहे हों।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के विषय पर कल से कोई नई चर्चा नहीं हो रही है। मैं चार बार एमपी रहा और उस दौरान कई बार भ्रष्टाचार पर बहस की गई। मेरा कहना है कि इन्सान ही भ्रष्टाचार की जननी है और इन्सान ही अच्छाई की जननी है लेकिन सवाल यह है कि इसका निराकरण कैसे हो? इस पर कहीं बहस नहीं हुई। बहस के दौरान जब चारा घोटाले का मामला आता है कि उधर से हल्ला होता है और तेलगी का मामला आता है तो भी उधर से हल्ला होता है। इस तरह से हम लोग बंट कर रह जाते हैं। पहले व्यक्ति की सेवा, साधना और त्याग को प्रतिष्ठित किया जाता था लेकिन आज उसे पद, दौलत और ताकत के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। जब यही केन्द्र बिन्दु बन जाएगा, व्यक्ति सत्ता और कुर्सी ये तीनों केन्द्र बिन्दु बन जाएंगे, इसके इर्द-गिर्द पूरी दुनिया नाचती रहेगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं स्वार्थ की बू आएगी। स्वार्थ की जहां से शुरूआत होती है वहीं से भ्रष्टाचार की शुरूआत होती है। अर्थ के कारण देश में भ्रष्टाचार की शुरूआत हुई। अर्थ का कारण क्या है? केवल जूदेव और जोगी का ही प्रकरण क्यों उठा और वह किस सवाल पर उठा? वह चेयर की रक्षा के लिए उठा। चाहे जोगी साहब ने जूदेव साहब को चेयर की पकड़ के लिए फंसाया हो या जोगी साहब को किसी ने फंसाया हो। यह सब कुर्सी की पकड़ के कारण ही हुआ। जब तक हमारे भीतर से स्वार्थ नहीं निकलेगा तब तक हम भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाएंगे। स्वार्थ के बीच में अर्थ आ जाता है। भौतिक सुख, सत्ता की लोलुपता के कारण ही ऐसी घटनाएं घट रही हैं।

इसलिए, प्रधान मंत्री जी, मैं कहता हूं कि आज एजुकेशन में प्रतिभावान लड़कों की पूछ नहीं है। आप कहीं चले जाइये, माता-पिता की इनकम के आधार पर बच्चों को एडमीशन दिया जाता है। कहां से भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है, स्कूल से या घर से, लेकिन यहां से नहीं है। राजनैतिक पार्टियां इसका केन्द्र-बिंदु बन जाये, ऐसी स्थिति

कहां तक ठीक हैं, उसके लिए किसी व्यक्ति को दंड दिया जाए, यह सवाल तो बाद में तय होगा, लेकिन जांच करने वाली एजेंसी यह जरूर पता लगायेगी कि यह कैसेट कहां से आया है और इसके पीछे कौन है। जहां तक जूदेव का सवाल है, जो आरोप छपे हैं, उनकी शिकायत किसी व्यक्ति ने नहीं की है, जो आरोप लगे हैं उनकी शिकायत, सी.बी.आई. को भी उनकी जानकारी समाचार-पत्रों से मिली है।

इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहले समाचार छापा। इंडियन एक्सप्रैस से पूछा गया कि यह समाचार आपको कहां से मिला है। उन्होंने कहा कि हम नहीं बतायेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : समाचार तो सही है।... *(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या हमें मालूम है।...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कहां से आया है। यह दूसरा तरीका था यह कहने का कि हम नहीं बतायेंगे। हो सकता है न मालूम हो, लेकिन न मालूम हो और फिर भी छाप दिया तब तो समाचार-पत्र पर गंभीर आरोप लगता है, जो मैं लगाना नहीं चाहता।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे स्रोत का खुलासा क्यों करेंगे?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब जो बताया गया है, नाम का पता नहीं है, किसकी शिकायत है, कोई शिकायकर्ता नहीं है। समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर इस मामले को सी.बी.आई. को सौंपा गया है। जूदेव के मामले में धन दिया गया, किसने दिया, कितना दिया, धन दिया गया है, यह तो उसमें दिखाई देता है, मगर वह कैसेट भी बहुत धुधला है। हमने उसे कई बार देखने की कोशिश की कि यह दाता कौन है, इसकी जांच जरूरी है। मेरा कहना इतना ही है कि इसकी जांच जरूरी है। जब सब चीज धुंधली है तो उसको साफ करना आवश्यक है। इसलिए सी.बी.आई. जांच कर रही है।...*(व्यवधान)* इस संबंध में और कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। किसने धन दिया, यह भी पता नहीं है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है, खोज जारी है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : जिसने लिया उसकी तो पहचान है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस मामले अभ आरोपी की शिकायत होने वाली है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपकी बात नहीं मानी है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : भ्रष्टाचार निवारण नियम के अधीन मामला लिया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी के उत्तर के बाद अगर मैं आपको परमीशन दूंगा तो आप बोलिये।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उत्तर के बाद मैं आपको परमीशन जरूर लूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह भी पता लगाना पड़ेगा कि आखिर धन किसलिए दिया गया।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस बात की संभावना नहीं कि श्री वाजपेयी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, क्योंकि आज मैं एडवोकेट का काम कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह उनके सहयोग से इतना खराब मामला है।...*(व्यवधान)* आप जानते हैं आप वेरी अनकम्फर्टेबल हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : केस की परीक्षा हो चुकी है और फैसला आपके खिलाफ हो गया है। सचमुच में यह बड़ी गंभीर बात है। मैं इसमें पड़ना नहीं चाहता था कि आखिर छत्तीसगढ़ में जहां जूदेव को लपेटने के लिए इतना बड़ा कांड किया गया और अभी जिसकी जांच हो रही है, सच्चाई सामने आनी बाकी है, उसके बाद भी छत्तीसगढ़

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

में हमारी इतनी विजय हुई। आपको समझ में आया क्यों हुई? क्योंकि आप विश्वास खो चुके हैं और जूदेव में अभी भी लोगों का विश्वास बाकी है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह मान गए हैं...*(व्यवधान)* महोदय, उन्हें उनसे प्रश्न नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं सिर्फ माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि जांच चल रही है, और स्वाभाविक है उन्होंने यह नहीं कहा है कि जांच एक विशेष तरह से होनी चाहिए। हम उनके आभारी हैं कि जांच होनी चाहिए। किंतु यदि प्रधान मंत्री एक व्यक्ति को जिसके विरुद्ध ...*(व्यवधान)* को प्रमाणपत्र दे रहे हैं, मैं अत्यंत विनम्रता से वह टिप्पणी कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर सर्टिफिकेट देने की मेरी मंशा होती तो...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : वाजपेयी जी, आप जानते हैं हम लोग आपका बहुत आदर करते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम उनका अत्यधिक आदर करते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जूदेव से त्यागपत्र मैंने मांगा। सार्वजनिक रूप से मैंने जूदेव से त्यागपत्र मांगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस समय, राजनीतिक विजय के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि श्री जूदेव के विरुद्ध चाहे जो भी आरोप था, लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं और स्पष्ट है सी.बी.आई. भी हमसे यही कहेगी। मुद्दा यह है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सोमनाथ जी एक कुशल वकील की तरह से मेरे तर्क को तोड़-मरोड़ रहे हैं। यह ठीक नहीं है। मुझे जैसे ही जूदेव की खबर मिली, मैंने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने क्यों इस्तीफा मांगा?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननय सदस्य पूछ रहे हैं कि क्यों इस्तीफा मांगा। क्योंकि उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए थे और हमने कहा कि जब तक जांच नहीं होगी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। जब आप बोल रहे थे तो किसी ने व्यवधान नहीं डाला। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री बोल रहे हैं। उन्हें बोलने का अधिकार है। यदि आप उनकी दलील से सहमत नहीं हैं तो आप उनसे प्रश्न पूछने के लिए कोई अन्य तरीका अपना सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : जब गलत आरोप लगाए थे तो इस्तीफा क्यों लिया?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका अच्छा नहीं है। आप बैठिये। रामजीलाल सुमन जी, मैं खड़ा हूं तो आपको बैठना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री बोल रहे हैं। उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। उनके उत्तर पूरा करने के बाद यदि मैं यह पाता हूं कि किसी प्रश्न की आवश्यकता है, मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : जब गलत आरोप लग हैं तो जांच क्यों हो रही है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा किसी को प्रमाणपत्र देने का इरादा नहीं है। जूदेव के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। उन आरोपों की जांच हो रहा है और जब तक उन आरोपों से वे मुक्त नहीं होते, तब तक उन पर आरोप कायम रहेंगे। सारे त्यागपत्र का आधार ही यह है।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : रक्षा मंत्री के त्यागपत्र का क्या आधार था?...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनको आपके हमले की जरूरत नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं मिली है।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : सोनिया गांधी जी को भी क्लीन चिट नहीं मिली है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, सी.बी.आई. को यह देखना होगा कि फॉरेंसिक परीक्षा होने के बाद, कौन से तथ्य प्रकट होते हैं। उसके बाद फिर केस दर्ज किया जाएगा। अभी तो प्रिलीमिनरी इन्क्वायरी की जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रिलीमिनरी इन्क्वायरी क्यों, यह इसलिए कि तथ्य पता नहीं हैं। राहुल कौन है, कहां उसने धन दिया, आस्ट्रेलियन कंपनी कहां से इन्वॉल्व हो गई, यह कौन सी कंपनी है, उन्होंने बदले में कौन सा अनुग्रह प्राप्त किया, यह सब पता लगाना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति बनाए रखिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर कोई और आरोप है, तो उसे लोगों के सामने लाया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* एक बात का यहां उल्लेख किया गया, उसका मुझे बहुत खेद है। सी.बी.आई. पर जो लांछन लगाए जा रहे हैं, वे ठीक नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं 50 साल से पार्लियामेंट में हूं। सरकारें बदली हैं। सी.बी.आई. अपने कर्तव्य का पालन करती रही है। देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, जो संविधान से जुड़ी हुई हैं, जिनकी प्रतिष्ठा बरकरार रखनी चाहिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यही तो हमारा कहना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किसी विशेष अवसर पर थोड़ी-बहुत आलोचना हो, तो उसे सहन किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रारम्भ यहीं से हो कि सी.बी.आई. पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि सी.बी.आई. तथ्यों को इकट्ठा करेगी, तो सही तथ्यों को इकट्ठा नहीं कर सकेगी, सी.बी.आई. पर हम भरोसा नहीं कर सकते, यह ठीक नहीं है। क्या कोई और ऊंची से ऊंची ऐसी कोई संस्था है जो जांच करे, क्या हम ऐसी कोई संस्था बनाने के लिए तैयार हैं, क्या हमें अपने 50 सालों के अनुभव पर पानी फेरना जरूरी होगा क्योंकि आज परिस्थिति आपके खिलाफ हो गई हैं? परिस्थितियां हमारे खिलाफ भी हो गई थीं। हमने भी सी.बी.आई. पर छींटे मारे, लेकिन इस तरह का एक संगठित अभियान चलाना ठीक नहीं है, उसे रोकना बहुत जरूरी है। हमने ऐसा संगठित अभियान सी.बी.आई. के खिलाफ कभी नहीं चलाया। कल आप फिर सत्ता में आ सकते हैं। उस समय आपको भी एजेंसी चाहिए, जो तथ्यों को इकट्ठा कर सके, जो सचाई का सामने ला सके। इसलिए सी.बी.आई. को एक संस्था के रूप में निन्दित करना ठीक नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसी ने निन्दित नहीं किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा भी हुई है कि इस मामले की जांच के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाए। मैं कई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटियों का मैम्बर रहा हूं, अध्यक्ष भी रहा हूं। आखिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सामग्री इकट्ठी करेगी, तथ्य इकट्ठा करेगी। कहां से करेगी, किससे बात करेगी? फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सी.बी.आई. को बुलाएगी कि इस-इस तरह के मामले हुए हैं, इनकी जांच करो।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : जजमेंट आपका होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारा जजमेंट कैसे होगा?

श्री सोमनाथ चटर्जी : कमेटी का जजमेंट होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस पर मतभेद हो सकते हैं। सोमनाथ जी, वह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप भी एक कमेटी के अध्यक्ष थे, बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। छेड़िए, मैं उसकी चर्चा नहीं करता। कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा। कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है, औचित्य नहीं है। हमें सचाई का पता लगाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : जिनके ऊपर आरोप हैं, उनकी आपने इतनी प्रशंसा की, उन्हें अच्छा बताया जबकि उन्होंने रुपए लिए और अच्छे होटल में जाकर लिए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दादा, आपको तथ्यों का पता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे दोस्त आडवाणी जी ने सर्टिफिकेट दे दिया कि बहुत अच्छे आदमी हैं, यह ठीक नहीं है। जिसके खिलाफ आरोप हैं, उसे आपने चुनाव के लिए मैसकॉट बना दिया।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह आरोप ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथजी, कृपया सहयोग कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सोमनाथ जी, आपने अगर यह सवाल उठाया है तो मैं यह बात पूछना चाहता हूं कि आखिर देश में ऐसा वातावरण कैसे बना, जिसमें उसे मैसकॉट बनाया जा सके।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप ठीक कह रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह बोल दिया कि बनाना नहीं चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सवाल यह नहीं है, बनाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यहां डबल स्टैंडर्ड की बात आती है और डबल स्टैंडर्ड केवल एक तरफ से नहीं होता है, सब तरफ से होता है। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप भी सत्ता में हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब हम सत्ता में नहीं थे तब। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम भी 20-25 साल से सत्ता मे हैं और हम भी समझते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हम भी अटल बिहारी वाजपेयी से अलग व्यवहार की अपेक्षा करते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, चुनावों के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई है और चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ, उसे ध्यान में रख कर यह जरूरी है कि सब प्रमुख राजनीतिक दल इकट्ठे हों तथा इस बात पर विचार करें कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह हमारे कल्याण की दिशा नहीं है। क्या इसके लिए सब विचार करने के लिए तैयार हैं या अगले चुनाव का सोचेंगे?...*(व्यवधान)* क्या चुनाव लड़ना और मर्यादाओं का पालन करना साथ-साथ नहीं हो सकता? ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : एकतरफा नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एकतरफा कोई नहीं चाहता, दोतरफा चाहते हैं और कुछ कांग्रेस के सदस्य ऐसे हैं जो इस गंभीरता को समझ रहे हैं उनसे हम ज्यादा आशा करते हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछना है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, प्रश्न पूछने की परम्परा नहीं है।

अब, हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। श्री दह्याभाई बल्लभभाई पटेल।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहस पूरी हो चुकी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट होने के बाद प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने अभी उत्तर देते समय कहा, ...*(व्यवधान)* महोदय, प्रधानमंत्री जी यहां मौजूद हैं, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री जी, चतुर्वेदी जी, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने उत्तर देते समय एक प्रति प्रश्न किया और वह महत्वपूर्ण प्रति-प्रश्न यह किया गया कि कल हमारी तरफ से यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री जी और सरकार दोहरा मापदंड इस्तेमाल कर रही है। इन्होंने प्रश्न किया था कि दोहरे मापदंड कहां इस्तेमाल हुए। मैं इसी बारे में प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि दो प्रकरण एक साथ हैं – एक तरफ जोगी और दूसरी तरफ जूदेव का प्रकरण है। एक मामले में पांच दिन के अंदर बिना प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी किए हुए तत्काल एफआईआर दर्ज की जाती है और वहीं दूसरी तरफ जूदेव प्रकरण में टीवी के ऊपर स्पष्ट रूप से वे रुपए लेते हुए दिखाए गए हैं, वहां अभी तक 24 दिन बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पर उसे लम्बा खींचा जाता है, ऐसा क्यों? दूसरा दोहरा मापदंड यह है कि एक तरफ आप जोगी के मामले में जांच करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कितना लम्बा प्रश्न पूछेंगे?

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : इस स्टिंग ऑपरेशन को चलाने में वहां कौन-कौन लोग इन्वाल्वड थे? आपके कानून मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने उप प्रधानमंत्री जी की जानकारी और सहमति से जोगी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, उस मामले में कोई कानूनी कार्यवाही अरुण जेटली जी, उप प्रधानमंत्री और उससे जुड़े हुए लोगों के विरुद्ध क्यों नहीं की जा रही है?

ये मेरे दो प्रश्न हैं, जिनका उत्तर कृपा करके प्रधानमंत्री जी दें। ...*(व्यवधान)*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सारा जवाब तो प्रधानमंत्री जी ने दे दिया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज सुनिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, मैंने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया था कि दोनों मामले अलग-अलग हैं।...*(व्यवधान)* जोगी के मामले में सब कुछ स्पष्ट था।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : वहां आडियो कैसेट में स्पष्ट था और वीडियो कैसेट में स्पष्ट नहीं था।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जो रुपया दिया गया, वह भी थाने में जमा हो गया है। जूदेव के मामले में जो रुपया था, वह कहां गया? ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : वह जूदेव के पास है।...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : वह बी.जे.पी. के पार्टी फंड में गया।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, जब उनसे पूछा जायेगा तो वे बताएंगे। उन्हें बताना चाहिए, तथ्यों को सामने आना चाहिए, लेकिन जहां तक जोगी जी का मामला है, उसमें किसी तरह का दुराव नहीं है। वे तो खुलकर खेल रहे थे।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : दोनों मामले भ्रष्टाचार के थे, लेकिन एक को लम्बा खींचकर रफा दफा करने की कोशिश हो रही है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.46 बजे

[अनुवाद]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

"संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव में मोतीदमण और नानी दमण को जोड़ने वाले पुल के टूटने, जिसके कारण मानव जीवन की हानि हुई, से उत्पन्न स्थिति

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल – उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल उपस्थित नहीं हैं, इसलिए श्री मोहन एस. देलकर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नगर हवेली) : महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर उप-प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और मेरा अनुरोध है कि वह इस पर एक वक्तव्य दें:-

"संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव में मोती दमण और ननी दमण को जोड़ने वाले पुल के टूटने, जिसके कारण मानव जीवन की हानि हुई, से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं हाजियों का मुद्दा उठाना चाहता हूं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गंभीर समस्या है। मैं इसका उल्लेख दो मिनट में करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि शून्य काल हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब कालिंग अटेंशन नोटिस पर बहस शुरू हो चुकी है। देलकर जी, सुनिये, उत्तर चालू है।

[अनुवाद]

आप इसे शून्य काल में उठा सकते हैं।

[अनुवाद]

उप-प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पैंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, मोती दमण और ननी दमण को जोड़ने वाला 298 मीटर लंबा दमणगंगा पुल 28 अगस्त, 2003 को लगभग 1330 बजे ढह गया और पुल से गुजरने वाले बहुत से वाहन नदी में गिर पड़े। घटना के होते ही कुछ ही मिनटों में स्थानीय नाविकों, मछुआरों और गोताखोरों द्वारा बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। तटरक्षक, दमकल और पुलिस को भी तत्काल लोगों को बचाने और नदी से ढूंढ कर निकालने के अभियानों में सहायता हेतु तैनात कर दिया गया। मुंबई में तटरक्षक मे भी बचाव अभियानों में मदद करने हेतु गोताखोरों की एक अन्य टीम भेजने का अनुरोध किया गया। स्थानीय पुलिस ने भी इस घटना से जुड़े स्थानीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की।

बचाव दल 12 लोगों को बचाने में सफल रहे, जिनमें से सात लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस प्रकार बचाए गए सभी 12 व्यक्तियों को उपचार हेतु नजदीक के अस्पतालों में पहुंचाया गया। गहन तलाशी और बचाव अभियान देर रात जारी रहे और अगले दिन प्रात: पुन: शुरू कर दिए गए। 25 लोगों के शव बरामद किए गए, जिनमें से 23, 7-15 वर्ष की आयु ग्रुप के स्कूली बच्चे थे। इसके अलावा, नदी से एक मारूती वैन, एक इंडिका कार, 4 ऑटो रिक्शा, 5 स्कूटर/मोटरसाईकिलें और एक साईकिल ढूंढ निकाली गई।

केन्द्र सरकार ने गृह मंत्रालय की 1 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. 13034/39/2003-जी.पी. द्वारा उन परिस्थितियों, जिसकी वजह से दमणगंगा पुल ढह गया, की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री आर.के. सिंह, को नियुक्त किया और उनसे 30 सितम्बर, 2003 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। इस घटना के इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी पहलुओं के संबंध में, इनकी मदद श्री ए. चक्रवर्ती, मुख्य इंजीनियर, दक्षिण जोन-III, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, बंगलौर द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा भी बढ़ाई गई और अब रिपोर्ट 15 दिसम्बर, 2003 तक प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने दो वयस्कों, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, के नजदीकी रिश्तेदारों को प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपये की दर से अनुग्रहपूर्वक अनुदान का भुगतान किया गया है: मारे गए 28 अवयस्कों के नजदीकी रिश्तेदारों को भी संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रति व्यक्ति 50,000/-रुपये की दर से अनुग्रहपूर्वक अनुदान और दमण रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रति व्यक्ति 50,000/-रुपये भुगतान किया गया है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 7 व्यक्तियों को भी संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा 10,000/-रुपये प्रति व्यक्ति की दर से अनुग्रहपूर्वक अनुदान का भुगतान किया गया। पुल के ढहने और लोगों के मरने के तुरंत बाद फायरिंग और लूट पाट की घटना में पत्थरबाजी में मारे गए व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदार को भी रेड क्रॉस सोसाइटी, दमण द्वारा अनुग्रहपूर्वक अनुदान के रूप में 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने जनता और स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निजी बसें और नावें लगाई हैं। प्रशासन दोनों कस्बों के बीच सामान्य सम्पर्क स्थापित होने तक जनता और स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त परिवहन उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1,50,000 रुपये प्रतिदिन खर्च कर रहा है।

मोती दमण और ननी दमण के बीच परिवहन की स्थायी व्यवस्था करने के लिए सरकार ने हाल ही में 15.739 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर दमणगंगा नदी पर एक नये पुल के निर्माण का अनुमोदन किया है। यह कार्य गुजरात लोक निर्माण विभाग द्वारा अमानती कार्य (डिपोजिट वर्क) के रूप में किया जाएगा और कार्य पूरा करने की अनुमत अवधि 24 से 30 महीने होगी। इस बीच, अल्पावधि उपाय के रूप में सरकार ने ढह गए पुल की बहाली को अनुमोदित किया है। यह कार्य ओमिनोबस औद्योगिक विकास निगम (ओ.आई.डी.सी.) द्वारा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन.बी.सी.सी.) के माध्यम से किया जाएगा। एन.बी.सी.सी. को तकनीकी परामर्श, केन्द्रीय सरकार के एक अन्य उपक्रम, मैसर्स राइट्स द्वारा प्रदान किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन एस. देलकर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एक अति संवेदनशील और अति गंभीर विषय को उठाने की अनुमति दी। दमन पुल टूटने से 28 बच्चों की जान चली गयी। वे बच्चे ऐसे थे कि जिस घर में दो बच्चे थे, उन दोनों की जान चली गयी। जिस घर में एक ही बच्चा था, उसकी भी जान चली गयी। इसलिए यह अति संवेदनशील मामला है। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि वहां पर भयंकर लापरवाही हुई है।

अध्यक्ष महोदय, यह पुल 1983 में बना था। उस समय इसकी अवधि दस साल की तय की गयी थी। 1993 में इस पुल की अवधि खत्म हो चुकी थी। यह पुल लोहे के खम्भे से बना हुआ था। उस समय यह बताया गया था कि इस पुल की अवधि लम्बी नहीं है। इस बीच इंजीनियर्स एसोसियेशन ने यह भी बताया कि इस पुल की अवधि खत्म हो चुकी है इसलिए यह पुल कभी भी गिर सकता है उसके बावजूद भी दस साल तक किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और इस पुल को चालू रखा। आखिर में यह पुल गिर गया।

जिस तरीके से यह ब्रिज टूटा है, यदि आप फोटो देखें तो आपको पता चलेगा कि ब्रिज कितना कमजोर हो गया था। ऐसा नहीं है कि यह पुल अचानक गिर गया। यह पुल इतना कमजोर हो गया था कि वह अपने आप ही गिर गया। इसमें बहुत भयंकर लापरवाही हुई है। इस लापरवाही के कारण 28 बच्चों की जान चली गयी। कल दमन-दीव पूरा बंद था। इस बंद का सर्व समाज ने विक्टिम कमेटी, भारतीय जनता पार्टी, शिव सेना समेत सभी पोलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया था। पूरा दमन कल बंद था। लोग सदमे में हैं, दुखी हैं क्योंकि अलग-अलग घरों के 28 बच्चों की इसमें जान चली गयी। दमनवासी इतने दुखी हैं कि उन्होंने इस साल दीवाली तक नहीं मनायी। दमन के लोग क्या चाहते हैं? वे लोग चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम आदरणीय प्रधान मंत्री जी का आदर करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जांच किसके माध्यम से हो रही है?

गृह मंत्रालय की डिजास्टर कमेटी जांच कर रही है। पूरी यूनियन टेरीटरी गृह मंत्रालय के अधीन आती है। उसी गृह मंत्रालय के अधिकारी जांच करें। हमारे प्रशासन में जो अधिकारी हैं, वे गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी। जो फायरिंग हुई, उसमें भी दो जवानों की जान चली गई। एक कलैक्टर के आर्डर से फायरिंग हुई और दूसरा कलैक्टर उसकी जांच करेगा। लोगों को न्याय कहां मिलेगा। लोग मुआवजा नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। लोग चाहते हैं कि इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। यह कोई हादसा नहीं है, सिर्फ लापरवाही की वजह से पुल गिर गया और इतने सारे बच्चे मर गए। मैं तो कहता हूं कि लोगों की जान चली नहीं गई बल्कि जान ले ली गई है। क्या इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए, ज्यूडीशियल इन्क्वारी नहीं होनी चाहिए, तथ्य बाहर नहीं आने चाहिए कि इसके पीछे क्या सच्चाई है? प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं।

महामहिम राष्ट्रपति जी दो महीने पहले उस पुल के ऊपर से गुजरे थे। उस पुल के ऊपर उनका पूरा काफिला रुका था। उस समय भी उसे फिटनेस सर्टीफिकेट दिया गया। वहां बताया गया कि उस पर एक करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आपने वह एक करोड़ रुपया कहां डाला? क्या सर्टीफिकेट दिया, क्या रिपेयर का काम हुआ? जब हम मृत बच्चों के परिवार के लोगों से मिलने गए तो उन्होंने हमसे कहा कि गांव में यह बात चल रही है कि उस पुल के ऊपर से महामहिम राष्ट्रपति जी गुजरे थे। यदि उस समय कोई घटना घट जाती तो क्या होता। आप राष्ट्रपति जी के बारे में यह कहते हैं। जिन 28 बच्चों की जान चली गई, क्या उनमें से कोई बच्चा देश का राष्ट्रपति नहीं बनता? क्या आपने हमारे बच्चों की जान इतनी सस्ती मान ली? यह सवाल मुझसे उन परिवारों ने

[श्री मोहन एस. देलकर]

किया लेकिन मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाया। सदन में बैठे हुए कोई भी सदस्य इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। यह इतना गंभीर मामला है। हमारी एनडीए सरकार की पारदर्शिता हमारा मुख्य मुद्दा है। हम यह नहीं चाहते कि आप सजा दीजिए। हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, तथ्य बाहर आएं। हम इसकी न्यायिक जांच चाहते हैं। पूरे दमन के लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। एक ही बात पर पूरा दमन बंद हुआ था कि इस हादसे की न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच की मांग सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, दमन की भारतीय जनता पार्टी न्यायिक जांच की मांग कर रही है, दमन की शिवसेना पार्टी न्यायिक जांच की मांग कर रही है, दमन की ब्रिज कोलैप्स की विकटिम कमेटी न्यायिक जांच की मांग कर रही है। 40 समाज की कमेटी यह मांग कर रही है। उनको गृह मंत्रालय की डिजॉस्टर कमेटी की जांच पर विश्वास नहीं है। दमन का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता। वहां बैठे हुए अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, सिर्फ वे नहीं चाहते कि इसकी न्यायिक जांच हो।

हम उप प्रधान मंत्री जी से रिक्वैस्ट करते हैं, मुझे यह भी सुनने में आया है कि आप 19 दिसम्बर को दमन जाने वाले हैं। वहां के अखबारों में यह निकला है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आदेश दीजिए कि इसकी न्यायिक जांच हो, तथ्य बाहर आएं, सच्चाई बाहर आए। यह पूरे दमन-दीव के लोगों की मांग है। हम चाहते हैं कि आप हमारी इस मांग को पूरा करें और आदेश में कि इसकी न्यायिक जांच हो।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की बात सुनने के बाद और वहां के लोगों का जनमत जानने के बाद मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहता हूं। मैं गृह मंत्री जी से आपके जरिए निवेदन करूंगा कि वे आज ही इस बात की घोषणा करें कि वहां न्यायिक जांच होगी।

अपराह्न 1.00 बजे

इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यहां 28 लोगों तथा मृत बच्चों की इस न्यायिक जांच को मंजूर करने में कोई कठिनाई नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष जी, इस मामले की ज्यूडिशियल इनक्वायरी होनी चाहिए। जो इतनी लापरवाही बरती गई है जिसके कारण 28 बच्चों की जान चली गई।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि गृह मंत्रालय ही उस केन्द्र शासित प्रदेश को चला रहा है और गृह मंत्रालय के अधिकारी ही उसकी जांच कर रहे हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोगों के मन में यह शंका उठेगी कि यह जांच निष्पक्ष कैसे करेंगे? अपनी कमी को कैसे उजागर करेंगे? इसलिए इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। यह मांग बिल्कुल वाजिब है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, इसका समर्थन हम सभी लोग करते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मेरे सामने इस विषय पर बोलने वाले दो सदस्य और हैं। वे यहां बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

यह समय मध्याह्न भोजन का है। क्या मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा पूरी करे लें?

[हिन्दी]

तो क्या यह चर्चा अभी लंच से पहले पूरी करेंगे? वैसे इसमें ज्यादा बोलने का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष जी, मोहन देलकर जी ने सारी बातों को यहां रखा है और माननीय प्रधान मंत्री जी इस देश के संवेदनशील व्यक्ति हैं। इसमें बहुत कुछ नहीं कहना है और हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने अपनी संवेदना यहां सदन में रख दी है। मुझे इसमें कुछ ज्यादा नहीं कहना है। मैं दमन में गया था तो उन सारी बातों की जानकारी मैं यहां देना चाहता हूं।

दमन में एक-एक परिवार के लोगों ने जिनके दो-दो-तीन-तीन बच्चे मर गए थे, उनकी मां ने रोकर सिर्फ यही कहा कि हमें न किसी की राहत की जरूरत है और न किसी की संवेदना की जरूरत है। उप प्रधान मंत्री जी, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि दुबारा दमन में इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आप हमारा संदेश प्रधान मंत्री जी तक पहुंचा दें। दूसरे, जब यह घटना

घटी, उसके पहले मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि उप प्रधान मंत्री जी से मुलाकात की थी और उन्होंने उस पुल का उद्घाटन करने के लिए समय भी दिया था कि आप खुद पुल का उद्घाटन करने दमन में जा रहे हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इसमें अफसर होंगे, जो कांट्रैक्टर होंगे, जिन्होंने इस पुल को बनाया या जिन्होंने इस पुल के बनाने के बाद मरम्मत के कार्य में करोड़ों रुपये खर्च किए, वे करोड़ों रुपये इसमें लगे कि नहीं लगे? यह मेरा प्रश्न है। जब एक पुल की अवधि समाप्त हो गई तो उस पुल की अवधि बढ़ाने का कौन सा औचित्य था? किसकी परमिशन से यह बढ़ाई गई और यदि बढ़ाई गई तो दूसरी बार और तीसरी बार क्यों बढ़ाई गई? यह मेरा दूसरा प्रश्न है। मेरा तीसरा प्रश्न है कि जो घटना घटी, उस घटना के घटने के बाद आपको यह जानकारी नहीं होगी कि जिस तरह से मछुआरों ने बेमिसाल काम किया है, शायद हिन्दुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में वैसा इतिहास और सेवा की प्रतिमूर्ति वे मछुआरे हो सकते हैं क्योंकि यदि उनमें से 12 लोग बचे और 28 बच्चों की लाश उस तूफान में समुद्र में से निकाली गई तो यह केवल उन मछुआरों की देन है जिन्होंने उनको निकालने में अपना सर्वस्व लगा दिया। जो इस घटना के बाद फायरिंग हुई। फायरिंग क्यों हुई? निश्चित रूप से पूरा दमन ममोहत था क्योंकि एक-एक घर के दो-दो-तीन-तीन बच्चे चले गये थे और वह बच्चा भी कैसा कि जिसको देखने में मौत ही हो सकती है, इतना सुन्दर बच्चा था और उस मां के सामने उस बच्चे का दृश्य था। वहां लोग यदि सड़क पर उतरे तो बगैर संवेदना के फायरिंग हो जाए, संवेदनाहीन हो जाए, फायरिंग हो जाए और फायरिंग में लोग मारे जाएं और मारे जाने के बाद लाश घसीटकर लाई जाए और लाश को फिर दुबारा नहीं दिया जाए। इतना ही नहीं, मुआवजा तो छोड़ दीजिए, मुआवजा पचास हजार या एक लाख जो भी मिलेगा, उस मुआवजे की दमन में किसी को भी इच्छा नहीं है। लेकिन दुखद बात यह है कि इस घटना के बाद किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने, किसी बड़े पदाधिकारी ने किसी भी घर में संवदेना देने का काम नहीं किया। किसी के पास जाकर न्याय की बात नहीं की कि हम इसमें इतने गलत पदाधिकारियों को जिन्होंने गलत भूमिका निभाई है, हम उनको नहीं बख्शेंगे।

यदि उस वक्त गृह मंत्रालय और वहां के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह कह दिया गया होता और इन बातों का खुलासा कर दिया होता कि इस पुल के संबंध में जिसने भी घोटाला किया है, जिसकी भी भूमिका संदिग्ध होगी, हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे तो यह घटना न घटती और सदन में न उठती। दमन के लोग आप पर विश्वास करते हैं। सारी पार्टियों के लोगों ने वहां पर मांग की है कि इस घटना की न्यायिक जांच हो, तो निश्चितरूप से दमन की जनता की भावनाओं और संवेदनाओं को देखते हुए मेरा आपसे आग्रह है कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। न्यायिक जांच भी समय के अंदर होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि जांच करते हुए एक साल, दो साल या चार साल बीत जाएं, जैसी इस देश में जांच की प्रक्रिया है। इसलिए छः महीने के अंदर यह न्यायिक जांच पूरी होनी चाहिए। यदि न्यायिक जांच नहीं हो सकती, तो संसद की जे.पी.सी. के द्वारा या अन्य किसी कमेटी का गठन करके, गृह मंत्रालय के पदाधिकारियों को इससे अलग करके, जांच कराई जाए। वहां की जनता की संवेदनाओं को देखने के बाद यही मेरा आपसे आग्रह है। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मोहम्मद अनवारूल हक (शिवहर) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे ही यह घटना घटी हम चार-पांच माननीय सदस्य वहां पहुंचे। हमने वहां जाकर देखा कि पूरे इलाके में कर्फ्यू छाया हुआ है। हर जगह शोक सभाएं हो रही हैं। लेकिन पदाधिकारियों में इस बात की चर्चा तक नहीं है कि हम उन लोगों के घरों में जाकर संवेदना व्यक्त करें, जिन्होंने अपने बच्चों को इस हादसे में गंवा दिया। हम चार-पांच माननीय सदस्य उन तमाम घरों में गए, जिनके घरों से बच्चों की लाशें निकाली गई थीं। हमने वहां जाकर उनके परिजनों से बातचीत की। उनको सांत्वना दी और भरोसा दिलाया। यह जांच का विषय है इसलिए जांच होनी चाहिए। यह स्पष्ट हो चुका था कि इस पुल की लाइफ दस साल पहले खत्म हो चुकी थी। इंजीनियर भी बार-बार कह रहा था कि इस पुल से आवागमन बंद होना चाहिए। उस बीच महामहिम राष्ट्रपति का प्रोग्राम बना और उस पुल को चालू करने के लिए एक करोड़ रुपए दिए गए। मैं उप प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस राशि में सिर्फ चार-पांच लाख रुपये ही केवल उस पुल की रंगाई में खर्च किए गए, बाकी पैसा वहां प्रशासन ने रख लिया। जब यह घटना घटी, तो लोग अपने बच्चों की लाशें मांगने गए। वहां 24 घंटे तक घेरकर रखा गया उन लाशों का बुरी तरह से पोस्टमार्टम किया गया। लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि पोस्टमार्टम न किया जाए और लाशें हमारे हवाले कर दी जाएं। सब लोग एकजुट होकर वहां गए थे, तो बी.एस.एफ. और सी.आर.पी.एफ. की तरफ से उन लोगों पर फायरिंग की गई, जिसमें दो-तीन लोग मारे गए। जिस तरह से वहां के लोगों और मछुआरों के साथ जुल्म-ज्यादती की गई, अगर आप वहां जाते और यह देखते तो लगता कि इंसानियत नाम की चीज ही नहीं रह गई है। हर जगह दरिंदे ही दरिंदे नजर आ रहे थे।

[मोहम्मद अनवारूल हक]

यहां पर उप प्रधान मंत्री जी मौजूद हैं अभी हमारे वरिष्ठ साथी चन्द्रशेखर जी ने भी कहा है कि इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि जांच हो रही है, चार-पांच महीने तक जांच ही चलती रहे। अभी वहां कलेक्टर के रैंक का अधिकारी इस घटना की जांच कर रहा है। इससे वहां की जनता को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जैसा चन्द्रशेखर बाबू ने कहा है कि निश्चितरूप से इसकी जांच होनी चाहिए और कम अवधि में होनी चाहिए। उप प्रधान मंत्री जी सदन में अगर ऐसा कहेंगे तो वहां के लोगों को यकीन होगा। जो लोग शोक में डूबे हुए हैं, उनको सरकार पर और उप प्रधान मंत्री जी पर विश्वास होगा कि हमें इंसाफ मिलेगा।

श्री मोहन रावले : जिन लोगों की वजह से इन मासूम बच्चों की जानें गई हैं, उन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : ऐसा हादसा है कि कलेजा मुंह को आता है। आप खुद हुकूमत को डायरेक्शान दें कि इसकी ज्यूडिशियल इंक्वायरी हो।

جناب جی.ایم. بنات والا (پونانی): ایسا حادثہ ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آپ خود حکومت کو ڈائریکشن دیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو۔

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार) : बेहतर होगा कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री जी ने सब कुछ सुना है और उन्हें विश्वास है कि वे सदन की भावना ठीक तरह से समझेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महादेय, इस सदन के वरिष्ठ सदस्य और देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी ने और बाकी सदस्यों ने जो कुछ कहा है, मैं समझता हूं कि वह सदन की भावना को अभिव्यक्त करता है। उसमें आम-सहमति है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि जो इंक्वायरी हुई, वह प्रमुख रूप से इस ब्रिज के संबंध में ही है। इस तरह से 23 बच्चों का मर जाना एक गंभीर मामला है। इसमें 23 बच्चों की मृत्यु हुई है, दो बुजुर्गों की मृत्यु हुई है तथा एक व्यक्ति और मारा गया है। मैंने सबका उल्लेख किया है और यह बहुत ही गंभीर घटना है। इसलिए अगर सबकी राय बनती है कि इसकी न्यायिक जांच होने चाहिए तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। अनुभव हमारा यही बताता है कि बहुत बार न्यायिक जांच की प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है कि जो चीज जल्दी से जल्दी ज्ञात होनी चाहिए वह उतनी जल्दी होती नहीं है। आज मैंने इस इंक्वायरी के टर्म ऑफ रैफरेंस देखे। उसमें मुख्य रूप से यही है कि—

[अनुवाद]

"क्या पुल की रेट्रोफिटिंग के रूप में व्यापक मरम्मत ठक से और परामर्शदाता द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप की गई थी।"

[हिन्दी]

इस ब्रिज का रेट्रोफिटिंग जिसको कहते हैं जैसे किसी सदस्य ने कहा कि एक करोड़ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ? वह 2001 में खर्च हुआ। दूसरा सवाल यह है कि—

[अनुवाद]

क्या व्यापक रूप से मरम्मत करने के बाद एंड बीयरिंग के 'स्ट्रेपसिल' जोड़ों की सफाई आदि के रूप में समय समय पर उचित, नियमित एवं तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप रखरखाव किया गया था।

[हिन्दी]

फिर यह कहा गया कि—

[अनुवाद]

क्या समय-समय पर पुल की गुणवत्ता कर मूल्यांकन करने में कोई लापरवाही बरती गई, क्या 29 अगस्त को पुल के ढहने के बाद प्रशासन द्वारा शुरू किए गए बचाव एवं खोज कार्य में कोई कमी थी।"

[हिन्दी]

मुझे स्वयं को लगा कि अगर इसके परिणाम ठीक आ जाते हैं और पहले जिन्होंने तय किया, उन्होंने भी इसका निर्णय पहले लिया

होगा जिससे जल्दी से जल्दी इस बात का ज्ञान हो जाए कि वास्तव में हुआ क्या था, कौन दोषी है? इसमें मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा। इसीलिए चुनकर एक सीनियर चीफ इंजीनियर, साउथ जोन, बंगलौर से इस काम पर लगाया गया है। जो देखेगा कि क्या कमी हुई है। लेकिन जो सदन की भावना है उसके अनुरूप, मैं आपकी सलाह से चलूंगा। इसकी रिपोर्ट 15 दिसम्बर तक आयेगी। उस समय तक रुक कर आगे बढ़ें या आज ही इस बात को घोषित करें कि इसको न्यायिक जांच होगी।

श्री मोहन एस. देलकर : आज ही न्यायिक जांच के आदेश दे दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवणी : ठीक है। मैं इसको उचित समझता हूं क्योंकि वहां की जनता को भी संतोष इसी से होगा और सदन को भी संतोष इसी से होगा कि न्यायिक जांच हो। इसकी न्यायिक जांच होगी, यह मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.14 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए पश्चात्! अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

(एक) विघटनकारी गतिविधियों का समर्थन करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : महोदय, हाल ही में यह देखने में आया है कि पाकिस्तान स्थित कट्टरवादी समूह जैसे आजाद कश्मीर फ्रन्ट और 'नसरीन' बांग्लादेश में सक्रिय हैं। वे असम और पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाने हेतु 'मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स आफ असम' और पश्चिम बंगाल के अन्य कट्टरवादी समूहों का साजो-सामान एवं सैद्धान्ति सहायता दे रहे हैं। इन समूहों को प्रतिबंधित संगठन सिमी (एस आई एम आई) सहायता दे रहा है। सिमी असम और पश्चिम बंगाल से स्वयंसेवकों को पश्चिम बंगाल के मालदा और 24 परगना जिलों में स्थित मदरसों में लाता रहा है और उन्हें भारत में विद्रोही गतिविधियों की शिक्षा दे रहा है।

यह खतरनाक प्रवृत्ति है और इसे तुरन्त खत्म किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार को 'मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स आफ असम' पर प्रतिबंध लगाने और पश्चिम बंगाल के विद्रोही गतिविधियों हेतु जमीन तैयार करने में लगे मदरसों को बंद करने के लिए सख्त कदम उठाना चाहिए।

(दो) राज्यों में विद्यमान मुख्य सड़कों के सुधार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत न्यूनतम 15 प्रतिशत धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : महोदय, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1000 से अधिक और 500 और 999 के बीच की जनसंख्या वाले स्थान, जो कि सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं, को सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु पी एम जी एस वाई के अंतर्गत राज्यों को राशि आबंटित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत कुछ विद्यमान सड़कों के विहित मानकों के अनुरूप उन्नयन की भी परिकल्पना की गई है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान, भारत सरकार द्वारा उड़ीसा को 179.70 करोड़ रुपये और 144 पैकेजों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन पैकेजों में नए सड़क मार्ग बनाने के अलावा कुछ वर्तमान सड़कों में सुधार करने की अनुमति दी है।

वर्ष 2001-02 के दौरान उड़ीसा के लिए भारत सरकार द्वारा 350 करोड़ रुपये की राशि के 217 पैकेजों को स्वीकृति प्रदान की गयी है लेकिन भारत सरकार ने उन वर्तमान सड़कों को उसमें शामिल करने की अनुमति नहीं दी जिनमें सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2001-02,

[श्री अनन्त नायक]

2002-03 और 2003-04 के लिए उसके द्वारा स्वीकृत सड़कों में उन सभी बसावटों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए नयी सड़कें बनाना शामिल है जो कि सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं।

बसावटों के लिए नए सड़क मार्ग प्रदान करना ग्रामीण जनता के लिए अधिक लाभकारी नहीं होगा जब तक कि उन मुख्य मार्गों में आई आर सी मानकों/विनिर्दिष्टियों के अनुसार सुधार नहीं किया जाता जिनसे वह जुड़ी हुई हैं।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह बेहतर सड़क मार्ग प्रदान करने के लिए वर्तमान मुख्य मार्गों के सुधार के लिए कम से कम 15 प्रतिशत आबंटन निर्धारित करें।

[हिन्दी]

(तीन) झारखण्ड में क्षेत्रीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, झारखंड एक नया राज्य है जहां पर एक तिहाई जनजाति की आबादी है एवं वहां पिछड़े, दलित, अन्य गरीब परिवार के लोग निवास करते हैं। यहां के लोग ठीक प्रकार से आहार न मिलने से संक्रामक रोग एवं अन्य बड़ी बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। राज्य में विशेष रूप से चिकित्सा सेवा की उचित व्यवस्था नहीं है जिससे बड़ी बीमारियों का इलाज हो सके। इसके लिए वहां के लोगों को कोलकाता या दिल्ली जाना पड़ता है। इस राज्य में मात्र तीन मेडिकल कालेज हैं जहां मात्र 190 सीटें हैं। अभी हाल ही में एम्स की तर्ज पर 6 राज्यों में रीजनल एम्स अस्पताल खोलने की स्वीकृति दी गई है जहां अच्छे मेडिकल कालेज पहले से हैं। झारखंड के साथ ही बने दो अन्य राज्यों में भी रीजनल एम्स अस्पताल खोलने की अनुमति प्रदान की गई है परन्तु झारखंड राज्य को इससे वंचित रखा गया है। इस राज्य में केन्द्र सरकार के बहुत से उपक्रम हैं जैसे एचईसी, मेकन, सेल, सीसीएल, बीसीसीएल आदि का लाभ उनके कर्मचारियों को भी होगा। झारखंड एक गरीब राज्य है। इस राज्य के निवासियों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे दिल्ली आकर एम्स में अपना इलाज करवा सकें। इसके लिए राज्य सरकार एक सौ एकड़ जमीन भी देगी।

अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस पिछड़े, गरीब राज्य में जनहित में एक रीजनल एम्स की स्थापना अविलम्ब की जाए। इसके स्थल चयन हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एक दल तत्काल झारखंड राज्य की राजधानी रांची भेजा जाए।

(चार) हिमाचल प्रदेश मे बिलासपुर अथवा हमीरपुर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश के अपने हमीरपुर लोक सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां की जलवायु, मौसम, स्थानीय आकृति एवं प्रकृति सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सम्पूर्ण रूप से उपयोगी, लाभदायी एवं विस्तार हेतु अनुकूल हैं लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना नहीं की गई है जबकि वहां इस हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा प्रदेश सरकार भी हर प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु तत्पर है।

मेरा आपके माध्यम से सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र हमीरपुर के जिला मुख्यालय बिलासपुर अथवा हमीरपुर में एक राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की जाए।

[अनुवाद]

(पांच) मलेशिया के न्यायालय में विचारण का सामना कर रहे तमिलनाडु के नौ युवकों के संप्रत्यावर्तन को सुगम बनाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : महोदय, मैं यह बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि तमिलनाडु में रामानाथपुरम जिले के शिवगंगा के नौ युवकों पर अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम 1952 के अंतर्गत मौत की सजा दिए जाने के लिए मलेशिया की अदालत में मुकदमा चल रहा है और वकीलों तथा राजनयिक बातचीत के माध्यम से इन निरपराध युवकों को वहां से वापस लाये जाने हेतु सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

(छह) असम के कारबी आंगलौंग जिले के खंड-एक क्षेत्र में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों को रोके जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर. किन्डिया (शिलांग) : मेघालय में जैंतिया हिल्स जिले की सीमा पर असम में कर्बी आंगलौंग जिले के ब्लॉक-I क्षेत्र में काफी गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति विद्यमान है। उग्रवादी समूहों यू पी

डी एस और के एन वी क्षेत्र में इतना आतंक विद्यमान है कि 11 नवम्बर, 2003 से खासीप्नार जनजाति के 4300 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और मेघालय के जैंतिया हिल्स जिले में महानियांग गांव में आश्रय लेना पड़ा। कुछ लोगों को गोली मार दी गयी और अनेक घरों को जलाकर राख कर दिया गया। निरंतर जबरन धन वसूली की घटनाएं हुई और धमकियां दी गयी और लोगों में आतंक घर कर गया है। यह एक ऐसी मानवीय त्रासदी है, जो कि विगत में पूर्वोत्तर क्षेत्र के इस भाग में कभी नहीं देखी गयी। इतनी बड़ी जनसंख्या का यहां से बाहर जाना पहले कभी नहीं हुआ है। यह सही है कि असम और मेघालय के मुख्य मंत्रियों ने सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कदम उठाए हैं। यदि इस स्थिति पर शीघ्र काबू नहीं पाया गया तो इससे भयंकर जातिवादी झगड़े भड़कने की संभावना है जिसमे दो समुदायों – खासीपनार और कर्बी के बीच सौहादपूर्ण और परम्परागत संबंध संकट में पड़ सकते हैं। चूंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के विस्थापन और उससे उत्पन्न भय तथा अनिश्चितता की आतंकवाद के ही कारण है इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि आतंकवाद से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है।

(सात) देश में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर व्यय के लिए धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकारिया आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य सशस्त्र बल को आत्म-निर्भर बनाने के लिए राज्यों को उन्हें सुदृढ़ और आधुनिक बनाना चाहिए। यह महसूस किया गया है कि योजना के विद्यमान दिशानिर्देशों के मद्देनजर वर्तमान में यह उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को आधुनिकीकरण पर होने वाले कुल व्यय का 50 प्रतिशत हिस्सा देना होगा जो कि संसाधनों की कमी के कारण राज्य सरकार के लिए कठिन है। केन्द्र सरकार को कम से कम पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए आधुनिकीकरण पर होने वाले शत-प्रतिशत व्यय को वहन करना चाहिए। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों द्वारा किए जाने वाले सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना को भी केवल कुछ विशेष मदों तक ही सीमित रखा गया है। सुरक्षा संबंधी मामलों पर चाहे वह बार-बार होने वाला व्यय हो अथवा एक बार होने वाला व्यय हो राष्ट्र के हित में योजना के दायरे को व्यय की सभी मदों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करे।

[हिन्दी]

(आठ) किसानों के लाभ के लिए देश के ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा किये जाने और एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक खोले जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कृषि कार्यों को सम्पन्न करने हेतु किसानों को ऋण उपलबध करवाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को ऋण देकर छोटे-मोटे उद्योग खोलने के उद्देश्य से की गयी थी जिससे लोगों को रोजगार मिलता रहे और नौजवार शहरों की तरफ पलायन न करें। इन बैंकों में जमा राशियां भी बढ़ रही हैं परन्तु गांव के किसानों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से लोन नहीं मिल पा रहा है और मिलता भी है तो समय पर नहीं। इसके साथ यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकारी बैंक और भूमि विकास बैंक भी किसानों को लोन उपलब्ध करवाने में कोई भी रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण कृषि में निवेश कम होता जा रहा है और खेती-बाड़ी को एक घाटे का सौदा समझा जा रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र के हिंगोली के नांदेड़ एवं परभनी जिले में ग्रामीण कारीगरों, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग को चलाने वाले लोगों को दिए जा रहे ऋणों में बहुत कमी हुई।

मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ग्रामीण बैंकों के कार्यों की समीक्षा करें। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाये। साथ ही आर.बी.आई. की नीतियों को ग्रामीण बैंकों के प्रसंग में समुचित बदलाव किया जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : केवल अनुमोदित पाठ ही कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित किया जायेगा।

[हिन्दी]

(नौ) उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. – 76 के उचित रख-रखाव और उन्नयन के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा) : महोदय, उत्तर प्रदेश में झांसी-मिर्जापुर मार्ग जो महोबा-बांदा-प्रयाग-इलाहाबाद होकर गुजरता है, को भारत सरकार

[श्री राम सजीवन]

के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग-76 घोषित कर रखा है। तीन-चार वर्ष बीत जाने के बावजूद इस राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधार में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। बांदा और चित्रकूट जिलों में इस राष्ट्रीय राजमार्ग की बड़ी दुर्दशा है। पचासों किलोमीटर क्षेत्र में सड़क टूटी-फूटी और संकरी है। पुल-पुलिया कमजोर, टूटे और नीचे हैं जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। बरसात में बाढ़ का पानी पुलों के ऊपर से बहता है जिससे कई नदी-नालों में उफान के कारण दोनों ओर वाहन यातायात ठप्प हो जाता है। नये निर्माण कार्यों को गुणवत्ता इतनी अधिक खराब है कि सड़क बनते ही टूट गई है और गड्ढे हो गये हैं। जनता को भारी कष्ट का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार द्वारा अधिक धन देकर मरम्मत तथा पूर्ण गुणवत्ता के साथ नया निर्माण कराने तथा सड़क का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण कराने की आवश्यकता है।

(दस) बिहार के सूखा प्रभावित गन्ना किसानों को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : महोदय, बिहार में गन्ना उत्पादक कृषक कई वर्षों से बी.ओ. प्रभेद 128 नामक गन्ना को लगा रहे थे। पिछले वर्षों में उसका उत्पादन काफी अच्छा था, किंतु इस वर्ष इस प्रभेद का गन्ना बिल्कुल सूख गया है। अब वह मात्र जलावन के लायक रह गया है। हसनपुर शुगर मिल्स एरिया में अधिकतर कृषकों ने इसी प्रभेद के गन्ना को लगाया था। गन्ना के सूख जाने के कारण लागत मूल्य एक प्रतिशत भी वापस होने की स्थिति में नहीं रहा है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है।

अत: भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि विशेषज्ञ भेजकर सूखे के कारण का पता लगाया जाए, गन्ना-सूखा-प्रभावित किसानों को उपयुक्त मुआवजा दिया जाए, कम सूद दर पर ऋण देने की वयवस्था की जाए तथा अगली खेती करने के लिए तुरंत अच्छे प्रभेद के गन्ना बीज की आपूर्ति कराई जाए।

[अनुवाद]

(ग्यारह) पश्चिमी बंगाल में सुईसा रेलवे स्टेशन के दक्षिण की ओर एक प्लेटफार्म और एक पैदल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : पश्चिम बंगाल कृषि विपणन विभाग ने दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीजन में सुईसा रेलवे स्टेशन के दक्षिणी तरफ एक विपणन परिसर कम्प्लेक्स बनाने का निर्णय किया है। इस समय बड़ी संख्या में सब्जी उगाने वाले अपने कृषि उत्पादों को बेचते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा दैनिक बाजार लगाया जाता है। कभी-कभी मालगाड़ियां काफी लम्बे समय तक खड़ी रहती हैं। कभी-कभी "अप" और "डाउन" यात्री गाड़ियां भी वहां मिलती हैं। लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उपरोक्त परिस्थितियों के अंतर्गत, मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह सुईसा रेलवे स्टेशन के दक्षिणी तरफ एक प्लेटफार्म और पैदल उपरिपुल का निर्माण करे।

(बारह) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील के गन्ना किसानों की बकाया राशि का राजा-का-सहसपुर स्थित चीनी मिल द्वारा भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद) : उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील के गन्ना किसानों को राजा-का-सहसपुर स्थित अजुधिया चीनी मिल द्वारा कई वर्षों से बकाये का भुगतान नहीं किया गया है। इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार की गन्ना मूल्य सम्बंधी नीति भी अस्पष्ट है। उक्त मिल के श्रमिकों को देय वेतन की धनराशि करोड़ों रुपये की है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बिलारी तहसील के गन्ना उत्पादकों और मिल श्रमिकों की सहायता करे।

(तेरह) आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : आंध्र प्रदेश राज्य लगातार तीन वर्षों से सूखे की चपेट में है। चूंकि कई मंडलों में वर्षा काफी कम और अपर्याप्त थी इसलिए राज्य में भंयकर सूखे की स्थिति के कारण 966.12 करोड़ रुपये की कुल फसल हानि हुई। इसके साथ-साथ अपर्याप्त वर्षा के कारण किसान समुदाय और कृषि श्रमिक समुदाय बेरोजगार हो गए हैं और जीविकोपार्जन के अभाव से ग्रस्त हैं। इससे 6.7 लाख मवेशी प्रभावित हुए हैं और चारे की कमी हुई है। अपर्याप्त वर्षा से पेयजलापूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने समस्या से निपटने के लिए उसके पास उपलब्ध सभी संसाधन खर्च कर दिए हैं और अब वह और केन्द्रीय सहायता की आस लगाए बैठे हैं।

अतः हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) में केन्द्रीय सहायता के रूप में 996.12 करोड़ रुपये की सहायता दी जाए। साथ ही यह भी अनुरोध किया जाता है कि आगामी महीनों में एस जी आर वाई (एससी) के अधीन "रोजगार सामान्य कार्यों" को शुरू करने के लिए 15 लाख मीट्रिक टन चावल भी आबंटित किए जाएं जिससे बेरोजगार कृषि श्रमिकों के साथ-साथ वृद्ध व्यक्तियों, नेत्रहीन व्यक्तियों और निशक्त लोगों को भी सहायता प्राप्त होगी जो इस सूखे की स्थिति में बुरी तरह प्रभावित हैं।

[हिन्दी]

(चौदह) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के उम्मला राजपाडरी, नेत्रान, डडोयापाडा, मंगरौल में मोबाईल टेलीफोन सेवा नहीं है। यह सारा क्षेत्र आदिवासी बहुल है और विकास के पथ पर है। इस संबंध में मैं गुजरात के मुख्य महाप्रबंधक एवं भरूच जिले के जिला दूरसंचार प्रबंधक से मिल चुका हूं और इस बारे में लिखित रूप से भी सूचित कर चुका हूं, परन्तु अभी तक इस कार्य में कोई भी प्रगति नहीं हुई है और दूरसंचार की बैठकों में उक्त मामले को मैं कई बार उठा चुका हूं।

सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सेवा तत्काल उपलब्ध करवाई जाए।

अपराह्न 2.22 बजे

[अनुवाद]

रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक—*पारित*

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 को निरसित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 औद्योगिक रूग्णता की समस्या का समाधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम समस्याओं को रोकने में प्रभावी नहीं हुआ है क्योंकि यह कई कमियों में ग्रस्त है। और बी आई एफ आर तंत्र में देखी गई समस्याओं के मद्देनजर, रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) विधेयक 2001 को इस सभा में 30 अगस्त 2001 को पुरःस्थापित किया गया था ताकि एम आई सी ए 1985 का निरसन और बी आई एफ आर औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन अपीली प्राधिकरण को समाप्त किया जा सकें।

इसके साथ-साथ कंपनी (संशोधन) विधेयक 2001 इस सभा में पुरःस्थापित किया गया था ताकि बी आई एफ आर/एए आई एफ आर के स्थान पर वैकल्पिक तंत्र उपलब्ध कराया जा सके जिसका मुख्य उद्देश्य रूग्ण कंपनियों के पुनरुद्धार को सुगम और त्वरित बनाना तथा बंद हो रही कंपनियों में, जहां आवश्यक हो, श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना था। यह विधेयक राष्ट्रीय कंपनी निधि अधिकरण की स्थापना का उपबंध करने हेतु शीतकालीन सत्र 2002 में इस सभा में पारित किया गया था। विभिन्न निकायों अर्थात् कंपनी लॉ बोर्ड बीआईएफआर, एसआईसीए के अधीन और एएआईएफआर द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियों और क्षेत्राधिकारों तथा कंपनियों को बंद करने के संबंध में उच्च न्यायालयों की शक्तियों को समेकित करने और उन्हें अधिकरण को सौंपने का प्रस्ताव है ताकि कंपनियों को पुनरूज्जीवित करने/उनका पुर्नवास करने/विलयन/सम्मिश्रण अथवा उन्हें बंद करने से संबंधित मामलों का निर्णय करने के लिए मौजूद मंचों की बहुलता से बचा जा सके।

यह विधेयक जांच के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति ने अपना प्रतिवेदन संसद को 19 दिसम्बर 2002 को प्रस्तुत किया था जिसमें इस बात पर सर्वसम्मति थी कि एस आई सी ए के अधीन गठित बी आई एफ आर काफी हद तक अपनी निहित कमियों के कारण अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की कि एस आई सी ए का निरसन किया जाए और उसने एस आई सी ए निरसन विधेयक 2001 को अनुमोदित भी किया जो इस समय यहां है। तथापि, समिति ने पाया कि उस विधेयक में लम्बित मामलों के मुद्दों – जो एस आई सी ए के निरसन से अधर में रह जाएंगे – के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और सिफारिश की कि सरकार को ऐसे मामले को निपटाने के लिए समुचित संशोधन लाने चाहिए।

स्थायी समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात, रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2001 में अन्य

[श्री जसवंत सिंह]

चीजों के साथ-साथ अनेक संशोधन प्रस्तावित हैं ताकि अधर में रह गए किए गए मामलों का एन सी एल टी द्वारा पंजीकरण हो सके और समय-सीमा के प्रतिबंध को हटाया जा सके जिससे कि बी आई एफ आर/एए आई एफ आर द्वारा पूर्व में अनुमोदित पुनर्वास योजनाओं को एन सी एल टी के अधीन जारी रखा जा सके और अधर में लटके मामलों का पंजीकरण नए सिरे से एन सी एल टी में हो जाने के बाद उनके संबंध में फीस को माफ किया जा सके।

महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक पर विचार किया जाए और पारित किया जाए।

अपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस विधेयक के लिए चार घंटे का समय आबंटित किया गया है।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, यह एक छोटा विधेयक है। मैं नहीं समझता कि हमें इसके लिए चार घंटों की आवश्यता होगी।

अपाध्यक्ष महोदय : कार्य-मंत्रणा समिति ने यह समय आबंटित किया है। यदि हम इस पर चर्चा उससे पहले समाप्त कर सकते हैं तो अच्छा है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 को निरसित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर) : महोदय, माननीय मंत्री ने यह विधेयक प्रस्तुत करते हुए मौखिक रूप से यह उल्लेख किया था कि प्रस्तावित राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण समाप्त हो गए मामलों का ध्यान रखेगा। मुझे आश्चर्य है कि मंत्री जी ने क्यों इस सभा को मौखिक आश्वासन दिया है जो अत्यन्त अस्पष्ट है। जैसा कि माननीय मंत्री ने स्वयं बताया कि, यह विधेयक 2002 में आया और इसे स्थायी समिति को भेजा दिया गया। स्थायी समिति इस सभा का विस्तार है और स्थायी समिति में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कोई कुछ भी कहे, हमारे संसद में स्थायी समिति प्रणाली अत्यंत ही संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रही है और हम यह दावा करने में गर्व महसूस करते हैं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अत्यन्त विस्तारपूर्वक इसकी जांच की और अपनी सिफारिशें कीं। मैं इसकी एक सिफारिश को पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है:

"समिति यह नोट करके अत्यधिक-चिंतित है कि बी आई एफ आर/ए ए आई एफ आर के पास लंबित मामलों का मुद्दा जो एस आई सी ए के निरसन पर समाप्त हो जाएगा। पर उपर्युक्त विधेयक में ध्यान नहीं दिया गया है। वह पाती है कि प्रस्तावित एन सी एल टी में प्रावधानों के माध्यम से हस्तांतरण की व्यवस्था नहीं है। समिति महसूस करती है कि इससे रूग्ण औद्योगिक कंपनियों को काफी परेशानी होगी जिनके मामले बी आई एफ आर/एए आई एफ आर में लंबित हैं और उनका विचार है कि उक्त समाप्त किए गए मामलों को एन सी एल टी में फिर से पंजीकृत करने में काफी समय बर्बाद होगा। इसलिए, वह सिफारिश करती है कि सरकार को इस विधेयक में ही समुचित संशोधन करना चाहिए जिससे कि इन समाप्त किए गए मामलों का निपटारा हो सके।"

महोदय, मैं नहीं जानता कि क्या माननीय मंत्री ने इस सिफारिश को पढ़ा है। इसमें सिर्फ तीन सिफारिशें हैं और दूसरी तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है। इस सभा को बी आई एफ आर/ए ए आई एफ आर के सम्मुख लंबित मामलों के बारे में जानकर आश्चर्य होगा।

परिचालित प्रारूप योजनाओं की संख्या 77 थी, ऐसे मामले जिनमें बंद करने की सूचना दी गई थी, की संख्या 117 थी; 1151 मामलों की जांच चल रही है; फाइल की गई और पुनः खोली गई योजनाओं की संख्या 64 है; बी आई एफ आर / ए आई एफ आर द्वारा सिफारिश लंबित मामले 44 थे और जिनमें न्यायालय के स्थगन आदेश लिए गए थे उन मामलों की संख्या 45 थी। कुल मिलाकर 1498 मामले ए आई एफ आर और बी आई एफ आर के सामने लंबित हैं। इस समय इस विधेयक को इस सभा द्वारा पारित किया जाना है। इसके बाद इसे राज्य सभा द्वारा पारित किया जाना होगा और फिर इसे माननीय राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजना होगा और तभी यह अधिनियम बनेगा यहां यह कहा गया है कि एफ सी एल टी के गठन का प्रस्ताव है। इस सभा को इसका ध्यान रखना है कि वास्तव में एन सी एल टी का अभी तक गठन नहीं हुआ है। मैं नहीं जानता कि कंपनी (संशोधन) विधेयक में यथा अंतर्विष्ट उपबंध, जिस रूप में इस सभा द्वारा पारित किये गये, को समुचित रूप से प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। इसमें कम से कम एक वर्ष का समय लगेगा।

मैं निराशावादी नहीं हूं। इसमें कम से कम छः महीना लगेगा। स्थायी समिति का प्रतिवेदन इस वर्ष जनवरी में सरकार तक जरूर पहुंच गया होगा। क्योंकि समिति का प्रतिवेदन दिसम्बर, 2002 में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद से लगभग एक वर्ष बीत चुका है। इस संशोधन विधेयक में एक धारा अंतर्विष्ट होनी चाहिए थी जिसके द्वारा एन सी एल टी द्वारा इन 1498 लंबित मामलों पर ध्यान दिया जाता। इसके पीछे कोई कारण है यह मैं नहीं कहना चाहता। किंतु बात यह है कि वित्त विभाग अथवा विधि विभाग ने समिति की सिफारिशों को गंभीरता से नहीं लिया। यह एकाध संदर्भ नहीं है। कंपनियों के लगभग 1498 मामले लंबित हैं। मुझे कामगारों की चिंता है जो इन कंपनियों में काम कर रहे थे।

महोदय, मैं मंत्री जी से सहमत हूं कि एम आई सी ए का अत्यधिक दुरुपयोग हुआ है। एक उद्योग या तो रूग्ण घोषित किया जाता है या रूग्ण बनाया जाता है और बी आई एफ आर को सौंप दिया जाता है और फिर अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत उस उद्योग को अपने कर्मचारियों को सांविधिक देयों जैसे भविष्य निधि, ई एस आई इत्यादि का कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है, और उसे अपने ऋणदाताओं को भी कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। यह लगभग रीति सी बन गई है कि कंपनियों को यथासंभव पहले रूग्ण घोषित कर दिया जाए और प्रवर्तक आसानी से छुटकारा पा लेते हैं। मैं सहमत हूं कि बी आई एफ आर के अर्ध न्यायिक प्राधिकार के समाप्त होने के कारण और न्यायिक प्राधिकारियों के हस्तक्षेप से पिछले वर्षों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

किंतु साथ ही माननीय मंत्री जी को एक पहलू पर अवश्य विचार करना चाहिए। यह अधिनियम वर्ष 1985 में अस्तित्व में आया। आज तक बी आई एफ आर में अधिनियम में यथा विहित 14 सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई। पहले की सरकारों को छोड़ दीजिए वर्तमान सरकार भी इस देश पर 5 वर्ष से अधिक शासन करने के बाद भी बी आई एफ आर में 14 सदस्यों के कोटे को पूरा भर नहीं सकी। बी आई एफ आर के इतिहास में कभी भी पूरे - के पूरे 14 सदस्य नहीं नियुक्त किए गए। हमने आशा की थी कि बी आई एफ आर के अस्तित्व में आने एक वर्ष के अंदर मामले निपट जाएंगे किंतु बी आई एफ आर वर्षों तक रहा। मेरी मुख्य शिकायत है कि मंत्री जी को इस निरसन विधेयक में पर्याप्त प्रावधान करना चाहिए बजाए इसके कि मामलों को स्वतः ही समाप्त होने दिया जाए। इस पहलू पर इस विधेयक में ही ध्यान देना चाहिए था ताकि जिस समय यह विधेयक पारित हो, जिस समय एन सी एल टी अस्तित्व में आए, ये मामले स्वतः ही उसके पास चले जाएं।

इसकी बजाए, माननीय मंत्री अब इस सभा को आश्वासन देते हैं कि नया पंजीकरण कराना होगा। इसमें धन नहीं हो सकता है। कई अन्य बातें हुई हैं। फिर भी एन सी एल टी को प्रभावी बनाने और इन मामलों पर ध्यान देने में इसे कम से कम एक वर्ष लग जाएगा। मेरे मित्र श्री मुनियप्पा ने अभी-अभी मुझे बताया कि कर्नाटक के बी जी एम एल ने कर्मकारों को दो वर्षों से वेतन नहीं दिया है। इसलिए श्री मुनिअप्पा का मामला यह है कि दो वर्षों का वेतन नहीं दिया गया है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कार्यान्वित कर दी गयी है। किंतु आपने रुपये भुगतान नहीं किए और वे छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है और आपने इसका पालन नहीं किया है। इसलिए, इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस कंपनी के 50 लोगों का निधन हो गया। यह भारत में सोने की एक पुरानी खदान है।

अब, क्या स्थिति होने जा रही है? प्रस्तावित एन सी एल टी के गठन में एक वर्ष या जो भी समय आवश्यक हो लग जाएगा और फिर इन सभी मामलों को हस्तांतरित करने में कितने महीने लगेंगे? इस अवधि के दौरान, कर्मकार अपने दैनिक रोजी-रोटी से भी वंचित हो गए हैं। डनलप कंपनी का भी यही मामला है। एक समय डनलप कंपनी खूब लाभप्रद और समृद्ध कंपनी थी यह रूग्ण हो गयी। मैं यह नहीं कहना चाहता कि इसे रूग्ण कर दिया गया। किंतु इसके परिणामस्वरूप हम इससे काफी प्रभावित हुए। केरल के रबड़ व्यापारी जिन्होंने रबड़ की आपूर्ति की थी उन्हें अपने पैसे के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है इस समय डनलप का मामला ए ए आई एफ आर के सामने है। जैसा कि माननीय मंत्री जी जानते हैं ए ए आई एफ आर का एक भी सदस्य नहीं है। ए ए आई एफ आर को कुछ माह पहले स्वतः ही अस्तित्व समाप्त हो गया। हम इसे पुनः शुरू करने नहीं जा रहे हैं। इस अधिनियम के कारण एक बार फिर यह समाप्त हो जाएगा और इसे पुनः पंजीकृत करना होगा। इसलिए, माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इसे पारित करने से पहले इस विधेयक में ही एक खंड जोड़ना होगा ताकि स्वतः वे लंबित मामले हस्तांतरित हो जाएं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे एन सी एल टी के गठन के लिए तुरन्त कदम उठाएं और मामलों का तीव्र निपटारा करें।

माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि एन सी एल टी को कंपनी लॉ बोर्ड रूग्ण उद्योग अधिनियम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधिकार प्राप्त हैं जो कंपनी से संबंधित है। मैं सहमत हूं कि तीन बातें संबंधित हैं। इसके बारे में कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं किंतु बात यह है कि इसमें विलम्ब होने जा रहा है क्योंकि अभी भी

[श्री ए.सी. जोस]

अनेक मामले हैं जिनसे कंपनी लॉ बोर्ड को निपटाना है। उच्च-न्यायालय में कई मामले हैं जो कि इसके अनुसार इन मामलों के साथ कंपनी लॉ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। 1498 मामले हैं। इसलिए, इन मामलों को निपटाने में कितना समय लगेगा? मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जब प्रस्तावित एन सी एल टी का जब गठन किया जाए तो इसमें सुरक्षोपाय की समय-सीमा होनी चाहिए जिसके भीतर इन मामलो को निपटाया जाए। जैसा कि मैंने आपसे डनलप कंपनी के बारे में कहा करोड़ों रुपए रबड़ व्यापारियों और ऋणदाताओं को देने हैं। मुझे ऋणदाताओं की चिंता नहीं है। किंतु रबड़ व्यापारियों का क्या होगा? क्योंकि एक बार जब यह बी आई एफ आर को सौंप दिया जाएगा तो परिसमापन की प्रक्रिया रोक दी जाती है।

इसलिए, सिर्फ परिसमापन की प्रक्रिया से ही कर्मकारों को उनका पैसा मिलने में मदद मिलेगी। वी आई एफ आर को मामला सौंपने से भी पहले, कर्मकारों को वेतन से वंचित होना होगा। एक बार यह बी आई एफ आर को सौंप दिया जाता है तो कर्मकार वेतन के लिए भी दावा नहीं कर सकते। फिर उन्हें परीसमापन प्रक्रिया की प्रतीक्षा करनी होगी। पुरानी कानूनी व्यवस्था के अनुसार सरकारी ऋण और बैंक के ऋणों को प्राथमिकता देनी है। कर्मकारों को वेतन और अन्य लाभ प्राप्त करने में दूसरी प्राथमिकता मिलती है।

मेरा निवेदन है कि इस अधिनियम में प्रावधान किया जाना चाहिए कि कर्मकारों को पहले उनके वेतन का भुगतान किया जाए।

जब मामले बी आई एफ आर के पास भेजे जाते हैं तो यह पहले नोटिस देता है। इसके बाद इस पर अनावश्यक भाषण होता है और यह विधिक प्रक्रिया आदि जैसी सभी प्रकार की प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। इसके बाद वे इसका निरीक्षण करने के लिए किसी एजेन्सी को नियुक्ति करते हैं।

मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जब कोई उद्योग रूग्ण हो जाता है, जब कानून इस कंपनी पर लागू किया जाता है, और जब यह राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष जाता है तो प्रबंधन को उसके पुनरूद्धार की योजना शुरू करनी चाहिए। इस समय ऐसा नहीं हो रहा है। उनकी इकलौती जिम्मेवारी कंपनी को रूग्ण बना देना है। इसके बाद वर्तमान अधिनियम के अनुसार निरसन से पूर्व यह अपने आप बी आई एफ आर के पास चला जाता है। इसके बाद किसी ऐसी एजेन्सी की खोज करना बी आई एफ आर का कार्य होता है जो पुनरूद्धार पैकेज की शुरूआत करे। उन्हें पुनरूद्धार पैकेज प्रस्तुत करना होता है, बैंकरों को इस से सहमत होना चाहिए; सभी उधारकर्त्ताओं और जमाकर्त्ताओं को भी इससे सहमत होना चाहिए; इसके अतिरिक्त अन्य प्रक्रियाएं भी होती हैं। फिर प्रबंधन का कोई काम नहीं रह जाता है। समय की कमी के कारण मैं उन सबके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लगभग पांच हजार निजी कंपनियां बी आई एफ आर के पास गई हैं। हमं इन कंपनियों का अध्ययन करना है। वे सभी गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों बन गई हैं। ये लोग बैंकों से बहुत अधिक धनराशि या तो मैनेजर को जानकारी और मिली भगत के या उनकी अज्ञानता से प्राप्त कर लेते हैं। धनराशि अनेक प्रकार से हड़प ली जाती है और अंततः कंपनी रूग्ण बना दी जाती है।

निजी क्षेत्र की कंपनियों और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के बीच अंतर होना चाहिए। निजी क्षेत्र की कंपनियों के मामलों में प्रबंधन को उसे रूग्ण बनाने हेतु जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कंपनी के रूग्ण हो जाने पर वे किसी बात के लिए उत्तरदायी नहीं रहते हैं। कंपनी लॉ बोर्ड को इसकी जांच करनी होती है। वे कोई योजना लाते हैं जिसके द्वारा क्रेडिटरों को इस धनराशि से माफी दे दी जाती है, कामगारों का छह महीने या एक वर्ष का वेतन चला जाता है, विद्युत प्रभार का भुगतान करना होता है आदि अन्य कार्य भी होते हैं यह स्थिति चलती रहती है। निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रबंधन को न्यायाधिकरण के प्रति जबावदेह बनाया जाना चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, धनराशि किसने हड़प ली और ऐसा किस कारण से हुआ, आदि।

इसके बाद मैं सरकारी क्षेत्र की बात करूंगा। इनकी अत्यंत दयनीय स्थिति है। सरकारी क्षेत्र के मामले में सरकार स्वयं निर्णय ले सकती है। मैं मंत्रियों द्वारा सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के कार्यकरण में हस्तक्षेप और धन मांगने या अन्य कार्य करवाने हेतु हस्तक्षेप करने संबंधी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। इसके बारे में सभी लोग मौन हैं।

मुझे नहीं ज्ञात है कि ऐसा हुआ या नहीं लेकिन कुछ मंत्रियों के नाम समाचार पत्रों में आए हैं। लेकिन एक बात निश्चित है ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : इसके बाद समाचार पत्रों में क्षमा याचना भी छपी थी।

श्री ए.सी. जोस : हां, समाचार पत्रों में क्षमा याचना भी छपी थी। मैं इसकी बात बात नहीं कर रहा हूं। यह सब राजनीति है। लेकिन एक बात निश्चित है। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप जो कि आज आम हो गया है, के कारण दो बातें होती हैं। पहला यह कि प्रबंधक कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और दूसरे सरकारी क्षेत्र उद्योगों को पर्याप्त धनराशि नहीं दी जाती है। मैं सरकार पर अत्यंत गंभीर आरोप लगाता हूं कि वह सरकारी क्षेत्र उद्योगों का किसी न किसी प्रकार खत्म कर रही है।

वैश्वीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा के लिए निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है। जो निर्णय लिया जाना है वह सबसे महत्वपूर्ण है। होता यह है कि कोई संयुक्त सचिव इसमें अपनी टांग अड़ा देता है। कोई भी प्रबंध निदेशक चाहे वह कितना मजबूत, प्रभावी एवं योग्य हो कोई निर्णय नहीं ले सकता क्योंकिद यह अंततः दिल्ली भेजा जाता है। केन्द्र सरकार को इसकी जांच करनी होती है, किसी संयुक्त सचिव को इसकी जांच करनी होती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि मंत्री जिम्मेदार हैं।

मेरे राज्य केरल का उदाहरण लें। एफएसीटी केरल का मूल उद्योग है जो 1946 से कार्य कर रहा है। यह स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व शुरू किया गया था। तीन वर्षों पहले तक यह बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहा था। यह बहुत लाभ में चल रहा था। इस समय यह घाटे में है। इसके बाद 25 और 26 तारीख को यह निर्णय लेने के लिए बैठक बुलाई गई कि क्या कंपनी की वित्तीय स्थिति की सूचना देते हुए इसे बी आई एफ आर को भेज देना चाहिए। इसके क्या कारण हैं? एफएसीटी ने केन्द्र सरकार से 360 करोड़ रुपये का अनुरोध किया है। केन्द्र सरकार का कहना है कि बिजली, बिक्री-कर आदि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कुछ रियायतें दी जानी है। राज्य सरकार का कहना है कि जब तक केन्द्र सरकार इसे सरकारी क्षेत्र में रखती है यह रियायतें दे सकती है। लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। राज्य सरकार यह करने को तैयार है।

कंपनी ने बी आर एस की योजना बनाई थी। यह सरकार के सामने है। धनराशि सरकार द्वारा दी जानी है। क्योंकि इसे सरकार ने बनाया है। लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। चाहे निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र यदि आपको विश्व में प्रतिस्पर्धा करनी है तो आपको निर्णय शीघ्र लेने होंगे और उस निर्णय से संबंधित लोगों को अवगत कराना होगा। इस देश में सरकारी क्षेत्र का कोई उद्योग स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। अतः, सरकार से मेरा अनुरोध है कि सर्वप्रथम सरकार को सरकारी क्षेत्र उद्योगों को कार्य करने की अनुमति देनी चाहिए। मुझे ज्ञात है कि श्री अरूण शौरी ने कंपनियों का वर्गीकरण किया है। उसके अनुसार, कतिपय कंपनियों का पुनरूद्धार नहीं किया जा सकता; कतिपय कंपनियों का पुनरूद्धार किया जा सकता है, और कतिपय कंपनियां अच्छी तरह चल रही हैं। कंपनियां जिनका पुनरूद्धार किया जा सकता है अविलंब उनको धन और पर्याप्त कार्मिक देकर पुनरूद्धार किया जाना चाहिए ताकि वे रूग्ण न हों।

सवाल यह है कि किसी कंपनी के एक बार रूग्ण हो जाने पर आप उसके लिए चाहे जितना प्रयास करें उसका पुनरूद्धार करना कठिन होगा। यह जिसके पास सत्ता होगी, उसके इशारों पर कार्य करेगी। मेरा निवेदन है कि सरकारी क्षेत्र उद्योगों और निजी क्षेत्र उद्योगों के रूग्ण होने से पहले ही, उनको अलग-अलग किया जाना चाहिए और इसे अलग दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इसलिए जहां तक संभव हो सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को रूग्ण नहीं बनाया जाना चाहिए। शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्हें उचित रूप से कार्य करने हेतु सक्षम बनाया जाना चाहिए।

अब मैं ऐसे मामलों की बात करूंगा जो रद्द कर दिए गए हैं। यदि सरकार राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में लंबित मामलों को पंजीकृत करने हेतु इस सम्मानित सभा में इस मौजूदा विधेयक में संशोधन नहीं लाती है तो कम से कम इकाइयों के स्थानान्तरित किए जाने पर कामगारों को देय राशि का ध्यान रखा जाना चाहिए। मुझे ज्ञात है कि कागजातों में इसका ध्यान रखा जाता है। मेरा निवेदन है कि ऐसा किए जाने से पहले किसी उपबंध द्वारा कामगारों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान किसी एजेंसी अथवा प्रबन्धन द्वारा किया जाये।

महोदय, इसका भुगतान किया जा सकता है क्योंकि यह सरकारी धन है और भविष्य निधि और ईएसआई देयों का भुगतान भी किया जा सकता है लेकिन सरकार को चाहिए कि कामगारों को दो जून की रोटी से वंचित न करे। सरकार इस विधेयक को पारित कर सकती है और इसके बाद कह सकती कि, कंपनी बीआईएफआर के पास भेज दी गई है। लेकिन कामगारों का क्या होगा? जब हम, इस सभा में कोई विधेयक पारित करें तो सरकार और इस सम्मानित सभा को कामगारों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। कामगारों के कल्याण के बारे में सोचने के बजाए हम क्रेडिट और सरकारी देयों के बारे में सोच रहे हैं। अतः, मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि रद्द किए गए मामलों और भावी मामलों में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के नियमों में विशेष उपबंध करके, या किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से कामगारों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ए.सी. जोस : मुझे पता है कि मैं समय ले रहा हूं। लेकिन शीघ्रता मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के एक और वक्ता इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं। अत:, कृपया, शीघ्र अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री ए.सी. जोस : मैं जानता हूं कि आप मेरी तरफ देख रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको नहीं देख रहा हूं। आप अपने दल के लिए आबंटित पूरा समय ले सकते हैं लेकिन दूसरा वक्ता इस बहस में भाग नहीं ले पायेगा।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, इस बहस के लिए चार घंटे आबंटित किए गए हैं। कृपया मुझे एक मिनट और बोलने दीजिए।

महोदय, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण जिन मामलों को देखता है उन्हें किसी रणनीति पर पहुंचना चाहिए। मुझे पता है कि एनसीएलटी के पास उच्च न्यायालय के अधिकार हैं और कंपनी विधि संबंधी कार्य देखती है। लेकिन कोई बहुत चुतरता से इसे पुन: उच्च न्यायालय में ले जा सकता है। मुझे यह पता नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति ने इस विधेयक को अनुमति दे दी है। अत: जब राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के कार्यकरण के लिए नियम बनाए जाएं तो इस प्रकार के मामलों का कोई परिणाम निकलना चाहिए।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन्हें इस बात की आवश्यकता नहीं है कि वह एनसीएलटी के गठन की प्रतीक्षा करें और तत्पश्चात इन मामलों को उस निकाय के समक्ष ले जाएं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इन मामलों पर विचार करें और इसके बाद विधेयक को सभा में लाएं।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को इस बिल को लाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। जब से प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश की बागडोर सम्भाली है, तब से एक के बाद एक पिछले पांच वर्षों में ऐसे क्रांतिकारी कानून बनाए गए हैं, जिनसे देश की अर्थव्यवस्था क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे।

जो सपना हमारे राष्ट्रपति महोदय अब्दुल कलाम जी ने देखा है, जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा है कि हम 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उस गोल को प्राप्त करने के लिए ऐसे कानून हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। आज हमें इस बात की खुशी है कि जो देश का मिड सर्वे आया, उसमें हमारी जी. डी.पी. सात प्रतिशत बताई गई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आठ प्रतिशत की उपलब्धि बताई गई है, इंडस्ट्री में भी छ: प्रतिशत की ग्रोथ बताई गई है और सर्विस सेक्टर में सात प्रतिशत की ग्रोथ बताई गई है। पिछले कई वर्षों से बीआईएफआर और सिका जैसे कानून भी हमारे देश में कार्यरत हैं, जो 1985 में बने थे।

लेकिन जो अपेक्षा थी कि ये कानून रूग्ण उद्योगों को दुबारा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और लिक्विडेशन को जो प्रोसेस है उसको भी निर्धारित समय में निपटाने में कामयाब होंगे। लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 17 वर्षों में जो भी मामले इनके सुपुर्द किये गये, उनमें से 90 प्रतिशत मामले 10-15 वर्षों तक लटके रहे। इतने लम्बे प्रोसेस की जब प्रक्रिया अपनाई जाती है इसीलिए कुछ मामले 20-25 वर्षों अपने लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। भारत सरकार चाहती है कि भारत की कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में शामिल किया जाए और इसे शामिल करने के लिए यह जरूरी है कि हमारी रूग्ण इकाइयां समय रहते ठीक की जाएं या उनको बंद करने की प्रक्रिया इतनी सरल बनाई जाए कि उसमें लम्बा समय न लगे। हम चाहते हैं कि इस बिल को लागू करने के पश्चात इसमें जो डायरेक्टर्स रखे जाएंगे, वे सीए हों, एमीनेंट वकील हों, कंपनी सचिव हों, ताकि मामले शीघ्र निपट सकें। हमारे मजदूरों का 2 हजार करोड़ रुपया ऐसे लम्बित मामलों में फंसा हुआ है जहां इकाइयां बीमार चल रही हैं। हम चाहेंगे कि मामले शीघ्र निपटें जिससे श्रमिक वर्ग के हितों को नुकसान न हो।

31 मार्च 2001 तक हमारे देश के अंदर 2,52,947 ऐसी बीमार इकाइयां या कमजोर इकाइयां देखने को मिली, जिनमें से 2,40,630 इकाइयां एसएसआई सेक्टर की हैं तथा नॉन एसएसआई सेक्टर में 3,317 इकाइयां हैं। इन इकाइयों में बैंकों का भी करीब 23,656 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। इसलिए जो बीआईएफआर है उसको आज ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल फ्यूनरल राइट्स के रूप में जाना जाता है। आज इसकी आवश्यकता नही रह गयी है। इसलिए इसके बारे में एक नया कानून लाया जाए।

मान्यवर, आज भारत के अंदर योग्यता है कि जापान के अंदर जो लॉग-टर्म-क्रैडिट बैंक रूग्ण अवस्था में चल रहा था भारत के

लोगों ने वहां जाकर उस बैंक की अवस्था को सुधारा। आज वह बैंक टॉप बैंकों की श्रेणी में चला गया है। जब हम दुनिया में अपनी योग्यता को दिखा सकते हैं तो भारत में भी अपनी योग्यता को दिखाकर अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे देश की आईटी इंडस्ट्री ने 45 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का एक वर्ष में निर्यात किया है। इसी तरह से मारूति उद्योग है, कार बनाने वाली इंडिका कंपनी है, मोसर-बीयर जैसी कंपनियां विश्व में तीसरे नम्बर पर चली गयी हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

टेंडन इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग जिस प्रकार से हमारे देश के लिए एक गौरव का विषय बना हुआ है हम चाहते हैं कि इस बल के लागू होने से हमारे देश में जो इकाइयां हैं, उनमें फिर से जान आएगी और देश के निर्माण में वे उद्योग सहायक सिद्ध होंगे। भारत सरकार ने एमएसआई के विकास के लिए मंत्रालय में अलग से विभाग बनाया है, उससे लगता है कि हमारे देश में जो रूग्ण उद्योग चल रहे हैं, उनको ठीक करने में मंत्रालय साधन जुटा पाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में इकाइयां रूग्ण क्यों हो जाती है? इस दिशा में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के जगादरी क्षेत्र के बर्तन उद्योग की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जगादरी के कॉपर के बर्तन विश्व में प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस उद्योग पर 16 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी है, जबकि दूसरी तरफ एल्युमिनियम के एसएसआई के जो उद्योग हैं, उन पर एक प्रतिशत एक्साइड ड्यूटी लगाकर उनको राहत दी गई है। इसी तरह से अम्बाला में एक साइंटिफिक उद्योग, लैम्प-ब्लोन लैबोरेट्री ग्लासवेयर है, यह उद्योग भी भारत का माना हुआ उद्योग है। इस उद्योग का सामान भारत की रिसर्च-एंड-डवलेपमेंट की प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है। मुंह से फूक मारकर यह शीशे की आइटम तैयार की जाती है, लेकिन इस आइटम पर एक्साइज ड्यूटी काफी है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसी चीजों के ऊपर अगर मंत्री जी राहत प्रदान करेंगे, तो एसएसआई की ये इकाइयां रूग्ण अवस्था में नहीं आयेंगी और देश में उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होंगी।

अंत में, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[हिन्दी]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, यह एक निरसन संविधि है, इसके द्वारा उस संविधि का निरसन करना है जो बहुत पहले से अस्तित्व में था हम सभी को ज्ञात है कि रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 में एक निश्चित उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। मुख्य उद्देश्य वही था।

एसआईसीए को पारित करते समय इस सभा में हुई चर्चा को देखने से पता चलता है कि उस समय सभी पक्षों के द्वारा इस प्रकार के कानून को पारित करने में निहित खामियों के बारे में सुझाव दिया गया था। एक खामी 'रूग्णता' की परिभाषा के बारे में है। रूग्णता को कठोर परिभाषा देने के संबंध में विपक्ष द्वारा लाए गए प्रस्तावों पर सरकार ने विचार नहीं किया था। दुर्भाग्य से, सरकार ने रूग्णता जो कि लगभग सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बढ़ रही थी, के बारे में निश्चित धारणा बनाए बगैर जल्दबाजी में निर्णय लिया। प्रतिबंधात्मक परीभाषा दी गई। एसआईसीए के पारित होने के प्रारम्भ में ही इस बात की आशंका थी कि विधेयक प्रभावी नहीं होगा। इसी प्रकार यह रूग्ण उद्योगों को बचा भी नहीं पाएगा। लेकिन सरकार उन तर्कों को सुनने को तैयार नहीं थी। वह रूग्ण उद्योगों को बचाने के लिए विपक्ष की तरफ से दिए गए तर्कों को सुनने को तैयार नहीं थी। सरकार अपनी बात पर दृढ़ थी और उसने अत्यंत प्रतिबंधात्मक परिभाषा दी। अब वह स्वीकार करती है कि परिभाषा प्रतिबंधात्मक थी। सरकार रूग्ण उद्योगों को उबारने में असमर्थ थी।

अब उन्होंने एक वक्तव्य दिया है, मुझे कहना चाहिए कि यह एक स्वीकरण वक्तव्य है जैसा कि हम आपराधिक मामलों में देखते हैं। केन्द्र सरकार ने इस सभा में अपनी त्रुटि का स्वीकरण वक्तव्य दिया है। यह स्वीकरण क्या है? यह रूग्णता की प्रतिबंधात्मक परिभाषा और उससे संबंधित संज्ञान के बार में है। यह बातें नई नहीं थीं। इनकी आशंका थी रूग्णता का संज्ञान लेने में अत्यधिक विलंब किया गया। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बार-बार किए जा रहे अनुरोध के बावजूद सरकार ने रूग्ण उद्योगों में हो रहे इन परिवर्तनों पर कोई ध्यान नहीं दिया या वह निष्क्रिय बनी रही। उसने कोई कार्यवाही नहीं की।.

श्री जसवंत सिंह : यह आपने अच्छी बात उठाई है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : वे चुप रहे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बी आई एफ आर का गठन 15 वर्ष पहले हुआ था लेकिन यह खण्डपीठ कभी भी पूर्णत: गठित नहीं की गई। कभी भी ऐसा नहीं रहा जब बी आई एफ आर को खण्डपीठ पूर्ण रही हो और उसने कोई मामला देखा हो। उसमें वह सदैव खाली रहे। कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण बी आई एफ आर के समक्ष लाए गए

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

मामलों पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। कौन जिम्मेदार है? क्या कामगार जिम्मेदार हैं? मैं यह नहीं कहता हूं कि कामगार जिम्मेदार नहीं हैं। पर क्या सदन जिम्मेदार है या नहीं? यह सरकार का प्रतिबद्ध कर्तव्य था कि वह मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए खण्डपीठों का गठन करती।

जब कभी बीआईएफआर के पास कोई मामला गया तो वह वहां काफी लम्बे समय तक लटका रहा। गत 15 वर्षों से अभी भी, मामले बिना किसी निर्णय के लंबित हैं। जैसा कि श्री जोस द्वारा उल्लेख किया गया, लगभग 1498 मामले इन दोनों अधिकरणों के पास लंबित हैं जो विशेष संविधि के अंतर्गत गठित किए जाते हैं। जब ऐसी स्थिति विशेष संविधि के मामले में है तो साधारण संविधि का क्या होगा? इस संविधि में विशेष उपबंध प्रतिज्ञापित किए गए थे। इसका नाम भी रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम रखा गया। अत: अधिनियम में ये विशेष उपबंध हैं। सबको पता था कि यह विशेष उपबंध है लेकिन इस विशेष उपबंध को बहुत बेफिक्री से लागू किया गया जैसा कि उन अन्य मामलों में हुआ जहां अंतर्निहित अनुदेश क्रियान्वित किए गए। सब मिलाकर परिणाम यह हुआ है कि बी आई एफ आर में मामलों की सुनवाई नहीं होती है।

महोदय, यह कहने में मुझे खेद है, कि क्या पूरे विश्व के किसी औद्योगिक राष्ट्र में इस प्रकार की दयनीय स्थिति हो सकती है जैसी कि भारत में है?

श्री जसवंत सिंह : इसीलिए इसमें यह संशोधन लाया गया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मुझे ऐसा कहने का अफसोस है। यह पहले किया जा सकता था। मैं केवल उन्हें ही दोष नहीं दे रहा हूं इसमें राजनीतिज्ञ भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय को कोई दोष नहीं दे रहा हूं। इसके लिए वह जिम्मेदार नहीं हैं। वे लोग हैं जो देश का शासन बहुत पहले से चला रहे हैं। वे लोग जो उद्योगों का कार्य देख रहे हैं, लोग वित्त का कार्य देख रहे हैं। ये वे लोग हैं जो इस समय मौजूद दयनीय स्थिति तथा विपत्ति के लिए जिम्मेदार हैं।

अत: बीआईएफआर या एएआईएफआर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसके गठन का कभी प्रयास नहीं किया गया और उनमें कोई मामला नहीं हल हुआ। अब उनका कहना है कि कारपोरेट क्षेत्र असफल हो गया है। यह कारपोरेट क्षेत्र को बचाने की दृष्टि से किया गया था। लेकिन अब वे पूरे ढांचे को निजी क्षेत्र में बदल देना चाहते हैं। इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है। बी आई एफ आर के मामले में कुछ नहीं किया गया। उसके बाद रूग्ण उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में कुछ नहीं किया गया। धारा 22 के अंतर्गत सभी प्रकार की कार्यवाहियों के स्वयमेव स्थगन के संबंध में कुछ नहीं किया गया। प्रत्येक को पता था कि न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। बी आई एफ आर की लगभग सभी कार्यवाहियां स्थगित कर दी गईं। यह हम सभी को पता हैं यदि बी आई एफ आर के पास लंबित किसी मामले या किसी कार्यवाही को न्यायालय में ले जाया गया या न्यायिक निर्णय के लिए भेजा गया तो उसे स्थगनादेश मिल गया और यह कई वर्षों तक स्थगित रहेगी। इस स्थगन को रिक्त करने में किसी की रुचि नहीं है।

इसलिए कामगारों को घाटा हुआ। उद्योग आगे नहीं बढ़ सका। उद्योग में रुचि रखने वाले लोग हताश हैं। वे निराश रहे हैं। अब, प्रश्न यह है कि आगे क्या किया जाए। यह विशेष उपबंध है। एक लोकतांत्रिक राज्य में एक विशेष संविधि इस प्रकार क्रियान्वित की गई। हम कारपोरेट क्षेत्र को बचाने के लिए विशेष उपबंध क्रियान्वित करने हेतु सभा के निर्णय से बंधे हैं। कारपोरेट क्षेत्र को बर्बादी से बचाने के लिए सभा द्वारा विशेष उपबंधों वाली यह विशेष संविधि बनाई गई। मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिकरण का गठन किया गया। कुछ नहीं किया गया। पुनरूद्धार संबंधित कोई योजना नहीं थी। बीआईएफआर ने भी पुनरूद्धार योजना प्रस्तुत की थी पर उसे कभी क्रियान्वित नहीं किया गया। किसी ने ढांचे के पुनरूद्धार हेतु बी आई एफ आर द्वारा दिए गए आदेश को लागू करने की पहल नहीं की। कुछ नहीं किया गया।

अंत में, रूग्ण उद्योगों को बंद करने में भी असाधारण विलंब हुआ जिससे दाण्डिक ब्याज बढ़ता गया। इस प्रकार की बातें हर अवसर पर हुई पर सरकार सोती रही। उसने कोई कार्यवाही नहीं की। अब वे पूरी कार्यवाही का निरसन करने के लिए यह कानून लाए हैं। रूग्ण उद्योग को पूर्णत: निरसित करना है। इस समय जब हम निरसन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो स्थिति कैसी है? अभी भी वही स्थिति है। समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट छपी थी कि निजी क्षेत्र को अन्य सेवाओं में भी अनुमति दी गई है। इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को निजी क्षेत्र में लगाया जा रहा है और निजी एयरलाइन्सों को विदेश सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है जिससे पूरी एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स घाटे में चलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा

न हो इसकी किसी को कोई चिन्ता नहीं है और नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष एक समिति का प्रतिवेदन भी है। उन्होंने कुछ निर्णय लिये हैं जो कि समाचार पत्रों में छपे हैं और जिस तरीके से उन्हें क्रियान्वित किया गया है उसकी अत्यंत कटु आलोचना हो रही है।

फिर एक अन्य बात भी है जिसे हम सब जानते हैं कि यह सभा पेट्रोलियम उद्योगों के निजीकरण के संबंध में संकल्प पर चर्चा कर रही थी। कई विकल्प थे। सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण इस सभा के संविधि से हुआ है। इस सभा के द्वारा एक संविधि पारित की गयी थी। क्यों? क्योंकि उस समय भारत में दो विदेशी कंपनियां काम कर रही थीं। इसलिए, इन दो विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण के लिए संसद को कानून बनाना पड़ा और हमने उसे पारित किया। फिर भी विनिवेश मंत्री ने विद्यमान सांविधिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए पेट्रोलियम उद्योगों के निजीकरण की कार्यवाही जारी रखी। किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और निजीकरण नहीं करने का निर्देश दिया।

मेरे राज्य में, केरल में भी हमें काफी तीखा अनुभव हुआ है। केरल में "फैक्ट" सबसे पुराना उद्योग है जिसकी स्थापना तब हुई थी जब देश में "राजा" का शासन था, त्रावणकोर एक रियासत था। इस उद्योग की स्थापना उन पुराने दिनों में हुई थी और यह ठीक से कार्य कर रहा था और फायदा भी हो रहा था। किंतु अब नियंत्रण से परे कारणों की वजह से एफ ए सी टी (फैक्ट) घाटे में चला गया। क्यों? क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 60 करोड़ रु. या अधिक का निवेश करके कोचीन से किसी अन्य स्थान पर इस योजना को स्थानांतरित किया जाये। न्यायालिका के निर्णय के कारण सरकार ने उसका बचाव नहीं किया। केन्द्र सरकार ने उनकी मदद नहीं की। कुल मिलाकर इसका परिणाम यह निकला कि एफ ए सी टी घाटे में चलने लगा। अब, उन्होंने निजीकरण का फैसला किया है लेकिन इसका कारण कर्मकारों को हड़ताल अथवा कर्मकारों में काम की कमी नहीं थी ऐसा कुछ नहीं था, अपितु उसका कारण ऐसा था जिस पर कर्मकारों का नियंत्रण नहीं था।

एक न्यायिक निर्णय के कारण केरल के सबसे बड़े उद्योग का निजीकरण हो रहा है जिससे हजारों कर्मकार बेरोजगार हो रहे हैं और अब उनका रोजगार छिन गया है। आज यह स्थिति बन गई है।

हम सब जानते हैं कि इस रूग्ण उद्योग में कुछ नहीं किया गया है, सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया और सरकार इस उद्योग के बचाव में नहीं आ पाई। स्थिति यह है।

एक समय लाभ अर्जित करने वाली कंपनी केल्ट्रान, अब घाटे में चल रही है और सरकार इसके निजीकरण पर विचार कर रही है। यह सब रूग्ण उद्योग कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में नौकरशाही द्वारा किए गए अत्यधिक विलम्ब के कारण हुआ है। अंत में, सरकार इस अधिनियम के निरसन का प्रस्ताव लेकर आई है और वह भी कठिनाई में पड़ जाएगा क्योंकि इस अधिनियम में सामने आने वाली परिस्थितियों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। उपदान और भविष्य निधि का प्रश्न है। निरसन विधेयक में इन बातों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि अधिनियम का निरसन होगा किंतु प्रांसगिक बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार को पुनः इस सभा के सामने एक नई संविधि के साथ आना होगा जिससे कि निरसन अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाहियों को कानूनी रूप से उचित बताया जा सके। इसलिए, मेरी सलाह है कि सरकार बी आई एफ आर और ए आई एफ आर के समक्ष अभी भी लम्बित कर्मकारों के बकायों से संबंधित मामलों से निपटने में अत्यधिक सावधानी बरते। इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। इसके लिए कोई समुचित प्रावधान नहीं है। सिर्फ एक प्रावधान है कि सरकार को नियम बनाने का अधिकार है और नियमों के अनुसार काम किया जाएगा किंतु यह पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इस अधिनियम के निरसन से कर्मकारों ने जो लाभ अर्जित किए हैं, उनका क्या होगा? मामलों को संबंधित सरकार को वापस भेजने की आवश्यकता नहीं है अपितु उनके लाभ कर्मकारों के पास सीधे पहुंचने चाहिए जिन्होंने इसे अर्जित किया है किंतु कर्मकारों के हितों के रक्षार्थ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से इस पर ध्यान देने का आग्रह करता हूं कि किसी भी कर्मकार को इस अधिनियम के निरसन से कोई हानि न हो। यदि सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे सकती तो उसे उनके हितों की रक्षा तो कम से कम करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, क्या अब आप अपना भाषण समाप्त करेंगे?

श्री वरकला राधाकृष्णन : इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री यह रूग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2001 लेकर आए हैं।

[डा. बी.बी. रमैया]

रुग्ण औधोगिक कंपनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य प्रयोजन यह देखना था कि उद्योगों की रुग्णता कम हो और उद्योगों का यथासंभव शीघ्र पुनरूद्धार किया जा सके। बाद में हमने देखा कि इस कार्य हेतु बी आई एफ आर भी बना दिया गया। पहले भी मैंने उल्लेख किया था कि बी आई एफ आर के कार्य की गति काफी धीमी थी और निर्णय समय पर नहीं हो पाते थे। मुझे पक्का मालूम नहीं कि जिन उद्देश्यों के लिए इसे शुरू किया गया था सरकार उन उद्देश्यों को लेकर कितनी गंभीर है।

खंडपीठ में न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति नहीं की गई है और वास्तव में इससे उद्योगों के पुनरूद्धार में कोई मदद नहीं मिली है। किंतु अब किसी तरह माननीय वित्त मंत्री ने गंभीर रुख अपनाया है अभी वह नई राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का प्रस्ताव सामने लाए हैं जिसे अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है ताकि यह बी आई एफ आर और अन्य की तुलना में अधिक तेजी से कार्य कर सके। उन्होंने मामलों को जल्द से जल्द निपटाने हेतु 10 विशेष खंडपीठों का प्रावधान किया है।

कार्यों में तेजी लाने के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। खंडपीठों ने कितना कार्य किया है इसकी मासिक समीक्षा होनी चाहिए। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि क्या हम देश के विभिन्न भागों में इन चीजों का प्रसार कर सकते हैं ताकि विभिन्न उद्योगों की इस तक पहुंच हो सके जो कि पूरे देश में फैले हैं और जनता भी इन तक आसानी से पहुंच सके और देखे कि वे तेजी से काम कर रहे हैं।

आज, इस देश में लाखों उद्योग रुग्ण एकक बन गए हैं जिनमें लाखों करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। संयंत्र बेकार पड़े हुए हैं और लोग बेरोजगार हो गए हैं।

मैं आपसे यह कह सकता हूं कि रुग्णता सिर्फ इसी देश में नहीं है अपितु अन्य देशों में भी है। रुग्णता से कैसे बचा जाए, इस पर काम करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम कितनी तेजी से रुग्ण उद्योगों के विलयन और समामेलन की प्रक्रिया के माध्यम से अपने पास उपलब्ध इन उपायों का उपयोग तेजी से और प्रभावी ढंग से कर पाते हैं।

मैं महसूस करता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य न सिर्फ प्रावधान करना है अपितु इसमें यह प्रावधान भी होना चाहिए जिससे कि संस्थान में विशेषज्ञ भी हों। वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए और इन कंपनियों में उनके प्रतिनिधियों को अधिक सक्रिय रुचि रखनी चाहिए तथा उनका समुचित दिशा-निर्देशन करना चाहिए। तभी वे इस रुग्णता को घटाने में सक्षम होंगे क्योंकि जब यह पूरी तरह से रुग्ण हो जाएं तो उनका उपचार करने से कोई फायदा नहीं।

यदि वे समय रहते प्रावधान कर लें और उनकी जांच कर लें तो वे सदैव ही समुचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश; ऐसा नहीं हो रहा है। यही कारण है कि माननीय वित्त मंत्री को इस पहलू को देखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न उद्योगों में जिसमें बैंक अपना पैसा लगा रहे हैं, वित्तीय संस्थानों और बैंकों के विशेषज्ञ शामिल हों। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि धन उचित समय पर दिया जाए और उन्हें समुचित दिशा-निर्देश दिया जाए। प्रत्येक चरण पर सरकार के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। उदारीकरण की प्रक्रिया, एंटी-डम्पिंग और इस तरह की इन सब बातों पर उन्हें काम करना है। उन्हें समुचित सहायता की आवश्यकता है ताकि वे इन उद्योगों के रुग्ण बनने से पहले उनकी मदद कर सकें।

पहले हमने कई उपाय बताए थे। उन्हें इन पर विचार करने में सक्षम होना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि यह प्रावधान दो महत्वपूर्ण मदों का ध्यान रखेगा। अधिकरण को त्वरित कार्रवाई करने का अधिकार होगा। उन्हें और अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए पूरी प्रक्रिया में कम समय लगेगा जिसमें इस समय कई वर्ष लग रहे हैं। कंपनी को बंद करने में कम समय लगेगा और वे तुरन्त कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। दूसरी बात यह है कि रुग्ण कंपनियों की परिसम्पत्तियां लेने से बचा जा सकेगा। चूंकि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण में अलग-अलग शपथ पत्र दाखिल किए जाएंगे और अधिकरण के पास न्यायालय की अवमानना की शक्तियां होंगी अत: की जाने वाली कार्यवाही में अंतर्निहित गंभीरता होगी। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन कंपनियों की निधियों का प्रयोग कंपनी के कर्मकारों के देयों के अंतरिम भुगतान के लिए किया जाएगा जिन्हें रुग्ण घोषित कर दिया गया है अथवा उनका परिसमायन किया जाना है। इसका प्रयोग रुग्ण कंपनियों की परिसम्पत्तियों के संरक्षण और रुग्ण कंपनियों तथा विभिन्न श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों के पुनरूद्धार और पुनर्वास के लिए किया जाएगा। इसलिए वह इन चीजों का संरक्षण करने में समर्थ होगा किंतु बी आई एफ आर के मामले में ऐसी बात नहीं है।

मैं बहुत प्रसन्न हूं कि ये प्रावधान किए गए हैं और मैं आशा करता हूं कि वे इन चीजों के बारे में वास्तव में गम्भीर भी होंगे। उन्हें अधिकतम सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि रूग्णता शब्द में कुछ कुटीर उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सम्मिलित भी किया गया है।

एक अन्य विशेष सहायता कोष भी है जिनमें पुनर्वास और पुनरूद्धार कोष के नाम से पुकारा जाता है। मैं आशा करता हूं कि यह समुचित समय पर इन संस्थानों को मदद करेगा ताकि वे तुरन्त कार्यवाही करने में समर्थ हो सकें। किसी भी मामले में, मैं समझता हूं कि वित्त प्रदातांओं ऋणदाताओं और वित्त मंत्रालय द्वारा निरन्तर निगरानी की जानी चाहिए। अथवा किसी व्यक्ति को उपयुक्त रूप से मासिक अथवा त्रैमासिक समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि इसमें प्रगति हो।

तत्पश्चात् इसकी खण्डपीठ देश के भिन्न-भिन्न भागों में स्थापित की जानी चाहिए। यह मात्र दिल्ली में ही अथवा एक ही स्थान पर केन्द्रित नहीं होनी चाहिए ताकि यह सभी लोगों को सुलभ हो सके। तभी उनके लिए कार्य करना आसान हो सकेगा और वे इन सभी चीजों पर विचार कर सकेंगे।

एक अन्य बात उल्लेख श्री जोस ने किया है। इसके कार्य शुरू करने से पूर्व बी आई एफ आर का कार्य क्या होगा? क्या इसको तुरन्त समाप्त किया जा रहा है। अथवा इसमें कुछ समय लगेगा? इसके कार्य का तरीका क्या है? क्या बी आई एफ आर के समक्ष मौजूद मामलों को राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण की नई प्रणाली को शुरू करने से पहले निपटा लिया जाएगा? इसे किस प्रकार चलाया जाएगा? उन्हें विधेयक के पारित होने से पहले सभी प्रावधान करने चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इसी चीज को उन्हें ध्यान में रखना होगा। बैंकों के एन पी ए के मामले में प्रतिमूर्तिकरण के समय हमे आशा थी कि तुरन्त भारी सहायता मिलेगी। दुर्भाग्यवश बैंकों और वित्तीय कंपनियों जिन्होंने काम करना शुरू किया है को मालूम ही नहीं है कि उन्हें किस प्रकार से काम करना है। अत: उन्हें कुछ पूर्वोपाय और सतर्कता बरतनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री को रूग्णता को कम करने के लिए इन बातों पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हे एकीकरण और पुनर्वास के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। उन्हें वैसे और वित्तीय संस्थान को अधिक शक्तियां देनी चाहिए ताकि काम करने में उनकी मदद करे।

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पुर:स्थापित रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपलब्ध) निरसन विधेयक पर अपने विचार रखने का मौका दिए जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, यह विधेयक विद्यमान एम आई सी ए (सीका) विधेयक का स्थान लेगा और बी आई एफ आर को समाप्त करेगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इन दोनों प्राधिकरणों नामत: बी आई एफ आर और ए आई एफ आर के विघटन के पश्चात क्या होगा। मैं समझता हूं कि सरकार इन रूग्ण इकाइयों की देखभाल नहीं करना चाहती है। हालांकि उन्होंने उद्देश्यों और कारणों के कथन में अपने वायदे का उल्लेख किया है कि रूग्ण औद्योगिकी इकाइयों के पुनर्वास का ध्यान रखने के लिए कंपनी अधिनियम में एक अन्य संशोधन विधेयक लाएंगे। मैं सरकार से और माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां क्यों रूग्ण होती जा रही हैं। यह भारत सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति है और स्वदेशी उद्योग को संरक्षण न देने के कारण है।

एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि वहां संतुलित विकास हो और सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से न्याय प्राप्त हो, श्रमिकों को उनका उचित वेतन मिले और उनका शोषण न हो और अर्थ-व्यवस्था का विकास हो और धनी और गरीब वर्ग के बीच का अन्तर न बढ़े बल्कि कम हो।

सभा भलीभांति अवगत है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और कई औद्योगिक इकाइयां रूग्ण होकर बन्द हो रही हैं। श्रमिकों को उनका बकाया वेतन नहीं मिल रहा है। तमिलनाडु में सेल की एक इकाई सेलम इस्पात संयंत्र इसका एक अनूठा मामला है। गलत प्रबंधन नीति, उत्पादन नीति के गलत चयन के कारण एम एम पी, जो अभी तक अच्छा काम कर रहा है और बहुत से नियत आदेशों को पूरा कर रहा है, को नुकसान उठाना पड़ा है। एम एम पी के श्रमिकों ने बेहतर काम किया है और उनकी प्रतिबद्धता और सतत प्रयासों के कारण ही वह लाभ की स्थिति में आया। तथापि सरकार ने इसे किसी क्षेत्र के लोगों को बेचने का निर्णय लिया है और अब श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं। यह कलिंगर एम. करूणानिधि का सपना था और यह श्रीमती इन्दिरा गांधी के कार्यकरण में अस्तित्व में आया था। मै सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस स्तर पर भी इस कंपनी का पुनरूद्धार करे ताकि इस इस्पात संयंत्र को बचाया जा सके और श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके।

[श्री सी. कुप्पुसामी]

तमिलनाडु में परिवहन संबंधी उपक्रम आम जनता को बहुत अच्छी प्रदान कर रहे हैं; वे भी लाभ कमा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये तमिलनाडु सरकार द्वारा निजीकरण की ओर ले जाए जाने की प्रक्रिया में हैं। यह उनके लिए आत्मघाती प्रयास होगा क्योंकि आम जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और दो लाख से अधिक श्रमिक और उनके परिवार सड़क पर आ जाएंगे। आम जनता निजी परिवहन क्षेत्र द्वारा लूटी जाएगी जैसाकि हमने अन्य क्षेत्रों में देखा है।

कपड़ा उद्योग और अन्य रूग्ण उद्योगों का भी पुनरूद्धार किए जाने की आवश्यकता है। हजारों कपड़ा मिलें सरकार की नीति के कारण रूग्ण हो गई हैं। लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। जब हमने अपने देश को कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित किया है तो हमारा परम कर्त्तव्य होना चाहिए कि हम रूग्ण इकाइयों का पुनरूद्धार और पुनर्वासित करने के लिए अर्थोपाय खोजें ताकि अर्थव्यवस्था का विकास हो और समग्र विकास हो और सरकार रूग्ण इकाइयों को किसी अन्य प्राधिकरण के पास भेजने के लिए मजबूर न हो।

अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह बी आई एफ आर और ए आई एफ आर को समाप्त करने से पूर्व कंपनी अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए नियमों में संशोधन करते समय रूग्ण इकाइयों को चालू करने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय करे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सिका कानून, बीआईएफआर को समाप्त करने का विधेयक आया है, इससे पहले स्टैंडिंग कमेटी में यह प्रस्ताव गया और इस विधेयक की छानबीन की गई। स्टैंडिंग कमेटी में कभी मतैक्य नहीं हुआ। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, उसमें भी लेबर डिपार्टमेंट का कहना था कि उसमें जो कमंचारी लोग हैं उन्हें फोकस करना चाहिए। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का अलग कहना था कि रूग्ण उद्योग को पुन: परिभाषित किया जाना चाहिए।

फाइनेंस डिपार्टमेंट का कहना था कि इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कोई मतैक्य नहीं था और सरकार ने अपने उद्देश्य हेतु दावा किया कि सिक इण्डस्ट्री की परिभाषा साफ नहीं है, इसलिए गड़बड़ी हुई है। बी.आई.एफ.आर. में बहुत विलम्ब हुआ, देरी हुई, इस वजह से सभी कारणों को देखते हुए लेबर डिपार्टमेंट ने भी कहा कि बी.आई.एफ.आर. का जो सन् 1985 में कानून बना था और उस समय के कानून में अभी तक चार हजार से ज्यादा मामले उनके पास आये और रिहैबिलिटेशन का काम संतोषजनक नहीं हो पाया और बहुत ज्यादा समय उसमें लगा, टालमटोल नीति उसमें अख्तियार की गई, इस कारण जस्टिस बालकृष्ण इराडी कमेटी बहाल हुई। उसने विचारोपरान्त कहा कि सिका कानून को और बी.आई.एफ.आर. को खत्म किया जाये और कम्पनी लॉ को संशोधित करके उसमें एक एन.सी.एल.टी. बनाया जाये, कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल बनाया जाये। सिका कानून और बी.आई.एफ.आर. के बदले एन.सी.एल.टी. बना दें।

हम लोग तो शुरू से ही कह रहे थे कि यह कानून डिफेक्टिव था। इस पर हुई बहस में काफी लोगों ने सवाल उठाया था कि जब बीमारी का ही पता नहीं होगा, डायग्नोसिस ही नहीं होगा तो उसका इलाज कैसे होगा। उसमें कौन इण्डस्ट्री सिक होगी, उसी की परिभाषा सही नहीं थी तो इस विधेयक को फेल होना ही था। जब तक जानेंगे नहीं कि असल बीमारी क्या है तो उसका इलाज कैसे होगा। कोई भी उद्योग बन्द हो जाता है, घाटे में चलता है और बन्द हो जाता है तो हम लोग मोटे तौर पर मानते हैं कि वह बीमार हो गया, लेकिन पेच लगाकर घाटा होगा तो उद्योग घाटे में जायेगा। कई तरफ के पेच लगाकर यह कानून 1985 में बना था, चीनी उद्योग की लाबी के कारण, उनको मदद पहुंचाने के लिए यह कानून बना था कि उनके मजदूरों को कैसे फंसाया जाये। यह सिका कानून लागू हो गया। इस तरह से मजदूरों के खिलाफ उनको बचाने के लिए यह कानून बना था। उसके बाद चलते-चलते देखा गया कि इससे बहुत लाभ नहीं हुआ तो सारे विचार आने लगे और यह हुआ कि एन.सी.एल.टी. कानून 2001 में बना, यह कानून पास हो गया। 2001 वाला जो कानून था, उस एन.सी.एल.टी. वाले अधिनियम, में संशोधन आ गया और वह पास हो गया, लेकिन यह कानून अभी तक कमेटी में ही पड़ा था, अब यहां आया है। कमेटी ने जो विचार दिया था, इस विधेयक को लाने में उसका ध्यान नहीं दिया गया।

हमारा कहना है कि उद्योग के बिना कैसे विकास होगा, क्योंकि उद्योग का जी.डी.पी. में भी कंट्रीब्यूशन होता है। उद्योग के बन्द होने के कई कारण हैं, कुप्रबन्धन है, पूंजी का अभाव है, हेरा-फेरी है, उसको बाजार नहीं मिलता, रॉ-मैटीरियल नहीं मिलता, मिस-मैनेजमेंट होता है, इन सभी कारणों से मिलें बन्द होती हैं, उद्योग बन्द होता है। उसके लिए कोई इन्तजाम होना चाहिए ताकि चालू मिल बन्द न हो। मिल बन्द होने से देश को बहुत नुकसान होता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो उसमें काम करने वाले मजदूरों को होता है। मजदूर

आन्दोलन करते रहते हैं, लेकिन मालिकों ने कभी कह दिया कि तालाबन्दी हो गई, कभी कह दिया कि ले आफ हो गया और मिल बन्द कर दी। अभी तक सारे कानून पूंजीपतियों के हिसाब से बने हुए हैं। उस हिसाब से हम नहीं जानते कि ये कैसे मान रहे हैं कि सिका कानून और बी.आई.एफ.आर. समाप्त होने के बाद जो एन.सी.एल.टी. अभी बना नहीं है, यह एन.सी.एल.टी. दोनों के खत्म होने के बाद इस गैप को पूरा करेगा।

रूग्ण मिलों को चालू करने में इससे सहायता मिलेगी। पहले वाइंडिंग अप और लिक्वीडिशन का कानून बना था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : यह उदाहरण समझ गये हैं ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिना उदाहरण सुने ये कैसे समझ गये हैं? हमारे यहां बिहार शुगर कार्पोरेशन के अधीन 15 चीनी मिलें थीं। उनकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि उनमें कुप्रबंधन था। वहां 400 रुपये के.जी. चीनी का तैयारी खर्च आता था। इस तरह उनमें 600-700 करोड़ रुपये का घाटा होता चला गया। जब उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला तब वे कोर्ट में चले गये। कोर्ट ने कहा कि या तो आप मिलें चालू कीजिए या मजदूरों का बकाया पैसा दिया जाये या उसे वाइंड अप कीजिए। सरकार को बताया गया कि सबसे आसान काम वाइंड अप करना है और बिना शुगर कार्पोरेशन के कानून का पालन किये, बगैर पास कराए उसे हाई कोर्ट में डाल दिया। हाई कोर्ट में जाने के बाद हम अब कानून समझ रहे हैं। वहां जानकार लोग बोलते हैं कि इसमें 10 साल लगेंगे, इसका लिक्वीडेटर बहाल होगा, आदि न जाने क्या-क्या प्रक्रिया है। खासकर जो जज बैठते हैं। इसी तरह से जो पुरानी मिलें हैं, कम्पनियां हैं, उद्योग हैं, वे सब बंद हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उनका क्या होगा? वे बी.आई.एफ.आर. में नहीं गयीं, सिका कानून में भी नहीं गयी। उसके बाद हमारे यहां की 15 चीनी मिलें बंद हैं।

अपराह्न 3.37 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जो घोषणा की थी, उसको मैं याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने यह घोषणा की थी कि खाद्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय संयुक्त रूप से चीनी उद्योग की समस्याओं का समाधान करेंगे और चीनी उद्योग के लिए एक व्यापक स्कीम प्रस्तावित करेंगे—उस पर क्या कार्रवाई हुई? चीनी उद्योग की सबसे प्रमुख समस्या यह है कि उत्तर बिहार में चीनी मिलें बंद हो रही हैं। उनमें गन्ना सप्लाई करने वाले किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, मजदूर त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। आपने जब यह घोषणा की तो हमें बहुत आशा जगी कि इससे कुछ न कुछ उपाय जरूर होगा। लेकिन इस घोषणा के बारे में अभी तक क्या हुआ, उसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। बंद चीनी मिलों के लिए क्या प्रावधान हुआ, खाद्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों मिलकर कुछ करेंगे या नहीं, इसमें कुछ होने वाला है या नहीं और आपने क्या किया है, आदि ये सब हम जानना चाहते हैं।

बिहार में खेती पर आधारित रहने वाले लोग हैं। वहां एक ही उद्योग है जो चीनी उद्योग है। पहले जमाने में जब देश में नौ लाख टन चीनी पैदा होती थी तब बिहार में तीन लाख टन चीनी पैदा होती थी। वहां 1930-32 की खुली हुई चीनी मिलें हैं जो कि पुरानी होने के कारण जर्जर हो गयी हैं। वे सारी चीनी मिलें घाटे में चलने के कारण बंद हो गई हैं। अब उन मिलों को चलाने के लिए भारत सरकार ही कुछ कर सकती है। आपने जब यह घोषणा की तो उससे हम बहुत आशान्वित हुए कि इसमें कुछ न कुछ होगा। हमने इस संबंध में आपसे लिखा-पढ़ी भी की थी। हमने आपको 23.7.2003 को एक पत्र भी लिखा था। उसके बाद उसका रिमाइंडर भी दिया था। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं वह कागज कहां चला गया। इस बिल की मार्फत चूंकि आप सीका कानून खत्म कर रहे हैं, फिर बी.आई.एफ.आर. खत्म होने जा रहा है, जो बीमार उद्योग हैं या बंद उद्योग हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या भविष्य होगा? एन.सी.एल.टी. बना नहीं और कानून पास हो गया। यदि एन.सी.एल.टी. सहज हो तो उससे होना चाहिए। अब बिहार की 15 चीनी मिलों को कैसे चालू किया जाये क्योंकि वहां के गन्ना किसान और कोई दूसरी मांग नहीं करते। वे कहते हैं कि किसी भी हालत में चीनी मिलों को आप चालू कर दीजिए। वहां का मजदूर भी यही मांग करता है कि उन चीनी मिलों को चालू किया जाये। इसलिए हमारा कहना है कि इसका कोई ठोस उपाय आप अपने भाषण में बतायेंगे तो हमें संतोष होगा। हम वहां जाकर किसान और मजदूरों को बतायेंगे कि मंत्री जी ने ऐसा कहा है। आप जो आश्वासन देंगे या उपाय बतायेंगे, वह सब हम वहां जाकर कहेंगे। हमें तो केवल बोलने की पावर यहां दी गयी है। ''लड़ना भर मेरा काम रहा, यह जनता का संग्राम रहा।'' हमारा केवल लड़ने का काम है, बोलने का काम है। काम तो सरकार को करना है। यह आपका काम है। आप इसमें देखकर विचार करें कि किस हिसाब से बंद चीनी मिलें चालू हो जायें तथा देश भर में जितने बंद उद्योग

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

हैं, उनका कोई ठोस कार्यक्रम बनना चाहिए ताकि वे बंद न हों। वैसे आप लोग कानून उलटा चला रहे हैं। डिसइन्वेस्टमैंट हुआ तो सैंट्रल पी.एस.यूज को बेच दिया। वह नहीं बिक रहा है, दाम नहीं मिल रहा है तो प्राफिट वाली कंपनियों को बेचने में लगे हुए हैं। यह कौन से कानून से हो रहा है। सन् 2001 में यह आया और अभी तक घुट रहा है, सारा जस का तस पड़ा हुआ है। इसलिए यदि एनसीएलटी का गठन होने से चालू हो जाए तो वह हो जाए खासकर बंद चीनी मिल वाले में आपकी घोषणा भी है और बंद को चालू करने वाला कानून भी आप लाए हैं। इसलिए वित्त मंत्री जी कुछ ठोस बात बताएंगे जिससे जनता को किसान को राहत मिलेगी।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : माननीय सभापति महेदय, औद्योगिक रूग्णता एक सार्वभौमिक घटना है। प्रत्येक देश के पास इस समस्या से निपटने के अपने कानून हैं। रूग्णता अनेक कारणों से होती है। लेकिन इसका मुख्य कारण कुप्रबंधन है।

हमारे देश में, औद्योगिक रूग्णता की समस्या से निपटने के लिए अनेक कानून और एजेंसियां हैं। दुर्भाग्यवश, इन एजेंसियों और इन विविध कानूनों के बीच कोई समन्वय नहीं है और सरकार परस्पर विरोधी कानून बनाती जा रही है।

प्रतिभूतिकरण विधेयक और कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित करना नि:सन्देह बहुत विशाल कार्य है क्योंकि इसमें लंबित मामलों की संख्या बताने के अतिरिक्त रूग्णता के प्रति सरकार के दृष्टिकोण संबंधी मूल मुद्दों के प्रति स्पष्टता का अभाव भी शामिल है। वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं। वह विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से रूग्णता की इस समस्या पर विचार करते रहे हैं। यह विषय पूर्णतया उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है लेकिन जब हम इस निरसन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो मेरे विचार में इस मुद्दे पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए।

हमारे पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण औद्योगिक रूग्णता है। हमने अर्थक्षम रूग्ण एककों के संरक्षण और उनके पुनरूद्धार, तथा पुनर्वास के लिए और रूग्ण एककों को बंद करने के लिए पूर्णता गैर-अर्थक्षम रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम (सीका) कानून को वर्ष 1985 में पारित किया।

इन एककों के पुनरूद्धार हेतु समामेलन तथा विलय और अन्य समाधानों के लिए एक त्वरित प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु 12 जनवरी, 1987 को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति बालकृष्ण इराडी आयोग ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि इस मामले में बी आई एफ आर असफल रहा है। बी. आई.एफ.आर. ने विभिन्न अर्थक्षम एककों के मामलों के समाधान और निपटान के लिए काफी समय लिया है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा इन सभी रूग्ण एककों के पुनरूद्धार के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए थे और कोई त्वरित कार्यवाही नहीं की गयी थी। सरकार के समक्ष विचार-विमर्श करके एक नए कानून को लाने के लिए यही मुख्य शिकायत या मुद्दे जिम्मेवार हैं। वास्तव में जब हम सीका का निरसन कर रहे हैं तब हमें औद्योगिक रूग्णता पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या नई एजेंसी सफल साबित होगी और उचित परिणाम दे सकेगी?

यहां तक कि वित्त संबंधी स्थायी समिति ने भी इस मुद्दे की जांच की थी। कुछ सदस्यों ने अपने विमत टिप्पण में बताया था :

> "यह आश्चर्यजनक है कि वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा सीका के निरसन पर विचार किए जाने से पहले और इस रिपोर्ट पर अपने विचार व्यक्त करने से पहले ही कम्पनी कानून दूसरे संशोधन के वैकल्पिक प्रस्ताव में सीका का निरसन कर दिया गया है।"

इससे यह पता चलता है कि इन मुद्दों पर कितने हलके तौर पर विचार किया जा रहा है। वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जाने से पहले ही वैकल्पिक एन एल सी बी का प्रस्ताव कर दिया गया और लोक सभा ने उसे पारित कर दिया। यह बड़ी अनोखी बात है। सरकार ने इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है कि रूग्ण एककों का किस प्रकार पुनरूद्धार किया जा सकता है। इस संबंध में मैं यहां उपस्थित वित्त मंत्री का ध्यान बैंकों के रवैये की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। दुर्भाग्यवश बैंक और वित्तीय संस्थान उद्योग की सहायता नहीं कर रहे हैं। वह इन समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं।

मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा घाटे को इक्विटी में बदलकर और ऐसे अन्य उपायों द्वारा डूबती हुई फर्मों को बचाने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न नहीं किए जा रहे हैं। हमने जब

भी बी आई एफ आर की खंडपीठ के समक्ष पुनरूद्धार पैकेज के लिए बहस की, बैंक और वित्तीय संस्थान उसमें हमेशा बाधा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए केरल में एल्यूमीनियम उद्योग ए एल आई एन डी (अलिन्द) लाभ अर्जित कर रहा था उसकी एक सहायक कम्पनी मन्नार स्थित स्विच गीयर कारखाना, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, एक अर्थक्षम कम्पनी है। यह भारतीय रेल को स्विचों और गियरों की आपूर्ति कर रहा है। तथापि बदलते आर्थिक परिवेश में इस कम्पनी के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और कार्पोरेट जगत के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में बहुत कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जन अलिन्द (ए एल आई एन डी) को पूर्ण रूपेण बी आई एफ आर को सौंपा गया, तो हमने बी आई एफ आर की खंडपीठ को स्विच गीयर एकक जो कि एक अर्थक्षम एकक है, को पृथक करने के लिए कहा ताकि इसका पुनरूद्धार किया जा सके। दुर्भाग्यवश बैंकों के संघ और अन्य वित्तीय संस्थानों ने इसमें बाधा उत्पन्न की और इस विषय के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेने दिया। कामगार सहकारी समिति इस फर्म को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए आगे आ रही है। कामगारों ने मिल जुलकर एक सहकारी समिति का गठन किया और वह इस फर्म को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए तैयार है, लेकिन बैंक उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

जैसा कि श्री ए.सी. जोस द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, एफ ए सी टी (फैक्ट) के संबंध में, केरल सरकार में आगे बढ़कर कहा कि एक सहकारी समिति का गठन किया जाएगा और यह भी कहा कि वे एफ ए सी टी (फैक्ट) को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए तैयार थी। इसके बावजूद बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और वे किसी प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और उसके परिणामस्वरूप, यह संस्थान अधिक रूग्ण होते जा रहे हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने रवैये को बदलना चाहिए; जिन अर्थक्षम संस्थानों का पुनरूद्धार किया जा सकता है, उनकी ईमानदारी से सहायता करनी चाहिए, जिसकी आज कमी है।

मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह इस संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनायें और यह सुनिश्चित करें कि इस संबंध में ईमानदारी से प्रयास किए जाएं ताकि हम डूबती हुई फर्मों को अर्थक्षम एककों में बदल सकें।

इस एन.सी.एल.टी. के बारे में, विभिन्न क्षेत्रों में काफी आशंकाएं व्यक्त की गई थीं। कई क्षेत्रों में यह कहा जा रहा है कि पुरानी चीज को नए रूप में पेश किया जा रहा है। बी.आई.एफ.आर. एक महत्वाकांक्षी एजेन्सी थी और लोगों का इसमें काफी विश्वास था। बहुत सारा अभ्यास किया गया। हमारे पास समस्त आंकड़े हैं परन्तु मैं उन सभी आंकड़ों का उल्लंघन करना नहीं चाहता। चूंकि प्रत्याशित परिणाम नहीं निकले इसलिए अब हम जिस नई एजेन्सी के बारे में सोच रहे हैं वह है एन.सी.एल.टी.। मैं यहां पर एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहूंगा वह है इन पीठों के सम्मुख अत्यधिक मामलों का होना फिर बी.आई.एफ.आर. दो प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं चल रहा था? ऐसी किसी अकुशलता के कारण नहीं बल्कि अत्यधिक मामलों के कारण था। पीठों की संख्या कम थी एवं बी.आई.एफ.आर. को पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थी। बी.आई.एफ.आर. के चेयरमैन वित्त संबंधी स्थायी समिति के समक्ष उपस्थित हुए और इन बाधाओं के बारे में बताया कि व किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया। उनके समक्ष क्या समस्याएं थीं।

हम इन पहलुओं की बिल्कुल उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हम एक अन्य एजेन्सी का गठन कर रहे हैं तो हमें उनको और अधिक आधारभूत सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिए और इन पर अत्यधिक कार्यभार नहीं होना चाहिए। 10 पीठें पर्याप्त नहीं हैं। क्योंकि एन.सी. एल.टी., बी.आई.एफ.आर. ए.ए.आई.एफ.आर. रूग्ण कंपनियों के संबंध में उच्च न्यायालय की शक्तियां कंपनी लॉ बोर्ड, जैसी वृहत शक्तियां और क्षेत्राधिकार — ये सब नए अभिकरण के अंतर्गत आ रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इस नई एजेन्सी पर अत्यधिक कार्यभार होगा। यदि हम उनको और अधिक पीठें और अधिक आधारभूत सुविधाएं नहीं प्रदान कर रहे हैं तो दस वर्ष के पश्चात्, सरकार पुनः यही कहेगी कि यह एजेन्सी ठीक से काम नहीं कर रही है इसलिए हम इसे बदलेंगे। इसलिए मैं इस संबंध में इस सरकार को सावधान करना चाहता हूं।

प्रश्न यह है कि क्या सरकार रूग्णता और पुनर्वास के इस पूरे मुद्दे का नए दृष्टिकोण से पुनर्मूल्यांकन कर रही है।

एक एजेन्सी विफल हुई है इसलिए हम एक नई एजेन्सी को सामने ला रहे हैं। इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। संपूर्ण मामले का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। सरकार का दृष्टिकोण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है; वित्तीय संस्थानों का दृष्टिकोण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है; पुनर्वास पैकेज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमें धनराशि कहां से मिलेगी? अन्य तन्त्र कौन से हैं जो इन ईकाइयों को पुनः चालू करने और पुनर्वास करने के लिए सरकार के पास मौजूद है? ये सर्वाधिक अहम मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। कर्मकारों के हितों के संबंध में कतिपय आशंकाएं है—अर्थात कर्मकारों के हितों की

[श्री रमेश चेन्नितला]

कैसे रक्षा होगी? जैसा कि मेरे सहयोगी श्री राधाकृष्णन और श्री जोस ने ठीक ही उल्लेख किया है कि एकबार जब इन इकाइयों को बी. आई.एफ.आर. को सौंप दिया जाएगा तो कर्मकारों को प्राप्त समस्त लाभ वापस ले लिए जाएंगे। नई व्यवस्था में नई एजेन्सी को कर्मकारो के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

दूसरे निर्णयों का तेजी से कार्यान्वयन और लंबित मामलों का तेजी मे विस्तारण होना चाहिए। लम्बित मामलों के संबंध में, माननीय मंत्री महोदय ने स्थिति को स्पष्ट किया है परन्तु यह अस्पष्ट है। इसे समुचित रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए; इसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि इन मामलों का क्या होगा जोकि अभी बी.आई.एफ.आर. के समक्ष लंबित हैं। यह पंजीकरण शुल्क का प्रश्न नहीं है; यह समय और ऊर्जा की खपत का प्रश्न है। इसकी प्रतिपूर्ति किस तरह से होगी? हम लोगों की मदद किस प्रकार से करेंगे ताकि यह एक तीव्रगामी उद्यम बन सके।

इन इकाइयों का कम से कम समय के भीतर किस तरह पुनरूद्धार किया जाए यह एक प्रमुख मुद्दा है जिसका सरकार को विचार करना है। दूसरे, दुर्भाग्यवश इस सम्मानीय सभा में सरकार हमेशा मूल अधिनियम में संशोधन लेकर आ रही है परन्तु नियम कई महीनों के बाद बनाए जाते हैं; और इसकी वजह से अधिनियम के लागू करने में अनावश्यक विलंब स्पष्ट दिखाई देता है।

इन इकाइयों के पास महीनों से कुछ काम नहीं है और कर्मकारों के पास पिछले कई वर्षों के लिए कुछ शेष भी बचा था। यदि इन नियमों को अधिसूचित करने में असाधारण विलम्ब होगा तो अधिनियम और नई एजेन्सियों के उचित कार्यान्वयन में और भी विलम्ब होगा। यह कर्मकारों के हितों, इकाइयों के हितों और आम लोगों के हितों के लिए अत्यन्त हानिकारक होगा।

आपका धन्यवाद। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : महोदय, रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक 2001 पर इस चर्चा में भाग लेने का मौका प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

यह विधेयक रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985 का निरसन करता है। इसमें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन अपीलीय प्राधिकरण को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है और बी आई एफ आर और ए ए आई एफ आर के समक्ष लम्बित सभी कार्यवाहियां उनके विघटन से पूर्व जारी रहेंगी।

यह एक स्वागतयोग्य विधेयक है। बी आई एफ आर का गठन रूग्ण उद्योगों को चालू करने के लिए किया गया था। बी आई एफ आर की कमियों का पता लगाने में कई वर्ष बीत गए हैं। यदि सरकार बी आई एफ आर की कमियों का पता लगाने में इतना समय लगा रही है तो हम रूग्ण उद्योगों को दुबारा शुरू कैसे कर पाएंगे। हमें देखना होगा कि क्या जिस प्रकार की सभी विसंगतियां पायी गयी थी और उसमें लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयों को झेलना पड़ा था सबसे दुखद बात यह है कि कार्यान्वयन स्तर पर कोई उचित निगरानी नहीं की जाती है।

यह कहने के बाद मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री को तमिलनाडु में ऊटी स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म के पुनरूद्धार करने के लिए पत्र लिखा है। यह जनजातीय क्षेत्र में स्थित है। यह एशिया में एकमात्र और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर छठें स्थान पर है जिसके पास इस देश के गरीब, दलित और साधारण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसंरचना और जनशक्ति मौजूद है। एच पी एफ द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों में से 60 प्रतिशत का चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। इसमें एक्सरे फिल्म और अन्तर्राष्ट्रीय मानक के समग्र बाडी स्केन फिल्म शामिल है। एच पी एफ द्वारा तैयार किए जाने वाला आम सामान औद्योगिक एक्सरे और रक्षा क्षेत्र का है। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्माननीय सदन से पूछना चाहता हूं क्या सदन को मालूम है कि एच पी एफ के बिना हमें कारगिल युद्ध में विजय नहीं मिल सकती थी। कारगिल युद्ध में एच पी एफ द्वारा बनाए गए उत्पादों द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है? कारगिल में हमारी सफलता में मुख्य कारक एच पी एफ द्वारा कारगिल युद्ध के अन्त में किए गए हवाई सर्वेक्षण के लिए आपूर्ति की गई फिल्म था।

क्या माननीय मंत्री जी एक अंतर्विभागीय समिति का गठन करेंगे जिसमें स्वास्थ्य उद्योग के साथ-साथ वित्तीय कोष से भी सदस्य होंगे और संसद सदस्य होंगे, जो इस पहलू की जांच करेगी और इसकी सभी कमियों को सदन में उजागर करेगी? एच पी एफ जिसके पास, इन वर्षों में अवसंरचना संबंधी सुविधाएं और जनशक्ति मौजूद रही है को बी आई एफ आर के पास क्यों भेजा गया जिसने इसे ठंडे बस्ते में रख दिया है? इसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के और आसपास के जिलों के लोगों को दो जून रोटी जुटाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

मैं इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पहलू को जांच कराए। मैंने स्वयं इस फैक्टरी का दौरा किया है और उक्त निरीक्षण किया है। मैं माननीय मंत्री जी को अपनी निरीक्षक रिपोर्ट की प्रति देना चाहूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वह एच पी एफ के पुनरूद्धार पर विचार करें।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, जहां तक आई डी पी एल का सम्बन्ध है क्या हमारे दिमाग में कुछ है? डब्ल्यू टी ओ के पश्चात्, हम मेडिकल समस्या और फार्मास्युटिकल उद्योग द्वारा भेजी जा रही मामलों को किस प्रकार हल करने जा रहे हैं? क्या हम विदेशी सहायता की बाट जोहेंगे जबकि हमारे पास जनशक्ति के साथ-साथ मानव संसाधन भी उपलब्ध है? यह संसाधन चेन्नई में आई डी पी एल में हमारे पास उपलब्ध है। यह एकमात्र सहायक इकाई है। मैंने सदन में कई बार यह मामला उठाया है कि चेन्नई स्थित आई डी पी एल इकाई का पुनरूद्धार किया जाए क्योंकि यह डब्ल्यू टी ओ के परिणामों का दुष्परिणाम भुगत रही है।

सेलम इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में हम सभी को मालूम है कि यह लाभ कमा रही है लेकिन अभी तक भारत सरकार वित्तीय सहायता देने के लिए आगे नहीं आई है ताकि अधिक लाभ कमाया जा सके और बेरोजगारी की समस्या का हल भी ढूंढा जा सके।

अंत में, चीनी उद्योग न केवल तमिलनाडु में बल्कि पूरे भारत में कई कठिनाइयों का सामना कर रहा है। श्रमिक और उद्योगपति ही नहीं बल्कि कृषि समुदाय भी, जो चीनी उद्योग पर निर्भर कर रहे हैं।

मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु और भारत के लोगों के हितों के लिए, माननीय वित्त मंत्री को इकाइयों को बी आई एफ आर को भेजने में पूर्व अथवा रूग्णता की सूची में डालने से पूर्व राज्यों को विश्वास में लेना चाहिए। मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इसको अन्तिम रूप देने में रखे राज्य सरकार की राय भी ले लें।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह ढांचागत सुधारों का एक भाग है। वर्तमान आर्थिक परिस्थिति में बी आई एफ आर अथवा रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, जिसे 1985 में अधिनियमित किया गया था, वास्तव में निष्प्रभावी हो गया है क्योंकि 1985 में आजतक हजारों मामले इसके सन्मुख लम्बित पड़े हैं। बी आई एफ आर प्रस्तावों में विलम्ब से जो राज्य सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है वह उड़ीसा राज्य है। चक्रवात से बरबाद हुए उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए सैकड़ों प्रस्ताव आए हैं आज तक उनका पुनर्वास नहीं किया गया है। अत: यह विधेयक देश के विकास के लिए जो 7.2% की वृद्धि की ओर अग्रसर है, ढांचागत सुधार का एक अंग है बी आई एफ आर और रूग्ण औद्योगिक अधिनियम को समाप्त करने से राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण के माध्यम से, जिसे कम्पनी अधिनियम के अधीन पहले ही अधिनियमित किया गया है, रूग्ण इकाइयों के पुनर्वास और पुनरूद्धार की प्रक्रिया में तीव्रता आएगी। मुझे आशा है कि इस न्यायधिकरण को शीघ्र ही गठित किया जाएगा।

अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। उसने सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के पुनरूद्धार के लिए 0.10 प्रतिशत के अंशदान से एक इन्सोल्वेंसी फंड बनाया है। इसका तात्पर्य यह है कि कम्पनियों के कुल कारोबार का 0.10 प्रतिशत अंशदान के रूप में इन्सोल्वेंसी फंड में चला जाएगा ऐसा पहले कभी भी सोचा गया था। इसका कारण यह है कि 1985 में कांग्रेस सत्ता में थी। वह पूरी तरह से भ्रष्ट थी उसी अवधि के दौरान बी आई एफ आर जैसे निकाय पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए थे। वे कार्य नहीं कर रहे थे। प्रस्ताव कई वर्षों से लम्बित पड़े हुए थे।

महोदय, मुझे मेरी बात जल्दी से खत्म करने के लिए कहा जा रहा है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दी।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : महोदय, मैं इस एस आई सी ए निरसन विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम को 1985 में कंपनियों की रूग्णता और उनकी संभावित रूग्णता का समय पर पता लगाने और विशेषज्ञों के बोर्ड द्वारा तत्संबंधी आवश्यक निवाराणात्मक, उपचारात्मक तथा अन्य उपायों को बताने के लिए सार्वजनिक हित में किया गया था।

आज हम कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। यदि हम आंकड़ों को देखें तो हम पाएंगे कि एक हजार से भी अधिक मामले अभी भी बी आई एफ आर के पास लंबित हैं। साथ ही हम कह सकते हैं कि इसमें कई प्रकार की खामियां हैं। पहले निर्णय लेने

[श्री प्रबोध पण्डा]

में विलम्ब होता है। दूसरे वस्तुतः बी आई एफ आर चूककर्त्ता कंपनियों के लिए स्वर्ग बन गया है और तीसरे, बी आई एफ आर को अपने निर्णय लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें समस्याएं हैं।

महोदय, मेरा कहना है कि आर्थिक भूमंडलीकरण के वर्तमान परिदृश्य में जब भारतीय कंपनियों और उद्योगों के सामने रूग्ण बनने का खतरा है, क्या बी आई एफ आर को बंद करना ठीक है? विशेषकर हम लोगों को बी आई एफ आर को पर्याप्त अधिकार देना चाहिए जिससे कि यह व्यवहार्य और अधिक प्रभावी बन सके। भारतीय कंपनियों और ए आई एफ आर तथा बी आई एफ आर के बीच संबंध आज अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहले के वर्षों में लाभार्जन करने वाली कंपनियां अब खराब स्थिति में पहुंच गई हैं। उनके तत्काल पुनर्गठन की आवश्यकता है जिससे कि वे प्रतिस्पर्धी बन सकें तथा विदेशी कंपनियों का सामना कर सकें। आज की यही आवश्यकता है। इस समय बी आई एफ आर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है।

मेरा दृढ़ मत है कि एस आई सी ए 1985 का निरसन इस समय आवश्यक नहीं है। जो आवश्यक है वह यह है कि कुछ परिवर्तन किए जाएं ताकि एस आई सी ए का दुरूपयोग बंद हो। एक नया अधिकरण बनाने मात्र से और कारपोरेट निकायों के बचाव के लिए इसे अधिकार देने से ही और कारपोरेट बचाव ऑपरेशन के प्रावधानों में छोटे मोटे उपरी परिवर्तन करने से समाधान नहीं निकलेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह नई बोतल में ही पुरानी शराब के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह अधिक जटिल होगा। एन सी एल टी पर अत्यधिक कार्यभार होगा। इस प्रक्रिया से रूग्ण उद्योगों के पुनरूद्धार तथा पुनर्वास पर से ध्यान घटेगा। यह सिर्फ कारपोरेटों के बचाव पर ही ध्यान देगा।

महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित कराने पर जोर नहीं दें। उन्हें रूग्ण भारतीय औद्योगिक कंपनियों के पुनरूद्धार तथा पुनर्वास के तरीके पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बिल प्रस्तुत किया है, मैं उसके संबंध में तीन-चार बातों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्हें सबसे पहले यह सोचना होगा कि आखिर मिलें सिक क्यों होती हैं? जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन्स फैक्टियां चलाती हैं और उत्पादन करती हैं, वे सारी की सारी सफल हो रही हैं।

सरकारी क्षेत्र की सारी यूनिट्स सिक होती चली जा रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एन.टी.सी. और बी.आई.सी. की सारी की सारी मिलें सिक होती चली जा रही हैं। ये आज से नहीं, पिछले 10-15 साल से सिक चली आ रही हैं। बी.आई.एफ.आर. में एन.टी.सी. और बी.आई.सी. के केसेज गये हुये 10-12-14 साल हो गये हैं लेकिन बीआईएफआर ने आज तक उन मिलों के भविष्य के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है जबकि आप संशोधन पर संशोधन लाते चले जा रहे हैं। मेरी समझ में इन संशोधनों से यदि सरकार कोई लाभ उठाना चाहेगी तो नहीं उठा सकेगी।

सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उनसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता बल्कि आप हर स्टेट लैवल पर मीटिंग बुलायें। उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र का जितना बुरा हाल है, उतना किसी राज्य का नहीं होगा। आप उत्तर प्रदेश की सभी मिलों के अधिकारियों और मजदूर नेताओं की दिल्ली में एक मीटिंग बुलायें और उनसे पूछें कि वास्तव में ये मिलें कैसे चलायी जायें। आप संशोधन पर संशोधन करते चले जायेंगे लेकिन पांच साल बाद मिलों को फिर वही स्थिति रहेगी। इसका कारण यह है कि इस सब के लिये किसी अधिकारी पर जवाबदेही तय नहीं होती है।

सभापति महोदय, सरकार ने बीआईएफआर बनाया। यदि उनके जितने अधिकारी और न्यायाधीश हैं, उनसे पूछा जाये कि पिछले 12-13 वर्षों में आपने इन मिलों का भविष्य तय क्यों नहीं किया उसका कोई जवाब उन लोगों के पास नहीं है। जिन अधिकारियों ने 10-15 साल तक मिलें चलाई हैं अगर उन से पूछा जाये कि आपने मशीनों का आधुनिकीकरण क्यों नहीं किया, उसका कोई जवाब नहीं है। यदि उनसे पूछा जाये कि बाजार के सिद्धांतों के अनुसार उन मिलों को क्यों नहीं चलाये जाने की कोशिश की गयी, उसका कोई जवाब उन लोगों के पास नहीं है। जब अधिकारियों पर जवाबदेही फिक्स नहीं होगी तो कितने ही आप अधिनियम बना लीजिये, मेरी समझ में उसका कोई लाभ सरकार को मिलने वाला नहीं है। इसलिये मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि सरकारी क्षेत्र की जितनी भी पुरानी मिलें हैं, उनके अधिकारियों, मजदूर नेताओं, लोकल लीडर्स, जनता प्रतिनिधियों—एम.पीज. और एम.एल.एज.—को बुलाकर उनसे पूछा जाये कि मिलें क्यों नहीं चल पाईं

और किन तरीकों से हम उन्हें रिवाइव कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, सरकार के सामने इस तरह की कोई प्रोपोजल आये जिसे वह व्यवहार में अपना सकें। इससे मजदूरों को रोजगार मिल सकता है और देश के सरकारी क्षेत्रों में सिक हो रही इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने इस वाद-विवाद में जो रूचि दिखाई उससे देय के औद्योगीकरण और रूग्णता के कारणों और विभिन्न कठिनाइयों जो कि एक देय के रूप में हमारे सामने है; कुछ खामियां जो इस मार्ग पर चलते हुए आ गई हैं को ठीक करने में उनकी रूचि का पता चलता है।

मुद्दा निरसन के बारे में था। एम आई सी ए 1985 से चल रहा है।

निरसन स्वयं वित्त मंत्रणी स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुरूप है। इसके बावजूद यदि माननीय सदस्यों ने अपनी रूचि दिखाई है तो मैं उनका अत्यधिक आभारी हूं और उन्होंने जो सलाह दी उसके लिए अत्यधिक आभारी हूं। यह दो स्तरों पर रहा है। एक स्पष्ट रूप से तथा अनिवार्य रूप से राज्य से संबंधित मुद्दा है क्योंकि ग्रामीण अथवा राज्य के हितों के मुद्दों की दलील देने के लिए इस तरह के अवसर का प्रयोग किया जा सकता है। तत्पश्चात मुद्दे हैं जो सीधे या विशेष रूप से रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक से संबंधित हैं।

पहले मैं राज्य स्तरीय मुद्दों पर आता हूं। उदाहरण के लिए केरल के सभी सदस्यों ने केरल की कठिनाइयों के बारे में बताया। इसे समझा जा सकता है क्योंकि यहां माननीय सदस्यों के लिए कठिनाइयों के बारे में बताने का अवसर है यद्यपि वाद-विवाद किसी अन्य विषय पर चल रहा है। माननीय सदस्य जानते हैं कि मैंने स्वयं केरल के बागान उद्योग पर कितना ध्यान दिया है। जहां तक केरल में बागान उद्योग का संबंध है, मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अब स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी पहले थी। मैं ऐसा करता रहूंगा। केरल के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में कुछ और कठिनाइयां भी हैं। मैं केरल के मुख्यमंत्री के साथ इस पर ध्यान दे रहा हूं। मेरे लिए प्रत्येक उद्योग जो बताए गए हैं पर ध्यान देना संभव नहीं है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम ऐसा करेंगे।

[हिन्दी]

माननीय रघुवंश बाबू ने चीनी के बारे में हमें बहुत डाटा। अब हम जानते हैं कि चीनी आजकल कड़वी हो गई है, विशेषकर बिहार में। यह सही बात है कि मैंने इस सदन को आश्वस्त किया था कि खाद्य मंत्री के साथ बैठकर चीनी के लिए हम एक वृहद् योजना बनाएंगे। वह मैंने बनाई है। मैं अपने वचन पर दृढ़ रहा हूं। उसकी घोषणा भी हो चुकी है। उसमें राहत दी गई है। दक्षिण के चीनी राज्यों को अलग तरीके से राहत दी गई है और उत्तर क्षेत्र के राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा को अलग तरीके से राहत दी गई है। आपका प्रश्न था कि राहत दी ही नहीं गई है। खाद्य मंत्री तो आपके यहां के हैं। आप तो उनसे परिचित हैं। उनसे पूछ लीजिए। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।

जहां तक बन्द चीनी मिलों को चलाने की बात है, इस संबंध में जो योजना बनाई है, वह भी ठीक है। कुछ चीनी मिलें बिहार में बन्द हैं, कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में बन्द हैं। इनके संबंध में भी खाद्य मंत्री महोदय से बात की है। जब आप खाद्य मंत्री जी से बात करेंगे, तो आपको इस योजना के बारे में भी जानकारी हो जाएगी।

[अनुवाद]

तमिलनाडु के माननीय सदस्य जो ए आई ए डी एम के के नेता हैं ने विशेष रूप से तमिलनाडु के तीन विशेष उद्योगों के बारे में विशेष रूप से कहा। पहला हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स, दूसरा सलेम स्टील और तीसरा आई डी पी एल के बारे में है। एक अन्य सदस्य ने भी सलेम स्टील के बारे में कहा। यह सीधे-सीधे वित्त मंत्रालय का उत्तरदायित्व नहीं है। आप समझेंगे कि वे विभिन्न अन्य मंत्रालयों का हिस्सा हैं। मैं मानता हूं और कहता हूं कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के बारे में लिखा था। मेरे लिए इस कंपनी के पूर्ववृत्त में जाना आवश्यक नहीं है। किंतु हम प्रयास कर रहे हैं और हम यह निश्चित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इन परिस्थितियों में इन्हें पूरा सहयोग मिले। सलेम स्टील के मामले में, हमने समर्थन किया। कुछ कठिनाइयों के बाद भी हमने समर्थन किया है।

इसी तरह से माननीय सदस्य श्री बी.के. देव ने उड़ीसा और उड़ीसा में रूग्णता के बारे में कहा। मैं कठिनाइयों को समझता हूं और सरकार उन पर ध्यान दे रही है।

[श्री जसवंत सिंह]

[हिन्दी]

माननीय सदस्य कानपुर, कानपुर की जो बन्द कपड़ा मिलें हैं, ब्रिटिश इंडिया आदि उनके बारे में पहले भी कई बार इस बारे में जिक्र कर चुके हैं। यह सही है कि वहां जो पहले उद्योग रहे हैं, विशेषकर कपड़े और चमड़े के उनमें काफी गिरावट और तकलीफें आई हैं। उनसे मेरा यही निवेदन है कि इन सब चीजों का सीधे वित्त मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है, इस बारे में आप आश्वस्त रहें।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सभापति जी, मैं यह मानता हूं कि कानपुर की लगभग एक दर्जन बन्द कपड़ा मिलों को चालू करने में सीधे-सीधे वित्त मंत्रालय की कोई दखलन्दाजी नहीं है, लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जब हम कपड़ा मंत्री जी के पास इस समस्या के समाधान हेतु निवेदन करते हैं कि क्या उनके पास कानपुर की एक दर्जन बन्द कपड़ा मिलों को चालू करने या प्रदेश में अन्य स्थानों पर बन्द मिलों को चालू करने का कोई प्लान है, तो वे कहते हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी हमें अनुमति नहीं देते, पैसे नहीं देते, हम उन्हें कैसे चला सकते हैं?

श्री जसवन्त सिंह : सभापति जी, सारी नदियां वित्त मंत्रालय में आती हैं और वहीं से निकलती हैं, यह वित्त मंत्रालय की बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए यदि किसी को दोष देना है, तो सबसे सरल और आसान तरीका है कि वित्त मंत्री के मत्थे मढ़ो, मैं इसे स्वीकार करता हूं। अब केवल एक ही उपाय है कि किसी काम के लिए पैसा देना है, तो पैसा भी भारत सरकार के पास असीमित नहीं है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सभापति जी, माननीय मंत्री बहुत सीनियर लीडर हैं। उन्हें बहुत ही तजुर्बा है। मैंने पहले भी आपको सुझाव दिया है कि कम से कम सिक इंडस्ट्रीज के लोगों को, उनके मजदूरों को, उनके लोकल लीडरों की एक मीटिंग बुला लीजिए, कपड़ा मंत्री जी को बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि कैसे इन बन्द कपड़ा मिलों का रिवाइवल किया जा सकता है, इसका क्या तरीका है? यदि आप उनसे कनविंस हों, तो आप फाइनेंस प्रदान करें, न कनविंस हों, तो आप वैसा बता दें।

श्री जसवन्त सिंह : सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो इस हेतु कदम उठाया जाना है, वह तो कपड़ा मंत्रालय को ही उठाना है।

[अनुवाद]

जहां तक एस आई सी ए का संबंध है, इस वाद-विवाद को शुरू करने वाले माननीय सदस्य दुर्भाग्यवश यहां नहीं हैं... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि बिहार में जो डालमियां नगर फैक्ट्री है, पी.सी.सी.एल. एवं पाइराइट्स की फैक्ट्रियां हैं, वे बन्द की जा रही हैं क्योंकि वे रूग्ण हैं, क्या वे उनके सर्वाइवल के लिए कुछ कर रहे हैं क्योंकि वह पूरा ही नक्सलाइट बैल्ट होता जा रहा है? ऐसा स्थिति में उस बैल्ट में जितनी भी सीमेंट की और पाइराट्स की फैक्ट्रियां हैं, वे बन्द होती जा रही हैं। क्या आपने उनके रिवाइवल के लिए कुछ सोचा है?

श्री जसवन्त सिंह : जैसा मैंने पहले कहा, माननीय सदस्यों की इस प्रकार की उत्सुकता, किसी एक विशेष चुनाव क्षेत्र की किसी कंपनी के बारे में जानने की उत्सुकता होती है, यह स्वाभाविक है और मैं इसे समझता हूं, लेकिन हर कंपनी के बारे में सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट (सीका) में पर हो रहे संशोधन बिल पर हुई बहस पर बोलते हुए मैं कोई सही उत्तर दे पाऊं, यह संभव नहीं है और मैं इसे उचित नहीं समझता हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनकी इस बात को मैं संबंधित मंत्रालय तक पहुंचा दूंगा और निश्चित रूप से उस पर जो कार्रवाई हो सकती है, वह की जाएगी।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य श्री ए.सी. जोस ने (फैक्ट) की बात की है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने कुछ नहीं किया। दुःख है कि उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने स्थायी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इस विधेयक में अधर में लटके मामलों के पंजीकरण, बी आई एफ आर द्वारा पहले ही स्वीकृत पुनर्वास योजना, शुल्क माफी इत्यादि से संबंधित कुछ संशोधन पहले से ही हैं। मैं अन्य ब्यौरों में नहीं जाऊंगा। किंतु अत्यन्त संक्षेप

में मैं यह कहना चाहता हूं सबसे बड़ी चिन्ता कर्मकारों के बकायों, कर्मकारों के अधिकारों और उनके हितों के बारे में है। मैं अत्यन्त अधिकारपूर्वक कहता हूं कि कर्मकारों के हितों की एन सी एल टी विधेयक में रक्षा की गई है। एस आई सी ए की धारा 22 का दुरूपयोग कर्मकारों के बकायों का भुगतान नहीं करने के लिए हमेशा किया गया। एक मुख्य परिवर्तन हुआ है। एन सी एल टी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इस प्रकार का हो तथा जिसमें पूर्व एस आई सी ए की धारा 22 के समान कोई अन्य धारा हो। इसके अलावा एन सी एल टी में पुनर्वास निधि का प्रावधान किया गया है जिसे कर्यकारों के बकायों के भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये कुछ उपाय हैं जिन्हें इसमें पहले ही अंतर्विष्ट किया गया है। मुझे विश्वास है कि उन्हें माननीय सदस्यों की स्वीकृति मिल जाएगी।

अन्य प्रश्न परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित है। अनेक सदस्यों ने कहा कि परिवर्तन शीघ्र होना चाहिए और सरकार को इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। मैं यह स्थिति आपसे स्पष्ट कर दूं। बी आई एफ आर में लंबित मामले वे हैं जिनका नेटवर्क शतप्रतिशत समाप्त हो गया है। एन सी एल टी के अंतर्गत, जहां नेटवर्क यदि 50 प्रतिशत भी समाप्त हो गया है तो वह अधिकरण को सौंप दिया जाएगा। एक प्रकार से वे स्वत: ही एनसीएलटी के पास चले जाएंगे। तथापि, संबंधित कंपनियों को तथा निदेशक मंडल को अपने आवेदन के साथ विवरण तथा अपनी पुनर्वास योजना प्रस्तुत करनी होगी।

अन्यथा, पंजीकरण अथवा किसी भी चीज के लिए कोई शुल्क नहीं है। आप मानेंगे कि इतनी आसान कार्यप्रणाली हमें शुरू करनी होगी।

श्री प्रबोध पण्डा : इसका अर्थ हुआ कि उन्हें फिर से आवेदन करना होगा।

श्री जसवंत सिंह : यह नये सिरे से लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए स्वयं कंपनी को उसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। इस समय यह नेटवर्क 100 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो रहा है। अत: हर व्यक्ति बराबर होगा। लेकिन संबंधित कंपनी के निदेशक मंडल को आवेदन करना होगा. यही पुनर्वास योजना है और हम यही करना चाहते हैं और यह पूर्णत: समझने लायक है।

महोदय, मैंने कहा कि बीआईएफआर के पास 1569 मामले लंबित हैं। इस पहलू पर मैं माननीय सदस्यों की नाराजगी से सहमत हूं। कुछ मामले 1985-86 से ही बीआईएफआर में लंबित हैं। इसका अर्थ है कि ये मामले 15 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। इन मामलों के न निपटाये जाने के जो भी कारण रहे हों, मैं इस संबंध में सदस्यों द्वारा कही गई बात जैसे कि 'मैंने सदस्यों और चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की थी' को स्वीकार करता हूं। मैं इस पद पर 15 वर्षों से नहीं हूं लेकिन यह अलग मामला है। 15 वर्षों में मामलों को उनके द्वारा निपटा न पाने के चाहे जो भी कारण हों मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हमारे ऊपर कुछ विश्वास रखें। ये संक्रमणकालीन परिवर्तन केवल विलम्ब की समस्या को ही दूर करने के लिए किए गए हैं और हम आशा करते हैं, एनसीएलटी के अंतर्गत मुझे विश्वास है कि मामले लगभग एक वर्ष में निपटा लिए जाएंगे। कुछ भी हों, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि किसी भी मामले में एनसीएलटी कानून अधिक प्रभावी होगा।

महोदय, एक और पहलू है और वह यह कि बीआईएफआर जिसका केवल एक बोर्ड था, के विपरित एनसीएलटी में एक मुख्य पीठ होगी और देश के विभिन्न भागों में 10 अन्य पीठें होंगी। इसके अतिरिक्त, मेरा विश्वास है कि सुधार और समयबद्ध प्रक्रियाओं के कारण निर्णय शीघ्रता से लिए जाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें माननीय सदस्यों ने उठाया है।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या उन बैंचों में जजों के एपाइंटमेंट टाइम से हो जाएंगे?...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : आपकी यह बात ठीक है कि जब जज ही नहीं होंगे तो बैंच कैसे बनेंगे, परन्तु जज तो होंगे ही ऐसा मेरा विश्वास है।

[अनुवाद]

अत:, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब, सभा विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 को निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब, सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

''कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 4 परिणामी उपबंध

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2.—

पंक्ति 41 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,—

''परंतु ऐसी कंपनी,—

(i) जिसके संबंध में इस खंड के अधीन ऐसी अपील या निर्देश या जांच का उपशमन हो गया है, कंपनी
1956 का 1 अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार इस अधिनियम के प्रारंभ से एक सौ अस्सी दिन के भीतर कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग 6क के अधीन निर्देश कर सकेगी।

(ii) जो कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से पूर्व, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (46कक) में यथापरिभाषित रूग्ण औद्योगिकी कंपनी हो गई थी, कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से एक सौ अस्सी दिन के भीतर या
2003 का 11 ऐसे प्रारंभ के पश्चात् लेखाओं के अंतिम रूप से अंगीकरण के साठ दिन के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो,
1956 का 1 कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग 6क के अधीन निर्देश कर सकेगी,

और इस प्रकार किए गए ऐसे निर्देश पर कंपनी
1956 का 1 अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी :

1956 का 1 परंतु यह और कि ऐसी कंपनी द्वारा जिसकी अपील या निर्देश या जांच का इस खंड के अधीन उपशमन हो गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग 6क के अधीन ऐसा निर्देश करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं होगी:

परंतु यह भी कि निरसित अधिनियमिति की धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन मंजूर की गई कोई स्कीम या उपधारा (12) के अधीन कार्यान्वयन के अधीन
1956 का 1 कोई स्कीम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 424घ के अधीन मंजूर की गई या कार्यान्वयन के अधीन स्कीम समझी जाएगी और उस पर उस अधिनियम के भाग 6क के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।''। (3)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खण्ड 4, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5 व्यावृत्ति

संशोधन किया गया :

पृष्ट 3, पंक्ति 27.—

''तैयार करने और उन्हें'' का लोप किया जाए। (4)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3.—

"2001" के स्थान पर "2003" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"यावनवें वर्ष" के स्थान पर "चौवनवें वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.33 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कर अधिकरण अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में संविधिक संकल्प

और

राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक—पारित

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 14 और 15 को एक साथ लेंगे। श्री बसुदेव आचार्य, श्री इकबाल अहमद सरडगी और श्री प्रियरंजन दासमुंशी वहां उपस्थित नहीं हैं। श्री पवन कुमार बंसल।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 16 अक्तूबर, 2003 को प्रख्यापित राष्ट्रीय कर अधिकरण अध्यादेश, 2003 (2003 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): महोदय, श्री अरुण जेटली की ओर से मैं प्रस्ताव* करता हूं :-

"कि संविधान के अनुच्छेद 323ख के अनुसरण में राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन के संबंध में विवादों के न्याय निर्णयन का उपबंध करने के लिए और उस अधिकरण द्वारा माल पर सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की दरों के और ऐसे शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्यांकन के अवधारण के संबंध में विवादों के और साथ ही सेवा पर कर के उद्ग्रहण से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन का उपबंध करने के लिए भी और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, कुछ अपरिहार्य परिस्थितियां और कारण हैं जिन्होंने राष्ट्रीय कर अधिकरण अध्यादेश 2003 का निरनुमोदन करने के लिए सभा से अनुरोध करने वाला यह संकल्प प्रस्तुत करने के लिए मुझे प्रेरित किया है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मतदान की प्रक्रिया में बाधा डालना और अध्यादेशों

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री पवन कुमार बंसल]

के माध्यम से शासन करना इस सरकार की प्रथा बन गई है। मैंने पहले भी ऐसा कहा था। इस विशेष मामले में यह बात मैं अधिक बल देकर कह रहा हूं।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि सभा की यह सुस्थापित प्रथा है जिसे अब नियमों द्वारा पुष्ट भी किया गया है कि सभी मौलिक विधेयक स्थायी समिति के पास जाएंगे ताकि स्थायी समितियां उन विधेयक पर विस्तार से विचार-विमर्श कर सके। वहां स्थायी समिति में हम दलगत से ऊपर उठकर मामले पर चर्चा करते हैं विधेयक के खण्डों पर विचार-विमर्श करते हैं; विधेयक के प्रावधानों की वाक्य रचना पर विचार करते हैं और तत्पश्चात् अन्य लोगों से, इससे प्रभावित लोगों से और विषय से सम्बद्ध लोगों में बातचीत करते हैं और तत्पश्चात एक निर्णय के साथ एक प्रतिवेदन लेकर संसद में आते हैं। तत्पश्चात, स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर अथवा सुझाए गए संशोधनों पर सदन में चर्चा की जाती है और अन्तिम निर्णय लिया जाता है।

महोदय, मुझे यह विश्वास है कि माननीय मंत्री जी भी मेरी बात में सहमत होंगे कि यही प्रथा है। एकमात्र फर्क तब होता है और उसे इस सभा ने भी स्वीकार किया है जब सरकार कहती है कि इस विधेयक में एक अत्यन्त सामयिक प्रकृति का, छोटा और साधारण से संशोधन की आवश्यकता है और यदि इन विधेयकों को स्थायी समितियों के पास भेजा जाएगा तो उसमें काफी समय लगेगा और इससे विधेयक का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। हमने उस स्थिति को स्वीकार किया है और कई विधेयकों पर यही चर्चा की है यद्यपि, सही मायने में इन विधेयकों को स्थायी समितियों को भेजा जाना चाहिए था।

अब, इस विशेष मामले में, यह एक नया विधेयक है जो एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा है जो करों से संबंधित सभी मामलों और विवादों पर निर्णय लेने के लिए एक नए मंच का गठन करेगा। पहले आयकर अपीलीय अधिकरण आदि के निर्णय के पश्चात् अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती थी अब उच्च न्यायालय में अपील करने के उस प्रावधान को राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है जो कि आज तक लागू कानून में एक मौलिक परिवर्तन होगा।

कृपया राष्ट्रीय कर अधिकरण अध्यादेश का विधान करने की आवश्यकता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को बताने वाले विवरण को देखिए जो सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले विरले उपायों में से एक होनी चाहिए। यहां वे इसे साधारण रूप से कर रहे हैं। यहां कारणों को बताने वाला तीन पैरा का एक विवरण दिया गया है जिसमें बताया गया है कि चौकसी समिति और भारत के विधि आयोग ने कर न्यायालयों का गठन करने की सिफारिश की थी जिसे वह महसूस करते हैं कि न्यायालयों में मामलों के तय करने में पुनः विलम्ब होगा; अतः अनुच्छेद 323(ख) के अंतर्गत अधिकरण बनाए जाएं।

इसके बाद अब अंतिम पैरा को केवल तीन पंक्तियां देखिए। कृपया मुझे उसे उद्धृत करने की अनुमति दीजिए :-

"चूंकि उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामलों के लंबित होने के कारण, भारी मात्रा में राजस्व ऐसी मुकदमेबाजी में अवरुद्ध हो जाता है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इसलिए तत्काल कार्यवाही की गई थी।"

अब वे उस प्रकार से शक्तियां अनुचित रूप से प्राप्त कर रहे हैं :-

"राष्ट्रीय कर अधिकरण अध्यादेश 2003 प्रख्यापित करके अविलम्ब कार्यवाही की गई थी ताकि उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों पर कार्यवाही हेतु उक्त अधिकरण शीघ्र गठित किया जाए।"

क्या उन्होंने न्यायालयों का गठन किया है? क्या उन्होंने इस अवधि के भीतर अधिकरण का गठन किया है? यदि अधिकरण का गठन किया गया है तो कौन-कौन से मामले हैं जिन्हें अधिकरण को सौंपा गया है? यदि अधिकरण को मामले सौंपे गए हैं तो ऐसे मामले की संख्या क्या है जिसका निर्णय इस अध्यादेश को पारित करने के बाद की अवधि के दौरान किया गया है? यह अध्यादेश के लिए प्रख्यापित किया गया था। अत्यन्त विनम्रता के साथ मैं इस सभा को और माननीय मंत्री को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस कानून को पारित कराने में सरकार की मदद करना चाहते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए।

महोदय, यहां बैठकर मैं विधेयक को पढ़ रहा था। उन लोगों को सम्मान देते हुए जिन्होंने इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने में इतना अधिक परिश्रम किया है, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे इस विधेयक में त्रुटियां नजर आई हैं। इस विधेयक में भाषागत त्रुटिया भी हैं। अब हम एक डेढ़ घंटे इस पर चर्चा करेंगे और यह विधेयक पारित हो जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इस मामले पर चर्चा की जाए और इस पर विचार स्थगित किया जाए और यह मामला कार्य-मंत्रणा समिति

को भेजा जाना चाहिए। कार्य-मंत्रणा समिति में हमें इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए। आसमान नहीं गिर जाएगा यदि यह अध्यादेश व्यपगत होता है। प्राय: हमें सरकार से यह तर्क सुनने को मिलता है "ओह, यह संवैधानिक उपबंध है। यदि यह विधेयक इतने दिनों मे पारित नहीं किया जाता है तो यह व्यपगत हो जाएंगा।" कुछ भी नहीं होगा यदि यह अध्यादेश व्यपगत हो जाता है, जब तक मंत्री जी खड़े होकर हमें यह भी बतावें कि अधिकरण का गठन हो गया है।

महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि इस मामले पर विचार नहीं किया जाए और यह अध्यादेश व्यपगत होने दीजिए। विधेयक को पुर:स्थापित किया जाए। विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाए ताकि इसपर विस्तृत चर्चा की जा सके और तभी यह विधेयक को पारित किया जाए। यही व्यक्ति है जिस तरह से संसद को कार्य करना चाहिए। हमें ऐसे उपबन्धों को जल्दबाजी में पारित नहीं करना चाहिए जहां अधिकरणों का गठन करने के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त किया जा रहा हो। मैं गुणदोष के आधार पर अपनी राय व्यक्त नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं प्रक्रिया के बारे में कह रहा हूं। यह अनावश्यक और अनुचित जल्दबाजी है जिसे यह सरकार इस मामले में दिखा रही है और इस विधेयक को विचारार्ण स्वीकार नहीं किया जाए। मैं अध्यादेश का विरोध करता हूं।

श्री पी.सी. थामस : जैसा कि माननीय श्री बंसल ने ठीक ही दर्शाया है, यह एक नया विधेयक है जिसमें नेशनल टैक्स टिब्यूनल के गठन का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि माननीय उच्च न्यायालयों के सामने लंबित मामलों को इस ट्रिब्यूनल को सौंपा जा सके। उच्च न्यायालय के सामने लंबित मामलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इनकी संख्या की तुलना में उनका निपटारा बहुत कम हुआ है...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : कृपया हमें बताएं कि 16 अक्टूबर के बाद आपने क्या किया है? इसमें क्या तात्कालिकता थी?

श्री पी.सी. थामस : कृपया मुझे पहले पूरा करने दीजिए। मैं इसकी तात्कालिकता पर आ रहा हूं।

सभापति महोदय : पहले उन्हें पूरा करने दीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : आप की कोई तात्कालिकता नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : मैं तात्कालिकता पर आ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : आप इस विषय पर पांच वर्षों तक सोए रहे। अब एकाएक ऐसी कौन सी तात्कालिकता आ गई?

सभापति महोदय : श्री बंसल, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

श्री पी.सी. थामस : हो सकता है कि आप सोए हों क्योंकि 1992 में ही रिपोर्ट आ गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है कि इस मामले में लोग सो गए हों।...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : 1992 लगभग 10 वर्ष पहले की बात है।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री पी.सी. थामस : मैं सिर्फ यह सुझाव दे रहा था कि निपटाए गए मामलों की संख्या लंबित मामलों की सूची में दर्ज मामलों की संख्या के मुकाबले अत्यधिक कम थी और यहां तक कि उनका पांचवां हिस्सा भी नहीं निपटाया गया था। 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार लगभग 28,095 मामले लंबित थे जबकि सिर्फ 6015 मामलों का निपटारा किया गया। यह अत्यन्त ही गंभीर मुद्दा है। अब मामला यह है कि बहुत से मामलों में बड़ी कंपनियों और बड़ी पार्टियों की बड़ी धनराशि फंसी हुई है और उनको स्थगन आदेश मिल रहा है और बड़ी राशि राजकोष में नहीं आ रही है। यही कारण है कि यह वित्त मंत्रालय की चिन्ता का विषय है। वित्त मंत्रालय ने बार-बार बताया है कि तत्काल कोई कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है तथा ट्रिब्यूनल के गठन की आवश्यकता है। महोदय, यह पाया गया है कि चूंकि अधिक राशि लाई गई है...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : बीच में बोलने के लिए मुझे खेद है। कृपया थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनिए।

मैं इस संकल्प के प्रयोजन के लिए बोल रहा हूं। इसमें तात्कालिकता क्या थी? यह गुणदोष के आधार पर है। मैं इस पर विवाद नहीं करूंगा। यदि मुझे बोलना होता, तो शायद मैं उस चर्चा में भाग लेता और शायद मैंने इस ट्रिब्यूनल के गठन का भी स्वागत करता। मेरा एक अलग मुद्दा है। क्या आप चाहते हैं कि संसद इस विधेयक पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करे अथवा आप सिर्फ यह चाहते हैं कि इस विधेयक को आननफानन में पारित कर दिया जाए? जहां तक अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाने का संबंध है, इस मामले का

[श्री पवन कुमार बंसल]

उल्लेख आपने कार्यमंत्रणा समिति में एक बार नहीं अपितु कई बार किया है। यही कारण है कि आप संवैधानिक उपबंधों का उदाहरण देते हैं। यहां मैं आप से सिर्फ एक ही बात जानना चाहता हूं। अध्यादेश 16 अक्टूबर को जारी किया गया था। आपने 16 अक्टूबर से आज तक क्या किया है? कृपया हमें बताइये।

श्री पी.सी. थामस : मैं उस पर आऊंगा।

सरकार की मुख्य चिन्ता यह है कि राजस्व फंस रहा था और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी। महोदय, मेरे विद्वान मित्र ने सरकार की छवि धूमिल करने हेतु कहा कि उसके बाद का कार्यवाही की गई; और सरकार का इरादा क्या था। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई विशेष इरादा नहीं था।

महोदय, प्रत्येक कार्यवाही कानून को लागू करने के लिए की गई है और यह विषय प्रक्रियाधीन है। किंतु यह तथ्य है कि अनेक मामले दायर थे और उस पर स्थगनादेश भी है। इस पर स्थगनादेश भी थे।

श्री पवन कुमार बंसल : उन्होंने कहा कि मैं सरकार की छवि धूमिल कर रहा हूं। उन्होंने यह कहा। मैं सरकार की छवि धूमिल नहीं करना चाहता किंतु मैं उनसे पुनः यह पूछना चाहता हूं कि क्या ट्रिब्यूनल की स्थापना हो गई है।

कृपया 'हां' या 'न' में बताएं।...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : वही मैं कह रहा हूं। आप कृपया धैर्य रखें। श्री बंसल जानते हैं कि अभी तक नेशनल टैक्स टिब्यूनल का गठन नहीं हुआ है और मैं उसका प्रतिवाद नहीं करता हूं। मैं यह कह रहा था कि जब कदम उठाए जा रहे थे, स्वयं अध्यादेश के कार्यान्वयन के विरुद्ध अनेक मामले दायर किए गए थे और अनेक उच्च न्यायालयों ने स्थगनादेश दिए थे। वह भी लंबित है। इसलिए, सरकार को इस बीच न्यायालयों की स्थापना में कठिनाई थी। इसीलिए मैं यही समझाना चाह रहा था। यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार तात्कालिकता पर कार्य नहीं कर रही थी। यद्यपि कदम उठाए जा रहे थे, यह सच है कि ट्रिब्यूनल का अंतिम रूप से गठन किया जाना बाकी है।

अब, महोदय कई प्रकार की कार्यवाहियां की जानी हैं। सिर्फ यही है कि तुरन्त ट्रिब्यूनलों का गठन नहीं किया जा सकता है। कार्यवाही की जा रही है। यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं।

महोदय, यह भी कहा गया है कि कार्य-मंत्रणा समिति की पुनः बैठक होनी चाहिए। इसे कार्य-मंत्रणा समिति के समक्ष उठाया गया है। कार्यमंत्रणा समिति ने ही समय का नियतन किया है। मैं समझता हूं कि हम पूरा समय ले सकते हैं और यदि अधिक समय आवश्यक है उसके लिए भी अनुरोध किया जा सकता है और सदस्यों को इसके बारे में फैसला करना है।

महोदय, इस समय हमें यह देखना है कि हम कितनी तेजी से न्यायालयों की स्थापना कर सकते हैं। हमें यह भी देखना होगा कि इस विषय पर सविस्तार चर्चा करने की विधानमंडल की रुचि किसी भी तरह से समाप्त न हो। इसलिए अनेक अवसंरचनात्मक व्यवस्थाएं की जानी होंगी। यदि विधेयक पारित भी हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि तत्काल या कल ही, ट्रिब्यूनल का गठन हो जाएगा।

महोदय, इस विधेयक में प्रत्यक्ष कर खंड में 15 और 10 यानी दोनों को मिलाकर 25 खण्डपीठों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इन सभी खण्डपीठों का भी गठन किया जाना है। सभी मामले पहले ही हस्तांतरित हैं। मेरे विद्वान मित्र पूछ रहे थे कि कितने मामले हस्तांतरित किए गए हैं। जहां तक अध्यादेश का संबंध है, जिस दिन से यह अध्यादेश कार्यान्वित हुआ, मामले हस्तांतरित हो गये। इसी लिए हमें विधान बनाना है और इसे लागू करना है।

सरकार का यह इरादा कतई नहीं है कि इसे आगे चर्चा के लिए समिति को नहीं भेजा जाए अथवा इसे इस स्थान में आगे चर्चा के लिए नहीं लिया जाये। मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जा सकती है और मेरी अपील है कि...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : वास्तव में, माननीय मंत्री ने मेरे तर्क को यह कह कर पुख्ता कर दिया है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद अथवा इस अध्यादेश के जारी होने के बाद, 25 खण्ड-पीठों की स्थापना तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं इत्यादि की व्यवस्था में काफी समय लगता है। यह मेरे तर्क को और मजबूत करता है। वह दलील कहां थी? 16 अक्टूबर और इस दिनांक के बीच सिर्फ दो महीने हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : उसकी मांग नहीं की जा सकती।... *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : तो फिर संसद की प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई? जब मैं 'संसद' कहता हूं तो मेरा अभिप्राय 'स्थायी समितियों' से है। इस सभा में उन स्थायी समितियों को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? क्या सरकार इसी तरह का रवैय्या अपनाने जा रही है?

महोदय, मैं अत्यन्त विनम्रता के साथ कहता हूं कि यह ऐसा मामला है जिस पर यदि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय – मुझे यह जानकारी नहीं थी कि उस पर स्थगनादेश है – ने स्थगनादेश दिया, तो कुल कम से कम उन्हें तो सोचसमझकर कदम उठाना चाहिए था। यदि इस अवधि के दौरान कुछ नहीं हुआ और यदि यह विधेयक स्थायी समिति को भेजा जाना था तो उससे भी कुछ नहीं हो सका। महोदय, मेरा अत्यन्त विनम्र निवेदन है कि यह विधेयक स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* सरकार को इसे मान का विषय नहीं बनाना चाहिए। यदि यह अध्यादेश व्यपगत हो जाता है तो कुछ नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पहले माननीय मंत्री जी को पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस : महोदय, लगभग 12 मामले दायर किए गए हैं। यह सच है कि कोई भी मामला दायर कर सकता है, विशेषकर वे लोग जो प्रभावित हो सकते हों; वे लोग जो अपनी धनराशि को और अधिक समय तक रोके रखने हेतु और समय चाहते हों और अन्य लोग मामले दायर कर रहे हों, और हम उन्हें मामले दायर करने से रोक नहीं सकते...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : कर के लिए एक नया उपबंध सम्मिलित कीजिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बंसल, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मंत्री महोदय को अपनी बात पूरा करने दीजिए।

श्री पी.सी. थामस : अतः, मेरे विचार से यह मामला सुस्पष्ट है और वास्तव में सरकार का इरादा इसे किसी समिति को भेजने में व्यवधान डालने की नहीं है।...*(व्यवधान)* यह सच है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, आप इसे अध्यक्ष के पास भेज सकते हैं। इस पर आज विचार न किया जाए।...*(व्यवधान)* कृपया इसे अध्यक्ष के पास भेजिए और इसका निर्णय अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : ये अपनी गिरेबान में झांककर देखें कि जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने कितने बिल स्टैंडिंग कमेटी में भेजे थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह मान नहीं रहे हैं। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री पी.सी. थामस : इसलिए, मेरा अनुरोध है कि इस चरण पर सदस्य महोदय या तो अपनी आपत्तियां वापस लें लें नहीं तो मैं अनुरोध करूंगा कि सभा इस विधेयक पर विचार करे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 16 अक्तूबर, 2003 को प्रख्यापित राष्ट्रीय कर अधिकरण अध्यादेश, 2003 (2003 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

"कि संविधान के अनुच्छेद 323ख के अनुसरण में राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन के संबंध में विवादों के न्याय निर्णयन का उपबंध करने के लिए और उस अधिकरण द्वारा माल पर सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की दरों के और ऐसे शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्यांकन के अवधारण के संबंध में विवादों के और साथ ही सेवा पर कर के उद्ग्रहण से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन का उपबंध करने के लिए भी और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, आपको ज्ञात है कि अभी-अभी निरसन विधेयक पर चर्चा हुई और उसे पारित किया गया। यदि वह निरसन विधेयक स्थायी समिति के पास भेजा गया होता तो स्थायी समिति ने बहुत समय लिया होता। इस संसद की सभी स्थायी समितियों में अधिक समय लगता है और वे अपने पास भेजे गए सभी विधेयकों की विस्तार से जांच करती हैं। यह एक संशोधन विधेयक नहीं है। यह एक मूल विधेयक है। इस मूल

[श्री रमेश चेन्नितला]

विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाता है। अन्यथा, स्थायी समिति की क्या आवश्यकता है? इस निरसन विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इस पर सविस्तार चर्चा की गई और सरकार को सुझाव दिए गए थे। वित्त मंत्री ने कुछ सुझावों को अनुमति दी थी। जैसा कि श्री पवन कुमार बंसल ने ठीक ही उल्लेख किया है कि यह ऐसा विधेयक जिसके समाज पर दूरगामी प्रभाव होंगे। यह एक मूल विधेयक है। अध्यक्ष उन्हें इस विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? यह ऐसा विधेयक है जिसे अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : आप स्पीकर साहब के अधिकारों को चैलेंज नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : मैं एक मिनट और लूंगा। यह सरकार संसद को रबर की मुहर बना रही है। सभी अध्यादेश आ रहे हैं। यह मूल विधेयक है। इससे स्थायी समिति की भावना ही नष्ट हो रही है। महोदय, अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मूल विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजें ताकि स्थायी समिति इस विधेयक की जांच और संवीक्षा कर सके और अपने सुझाव दें। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

श्री पवन कुमार बंसल : यह एक घंटे का मामला है। इस समय सायं के 5.00 बज रहे हैं। कृपया, आज सभा को स्थगित कीजिए। इस मामले पर कल चर्चा की जा सकती है। आप इसे अध्यक्ष महोदय के पास भेज सकते हैं। इस पर कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। हम कल देखेंगे कि इस बारे में क्या कर सकते हैं।

यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मैं गणपूर्ति का प्रश्न उठाता हूं। हम इस मामले पर गंभीर हैं। महोदय, कृपया गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या होने दीजिए। वे इस सदन में बैठे हुए पांच सदस्यों के माध्यम से इस विधेयक को जल्दी से पारित कराने के चक्कर में हैं। महोदय, यदि आप सभा स्थगित नहीं करेंगे तो मैं गणपूर्ति के लिए दबाव डालूंगा। वे चाहते हैं कि इस विधेयक को पांच बैठे हुए सदस्यों से ही पारित करा लें।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, हां, मैं गणपूर्ति की मांग कर रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं घंटी बजाने जा रहा हूं इस समय गणपूर्ति है। अब माननीय सदस्य, श्री रमेश चेन्नितला बोल सकते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि अच्छी परम्पराओं का अनुकरण करते हुए इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए जैसा की आम परम्परा है। यह एक मूल विधेयक है। अन्यथा इस विधेयक को अध्यक्ष महोदय के पास भेजें। अध्यक्ष महोदय को चाहिए कि इसका विस्तार से अवलोकन करें और विधेयक के गुणदोष की जांच करें। उन्हें इस विधेयक पर कोई निर्णय लेना चाहिए। आप अन्य मदों को ले सकते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : सरकार ने जब अध्यादेश प्रस्तुत कर दिया है और सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है तो आपको इस पर बहस प्रारम्भ करानी चाहिए। माननीय चेन्नितला जी से प्रार्थना है कि अपना भाषण प्रारम्भ करें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रासा सिंह जी, आप शुरू करें।

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक, 2003 का हार्दिक स्वागत करता हूं और पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय सभापति जी, अभी कांग्रेस के बंधु जिस अध्यादेश के बारे में कह रहे थे कि सरकार अध्यादेश क्यों लाई, वे स्वयं अपने गिरेबान के अंदर झांके कि जब वे शासन में थे तब कितनी बार अध्यादेश का सहारा लेकर इस सदन के अंदर उपस्थित होते थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : सूची में श्री वरकला राधाकृष्णन का नाम है। उन्हें पहले अवसर दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक सदस्य ने पहले ही संकल्प प्रस्तुत कर दिया है। श्री पवन कुमार बंसल ने संकल्प प्रस्तुत कर दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : संकल्प पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : जब राजस्व के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तब देश की योजनाओं को पूरा कराने के लिए, माननीय सदस्यों की आकांक्षाओं की पूर्ति कराने के लिए, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के लिए पैसा चाहिए। देश के खजाने में पैसा कहा से आयेगा? वह राजस्व के माध्यम से आयेगा।...*(व्यवधान)* प्रत्यक्ष टैक्स हों या अप्रत्यक्ष टैक्स हों, एक्साइज ड्यूटी हो या कस्टम ड्यूटी हो, इन्कम टैक्स के बारे में हो या सर्विस टैक्स के बारे में हो, इन टैक्सों की वसूली का अभियान चलता था तो पार्टियां हाई-कोर्ट में चली जाती थीं। देश के उच्च न्यायालय के पास पहले से ही इतने अधिकरण हैं कि धन संबंधी, कर संबंधी, वित्त संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए उनके पास समय भी नहीं रहता और इतना लम्बा प्रोसीजर चलता है जिससे देश को उसका अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं होता और राजस्व संग्रह में बाधा पैदा होती है। उसके निराकरण करने के लिए सरकार ने...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : ये किसके ऊपर बोल रहे हैं?

सभापति महोदय : बिल पर।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : श्री वरकला राधाकृष्णन उन सदस्यों में से हैं जिन्होंने संकल्प प्रस्तुत किए हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : दोनों बिल मूव कर दिए हैं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : इस सभा में क्या हो रहा है? क्या वह इस विधेयक पर बोल रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मंत्री महोदय ने इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रो. रासा सिंह रावत इस विधेयक पर कैसे बोल सकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : मंत्री महोदय को विधेयक प्रस्तुत करना है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने पहले ही विधेयक प्रस्तुत कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मुझे अफसोस है। हमने सोचा कि वह संकल्प के ऊपर बोल रहे थे...*(व्यवधान)* वह विधेयक पर नहीं बोल सकते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने पहले ही विधेयक प्रस्तुत कर दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : सारे मामले न्यायालय के अंदर लम्बित हैं...*(व्यवधान)* चाहे वित्त संबंधी हों, कर संबंधी हों, सारे मामले इनको सौंपे जाएंगे और उनका हल आयेगा और पैसा राजकोष में आ सकेगा।

अपराह्न 5.00 बजे

मान्यवर, ये बड़ी-बड़ी कम्पनियों को बचाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से कहना करना चाहता हूं कि ये लोग एनडीए की सरकार के आने के बाद देश में जो आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, विदेशी मुद्रा के भण्डार भर रहे हैं, बदलती हुई आर्थिक स्थिति को ये पचा नहीं पा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : सभापति महोदय, आप प्रथा गलत डाल रहे हैं। आप कृपया इनको रोक लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, यहां क्या हो रहा है...*(व्यवधान)* आपने श्री वरकला राधाकृष्णन को बुलाया है ...(व्यवधान) विधेयक को विचार करने के लिए पेश नहीं किया गया है।

श्री रमेश चेन्नितला : नहीं, महोदय, वह किस तरह बोलना जारी रख सकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह विधेयक के बारे में बोल रहे हैं। हम संकल्प के बारे में बोल रहे थे।...*(व्यवधान)* आपने उन्हें विधेयक के बारे में बोलने के लिए कहा है...*(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : महोदय, माननीय मंत्री जी ने विचार के लिए विधेयक पेश नहीं किया...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, कृपया उन्हें बोलने से रोकिए...*(व्यवधान)* मुझे खेद है। कृपया उन्हें बोलने से रोकने... *(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (सरबरकांठा) **:** महोदय, यह सही नहीं है ...*(व्यवधान)* यह तरीका नहीं है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.01 बजे

(इस समय श्री पवन कुमार बंसल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खडे हो गए।)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जो भी बोलना चाहते हैं, अपने स्थान पर जाकर बोलिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। आप पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

अपराह्न 5.02 बजे

(इस समय श्री पवन कुमार बंसल और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

सभापति महोदय : अब मैं श्री शिवराज पाटील को बुला रहा हूं। उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी ने इसे पहले ही पेश कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) **:** महोदय, हम इस अध्यादेश के प्रख्यापन का पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमने कुछ दिन पहले सरकार द्वारा पेश किए गए अध्यादेश का विरोध किया है। समिति में भी हमने इस पर आपत्ति व्यक्त की है। यह विधेयक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है। यह विधेयक इस सदन में पुर:स्थापित किया गया था यह सुझाव दिया गया था, कि इस विधेयक को स्थायी समिति में भेजा जाना चाहिए। पर इसे स्थायी समिति में क्यों भेजा जाना चाहिए? इसे इसलिए स्थायी समिति में भेजा जाना चाहिए क्योंकि स्थायी समिति में जिनको इन चीजों के बारे में जानकारी है वे अपने दलों के निदेशों का अनुसरण किए बिना–जैसाकि ज्यादातर मामलों में होता है–अपनी राय दे सके और समिति इसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। उसके बाद समिति का प्रतिवेदन इस सदन में प्रस्तुत किया जा सके।

इस सभा में समय-समय पर माननीय अध्यक्षों ने निर्णय दिया है कि कोई भी विधेयक जिसे यहां पुर:स्थापित किया जाता है उसे स्थायी समिति को भेजना ही होता है बशर्ते स्थायी समिति में भेजे बिना सभा द्वारा उसे पारित न कर दिया गया हो। यदि सरकार अध्यादेश जारी करती है और उसे इस सभा के समक्ष लाती है तो सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि उस विधेयक को स्थायी समिति में न भेजना पड़े वह अपनी कार्यकारी शक्तियों का उस तरह से प्रयोग करती है।

इससे समिति और इस सदन में इस विधेयक के प्रावधानों पर विस्तार में चर्चा करने से इस विधानमंडल के अधिकार को वंचित किया गया है अब सरकार के इस प्रकार के कार्य से इस सदन को यह सन्देश मिलता कि आप विधानमंडल में बैठ सकते हैं लेकिन हम संविधान में उपलब्ध उपबंधों को इस प्रकार उपयोग करेंगे कि हमको जवाबदेह बनाने का आपका अधिकार हमें जवाबदेह नहीं बना पाएगा। क्या इसकी अनुमति दी जानी चाहिए? यह कोई साधारण विधेयक नहीं है यह एक अथवा दो खण्ड वाला विधेयक नहीं है। यह तकनीकी

विधेयक भी नहीं है। यह एक मूल विधेयक है इस मूल विधेयक से देश में स्थापित न्यायपालिका का एक क्षेत्राधिकार अधिकरण को चला जाएगा।

महोदय, इस प्रकार के स्वरूप वाले विधेयक, जो देश में न्यायपालिका के सामान्य क्षेत्राधिकार का हनन करता है, में कुछ कठिनाइयां हैं और भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि इस प्रकार के विधेयक को न केवल संसद द्वारा पारित होना चाहिए बल्कि उसे राज्य विधानमंडलों द्वारा भी पारित किया जाना चाहिए। संविधानिक उपबन्ध हैं। आप उस संबंध में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। आप अध्यादेश के माध्यम से इस सभा में आ रहे हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। दल-बदल विरोधी कानून इस सदन द्वारा पारित कर दिया गया था और उसे राज्य विधानमण्डलों में नहीं भेजा गया था। जब दल-बदल विरोधी कानून में कहा गया कि इस सभा के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय के गुणदोष की जांच करने का अधिकार किसी अन्य न्यायालय को नहीं होगा तो उस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा चर्चा की गई और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप देश में साधारण न्यायपालिका के अधिकारों को कम कर रहे हैं और इसीलिए वह उपबन्ध निष्प्रभावी है। उसे हटा दिया गया। वे तो समूचे विधेयक को ही हटाने वाले थे लेकिन उन्होंने समूचे विधेयक को नहीं हटाया और विधेयक के केवल उसी उपबन्ध को हटाया जिसमें कहा गया था कि साधारण न्यायपालिका को जांच करने का अधिकार नहीं होगा। आप भी कुछ इसी तरह की चीज दे रहे हैं। इसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं।

इसके क्या कारण दिए गए हैं? इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए दिए गए कारण यह हैं कि उच्च न्यायालयों में की गई अपीलों और संदर्भों के लम्बित होने के कारण मुकदमेबाजी में भारी मात्रा में राजस्व फंसा होता है जिसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसलिए, राष्ट्रीय कर अधिकरण अध्यादेश 2003 को प्रख्यापित करके अविलम्ब कार्यवाही की गयी ताकि उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए उक्त अधिकरण का गठन शीघ्रातिशीघ्र हो सके।

महोदय, मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि यह उन लोगों को राहत देने के लिए किया जा रहा है जिन्हें सरकार को धन अदा करना है। वे उच्च न्यायालयों की शक्तियों को कम करना चाहते हैं। वे अधिकरणों का गठन नहीं करेंगे और वे उन लोगों को धन का उपयोग करने की अनुमति जारी रखेंगे जिसकी अदायगी उन्होंने सरकार को करनी है। जहां ऋण अधिकरणों का गठन करने के लिए कानून पारित किए गए वहां अधिकरणों का गठन किया गया लेकिन न्यायाधीशों तथा बाबुओं की नियुक्ति नहीं की गई। उनके पास बैठने के लिए स्थान नहीं है और उनके पास मामलों की छानबीन करने के लिए अन्य अपेक्षित सामान नहीं है जिससे वह कार्य कर सकें और वे अधिकरण कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि मामले ऐसे अधिकरणों के पास भेजे जाने हैं तो राजस्व सरकार को नहीं मिलेगा बल्कि इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो सरकार को कर नहीं देना चाहते।

महोदय, यहां हमें विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है। अब हम विपक्ष के सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे। यह विधान इस प्रकार नहीं पारित किया जाएगा। आपको इसे स्थायी समिति को भेजना होगा हम इसे इस प्रकार पारित नहीं होने देंगे। इसमें क्या कठिनाई है? आप कह रहे हैं कि एन पी ए की वसूली नहीं हो रही है। कितने वर्षों तक कर अदा किए जाते हैं। 20 वर्षों से अधिक की अवधि का बकाया है। एक महीने की अवधि में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप विधानमण्डल के साथ छलावा कर रहे हैं। आप अपने साथ और न्यायपालिका के साथ छलावा कर रहे हैं। इस प्रकार की चीजों की अनुमति नहीं दी जा सकती। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।

महोदय, मुझे आपके निर्णय करने की शक्ति पर कोई सन्देह नहीं है परन्तु यदि आपको इस सभा के सभापति के रूप में तथा एक कार्यरत महत्व के रूप में निर्णय करने की स्थिति में नहीं हैं थोड़ा संकोच है तो माननीय अध्यक्ष को आने दीजिए। इस मुद्दे पर हम समझौता करने वाले नहीं हैं।

इस विधेयक के लिए इस संदर्भ में निर्धारित नियमित प्रक्रिया का पालन करें।

महोदय, मैंने नहीं किया है। कितना करोड़ रुपया कर बकाया है? अस्सी हजार करोड़ रु. का कर बकाया है। विद्यमान न्यायालय उनकी वसूली की स्थिति में नहीं हैं और आप फिर ट्रिब्यूनल की स्थापना करने जा रहे हैं।

मैं आपसे कहता हूं, हमें वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से प्रश्न पूछना है कि ट्रिब्यूनल में न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। जब तक हम यहां बैठे हैं इस तरह का ट्रिक नहीं चलने देंगे।

सभापति महोदय : यह सिर्फ एक स्पष्टीकरण है।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : सभापति महोदय, मैं इस अध्यादेश का जोरदार विरोध करता हूं और इसका सीधा कारण यह है कि इस सभा के इतिहास में यह सबसे काला दिन होगा जब आप सभापति हैं। मेरी बात आप मान लें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हम एक अध्यादेश के द्वारा संवैधानिक प्रावधान का कार्यान्वयन कर रहे हैं जो संसदीय लोकतंत्र में अब तक सुना नहीं गया है।

अब, यह क्या है? एक अध्यादेश के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 323ख कार्यान्वित किया जा रहा है। क्या आपने कभी भी अध्यादेश के माध्यम से संवैधानिक प्रावधान का कार्यान्वयन सुना है? मैं समझ सकता हूं यदि कोई आपात् स्थिति हो, कोई अकस्मात घटना हो और इस कारण से अध्यादेश प्रावधान का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ अपवादात्मक मामलों में और आपात स्थिति में यह किया जाता है किंतु यहां एक उदाहरण है जिसमें संवैधानिक प्रावधान लम्बे समय से लंबित है। अनुच्छेद 323ख है और वे एक अध्यादेश के माध्यम से संविधान के प्रावधान को कार्यान्वित करना चाहते हैं। वे संसदीय लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं।

वे प्रतिबद्ध विधान तैयार कर रहे हैं। दूसरे पक्ष के लोगों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं मिल सकेगा।

सभापति महोदय : कृपया अपने सीट पर बैठिए। नहीं। आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह प्रतिबद्ध विधान है जो अभूतपूर्व है और जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं क्योंकि भारतीय संसद के इतिहास में यह सबसे काला दिन होगा कि हम संवैधानिक प्रावधान का कार्यान्वयन करने जा रहे हैं।..*(व्यवधान)* मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापति जी, श्री शिवराज पाटील इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और वे इस सदन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। वे नियमों से पूरी तरह परिचित हैं। उन्होंने जो प्रश्न उठाये हैं, वे बहुत व्यापक बहस के विषय बन सकते हैं। उन्होंने बिल को मैरिट कटैंट्स पर अपनी बातें रखीं, उसका विरोध किया है। उन्हें विपक्षी सासंद होने के नाते यह अधिकार है कि वे बिल का विरोध करें। उनका डिसअप्रूवल का नोटिस है, इसलिये वे इसका विरोध कर सकते हैं।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से बिल के नियमों तक अपनी बात सीमित रखते हुये उन्हें बताना चाहूंगी कि यह साधारण विधेयक के तौर पर आर्डिनेंस को रिपील करने के लिये लाया गया है। आप जानते हैं कि संवैधानिक पाबंदी है कि किसी भी आर्डिनेंस को 6 हफ्ते के भीतर इसे विधेयक के रूप में लाना होता है वरना वह आर्डिनेंस लैप्स हो जाता है। इसलिये इस सत्र के चलते इसे विधेयक के रूप में लाया गया है। अगर आप इस बिल को पारित न करके इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बात करते हैं तो इसका कारण यह है...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : आप आर्डिनेंस, क्यों लाये?

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने पहले ही कहा कि यह व्यापक बहस का विषय है लेकिन हम इसे अलग मुद्दे के रूप में क्यों लाये हैं, यह बताना चाहूंगी।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : आप हमें वक्तव्य दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आर्डिनेंस का स्टेटमेंट ले किया जाता है लेकिन आज हम उस स्थिति में खड़े हैं जिसका कारण बताना चाहती हूं कि इसका स्टेटमेंट बाकायदा रखा गया है और संबंधित मंत्री ने बताया है कि क्यों लाये। अब आर्डिनेंस आ चुका है, क्यों लाये, यह रीडेंट हो जाता है, इसलिये मैंने कहा कि बहस को सीमित कर रही हूं।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : आप हमारे और संसद के प्रति जवाबदेह हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : जो आज की परिस्थिति निर्मित हुई है, उसका जवाब संबंधित मंत्री ने दे दिया है कि यह बिल क्यों लाये हैं। मैं केवल निर्मित परिस्थिति की बात कर रही हूं। आर्डिनेंस आ चुका, इसे विधेयक में परिवर्तित करने के लिए बिल आपके सामने है। अब सूरतें क्या होंगी, दो सूरतें हो सकती हैं कि या तो बिल यहां विधेयक बन जाए या छः हफ्ते के अंदर आर्डिनेंस लैप्स हो जाए।

...(*व्यवधान*) अगर सरकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह सोचा था कि आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता है तो कोई अनिवार्यता सोची थी। अगर आप समझते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में दे दिया जाए तो छः हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी नहीं आ सकती और छः हफ्ते के अंदर दूसरा सत्र भी नहीं बुलाया जा सकता। इसका मतलब होगा कि आर्डिनेंस लेप्स हो जाए। अगर सरकार यह समझती थी कि आर्डीनेंस लाना जरूरी है तो वे उसे रीप्रोमलगेट करना चाहेगी, अगर यह करना चाहेगी और बिल स्टैंडिंग कमेटी के सामने होगा तो फिर उसी तरह प्रोप्रायटी का सवाल उठेगा जिस तरह इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट बिल में उठा, जो बिल स्टैंडिंग कमेटी के सामने था सरकार उस पर आर्डीनेंस, अध्यादेश क्यों लाई। अभी आप कठघड़े में खड़ा कर रहे हैं कि हम क्यों लाए, तब आप हमें दुगुना खड़ा करेंगे कि बिल स्टैंडिंग कमेटी के सामने था, आपने आर्डीनेंस रीप्रोमलगेट क्यों किया। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूं कि आर्डीनेंस क्यों आया, इस बहस में न पड़ते हुए, क्योंकि इस समय आर्डीनेंस सामने है इसलिए बेहतर यह होगा कि सदन अपनी बुद्धिमत्ता से इस पर चर्चा करे, आखिर स्टैंडिंग कमेटी भी सदन का ही छोटा रूप होती है। आप चर्चा करें और जो सुझाव देने हैं, वे दें, जहां विरोध करना है वहां विरोध करें, हम विरोध का जवाब देंगे। आप जो तर्क सामने रखेंगे उनका हम जवाब देंगे। उसके बाद जो सांझी सहमति विधेयक के बारे में उभरेगी, उसे तय करेंगे, लेकिन एक साधारण विधेयक के तौर पर अगर हम इसे प्रस्तुत करें तो आप कहते कि स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए, मैं यहां खड़े होकर सीधे-सीधे स्वीकार करती कि यह स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए। कल भी कैबिनेट ने जो बिल पारित किया, मैंने ब्रिफिंग में कहा कि यह बिल हम प्रस्तुत करेंगे और स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे।

महोदय, पिछले सत्र में हमने जितने बिल प्रस्तुत किए, आपके कहने से पहले हमने यह कहा कि हम प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन यह स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे। यह बिल साधारण विधेयक के रूप में नहीं आया, आर्डीनेंस के रूप में आया है चूंकि सरकार ने यह महसूस किया कि आर्डीनेंस आना चाहिए। अब या तो हम रीप्रोमलगेट करें, अगर आर्डीनेंस लेप्स हो जाए, क्योंकि अगर आप इसे विधेयक नहीं बनाएंगे तो रीप्रोमलगेट हम करें और स्टैंडिंग कमेटी के सामने बिल हो तो एक और प्रोप्रायटी का सवाल उठेगा, वह इम्प्रोप्रायटी हम कमिट नहीं करना चाहते।

इसलिए मेरा आपसे पूरी विनम्रता से निवेदन है कि आप इसे डिसकस करें और इस पर चर्चा करें। आपने जो अपनी बात कहनी है, कहें और जिस बात पर विरोध करना है, करें, मंत्री जी आपकी पूरी बात का जवाब देंगे। आपकी बातों का समाधान होगा तो आप इसे पारित करेंगे और अगर नहीं होगा तो विरोध करेंगे। हम बहुमत में होंगे तो यह पारित होगा अन्यथा यह आर्डीनेंस लेप्स हो जाएगा और हमें छः हफ्ते के बाद रीप्रोमलगेट करना पड़ेगा, फिर बजट सत्र में इसी रूप में आएगा। पाटील जो, आर्डीनेंस वाला बिल स्टैंडिंग कमेटी को नहीं जाता है, यह आप जानते हैं और भेजेंगे तो एक ओर इम्प्रोप्रायटी कमिट करनी होगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस बिल पर चर्चा कराएं और उसमें अपनी पूरी बात रखें। जितना समय बीएसी ने दिया है, अगर उससे और ज्यादा समय लेना चाहते हैं तो उतना लीजिए और मंत्री जी की बात को सुनने के बाद इसे पारित करिए।

श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने गलती की, वह गलती मान कर उसके ऊपर कदम उठाने चाहिए। अब जो रिजर्वेशन ऑफ वूमैंस बिल है, वह आपने कमेटी को भेजा और यहां लाए। लोगों ने उसका विरोध किया और आपने उस बिल को पास करने की कोशिश नहीं की, हम समझ सकते हैं। आपने यहां यह आर्डीनेंस क्यों लाया। आप कह रही हैं कि हमने आर्डीनेंस लाया, इसलिए इस सदन को इसे पास करना चाहिए। आप आर्डीनेंस लाए तो इसे इस सदन को पास करना जरूरी नहीं है। आप जो कानून बनाना चाहते हैं, वही कानून बन सकता है, जो यहां के सदस्यों को, आपको और हमें मिल कर मान्य हो।

बहन जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी कोई भी सही बात हम मानने के लिए तैयार हैं, मगर कोई भी गलत बात, ट्रिक को हम विक्टिम नहीं बनना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसमें क्या कहना चाहती हैं, क्या कह रही हैं–

[अनुवाद]

"उच्च न्यायालयों के पास प्रत्यक्ष कर कानूनों और अप्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत अपील और संदर्भ में लंबित सभी मामले और कार्रवाई राष्ट्रीय कर अधिकरण को उसकी स्थापना के दिवस से स्थानांतरित हो जाएंगी।"

[हिन्दी]

आपने आर्डीनेंस बनाया उसके बाद नेशनल ट्रिब्यूनल बनाने के लिए कोई कदम उठाया? इसे बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगने वाला है?

[श्री शिवराज वि. पाटील]

[अनुवाद]

आसमान नहीं गिर रहा था।

[हिन्दी]

आपका जो एक लाख करोड़ रुपयों का एन.पी.ए. है, एक लाख करोड़ रुपये के एन.पी.ए. में से आपने जो ट्रिब्यूनल बनाये हैं, आपने कितने ट्रिब्यूनल बनाये हैं, हमने आफिसर्स को पूछा है, आपके फाइनेंस सैक्रेटरी को पूछा है, आपके आफिसर्स को पूछा है कि आपने क्या किया है, लेकिन उसका कोई जवाब हमें वे नहीं दे सके और यहां तक कि एक पैसे की वसूली नहीं होते हुए यह हाईकोर्ट का जूरिस्डिक्शन भी आप निकाल रहे हैं, आप ट्रिब्यूनल भी नहीं बनाएंगे और जो एन.पी.ए. है, उनके पास रहने देंगे, आप इस प्रकार से सरकार चलाते हैं, इसे एफीसिएण्ट सरकार बोलते हैं, इसे गवर्नेंस बोलते हैं और आप कह रहे हैं कि आप आर्डिनेंस लाये हैं, इसे पास होना है, अगर नहीं पास हुआ,

[अनुवाद]

पच्चीस खण्डपीठों की स्थापना करनी हैं। इसी में काफी समय लगेगा।

[हिन्दी]

आप आर्डिनेंस लाना चाहते हैं, आप कानून बनाना चाहते हैं तो तैयारी कीजिए। गवर्नमेंट को यह तैयारी करनी चाहिए। अगर यह कानून नहीं होगा तो कोई तकलीफ नहीं है। वे कहां बैठेंगे, किन जजेज को आप सलैक्ट करेंगे, किस प्रकार का प्रोवीजन करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर्स का तो कोई बंधन नहीं है, उसको सिर्फ एथारिटी देने का है। उसकी प्रायर प्रिपरेशन कुछ हुई है? कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ हाईकोर्ट का जूरिस्डिक्शन निकालकर इस नेशनल ट्रिब्यूनल को जूरिस्डिक्शन देना चाहते हैं और इस नेशनल ट्रिब्यूनल को जूरिस्डिक्शन देने के बाद अगर यहां पर 25 बेंचेज नहीं बनी, 25 जजेज नहीं आये, मैंने तो लैटर्स भी लिखे हैं कि ट्रिब्यूनल्स बने हैं, उसके अन्दर जजेज का एपाइंटमेंट नहीं हुआ है और रिकवरी का काम नहीं हुआ है। हमने मुंहजबानी बताया भी है, लैटर्स लिखकर बताया है, कमेटी में बताया है, लेकिन काम नहीं हुआ है। इसके बाद इसमें इतनी गड़बड़ क्या है, इसे आप प्रेस्टीज क्यों बनाना चाहते हैं? अगर हम इन्सिस्ट करते हैं, अगर आप यहां पर आकर बैठें, आप वहीं बैठे रहें, हम आपको कोई बहुआ नहीं दे रहे हैं, मगर आप यहां पर आकर बैठें, वहां पर जाकर हम बैठें तो हमसे आप एक बात नहीं पूछेंगे और वहां पर बैठकर आप कह रही हैं कि अपोजीशन बैंचेज पर बैठकर अपोजीशन का काम समझना नहीं चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की बैंचेज पर बैठकर गवर्नमेंट का काम करना आपको आता नहीं है। क्या वजह है कि इसके लिए लाना है, क्या रीजन दिया है, मैं आपको पढ़कर बताऊं। देखिये, आपने इसका रीजन दिया है:

[अनुवाद]

"चूंकि उच्च-न्यायालय के पास अपीलों और संदर्भों के लंबित होने के कारण बड़ी धनराशि वाद में फंसी हुई है जिसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, नेशनल ट्रिब्यूनल के हित प्रख्यापित करके तत्काल कार्रवाई की गई जिससे की और उच्च न्यायालय के सामने लंबित मामलों पर विचार करने हेतु उक्त ट्रिब्यूनल जल्द से जल्द गठित किया जा सके।"

क्या यह विचार तात्कालिकता है? इस तरह की परिस्थिति में आपको अध्यादेश जारी करना चाहिए? क्या यही स्थिति है, जिसमें इस तरह का काम किया जाना है?

[हिन्दी]

अगर आप कांस्टीट्यूशन के प्रोवीजंस को समझते हुए भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं कहेंगे कि आपको कांस्टीट्यूशन समझ में नहीं आता, वह समझकर भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम कहेंगे कि आप इनएफीसिएण्ट हैं, हम कहेंगे कि आप गवर्नेंस क्या है, आपको मालूम नहीं है। आप हमारी आंखों में धूल झोंककर इस तरह का ट्रिब्यूनल बनाकर काम करना चाहते हैं, यह हम नहीं होने देंगे, जब तक हमारी एथारिटी है, हम इसे नहीं होने देंगे। दूसरा कोई भी बिल आया, आई.डी.बी.आई. का बिल आप लाये, हम सब लोगों ने पास कर दिया। किस प्रकार से पास कर दिया, आप जानते हैं। दूसरे बिल भी आप लाये, किस प्रकार से काम किया, हम जानते हैं। मगर वहां हम अपोज करेंगे, जहां हमें ट्रिक नजर आयेगी। हम वहां अपोज करेंगे, जहां कलरेबल एक्सरसाइज नजर आयेगी। आपकी चालाकी हम नहीं समझे तो हम बुद्धू कहलाएंगे, मगर आपकी चालाकी का अगर हमने जमकर जवाब दे दिया तो फिर हमने अपोजीशन का भी काम किया और वहां बैठने भी हम गये तो इसी प्रकार से हम काम करेंगे। यह जो कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर है, कांस्टीट्यूशन का आप दुरूपयोग कर रहे हैं। आप बिलावजह इसे

यहां पर ला रहे हैं। हम इतना चीखते-पुकारते नहीं, इतनी ऊंची आवाज करके बोलते नहीं, मगर कभी तो बोलना पड़ेगा, प्रिंसीपल पर तो बोलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो आप मजे से हमें धोखा देकर हमारे ऊपर ट्रिक करके काम निकालकर जाएंगे, लेकिन उसका फायदा आपको भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बता देता हूं कि एक बिल पास होने के बाद, 25 ट्रिब्यूनल्स आपके एपाइण्ट करने के बाद आप एक साल के अन्दर दस हजार करोड़ रुपये का एन.पी.ए. कम करके बताएंगे तो मैं आपके सामने आकर सलाम करूंगा। यह नहीं होने वाला है, आप यह नहीं कर सकते हैं। आपने जो पहले ट्रिब्यूनल्स बनाये हैं, उनमें भी आपने नहीं किया है तो इससे क्या होने वाला है। इस हालत में अभी से यह पास कराना चाहते हैं।

माफ करना, बहिन जी, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मगर इसमें हम आपको कोआपरेट नहीं करने वाले हैं। इसे हमारा डिटरमिनेशन समझकर उसमें से कुछ रास्ता निकालें तो निकालिये, नहीं तो हम इसमें कोआपरेट नहीं करने वाले हैं। अगर आप हमारे डिटरमिनेशन समझकर उसमें से कुछ रास्ता निकालें तो निकालिये, नहीं तो हम इसमें कोआपरेट नहीं करने वाले हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : आप कल स्पीकर से बात कर लीजिए क्योंकि अभी तो सिर्फ आधा घंटा रह गया है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज पाटील जी अपनी परिचित शैली में क्यों नहीं बोल रहे हैं। यह शैली हमारे लिए बिल्कुल अपरिचित है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह अपकी शैली से मेल नहीं खाता है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : आप हमारी उस शैली को वीकनैस समझते हैं।...*(व्यवधान)*

शालीनता से बोलने को आप वीकनैस समझते हैं।... *(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप कभी ऊंचे स्वर में बोलते नहीं हैं। जब आप हल्के स्वर में बोलते हैं तो आपकी बात उतनी ज्यादा प्रभावी होती है। आज आप ऊंचे स्वर में बोल रहे हैं इसलिए आज आपकी बात उतनी प्रभावी नहीं हो पा रही है। उतेजना कितनी भी हो तब भी मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगी कि आप अपनी शैली को बरकरार रखिये।...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री : आप अपनी मीठी जुबान का जादू मत चलाइये।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : उनकी शैली का भी जादू है। वह शैली बनी रहने दी जाये।...*(व्यवधान)* मुझे नहीं मालूम कि यह बिल आपको क्यों इतना उतेजित कर रहा है।...*(व्यवधान)* आप बिल्कुल दृढ़ता से बात करिये लेकिन उस शैली में कहिये जो शिवराज पाटील जी की है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : जो भी उचित होगा वह किया जाएगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, आप शैली का जवाब शालीनता से दे रही हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, मैं यह कह रही हूं कि कौन कहां बैठेगा, इसका फैसला तो जनता करेगी। न शिवराज पाटील जी कर सकते हैं और न मैं कर सकती हूं। बहुत वर्षों तक जनता ने उन्हें इधर बैठाया और हमें उधर बैठाया तो हम बैठे रहे। अब जनता ने हमें पांच वर्ष तक इधर बैठाया है तो हम बैठे रहे। आगे हम लोग यहां बैठेंगे या नहीं, जनता जिसको बैठायेगी, वह बैठेगा। इसलिए हम लोग आपस में यह तय नहीं कर सकते कि कौन किस तरफ बैठेगा। यह तो जनादेश की बात है। मैं आपसे फिर कह रही हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बिल के कन्टैंट्स पर आप क्यों आपत्ति कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कि यह रीजन दिया कि बड़े पैमाने पर धनराशि फंसी हुई है। क्या यह कम बड़ा रीजन है। अगर उस ब्लाक्ड रेवन्यू को खत्म करने के लिए इतने-इतने केस, हां, यह पहली बार नहीं हो रहा है कि हम हाई कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन निकालकर कर रहे हैं। हम केवल बेंचिस बढ़ा रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ज्यूरिस्डिक्शन खत्म करके ये बेंचिस आपने ही स्थापित की थी। उन बेंचिस का हम नम्बर बढ़ा रहे हैं।...*(व्यवधान)* नया कुछ नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* आप ऐसा कह रहे हैं जैसे ज्यूरिस्डिक्शन

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

खत्म करके हम कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। यह ज्यूरिस्डिक्शन समाप्त करके बेंचिस बनाने का काम, ट्रिब्यूनल बनाने का काम आपकी ही सरकार ने किया था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : हम प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उस समय कम था इसलिए चार बने। उसके बाद छः बने, फिर दस बने। अब हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं क्योंकि एन.पी.ए. बहुत ज्यादा है। जहां तक ऑब्जेक्टिव एंड रीजन्स की आप बात कर रहे हैं, यह कम बड़ा उद्देश्य नहीं है जिसकी पूर्ति करने के लिए हम यह कर रहे हैं। मैं इसलिए आपसे कहना चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : यह अध्यादेश के लिए है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : जहां तक यह सवाल है कि आर्डिनेंस के बाद हमने क्या किया, पूरी लंबी तफसील है कि हमने क्या किया लेकिन वह संबंधित मंत्री का दायरा है जिसको मैं लेना नहीं चाहती। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर मैं अपनी बात को केवल नियमों तक ही रख रही हूं वरना मेरे पास पूरी फेहरिस्त है कि आर्डिनेंस जारी करने के बाद क्या किया। परन्तु उसका जवाब संबंधित मंत्री दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं कह रही हूं कि आर्डिनेंस जारी करने के बाद हाथ पर हाथ धरकर हम बैठे नहीं रहे। आर्डिनेंस जारी करने के बाद ट्रिब्यूनल को सेटअप करने के लिए बहुत कदम उठाये गये हैं। संबंधित मंत्री आपको उसका जवाब देंगे। आप इस बिल पर चर्चा कराइये।

मैं सिर्फ एक बात का जवाब दे दूं। आपने कहा कि सरकार ने कहा चूंकि हम आर्डिनेंस ले आये हैं इसलिए पारित कर दो, ऐसा नहीं है। यहां जो चीज लगती है, वह पहले बिजनस एडवाइजरी कमेटी में तय होती है। बिजनस एडवाइजरी कमेटी ने समय एलाट किया है। उसके कन्टैंट्स बताये जाते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : बीएसी ने कन्टैंट्स फिक्स किये हैं? ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : वहां कन्टैंट्स बताये जाते हैं, सब्जैक्ट बताया जाता है।...*(व्यवधान)* आपने एक घंटा दिया।...*(व्यवधान)* मैं यह नहीं कह रही कि बीएसी ने चर्चा के लिए समय दिया वरना बीएसी कह सकती थी कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजो। अगर बीएसी ने चर्चा के लिए समय दिया था, मैं यहां तक कह रही हूं कि आप समय बढ़ा दीजिए। अगर आपको लंबी चर्चा करनी है तो आप और समय ले लीजिए लेकिन चर्चा करिये।...*(व्यवधान)* चर्चा करके आप विरोध कीजिए। विरोध करके आप चर्चा थोड़े ही रोक सकते हैं। शिवराज जी, आप चर्चा रोक नहीं सकते। आप विरोध करिये। ...*(व्यवधान)* आप विपक्ष में बैठकर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए काम करिये।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : आप वूमैन्स रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं ला रहीं?...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं कह रही हूं कि आप विरोध करिये। आप चर्चा कैसे रोकेंगे।

सभापति जी, मैं आपसे भी कह रही हूं कि बीएसी ने समय एलाट किया, लिस्ट ऑफ बिजनस में रखा। आप चर्चा कराइये। उनको विरोध करना है तो अलग से वोट करें। विपक्ष में वोट करके गिरा दें। इसके लिए यह चर्चा थोड़े ही रुकवा दें, चर्चा नहीं रुक सकती। बीएसी ने समय ऐलाट किया है। आप चर्चा करवाइए। अगर विपक्ष को कंटैंट्स पर विरोध करना है, वोट अलग देना है तो दे पर चर्चा तो कराइए। ये चर्चा कैसे रोक सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर कैसे हो गया।

श्री शिवराज वि. पाटील : आप मेरी बात सुनने के बाद उनका प्वाइंट ऑफ आर्डर सुन लीजिए।...*(व्यवधान)* सरकार एक पैसा भी इस सदन की इजाजत के बगैर खर्च नहीं कर सकती। एक पैसे का टैक्स भी सरकार इस सदन की इजाजत के बगैर नहीं खर्च कर सकती। हजारों-करोड़ों रुपये के पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स इस सदन की इजाजत के बगैर आप भेजना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो

पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स कानून से बना है, उसके सिवाए मत बनाइए। यहां पर भी जो पैसा है, दूसरों के पास क्या है, उसे लाने का प्रयास होना चाहिए। आपने कह दिया कि जो ट्राइबुनल बना है, उसका कोर्ट ने स्टे दिया है। आप ही कह रहे हैं कि कोर्ट ने स्टे दिया है, तब भी यहां आर्डीनैंस के माध्यम से ला रहे हैं और इस पद्धति से ला रहे हैं कि जल्दी-जल्दी चार घंटे में पास कर दें। अगर यह कमेटी में जाएगा तो इसके ऊपर दस घंटे विचार होगा, इस सदन में आएगा जहां साढ़े पांच सौ सदस्य हैं, चार घंटे के अंदर पास हो जाएगा और चार घंटे में से आधा समय तो पॉलीटिक्स और दूसरे रिमार्क्स में चला जाएगा। ऐसे पीस ऑफ लैजिसलेशन इस प्रकार पास करवाकर आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ट्रेजरी में कुछ पैसा नहीं आने वाला है। आपका समाधान होगा कि हमने यह बिल पास कर लिया लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। आप हमारे रीजन को नहीं सुन रहे हैं तो जिस प्रकार सुन सकते हैं, उस प्रकार सुनाने का प्रयास करेंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप प्वाइंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहते हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत : जी हां।

नियम 75 (1), (2) और 2(क) के अंतर्गत मैं कुछ कहना चाहता हूं। सामान्यत: जो आपत्ति हो रही है, वह पुरस्थापन के समय होनी चाहिए थी। पुरस्थापन के समय इन्होंने आपत्ति नहीं की। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : आप उस समय हाउस में नहीं थे। मैंने वही किया था।...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं हाउस में था। पुरस्थापन पहले हो गया। आज प्रभारी मदस्य ने विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव रखा। पुरस्थापन और चर्चा में अंतर है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : पुरस्थापन के समय का मतलब है इंट्रोडक्शन के समय आपत्ति करनी चाहिए थी।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मैं जानता हूं। यह आर्डीनैंस है। वे गलत बात कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : आर्डीनैंस के बाद भी यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : आप बताइए कि कब हुआ है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं आपकी बात मान लेता हूं। लेकिन मैं जो नियम पढ़ कर सुना रहा हूं, उसे सुन लीजिए।

नियम 75 (1) कहता है–नियम 74 में निर्दिष्ट किसी प्रस्ताव के किए जाने पर विधेयक के सिद्धान्त और उसके उपबन्धों पर सामान्य रूप से चर्चा की जा सकेगी किन्तु विधेयक के ब्यौरे पर उससे अग्रेतर चर्चा नहीं होगी जितनी कि उसके सिद्धान्तों की व्याख्या के लिए आवश्यक हो।

(2) इस प्रक्रम पर विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे, किन्तु–

(क) यदि प्रभारी सदस्य प्रस्ताव करे कि विधेयक पर विचार किया जाए तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक सदन की प्रवर समिति या, राज्य सभा की सहमति से, दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए या प्रस्ताव में उल्लिखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।

इनके पास यह अवसर है। ये चाहें तो प्रस्ताव कर दें। आप सदन की राय ले लीजिए और इस पर चर्चा कराइए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह आर्डीनैंस है, आपका कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं बनता। पूरी बात कही है वह जो विधेयक आर्डिनैंस के आते हैं, उन पर यह बात नहीं लगती।

श्री थावरचन्द गेहलोत : पर यह बिल पर लागू होती है और बिल पर विचार करने के लिए सदन में आसन से अनुमति मिली है और आसन ने अनुमति दी है तथा आसन ने इस बिल को स्वीकार करके चर्चा करने के लिए निर्देश दिया है। अब कैसे लागू नहीं होता? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है। आप बोलिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं तो इसके बारे में पूरी बात कर रहा था। आपके आदेश का अनुपालन कर रहा था। बिल का समर्थन कर रहा था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : हम क्या चर्चा कर रहे हैं, महोदय?... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : कृपया नियम 71 देखिए। इसमें कहा गया है :

"जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश के स्थान में उसमें रूपभेद सहित या उसके बिना सभा में पुर:स्थापित किया जाए तो सभा के सामने विधेयक के साथ उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी रखा जाएगा; जिसके कारण अध्यादेश तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था।"

मैं तुरन्त विधान शब्दों पर बल देता हूं। यहां वक्तव्य से औचित्य सिद्ध नहीं होता है।

[हिन्दी]

यह इस बात पर जा रहे हैं कि कानून क्या है...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह आपका नजरिया हो सकता है कि इसका औचित्य नहीं है किंतु विवरण रखा गया है और सभी प्रक्रियागत औपचारिकताओं का पालन किया गया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। मंत्री जी एक बात का जवाब दे दें। क्या हमेशा के लिए आर्डिनेंसेज का तरीका ही अपनाना चाहते हैं ताकि स्टैंडिंग कमेटीज को बाइपास करते रहें?

सभापति महोदय : यह बात आप उठा चुके हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। ...*(व्यवधान)* उसके बाद कोई भी चीज के लिए आप आर्डिनेंस ले आइए, नया बिल बनाते हुए, नया बिल सौ पेज का, पचास पेज का और यह कह दीजिए कि क्योंकि हमने आर्डिनेंस कर दिया है, इसलिए कमेटी में नहीं जाएगा। यही होगा। हम यह बात मान सकते थे अगर उसमें कोई खास बात होती कि इसके लिए तुरन्त विद्यान की जरूरत है और यहां हमें बताया गया है कि यह आर्डिनेंस प्रोम्युलगेट किया, उसका स्टे हो गया। अभी तक कोई कदम नहीं उठाये जा सके कि उसकी बैंच बन सके और जैसा शिवराज पाटिल साहब ने कहा, इसमें एक नहीं, 25 ट्राईब्यूनल्स बनने होंगे और एक साल बनाने का काम खत्म नहीं होगा और यहां दुहाई दी जा रही है कि जल्दी काम होगा और अगर जल्दी नहीं होगा तो आसमान टूट जाएगा और पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा। हम समझते हैं कि जिस ढंग से यह काम किया है, यह सिर्फ पार्लियामेंट की तौहीन थी। जो एक माना हुआ तरीका है कि जो भी यहां विधेयक हों, उनकी बहस पहले स्टैंडिंग कमेटी में की जाए, वहां अच्छे ढंग से उन पर बहस हो, एक-एक बात पर बहस हो, बाहर वाले विशेषज्ञों को बुलाकर उनकी बात सुनी जाए, उनकी राय ली जाए और फिर उसके बाद आप रिपोर्ट देते हैं। लेकिन ऐसा है तो आप रूल्स खत्म कर दीजिए। आप मैजोरिटी की बात कर रही थीं। रूल्स भी खत्म कर दीजिए। हटा दीजिए स्टैंडिंग कमेटीज को।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : क्या आप प्वाइंट ऑफ आर्डर कह रहे हैं?

(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : पहले उनका जवाब दे दूं जो उन्होंने सवाल उठाया। बंसल जी ने दो सवाल उठाए। पहले तो उन्होंने रूल 71 पढ़कर बताया और कहा कि:

[अनुवाद]

एक विवरण रखना होगा। विवरण सभा पटल पर रखा गया है। ...*(व्यवधान)* हां, इसके लिए तुरन्त विधान की जरूरत थी। माननीय सदस्य कहते हैं कि इससे औचित्य का पता नहीं चलता। यह उनका नजरिया है किंतु सरकार समझती है कि यह न्यायोचित है। विवरण रखा गया है और सभी प्रक्रियागत औपचारिकताओं का पालन किया गया है।

[हिन्दी]

दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि क्या यही तरीका है और शिवराज जी ने कहा कि आपको गवर्नेंस नहीं आती। आप इधर बैठे हैं लेकिन आपको गवर्न करने के लिए कहा गया है लेकिन आपको गावर्नेंस नहीं आती। चूंकि हम आर्डिनेंस लाते हैं, इसलिए हमें गवर्नेंस नहीं आती। मैं बताना चाहती हूं कि जब इतने वर्षों इन्होंने सरकार चलाई तो इन्होंने कितने-कितने आर्डिनेंस प्रौमल्गेट किए और उसकी तुलना में हमने कितने किए। जरा गवर्नेंस का एक उदाहरण देख लीजिए। सन् 1975 में इनकी सरकार थी। इन्होंने 29 आर्डिनेंस दिए। 1996 में...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए। अगर हमारी गवर्नेंस की कैपेबिलिटी का सवाल उठाया है, अगर हमारी शासन करने की क्षमता का सवाल उठाया है तो सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रमेश चेन्तिला जी, आपने सवाल उठाया है तो आपको सुनना चाहिए। मंत्री जी, बोलिए।

(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, हमारी शासन करने की क्षमता पर अगर सवाल उठाया है कि हम अध्यादेश जारी करके शासन कर रहे हैं और हमें गवर्नेंस नहीं आती तो एक आंकड़ा सुन लीजिए। हम 1998 में आए हैं। 1996 में 32 आर्डिनेंस आए, 1997 में 31 आर्डिनेंस आए, जब इनकी और इनके समर्थकों की सरकार थी। जब हम 1998 में तो उसकी तुलना में 20 आर्डिनेंस आए। हमारे राज में 1999 में दस आर्डिनेंस आए, 2000 में केवल पांच आर्डिनेंस आए और 2001 में 12 आर्डिनेंस आए। आप 29, 32 आर्डिनेंस लाते हैं तो आपको गवर्नेंस आती है, उसके मुकाबले में हम पांच, दस या 12 आर्डिनेंस लाते हैं तो हमें गवर्नेंस नहीं आती।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लीजिए। आपने सवाल उठाया, अब उसका जवाब सुनें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हमें गवर्नेंस नहीं आती इसलिए हमें वहां बैठना चाहिए।

श्री शिवराज वि. पाटील : जब सच्चाई सामने आ जाती है तो बहुत बुरा लगता है। आपको बुरा लगा होगा।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

सभापति महोदय : अपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, मैं नियम 71(2) की बात कर रहा हूं जिसमें कहा गया है कि :

"जब कभी कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाये, जिसमें सभा के सामने लंबित किसी विधेयक के उपबंध पूर्णत: या अंशत: या रूपभेद सहित समाविष्ट हों तो उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था, अध्यादेश को प्रख्यापित करने के बाद के सत्र के प्रारम्भ में पटल पर रख दिया जाएगा।"

विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। नियम 72 में किसी विधेयक के पुरस्थापित करने के विरोध की प्रक्रिया की बात कही गई है। किसी अध्यादेश का विरोध करने के संबंध में कोई विशिष्ट नियम नहीं हैं।

अपराह्न 5.42 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

श्री वरकला राधाकृष्णन : आप गलत कह रहे हैं। संविधान में एक उपबंध है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। मुझे उनकी बात सुनने दीजिए।

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, मेरा प्रश्न है कि अध्यादेश का विरोध करने के संबंध में नियम पुस्तक में कोई विरोध उपबंध नहीं है। वास्तव में, अध्यादेश और विधेयक एक ही हैं। नियम 72 में किसी विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध होने की स्थिति में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है। नियम 72 के पैरा 3 में कहा गया है:

"परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव तुरन्त मतदान के लिए रखेगा।"

महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि वे इसका विरोध करते हैं तो आप इस पर यह जानने हेतु मतदान कर सकते हैं कि

[श्री खारवेल स्वाइं]

क्या इसे पुर:स्थापित किया जाना चाहिए और इस पर चर्चा की जानी चाहिए अथवा नहीं। अत: आपको इसे सभा में मतदान के लिए रखना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं यह कहने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं कि यह ऐसा अकेला मामला है जिसमें उन परिस्थितियों जिनके कारण इस विधान को लाना आवश्यक हुआ, का विवरण देने वाले वक्तव्य में तत्संबंधी तथ्यों का उल्लेख नहीं है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और इस संबंध में अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए थी अन्यथा ऐसा नहीं हुआ होता, आदि। मैंने सभी वक्तव्यों को देखा है और प्रत्येक वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया है कि ऐसा किया जाना था लेकिन संसद का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए सरकार यह कार्यवाही करने के लिए बाध्य थी। यही प्रमुख मामला है जिसके बारे में सरसरी तौर पर वक्तव्य दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को, जैसा कि मंत्री महोदय ने दर्शाया है, साधिकार हटा दिया है...*(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : क्या यह अहं था?

श्री पवन कुमार बंसल : कृपया इस शब्द का अर्थ समझिए।

श्री राम नाईक : मैं इसका अर्थ समझता हूं लेकिन आपको ऐसा शब्द प्रयोग करना चाहिए जो उपयुक्त हो।

श्री पवन कुमार बंसल : ठीक है, वास्तव में, मैं सोचता हूं कि आप चाहे जितने भी वरिष्ठ हों मुझे इस संबंध में आपसे मार्ग-निर्देशन लेने की आवश्यकता नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : आप भूल गए होंगे कि आपने पहले क्या कहा था...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने जो कहा मैं उस पर कायम हूं क्योंकि यह कहा गया था कि:

[हिन्दी]

आप अपनी मर्जी से सोचते हैं, जैसा हमे सोचना है, उसके हिसाब से काम होगा।

[अनुवाद]

मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह पहला मामला है जिसके संबंध में दिए गए वक्तव्य में उस महत्वपूर्ण भाग का उल्लेख नहीं किया गया है जो इस संबंध में है कि ऐसी कार्यवाही उस समय क्यों कि गई जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था। निरपवाद, निरपावाद नहीं बल्कि सदैव ऐसा होता है कि पटल पर रखे गए किसी भी वक्तव्य में इसका उल्लेख होता है। मेरा कहना है कि ऐसा कतिपय आकस्मिक स्थिति के कारण किया गया। इसमें कोई आकस्मिक स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति वर्षों से बनी हुई है। वक्तव्य में वे कहते हैं कि उच्च न्यायालय में लगभग 28,000 मामले लंबित हैं। ऐसी स्थिति अचानक उत्पन्न नहीं हुई है कि उसके लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो। हमारा कहना है कि यह सरकार का विशेषाधिकार है कि वह इस प्रकार का विधान लाए। इस प्रकार का विधान स्थायी समिति के पास भेजा जाता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मुझे बोलने के लिए कहा गया था। जब मैं पांच मिनट बोला तो ये लोग वैल में आ गए।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : स्थायी समिति में इन सारी बातों पर चर्चा की जाती है। हम यही कह रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपको कोई विधेयक लाने का अधिकार नहीं है।

हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब सरकार इस प्रकार के मूल विधेयक लाती है तो उसके लिए अध्यादेश नहीं लाना चाहिए। अध्यादेश तब लाया जाता है तब कोई आकस्मिकता हो और कुछ एकाएक हो जाए।

[हिन्दी]

एकदम कोई चीज हो जाती है।

[अनुवाद]

और उस संबंध में किसी तात्कालिक कार्यवाही की अ श्यकता हो जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के मामले में था। इस प्रकार के उपबंध थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चुनाव आयोग को कुछ सुझाव दिए थे–अधिकारियों की नियुक्ति की जानी थी, चुनाव लम्बित थे

और संसद की बैठक चुनाव से पहले संभव नहीं थी इसलिए किसी अध्यादेश की आवश्यकता थी। हमने नहीं कहा कि इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए था। अन्य अध्यादेशों के मामले में हमने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन यह ऐसा मामला है जिसके बारे में दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में कोई भी महसूस करता है कि यह मामला उसके बारे में हमारे विचार चाहे जो भी हों, उच्च न्यायालय के बजाए किसी न्यायाधिकरण में जाना चाहिए।

यह ऐसा मामला है जिसके बारे में हम कहते हैं कि इस पर अध्यादेश लाया जाना चाहिए जबकि आपने स्वयं देख लिया है कि न्यायाधिकरण की स्थापना रोक दी गई है। कोई कार्यवाही नहीं की गई। सरकार ने जब यह वक्तव्य दिया है तो उसे इस बात का औचित्य सिद्ध करना चाहिए कि अध्यादेश के प्रख्यापन से आज तक उसने क्या किया है। इसके संबंध में विधि राज्य मंत्री कहते हैं कि अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकार के मामले स्थानांतरित माने जाएं। ये मामले कहां स्थानांतरित किए जाते हैं? मंत्री महोदय कहते हैं जिस तिथि को न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है उसी तिथि से मामले स्थानांतरित समझे जाएंगे। आपके पीठासीन होने से पहले मैंने मंत्री महोदय से एक साधारण प्रश्न पूछा था। मैंने उनसे यह बताने को कहा कि न्यायाधिकरण की स्थापना कर दी गई है या नहीं। कितने खण्डपीठ स्थापित किए गए हैं? क्या मामले उसको स्थानांतरित कर दिए गए हैं? क्या उन्होंने मामले देखना शुरू कर दिया है? यदि अब तक ऐसा नहीं किया गया है तो सरकार का तर्क अपने आप निराधार हो जाता है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की कोई आकस्मिकता या तात्कालिकता थी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सरकार को इसे प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनाना चाहिए।

महोदय, आप इस सभा के संरक्षक हैं इसलिए अब, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि यह मामला स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। क्या होगा? जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि अध्यादेश व्यपगत हो जाएगा। लेकिन इस मामले में प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचेगी। सरकार को प्रतिष्ठा के संबंध में सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कार्यवाही की गई होती तो हमने उसे स्वीकार कर लिया होता। विधेयक के उपबंधों पर चर्चा करने में स्थायी समिति के सामूहिक विवेक का उपयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इस विधेयक में व्याकरणिक त्रुटियों सहित कई त्रुटियां बता सकता हूं। इस संबंध में हमारा अनुभव रहा है कि कोई सरकार कुछ भी स्वीकार नहीं करती है। केवल स्थायी समितियों में ही हम विधेयक के उपबंधों पर दलगत भावना से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से विचार-विमर्श करते हैं और एक सर्वानुमति पर पहुंचते हैं और इसके बाद सिफारिशें दी जाती हैं और सरकार उस मामले में उन्हें स्वीकार करती है। उसके बाद कोई विधेयक संसद के समक्ष लाया जाता है। हम केवल यही चाहते हैं कि उस प्रक्रिया का ही अनुकरण किया जाए। आपकी अनुपस्थिति में हमने यह निवेदन किया था। हमें प्रसन्नता है कि जब इस मामले का निपटान किया जा रहा है तो आप यहां उपस्थित है। हमने यह अनुरोध किया था। इस मामले पर सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जाना है। विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने का विशेषाधिकार अध्यक्ष महोदय का है और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है चाहे यह अध्यादेश हो या कुछ और। जहां इस प्रकार की कोई बात होती है आपको परिस्थितियों के अनुसार केवल अपने स्वविवेक का प्रयोग करना होगा जब तक कि आप अध्यादेश द्वारा अथवा अध्यादेश द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं करते। ऐसा कुछ घटित हो सकता है जिससे ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है जिससे सुधार करना मुश्किल हो, ऐसी कोई परिस्थिति यहां नहीं है।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करें कि इस प्रकार का मूल विधेयक जो वर्तमान कानून में व्यापक परिवर्तन की मांग करता है, स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। हमारा आपसे यही अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : मैं विधेयक के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लेकिन इस पर कुछ कहने से पहले मुझे ज्ञात है और जैसा कि मैं समझता हूं, इस पर कार्य-मंत्रणा समिति में अनेक बार चर्चा की गई है कि सभी विधेयकों को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। श्री शिवराज पाटील ने इस मामले को अनेक बार उठाया था और सामान्यतः सरकार भी इस पर सहमत थी। पिछली कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय किया गया था कि इस विशेष विधेयक को एक अध्यादेश के रूप में किसी समय लाया जाएगा, मैं समझता हूं कि इसके लिए चार घंटे का समय भी आवंटित किया गया था कार्य-मन्त्रणा समिति में इस पर सहमति थी। क्या यह उचित नहीं था कि इसे वहीं रोककर कहा जाता कि यह संभव नहीं है? यही एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं?

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, कार्य-मन्त्रणा समिति का सदस्य होने के बावजूद मुझे नहीं मालूम कि इसका उल्लेख यहां करना चाहिए अथवा नहीं। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने अध्यादेश का सामान्य-तौर पर विरोध किया था। हमने इस विधेयक की विषय-वस्तु पर चर्चा नहीं की थी। मुझे आशा है कि मैं गलत नहीं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : शायद इस पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई थी लेकिन यह अध्यादेश क्या है इसे स्पष्ट किया गया था।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, हो सकता है मुझसे कोई भूल हो रही हो लेकिन मैं इस विधेयक को पहली बार देख रहा हूं।

हमने वहां इस विधेयक की विषय-वस्तु के बारे में चर्चा नहीं की थी। महोदय, आपको तो मालूम होगा कि कई बार विधेयकों के लिए समय दिया जाता है जो कभी प्रस्तुत भी नहीं होते हैं। विगत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कार्य-मंत्रणा समिति ने समय आवंटित किया था लेकिन जब विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तो उसके संबंध में इस प्रकार की मांग कि गई। मैंने एक विधेयक के बारे में मांग उठाई थी और उसे सीधे स्थायी समिति में भेजा गया था। और उसके बाद चर्चा के दौरान ऐसे अवसर कई बार आए जब विधेयकों को स्थायी समिति में भेजा गया।

श्री राम नाईक : क्या वह अध्यादेश था?

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर आगे बढ़ गए होते, अगर कुछ ऐसा हो गया होता, आगे निकल गए होते, वापिस करना मुश्किल था, तो अलग बात थी। श्री राम नाईक जी आप उस समय यहां नहीं थे। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं। हमने सबसे पहला सवाल लॉ-मिनिस्टर से यही किया था कि आप बतायें, क्या ऐसा कुछ हुआ है?...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मैं यहीं पर था।

श्री पवन कुमार बंसल : आप यह बता दें कि ये-ये लोग बन चुके हैं। अगर ऐसा होता, तो हम ऐतराज नहीं करते।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपस में बात मत कीजिए क्योंकि मैं यह मुद्दा हल करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज पाटील, आपको भली-भांति मालूम होगा कि जहां तक संभव हैं संशोधन विधेयक के मामले में साधारणतया यद्यपि अपवाद भी होते हैं तथापि जैसे ही सभा में यह लाए जाते हैं उन्हें पारित कर दिया जाता है। इन्हें साधारणतया स्थायी समिति में पुन: वापस नहीं भेजा जाता है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह मूल विधेयक है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यह एक मूल विधेयक है।

श्री शिवराज वि. पाटील : यह संशोधन विधेयक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है। लेकिन यह अध्यादेश का स्थान ले रहा है और ऐसे मामलों में सभा में चर्चा हुई है। कुछ अपवाद भी हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : कृपया मुझे एक विनम्र निवेदन करने दीजिए। हम साधारणतया आपके विचारों का अत्यधिक सम्मान करते हैं और इस सभा के सदस्य के रूप में हमें आपके विनिर्णयों का भी पालन करना होता है। अध्यादेशों पर इस सदन में चर्चा नहीं की जाती है। कार्यमंत्रणा समिति में, हम समय निर्धारित करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि किस प्रकार समय निर्धारित किया जाता है। मैंने यह बात उठाई थी कि वह मात्र एक निरसन विधेयक पारित करके 30 विधेयकों का निरसन करना चाहते थे। क्या सभी 30 विधेयकों का अध्ययन करना और हां अथवा ना कहना सदस्यों के लिए संभव होगा? हम जानना चाहते थे कि ये किस प्रकार के विधेयक हैं और उनको पढ़ना चाहते थे। इस अध्यादेश के सम्बन्ध में भी क्या यह सरकार के लिए आवश्यक नहीं था कि वह इसे स्पष्ट करे और बताए कि यह एक अध्यादेश है और इसे कतिपय कारणों से पारित करना आवश्यक है? हमें इसके बारे में नहीं बताया गया। हम तो यही समझ रहे थे कि यह एक सामान्य मामला है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति में हम समय उपलब्ध न होने के कारण विधेयक की विषय-वस्तु पर विचार नहीं करते हैं। विधेयक की विषय-वस्तु के बारे में हमें बताया जाना चाहिए था। यह बताया जाना चाहिए कि इस विधेयक को पारित करके उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त किया जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं संविधान के उपबन्धों विशेषकर अनुच्छेद 368 को पढ़ना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

महोदय, संविधान में संशोधन करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका साधारण बहुमत से है जब राज्य की सीमाओं और अन्य को बदलना होता है। दूसरा तरीका दो तिहाई बहुमत से है और तीसरा तरीका दो तिहाई बहुमत और सम्पुष्टि में है। ये तीन तरीके हैं। अब कौन से ऐसे मामले हैं जहां दो तिहाई बहुमत और सम्पुष्टि की आवश्यकता होती है? जब हम न्यायपालिका से संबंधित मामलों पर विचार करते हैं, जब उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के अधिकारों को

कम करना होता है अथवा प्रभावित होता है तो इस पर सम्पुष्टि की आवश्यकता होती है। यहां इस मामले में यह विधेयक क्या करने वाला है?

इस विधेयक में कहा गया है कि ऐसे मामले, जो उच्च न्यायालय के पास हैं उन्हें इस अधिकरण के पास भेजा जाएगा। यह संविधान संशोधन नहीं है। इस विधेयक से कानून बनेगा। फिर भी यह विधेयक उच्च न्यायालयों की शक्तियों को कम करने का प्रयास कर रहा है। यह विधेयक उच्च न्यायालयों से अपील संबंधी मामलों को अधिकरण में स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा है। पहले अधिकरण तो थे लेकिन अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती थी। लेकिन इस विधेयक में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार नहीं होगा और सभी मामलों को उच्च न्यायालय से अधिकरण में स्थानान्तरित किया जाएगा। क्या यह साधारण चीज है? कार्यपालिका विधानमण्डल और न्यायपालिका में सम्बधित कोई भी चीज, होती है तो जहां तक संविधान का सम्बन्ध है तो उसमें विशेष उपबन्ध है। यदि यह संविधान संशोधन होता तो उसे राज्य विधानमण्डलों के पास भेजे बिना साधारण बहुमत से पारित नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस संसद द्वारा संविधान को संशोधित किए बिना जो नहीं किया जा सकता, वह यह संसद एक कानून पारित करके ऐसा करने का प्रयास कर रही है कि उच्च न्यायालय इन मामलों को नहीं देख सकते और ये मामले राष्ट्रीय कर अधिकरण के पास जाएंगे। अब क्या यह बड़ी बात नहीं है? क्या इस पर सभा में चर्चा की गई थी? हमने यहां सब कुछ नहीं पढ़ा है। अधदेश प्रख्यापित किया गया था। इस मामले में एक ही बात हुई है कि सरकार ने अध्यादेश प्रख्यापित किया है, इसलिए यह कह रही है कि हमें इसे पारित करना होगा। क्या यह सरकार अपनी प्रतिष्ठा पर अड़ी रहेगी? मान-लीजिए कि हमें सन्देह है, उन्हें सही तरीके से इस सन्देह को दूर करने दीजिए।

यदि हमारा संगत तर्क सरकार को स्वीकार नहीं है, तो आप जानते हैं कि सभा अनुचित तरीके अपना रही है। जब अनुचित तरीके अपनाए जाते हैं तब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब संगत तर्क दिए जाते हैं तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्या यह न्याय करने का सही तरीका है? यदि यह अध्यादेश पारित नहीं होगा तो इससे क्या होगा केवल इस बात को छोड़कर कि सरकार की इज्जत में दाग लग जाएगा? वे कहेंगे कि आपको इस विधेयक के प्रभावों को समझना चाहिए था। इसे अध्यादेश के रूप में सभा के सम्मुख नहीं लाया जाना चाहिए था और इसे विधेयक के रूप में सभा के सम्मुख लाया जाना चाहिए था जिसे आपने नहीं किया है, इसलिए हम आपत्ति प्रकट कर रहे हैं। उसके अलावा और क्या होने जा रहा है?

उन्हें 25 अधिकरणों का गठन करना है। ये 25 अधिकरण थोड़े से समय के भीतर गठित नहीं किए जा सकेंगे। ऋण अधिकरण गठित किए गए थे, लेकिन उन्होंने उन अधिकरणों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की है, कर्मचारी भी नियुक्त नहीं किए गए हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें जल्दी ही क्या है? क्या आपके कहने पर ही हमें मान लेना चाहिए कि यह जरूरी है? क्या यह कहना कि उच्च न्यायालय में मामले लम्बित हैं और एक लाख करोड़ रुपये का कर बकाया है, यह तर्कसंगत है? 25 वर्षों से इस पर कुछ नहीं किया जा सका और अध्यादेश जारी करके आप इसे कर देंगे। क्या हमें स्वीकार कर लेना चाहिए?

महोदय, मेरा आपसे अत्यंत विनम्र निवेदन है कि यद्यपि हम आपके निदेश के अध्याधीन हैं लेकिन इस मामले में हम झुकने वाले नहीं हैं। यदि हम कोई ऐसा तरीका अपनाते हैं जिसे हम इस मामले में सही मानते हैं तो कृपया बुरा मत मानिएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, आपके पौत्रसीन होने से पहले इस विषय पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई। मैं उन तमाम तर्कों को न दोहराते हुए केवल एक तर्क आपके सामने रखना चाहूंगी। जहां तक नए बिलों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने का संबंध है, सरकार इससे पूरी तरह सहमत है और इसमें पूरी तरह आपकी मदद भी कर रही है। आपको याद होगा कि हमने पिछली बार जितने नए बिल प्रस्तुत किए, वे स्टैंडिंग कमेटी गए। इस बार जितने नए बिल आ रहे हैं, वे सभी स्टैंडिंग कमेटी को जाएंगे लेकिन साधारण रूप में विधेयक का यहां आना और आर्डिनैन्स को रिप्लेस करने के लिए बिल का यहां आना इसमें कुछ फर्क है। सरकार जिन चीलों में अनिवार्यता महसूस करती है, जल्दी की आवश्यकता महसूस करती है, उनको आर्डिनैन्स के रूप में लाती है।

अध्यक्ष जी, आपने अभी शिवराज जी की बात सुनी। उन्होंने कहा कि एक लाख दस हजार करोड़ रुपए का एनपीए है। पाइलिंग ऑफ केसिज इन हाई कोर्ट को निकाल कर 25 टैक्स ट्रिब्यूनल के माध्यम से उनको खत्म करना कम बड़ी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इतनी बड़ी बात में वह कैसे कहते हैं कि क्या बड़ी बात है?

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : यह शब्दों से खिलवाड़ है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : हाई कोर्ट का जूरिस्डिक्शन हटा कर पहली बार ट्रिब्यूनल नहीं बनाए जा रहे हैं। बीसियों केसिज में पहले उनकी सरकार ने भी यह बात की है। अध्यादेश हमने नहीं उन्होंने भी जारी किए हैं। मैंने उन्हें यहां दिखा दिया कि किस-किस ने कितने जारी किए? मेरा केवल आपसे इतना निवेदन है और मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस तर्क को लम्बा नहीं करना चाहती, केवल इतना निवेदन है कि यह अध्यादेश है, 6 हफ्ते के अन्दर इसे बिल बनना है, एक्ट बनना है वरना यह 6 हफ्ते के अन्दर लैप्स हो जाएगा।

सायं 6.00 बजे

अगर आप इसे स्टैंडिंग कमेटी में देते हैं तो 6 हफ्ते में न तो इसकी रिपोर्ट आयेगी और न सैशन होगा, सरकार री-प्रोमलगेट करेगी। इसी प्रकार इंडियन टैलीग्राफ बिल में हुआ जो स्टैंडिंग कमेटी के सामने था और सरकार ने री-प्रौमलगेट कर दिया। इस प्रकार सरकार पर इमप्रोपरायटी का इलजाम लगा। इसलिये मैं बार-बार कर रही हूं।

[अनुवाद]

स्थायी समिति की आम राय है। साथ ही सभा की भी एक प्रकार से आम राय है।

[हिन्दी]

अब यह कहना कि उनका आर्गूमेंट तो रीजनेबल है, हमारा आर्गूमेंट अनरीजनेबल है, यह उनकी दृष्टि में हो सकता है लेकिन मेरा कहना है कि आपने जितने समय इसके लिये दिया है, यदि आप चाहें तो और समय लें और हाउस की क्लैक्टिव विजडम में अपनी बात रखें। वे कहें कि सरकार ने गलत काम किया है, तो ट्राइब्यूनल नहीं बनाना चाहिये, एनपीएज नहीं जाने चाहियें, हाई कोर्ट में केसेज पाइल अप रहना चाहिये और हाईकोर्ट की ज्युरिसडिक्शन में रहना चाहिये। जो कहना चाहें, आप कहें लेकिन आपको कुछ निर्णय करना है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : क्या इसी तरीके से संसदीय कार्य मंत्री को इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए...*(व्यवधान)* मुझे आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी मैडम...*(व्यवधान)* यदि आपका यह तर्क है तो मैं अपने अन्य साथियों से भी कहूंगा कि वह आपकी भाषा में ही तर्क दें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर उन्हें लगता है कि सरकार ने सही किया है तो बतायें। माननीय शिवराज पाटील ने जो आर्गूमेंट दिया है उसका लबोलुआब यही है लेकिन मेरा कहना है कि ठीक है ऐसा कहना उनके अधिकार के भीतर है कि ट्रिब्यूनल नहीं बनना चाहिये ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : उसका लबोलुआब आप निकाल रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उसका लबोलुआब यही हो सकता है कि बिल में अपने मन की बात महसूस कर सकते हैं। मेरा आपसे कहना है कि इस आर्डिनेंस को बिल में परिवर्तित होना है और इस सैशन में लाया गया है। अगर बिल में परिवर्तित नहीं होगा तो सरकार इसे री-प्रोमलगेट करेगी। यदि यह स्टैंडिंग कमेटी में जायेगा तो एक नई इमप्रोपरायटी खड़ी हो जायेगी। बी.ए.सी. ने इसके लिये समय तय किया है। आप इस पर चर्चा करिये, आप चाहें तो इसका विरोध कर सकते हैं, उससे आपको कोई मना नहीं करता। हो सकता है कि आपका कोई तर्क हमारी समझ में आ जाये और संबंधित मंत्री जवाब देते समय उसे मान लें। उसे आफिशियल अमेंडमेंट के तौर पर ले आयें। आप इस पर चर्चा करिये। संशोधित रूप में इसे पारित करिये। यदि विरोध करना है, वह करिये लेकिन यह कहना कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाये, यह सही रास्ता नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण आपको मालूम है कि आज राज्य सभा का महत्वपूर्ण कार्यक्रम केन्द्रीय कक्ष में हो रहा है। इसलिए अब सभा को स्थगित करना पड़ेगा। हम कल अथवा जब भी यह मामला चर्चा के लिए आएगा इस पर पुनः चर्चा करेंगे।

सभा को स्थगित करने से पूर्व, कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मैं संसदीय कार्य मंत्री से उसे प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं।

सायं 6.02 बजे

[हिन्दी]

कार्यमंत्रणा समिति

सत्तावनवां प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यमंत्रणा समिति का 57वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 12 दिसम्बर, 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2003/ 21 अग्रहायण, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।